

Index/अनुक्रमणिका

01. Index/ अनुक्रमणिका	01
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	06/07
03. Referee Board	08
04. Spokesperson	10/11

(Science / विज्ञान)

05. Reduction in consumption of limestone by use of Portland Pozzolana Cement Using 12 Mathematical Modeling (Dr. Sapna Shrimali, R.K. Mishra)	12
06. Common Fixed Point Theorems for in fuzzy metric spaces for Two mapping (Dr. Sangeeta Biley) ..	18
07. A Critical Analysis Of Perception Towards Semester System In Madhya Pradesh, India 20 (Dr. Mamta Prajapati, Dr. Balram Pd. Prajapati)	20
08. Comparative Phytochemical Studies Of Ocimum Sanctum And Mentha Arvensis Ethanolic 24 Leaf Extract (Dr. Prakash Solanki, Dr. Pramod Pandit, Anil Badore)	24
09. The Chemistry Of Cobalt In The Soil (Dr. S. K. Udaipure)	27
10. Comparative Study Of Sirpur And Pipliyapala Talab Water Quality, Indore (M.P.) 29 (Malini Johnson, Saroj Mahajan)	29
11. Important Role Of Macrophytes In The Balancing Of Pond Ecosystem	31
(Dr. Malini Johnson, Dr. D. K. Billore)	
12. Ladder Brake Fern - Pteris Vitata Found In P.G.College Dhar (M.P.) India 34 (Prof. Nirbhay Singh Solanki, Prof. S.C. Mehta)	34
13. Ethno-Medicinal Trees (Dr. Sarita Ghanghat)	36
14. Benefit of Fiber (Dr. Rajesh Masatkar)	38
15. The Study of weeds in the kota district, Rajasthan (Komal Modi)	40
16. Status Of Avion Fauna At Rewa District Madhya Pradesh, India (Nidhi Jaiswal)	42
17. Calcium Hardness, Magnesium Hardness And Total Hardness (Dr. Manish Kumar Nirat)	47
18. वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश -आज की आवश्यकता (डॉ. शैल बाला सांघी)	49

(Home Science / गृह विज्ञान)

19. Profile Of Khadi Bhandar Of Marwar (Dr. Usha Kothari, Karanjeet Kaur, Simerjeet Kaur)	50
20. आदिवासी किशोर किशोरियों में रोजगार के प्रति बदलती धारणाओं का अध्ययन (शारदा भिण्डे, डॉ. मंजू शर्मा)	52
21. उपचार, समायोजन व उनकी अन्तः क्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव (रूचि सोनी, डॉ. वंदना गुप्ता)	54
22. आधुनिक युग में वृद्ध अभिभावकों के अनुभवों का योगदान राष्ट्र विकास में सहायक (डॉ. रूपाली सक्सेना)	57

(Commerce & Management / वाणिज्य एवं प्रबंध)

23. Implementation Of Poverty Alleviation Schemes By The Indian Government And Their 58 Impact On Economic Development And Employment - An Analytical Study (Dr. Rajesh Jain)	58
--	----

24. G.S.T. - Its Impact On India Economy (Dr. Deepali Behere)	62
25. छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन (डॉ. एल. एन. शर्मा)	66
26. मध्यप्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अपवंचन की स्थिति (अमित वधवा)	72
27. मध्यप्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर क्रियान्वयन (अमित वधवा, नीरज राठौर)	77
28. प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार योजना का आदिवासियों के आर्थिक विकास पर प्रभाव - झाबुआ जिले के संदर्भ में (दीपक कुमार ठाकुर, डॉ. डी. के. सिंघल)	81
29. ग्वालियर जिले के औद्योगिक विकास में लघु व मध्यम उद्योगों की भूमिका (डॉ. छवि खरे)	84
30. वर्तमान परिपेक्ष्य में वस्तु एवं सेवाकर - एक अध्ययन परिचय (डॉ. असलम सईद)	88
31. भारतीय स्टेट बैंक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन (डॉ. मोनिका मालवीय)	91
32. मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का योगदान (कीर्ति सक्सेना, डॉ. एन. के. पाटीदार)	94
33. भारत के निर्माण में कौशल विकास (डॉ. प्रीति आनंद उदयपुरे)	97
34. स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं में नवतकनीक क्षेत्र की भूमिका (प्रीति शाह)	99
35. म.प्र. के पश्चिम निमाड़ में अजा एवं अजजा के विकास हेतु नीतियाँ एवं योजनाएँ (डॉ. एन. एल. गुप्ता, रणजीत सिंह रावत)	101
36. पंचवर्षीय योजनाओं में आवास नियोजन (डॉ. एकता कक्कड़)	103

(Economics / अर्थशास्त्र)

37. The Impact of Economic Reforms on Social Sector Development of India (Dr. Aparna Devi Goswami)	106
38. GST And Its Impact On Indian Economy (Sujata Naik)	109
39. सीमेंट खनिज से संपन्न रीवा संभाग (दूरगामी प्रभाव) (डॉ. कीर्ति शुक्ला, डॉ. ए. के. पाण्डेय)	112
40. शिक्षा सम्बंधी शासकीय योजनाओं का अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर प्रभाव एक अध्ययन (राकेश कुमार दिलावरे, डॉ. उषा कुमठ)	116
41. म. प्र. के खरगोन जिले के कृषकों की ऋणग्रस्तता के कारण एवं सुझाव (विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्बंध में) (डॉ. स्मिता शाह)	120
42. भवन निर्माण कार्य में महिला श्रमिकों की सहभागिता एवं समस्याओं का अध्ययन (डॉ. बी. एल. डावर, डॉ. मिसर नरगावें) ...	124
43. ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहकारी संस्थाओं की भूमिका (सुमन भंवर)	127
44. भारत में कृषि उत्पादकता - धीमी गति के कारण तथा बढ़ाने हेतु किए गये उपाय (डॉ. हरदयाल अहिरवार)	130
45. सहकारी संस्थाओं के वित्त प्राप्ति के स्रोत एवं ऋणनीति का अध्ययन इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में (डॉ. सपना सोनी, स्मिता पाटीदार)	133
46. बैगा जनजाति के आर्थिक विकास में शासकीय योजनाओं का प्रभाव (बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. महेश कुमार धुर्वे)	136
47. बांधों से विस्थापित परिवारों की विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याएँ (गोविन्द मुवेल, संग्राम भूषण)	139

48. डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों हेतु चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ एवं प्रभाव का अध्ययन 142
(डॉ. अर्चना आर्य)
49. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज की भूमिका (मध्य प्रदेश के संदर्भ में)(डॉ. महेश कुमार मालवीय) 144
50. रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों का आर्थिक अध्ययन (डॉ. ममता कुशगोतिया) 146
51. म.प्र. में औषधीय फसलों के उत्पादन का एक अध्ययन (डॉ. गोरा बुन्देला) 148
52. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (डॉ. जयराम सोलंकी) 150

(Political Science / राजनीति विज्ञान)

53. Adjournment Motion - An Analytical Study (Dr. Anvita Massad) 152
54. Sheikh Mohammed Abdullah's Political Career : A Study (Javaid Ahmad Bhat) 155
55. पुलिस प्रशासन में मानव अधिकार की स्थिति का अध्ययन (बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में) 158
(डॉ. तरुण कुमार शेण्डे)
56. वैश्वीक युग में उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता अभियान (डॉ. संध्या आमगा) 161
57. गोपालकृष्ण गोखले का राजनैतिक उदारवाद (डॉ. श्याम सुन्दर वर्मा) 164
58. धार जिले में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य की योजनाएँ 167
(राजेश भाभर)
59. सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान (डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह) 170
60. मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में गैर सरकारी संगठन (डॉ. संध्या आमगा) 173
61. भारत में विभिन्न युगों में स्त्रियों के मानवाधिकार - एक अध्ययन (दीपशिखा सक्सेना) 176
62. डॉ. भीमराव अम्बेडकर की महिला सशक्तिकरण में भूमिका (डॉ. हनुमान प्रसाद मीना) 179
63. नक्सलवाद उन्मूलन हेतु राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयास (डॉ. मीनाक्षी पंवार) 182
64. महिला मानवाधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका (डॉ. रितु बत्रा) 184
65. भारत छोड़ो आन्दोलन और उत्तराखण्ड (डॉ. पूनम भट्ट) 186
66. बलात्कार एक सामाजिक अध्ययन (डॉ. भावना ठाकुर) 188

(History / इतिहास)

67. कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार (नेहा चौहान) 190
68. शहडोल संभाग की जनजातियों की धार्मिक प्रतीक एवं उनका स्वरूप (डॉ. प्रीति शर्मा) 193
69. मुगलकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति - एक विवेचन (ईश्वर सिंह) 196
70. राजस्थान की ऋण प्रणाली - एक अवलोकन (17वीं से 19वीं शताब्दी) (डॉ. कुलवन्त सिंह शेखावत) 199
71. राजनीतिक एवं सामाजिक जन-जागरण में समाचार पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका (डॉ. दीपक अग्निहोत्री) 201
72. मध्यप्रान्त का जंगल सत्याग्रह (1930 से 1931 ई.तक) नागपुर क्षेत्र के परिपेक्ष में (डॉ. रामबिलास मरकाम) 203

73. दलितोद्धार आंदोलन (डॉ. एकता पाल) 205
74. पश्चिमी निमाड़ का आर्थिक लोक जीवन (अनिल पाटीदार) 207

(Sociology / समाजशास्त्र)

75. भारत में साइबर क्राइम (प्रो. अनामिका प्रजापति) 209
76. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को विवाह के दौरान आने वाली समस्याएँ (डॉ. सीता बोरासी) 212
77. स्वयं सहायता समूह योजना महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायक एक सर्वेक्षणात्मक अध्ययन 214
- विशेषतः इन्दौर जिले के संदर्भ में) (डॉ. सुमा थकांचन)
78. शैक्षणिक गतिशीलता पर डॉ. अम्बेडकर के विचार (डॉ. सोनिका बघेल) 216
79. बदलता परिवेश और कामकाजी महिलाएँ (सविता लौरी) 218
80. पलायन करने वाले श्रमिकों के मूल निवास स्थान पर समूह चर्चा द्वारा अध्ययन (खरगोन जिले के भगवानपुरा, 220
सेगांव तहसील के संदर्भ में) (डॉ. आर. के. यादव)
81. कृषि नवाचार का जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में) 223
(डॉ. यशोदा चौहान)

(English Literature / अंग्रेजी साहित्य)

82. Mythical Elements In The Plays Of Girish Karnad (Twishampati De) 226

(Hindi Literature / हिन्दी साहित्य)

83. 20वीं सदी के अंतिम दशक की महिला कहानीकारों की कहानियों में आर्थिक शोषण (रेखा) 229
84. हरिशंकर परसाई के निबंधों में तत्कालीन, सामाजिक एवं राजनैतिक यथार्थ बोध (डॉ. सुनीता यादव) 233
85. निमाड़ के कबीर संत अफजल (सायना खान) 236
86. सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - काव्य और स्त्री चित्रण (मनीषा चौरिया) 239
87. वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था पर श्रीलाल शुक्ल का असंतोष - व्यंग्य के रूप में (डॉ. अंजनी राजौरिया) 242
88. कलापक्ष के आलोक में मुक्तिबोध का काव्य सृजन (डॉ. वाणी राठौर) 245
89. हिन्दी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग (संदीप सिद्ध) 248
90. प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता (डॉ. लक्ष्मीकान्त चंदेला) 251
91. मन्नु भण्डारी के कथा-साहित्य का अध्ययन - आधुनिक जीवन के संदर्भ में (डॉ. ओ. एस. परिहार) 253
92. नरेन्द्र कोहली के सामाजिक क्षेत्र में व्यंग्य (समग्र व्यंग्य के विशेष संदर्भ में) (सुशीला सोलंकी, डॉ. मंजुला जोशी) 255
93. मुनि क्षमासागर का काव्य चिन्तन (डॉ. नीलम जैन) 257
94. अरुण कमल की प्रगतिशील कविताएँ (डॉ. संध्या दुबे) 259
95. आदिवासी साहित्य में नारी विमर्श (डॉ. अमित शुक्ल) 261

96. मैत्रीय पुष्पा का नारी-विषयक चिन्तन-नारी अस्तित्व का प्रश्न (डॉ. रश्मि प्रीति गुरु)	263
97. अमृतलाल नागर के कथा साहित्य में नारी-चरित्रांकन (डॉ. पारसमणि गुप्ता)	265
98. मुक्ति बोध के काव्य में विज्ञान बोध (डॉ. मीना भावसार)	267
99. साहित्य का सौंदर्य और सौंदर्य का साहित्य (डॉ. जिन्दर सिंह मुण्डा)	269
100. लोक देवता रामदेव पीर - एक परिचय (डॉ. जयश्री भटनागर)	271

(Education / शिक्षा)

101. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान शिक्षण हेतु व्याख्यान विधि की प्रासंगिकता का समीक्षात्मक अध्ययन ... (रश्मि सक्सेना)	273
102. उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता में सम्बंध का अध्ययन (मनीष राठौर, नेहा नरवरिया) ...	278
103. शैक्षिक गुणवत्ता हेतु नैतिक मूल्यों का सृजन (मेघा अभिषेक दुबे)	281
104. भारतीय संस्कृति और चरित्र प्रधान देश में बेटा बचाओ अभियान की आवश्यकता की प्रासंगिकता	284
(निशा कंठालिया)	
105. वर्तमान शिक्षण में अंकीय कक्षा-कक्ष की प्रासंगिकता (डॉ. भंवर लाल नागदा, नीलम कुमारी)	286

(Others / अन्य)

106. Freedom of Speech and Expression: New Dimensions and Restrictions (Dr. Deepika Bhatnagar)....	288
107. Consumer's Awareness Survey Regarding Food Label Information	291
(Dr. Neeta Deshmukh, Raksha Goyal)	
108. The Costumes Of Mahabharat: By The Modern Fashion Designer (Radhika Sarda, Rajeev Kumar) ...	294
109. Stress - A Silent Killer Of Human Body And Mind (Taruna Nath)	297
110. जीवन का अधिकार - समस्याएं एवं समाधान (डॉ. सुरेखा रेगे)	299
111. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व (डॉ. गणेश लाल जैन, डॉ. सुरेश कुमार बैरागी)	303
112. वैदिक धर्म दर्शन का मूल प्रणव ('ॐ') (डॉ. प्रमिला यादव)	306
113. बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रसार में बौद्ध संगीतियों का योगदान (डॉ. पूर्णिमा शर्मा)	308
114. कला तकनीक (अर्चना)	310
115. The Role of the World Trade Organization in Global Economic Development:	312
An Empirical Analysis (Dr. Syed Saleem Aquil)	

Regional Editor Board - International & National

1. Dr. Manisha Thakur - Fulton College, Arizona State University, America.
2. Mr. Ashok Kumar - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K.
3. Ass. Prof. Beciu Silviu - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania.
4. Mr. Khgendra Prasad Subedi - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
5. Prof. Dr. G.C. Khimesara - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India
6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India
7. Prof. Dr. N.S. Rao - Director, Janardhanrai Nagar Raj. Vidhyapeeth University, Udiapur (Raj.) India
8. Prof. Dr. Anoop Vyas - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India
9. Prof. Dr. P.P. Pandey - HOD, Commerce(Dean), Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India
10. Prof. Dr. Sanjay Bhayani - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India
11. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India
12. Prof. Dr. B.S. Jhare - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India
13. Prof. Dr. Sanjay Khare - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
14. Prof. Dr. R.P. Upadhyay - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India
16. Prof. Akhilesh Jadhav - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India
17. Prof. Dr. Kamal Jain - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India
18. Prof. Dr. D.L. Khadse - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India
19. Prof. Dr. Vandna Jain - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India
20. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India
21. Prof. Dr. Sharda Trivedi - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India
22. Prof. Dr. Usha Shrivastav - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India
23. Prof. Dr. G. P. Dawre - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India
24. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India
25. Prof. Dr. Vivek Patel - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India
26. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India
27. Prof. Dr. P.K. Mishra - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India
28. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India
29. Prof. Dr. R. K. Gautam - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India
30. Prof. Dr. Gayatri Vajpai - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India
31. Prof. Dr. Avinash Shendare - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India
32. Prof. Dr. J.C. Mehta - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India
33. Prof. Dr. B.S. Makkad - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India
34. Prof. Dr. P.P. Mishra - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India
35. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
36. Prof. Dr. K.L. Sahu - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India
37. Prof. Dr. Malini Johnson - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India
38. Prof. Dr. Vishal Purohit - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - Former Controller, Madhya Pradesh Professional Examination Board Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls PG College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management Deptt. Shri Atal Bihari Vajpai Hindi University, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnood, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls PG College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. PG College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.K. Jain - Professor, Commerce, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman, Commerce Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt., Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh PG College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. Tapan Chore - HOD, Economics, Vikram University, Ujjain (M.P.) India

Referee Board

- Maths** - (1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
- Physics** - (1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
- Computer Science** - (1) Prof. Dr. Umesh Kumar Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
- Chemistry** - (1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
- Botany** - (1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
(2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.)
- Life Science** - (1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
- Statistics** - (1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
- Military Science** - (1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
- Biology** - (1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
- Geology** - (1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
- Medical Science** - (1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
- Microbiology Sci.** - (1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
- ***** Commerce *****
- Commerce** - (1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
(3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
- ***** Management *****
- Management** - (1) Prof. Dr. Rameshwar Soni, HOD, Research Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
- Human Resources- Business Administration** - (1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls PG College, Kota (Raj.)
- ***** Law *****
- Law** - (1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.)
- ***** Arts *****
- Economics** - (1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
(2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.)
(3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Maidan, Indore (M.P.)
- Political Science** - (1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
(3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
- Philosophy** - (1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
- Sociology** - (1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.)
(2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. PG College, Dhar (M.P.)
(3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
- Hindi** - (1) Prof. Dr. Kala Joshi, ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)

- (2) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, HOD Research Centre, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Jaya Priyadarshini Shukla, Vansthali Vidyapeeth (Raj.)
 (4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
- English** - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit** - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls PG College, Bhopal (M.P.)
- History** - (2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. PG College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
 (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography** - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
 (2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology** - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls PG College, Chhindwara (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
- Drawing** - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
 (3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance** - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
 (2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science** - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
 (2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
 (3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development** - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
 (2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management** - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
 (2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education** - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
 (2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
 (3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
 (4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
- ***** Architecture *****
- Architecture** - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education** - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science** - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. PG College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls PG College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Krishna Education College, Javi, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. PG College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls PG College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagraade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls PG College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls PG College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anoopur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. PG College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. PG College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls PG College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. PG College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. PG College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone (M.P.)
46. Prof. Dr. R.K. Yadav - Govt. Girls College, Khargone (M.P.)

47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta - Govt. PG College, Badwani (M.P.)
48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
49. Prof. Dr. Prabha Pandey - Govt. PG College, Mehar, Distt. Satna (M.P.)
50. Prof. Dr. Rajesh Kumar - Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.)
51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel - Govt. PG College, Satna (M.P.)
52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta - Govt. PG College, Rajgarh, Biora (M.P.)
53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash - Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava - Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.)
55. Prof. Dr. Sunil Vajpai - Govt. Tilak PG College, Katni (M.P.)
56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya - Govt. PG College, Dhar (M.P.)
58. Prof. Dr. A. K. Pandey - Govt. Girls College, Satna (M.P.)
58. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain - Govt. PG College, Agar-Malwa (M.P.)
59. Prof. Dr. Niyaz Ansari - Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.)
60. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel - Govt. College, Harda (M.P.)
61. Dr. Suresh Kumar Vimal - Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.)
62. Prof. Dr. Amar Chand Jain - Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
63. Prof. Dr. Rashmi Dubey - Govt. Autonomus Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.)
64. Prof. Dr. A.K. Jain - Govt. PG College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
65. Prof. Dr. Sandhya Tikekar - Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.)
66. Prof. Dr. Rajiv Sharma - Govt. Narmada PG College, Hoshangabad (M.P.)
67. Prof. Dr. Rashmi Srivastava - Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)
68. Prof. Dr. Laxmikant Chandela - Govt. Autonomus PG College, Chhindwara (M.P.)
69. Prof. Dr. Balram Singotiya - Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.)
70. Prof. Dr. Vimmi Bahel - Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.)
71. Prof. Aprajita Bhargava - R.D.Public School, Betul (M.P.)
72. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan - Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.)
73. Prof. Dr. Pallavi Mishra - Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.)
74. Prof. Dr. N.P. Sharma - Govt. College, Datia (M.P.)
75. Prof. Dr. Jaya Sharma - Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
76. Prof. Dr. Sunil Somwanshi - Govt. College, Neapanagar, Distt. Burhanpur (M.P.)
77. Prof. Dr. Ishrat Khan - Govt. College, Raisen (M.P.)
78. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi - Govt. PG College, Sehore (M.P.)
79. Prof. Dr. Bhawana Thakur - Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.)
80. Prof. Dr. Keshavmani Sharma - Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.)
81. Prof. Dr. Renu Rajesh - Govt. Nehru Leading College, Ashok Nagar (M.P.)
82. Prof. Dr. Avinash Dubey - Govt. PG College, Khandwa (M.P.)
83. Prof. Dr. V.K. Dixit - Chhatrasal Govt. PG College, Panna (M.P.)
84. Prof. Dr. Ram Awdesh Sharma - M.J.S. Govt. PG College, Bhind (M.P.)
85. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri - Sarojini Naidu Govt. Girls PG College, Bhopal (M.P.)
86. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla - Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.)
87. Prof. Dr. Anoop Parsai - Govt. J. Yoganand Chattisgarh PG College, Raipur (Chattisgarh)
88. Prof. Dr. Anil Kumar Jain - Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan)
89. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya - Govt. Girls College, Barwani (M.P.)
90. Prof. Dr. Archana Vishith - Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan)
91. Prof. Dr. Kalpana Parikh - S.S.G. Parikh PG College, Udaipur (Rajasthan)
92. Prof. Dr. Gajendra Siroha - Pacific University, Udaipur (Rajasthan)
93. Prof. Dr. Krishna Pensia - Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan)
94. Prof. Dr. Pradeep Singh - Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana)
95. Prof. Dr. Smriti Agarwal - Research Consultant, New Delhi

Reduction in consumption of limestone by use of Portland Pozzolana Cement Using Mathematical Modeling

Dr. Sapna Shrimali * R.K. Mishra**

Abstract - Through this paper we draw attention of Limestone problem faced by cement industry. As per IBM survey we have observed limestone for 35-41 years by use of PPC cement we can save limestone from 16 % to 37 % and increase the reserve of limestone from 14187 to 33103 million tonnes against the production of OPC. By production of PPC Cement varying fly ash % 15 to 35 we increase our reserve from 47 to 56 which is maximum of 41 years.

Key Words - OPC, PPC, Flyash, Clinker.

Introduction - Cement industry is one of major consumer of cement grade limestone. As per the survey of Indian Bureau of Mines we have limestone for 35 to 41 years that is 89,862 million. We are the second largest producer of cement in the world and accounts for 6.9 % of world's cement production. As per the report by ministry of commerce and industry Govt. of India is going to invest on infrastructure approximate US \$ 1 trillion. It is well known that for 1 ton clinker average 1.53 tons of limestone is required. In other words for one ton cement we require 1.45 ton limestone. We have capacity to produce nearly 420 million tons of cement up to 2020 we increase our production capacity to 550 million tons. It is estimated that for the FY2017 we produce 280 million tons cement.


Materials & Method - We India is the second largest producer of cement in the world and accounts for 6.9 % of world's production. During this financial year we are going to produce approximate 280 million tons of cement. As Govt. of India is going to invest a huge amount on infrastructure that is US \$1 trillion.

As per survey of IBM we have reserves for 35-41 years and as per recent decision by Supreme Court of India seeing the climate issues certain states do not use pet coke. BY 2020 we increase our production capacity to 550 million tons.

As per report of ENVIS we generate 200 million tons of fly ash and up to 2030 it is going to be 600 million tons. To mitigate both the issues the problem of limestone and disposal of fly ash the best solution is production of PPC by this we can save the limestone reserves in million tons and solve the problem of handling of fly ash. BIS allows addition of fly ash from 15 % to 35 % in cement production. (Digram see in the last page)

Limestone relation with clinker & OPC cement

It is theoretical Proof that for 1 ton production of clinker 1.53 ton of limestone required



We have limestone stock of 89,862 million tons for 35-41 years as per IBM report(base for our calculation)

Total limestone for 41 year = 89862 million tons

Limestone for 1 year = 89862\41

= 2191.75 million tons

Clinker from 2191.75 limestone = 2191.75\1.53

= 1432.52 million ton clinker

(1.53 = conversion factor from limestone to clinker)

OPC Cement production = 95 % Clinker + 5% Gyp.

Cement production from 1432.52 million ton clinker = 1432.52 + (5*1507.91)\100

= 1432.52 + 75.395

= 1507.915 million ton OPC cement

Case I

If we use 15% fly ash Clinker requirement for 1507.915

OPC cement = 1432.52 million ton clinker For PPC with

addition of 15% of 1507.915 = (15*1507.915)\100 = 226.187 million ton fly ash

Saving of 226.187 million ton clinker

In terms of limestone saving is = 1.53*226.187

= 346.066 million ton limestone

Formula for Saving of Lime stone on same PPC production against OPC = (X% of Same production of OPC Cement*1.53)

Where value of X varies from 15 % to 35 %

Formula for % saving limestone by PPC production = (Fly ash consumed x 1.53)\Limestone used in OPC production

Formula for increase in limestone reserve = {(Fly ash

* Associate Professor & HOD (Mathematics) Pacific Academy of Higher Education & Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Research Scholar (Mathematics) Pacific Academy of Higher Education & Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

consumed $\times 1.53$) + Limestone reserve} \setminus (Limestone consumed for production) **(Table see in the next page)**
Graph between limestone used in OPC V/S PPC On same production

(Table see in the next page)

% Saving limestone on same production of PPC against OPC

(Table see in the next page)

We know that for 1507.915 million ton OPC we need 2191.755 million tons limestone

Saving of limestone on different % of fly ash on Production of PPC = X % of PPC Production $\times 1.53 \times$ year Value of X vary from 15 to 35 and year vary from 1 to 41 Let us take a case of 1507.915 million ton production.

(Table see in the next page)

As per government rule we have to pay Rs .80 per ton limestone royalty and other govt. taxes 32% of Rs.80 i.e Rs.25.60 in total 105.60 . We have to pay govt. for 1 ton limestone Rs. 105.60.

Let us take a case plant producing OPC cement 10 million ton if it produces same 10 million ton PPC cement saving are as follows

For 10 million ton OPC cement clinker = 9.5 million ton clinker

From 10 million ton PPC savings

Actual Saving of Limestone by PPC production = (X% of PPC production $\times 1.53 \times$ govt. taxes or mining cost)- (Fly ash Landed Cost)

Where 1.53 is conversion factor from Limestone to Clinker (For 1 ton clinker how much limestone required)
Net Saving =(Cost of Limestone used in OPC- Actual Saving from PPC production)

(Table see in the next page)

Conclusion - By use of mathematical model we are able to know that by varying percentage of fly ash we can reduce limestone consumption from 16 % to 37 % , increase the life of reserve from 47 to 56 years ,Saving crore of rupees in govt. taxes in royalty and other taxes for cement plant. Saving in crore rupees in crushing cost.

Use of million tons of thermal power plant waste that is fly ash. Available hectares of land for farming where these ash are dump. Increase in production capacity.

Acknowledgment - We are thankful to Shri A.K.Bartaria (Sr. V.P.) UCWL for his guidance and support.

References :-

1. Prasad. P.S.R ,Kumar A.V.P,Rao. K.B and Muthanna K.M., Experimental Investigation on Long Term Strength of Blended and O.P.C Concretes, National Conference on Recent Developments in Structural Engineering MIT, Manipal, pp. 384-390 (2005).
2. Ogonowski. M ,Houdashelt.M ,Schmidt. J , Lee. J and Helme. N., Greenhouse Gas Mitigation in Brazil, China and India: Scenarios and opportunities through

- 2025 (centre for clean air policy), pp.1-43 (2006).
3. Cao.J, Ho. M.S, and Jorgenson. D.W "Co-Benefits" of Greenhouse Gas Mitigation Policies in China an Integrated Top-Down and Bottom-Up Modeling Analysis , Environment for Development, Efd DP 08-10, (2008).
4. Ponsard.J.P and Walker.N , EU Emissions Trading and the cement sector: A Spatial Competition Analysis. Climate Policy, 8, pp.467-493 (2008)
5. Gallagher.K.S , Acting In Time On Climate Change, Acting In Time On Energy Policy Conference , pp. 1-24 (2008).
6. The Loreti Group, Green House Gas Emission Reduction from Blended Cement Production, Prepared by California Climate Action Registry, pp.1-33 (2008).
7. Christopher. L, Arlington, Massachusetts ,Cement Sector Green House Gas Emissions Reduction Case Studies, California Energy Commission, C EC- 600-2009-005 (2009).
8. Ishida .A, Araki .A, Yamamoto. K, Morioka . M, Hori. A, Application of Blended Cement in Shotcrete to Reduce the Environmental Burden, XI Engineering Conferences International, pp.1-9 (2009).
9. Chennoufi.L , Grey.H.H, Breisinger.M, Boulet.E and URS France, An Approach to Reconciling the Financing of Cement Manufacturing Plants with Climate Change Objectives, pp.1-17 (2010).
10. Moesgaard.M, Yue.Y, Glass Particles as an Active and CO_2 Reducing Component in Future Cement , Faculty Of Engineering And Science, Aalborg University, pp1-54 (2010).
11. Thomas .M, Kazanis.K, Cail.K, Delagrave.A, Blair.B, Lafarge North America, Lowering the Carbon Footprint of Concrete by Reducing the Clinker Content of Cement, Annual Conference of the Transportation Association of Canada Halifax, Nova Scotia, pp.1- 13 (2010).
12. Sector Policies and Programs Division Office of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency Research Triangle Park, North Carolina 27711, Available and Emerging Technologies for Reducing Greenhouse Gas Emissions from the Portland Cement Industry, pp.1-45 (2010).
13. Mitsubishi Research Institute Inc, New Mechanism Feasibility Study on CO_2 Abatement through Utilization of Blast Furnace Slags as Blending Material for Cement in Viet Nam, New Mechanism Feasibility Study, pp.1-24 (2011).
14. Fukui .A and Krishna. S , IGES- TERI CDM Reform Paper: Linking Ground Experience with CDM Data in the Cement Sector in India, Institute for Global Environmental Strategies (IGES) the Energy and Resources Institute (TERI), pp.1-16 (2011).
15. Gupta.A and Cullinen.M.S , The Carbon war Room , Cement Primer Report, pp. 1-22 (2011).

16. Kargari.A and Ravanchi.M.T, Carbon Dioxide: Capturing And Utilization, Greenhouse Gases-Capturing, Utilization and Reduction, pp.1-30 (2012).
17. Charkovska.N, Bun. R, Nahorski.Z, Horabik.J, Mathematical Modeling and Spatial Analysis of Emission Processes in Polish Industry Sector: Cement, Lime and Glass Production, Econtechmod: An International Quarterly Journal, **01**(4), pp.17–22 (2012).
18. Ansari.N, Seifi.A, A System Dynamics Model for Analyzing Energy Consumption and CO₂ Emission in Iranian Cement Industry under Various Production and Export Scenarios, Energy Policy 58, pp.75–89 (2013).
19. Stripple.H ,Greenhouse Gas Strategies for Cement Containing Products, IVL Report B2024, pp.1-101 (2013).
20. Mukherjee .S.P andVesmawala .G, Literature Review on Technical Aspect of Sustainable Concrete, International Journal of Engineering Science Invention, **2** (8), pp. 01-09 (2013).
21. KPMG Advisory Services Pvt. Ltd. (KASPL), Human Resource and Skill Requirement in Construction Material and Building Hardware Sector (2013-17,2017-2022), Government of India Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. N.S.D.C National Skill Development Corporation Transforming the Skill Landscape, **6**, pp. 1-57 (2014).
22. Guynn .J and Kline. J, Maximizing SCM Content of Blended Cements, 2015-CIC-00043978-1-4799-5580-0/14/IEEE.
23. Tsimas.S and Moutsatsou .A , Hydration of Cao Present in Fly Ashes, National Technical University of Athens School of Chemical Engineering Laboratory of Inorganic & Analytical Chemistry , pp.1-74 (2015).
24. Ridhhi, Sustainable Materials in the Construction Industry, Sustainability Outlook , (2015).
25. Krishnan.M.R , Quality Of Life For All: A Sustainable Development Framework for India’s Climate Policy , Center for Study of Science, Technology and Policy (CSTEP), (2015).
26. Lee .H.S and Wang.X.Y , Evaluation of the Carbon Dioxide Uptake of Slag-Blended Concrete Structures, Considering the Effect Of Carbonation, Sustainability 2016, 8, 312; pp.1-18 (2016).


OPC in million Tons	Limestone in million Tons for OPC	PPC in million Tons	Fly ash %	Saving of Limestone from PPC in million Tons	% Saving limestone against in OPC	Fly ash utilization smillion tons	Saving of limestone in 41 years
1507.915	2191.755	1507.915	15	346.066	15.79	226.187	14188.706
1507.915	2191.755	1507.915	20	461.421	21.05	301.583	18918.261
1507.915	2191.755	1507.915	25	576.777	26.31	376.978	23647.857
1507.915	2191.755	1507.915	30	692.132	31.57	452.374	28377.412
1507.915	2191.755	1507.915	35	807.488	36.84	527.770	33107.008



PRODUCTION OF CEMENT in million tons	Limestone consumed in OPC production in million tons	Limestone consumed in PPC production in millions tons
1507.915	2191.755	1845.689
1507.915	2191.755	1730.334
1507.915	2191.755	1614.978
1507.915	2191.755	1499.623
1507.915	2191.755	384.267



OPC & PPC production in million tons	Saving of Limestone from PPC in million Tons	% Saving limestone against OPC
1507.915	346.066	15.79
1507.915	461.421	21.05
1507.915	576.777	26.31
1507.915	692.132	31.57
1507.915	807.488	36.84

Production in million tons	Different % of fly ash	Saving of limestone on different % fly ash	Saving in 41 years on different % of fly ash	Present stock of limestone in million tons	Present stock + saving limestone 41 years in million tons	Total stock in years
1507.915	15	346.066	14188.706	89862	104050.706	47.47
1507.915	20	461.421	18918.261	89862	108780.261	49.63
1507.915	25	576.777	23647.857	89862	113509.857	51.79
1507.915	30	692.132	28377.412	89862	118239.412	53.95
1507.915	35	807.488	33107.008	89862	122969.008	56.10

Fly ash %	Limestone saving in million tons (X% of PPC *1.53) (A)	Saving royalty & other taxes in Rs.Crores (A*105.60)=B	Saving in mining cost including all upto crushing (B* Rs240/ton)
15	2.295	24.235	55.08
20	3.06	32.313	73.44
25	3.825	40.392	91.80
30	4.59	48.470	110.16
35	5.355	56.548	128.52







Common Fixed Point Theorems for in fuzzy metric spaces for Two mapping

Dr. Sangeeta Biley *

Abstract - Our aim of this paper is to obtain a common fixed point theorem for two self mappings of generalized S-fuzzy metric space, which generalize the result of singh and chauhan [4].

Key Words -S-Fuzzy metric space, common fixed point, t-norm.

Introduction - Many attempts have been made for proposing non additive models of uncertainty. Most radical attempt was initiated by L. Zadeh [5] in 1965.

Many authors have introduced the concept of fuzzy metric spaces in different ways [1] [2], kramosil and michalek [3] is one of them. Recently singh and chouhan [4] developed a new concept of generalized fuzzy metric space (or s-fuzzy metric space) and proved Banach contraction principle in this newly developed space.

In this paper we establish a general common fixed point theorem, which generalize the result of singh and chauhan [4].

Preliminaries :-

Definition 1: [4] The 3-tuple $(X, S, *)$ is said to be a S-fuzzy metric space if X is an arbitrary set, $*$ a continuous t-norm and S is a fuzzy set on $X^3 \times (0, \infty)$ satisfying the following conditions :

- i) $S(x, y, z, t) > 0$
- ii) $S(x, y, z, t) = 1$ if and only if $x = y = z$ (coincidence)
- iii) $S(x, y, z, t) = S(y, z, x, t) = S(z, y, x, t)$ (symmetry)
- iv) $S(x, y, z, r+s+t) \geq S(x, y, w, r) * S(x, w, z, s) * S(w, y, z, t)$ (tetrahedral inequality)
- v) $S(x, y, z, \bullet): (0, \infty) \rightarrow [0, 1]$ is continuous for all $x, y, z, \in X$ and $r, s, t > 0$

Geometrically, $S(x, y, z, t)$ represents the fuzzy perimeter of the triangle whose vertices are the points x, y and z with respect to $t > 0$.

Definition - 2: [4] A sequence $\{X_n\}$ in a S-fuzzy metric spaces $(X, S, *)$ is called a Cauchy sequence if and only if for each $\epsilon > 0, t > 0$ there exists $n_0 \in \mathbb{N}$ such that.

$$S(x_n, x_m, x_p, t) > 1 - \epsilon \text{ for all } n, m, p \geq n_0.$$

Definition - 3: [4] AS – fuzzy metric space in which every Cauchy sequence is a convergent sequence, called a complete S-fuzzy metric space.

Before proving our main result we first prove the following lemma.

Lemma 1: $S(x, y, z, \bullet)$ is non-decreasing for all x, y, z in X.

Proof : Suppose $S(x, y, z, p) > S(x, y, z, t) > S(x, y, z, r)$ for

all x, y, z in X and for some $0 < p < t < r$.

Then

$$\begin{aligned} S(x, y, y, r) &> S(x, y, y, 2r) \\ &> S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t) * S(y, y, y, 2r-t-p) \\ &= S(x, y, y, p) * S(x, y, y, t) \\ &= S(x, y, y, t) \end{aligned}$$

or

$$S(x, y, y, r) > S(x, y, y, t)$$

Which is a contraction.

This completes the proof.

Our result is.

Theorem – 1 Let $(X, S, *)$ be a complete fuzzy metric space with the t-norm $*$ defined by

$a * b = \min \{a, b\} : a, b \in [0, 1]$. If $\{M_n\}$ and $\{T_n\}$ are sequence of self mapping of X, satisfying the condition.

$$(1.1) \quad S(M_i x, T_j y, kt) \geq \min \{S(x, y, t), S(x, M_i x, t), S(y, T_j y, t), S(x, M_i x, 2t), S(y, T_j y, 2t), S(y, M_j y, 3t), S(x, T_j y, 3t)\}$$

For all x, y in X; $0 < k < 1, i, j \in \mathbb{N}$

$$(1.2) \quad \lim_{t \rightarrow \infty} S(x, y, t) \rightarrow 1$$

Then $\{M_n\}$ and $\{T_n\}$ have a unique common fixed point in X.

Proof :

Let x_0 be an arbitrary point in X_0 , Define sequence $\{X_n\}$ such that.

$$x_{2n+1} = M_{2n+1} x_{2n} \text{ and } x_{2n+2} = T_{2n+2} x_{2n+1} \quad \forall n = 0, 1, 2 \dots$$

Now

$$\begin{aligned} S(x_1, x_2, kt) &= S(M_1 x_0, T_2 x_1, kt) \\ &\geq \min \{S(x_0, x_1, t), S(x_0, M_1 x_0, t), S(x_1, T_2 x_1, t), \\ &S(x_0, M_1 x_0, 2t), S(x_1, T_2 x_1, 2t), S(x_1, M_1 x_0, 3t), \\ &S(x_0, T_2 x_1, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(x_0, x_1, t), S(x_0, x_1, t), S(x_1, x_2, t), \\ &S(x_0, x_1, 2t), S(x_1, x_2, 2t), S(x_1, x_1, 3t), \\ &S(x_0, x_2, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(x_0, x_1, t), S(x_1, x_2, t)\} \\ S(x_1, x_2, kt) &\geq S(x_0, x_1, t) \end{aligned}$$

Now

$$\begin{aligned} S(x_2, x_3, kt) &= S(T_2 x_1, M_3 x_2, kt) \\ &= S(M_3 x_2, T_2 x_1, kt) \\ &\geq \min \{S(x_2, x_1, t), S(x_2, M_3 x_2, t), S(x_1, T_2 x_1, t), \\ &S(x_2, M_3 x_2, 2t), S(x_1, T_2 x_1, 2t), \\ &S(x_1, M_3 x_2, 3t), S(x_2, T_2 x_1, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(x_1, x_2, t), S(x_2, x_3, t), S(x_1, x_2, t), S(x_2, x_3, 2t), \\ &S(x_1, x_2, 2t), S(x_1, x_3, 3t), S(x_2, x_3, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(x_1, x_2, t), S(x_2, x_3, t)\} \end{aligned}$$

which implies that

$$S(x_2, x_3, kt) \geq S(x_1, x_2, t)$$

proceeding in the same way, we have in general

$$S(x_n, x_{n+1}, kt) \geq S(x_{n-1}, x_n, t) \dots \dots \dots (1.3)$$

Using (1.3) we have

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n-1}, (1-k)t/k) &\geq S(x_{n-1}, x_{n-2}, (1-k)t/k^2) \\ &\geq S(x_{n-2}, x_{n-3}, (1-k)t/k^3) \end{aligned}$$

$$\dots \dots \dots \geq S(x_0, x_1, (1-k)t/k^n) \rightarrow 1 \text{ as } n \rightarrow \infty \dots \dots \dots (1.4)$$

Hence for $t > 0, K, \lambda \in (0, 1)$ we can choose

$$\begin{aligned} n_0 &= n_0(t, \lambda) \in \mathbb{N} \text{ such that} \\ S(x_n, x_{n-1}, (1-k)t/k) &\geq 1 - \lambda \\ n &\geq n_0 \dots \dots \dots (1.5) \end{aligned}$$

Now we claim that

$$S(x_n, x_{n+m}, t) \geq 1 - \lambda \dots \dots \dots (1.6)$$

For all $n \geq n_0$ and every $m \in \mathbb{N}$ and For all $n \geq n_0$ we have from (1.5)

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n+1}, t) &\geq S(x_n, x_{n-1}, t/k) \\ &\geq S(x_n, x_{n-1}, (1-k)t/k) \\ &\geq 1 - \lambda \end{aligned}$$

and so $S(x_n, x_{n+1}, t) \geq 1 - \lambda$

Thus result (1.6) is true for $1 \in \mathbb{N}$

Further suppose (1.6) is true for $m-1 \in \mathbb{N}$, then we shall show that it is also true for $m \in \mathbb{N}$ using (1.3), (1.4) and definition of t-norm we have

$$\begin{aligned} S(x_n, x_{n+m}, t) &\geq S(x_{n-1}, x_{n+m-1}, t/k) \\ &\geq \min \{S(x_{n-1}, x_n, (1-k)t/k), S(x_n, x_{n+m-1}, t)\} \\ &\geq \min \{(1-\lambda), (1-\lambda)\} \\ &= 1 - \lambda \end{aligned}$$

Thus (1.6) is true for every $m \in \mathbb{N}$ and this implies that $\{x_n\}$ is a Cauchy sequence :

Since $(X, S, *)$ is complete. So $\{x_n\}$ converges to some point u in X .

Now

$$\begin{aligned} S(M_i u, x_{2n+2}, kt) &= S(M_i u, T_{2n+2} x_{2n+1}, kt) \\ &\geq \min \{S(u, x_{2n+1}, t), S(u, M_i u, t), S(x_{2n+1}, T_{2n+2} x_{2n+1}, t), \\ &S(u, M_i u, 2t), S(x_{2n+1}, T_{2n+2} x_{2n+1}, 2t), \\ &S(x_{2n+1}, M_i u, 3t), S(u, T_{2n+2} x_{2n+1}, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(u, x_{2n+1}, t), S(u, M_i u, t), S(x_{2n+1}, x_{2n+2}, t), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &S(u, M_i u, 2t), S(x_{2n+1}, x_{2n+2}, 2t), \\ &S(x_{2n+1}, M_i u, 3t), S(u, T_{2n+2} x_{2n+1}, 3t)\} \end{aligned}$$

Which implies on letting $\lim_{n \rightarrow \infty}$

$$S(M_i u, u, kt) \geq \min \{S(M_i u, u, t), S(M_i u, u, 2t)\}$$

Or

$$S(M_i u, u, kt) \geq S(M_i u, u, t)$$

A contraction.

Hence $M_i u = u$

similarly we can show that $T_i u = u$

Thus 'u' is common fixed point of M_i and T_i .

To prove uniqueness, Let v be another

common fixed point of M_i and T_i . Then

$$\begin{aligned} S(u, v, t) &= S(M_i u, T_i v, t) \\ &\geq S(u, v, t/k) \end{aligned}$$

$$\dots \dots \dots \geq S(u, v, t/k^n) \rightarrow 1 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

Therefore $u = v$. Thus u is a unique common fixed point of M_i and T_i .

Now to prove that M_i and T_i are continuous.

Let $\{y_n\}$ be a sequence in X such that

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} y_n &= u \\ S(M_i y_n, u, kt) &= S(M_i y_n, T_i u, kt) \\ &\geq \min \{S(y_n, u, t), S(y_n, M_i y_n, t), S(u, T_i u, t), \\ &S(y_n, M_i y_n, 2t), S(u, T_i u, 2t), S(u, M_i y_n, 3t), \\ &S(y_n, T_i u, 3t)\} \\ &\geq \min \{S(y_n, u, t), S(y_n, M_i y_n, t), S(u, u, t), \\ &S(y_n, M_i y_n, 2t), S(u, u, 2t), S(u, M_i y_n, 3t), \\ &S(y_n, u, 3t)\} \end{aligned}$$

On letting $\lim_{n \rightarrow \infty}$ we obtain

$$\begin{aligned} S(\lim M_i y_n, u, kt) &\geq \min \{S(u, u, t), S(u, \lim M_i y_n, t), \\ &S(u, u, t), S(u, \lim M_i y_n, 2t), S(u, u, 2t), \\ &S(u, \lim M_i y_n, 3t), S(u, u, 3t)\} \\ &\geq \min \{1, 2, S(u, \lim M_i y_n, t), S(u, \lim M_i y_n, 2t), \\ &S(u, \lim M_i y_n, 3t)\} \\ &\geq \min \{1, S(u, \lim M_i y_n, t)\} \end{aligned}$$

This implies that

$$S(\lim M_i y_n, u, kt) \geq S(u, \lim M_i y_n, t)$$

Further this implies that $\lim M_i y_n = u = M_i u = M_i \lim y_n$

Thus M_i is continuous at u . Similarly we can prove that T_i is continuous at u . Therefore M_i and T_i are continuous at u .

References :-

1. Erceg, M.A., Metric spaces in fuzzy set theory, Jour. Math. Anal. Appl. 69 (1979), 205-230.
2. Keleva, O and seikkala, S. , On fuzzy metric spaces : fuzzy sets ans system, 12 (1984), 215-229.
3. Kramosil, O. and Michalek, J. , Fuzzy metric and statistical metric spaces, kybernetika 11 (1975), 336-344.
4. Singh, B. and Chauhan, M.S. , Generalized fuzzy metric spaces and fixed points theorem, Bul. Cal. math. Soc. 89 (1997), 457-460.
5. Zadeh, L.A. : Fuzzy sets Information and control, 8 (1965), 338-353.

A Critical Analysis Of Perception Towards Semester System In Madhya Pradesh, India

Dr. Mamta Prajapati * Dr. Balram Pd. Prajapati **

Abstract - Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another. Talking of the modern day education, one feels proud; of saying yes I am an educated person. Education is the equipping with knowledge. The overall development of mind, body and soul is the real education. Modern day education is aided with a variety of technology, computers, projectors, internet, and many more. In our country, particularly in the higher education sector, the government has practiced and introduced various systems from the very beginning in the name of ensuring quality education and producing quality human resources. Induction of the semester system in the college level education during 1970s was one of such moves. However, the could not sustain for long and was scrapped and replaced by the annual system in the year 1980.

After years of exercising the annual system, the Higher Education of Madhya Pradesh introduced the semester system at its college level education inviting a fresh debate in the higher education sector. There is a vast difference in learning and teaching techniques in the process of evaluation under the annual and semester systems. While routine evaluation and frequent class tests are an integral part of the semester system, annual system does not have any such provision. Actually, the provision of frequent class tests and regular evaluation compels students to keep themselves updated all the time. As a result, the students become more study-oriented.

Key Words - Education, annual and semester system , debate in higher education.

Introduction - Education, as we all are aware, is vital to the human resources development and empowerment in the stages of growth of a nation. In any education system, higher education encompassing Management, Engineering, Medicines etc., plays a major role in imparting knowledge, values, and developing skills and, in the process, increase the growth and productivity of the nation. While the Government is committed to providing primary education and certain facilities/subsidies for higher education, given the higher cost involved in the establishment of higher education institutes.

Why is India still a developing country and what is stopping it from being a developed country? This particular question strikes me every time when I think something about India's education system. I see India's education system as a stumbling block towards its objectives of achieving inclusive growth. Education has been a problem in our country and lack of it has been blamed for all sorts of evil for hundreds of years. We have established IITs, IIMs, law schools and other institutions of excellence; students now routinely score 90% marks so that even students with 90+ percentage find it difficult to get into the colleges of their choice; but we do more of the same old stuff.

The famous philosopher Einstein while discussing the need for education has projected the following fundamentals-

- A. To educate the individual as a free individual; to understand and use critical thinking skills.
- B. To educate the individual as a part of society – virtually all our knowledge, our clothes, our food is produced by others in our society, thus, we owe Society and have responsibility to contribute back to Society.
- C. Through education, knowledge must continually be renewed by ceaseless effort, if it is not to be lost. It resembles a statute of marble which stands in the desert and is continually threatened with burial by the shifting sand. The hands of service must ever be at work, in order that the marble continue to lastingly shine in the sun.

However, the role of institutions becomes more challenging in the modern world with innovations and technological developments. Investment in education and educational institutions should be viewed as an investment for economic prosperity. In India, there are about 26,478 institutions providing higher education which is 10 times higher than US but there is one area which needs reform is "education system".

After years of exercising the annual system, the Higher Education of Madhya Pradesh introduced the semester system at its college level education inviting a fresh debate in the higher education sector. Semester system has brought many changes in the life of college academia.

The effective and successful implementation of semester system depends upon a number of conditions:-

- Well-designed curriculum,
- syllabus coverage within limited time,
- Regularity of classes,
- Timely and constructive feedback to students by the teachers;
- Accessibility of teachers to students outside the class;
- Availability of information resources to students such as state-of-the-art library and computer facilities;
- Highest level of secrecy and confidentiality in examination;
- Transparency in evaluation and grades;
- Timely declaration of semester results etc.

Objective of the Study - The main objectives of the study is to understand and analyse the students and teachers perception towards semester system with regards to-

- (a) Curriculum;
- (b) Syllabus coverage and Regularity of Classes;
- (c) Evaluation and feedback and (d) Availability of Resources;
- (f) To identify the problems of teachers in semester system;
- (g) To point out the difficulties of teachers in semester system;
- (h) To analyze the different issues of teachers in the semester system; and
- (i) To suggest the initiatives to remove the difficulties of teacher in semester system.
- (j) To suggest the restructuring of current syllabi.
- (k) To correct the student - teacher ratio.
- (l) To remove the shortcomings of the present system.
- (m) To recognize the strength and drawbacks of teachers.
- (n) It will help the teachers and students to adopt new teaching and learning style.
- (o) It will also help to design the effective strategies for teacher and students.

Research Methodology - In this research, the main instrument for collecting primary data is questionnaire, Questionnaire, which consists the following questions and objectives.

- Which system of examination Provides good grading criteria?
- In which system of examination, students can obtain better marks.
- In which system of examination Students can get better job opportunities
- Which system Provides thorough understanding of concepts?
- Under which system academic goals are focused?
- In which system students does found busier in academic activities?
- In which system Students does tested through different techniques?
- Which system show better presentation skills?
- In which system Students are academically over

burden.

- In which system, students are continuously Evaluated ?
- To which system, teachers give consideration and concentration?
- Which system is better for learning?

In order to achieve the objective of the study, a questionnaire, asking the students' perception about the differences they have felt between both the systems especially in terms of their learning strategies, was distributed among a randomly selected sample of 160 students who have got the experience of both the educational systems; and interviews with 50 teachers were also conducted to record their perception towards both systems of education.

The data collected through questionnaire give a realistic view of both systems of examination.

Researchers have personally collected data by face to-face meeting with students as well contacted them telephonically. This data is free from any bias and misinterpretation.

Results - (see in the last page)

As compared to Annual system, the Semester system offers students more productive learning environment and close interaction with teachers results in development of different skills of students, teachers are more active in Semester system. Presentations add to the confidence of students. Similarly, assignments and frequently given class tests in semester system flourish their reading and writing skills. Semester system restricts students to only grasp their curriculum. The propensity of the teachers in semester system is greater than of annual system to teach with proper road map, full consideration and attention. Limitedness involved in learning objectives regarding an adopted course and monotonousness involved with the teaching-learning process.

(B) Outcomes from Interviews of Teachers - This study was focused on problems faced by the teachers in semester system. 50 teachers were selected as sample of the study. Main objectives were to know the specific problems related to semester system. It was found that teachers feel overburdened of teaching, prepare assignments, evaluate students' papers, produce research papers, prepare exam results, take care of new admissions, and helping in other administrative duties. It was recommended that workload of the teachers may be reduced to enhance quality in the system. Semester system is not an education system. It is rather an examination system. The main target of semester system is to put emphasis on continuous, comprehensive and in-depth learning aiming at capacity building of the students by developing required Knowledge, skills and attitude to become an efficient and effective citizen. The educationists are agreed regarding the benefits of semester system over the annual system but it is a challenging job for a college teacher to survive in the semester system.

Most of the teachers have perceived that close interaction develops between teachers and students in Semester system which is highly beneficial for students'

learning. It is learner centered system of education which lays more emphasis on building learning potential of students rather than rigid system of instruction. Students are continuously evaluated on the basis of presentations, quizzes, Projects and assignments. Students and teachers are always kept on their toes in semester system while they become more lazy and lethargic in Annual system. Teachers are more authoritative in Semester system. He is not only instructor but at the same time the responsibility of continuous evaluation also falls upon his shoulders. In Annual system he just delivers lecture and has nothing to do with evaluation and examination of students. Teachers mostly rely on books and hard stuffs while teaching in Annual system but they are compelled to use internet and modern technologies in semester system. Credit hours are strictly followed in universities while no such strict time table is followed in an Annual system. 80% of the teachers have accounted less time and subjectivity as the demerit of semester system while 20% are of the opinion that eighteen weeks are also enough to master a subject. 80% of the teachers are of the opinion that it is totally related to technicalities and, therefore, proper training for a teacher is mandatory if he is switching over from an Annual to Semester system while 20% do not think it to be mandatory.

Conclusion - The above findings show that both students and teachers view that Semester system is far better for the students' learning strategies and outcomes. However, it was felt that owing to lack of proper resources like Student-Teacher Ratio, Prolonged Admission Processes, and 90 days are very less time to complete the syllabus of P.G. classes. Along with this the syllabus should be revised according to the requirement of time and updating should be done in the teaching methods. Semester system cannot be a successful system in most of the governmental institutes of Madhya Pradesh. Similarly, more importantly, the teachers ought to keep objective outlooks and practices in doing the formative and summative evaluations of their

students. It is believed that if a student is more informed the better will be his/her motivation and his/her ability to study. It is, therefore, strongly recommended that proposed learning objectives and learning strategies regarding semester system ought to be communicated to students and even to their teachers,

References :-

1. Ernst & Young - EDGE 2011 Report.
2. C.P. Chandrasekhar and Jayanti Ghose, "The Hindu", 2014.
3. Statistics of Higher Education 2014-15.
4. Pandey Ambika (2015), "The Himalayan Times", Semester vs annual system", 14 Jan 2015.
5. Aggarwal, C.J. (1997). Essentials of examination system evaluation, test and measurement. New Delhi: Vikas Publications Pvt Limited.
6. Tribus, M. (1994). Total quality management on education. In Geoffery D. D. (Ed.). Developing quality system in education. London: Routledge.
7. Malik et al. (2006). Comparative analysis of M.A English result under annual and semester system: Quality Assurance in Pakistan.
8. Jadoon, Z. I. & Jabeen, N. (2006). Human resource management and quality assurance in public sector universities of Pakistan: The case of Punjab University. Lahore: The University of Punjab.
9. Bhattacharya, K. G. (2011), "Semester System in Undergraduate Courses", Guwahati Vishwavidyalaya, Magazine of Post-graduate Classes 2010-11, 119-124.
10. Douglas, J., Douglas, A., & Barnes, B. (2006), "Measuring Student Satisfaction at a UK University. Quality Assurance in Education, 14 (3), 251-267.
11. Jadoon, J.I., Jabeen, N., & Zeba, F. (2012), "Towards Effective Implementation of Semester System in Pakistan: Lessons from Punjab University, 2nd International Conference on Assessing Quality in Higher Education.

Results -

(A) Results of the Questionnaire from students - Following main findings were formulated after descriptively analyzing the data got through questionnaire from students-

S.No.	Question	Students in the favour of Semester System	Students in the favour of Annual System	Both
1	Which system of examination Provides good grading criteria?	74%	20%	6%
2	In which system of examination, students can obtain better marks.	84%	16%	00
3	In which system of examination Students can get better job opportunities	50%	26%	24%
4	Which system Provides thorough understanding of concepts?	70%	16%	14%
5	Under which system academic goals are focused?	45%	31%	24%
6	In which system Students does tested through different techniques?	92%	8%	00
7	Which system show better presentation skills?	100%	00	00
8	In which system Students are academically over burden.	16%	56%	28%
9	In which system, students are continuously Evaluated ?	84%	10%	6%
10	To which system, teachers give consideration and concentration?	90%	6%	4%
11	Which system is better for learning?	58%	20%	22%

Comparative Phytochemical Studies Of *Ocimum Sanctum* And *Mentha Arvensis* Ethanolic Leaf Extract

Dr. Prakash Solanki * Dr. Pramod Pandit ** Anil Badore ***

Abstract - Ethanolic extract of *Ocimum sanctum* and *Mentha arvensis* was studied for their phytochemical investigation. Ethanolic extract was prepared using Soxhlet extraction method. Phytochemical analysis of active extracts demonstrated the presence of common phyto-constituents like tannins, glycosides, flavonoids, steroids and alkaloids. These phytochemicals established a good support to the use of this plant in herbal medicine and as a base for the development of new and more potent drugs of natural origin.

Keywords - *Ocimum sanctum*, *mentha arvensis*, Soxhlet extraction, phytochemical.

Introduction - Since the medicinal value of plants has been known for centuries. The plant as a whole, their juices and extracts are used for various diseases among human beings by many systems of medicines. This has led many researchers to investigate the various activities of traditional plants. A variety of drugs could be obtained from medicinal plants. About 80% of individuals from developing countries rely on plant-based preparations used in their traditional medicinal system and as the basic needs for human primary health care. Plants produce a diverse range of bioactive molecules, making them rich sources of different types of medicine. In recent years, drug resistance to human pathogenic bacteria has been commonly and widely reported in literature.

Because of the side effects and the resistance that pathogenic microorganisms build against antibiotics, many scientists have recently paid attention to herbal extracts and biologically active compounds isolated from plant species used in herbal medicines. Natural products can be selected for biological screening based on ethno-medicinal use of plants, because many infectious diseases are known to have been treated with herbal remedies throughout the history of mankind. Even today, plant materials continue to play a major role in primary health care as therapeutic remedies in many developing countries.

Tulsi is a Sanskrit word which means "the incomparable one" and has a very special place in the Hindu culture. Several medicinal properties have been attributed to the Tulsi plant not only in Ayurveda and Siddha but also in Greek, Roman and Unani systems of medicine. *Mentha arvensis* belonging to the family Labiatae is a common edible and aromatic perennial herb which is cultivated throughout India. The aromatic leaves are used widely for flavoring foods and beverages.

The predominant cause of global mortality and morbidity is lifestyle-related diseases which can be addressed through Ayurveda with its focus on healthy life style practices and regular consumption of adaptogenic herb. Medicinal plant would be the best source to obtain a variety of drugs about 80% of individuals from developed countries use traditional medicine which has compounds derived from medicinal plants therefore such plants should be investigated to better understand their properties, safety and efficiency.

Phytochemical constituents such as steroids, alkaloids, flavonoids, tannins, phenol and several other aromatic compounds are secondary metabolites of plants that serve a defense mechanism against predation by many microorganisms, insects and other herbivores. These secondary metabolites exert antimicrobial activity through different mechanisms. The basil is cultivated all over India as culinary herbs and also as medicinal plants. These are highly aromatic, carminative, diuretic and stimulant. Flowers are present and the seeds are mucilaginous and are given in infusion to cure gonorrhoea, dysentery and chronic diarrhoea. Juice of leaves is used in cataract and bronchitis in order to stop ear ache. It is used as a drop in the ears. Leaf infusions are useful in gastric and liver disorders.

Phytochemicals have antioxidant or hormone-like effects which help in fighting against many diseases including cancer, heart disease, diabetes, high blood pressure and preventing the formation of carcinogens on their target tissues. Extracts of *Ocimum* are believed to decrease lipid peroxidation and increase the activity of superoxide dismutase. The difference in antimicrobial potency of different tulsi species depends on season, botanical source, storage condition, harvesting and

* Department of Chemistry, Govt. Autonomous Holkar Science College, Indore (M.P.) India

** Head (Chemistry) S.B.N. Govt. P.G. College, Barwani, K.B. State highway, Barwani (M.P.) INDIA

*** Department of Chemistry, Govt. Autonomous Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

processing but mainly due to its chemical constituents that may have biological activity including saponins flavonoids triterpenoids and tannins. Scientifically tulsi is known as *ocimum sanctum* is a time tested premier medicinal herb of Indian origin.

Materials and Methods:

1. Selection of studied plant species - In the present investigation, *Ocimum sanctum* & *Mentha arvensis*. Plants were collected from the different areas of Indore city (M.P).

2. Extraction of plant material - The Extraction of *Ocimum sanctum* & *Mentha arvensis* Ethanolic Leaf Extract using soxhlet extraction method.

3. Phytochemicals studies - The Phytochemical studies methods described by Harborne were used to test for the presence of the active ingredients in the test samples.

4. Test for Phlobatannins - The powdered sample was mixed with distill water in a test tube and shaken well after that it was filtered to take plant extract. Then to each plant extract, 1% aqueous hydrochloric acid was added and each plant sample was then boiled with the help of hot plate stirrer. Formation of red colored precipitate confirmed a positive result.

5. Test for reducing Sugar - 0.50 g of selected plant sample was added in 5 ml of distilled water. Then 1 ml of ethanol was mixed in the plant extract. After that we took 1ml of fehling solution A and 1ml of fehling solution B in test tube, heated it to boiling and then poured it in the aqueous ethanol extract. When color reaction was observed, it showed positive result / test.

6. Test for Terpenoids - 0.8 g of selected plant sample was taken in a test tube, then 10 ml of methanol was poured into it, it was shaken well and filtered to take 5 ml extract of plant sample. then 2ml of chloroform were mixed in extract of selected plant sample and 3 ml of sulphuric acid were added in selected sample extract. Formation of reddish brown color indicated the presence of terpenoids in the selected plant sample.

7. Test for Flavonoids - For the confirmation of flavonoid in the selected plant, 0.5 g of each selected plant powder were added in a test tube and 10 ml of distill water, 5 ml of dilute ammonia solution were added to a portion of the aqueous filtrate of each plant extract followed by addition of 1ml concentrated H₂SO₄ appearance of yellow color shows the presence of flavonoid in each extract.

8. Test for Alkaloids - For the purpose of phytochemical analysis of the selected plant, 0.2 g of the selected plant samples were added in each test tube and 3 ml of hexane were mixed in it, shaken well and filtered. Then took 5ml of 2 % HCl and poured in a test tube having the mixture of plant extract and hexane. Heated the test tube having the mixture, filtered it and poured few drops of picric acid in a mixture. Formation of yellow color precipitate indicates the presence of alkaloids.

Table – 1. Phytochemical analysis of Ethanol extract of *Ocimum santum* leaves

S.no.	Phytochemical	Ethanol extract
1.	saponins	+
2.	Flavonoids	+
3.	Steroides	+
4.	Cardiac glycoside	+
5.	Alkaloids	+
6.	Phenols	+
7.	Tannins	+

Table – 2. Phytochemical analysis of Ethanol extract of *Mentha arvensis* leaves

S.no.	Phytochemical	Ethanol extract
1.	saponins	-
2.	Flavonoids	+
3.	Steroides	-
4.	Alkaloids	+
5.	Tannins	+
6.	Phenols	-
7.	Cardiac glycoside	-

(+) represent the presence of compounds and (-) represent the absence of compounds

Results and Discussion - The recent work deals with the phytochemical investigation of the leaves extract of *Ocimum sanctum* and *Mentha arvensis*. In this study saponins, flavonoid, steroides, cardiac glycoside, alkaloids, phenols, tannins are investigated in presence of ethanol extract. Foam test performed in ethanol extract (*Ocimum sanctum*). The result shows the presence of saponins. For alkaloids using Mayers reagent cream precipitate was observed, this indicate presence of alkaloids. In ethanol extract steroides, cardiac glycoside, tannins showed positive result. This indicate the presence of steroides, cardiac glycoside and tannins.

Phytochemical investigation of *Mentha arvensis* in ethanol extract give negative result for saponins and steroides. While lead acetate test in ethanol extract is positive for presence of flavonoid. Presence of alkaloids and tannins have also been confirmed in the same extract.

Conclusion - Herbs have been used by humankind in the form of medicine since their origin. Modern medicine showed several side effects at the cost of its fast relief. This medicine has several shortcoming as per as treatment toward aids, cancer diabetes etc. hence, world is seeing with new hope toward folk medicine. *Ocimum sanctum* and *Mentha arvensis* leaves were investigated their Phytochemicals, Saponins, Flavonoids, Steroids, Cardic glycoside, Alkaloids, Phenols and Tannins. Some of the Phytochemicals showed positive result and some of the showed negative result. The presence of tannins suggests the ability of this plant to play a major role as antidiarrhoeic, presence of saponins revealed antihyper cholesterol. Tannin have traditionally been considered antinutritional but it may

be employed medicinally in antidiarrheal hemostatic and antihemorrhoidal compound.

In conclusion, it is suggested that *Ocimum sanctum* and *Mentha arvensis* plant leaves may be recommended as useful sources to prepare natural bioactive products from which we can develop new drugs which will be cost-effective because the plants are freely available. It is hope that this study would lead to the establishment of some compound that could be used to formulate new and more potent drug of natural origin.

References :-

1. A.S. Dangi, M. Sharma, J.P. Yadav and D.R. Arora (2013): Antimicrobial Activity of some medicinal plant, *Int. J. of environmental science*.4:1308-1313.
2. J.N. Ellof (2005): Which extractant should be used for the screening and isolation of antimicrobial components from plant, *J. Ethnopharmacol*.60:16.
3. R. Nair, T. kalariya, S. Chanda (2005): Antibacterial activity of some selected Indian medicinal plant, *Turk. J. Biol*.29:41-47.
4. T. Essawi and M. Srour (2000): Screening of some Palestinian medicinal plants for antibacterial activity, *J. Ethanopharmacol*.70:343-349.
5. A. Sokmen, B.M. Jones and M. Ertruk (1999): The in vitro antibacterial activity of Turkish medicinal plant, *J. Ethnopharmacol*.67(1):79-86.
6. C.R. Jeba, R. Vaidyanathan and R.G. Kumar (2011): Immunomodulatory activity of aqueous extract of ocimum sanctum in rat. *Int. J. on Pharmaceutical and Biomed Res*.2:33-38.
7. N. Sharma, D. Jacob, (2001): Antifertility investigation and Toxicological Screening of the petroleum Ether extract of the leaves of mentha arvensis Linn in male Albino Mice, *J. of Ethnopharmacology*.75:5-12
8. M.M. Cohen (2014): Tulsi Ocimum sanctum a herb for all reasons *J. Ayurved Inntegrmed*.5(4)251-259.
9. V.N. Daniel and I.E. Dania, (2011): phytochemical analysis and mineral element composition of ocimum basilicum obtained n jos metropolis plateau state Nigeri. *J. Eng Sci*.11(6):161-165.
10. S.Thaweboon and B.Thawboon,(2009): In vitro antimicrobial of Ocimum ampfricanum L. Essential oil against oral microorganismse, *Asian J. trop med pub health*.40:1025-1033.

The Chemistry Of Cobalt In The Soil

Dr. S. K. Udaipure *

Introduction - So far there is no recorded evidence that cobalt is essential for plant growth. But its importance in animal nutrition has been well established. (Stiles, 1951, Gilbert 1949 etc). There are several papers published on the role of cobalt in plant and animal nutrition, but most of them (Bibliography on minor elements, Vol I and II) deal with cobalt in its relation to health of animals. There are but a few papers which deal with cobalt in the soil. Beeson (1950) has reviewed the work on cobalt up to the year 1950. Since many of these reports are not accessible to all reach workers, it is proposed to summarize in this paper the main observation made by various workers in the field of the chemistry of cobalt in Soils.

Geochemistry of Cobalt - cobalt together with nickel and ferrous iron, is associated in magnetic mineral with magnesium, since these ions have the same charge and similar ionic radii (Goldschmidt). The ionic radius of cobalt is 0.82 Å. According to Mitchell (1945) the earth crust contains on an average 23 p.p.m of cobalt. In acidic rocks, cobalt content may be greater than nickel. Grimmett (1938-39) studied the cobalt status of rocks. He states that ultrabasic magnesian rocks contain 65 to 115 p.p.m cobalt. Dorothy carroll (1945) tried to classify rocks according to the incidence of cobalt deficiency in livestock. Soils derived from dolerites, schists were "sound" but those derived from gneisses, and quartzites are "unsound" Lundegardh (Ekman et.al. 1952) found a common poverty of cobalt in Swedish soils derived from acid silicate minerals.

Total cobalt in soils - Soils derived from basic igneous rocks or argillaceous sediments may contain 20 to 100 p.p.m. cobalt, Whereas those derived from sand stones, limestones and acid igneous rock may contain less than 20 p.p.m cobalt (Mitchell 1945). Kidson (1937) surveyed the cobalt status of New Zealand soils. She Found that acid soluble cobalt (soil treated with boiling concentrated hydrochloric acid) in the soil varied from 0.3 to 380 p.p.m, She studied the factors influencing the cobalt contents of soils and found that the cobalt contents are in general related to the magnesium contents of their parent rocks (1938). In another paper, she gives a comparative idea of the cobalt contents of soils derived from different rock formation. Some of her figures are reproduced below -
Soils from -

Rocks -	Serpentine	Andesite	Basalt	Granite	Rhyolite
Cobalt(p.p.m)	300	12	4-7	0.4-1.8	0.8-1.8

Grimmett (1938-39) noticed that certain North Auckland Soils (N-2) associated with cobalt deficient pastures contained up to 10 p.p.m total cobalt, but the cobalt present was relatively insoluble, even in strong acid. Harvey (1937) studied the soils of Western Australia, where the "Wasting disease" is prevalent in livestock. He found that the deficient soils contained less than 3 p.p.m cobalt and the healthy soils between 4-40 p.p.m cobalt. Gillbert (1949) quotes that soils containing less than 2 p.p.m cobalt commonly represent sick areas soils above this figure being generally healthy, whereas Stewart (1951) considers that the necessary level of cobalt of pasture soil should be greater than 1 p.p.m. Fujimoto and Sherman (1950) surveyed the cobalt contents of typical soils of the Hawaiian Islands. They found that the cobalt contents of Hawaiian soils ranged from 5 to 156 p.p.m and the average for 80 soil samples was 36.1 p.p.m

Availability of cobalt in soils - There is no positive correlation between the cobalt contents of soils and vegetation (Ekman et al 1952, Askew et. al, 1936 Fujimoto et. al 1950). Soils may be high in total cobalt but it does not mean that plants growing on these soils would be high in their contents of cobalt. Availability of cobalt in the soil is governed by certain soil conditions. Attempts have been made to study these factors in relation to the availability of cobalt in soils. Some of the field experiments in this connection may be cited.

(a) Residual effect of application of cobalt on soils - due to the importance of cobalt in the animal diet the level of cobalt in the vegetation is considered as an index of its availability in the soil. Askew (1938) for example studies the effectiveness of small application of cobalt sulphate for the control of cobalt deficiency in the sherry valley, Nelson. He found that an annual top dressing with cobalt equivalent to two ounces of hydrated cobalt sulphate per acre gave satisfactory stock healths and larger applications of 4 and 8 ounces were effective for two seasons. Bonner McNaught and Pul (1939) applied 2 cwt. and found that it increased the cobalt content of the pasture was still at the same level of 0.06 p.p.m to health level of more than 0.1

* Associate Professor (Chemistry) Govt. Narmada P. G. College, Hoshangabad (M.P.) INDIA

p.p.m They further observed that the cobalt content of the pasture was still at the same level a year after its application. Inclusion of cobalt in new Zealand in order to keep the available cobalt at the optimum with cobalt ized super, including cobalt at 2 lb/acre was effective in Scotland for at least three years. This effect has also been studied by applying different compounds of cobalt (Askew and Wastson 1946- Kidson and Munsell 1939)

(b) Soil pH and its effect on the uptake of cobalt by plants - Ekman, Karision, Svanberg (1952) found that the uptake of cobalt by plants is dependent on the pH of soils. The uptake of cobalt is ten times as high at pH 4.9 as at pH 7.0 Ekman and Karlson (loc.,cit) observed that soil pH is a potent factor in governing the availability of cobalt to the plants . Some of their results are given below -

CORRELATION BETWEEN SOIL pH AND COBALT IN SOIL AND HAY

pH of soil	Cobalt in soil p.p.m	cobalt in soil p.p.m
4.1-4.9	1.26	0.065
5.1-5.9	1.38	0.051
6.0-6.9	2.07	0.041
7.0	1.93	0.01

Ekman and Karlson also studied the factors affecting the cobalt uptake by plants. According to them soil pH ions other than cobalt , biological activity in general and decay of the peat constituents are some of the important factors which affect the uptake of cobalt by plants

(c) Effect of season on the uptake of cobalt by plants - Ekman et. al (1952) noted that the season affected the uptake of cobalt by plants . There was uneven absorption of cobalt during different seasons and drought conditions increased the uptake of cobalt . Askew and Munsel (1937) observed that there was a definite tendency for the cobalt contents to fall as the season advances. Mc Naughty and Paul (1930) from the analytical result on monthly samples taken over a 12 months autumn and winter when plant growth is retarded and decreases in spring and summer when the growth is at its maximum. They also observed an increase under drought conditions.

(d) Uptake of cobalt in relation to soil colloids - Ekman and Karlson (loc.cit) studied the relations between cobalt contents of hay and the type of soil, and found that the cobalt contents of hay decreased as the soil became

coarser in texture. Some of their figures are given below:-
 Type of soil Clayey Silty sandy peaty
 Cobalt in hay p.p.m 0.076 0.067 0.053 0.03
 considers that the texture of the soil can be correlated with cobalt deficiency. The heavier the texture the lesser is the prevalence of cobalt deficiency.

Adsorption of cobalt by gelatinous substances :- Kurbatov, Wood et, al. (1951) studied the isothermal adsorption of cobalt by ferric hydroxide . They found that at pH 6, less than 10% of the cobalt was adsorbed, but at pH 8, more than 90% of the cobalt was adsorbed. This is not surprising in view of Yong's figures.

Extraction of cobalt in the soil :- Banerjee, Bray and Melsted (1953) have recently studied this aspect of the chemistry of cobalt. They studied the behaviour of cobalt in soils by using radio active cobalt (⁶⁰Co) as a source. They were able to extract more cobalt from the soil by treating it successively with an electrolyte of higher H ion concentration or in other words cobalt was held more strongly at the higher pH than at the lower one. Only 50 % of the added cobalt was recovered (by an electrolyte) from a peat soil .In hydrogen saturated soils , all the adsorbed cobalt was extracted by ammonium acetate, but in calcium saturated soils much greater quantities were adsorbed in a form which needed hydrogen ions to extract it.

The fate of applied cobalt :- The various reference quoted above give a general idea about the lines along which people have worked in order to understand the chemistry of cobalt in soil. But we still do not know the various forms in which cobalt exists in the soil , and the method of extracting these forms. As an enquiry into the fate of applied cobalt the author carried out some work which is published elsewhere (Zende 1954) Cobalt was applied to 4 soils which were later exposed to the weather for a few months. the result showed that if the pH is not high much of the applied cobalt remains in an easily exchangeable form for several months. Some of the bivalent cobalt is converted to a difficult exchangeable form and this conversion is either rapid or slow depending upon the amount of colloids and the soil pH. In course of time some fraction of the added bivalent cobalt undergoes oxidation .The complete extraction of cobalt was found to be difficult due to these complications.

References :-

1. Personal Survey

Comparative Study Of Sirpur And Pipliyapala Talab Water Quality, Indore (M.P.)

Malini Johnson* Saroj Mahajan**

Abstract - Water is one and whole, same by its name but it is different by its variable characteristics which are solely based on various components which affect the quality of water. Fresh Water is essential to the existence of aquatic life. The present study aims at investigating the physicochemical analysis of water samples from two different talab. Sirpur talab and pipliyapala talab is one of the major water bodies in Indore city (M.P.). Physico-chemical statuses of two water bodies were studied in the year June 2010 to May 2011. Both the water bodies are affected by various human and cattle activities. In the present study physico-chemical characteristics of two water bodies have been compared. Water sample has been analyzed of talab water sample collection during one year. Water parameter viz: temperature, turbidity, pH, dissolved oxygen, total alkalinity, hardness, phosphate, nitrate-nitrogen and chloride. The result indicated that most of the physico-chemical parameters from Sirpur talab and Pipliyapala talab water suitable for drinking and domestic purpose.

Key Words - Physico-chemical parameter and water bodies.

Introduction - Water is essential for the survival of all living beings and plays an important role in our life. Good quality of water is necessary for maximum aquatic plants and animals. All the forms of water are essential for living organisms so that it is necessary that they should be free from contamination and pollutions. Shkula et.al. (2015) S K Guarge (2010). Characteristics of water bodies influence the quality of water individually and in combination with various contents, thereby, affecting the living organisms present there (Srivastava et.al.(2003) Smitha et.al.(2007). Two talab waters provided drinkable water to the people of Indore city is the main water resource for domestic purposes. D.G. Shah et al (2011), SRakh Mahesh S et. al. (2011), Yadav et al. (2011), Krishana et. al. (2015) is the group of prominent scientists contributed in assessing the quality of water resources. In this study we had considered and assessed the quality of two water bodies in Indore.

Area Of Study - Sirpur talab is constructed in the year 1868 during the regime of Holkar State. The Sirpur talab is located at the Sirpur village district Indore (M.P.). The talab is situated at 22° 40' N latitude and 75° 45' E longitude. The investigated area was the Pipliya-pala talab, which lies on the Bombay Agra highway.

Material And Methods - The water samples were collected from Sirpur talab and Pipliyapala talab. The water samples were collected in morning hours 07 to 09 am. and analyzed in the field as well as in the laboratory after following the methodology given in APHA (1998). pH were recorded by portable pH meter and temperature by the mercury

thermometer.

Result And Discussion - The physico-chemical parameters of two water bodies were taken into consideration as characteristic value to see the comparison of physico-chemical parameters of water of Sirpur talab and Bilawali talab were analyzed from June 2010 to May 2011 are presented in table (01).

The temperature affects the metabolic activity of macrophytes and highest at pre-monsoon. The temperature is one of the most important factors in the aquatic environment (Dwivedi B.K. et al 2002). The temperature range was found to be in from 32°C-34°C Pipliyapala talab and Sirpur talab. The higher value of water temperature observed in the present study could be attributed to the peak summer months. The pH has no direct adverse effect on macrophytes but it alters taste of water as well as, all the biochemical reactions are sensitive to the variation of pH. The pH value of all samples varies between 7.2 to 7.7. (S Namita et al 2017) Higher value of pH may be due to use of fertilizers and other organic components from the agricultural runoff in the study area. In this study, the pH of the water bodies ranges from 7.8 to 7.9.

The sample was slightly turbid. The Turbidity reflects the transparency in water and it is caused by the presence of dissolved substances in water. In present study observed high turbidity during the rainy season and low during the winter season has been observed. The concentration of dissolved oxygen was highest in post-monsoon and lowest in pre-monsoon, increasing in macrophytic activity. It is inversely proportional

* Asst. Professor (Botany) Govt. College, Kannod (M.P.) INDIA

** Asst. Professor (Botany) Govt. Mata Jija Bai College, Indore (M.P.) INDIA

to temperature. All aerobic processes depend upon the dissolved oxygen. The dissolved oxygen was found to be in ranges from 4.13mg/lit to 13.9 mg/lit Pipliyapala talab and Sirpur talab.

Alkalinity is an important parameter because it measures the water's ability to resist acidification. The major portion of alkalinity in natural water is caused by hydroxide, carbonate and bicarbonate. Alkalinity values are mostly exhibited higher values in pre-monsoon and lowest in post-monsoon. Alkalinity may also be caused due to the evolution of CO₂ during breakdown of organic matter. The alkalinity value of both talabs varies between 85mg/lit to 182 mg/lit. Hardness was noted comparatively highest in pre-monsoon and lowest in post-monsoon. The Hardness value of both talabs varies between 91 mg/lit to 311 mg/lit. The chloride concentration serves as an indicator of pollution by sewage. People accustomed to higher chloride in water are subjected to laxative effects (Dahiya S et al., 1999). Chloride is one of the major inorganic anions in water and wastewater. It is evaluation of water quality Index for drinking purpose. The chloride was found to be in ranges from 91 mg/lit to 135 mg/lit Pipliyapala talab and 100 mg/lit to 311mg/lit Sirpur talab.

The main source of nitrate is the run-off of agricultural matter. The higher inflow of water and consequent land drainage cause higher value of nitrate in talab. The increase in the value of phosphate in pond is mainly because of the run-off from agricultural fields.

Sirpur talab containing low pH 7.8 and maximum temperature 34, turbidity 31%, dissolved oxygen 13.9mg/lit, alkalinity 182mg/lit, hardness 311mg/lit, chloride 51mg/lit, nitrate 0.96 mg/lit and phosphate 0.4 mg/lit. (table no-1) as compared to Pipliyapala talab. In the case of Sirpur talab, the physico-chemical parameters were comparatively high, this might be due to the higher concentration of fertilizer. Sirpur talab showed high turbidity when compared to Pipliyapala talab similar results were also observed by Manjare et al. (2010). Water turbidity, which reflects

transparency, is an important criterion for assessing the quality of water.

Conclusion - Present study was undertaken to define the quality of water samples. Comparing the values of water quality parameters for two water bodies are in Indore city. This type of study helps in chalking out the appropriate strategy to improve the quality of water system to the desired level and to put it to better use on suitable basis. The result of the present study it may be said that water quality analysis should be carried out from time to time to regulate the rate and kind of contamination.

Referances :-

1. Dahiya S and Kaur Amarjeet (1999): J Environ Poll., 1999 6 (4),281.
2. Garg S. K, (2010): Water Supply Engineering, Khanna Publishers.
3. Manjare S. A., Vhanalakar S. A. and Muley D. V. (2010.): Analysis of water quality using physico-chemical parameters tamdalge tank in Kolhapur district, Maharashtra. Int. J. Adv. Biotech. Res. 1(2): 115-119.
4. Namita Saxena¹ and Alka Sharma (2017): Evaluation of Water Quality Index for Drinking Purpose in and Around Tekanpur area M.P. India. International Journal of Applied Environmental Sciences ISSN 0973-6077 Volume 12, Number 2 pp. 359-370.
5. Shrivastava N., Agarwal M. and Tyagi A. (2003): Study of Physico-chemical characteristics of water bodies around Jaipur. Journal of Environmental Biology 24, 177-180.
6. Shukla, S., Pandey, D.K. and Mishra, D.K. (2015): Water quality Assessment of Physiochemical Properties of Shivnath River in Durg District (Chhattisgarh) ISSN:2321-9637.
7. Smitha P.G., Byrappa K. and Ramaswamy S.N. (2007): Physico-chemical characteristics of water samples of Bantwal Taluk, south-western Karnataka. Indian Journal of Environmental Biology 28, 591-5.

Table-1 Comparison of water in Sirpur talab and Pipliyapala talab present during 2010-2011

PARAMETERS	SIRPUR TALAB		PIPLYAPALA TALAB	
	Maximum	Minimum	Maximum	Minimum
Temperature (°C)	34	19	33	18
pH	7.8	5.2	7.9	6.8
Turbidity (%)	31	20	28	17
Dissolved oxygen(mg/l)	13.9	6.2	9.34	4.13
Total Alkalinity(mg/l)	182	89	162	85
Total Hardness (mg/l)	311	100	135	91
Chloride(mg/l)	51	20	61.24	29.53
Nitrate (mg/l)	0.96	0.51	1.13	0.25
Phosphate(mg/l)	0.4	0.14	0.32	0.11

Important Role Of Macrophytes In The Balancing Of Pond Ecosystem

Dr. Malini Johnson* Dr. D. K. Billore**

Abstract - Macrophytes are the base of the aquatic food chain and source of oxygen for aquatic ecosystem. The biomass of macrophytic community was estimated every month in the study year 2010- & 2011 by harvest and computed method. Altogether seven macrophytes were identified in the present investigation. The productivity was computed by adding the increment in the biomass of each species during the two successive months. Macrophytes are the primary producer and important component for the regulation of mineral cycle and organic compound in an aquatic ecosystem. Three zone floating zone, submerged zone and emergent zone of macrophytic community reported. The dominated zone was the submerged zone.

Key word - Biomass, biomass increment, macrophytes.

Introduction - Aquatic plants are an important part of the aquatic environment. It is an important factor for helping in maintenance of ecological balance. The importance of various factors of the surround medium on macrophytes growth on productivity has been discussed by many workers. Macrophytes are sometimes attached to bottom, totally submerged and partly emergent, complex types. The aquatic macrophytes diversity has a significant role in understanding the wetland ecosystem dynamics. (2014, Sarma and Deka). Biomass is the most important one of the tool for evaluation of the primary productivity. The importance of primary productivity studies in aquatic environment is well realized in view of its value in estimating the productive capacity. Macrophytes are indicator of eutrophication and are sensitive to acidification.

The quantitative role of macrophytes in lake ecology is closely linked to their spatial distribution and biomass. Which in turn is a result of various environmental factors? If increase the vegetation results in reduce transparency. The biological nature of each pond reflecting also an macrophytes diversity and biomass is strongly ruled by the euphotic depth beyond which light level falls below 1% of surface irradiation (Wetzel 1983). Macrophytes growth is affected by a Variety of abiotic and biotic factors including light availability water depth nutrient availability and sediment compositions.

Study Area - Sirpur talab is constructed in year 1868 during the regime of Holkar State. The Sirpur talab is located at the Sirpur village district Indore (M.P.). The Sirpur talab is situated at 22° 40'N latitude and 75° 45' E longitude. The MSL is 421 meter.

Material And Method - Macrophytes sampling was conducted monthly for one year June 2010 to May 2011 by

harvest method. The methods uses belt transect of 0.05 to 0.5 meter width. The plants were washed with water thoroughly and then with 2% detergents solution segregated species wise and then dry weight was determined after drying them at 60° C for 48 hrs in an electric oven.

Biomass determination is one of the most important tools for evaluation of the primary productivity. Species, which accumulate more biomass and having higher production rates, found dominant in the community and hence they usually influence the overall physiognomy of the vegetation (Misra 1989).

Result And Discussion - Aquatic macrophytes have served as human welfare over centuries, providing food, medicines and building materials. A total of seven macrophytic species have been collected. The data of biomass and biomass increment presented in the table no-1 and table no-2 reveals that the maximum biomass 165.11 mg/g was recorded in the month of January. The minimum biomass observed in the month of June varying from 4.1 mg/g to 5.1 mg/g. A close perusal of the data reveals that the biomass at different macrophytes did not fluctuate widely during different months of the year. From biomass point of view the most important macrophytic species was *Hydrilla verticillata* with an overall total biomass 1344.95 mg/g and the least important was *Ipomea aquatica* with minimum biomass 126.25 mg/g.

In the present study, the minimum rate of production in the summer and the high production of macrophytes in the winter has been observed. The winter season was found to support the maximum number of species while rainy season supported minimum number of species.

Conclusion - The increase of biomass was directly correlated to the rise in temperature. The growth of

macrophytes is controlled by the seasonal fluctuations in nutrient contents of the lake water.

References :-

1. Chambers, P.A., Lacoul, P., Murphy, K.J., and Thomaz, S.M., (2008): Global diversity of aquatic macrophytes in freshwater *Hydrobiologia*, 595: pp 9-26.
2. Henry, A.N., Chitra, V., Balakrishnan, N.P., (1989); Flora of Tamil Nadu, India. Botanical Survey of India, Southern Circle, Coimbatore. 1 (3):1-171 .
3. Jha, V.N., (1968) : Productivity of pond ecosystem. Dactoral thesis, Banaras Hindu University, Varanasi, India. Jain SK, Gujral GS, Vasudevan P. Production of biogas from aquatic biomass: A comparison with terrestrial biomass. *Res. Ind.* 1990; 35:104-107.
4. Misra, K.C., (1989): Manual of Plant Ecology. Third Edition, Oxford and IBH, New Delhi.
5. Ray, A.K., Das, I., (1995); Evaluation of dried aquatic weed, *Pistia stratiotes*, meal as a feed stuff in polluted feed for Rohu, *Lebeo rohita*, Fingerlings. *J. Applied Aquaculture*. 5(4):35-44.
6. Singaram, P., (1994);. Removal of Chromium from tannery effluent by using water weeds. *Ind J Environ Health*. 36(3):197-199.
7. Udayakumar, M., Narayanasamy, D., Kankashanthi, K., Thangavel, S .A., (2010); floristic study in a perennial lake of Thiruvallur district, South India. *Web Med Central Ecology*, 1(10).1-8.
8. Wetzel, R.G., (1983): *Limnology* second edition, Michigan state university.

TABLE NO-1 MONTHLY BIOMASS OF MACROPHYTES 2010-2011 mg/g

Name of species	JUN	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Total
FLOTING ZONE													
<i>Trapa natans</i> Linn	41.24	44.35	53.38	64.49	60.52	51.61	47.68	23.73					387
<i>Nellumbo nucifera</i> Gaerth	28.2	29.5	30.2	32.5	30.7						26.1	27.8	205
SUBMERGED ZONE													
<i>Hydrilla verticellata</i> L.F. Royle	54.54	59.56	79.52	92.68	115.9	140.8	152.1	165.1	155.69	123.7	110.1	95.23	1344.95
<i>Najas minora</i> Linn	17.61	20.78	24.89	36.11	42.91	59.35	67.42	61.23	41.41	33.68	24.29	15.51	445.19
<i>Potamogeton crispus</i> Linn				33.84	35.78	36.91	37.65	20.38	13.78	10.12	9.11	7.91	205.48
<i>Potamogeton natans</i> Linn				32.97	33.81	35.72	36.51	37.61	30.23	21.38	10.92	6.11	245.26
	72.15	80.34	104.4	195.6	228.4	272.8	293.7	284.3	241.11	188.9	154.4	124.8	2240.88
EMERGENT ZONE													
<i>Ipomia aquatica</i> Forsk	4.1	9.1	12.2	13.31	22.38	24.59	9.67	7.52	6.12	6.17	5.1	5.99	126.25
Total	4.1	9.1	12.2	13.31	22.38	24.59	9.67	7.52	6.12	6.17	5.1	5.99	126.25
Grand Total	104.5	160.2	191.2	294.8	345.9	357.9	355	339.5	270.96	195.1	185.6	158.6	2959.13

TABLE NO-2 MONTHLY INCREMENT IN BIOMASS 2010-2011 mg/g

Name of species	JUN	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Total
FLOTING ZONE													
<i>Trapa natans</i> Linn		3.11	9.03	11.1									
23.25													
<i>Nellumbo nucifera</i> Gaerth	1.3	0.7	2.3								1.7	177	183.2
SUBMERGED ZONE													
<i>Hydrilla verticellata</i> L.F. Royle	5.02	20	13.2	23.2	25	11.3	12.99						110.57
<i>Najas minora</i> Linn	3.17	4.11	11.2	6.8	16.4	8.07							49.81
<i>Potamogeton crispus</i> Linn	0	0	33.8	1.94	1.13	0.74							37.65
<i>Potamogeton crispus</i> Linn	0	0	33	0.84	1.91	0.79	1.1						37.61
EMERGENT ZONE													
<i>Ipomia aquatica</i> Forsk	5	3.1	1.11	9.07	2.21								20.49
Total	14.5	31	104	52.9	46.7	20.9	14.09	0	0	0	1.7	177	462.58

Ladder Brake Fern - *Pteris Vitata* Found In P.G.College Dhar (M.P.) India

Prof. Nirbhay Singh Solanki* Prof. S.C. Mehta**

Abstract - *Pteris vitata* is called as ladder brake fern. It is indigenous to Asia, Southern Europe, tropical Africa and Australia. It is known to be a hyperaccumulator plant of arsenic used in phytoremediation. The use of plants to clean polluted environments. Plant extracts are used as demulcent, hypotensive, tonic, antiviral and antibacterial. The whole plant parts are ground into paste and applied over the affected places for wound healing. The paste is mixed with pepper and taken orally to get relief from cold, cough and fever. They are boiled with four times water and drunk as tonic. The whole plant parts are ground into paste and applied over the affected places for wound healing. It is also used for diarrhoea and dysentery.

Key Words - Phytoremediation, Tonic, antiviral, antibacterial, Hypotensive, Demulcent, IUCN

Introduction - *Pteris vitata* is very beautiful pteridophytes. It has antibacterial and antimicrobial properties.

Methodology - I took some photographs by digital camera.

Study Area - Dhar district - Dhar district is located at 22 degree to 22 degree 49 minute north latitude and 75 degree 6 minute to 75 degree 42 minute east longitude, average altitude of Dhar district is 588 meters above the sea level.

Dhar city - The city lies between latitude 22 degree 35 minute N & longitude 75 degree 20 minute E with an average elevation of 559 meters and an area of 8,153 km square. It is located 53 km west of Bhopal 908 ft above the sea level.

IUCN Status -

Red List Category & Criteria : Least Concern ver 3.1

Year Published: 2013

Version 3.1: IUCN (2001)

The IUCN Council adopted this latest version, which incorporated changes as a result of comments from the IUCN and SSC memberships and from a final meeting of the Criteria Review Working Group, in February 2000.

All new assessments from January 2001 should use the latest adopted version and cite the year of publication and version number.

Classification -

Kingdom - Plantae - Plants

Subkingdom - Tracheobionta - Vascular plants

Division - Pteridophyta - Ferns

Class - Filicopsida

Order - Polypodiales

Family - Pteridaceae - Maidenhair Fern family

Genus - *Pteris* L. - Brake fern

Species - *Pteris vitata* L. - Ladder brake

Common Name(s) -

English - Chinese brake, Chinese ladder brake, ladder brake

Japanese - hoko-sida

Pohnpeian - limenkasar

Synonyms - *Pteris costata*, *pteris diversifolia* Sw, *pteris ensifolia* Poir, *pteris inaequilateralis* Poir, *pteris microdonata* Gaudin, *Pteris vittata* f. *cristata* Ching inching & S.H.



Pteris vitata L. plant

* Asst. Professor, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) INDIA
** Retd. Professor, Govt. P.G. College, Jaora (M.P.) INDIA



Pteris vittata L.

Habitat - In the wild, it is found in the low land tropics in open areas. In urban settings, it often grows in drains or along old walls.

Etymology - Genus *Pteris* is from the Greek word "pteruc" which is the Greek name of a fern. Species *vittata* refers to the fern character of being banded longitudinally.

Plant Description - "Terrestrial or lithophytic ferns.

Rhizome short-creeping; scales numerous, conspicuous, c. 5 mm long, narrowly triangular, pale brown. **Fronde** monomorphic, arching, appearing to radiate from a crown. Stipe usually c. 2-25 cm long, pale brown, grooved, scaly towards base. Lamina 1-pinnate, oblong-obovate, c. 15-80 cm long, c. 5-30 cm wide. Pinnae closely spaced, to 25 cm long, narrowly oblong and tapering above, decreasing in length from apex to base, most pinnae attached by midrib only; base subcordate, \pm overlying rachis; margins finely serrate in sterile zones. Lowermost pinnae very much shorter, deltoid to cordate; terminal pinna usually the longest; veins free, at $\pm 90^\circ$ to cost a, simple or once-forked. Paraphyses abundant" (Flora of Australia online.)

"**Stems** stout, short-creeping, densely scaly; scales pale brown. **Leaves** clustered, 1-10 dm. Petiole green to pale brown, 1-30 cm, densely scaly; scales dense proximally, extending to and along rachis. Blade oblanceolate, 1-pinnate, (15-)25-50(-80) x (6-)13-25 cm; rachis not winged. Veins free, forked. **Sori** narrow, blade tissue exposed abaxially"

Ethnobotanical Uses -

1. It is able to accumulate arsenic in soil and store it in the fronds at a 100 times higher concentration.
2. Research is being conducted to explore its potential in phytoremediation, the use of plants to clean polluted environments.
3. Leaves used in worship at the time of illness. Fronds are largely used as cushion for cattle sheds.
4. Plant extracts is used as demulcent, hypotensive, tonic, antiviral and antibacterial.

5. The whole plant parts are ground into paste and applied over the affected places for wound healing. The paste is mixed with pepper and taken orally to get relief from cold, cough and fever.
6. They are boiled with four time water and drunk as tonic. The whole young or mature plants are used as fodder.
7. The whole plant parts are ground into paste and applied over the affected places for wound healing. It also used for diarrhoea and dysentery.

Discussion - This plant is best indicator of arsenic. By this plant we can examine the concentration of the arsenic in the soil. So we can say that it is pollution controller. Save the plants in our environment.

References :-

1. <http://www.iucnredlist.org/>
2. <http://dhar.nic.in/>
3. <http://www.theplantlist.org/>
4. https://www.researchgate.net/publication/255820929_ETHNO_MEDICINAL_IMPORTANCE_OF_SOME_COM_MON_PTERIDOPHYTES_USED_BY_TRIBALS_OF_RANCHI_AND_LATEHAR_DISTRICT_OF_JHARKHAND_INDIA [accessed Nov 05 2017].
5. <https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=PTERI2>
6. <https://florafaunaweb.nparks.gov.sg/special-pages/plant-detail.aspx?id=1569>
7. http://www.hear.org/pier/species/pteris_vittata.htm
8. <https://www.itis.gov>
9. Kanchan Upreti¹, Jeewan S. Jalal¹, Lalit M. Tewari^{1*}, G. C. Joshi², Y.P.S. Pangtey¹ and Geeta Tewari³ 2009 Ethnomedicinal uses of Pteridophytes of Kumaun Himalaya, Uttarakhand, India Marsland Press Journal of American Science 2009;5(4):167-170
10. V. Karthik¹, K. Raju², M. Ayyanar¹, K. Gowrishankar³ and T. Sekar¹ *2011 Ethnomedicinal Uses of Pteridophytes in Kolli Hills, Eastern Ghats of Tamil Nadu, India Scholars Research Library ISSN : 2231 – 3184 CODEN (USA): JNPPB7 J. Nat. Prod. Plant Resour., 2011, 1 (2): 50-55 www.scholarsresearchlibrary.com
11. Shakil D. Shaikh^{1*}, VP. Masal² and Anisa S. Shaikh³ 2014 Ethnomedicinal uses of some pteridophytes from Konkan region of Maharashtra, India. - INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL SCIENCES Vol. 3 (1) Jan-Mar 2014 ISSN: 2277-5005 <http://www.ijpcsonline.com/>
12. Augustin Neethu Thomas Binu 2015 MEDICOPOTENTIAL FERN OF ANGAMALY REGION, ERNAKULAM DISTRICT, KERALA, INDIA International Journal of Current Pharmaceutical & Clinical Research Vol 5 | Issue 4 | 2015 | 207-211. e-ISSN 2248 – 9142 print-ISSN 2248 – 9134
13. http://www.indianetzone.com/49/dhar_district.html

Ethno-Medicinal Trees

Dr. Sarita Ghanghat *

Abstract - The word Ethnobotany literally means the study of Ethnobotany of the primitive human race. The term Ethnobotany was first applied by **Hershberger** in 1895 to the study of plants used by primitive and aboriginal people. Ethnobotany-the study of the interaction between plants and people, with a particular emphasis on traditional tribal cultures.

The present paper on 10 selected Ethno- medicinal plants belonging to 8 families with correct botanical identification, Botanical names, Family, Local names, parts used in diseases by the people .

Key Words - Ethno-medicinal, Tribal, Traditional medicine,

Introduction - Ethnobotany is a branch of botany, the study plants and is closely related to cultural anthropology, the study of human societies. An important branch of ethnobotany called economic botany focuses on the commercial use of plants, especially in industrialized societies. Ethnobotany was defined by various ethnobotanists as: Today there is an increasing desire to unravel the role of ethno-medicinal studies in trapping the centuries old traditional folk knowledge as well as in searching new plant resources of food, drug etc. (Jain, 1987, 1991).

People living in the developing countries rely quite effectively on traditional medicine for primary health care (Sullivan and Shealy 1997; Singh, 2002). Indian traditional medicine is based on different systems such as Ayurveda, Siddha and Unani used by various communities (Gadgil, 1996). For centuries plants have been an important source of drugs. In India medicinal plants have long been used to treat different kinds of disease.

Material And Methods - The ethno-botanical study was conducted in 2010-2011. Extensive field trips were organized for collecting the plant species and data using an integrated approach of botanical collection, group discussion, interviews and questionnaires. Help of local medical practitioners was also taken. Plants were identified by referring to Flora of Bhopal by Oommachan (1977) and Flora of M.P. from Wikipedia.

Enumeration - In the following enumeration, plant names have been arranged alphabetically in disease wise. (Table 1)

Result and Discussion - The plant parts used for medical preparation were bark, flowers, rhizomes, root, leaves, fruits, seeds. The paper presents a brief account of the uses of various ethno-medicinal plants parts against the diseases, like stomach, jaundice, piles, diabetes, headache, gastronomic diseases by the people

Table -1 (See in the next page)

Acknowledgment - Human beings always depend directly for their food, shelters, medicine and other needs on plants but with advancement of science and technology plants are being used in the form of tablets, juices and other ready-made combinations. The use of traditional medicine in developing countries is increasing. In India, almost 95% of the prescriptions are plant based in the traditional system of Ayurveda, Unani and Siddha. The author expresses thanks to knowledgeable persons who co-operated in sharing their knowledge at the time of study.

References :-

1. Bhattacharjee, Supriya Kumar and De, L.C., (2005) Medicinal Herbs and Flowers. Aavishkar publisher, distributors Jaipur (India) ISBN 81-79100960.
2. Gudgil, M; 1996 Documenting diversity: An experiment. *curr.ci*; 70 (1) : 36
3. Ghanghat, Sarita (2014) Some Ethnomedicinal Plants used to treat different diseases by local people of Vidisha District. Madhya Pradesh. Naveen Shodh Sansar (an International multidisciplinary Refereed journal) ISSN 2320-8767 impact factor 0.547 vol. II issue VI-April to June 2014, pp (20-21).
4. Jain, S. K. (1987). A manual of Ethnobotany. Scientific Publishers, Jodhpur India. ISBN 81850466
5. Jain, S. K., (1991) Dictionary of Indian Folk medicine and Ethnobotany. Deep Publication, New Delhi. ISBN : 8185622000.
6. Jain, S.K. (1995): Ethnobotanical studies around Vidisha district. Ph-D Thesis. Barkatullah University, Bhopal.
7. Kumar, U. (2013) An Introduction of Ethnobotany, Agrobios (India), publisher Jodhpur ISBN 978-81-7754-497-8.

8. Sullivan, K. and C.N. Shealy, 1997 Complete Natural Home Remedies. Element Book Limited, Shaftsbury, U.K.
9. Oommachan, M. (1977): The flora of Bhopal J.K. Jain Brothers, Bhopal.
10. Flora of M.P. from Wikipedia.

Table -1 Use of different plant species by the people

S.No	Botanical Name	Family	Local Name	Used part of the plant
1	<i>Aegle marmelos Linn.</i>	Rutaceae	Bel	A teaspoonful of leaf juice, taken once daily for seven day cures piles and jaundice.
2	<i>Adohatoda asica Nees.</i>	Acanthaceae	Adusa	Fresh leaf is taken orally is effective for skin disease.
3	<i>Azadirachta indica A.juss.</i>	Meliaceae	Neem	Taking two to three gm of Neem leaf powder, early in the morning on empty stomach also removes worms.
4	<i>Bauhinia variegata Linn.</i>	Caesalpiniaceae	Kachanar	Taking 500 gm of powder of kachanar flowers, twice daily for a week, cures hemorrhagic dysentery.
5	<i>Cinnamomum tamala Fr.Nees..</i>	Lauraceae	Tejpatta	Brushing the teeth with powdered Tejpatta cures wounds of gums.
6	<i>Cinnamomum verum</i>	Lauraceae	Dalchini	One should also apply a pinch of Dalchini pasted with milk on the dark or brown spots for better results.
7	<i>Emblica officinalis Gaerth.</i>	Euphobiaceae	Amla	A poultice of amla fruits, applied on cuts, stops bleeding immediately.
8	<i>Feronia limonia L.</i>	Rutaceae	Kaith	Taking juice of pulp of raw kaith fruits with a bit of curd, cures hemorrhagic non hemorrhagic dysentery.
9	<i>Feronia limonia L.</i>	Rutaceae	Kaith	Taking half teaspoonful juice of tender leaves kaith a bit water twice daily. cures windiness in stomach.
10	<i>Ficus racemosa L.</i>	Moraceae	Gular	Taking decoction of gular roots cures dysentery.

Benefit of Fiber

Dr. Rajesh Masatkar *

Abstract - Fiber is the important component of our diet. We must add some fiber in our daily diet. By adding fiber in our diet we can keep our alimentary canal healthy and clean. Fibers not only regulate our stool movement, but it detoxifies our body also.

Keywords – Soluble Fiber, Insoluble Fiber, Digestion, Detoxify.

Introduction - Today's one of the emerging problem is our health. Health of human being is totally dependent on our stomach. Stomach is the main analyzer of human being. If function of stomach take place properly then whole body may feel well. If there is problem in our stomach then person may feel uneasiness. Our health is depends upon our food we eat also. For keeping good health we must add some fiber in our diet also. Fiber keeps our health healthy. What is Fiber? Dietary fiber is a plant-based nutrient that is sometimes called roughage or bulk. It is a type of carbohydrate. it cannot be broken down into digestible sugar molecules. Therefore, fiber passes through the intestinal tract relatively intact. However, on its journey, fiber does a lot of work, Fiber is important for digestion and regularity, weight management, blood sugar regulation, Cholesterol maintenance and more. It has also been linked to longevity and decreasing the risk of cancer also. (**F**- Fullness **I**- Insulin control **B**- Beneficial bacteria **E**- Expectancy **R**- Regulation)

Type of Fiber – There are two types of fiber which are given below.

Soluble Fiber – Soluble fiber, such as pectin, gum, and mucilage, dissolves in water. It dissolves and becomes a gel-like substance. It is known to help decrease blood glucose (blood sugar) levels. It also helps lower blood cholesterol. Good source of soluble fiber include bean, lentils, oatmeal, peas, citrus fruits, blueberries, apples and barley

Insoluble Fiber – Insoluble fiber, such as hemicelluloses, cellulose and lignin, do not dissolves in water. Insoluble fiber mostly retains its shape while in the body. It speeds up the passage of food through the digestive system. This helps maintain regularity and prevent constipation. It also increases fecal bulk, which makes stools easier to pass. Good source of insoluble fiber include foods with whole-wheat flour, wheat bran, brown rice, cauliflower, potatoes, tomatoes and cucumber. Some foods like nuts and carrots are good source of both types of fiber.

Benefit of Fiber - There are many benefit of fiber which is given below.

Digestion – Dietary fiber aids in improving digestion by increasing stool bulk and regularity. This is probably fiber's best known benefit is that it softer stools are easier to pass than hard or watery ones, which not only makes life more comfortable, but also helps maintains colorectal health. A high-fiber diet may help reduce the risk of hemorrhoids and diverticulitis (small, painful pouches on the colon).

Heart Health – Fiber also helps lower cholesterol. The digestive process requires bile acids, which are made partly with cholesterol. As your digestion improves the liver pull cholesterol from the blood to create more bile acid. In this way our bad cholesterol decreases from the body.

Possible Cancer Prevention – The research has been mixed regarding the link between fiber and colorectal cancer prevention. British Journal of Medicine found an association between cereal fiber and whole grain intake and reduced risk of colorectal cancer. Fiber might only cause this benefit if a person possesses the right kind and amount of gut bacteria. Fiber naturally reacts with bacteria in the lower colon and can sometimes ferment into a chemical called butyrate, which may cause cancer cells to self-destruct. Some people naturally have more butyrate- producing bacteria than others, and a high fiber diet can help encourage the bacteria's growth.

Longevity – Fiber could actually help people live longer, a meta-analysis of relevant studies published in the American Journal of Epidemiology concluded. "High dietary fiber intake may reduce the risk of total mortality"

Food Allergies and Asthma – New research suggests that fiber could play a role in preventing food allergies. Fiber helps produce a bacterium called Clostridia, which helps keep the gut secure. Why fiber might help people with asthma. Unwanted particles escaping the gut and entering the bloodstream can cause an autoimmune response like asthmatic inflammation. A 2013 animal study found that mice eating high-fiber diet were less likely to experience asthmatic inflammation than mice on low or average – fiber diet.

Natural Detoxification - Fiber naturally scrubs and promotes the elimination of toxins from your G.I. tract. Soluble fiber soaks up potentially harmful compounds, such as excess estrogen and unhealthy fats, before they can be absorbed by the body and also insoluble fiber makes things move along more quickly, it limits the amount of time that chemicals like BPA, mercury and pesticides stay in your system. The faster they go through you, the less chance they have to cause harm.

Cut Your Type 2 Diabetes Risk - It's a well-established fact. A recent analysis of 19 studies, for example, found that people who ate the most fiber—more than 26 grams a day—lowered their odds of the disease by 18 percent, compared to those who consumed the least (less than 19 grams daily). The researchers believe that it's fiber's one-two punch of keeping blood sugar levels steady and keeping you at a healthy weight that may help stave off the development of diabetes.

Skin Health - When yeast and fungus are excreted through the skin, they can trigger outbreaks or acne. Eating fiber, especially psyllium husks (a type of plant seed), can flush toxins out of your body, improving the health and appearance of your skin.

Hemorrhoids - A high-fiber diet may lower your risk of hemorrhoids.

Irritable bowel syndrome (IBS) - Fiber may provide some relief from IBS.

Gallstones and Kidney Stones - A high-fiber diet may

reduce the risk of gallstones and kidney stones, likely because of its ability to help regulate blood sugar.

Conclusion – it is old says that after character of a person next health is given preference in his life. If health is well than all things is in your hand. But being author of this paper I am not only concentrate on individual health only. It is duty of every head of every family to take care of health of his family members. My intention is that why we are dependent on medicine for our health. By doing less exercise, some important asana, pranayam and intake of balanced diet with dietary fiber, we become live healthy life and have more potential to do any kind of work. If head and all his family members are able to do any kind of work means our society gain more potential. In this way, our states and nation have full of potential to do any kind of hard work. If people of our country have such potential than our country will achieve its height automatically in all fields.

References :-

1. <https://www.bodybuilding.com/content/5-amazing-health-benefits-of-fiber.html>
2. <https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/25/9-fiber-health-benefits.aspx>
3. <https://www.helpguide.org/articles/healthy-eating/high-fiber-foods.htm>
4. <http://www.eatingwell.com/article/287742/10-amazing-health-benefits-of-eating-more-fiber/>
5. <https://www.livescience.com/51998-dietary-fiber.html>.

The Study of weeds in the kota district, Rajasthan

Komal Modi *

Abstract - The increase in the human population and growth of industries has led to the increased demand for agricultural products that have contributed to changes to cropping patterns. With the beginning of agriculture, human began to move crops for their use, and weeds were probably accidentally moved as well.

The term "Weed" in its general sense is a subjective one, without any classification value, since a weed is not a weed when growing where it belongs or is wanted. Thus, the common definition could be a plant out of place/unwanted plant/ a plant with the negative value or plants which compete with man for the soil (Muzik, 1970). The Weed Science Society of America in 1994 defined weeds simply as 'Plants that are objectionable or interfere with the activities or welfare of man.

An ecological definition describing the characteristics that allow some plants to be weeds is more useful which include the ability to establish in disturbed habitats, the ability to grow and reproduce across a wide range of climatic conditions, seed dormancy, non specific germination requirements, rapid growth, high seed production and unspecialized pollination.

Keywords - germination, requirements, conditions, establish, characteristics, describing, unspecialized, pollination.

Introduction - Most of the weeds did not exist before agriculture. Weeds probably evolved along with crops. Agriculture fields are dynamic and 'living' biocoenosis where one can find the interrelationship between four components- Man, Cultivated plants, Weeds and Environment. The biotic components and the environment interact with each other and create a dynamic system. This ecological system can be called as agro ecosystem. There are about 450 families of flowering plants and over 35,000 different species.

Apart from the botanical (taxonomic) classification, weeds can be classified in different ways and into different groups as follows.¹

Agrestals Weeds- Agrestals are weeds of tilled, arable (crop) land and can be subdivided into Cereal weeds, Pulse weeds, Rice weeds, Wheat weeds, Pineapple weeds, Tea weeds, Cotton weeds, For practical purposes, agrestals are further subdivided into : **annuals and perennials, major and minor (after their degree of weediness), and broad-leaved and narrow leaved (according to susceptibility to herbicides).**²

Ruderal Weeds- Ruderals are plants occurring on Earth heaps, Dumphills, Trash deposits, Roadsides, Railway lines, Roofs margins of waste water ditches, Temples, Old houses and so on.

Grassland Weeds- Grassland weeds are the plants that have a negative influence on livestock or on their product or are not palatable and possess a high competitive power. This group includes mainly perennial species.

Forestry Weeds- Plants species are considered Forestry weeds when they interfere with tree nurseries afforested species of the natural forest vegetation.³

Environmental Weeds- Environmental weeds are introduced, aggressive species that colonize natural vegetation and suppress the native species to a certain extent.

Poisonous Weeds- The Plants which cause itching and swelling e.g. Toxic Dendron radicans, T.toxicarum and that cause hay fever e.g. solidago spp., Artemisia tridentata, Ambrosia spp. Come under this category which we could call ' Medicinal weeds'.

Parasitic Weeds- Phanerogamic plants that parasitize on the crops or desired plants. These weeds depend on the crop for part or all of their water and nutrients and can consequently do vast damage that other weeds. e.g. cuscuta spp., Ioranthus, orobanche, striga.

The basis of the life history and growth classifies the weed into the following classes-

Monsoon Annuals (Kharif season)- Weeds of this group germinate at the break of monsoon in India and their life cycle is completed in a year or less. e.g. Boerhavia diffusa and Trianthema, portulacastrum.

Winter Annuals (Rabi season)- Weeds of this group start growing up in the rainfall, over winter as small plants, bloom in the spring and produce seed before the summer viz. Chenopodium album and Melilotus alba.⁴

*Research Scholar (Botany) Jiwaji University, Gwalior (M.P.) INDIA

Perennial Weeds- Herbaceous Perennial live for more than two years. e.g. Cyperus rotundus, Sorghum haplense.

Review Of Literature - Weed science is a vital and fast growing discipline of agricultural science. A weed belongs to the first plant community which appears after a disturbance and paves the way for further stages of succession. The recognition of plants as weeds is perhaps as old as agriculture itself. ICAR launched and coordinated weed control scheme on Wheat, Rice and Sugarcane in eleven states to monitor the weed flora of major regions.

Phytosociological studies on weed association with crops have not been worked out to a great extent. Singh and Chalam (1937) have done quantitative analysis of weed flora of arable land. Asana (1951) studied some of the obnoxious weeds of Indian agriculture and their influence on quality and quantity of crops. Tadulingam et. Al. (1955) studied the habit, habitat, flowering and fruiting times, reproductive capacities and preliminary control measures of 130 weeds of Madras presidency. In 1956 Patnaik gave information on some useful weeds in and around Cuttack et al. (1958) provided information on some useful weeds of Baroda, its neighbourhood and Pavagarh of Gujarat.

Sabaris and Pathak (1961) made a survey of common weeds of Kharif and Rabi seasons in cultivated field of Baroda environs. Bajpai and Verma (1964) from their studies on 'Weed flora of Jobner' concluded that annual herbs dominate the perennial weeds. Tomar and Mathur (1965) conducted a survey of common weeds in Gang canal command area in Rajasthan and described that salient features of weed of weed flora, their association in the crops, seasons and places of occurrence.

Pandey and Shaha (1966) have studied Phytosociological of weed in paddy fields. Srivastav et al. (1966) from their studies on 'Weeds of Wheat fields in Bihar'

concluded that dicot weeds exceed the monocot weeds.

As per Saika and Hussain (2005) weeds are efficacious as medicine against some common diseases. Nath et al. (2007) described ethnomedicinal aspects of 38 species of weeds of Darrange district of Assam. Shah et al., (2006)⁵, the concept of weeds as unwanted plants was born when man started to deliberately grow plants for food. Primarily, weeds compete with crop plants for light, water and nutrients (Want et al., 2007), there by reducing yields and quality of produce.

In Rajasthan desert, nearly all weeds dominate the Kharif crops probably because the moisture, which is important for seed germination, is available in rainy season. Thus, seeds which remain in the soil in hot & dry weather, germinated suddenly after rains. Bansal (1975) observed periodical fluctuation in the weed flora at different time in Kharif crops at Jodhpur. B. Gopal (1982) had done an exhaustive collection of weeds giving scientific and common names. Shetty & Singh (1987) gave a brief description of weeds found in Rajasthan.

References :-

1. **Anon**, 1994: Ethnobotany and the Search for New Drugs. John Wiley and Sons, England.
2. **Asana R.D.** 1951: Common Indian weeds and their control. Indian farming 1:13 20.
3. **Bajpai M.R. and Verma J.K.** 1964: Weed flora of Jobner. Ann Arid Zone 2 : 169-180.
4. **Bansal R.P.** 1975: Phytosociological studies on weeds of Kharif crop at Jodhpur, 1974, M.Sc. dissert. Univ. Of Jodhpur, Jodhpur.
5. **Ennis, Jr, W.B.** 1974: Weed science in Pest management programme. Proc 27 Ann. Meeting Southern Weed Science Society 27 : 8-15

Status Of Avion Fauna At Rewa District Madhya Pradesh, India

Nidhi Jaiswal *

Abstract - Recent environment research has given a great thrust in the aspect of animal resources and biodiversity as a viable parameter for monitoring environmental status of an area. Today, birds (class- Aves) are the most successful and diverse of all terrestrial vertebrates. Birds are highly visible and common animals and had a relationship with man. Human impacts have been increased that cause great impacts to environment. The changes in geographical distribution, birds are affected by biotic and abiotic factors. Destruction of wildlife habitat by urbanization, pollution of water, mobile towers, air and noise are probably some other potential problems for the birds in the future and their effect can be studied after few years. Madhya Pradesh is situated in central India. It constitutes 12.30% of the forest area of India. The main forest areas include the Vindhya Range, the Kaimore Hills, the Satpura and Maikala Ranges, and the Baghelkhand Plateau. The Vindhya Region is a range of older rounded mountains and hills, geographically separates the Indian subcontinent into northern India. In the earlier times Rewa was capital of Vindhya state. Therefore, keeping the above view in mind the present study is carried out to know the status of birds. During present investigation 67 species of birds were recorded belonging to 53 genera, 32 families and 15 orders of class Aves, to find out their occurrence and to create the awareness for their conservation. Of course it is need of the day to conserve the biodiversity of avifauna of Rewa district.

Key Words - Avifauna, biodiversity, status.

Introduction - Ornithology is the scientific study of birds. The ornithologists gather information to understand how birds function, inside and out, and to learn how birds relate to their natural environment. Birds provide a terrific doorway into nature and scientific study. A bird (class Aves) has been described as a 'Feathered Biped'. This description is apt and precise, and can apply to no other animals. Birds are delighted all over the world because of their beauty and their power of flight. Birds are a good model for indicators because they react rapidly and markedly to environmental changes (Gregory *et al.* 2003). Their changing populations often provide clues to the overall health of their habitat. Human world has been mesmerized by the flora and fauna around him. Birds form an important part of this earth since time immortal. Birds have held high position in Mythology of various cultures. Indians have associated them with Gods such as Swan with Saraswati "The Goddess of Wisdom", Peacock with Lord Krishan, and Eagle with Lord Vishnu. This study was taken up to assess the occurrence and distribution of birds in Rewa district of Madhya Pradesh.

Study Area: Rewa is one of the districts of Madhya Pradesh and It lies between longitude 81°,02' and 82°,18' E and latitude 24°,18' and 25°,12' N, almost in the north east corner of Madhya Pradesh. Its area is 6,240 square km. It is about 96 km. in the east-west and 65 km. in the north south direction. It is triangular in shape. Topography relates to the

form of surface behaviour of the earth. Rewa is covered by different ranges of Vindhyan series. The whole area is formed by an undulated plateau, encircled by Panna range (A part of upper Vindhyan) toward north-east are Kaimore range lies towards its southern side and runs across from south-west to north-west directions. In between these two ranges, the Rewa plateau takes a saucer type shape divided by a host of small streams and rivers. Beehar River is one of the unique water body and most important river of Rewa district. Beehar river flows north- westerly in Rewa district and is about 97 kilometer long. The river originates in the Kaimore hills, near Kharamkheda village at an elevation of 600 meters above sea level in the Satna district (M.P.). After its origin in Kharamkheda, it flows through the hilly tract of Amarpatan tehsil of district Satna and then river entered in Rewa behind the fort. This area is known as Rajghat where Bichiya and Beehar both rivers meet to each other. River passes through plateau of Huzur tehsil and after that, river reaches the Sirmour tehsil at the edge of plateau of Chachai village where with its other tributaries, it forms a waterfall known as "Chachai fall". The river descends about 115 meter below the normal level and flows through a plain to join the Tons river, which is one of the important tributaries of Ganga river. The river is entirely fed by seasonal rains and there is a marked fluctuation in the water level of the river between the commencement of the monsoon and the

end of the summer season.

Its catchment area covers about 1685 sq km. Out of which 636 sq. km. lies in Satna and rest 1049 sq. km. in Rewa district. The river has one main tributary and 28 small tributaries (Nala) of which 18 are in Satna and remaining 10 in Rewa. The main tributary of the river is Bichhia river, which originates in Huzur tehsil and flows completely in Rewa and then joins Beehar river behind the Rewa fort. The Beehar River carries with itself the water of Bansagar canal, due to which the Beehar river is full with water round the year.

Material & Methods - For the purpose of study following instruments and gadgets were used:

Binoculars - For birds watching the binocular of 8 x 30 resolutions was used. **Camera** - For still photography we used high resolution (20 Mega-pixel) digital camera in research field. **Field Guide** - A field guide is a little book that is packed with information about birds. **Notebook** - Note book of the size 8 x 11 cm. was used as it is easy to carry. **Voice recorder**: For recording the songs and voice of the birds we used smart phone voice recorder. **Clothing**- For comfortable bird watching, Cargo pants with deep pockets to hold a notebook or field guide are helpful, and belt loops can hold other tools. Good ankle support and walking shoes are also used. **Bird feeder** - bird feeder like grains, seeds, etc were used for attracting the birds.

The study was conducted from early January 2011 to late December 2012. Regular surveys were done by systematically walking on fixed routes through the study area. The birds were observed during the peak hours of their activity with the aid of 8x30 Nikon binocular. Photographs were taken whenever possible. Birds were observed in winter from early morning 06:00 A.M. to 10:00 A.M. and from 04:00 P.M. to 06:00 P.M. in the evening hours. In summer season, birds observed from 4:30 A.M. to 8:30 A.M. and 05:00 P.M. to 07:00 P.M. in evening. In the monsoon season the birds were watched when there were no rains. On all Sundays of the months, the gathered information was tabulated and analyzed.

Identification of birds was done using field guides (Ali & Ripley, 1987). However, opportunistic records were also collected during other time periods of the day. Birds seen were recorded along with habitat type, season and frequency of sightings of a particular species. The checklist was prepared using standard common and scientific names of the birds following Manakadan & Pittie (2001). Residential status of the birds as resident, winter visitor, monsoon visitor and summer visitor has been assigned strictly with reference to the study area. The status of the recorded bird species was established on the basis of frequency of sightings following Kumar & Gupta (2009). Feeding habits were classified on the basis of direct observations and available literature (Ali & Ripley 1987). Data on threat factors were collected by direct observation and personal interviews with local people.

The following parameters were used to know the status

of avian fauna in our research site.

Resident (R) - A bird that lives in permanently or on a long-term basis in the same area. **Local Migrant (LM)** - resident with some local movement. **Winter Migrant (WM)**- migratory birds fly to India, either in search of feeding grounds or to escape the severe winter of their native habitat. **Monsoon Migrant (MM)** - Generally availability of food plays role in determination of these kinds of migration. **Passage Migrant (PM)** - A bird that stops somewhere for a short time during a seasonal migration. **Vagrant (V)** - Vagrancy is a phenomenon in biology whereby individual animals (birds) appear well outside their normal range. Individual animals (birds) which exhibit vagrancy are known as vagrants.

Abundance Status - It is normally used within a sampling to indicate how many organisms there are in a particular habitat when it would not be practical to count them all. Instead, a smaller representative sample of the population is counted.

Abundant (A) - Mean population is more than 100. **Less abundant (La)** - Mean population is 50 to 100. **Frequent (F)** - Mean population is 25 to 50. Occurring or appearing quite often or at close intervals **Less frequent (Lf)** - Mean population is 5 to 25. **Scarce (Sc)** - Mean population less than 5.

Occurrence Status: **Fairly Common (FC)** - A species that occurs in fair to moderate numbers. **Common (C)** - The species observed is "common" within the given area. Found or living in relatively large numbers; not rare: **Occasional (O)** - Occurring from time to time. Taking place from time to time; not frequent or regular **Rare (r)** - A group of organisms that are very uncommon, scarce, or infrequently encountered.

Breeding Status - Breeder (B) - A breeder is a practices the vocation of mating carefully selected species of the same breed to reproduce specific, consistently replicable qualities and characteristics. **Non-breeder (NB)** - An animal species that does not breed. **Breeding Probable (BP)** - Pair observed in suitable nesting habitat in breeding season. Birds that were observed to breed throughout Rewa. **Breeding Possible (PB)** - Species observed in breeding season in suitable nesting habitat.

Feeding habit Status - Insectivorous (In) - An insectivore is a carnivore that eats insects. **Frugivore (FR)** - A frugivore is a fruit eater. **Granivore (GR)** - This is the primary diet for many types of birds, especially game birds, sparrows and finches. **Herbivore (HR)** - A herbivore is an animal anatomically and physiologically adapted to eating plant materials. **Piscivore (PI)**- A piscivore is a carnivorous animal which eats primarily fish. **Carnivore (CR)** - Describes a diet that consists primarily of meat..

Results & Discussion - Sixty seven (67) species of birds belonging to 53 genera and 32 families were recorded during January 2011 to late December 2012. The abundance, feeding, residential, breeding and

conservational status of birds species were recorded during the study period. The family Passeriformes represented by 22 species, dominated the wetland bird community of the study area. It accounted for 32.84% of the total number of bird species of the study area. Among the recorded species, 53 species (79.10%) were resident, 5 species (7.4%) local migrant, 5 species (7.4%) winter migrant and 4 species (5.9%) vagrant.

The local migrants, namely *Eudynamis scolopacea*, *Upupa epops* and *Threskiornis melanocephalus* were spotted during summer seasons from April to August. The winter migratory birds displayed a definite pattern specific to species for arrival and departure from the site. They appeared at the research area from mid October and stayed up to April. The peak of winter population of migratory birds was observed during the months of January and February. The present study revealed that Common Pochard, *Aythya ferina* arrived in October; Spot-billed Duck, *Anas poecilorhyncha* arrived in November, birds like Spot-billed Duck, Common Pochard departed in March. Based on the frequency of sightings, 1 common and 3 birds species are occasionally. The basic requirements of migratory birds at their wintering ground are adequate food supply and safety (Lakshmi, 2006) which are fulfilled by this area as it was situated amidst fertile agricultural fields. The composition of birds in major feeding in the study area showed that the omnivore was the most common with 28 species (41.79%), followed by carnivore with 17 species (25.37%), herbivore, insectivore and granivore each with 3 species (4.48%), frugivore with 8 species (10.45%), piscivore with 5 species (7.46%) and nectar feeder with single species (1.49%). The resident birds are observed in most of the months of investigation period but the migratory birds were observed mostly in the winter months. In the present study, the population of migratory birds dominated in winter because the climatic conditions of northern hemisphere are adverse to these birds during winter, especially in getting food and shelter as also reported by various workers (Doner *et al.*, 2012, Malhotra *et al.*, 2005; Kulkarni *et al.*, 2006; Telleria *et al.*, 2001; Miller *et al.*, 2003).

The other factors responsible for the decline in population of aquatic birds are due to extensive utilization of water for domestic purposes, unlimited fishing, utilization of its marshy vegetation for grazing of live stock and decrease in rainfall as also reported by Manmohan and Saxena (2005) and Khacher (1996). Our study sites are resident area and are still urbanizing. A lot of human interference, constructional activities, noise due to vehicles and peoples are making threat to the species of avian fauna. It could be the reason why species diversity was poor in urban area. Therefore, it is difficult for avian fauna to find the nesting location and sheltering place or foraging habitats in this urban area.

Thus, many species of birds either migrated to other places or gradually declined their population as nesting sites were destroyed. To save the urban avifauna, now-a-days

reforestation is necessary to create some natural habitats like gardens and lakes besides the human habitation to facilitate the foraging, sheltering and breeding for birds. Plantation of fruit trees within residential area can attract many insectivorous birds to live there. It is well known that birds are friends of human as they destroy lot of harmful insects and mosquitoes from the environment as also reported by Khacher (1996). Among the birds, there are four major grouping based on the food eaten: insectivorous, nectarivores, granivores and frugivores (Gokula and Vijayan, 2000). When the temperature reached below 0°C in cold countries, the migratory birds migrate from that countries to warmer countries such as India. The migratory birds can be seen from the month of November in ponds, tanks and dams of Rewa district specially situated around Beehar river. In cold countries during cold season when water freezed into ice due to low temperature (below 0°C), the insects that are found in water, are not available to birds. Therefore, these birds migrate to warmer countries in search of food. During present study, the main migratory birds that observed along Beehar river are Red crested pochard of Baluchistan, Gadwell of North Europe, Pintail of mid Asia, Sholewar of Siberia and North Europe, Khanjan bird of Aasam and Rajhans of Tibbat. These birds prefer that water bodies where *Trapa natans* (Singhara) are not cultivated. Pintail and Sholewar birds generally prefer temperature between 5°C to 10°C for living. Morrison *et al.* (1980) also reported reduction of birds during the non-winter period and their increase during winter. However the study recommends conservational measures with the involvement of Government organisation, non-Government organisations and the local people. Co-ordination and understanding between various departments such as Forest Department (for surveying and monitoring of vulture colonies), Archaeological Department (for protecting of nests), Tourism Department (preventing disturbance by tourists), Agriculture Department (avoiding use of harmful pesticides and drugs) and Education Department (for awareness among local people, students, villagers, forest officials) will play an important role in conservation (Kushwaha S., 2014). Awareness plays an important role in sensitizing the people towards the flora and fauna around them.

References :-

1. Ali, S. & Ripley, S.D. (1987). Compact handbook of the Birds of Pakistan, together with those of Bangladesh, Nepal, Bhutan and Shri Lanka. Oxford University press, New Delhi, 737.
2. Donar, A. S., Reddy, K. R. and Deshpande, D. P. (2012). Avifaunal Diversity of Nipani Reservoir, Belgaum District Karnataka. The Ecoscan. 27-33.
3. Gokula, V. & Vijayan, L. (1996). Birds of Mudamulai Wildlife. Forktail 12:107-117.
4. Gokula V. & Vijayan, L. (2000). Foraging pattern of birds during the breeding season in thorn forest of Mudumalai wildlife sanctuary, Tamil Nadu, Southern

- India. Tropical Ecology 41(2): 195-208.
5. Gregory, R. D., Noble, D., Field, R. Marchant, J., Raven, M. and Gibbons, D.W.(2003). Using birds as indicators of biodiversity. *Ornis Hungarica* 12–13: 11–24.
 6. IUCN - The World Conservation Union. May 2006 .
 7. IUCN (2009). IUCN Red List of Threatened Species. <<http://www.iucnredlist.org>> Online version 2009. Dated 14 June, 2009. Version 2010.
 8. IUCN (2010). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.
 9. Khacher, L. (1996).The birds of Gujarat - a Salim Ali centenary overview. *J. Bombay Nat. Hist. Soc.* 93 :331-373.
 10. Kulkarni, A. N., Kanwate, V. S. and Deshpande, V. D. (2006) Checklist of Birds of ShikhachiWadi reservoir, Dist. Nanded, Maharashtra. *J. Aqua. Biol.* 21:80 – 85.
 11. Kumar,P. & Gupta, S.K. (2013). Status of wetland birds of Chhilchhila Wildlife Sanctuary, Haryana, India. *Journal of Threatened Taxa*5(5):3969-3976.
 12. Kushwaha S. (2014) Parasitological and pathological investigation on vultures (Gyps Species) declining in Bundelkhand Region of India. Ph.D Thesis, University of Lucknow, Lucknow India.
 13. Malhotra, M. M., Prakash and Pawar, K. (2005). Diet variation in water fowl in during winter at tank Indore, India. *J. Environ. And Ecoplan.*10(1): 129-138.
 14. Manakadan, R. & Pittie, A. (2001). Standardised common and scientific names of the birds of the Indian subcontinent. *Buceros* 6(1): 1–37.
 15. Manmohan, P. and Saxena, G. (2005). Population dynamics of water fowl at KishanpuraTalav, Inodore, India. *J. Life Sci.* 2 (1&2) :45-48.
 16. Miller, J. R.,Wiens, J. A , Thompson Hobbs, N. and Theobald, D. M. (2003). Effects of human settlement on bird communities in lowland riparian areas of Colorado (USA).*Ecological Applications* 13(4): 1041–1059.
 17. Morrison, M.L., Kimberly, A. and Timossi, I.C. (1980). The structure of forest bird community during winter and summer .*Wilson Bull.* 98:214-230.
 18. Sekercioglu, C. H., Daily, G. C., and Ehrlich, P. R. (2004). Ecosystem consequences of bird declines. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 101:18042–18047.
 19. Telleria, J. L., Perez-Tris J. and Carbonell, R.(2001). Seasonal changes in abundance and flight-related morphology reveal different migratory patterns in Iberian Forest Passerines. *Ardeola* 48:27–46.

Table-1: Systematic list and status of avifauna at Rewa district (M.P.),during 2011 to 2012

	Order	Family	Scientific name	Common name	Status						
					Resi- dent	Abun- dant	Occu- rence	Bree- ding habit	Primarily feeding		
1	Anseriformes	Anatidae	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Spot billed duck	R	LF	C	B	HR		
			<i>Aythya ferina</i>	Common pochard	WM	LF	O	B	HR		
			<i>Mergus merganser</i>	Common merganser	WM	Lf	O	B	PI		
			<i>Anser anser</i>	Grey lag goose	WM	Lf	C	B	HR		
2	Galliformes	Phasianidae	<i>Gallus gallus</i>	Red junglefowl	R	LF	C	B	OM		
			<i>Gallus sonneratii</i>	Grey junglefowl	R	LF	C	B	OM		
			<i>Pavo cristatus</i>	Indian peafowl	R	Lf	FC	B	OM		
			<i>Francolinus f rnaicolinus</i>	Black francolinus	R	Lf	C	B	OM		
			<i>Coturnix coturnix</i>	Common quail	R	Lf	C	B	OM		
3	Charadriiformes	Recurviostriidae	<i>Himantopus himantopus</i>	Black winged stilt	WM	F	C	B	OM		
		Charadriidae	<i>Vanellus indicus</i>	Red wattled lapwing	R	La	FC	BP	CR		
4	Pelecaniformes	Phalacrocoracidae	<i>Phalacrocorax niger</i>	Little cormorant	R	F	FC	BP	CR		
5	Ciconiformes	Ardeidae	<i>Ardea cinerea</i>	Grey heron	LM	F	C	BP	PI		
			<i>Ardea purpurea</i>	Purple heron	V	LF	O	BP	PI		
			<i>Casmerodius albus</i>	Great egret	R	LF	O	BP	PI		
			<i>Ardeola grayii</i>	Indian pond heron		R	FFC	B	PI		
			<i>Bulbulcus ibis</i>	Cattle egret	R	F	C	BP	CR		
			<i>Egretta garzetta</i>	Little egret	R	F	O	BP	CR		
			Threskiornithidae	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black crowned night heron	R	LF	C	B	CR	
				<i>Threskiornis melanocephalus</i>	White ibis	LM	Sc	C	B	OM	
		6	Accipitriformes	Accipitridae	<i>Milvus migrans</i>	Black kite	V	Sc	O	B	CR
					<i>Gyps bengalensis</i>	Indian white backed vulture	V	Sc	r	B	CR
<i>Aquila rapax</i>	Tawny eagle			V	Sc	O	B	CR			
7	Gruiformes	Rallidae	<i>Amaurornis phoenicurus</i>	White breasted waterhen	R	F	C	B	OM		

	Order	Family	Scientific name	Common name	Status					
					Resi- dent	Abun- dant	Occu- rence	Bree- ding habit	Primarily feeding	
8.	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Blue rock pigeon	R	A	FC	B	GR	
			<i>Columba elphinstonii</i>	Nilgiri wood pigeon	R	Lf	C	B	'GR	
			<i>Streptopelia chinensis</i>	Spotted dove	R	Lf	C	B	GR	
			<i>Streptopelia senegalensis</i>	Little brown dove	R	Lf	C	B	FR	
9..	Psittaciformes	Psittacidae (Parakeets)	<i>Psittacula eupatria</i>	Alexandrine parakeet	R	Lf	C	B	FR	
			<i>Psittacula krameri</i>	Rose ringed parakeet	R	A	FC	B	FR	
			<i>Psittacula himalayana</i>	Slaty headed parakeet	R	Lf	O	'B	FR	
			<i>Psittacula cyanocephala</i>	Plum headed parakeet	R	Lf	O	B	FR	
10	Cuculiformes	Cuculidae (cuckoos)	<i>Eudynamys scolopacea</i>	Asian koel	LM	Lf	O	B	OM	
			<i>Centropus sinensis</i>	Greater coucal	R	Lf	C	B	CR	
11.	Strigiformes	Tytonidae	<i>Tyto capensis</i>	Grass owl	R	Sc	r	B	CR	
		Strigidae	<i>Bubo bubo</i>	Eurasian eagle owl	R	Sc	r	B	CR	
			<i>Bubo zeylonensis</i>	Brown fish owl	R	Sc	r	B	CR	
12.	Coraciiformes	Halcyonidae	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White breasted kingfisher	R	Sc	C	B	CR	
			<i>Halcyon pileata</i>	Black capped kingfisher	R	Sc	r	B	CR	
			<i>Halcyon coromanda</i>	Ruddy kingfisher	R	Sc	O	B	CR	
		Coraciidae	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian roller	R	F	FC	B	CR	
13.	Bucerotiformes	Upupidae	<i>Upupa epops</i>	Common hoopoe	LM	Lf	O	BP	OM	
			<i>Ocyrceros birostris</i>	Indian grey hornbill	R	Lf	C	B	FR	
14.	Piciformes	Picidae	<i>Dinopium benghalense</i>	Lesser golden backed woodpecker	R	Lf	C	B	OM	
			<i>Chrysocolaptes festivus</i>	Black shouldered woodpecker	LM	Sc	O	BP	OM	
15.	Passeriformes	Alaudidae	<i>Calanderella raytal</i>	Indian short toed lark	R	F	FC	B	OM	
			<i>Sturnus contra</i>	Asian pied starling	R	F	FC	B	OM	
		Sturnidae	<i>Acridotheres tristis</i>	Common myna	R	F	FC	B	OM	
			<i>Acridotheres ginginianus</i>	Bank myna	R	F	FC	B	OM	
			<i>Acridotheres fuscus</i>	Jungle myna	R	Lf	O	BP	OM	
			<i>Sturnus pagodarum</i>	Brahminy starling	R	LF	C	B	OM	
			Corvidae	<i>Corvus splendens</i>	House crow	R	Lf	r	B	OM
				<i>Corvus macrorhynchos</i>	Jungle crow	R	Lf	r	B	OM
		<i>Dendrocitta vagabunda</i>		Indian tree pie	R	F	C	B	OM	
		Pycnonotidae	<i>Pycnonotus cafer</i>	Red vented bulbul	R	F	FC	B	OM	
		Dicruridae	<i>Dicrurus macrocerus</i>	Black drongo	R	F	FC	B	CR	
		Leiothrichidae	<i>Turdoides striatus</i>	Jungle babbler	R	F	FC	B	OM	
			<i>Turdoides malcolmi</i>	Large grey babbler	R	F	C	B	OM	
		Cisticolidae	<i>Orthotomus sutorius</i>	Common tailor bird	R	Lf	C	NB	OM	
		Muscicapidae	<i>Copsychus saularis</i>	Oriental magpie robin	R	F	FC	B	IN	
			<i>Saxicoloides fulicatus</i>	Indian robin	R	La	FC	B	IN	
			<i>Prinia socialis</i>	Ashy wren-warbler	R	F	C	B	IN	
		Nectariniidae	<i>Nectarinia asiatica</i>	Purple sunbird	R	F	FC	B	NR	
		Ploceidae	<i>Ploceus philippinus</i>	Baya weaver	R	Lf	r	B	OM	
		Motacillidae	<i>Motacilla alba</i>	White wagtail	WM	Lf	C	B	OM	
Dicaeidae	<i>Dicaeum erythrorhynchos</i>	Tickell's flower pecker	R	Lf	C	B	FR			
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	House sparrow	R	Lf	C	B	OM		

Calcium Hardness, Magnesium Hardness And Total Hardness

Dr. Manish Kumar Nirat *

Abstract - Calcium is an essential element for normal plant growth. The average value of calcium hardness in Gurma bundh varied between 48.28 to 58.48 mg/l and 47.76 to 56.68 mg/l during first and second year of study periods. The maximum values of calcium hardness were recorded during summer season to be followed by winter and rainy seasons. Sunkand and patil (2004) recorded the range of calcium hardness between 18.22 to 81.1 mg/l in Fort lake of Belgaum (Karnataka). Mishra *et al.* (1993) also reported the range of calcium hardness between 34.0 to 53.2 mg/l in Hirakund reservoir.

Research Methodology - The information received from scientific books on Journal & reports to complete research paper. Secondary sources of data used for this research. Primary source is also used by making contact with science teachers major in laboratories of chemical science. Observation made to get knowledge of scientific chemical elements.

Hypothesis:

1. Hardness of calcium element effects human life.
2. What and animal also & effected by calcium and magnesium trades.
3. There is not sufficient wearers to reduce hundred of calcium and magnesium.
4. Human being do not mind about calcium and magnesium. hard ness.

Objective :

1. To Know the hard ness of chemical elements specially calcium and magnesium.
2. To Know the bad effects of hardness of calcium and magnesium.
3. To suggest the measures reduce hardness of calcium and magnesium.
4. To wake pollution free environment in order & make human life healthy.
5. To suggest mean use to Environmental improvement.

Magnesium is a micronutrient and essential for normal plant growth. The values of magnesium hardness fluctuated between 16.3 to 31.1 mg/l and 13.7 to 33.6 mg/l during first and second years of study periods. The higher magnesium hardness was observed during summer season to be followed by winter and rainy seasons. Sunkand and patil (2004) observed the of magnesium hardness between 1.01 to 3.64 mg/l in Fort lake at Belgaum while Mishra *et al.* (1993) observed these values between 13.5 to 45.0 mg/l in Hirakund reservoir.

The values of total hardness of Gurma bundh varied

between 66.5 to 89.0 mg.l and 63.5 to 89.5 mg/l during first and second years of study periods. Hardness, a magnesium carbonate and bicarbonate is known as temporary hardness whereas when due to sulphates and chlorides, it is known as permanent hardness (APHA, 1980). Rawson (1960) and Williams (1964) reported that calcium and magnesium are essential elements for most of the algal blooms. It was interesting to observe that while magnesium hardness showed an increase in summer calcium hardness decreased. Because of higher CO₂ content in water, the insoluble magnesium carbonate was converted to soluble bicarbonate. However, because of low solubility of calcium carbonate, this did not happen with calcium. Magnesium carbonate and hydroxide precipitate at higher pH. The values of total hardness of Gurma bundh fall well below the permissible limits i.e. 300 mg/l sets by ISI (1992) and 500 mg/l by UNEP (1991) and WHO (1988).

Chloride contents - Chloride contents of Gurma bundh varied between 15.0 to 28.5 mg/l and 15.5 to 27.5 mg/l during first and second years of study years respectively. The maximum values of chloride contents were recorded in the summer season, moderate in winter season and lower in rainy seasons. Decreased chloride contents during winter and rainy seasons may be attributed to the flood condition and dilution of water (Hutchinson, 1957). Although the observed chloride values fall well within the permissible limits (250 mg/l) as suggested by WHO (1998), USEP (1989) and ISI (1992). According to Sreenivasan (1965), Sarkar and Rai (1964), low chloride value (less than 100 mg/l) indicate the purity of water but higher concentration if natural water denotes purity of water but higher concentration in natural water denotes pollution. The amount of chloride ions is as indicator of healthy potable water. In various types of drinking water, the amount of chloride ions does not exceed 30 mg/l (Egemen and Sunlu, 1996, Kuruma *et al.* 2002) reported the average falls within

drinking water group according to terrestrial water quality criteria.

Phosphorus - The phosphorus occurs in natural water body in very small quantity but it is an important essential element and most critical single factor for the maintenance of pond fertility. The phosphate contents of Gurma bundh varied between 0.11 to 0.19 mg/l and 0.12 to 0.17 mg/l during first and second years of study periods respectively. Comparatively higher values of phosphate contents were recorded in rainy season, moderate in summer season and lower in winter season. Sunkand and patil (2004) reported the values of phosphate contents between 7.2 and 13.6 mg/l in Fort lake of Belgaum. He also reported that its value is high because of continuous disposal of city sewage into the inorganic phosphate was quite high around polluted zones of Ganga river and low at non-polluted points but its concentration was never less than 0.10 mg/l which is slightly higher in river water.

Plankton - The biotic communities in an ecosystem comprises producers, consumers and decomposers which are linked with one another by energy chains. The producers include the chlorophyll bearing phytoplankton's, aquatic macrophytes and photosynthetic bacteria. The entire wealth that man takes from aquatic habitat is ultimately dependent on phytoplankton for its production since it is the photosynthetic component of the plankton. The consumers are other organisms which are not able to synthesis organic matter with the help of solar energy, but depend upon the producers. they include herbivores and carnivores like zooplankton and fishes. The zooplankton converts the phytoplankton into food suitable for fish and other animals of economic value to man. The planktonic communities are broadly classified into micro plankton, macro plankton, phytoplankton and zooplankton. Now-a-days the distribution and composition of planktonic species are considered as remarkable measures to study and to determine the pollution status of water.

Phytoplankton - All the phytoplankton identified during present study were classified under Chlorophyceae, Cyanophyceae, Euglenophyceae and Bacillariophyceae. In total 35 species were recorded from the water of Gurma bundh at different stations. Of these, 13 species belonged to chlorophyceae, 10 species to Cyanophyceae, 2 species to Euglenophyceae and 10 species to Bacillariophyceae. Among the 13 species of chlorophyceae, the minimum average density was recorded for Scenedesmus armatus and minimum for volvox sp. The other members of this group which showed appreciable density were Zygnema sp., Chlamydomonas sp. and Ulothrix zonata.

In Cyanophyceae, the higher density was observed for Spirulina sp., Merismopedia sp. and Microcystis sp. The lower density was recorded for Anacystis sp. Among Euglenophyceae the maximum average density was observed for Phacus sp. and minimum for Euglena sp. In Bacillariophyceae, the higher densities were recorded for Navicula sp. Synedra ulna, Cymbella sp. and Cyclotella sp. while lower for Gyrodinium sp.

References : -

1. Agrawal, D.K., Gour, S.D., Tiwari, I.C. Narayanswami, N. And Marwah, S.M. (1976a), Physico-Chemical Characteristics of Ganga water at Varanasi, *Indian J. Environ, Hlth.*, 18(3) : 201-206
2. Bagde, U.S, & Verma, A.K. (1985). Physico-chemical Characteristics of water of jenu lake at New Delhi. *Ind. J. Ecol.*, 12 (1): 151-156.
3. Arora, H.C. (1965), Rotifera as an indicator of trophic nature of environment. *Hydrobiologia*, 27 : 146-149
4. Ayyappan, S,. (1991) Use of Azolla in aquaculture (National Workshop on Aquaculture Economics, 20-22 nov. 1991).
5. Bani, M.C. and sarkar, H.L. (1965). Some observations on the pollution of Yamuna River at okhala water works intake , Delhi. *Ind. J. Env. Health*, 7 (2) : 84-86,

वर्तमान शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश - आज की आवश्यकता

डॉ. शैल बाला सांघी *

शोध सारांश - वर्तमान शिक्षा में विद्यार्थियों में उत्तम चरित्र एवं नैतिकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विद्वानों ने शिक्षा के उद्देश्य को मात्र ज्ञानवर्धन न मान कर सर्वांगीण विकास माना है। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों में आई गिरावट को देखते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का पाठ पढ़ाना भी आवश्यक है, जिससे का आज का छात्र मानवता के सामने आज शोचनीय रूप से उपस्थित होकर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मसलों पर सोच-विचार कर सके। वर्तमान समय में शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों की शिक्षा का समावेश कर विद्यार्थियों को आत्मसंयम, चारित्रिक दृढ़ता, मनुष्यता एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का पाठ पढ़ाया जाए जिससे युवाओं में व्यक्तिगत स्तर पर सकारात्मक आंतरिक चेतना का विकास होगा जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए आज के समय की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी - नैतिक मूल्य, शिक्षा, सर्वांगीण विकास।

प्रस्तावना - शिक्षा सामाजिक जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वर्तमान समय में शिक्षा में कई प्रयोग हुए हैं और आमूलचूल परिवर्तन भी। फिर भी शिक्षा शब्द का अर्थ अपनी गरिमा के अनुरूप आज भी अपनी महत्ता को परिभाषित कर रहा है। शिक्षा मनुष्य के सम्यक विकास के लिए एवं उसके विभिन्न ज्ञान तंतुओं को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है, इसके द्वारा लोगों में आत्मसात करने, ग्रहण करने, रचनात्मक कार्य करने तथा दूसरों की सहायता करने की भावना का विकास होता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को परिपक्व बनाना है।

वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में जीवन-मूल्यों का हास हो रहा है। सदियों से चली आ रही वाजिब रूढ़ियों के साथ-साथ स्वीकृत जीवन मूल्यों का भी क्षय हो रहा है। व्यक्ति में एवं समाज में साम्प्रदायिकता, जातीयता, भाषावाद, हिंसा की संकीर्ण कुत्सित भावनाएँ, मनुष्य का नैतिक और चारित्रिक पतन इन्हीं सभी घटनाओं से हम प्रतिदिन दो चार हो रहे हैं। इन कमियों की एक मुख्य वजह विद्यार्थी जीवन में दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में इनका संस्कारित होना भी है। केवल भौतिक विकास से हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। शिक्षा की एक बहुत बड़ी भूमिका यह भी है कि वह अपनी संस्कृति धर्म तथा अपने इतिहास को अक्षुण्ण बनाए रखे। जिससे की राष्ट्र का गौरवशाली अतीत भावी पीढ़ी के समक्ष द्योतित हो सके और युवा पीढ़ी अपने अतीत से कट कर न रह जाए।

वर्तमान समय में शिक्षक को चाहिए की सामाजिक परिवर्तन को देखते हुए उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए केवल अक्षर एवं पुस्तक ज्ञान का माध्यम न बनाकर शिक्षित को केवल भौतिक उत्पादन वितरण का साधन न बनाया जाए अपितु नैतिक मूल्यों से अनुप्राणित कर आत्मसंयम, चारित्रिक दृढ़ता, मनुष्यता एवं राष्ट्र प्रेम कि भावना को जागृत कर सके इससे ही समाज और परिवार में मूल्य विकसित होंगे तथा पारिवारिक, सामाजिक एवं वैश्विक स्तर पर नैतिकता का संपूर्ण रूप से विकास होगा। नैतिकता का संबंध मानवीय अभिवृत्ति से है, इसीलिए शिक्षा से इसका महत्वपूर्ण, अभिन्न व अटूट संबंध है। यदि विद्यार्थियों के परिवेश में नैतिकता के तत्व पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हैं तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी, जीवन का अंश बन जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्य पढ़ाये नहीं जाते, अधिग्रहीत किये जाते हैं।

चारित्रिक और नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था - शिक्षा मनुष्य के भीतर नीहित पूर्णता का विकास है। वह शिक्षा जो जन समुदायों को जीवन संग्राम में उपयुक्त नहीं बना सकती, जो उनकी चारित्रिक शक्ति का विकास नहीं कर सकती, जो विद्यार्थी के मन में परहित भावना पैदा नहीं कर सकती, क्या उसे हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार वे ऐसी शिक्षा देने के पक्ष में थे जिससे विद्यार्थी का चरित्र बने, जीवन निर्माण, बुद्धि का विकास हो तथ उनकी मानसिक शक्ति का विकास हो सके। उनके अनुसार सही शिक्षा वही हो सकती है जो विद्यार्थियों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विकसित कर सके।

नैतिक मूल्यों का विस्तार व्यक्ति से विश्व तक, जीवन के सभी क्षेत्रों में होता है। व्यक्ति-परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र से मानवता तक नैतिक मूल्यों की यात्रा होती है। सामाजिक जीवन में तेजी से हो रहे परिवर्तन के कारण उत्पन्न समस्याओं की चुनौतियों से निपटने के लिये और नवीन व प्राचीन के मध्य स्वस्थ अंतः क्रिया को सम्भव बनाने के लिये नैतिक मूल्य सेतु-हेतु का कार्य करते हैं। नैतिक मूल्यों के कारण ही समाज में संगठन कारी शक्तियाँ व प्रक्रिया गति पाती है और विघटन कारी शक्तियों का क्षय होता है। अच्छे चरित्र के महत्व को उजागर करते हुए संस्कृत की एक सूक्ति निम्नलिखित है-

‘वृन्तं यत्नेन संरक्षंद् विन्त यादाति याति च।

अक्षीणो विन्ततः क्षीणो, वृन्तस्तु हतो हतः॥

उक्त सूक्ति में चरित्र विहीन व्यक्ति को मृत के समान बताया गया है। अतः चरित्र का बल मानव जगत के लिये अनिवार्य है। इस चरित्र बल की प्राप्ति हेतु नैतिक शिक्षा अनिवार्य है। क्योंकि नैतिक मूल्यों की अवधारणा ही चरित्र बल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचार पृष्ठ 379
2. राष्ट्र शिक्षा नीति 1986
3. कल्याण शिक्षांक सम्पादक-राधे श्याम खेमका, गीता प्रेस, गोरखपुर, वर्ष 1988, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक विहंगावलोकन- श्री मुरारी लाल शर्मा, पृष्ठ 361
4. नैतिक मूल्य और वर्तमान शिक्षा नीदरलैण्ड और भारत की हिन्दी का संगम।

Profile Of Khadi Bhandar Of Marwar

Dr. Usha Kothari * Karanjeet Kaur ** Simerjeet Kaur ***

Abstract - In India, villages are providing the base for the economic development of the country. The village artisans had command over raw materials, assured demand for their products and services and an assured return. khadi was introduced by Mahatma Gandhiji as important instrument for remaking the Indian economy. primarily with a political interest to boycott foreign goods in general and cloth in particular and provide an opportunity for every human being about the self discipline and self-sacrifices as a part of non-cooperative movement.

Keywords - khaddar, charkha, spinning.

Introduction - During pre-independence era the movement of khadi manufacturing gained momentum under the guidance of father of nation Mahatma Gandhiji. This movement of khadi manufacturing and wearing started as to discourage the Indians from wearing of foreign clothes. Khadi is a versatile fabric. Khadi is also known by another name Khaddar. It is made by spinning the threads on an instrument known as Charkha. It has the unique property of keeping the wearer warm in winter as well as cool in summer season. This fabric on washing is more enhanced thus the more you wash it, better the look. Khadi spinning is generally done by girls and women and weaving mostly by men. During spinning of khadi the threads are interwoven in such a manner that it provides passage of air circulation in the fabric. Apart from this unique property, it also provides warmth in winter season which is quite surprising factor. Khadi has gained worldwide appreciation as it is handmade, durable, long lasting and organic in nature. It is associated with Gandhian philosophy as well as makes a fashion statement. Through the medium of khadi weaving, the weaver expresses art and designing by the spindle and loom. It is widely accepted in the Indian fashion circle. Leading fashion designers now include it in their collection by designing clothes with khadi material. There is huge demand of it in international market, especially in western countries. Previously khadi was dyed in earthy color tones and was used to make traditional garments but now designers are experimenting by dyeing khadi with striking colors.

Methodology - Present study was conducted at marwar region of Rajasthan. Data were collected from Jodhpur, jaisalmer, Barmer, Pali districts through questioner from khadiBhandars. A sample of 10 respondents was selected randomly from different khadibhandars. Data was analyzed and tabulated to find out results.

Result And Discussion - Table no. shows that cent-percent respondents were belongs selected cities and run khadibhandars at that particular city.

Table 1: Distribution of KhadiBhandar according to city in which they are operating

(N=10)		
City	N	%
Barmer	10	25.00
Jaisalmer	10	25.00
Jodhpur	10	25.00
Pali	10	25.00
Total	40	100.00

According to table no. 2 maximum number of respondent was literate. On the basis responses 30 percent respondents of Pali and Jodhpur were educate up to middle school. Large number of respondents of Pali (70 percent) was senior secondary pass and equal percentage of (40 percent) Jodhpur, Jaiselmer were senior secondary holder, 30 percent of respondents of Barmer 12th pass. Researcher found that 30, 40, 50 percent respondents of Pali, Barmer, Jaiselmer were graduate. Only 10 percent respondents respectively of Jodhpur were holding professional and post graduation degree.

Table 2 (see in next page)

On the basis of table no. 3 majority of respondents from Jodhpur, Jaiselmer, Barmer (60, 90, and 80 percent) respectively prefer to wear khadi and only 30 percent respondents of Pali were prefer to wear khadi fabric. Cent-percent respondents of Pali were sometimes wore khadi sometimes and small number (20, 10 and 30 percent) of respondent of Barmer, Jaiselmer and Jodhpur sometimes like to wear khadi. 10npercent respondents of Jodhpur were not given any response about it.

Major findings of the study were that most of the respondents from khadibhandars prefer to wear khadi as a

*Professor (Home Science) Jai NarainVyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

** Research Scholars (Home Science, Textile) Jai NarainVyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

*** Research Scholars (Home Science, Textile) Jai NarainVyas University, Jodhpur (Raj.) INDIA

suitable fabric for them.

Table 3 (see below)

Data about articles sold at khadibhandars shown in table no. 4 and multiple responses were found at each category cent-percent respondents were sale daily wear and home furnishing articles at their khadibhandars of Barmer. At Jaisalmer 60 percent respondents sale daily wear, 10 percent were casual wear, 30 percent were home furnishing and 50 percent respondents were sale all types of articles at their khadibhandars. Majority of respondents (90 percent) were sale all types of articles and only 10 percent respondents were sale casual wear at their khadibhandars of jodhpur. Respondents of Pali district given multiple responses on each category 80 percent of respondent's sale daily wear, 70 percent were sale home furnishing articles, 30 percent respondents were sale all category type and only 20 percent respondents sale casual wear articles at khadibhandarts of Pali.

Table: 4 (see below)

Conclusion - It was concluded that all respondents were

found in selected cities and among them maximum respondents prefer to wear khadi fabric. Large number of respondents was educated up to senior secondary level and few respondents were holding graduate, post graduate and professional degree. All respondents were sale multiple articles at their khadibhandars. It was found that khadi fabric and khadibhandars had good profile.

References :-

1. Swadeshi Forum for khadi : "Wheal of progress and prosperity must move on 75 years of khadi : 1925-2000". young man July 29, Aug. 4, 2000.
2. Mani, N Raja, K Bharathiar University Department of Economics Performance evaluation of Khadi and vil-lage industries with particular reference to Gandhi Ashram Trichengodu Namakkal district
3. PP1-5.
4. <http://www.kvic.org.in/update/khadi/KHADI2.html>
5. <http://www.kvic.org.in/kvicres/khadicoord.html>
6. <http://www.fibre2fashion.com/industry-article/959/khadi-the-pride-of-india?page=1>

Table 2: Distribution of respondents according to Education of khadibhandar Operators
(N=10)

Education	Barmer		Jaisalmer		Jodhpur		Pali	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Up to Middle School	3	30.00	0	0.00	3	30.00	0	0.00
Up to Sr. Secondary	3	30.00	4	40.00	4	40.00	7	70.00
Graduate	4	40.00	5	50.00	0	0.00	3	30.00
Post Graduate	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00
Professional Degree	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00
No Response	0	0.00	1	10.00	1	10.00	0	0.00
Total	10	100.00	10	100.00	10	100.00	10	100.00

Table 3: Distribution of respondents to preference to wear khadi
(N=10)

Response	Barmer		Jaisalmer		Jodhpur		Pali	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Yes I do	8	80.00	9	90.00	6	60.00	3	30.00
Sometimes	2	20.00	1	10.00	3	30.00	7	70.00
Never	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
No Response	0	0.00	0	0.00	1	10.00	0	0.00
Total	10	100.00	10	100.00	10	90.00	10	100.00

Table: 4 Types of Kahdi Articles Sold at KhadiBhandars

Kind of Khadi Article	Barmer		Jaisalmer		Jodhpur		Pali	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Daily wear	10	100.00	6	60.00	0	0.00	8	80.00
Casual Wear	0	0.00	1	10.00	1	10.00	2	20.00
Home Furnishing	10	100.00	3	30.00	0	0.00	7	70.00
All Types	0	0.00	5	50.00	9	90.00	3	30.00

आदिवासी किशोर किशोरियों में रोजगार के प्रति बदलती धारणाओं का अध्ययन

शारदा भिण्डे * डॉ. मंजू शर्मा **

प्रस्तावना - वर्तमान में केन्द्र सरकार में केन्द्र सरकार की और से ग्रामीण किशोरों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराकर स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में खादी ग्रामोद्योग ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खादी ग्रामोद्योग की और से करीब सवा सौ से ज्यादा ऐसे व्यवसाय संचालित किये जा रहे हैं जो पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आधारित हैं इन रोजगारों को शुरू करने के लिए ग्रामीण किशोर किशोरियों को ट्रेनिंग दी जाती है और किशोरों को बैंकों के माध्यम से ऋण मुहैया कराया जाता है।

आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार की बदलती धारणाएँ ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों के किशोर किशोरियों कुछ समय पूर्व तक परम्परागत रोजगारों में संलग्न थे। औद्योगिक, तकनीकी एवं सामाजिक विकास के कारण रोजगारों के अवसरों में भी परिवर्तन आया है, जैसे कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग, टाईपिंग, फार्मसी आदि से सम्बंधित क्षेत्रों में इसके अतिरिक्त राष्ट्रस्तर पर अनेक शैक्षिक योजना के चलते शिक्षा का विकास भी गावों की तरह दिखाई देता है। जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के किशोर किशोरियों उच्चशिक्षा प्राप्ति में संलग्न हैं। उच्चशिक्षा प्राप्त कर वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। शासकीय व अशासकीय संस्थानों में नौकरी करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार रोजगार के क्षेत्र में आदिवासी ग्रामीण किशोर किशोरियों में रोजगार के प्रति धारणाओं में परिवर्तन प्रतिलक्षित होता है, अनेक किशोर किशोरियों परम्परागत रोजगारों के साथ-साथ अन्य रोजगार करने में भी रुचि रखते हैं। अथवा परम्परागत रोजगार के स्थान पर अन्य रोजगारों में संलग्न होने का प्रयास करते हैं एवं अपनी स्थितियाँ योग्यता क्षमता और रोजगार से प्राप्त आय के अनुसार रोजगार का चयन करते हैं।

शोध अध्ययन के उद्देश्य -

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर का अध्ययन करना।

शोध अध्ययन की उपकल्पना-

1. आदिवासी क्षेत्रों में किशोर किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध प्रविधि-

1. **अध्ययन का क्षेत्र** - प्रस्तुत शोध में शोध अध्ययन क्षेत्र के रूप में मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले का चयन किया गया है।
2. **शोध अध्ययन की इकाई** - प्रस्तुत शोध अध्ययन में उन्हीं किशोर किशोरियों को सम्मिलित किया गया है जिनकी आयु 17 वर्ष से 24 वर्ष के बीच है।

3. **निदर्शन का आकार**- प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 432 निदर्शन लिये गये हैं जिनमें 216 किशोर तथा 216 किशोरियों को सम्मिलित किया गया है।
4. **निदर्शन का चयन** - प्रस्तुत अध्ययन के लिए निदर्शन का चुनाव दैव निदर्शन पद्धति की लॉटरी विधि के द्वारा चयन किया गया।
5. **शोध उपकरण का चुनाव** - प्रस्तुत शोध कार्य में शोध उपकरण के रूप में स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।
6. **सांख्यिकीय प्रविधियाँ** - संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिशत व उपकल्पना की साधकता ज्ञात करने के लिए कई वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

परिणामों का विश्लेषण -

तालिका क्र. 1. (देखे आगे पृष्ठ पर)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल प्रतिदर्श 432 आदिवासी किशोर - किशोरियों में 26 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में 20 प्रतिशत व्यवसाय में 13 प्रतिशत में 26 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में 20 प्रतिशत व्यवसाय में 26 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में 20 प्रतिशत व्यवसाय में 26 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में 20 प्रतिशत नौकरी में 21 प्रतिशत मजदूरी में और 20 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाए गए हैं।

आदिवासी किशोरों के कुल प्रतिदर्श 216 में से 27 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में, 19 प्रतिशत व्यवसाय में, 14 प्रतिशत नौकरी में, 23 प्रतिशत मजदूरी में 17 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पाए गए हैं।

इसी प्रकार आदिवासी किशोरियों के कुल प्रतिदर्श 216 में से 25 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में, 21 प्रतिशत व्यवसाय में, 11 प्रतिशत नौकरी में, 19 प्रतिशत मजदूरी में, 24 प्रतिशत अन्य रोजगार में संलग्न पायी गई हैं। इस प्रकार सर्वाधिक क्रमशः 27 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत कृषि में न्यूनतम क्रमशः 14 प्रतिशत और 11 प्रतिशत आदिवासी किशोर - किशोरियों की नौकरी में संलग्नता पाई गई।

इस प्रकार सर्वाधिक क्रमशः 27 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में, न्यूनतम क्रमशः 14 प्रतिशत ऐतिहासिक विवरणानुसार आदिवासी समुदाय का पारम्परिक व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन रहा एवं 11 प्रतिशत आदिवासी किशोर-किशोरियों को नौकरी में संगलन पाया गया है।

H₀, आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर में सार्थक अंतर नहीं है-

सार्थक स्तर	X ² cal	x ² Tab	df	Result
0.05	8.91	9.488	4	Accepted

* शोधार्थी (गृह विज्ञान) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (गृह विज्ञान) माता जीजा बाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

अतः आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

उपर्युक्त उपकल्पना के परीक्षण हेतु काई वर्ग की गणना की गई। काई वर्ग गणना के परिणाम के आधार पर χ^2 का गणनात्मक मान 8.91 है जो कि (0.05 सार्थकता स्तर पर) स्वतंत्रता कोटी के χ^2 सारणी मूल्य 9.488 से कम है अतः यहाँ पर शून्य उपकल्पना (H_0) स्वीकार की जाती है अर्थात् आदिवासी क्षेत्रों में किशोर-किशोरियों के लिए उपलब्ध रोजगार के अवसर में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. पाण्डे के.सी. (1997) 'सामाजिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी के तत्व'

पुज्यराज प्रकाशन, इलाहाबाद।

2. मुखर्जी रविन्द्रनाथ (1998) 'सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी' विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली।
3. पाण्डे श्रीधर (1992) 'भारती ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं कृषि व्यवस्था प्रवृत्ति एवं समस्याएँ' इण्डोलॉजी पब्लिशर्स पटना।
4. अग्रवाल आर.सी. (2009) 'व्यवसायिक प्रबन्ध के सिद्धान्त एवं उधमिता' एस.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस आगरा।
5. भार्गव उषा (1987) 'शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन' किशोर मनोविज्ञान प्रकाशन हिन्दी ग्रंथ अकादमी जयपुर।
6. त्रिपाठी मधुसुदन (2009) 'गाँवों में रोजगार के साधन' आयोग पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

तालिका क्र. 1

आदिवासी क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के विभिन्न अवसरों में संलग्नता संबंधित विवरण

क्रं	रोजगार अवसरों का विवरण	किशोरों की संख्या प्रतिशत	किशोरियों की संख्या प्रतिशत	कुल योग संख्या प्रतिशत	χ^2 काई वर्ग का मान
1	कृषि एवं पशुपालन	27	25	26	8.91
2	व्यवसाय	19	21	20	
3	नौकरी	14	11	13	
4	मजदूरी	23	19	21	
5	अन्य रोजगार	17	24	20	
	योग	100N=216	100 N= 216	100N=432	

सार्थकता स्तर **0.05

उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव

रुचि सोनी * डॉ. वंदना गुप्ता **

शोध सारांश - प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है। अध्ययन में निदर्शन हेतु कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट की बी.ए. एवं बी.एच.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की 277 छात्राओं को रेण्डम सेम्पलिंग द्वारा चुना गया। इन छात्राओं को रेण्डम विधि से ही दो समूहों प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह में बाँट दिया गया। इस शोध में प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं के लिए 40 दिन के संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जबकि नियंत्रित समूह की छात्राओं के साथ इस तरह की कोई गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गयीं तथा आकड़ों का विश्लेषण 2x2 फेक्टोरियल डिजाइन एनोवा ऑफ अनइक्वल सेल साइज के द्वारा किया गया। विश्लेषण करने पर पाया गया कि उपचार का सांवेगिक अस्थिरता पर सार्थक प्रभाव पड़ा। समायोजन का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया साथ ही उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया का भी सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

कुंजी शब्द - उपचार, समायोजन व सांवेगिक अस्थिरता।

प्रस्तावना - संवेगात्मक अस्थिरता संवेगात्मक परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो किसी समस्या को हल न कर पाने की असमर्थता को दर्शाता है। यह पक्ष सबसे अधिक सामाजिक कुसमायोजन से सह-संबंधित है। संवेगात्मक रूप से अस्थिर व्यक्ति समान परिस्थितियों में समान संवेगों के प्रदर्शन में असमर्थता दर्शाता है। कई अध्ययनों से यह ज्ञात होता है कि संवेगात्मक अस्थिरता पर समायोजन, लिंग, उम्र, पालन-पोषण का प्रभाव पड़ता है। योगेश (2013) ने समायोजन व संवेगात्मक परिपक्वता के आयाम संवेगात्मक अस्थिरता, सामाजिक कुसमायोजन, व्यक्तित्व विघटन व नेतृत्वहीनता के मध्य सार्थक अंतर पाया। राजन (2012) ने पुरुष प्रशिक्षणार्थियों व महिला प्रशिक्षणार्थियों की संवेगात्मक अस्थिरता, सांवेगिक दमन, सामाजिक कुसमायोजन, व्यक्तित्व विघटन व नेतृत्वहीनता के मध्य अंको में सार्थक भिन्नता पायी व सिंग (2013) ने छात्राओं को संवेगात्मक परिपक्वता के क्षेत्र में सामान्य रूप से स्थिर पाया व छात्र संवेगात्मक परिपक्वता के क्षेत्र में अत्यधिक अस्थिर पाए गए।

उद्देश्य - उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का संवेगात्मक अस्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करना।

उपकल्पना - उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का संवेगात्मक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा।

निदर्शन - प्रस्तुत अध्ययन के लिए कस्तूरबाग्राम रूरल इंस्टीट्यूट की बी.ए. एवं बी.एच.एस.सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की 277 छात्राओं को रेण्डम सेम्पलिंग द्वारा चुना गया। इन छात्राओं को रेण्डम विधि से ही दो समूहों में बाँट दिया गया। एक समूह को प्रयोगात्मक समूह के रूप में लिया गया, जबकि दूसरे समूह को नियंत्रित समूह के रूप में लिया गया। यह इंस्टीट्यूट कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के प्रबंधन में कार्य करता है। इस इंस्टीट्यूट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़ा वर्ग की छात्राओं की बाहुल्यता है। ये छात्राएँ मध्यप्रदेश के छोटे-छोटे गावों से आकर छात्रावास

में निवास करती हैं। छात्रावास में रहते हुए गांधीवादी संस्कृति के अन्तर्गत यह छात्राएँ शिक्षा प्राप्त करती हैं। इन छात्राओं की उम्र 18 से 23 वर्ष के मध्य है।

शोध अभिकल्प - प्रस्तुत अध्ययन प्रयोगात्मक शोध है। इस शोध में पूर्व उपचार - पश्चात् उपचार, नियंत्रित समूह अभिकल्प लिया गया। प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की संवेगात्मक अस्थिरता उपचार से पूर्व व उपचार के पश्चात् ज्ञात की गयी। प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता की परीक्षण के पश्चात् तुलना की गयी।

उपकरण - संवेगात्मक परिपक्वता के लिए सिंह व भार्गव (1990) द्वारा निर्मित संवेगात्मक परिपक्वता मापनी (EMS) का उपयोग किया गया तथा समायोजन के मापन के लिए डॉ. मित्तल (1974) द्वारा निर्मित समायोजन इनवेंटरी का उपयोग किया गया।

आंकड़े एकत्र करने की विधि - प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह की छात्राओं की संवेगात्मक अस्थिरता सिंह एवं भार्गव (1990) द्वारा संवेगात्मक परिपक्वता मापनी (EMS) के द्वारा ज्ञात की गयी। साथ ही इनका समायोजन स्तर डॉ. मित्तल (1974) द्वारा निर्मित समायोजन इनवेंटरी के द्वारा ज्ञात किया गया। इसके पश्चात् प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं के लिए 40 दिन के संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसके अन्तर्गत योगासन, ध्यान तथा प्राणायाम की विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं, जबकि नियंत्रित समूह की छात्राओं के साथ इस तरह की कोई गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गयीं। 40 दिन के संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम के पश्चात् प्रयोगात्मक समूह व नियंत्रित समूह की छात्राओं की संवेगात्मक अस्थिरता पुनः ज्ञात की गयी।

परिणाम - प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 'संवेगात्मक परिपक्वता सुधार

* शोधार्थी व अधिति विद्वान (गृह विज्ञान) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म. प्र.) भारत
** प्रोफेसर (गृह विज्ञान) शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.) भारत

कार्यक्रम से उपचारित स्नातक छात्राओं तथा परम्परागत पद्धति में अध्ययनरत स्नातक छात्राओं के समायोजित सांवेगिक अस्थिरता माध्य अंकों की तुलना करना, जबकि समायोजन एवं पूर्व उपचार अंकों को सहचर के रूप में लिया गया है, था। उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का संवेगात्मक अस्थिरता पर प्रभाव ज्ञात करने के लिए प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण 2x2 फेक्टोरियल डिजाइन एनोवा ऑफ अनइक्वल सेल साइजके द्वारा किया गया। परिणाम तालिका क्रमांक 01 में दर्शाए गए हैं। **तालिका 1 (देखें आगे पृष्ठ पर)**

(a) उपचार का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव - तालिका क्रमांक 01 से यह स्पष्ट है कि सांवेगिक अस्थिरता के संदर्भ में उपचार के लिए F का मान 4.80 है जो .05 स्तर पर सार्थक है, जबकि स्वतंत्रता का अंश = 1/273 है। अतः प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह के सांवेगिक अस्थिरता में सार्थक अंतर पाया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि उपचार का सांवेगिक अस्थिरता पर सार्थक प्रभाव पड़ा है। इसलिए शून्य परिकल्पना 'उपचार का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा' निरस्त की जाती है। पुनः विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता का माध्य (18.57) नियंत्रित समूह की छात्राओं के सांवेगिक अस्थिरता के माध्य (21.18) से निम्न है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता नियंत्रित समूह की छात्राओं की तुलना में सार्थक रूप से कम पायी गयी। अतः संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता को सार्थक रूप से कम करने में सफल हो सका।

(b) समायोजन का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव - तालिका क्रमांक 01 से यह स्पष्ट है कि सांवेगिक अस्थिरता के संदर्भ में समायोजन के लिए का मान 1.60 है, जो सार्थक नहीं है। अतः समायोजन के दोनों स्तरों (समायोजित एवं कुसमायोजित) से सम्बन्धित छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता में सार्थक अंतर नहीं पाया गया। इसलिए शून्य परिकल्पना 'समायोजन का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा' निरस्त नहीं की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि समायोजन का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

(c) उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर प्रभाव - तालिका क्रमांक 1 से यह स्पष्ट है कि सांवेगिक अस्थिरता के संदर्भ में उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया के लिए F का मान .14 है, जो सार्थक नहीं है। अतः उपचार तथा समायोजन की अंतःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया। इसलिए शून्य परिकल्पना 'उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं होगा' निरस्त नहीं की जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

चर्चा - प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य 'उपचार, समायोजन व उनकी अन्तःक्रिया का संवेगात्मक अस्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करना' था। आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता को कम करने में सार्थक रूप से सफल हो सका।

उपरोक्त परिणाम का संभावित कारण यह हो सकता है कि प्रस्तुत अध्ययन प्रयोगात्मक शोध था। जिसमें 40 दिन तक प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं के लिए योग से संबंधित विभिन्न आसन जैसे - ताड़ासन, सूर्य

नमस्कार, शवासन, मकरासन, पद्मासन, वज्रासन, हलासन, भुजंगासन, धनुरासन, पवनमुक्तासन, विपरीतकर्णी, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, चक्रासन, सर्वांगसन, सुप्तवज्रासन व मत्स्यासन साथ ही प्राणायाम के अंतर्गत भस्त्रिका, अनुलोम-विलोम, कपालभाती, भ्रामरी, ध्यान व अन्य योग मुद्रा की गतिविधियाँ आयोजित की गयीं। उपरोक्त प्रत्येक योगासन व प्राणायाम की गतिविधियाँ थकान दूर करने, शारीरिक व मानसिक क्षमता बढ़ाने, प्राण वायु को संतुलित करने, सिरदर्द दूर करने, नाड़ी तंत्र को शुद्ध व कार्यशील बनाने, रक्त परिसंचरण की गति बढ़ाने, ध्यान केन्द्रित करने, अग्नि दूर करने, स्वभाव बदलने, एकाग्रता बढ़ाने, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों को संतुलित मात्रा में कार्यशील करने, आत्मनियंत्रण व आत्मविश्वास बढ़ाने, मन की चंचलता दूर करने, बैचेनी व क्रोध की प्रवृत्ति कम करने, तनाव दूर करने, अवसाद व अन्य मनोविकार को दूर करने, याददाश्त बढ़ाने, स्थिर रहने में मदद करने, शरीर और मन के सारे नकारात्मक भावों को कम करने, सीखने की क्षमता बढ़ाने, सकारात्मक उर्जा को विकसित करने व संवेगों को नियंत्रित करने में लाभदायक होती है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त गतिविधियाँ प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं के व्यवहार में सांवेगिक अस्थिरता से संबंधित लक्षण जैसे - एकाग्रता की कमी, कार्य क्षमता की कमी, तनाव, अस्थिरता, झुंझलाहट, अक्रामकता, क्रोधित स्वभाव, मन की चंचलता, बैचेनी को कम करने में सफल हो सका। इसलिए संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता को कम करने में सार्थक रूप से बेहतर पाया गया।

आकड़ों के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि समायोजन का सांवेगिक अस्थिरता पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया।

उपरोक्त परिणाम का संभावित कारण यह हो सकता है कि समायोजन एक सामूहिक पक्ष है, जबकि संवेगात्मक अस्थिरता व उसके विभिन्न आयाम व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित है। जहाँ समायोजन व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, परिवार के प्रकार, परिवार में सदस्यों की संख्या, महाविद्यालयीन वातावरण व धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं से निर्धारित होता है, वहीं संवेगात्मक अस्थिरता स्वास्थ्य, बौद्धिक क्षमता, व्यक्तित्व का प्रकार, पक्षपात पूर्ण व्यवहार व अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की अत्यधिक या मंद क्रियाशीलता निर्धारित करती है। प्रस्तुत अध्ययन में हमारे द्वारा समायोजन के दो वर्ग (समायोजित व कुसमायोजित) लिए गए समायोजन के दोनों वर्गों से संबंधित छात्राएँ छात्रावास में निवास करने वाली समान पारिवारिक पृष्ठभूमि (ग्रामीण), समान आर्थिक स्थिति (निम्न व मध्यम वर्ग), समान महाविद्यालयीन वातावरण व लगभग समान धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाली थी इसलिए समायोजन प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता को कम करने व कुल संवेगात्मक परिपक्वता को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाया।

आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपचार तथा समायोजन व उनके बीच की अंतःक्रिया प्रयोगात्मक समूह की छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता को सार्थक रूप से कम करने में सफल नहीं हो सकी।

उपरोक्त परिणाम का संभावित कारण यह हो सकता है कि संवेगात्मक परिपक्वता संवर्द्धन कार्यक्रम के दौरान पूर्ण रूप से छात्राओं की संवेगात्मक परिपक्वता को संवर्द्धित करने की ओर ध्यान दिया गया था। वही अध्ययन में उपस्थित समायोजित व कुसमायोजित छात्राएँ समान पारिवारिक पृष्ठभूमि (ग्रामीण), समान आर्थिक स्थिति (निम्न व मध्यम वर्ग), समान

महाविद्यालयीन वातावरण व लगभग समान धार्मिक-सांस्कृतिक मान्यताओं को मानने वाली व छात्रावास में निवास करने वाली थी। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उपचार तथा समायोजन के बीच अंतःक्रिया का छात्राओं की सांवेगिक अस्थिरता पर समान प्रभाव पड़ा। अतः उपचार तथा समायोजन के बीच की अंतःक्रिया सांवेगिक अस्थिरता को कम करने में सार्थक रूप से सफल नहीं रही।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. वर्मा, शारदा प्रसाद : विकास मनोविज्ञान, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, प्रथम संस्करण 1972
2. हरलॉक, एलिजाबेथ बी. : विकास मनोविज्ञान (प्रथम खण्ड) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित, 1990
3. डॉ. जैन, शशि प्रभा : मानव विकास, शिवा प्रकाशन, इंदौर, तृतीय संस्करण 2005
4. डॉ. जैन, शशि प्रभा : किशोरावस्था, शिवा प्रकाशन, इंदौर, 2008
5. पाण्डेय, जगदानन्द : विकासात्मक मनोविज्ञान, दिल्ली पुस्तक सदन, दिल्ली
6. डॉ. सिंह ओ.पी. : बाल विकास, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2009
7. Rajan, M. : A Study Of Emotional Maturity And Adjustment Of B.Ed., Trainees In Cuddalore District, Golden research thought, Vol. 2, PP. 1-3, September, 2012
8. Yogesh : Emotional Maturity and Adjustment in ADHD Children, Jogsan psychology & psychotherapy an open access journal, Vol. 3, PP. 1-4, 2013
9. Singh, Dalwinder : Emotional maturity differentials among university students, Journal of physical education and sports management, vol. 3, pp. 41-45, May, 2013

तालिका 1 - फेक्टोरियल डिजाइन एनोवा ऑफ अनइक्वल सेल साइज़ का विवरण

विवरण	विचलन का स्रोत	स्वतंत्रता का स्तर (df)	SS	MSS	F का मान
सांवेगिक अस्थिरता	उपचार (a)	1	173.89	173.89	4.80*
	समायोजन (b)	1	58.10	58.10	1.60
	axb	1	5.15	5.15	.14
	त्रुटि	273	8290.67	36.20	
	कुल	277			

*.05 स्तर पर सार्थक

आधुनिक युग में वृद्ध अभिभावकों के अनुभवों का योगदान राष्ट्र विकास में सहायक

डॉ. रूपाली सक्सेना *

प्रस्तावना – भारत एक विकासशील देश है। भारतीय समाज अपने प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों, विकासशील अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक व्यवस्था के लिए विश्वविख्यात है। इसमें जहाँ पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों की प्रगाढ़ता देखने को मिलती है, वहीं बदलती परिस्थितियों के कारण सबसे अधिक समस्या उम्रदराज और वरिष्ठ नागरिकों के सामंजस्य की बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के प्रति धीरे-धीरे परम्परावादी दृष्टिकोण बदल रहा है।

आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। एकल परिवार में समय का अभाव और व्यस्तता का वर्जस्व बढ़ा है। मानवीय संवेदनाओं का क्षरण हुआ है, जिसका कारण व्यक्ति के पास समय का अभाव है। चिन्तनीयता की स्थिति में वृद्ध अभिभावक है, जो आज सेवानिवृत्ति के पश्चात् आर्थिक दृष्टि से स्वयं को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसका मुख्य कारण पारिवारिक विघटन का होना ही है। क्योंकि आज प्रत्येक युवक / युवतियाँ को पढ़ने / अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए घर से दूर जाना पड़ता है। घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् नौकरी कर जीविकोपार्जन करने लगते हैं। अधिकांश बच्चे स्वयं विवाह कर वहीं पर घर बसा लेते हैं और इस स्थिति में अभिभावक अकेले रह जाते हैं। जिसे पारिवारिक जीवन – चक्र की तृतीय अवस्था अर्थात् संकुचित अवस्था कहा जाता है।

इस सन्दर्भ में रूपनारायण काबरा, राजस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि 'अभिभावकों कि सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक अधिकार पर निष्कर्षानुसार संतानों के पालन – पोषण, शिक्षा – दीक्षा, विवाह – शादी को समर्पित समाज व राष्ट्र की दीर्घकालीन विभिन्न रूपों में की गई सेवाओं के नाते बुजुर्गों को शारीरिक – मानसिक दोनों दृष्टि से स्नेह, सम्मान, संरक्षण पाने का अधिकार है।' अपने पाँच बच्चों के लिए माता – पिता अपना सब कुछ त्याग कर देते हैं परन्तु पाँच बच्चे मिलकर भी बूढ़े माँ – बाप को सही रूप में न तो सँभालते हैं और न ही उचित सम्मान देते हैं। बेटियों का विवाह हो जाता है और पुत्र तो अपनी पत्नी एवं बच्चों में सिमटकर रह जाता है। इस समय तक अधिकांश अभिभावक अपनी प्रत्येक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सेवानिवृत्त हो चुके होते हैं। जिससे उनकी जमा पूंजी का भी ह्रास होने लगता है और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हमें अभिभावकों से ही संस्कारों की पूंजी मिलती है। यही हमारे घनेरे वृक्ष होते हैं, जिनकी छाँव अत्यंत सुखद और शीतल होती है। ये देश और समाज की सेवा करते हुए वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं इसे भूला नहीं जा सकता। पवन कुमार के सर्वेक्षणानुसार, सेवानिवृत्त वृद्धों की समस्याओं में प्राप्त परिणामों में पाया कि बुजुर्गों को केवल रोटी और कपड़ा ही नहीं वरन उन्हें आदर व प्यार कि भी आवश्यकता होती है।

वृद्धजनों के जीवन दर्शन, रहन सहन की पद्धत आज की पद्धत से

अलग है। वे अपनी सन्तानों के साथ समायोजित नहीं हो पाते, ऐसे में सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुरूप उन्हें बदलते रहना चाहिए। वृद्धजनों को किसी न किसी रचनात्मक क्रियाकलाप में संलग्न रहना चाहिए। जिससे समय का पूरा उपयोग होता है। तनाव से मुक्ति मिलती है। वृद्धजन / अभिभावक आर्थिक रूप से मजबूत होने लगते हैं और उनको सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर प्राप्त होते हैं। बुजुर्ग हमारे राष्ट्र, समाज, परिवार की धरोहर हैं। इनका अनुभव अमूल्य है, इससे लाभान्वित होने के लिए उन्हें सभी के द्वारा पर्याप्त स्नेह, सम्मान, प्रतिष्ठा व संरक्षण दिया जाना अपेक्षित है।

शासकीय सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् बहुत से संस्थानों में बुजुर्गों / अभिभावकों को वरीयता देते हुए उन्हें कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इससे उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से सहायता मिलती है। 21 वीं शताब्दी ने नई प्रौद्योगिकी, तकनीक, नवप्रवर्तनों तथा ज्ञान के नए क्षेत्र खोल दिए हैं। किसी भी संस्था की श्रम शक्ति शीघ्रता से नए युग की कुशलताओं का अनुकूलन कर लेती है। अगर इसमें पुराने अनुभव का ज्ञान समावेश हो जाएगा तो प्रत्येक संस्था की सफलता दर में तेजी आएगी और साथ ही हमारे राष्ट्र / देश का विकास तीव्रगति से हो सकेगा। एडविन बी पिलप्पो द्वारा कहा गया है कि 'प्रशिक्षण एक ऐसा कृत्य है, जिसके जरिए कर्मचारियों में किसी विशिष्ट कार्य के प्रति ज्ञान का स्तर ऊपर उठता है।' शिक्षा तथा इससे जुड़े प्रत्येक विभागों जैसे – पर्यावरण, कम्प्यूटर, लघु उद्योग, कारखानों आदि – आदि क्षेत्रों में अभिभावकों को उनकी योग्यतानुसार एक टीम का निर्धारण करके उनके अनुभवों को सही कार्यक्षेत्र में प्रयोग किया जाए जिससे उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में रिस्कल इंडिया के तहत अभिभावकों बुजुर्गों के अनुभवों का लाभ उठा कर स्वयं व देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं।

'बुजुर्ग एक संसाधन है। उन्हें भी अवसर और सुविधाएं देने कि जरूरत है ताकि वे परिवार, समुदाय और समाज में कारगर ढंग से अपना योगदान करते रहे।'

'दुनिया युवा पीढ़ी कि ताजगी स्फूर्ति पर ही नहीं टिकी हुई है अपितु बुजुर्गों के अनुभव सम्पदा पर भी निर्भर है।'

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पत्रिका समाचार पत्र ग्वालियर, रविवार जनवरी 2016 पृष्ठ क्रमांक-6
2. तिवारी चंद्र प्रकाश, 2013 वृद्धावस्था / बुजुर्गों की त्रासदी (गोरखपुर एक्सप्रेस) दिसम्बर पृष्ठ क्रमांक- 11
3. शुक्ल सरोज कुमार, नवम्बर 2011, योजना, अकेलेपन का सन्नाटा, पृष्ठ क्रमांक - 60
4. डॉक्टर सिंह वृंदा, 2008, प्रथम संस्करण, वृद्धावस्था, जीवन की संस्था बेला, गीतांजलि प्रकाशन, जयपुर पृष्ठ क्रमांक 4 / 48

Implementation Of Poverty Alleviation Schemes By The Indian Government And Their Impact On Economic Development And Employment - An Analytical Study

Dr. Rajesh Jain *

Abstract - To alleviate poverty from the country government of India has launched many schemes within different manner. These schemes focus not only to economical development of poor people (BPL) but also generate employment in the society. In this research paper I have tried to find that implementation of poverty alleviation policies by the government in India always helpful to develop economic sector as well as increase in employment. The main object of my research to know the various policies launch by the government for removal poverty and their impact on economic development & on employment. To analyze the data I used statistical tools as percentage analysis, Rank analysis, Chi-square analysis, T-test. Mean value for Poverty alleviation policies reduce poverty ratio in India is 1.46. There is association between poverty alleviation policies across economic development & employment growth in India. There is association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India but no association across employment growth. In future, government should be require to launch more better schemes on zero balance rate to alleviate poverty from the society.

Key Words - Alleviation, BPL, implementation, removal, T-test.

Introduction - The poverty alleviation programmes in India can be categorized based on whether it is targeted for rural areas or urban areas. Most of the programmes are designed to target rural poverty as prevalence of poverty is high in rural areas. Also targeting poverty is challenging in rural areas due to various geographic and infrastructure limitations. The five year plans immediately after independence tried to focus on poverty alleviation through sectoral programmes. The first five-year plan focused on agricultural production as a way of addressing poverty while second and third plans focused on massive state led investments for employment generation in public sector. While these policies did some policy generation, they did not have enough strength to effect a sweeping effect.

Research Objectives -

1. To know the various policies launch by the government for removal poverty
2. To know the Economic Development of country beyond these policies
3. To find out the impact of poverty alleviation schemes over the employment

Research Methodology - The research is based on primary and secondary data collection methods and the research type is descriptive. A structured questionnaire will be designed to gather information for primary data and, for secondary data-internet, books and websites previous dissertations/research papers/marketing journals/magazines/text etc will be used. A five point multi item liker t scale (1- strongly agree and 5- strongly disagree.) will be used for the study the research will be conducted in different

states of India It will involve gathering of information from the people who belong from BPL (Below Poverty Line). Convenience sampling method will be used to get the responses from target population. Sample size of 1000 (working and non working) respondents in the age group 18 to 65 year will be taken for the survey. To do the research following statistical tools will be used: percentage analysis, Rank analysis, Chi-square analysis, T-test.

Hypothesis -

1. H1- HA: There is association between poverty alleviation policies across the economic development in India.
2. H2- HA: There is association between poverty alleviation policies across the employment growth in India.
3. H3- HA: There is no association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India.
4. H4- HA: There is no association between people's satisfaction (BPL) across employment growth in India.

Research Contribution - This research aims to provide a better understanding of the application of poverty alleviation schemes by the government and their impact on economic development and rising of employment in India. Understanding poverty alleviation schemes can assist government body of policies makers when they develop strategies and enable them to launch most suitable schemes that helpful to remove poverty from our country. Furthermore, a theoretical model of policies launch behavior in India developed in this study will help to provide a useful framework for future research regarding policies making

by the government for removing poverty and its impact on economic development as well as improvement in employment.

Review of Literature - According from A.K. Mehta & A. Shah, The anti-poverty programmes of the Government of India are designed for generation of self-employment, wage employment and provision of safety nets through, for example, food subsidy programmes. Several of these schemes have undergone reforms, rationalization and better targeting with a greater role to local government for implementation. **According from Lalita Kumari ,** The rapid economic growth process should accelerate the access to services like education and health services for all, especially the marginalized citizens. The government should also aware the rural population about the importance of small family and mortality rate. Poverty give birth too many other problems.

Analysis and Discussion - In the data analysis there is classification and Frequency of different demographic profile like as "Economic development and Employment growth statement. Chi-square test, T- test, as help to understand the relation between different demographic factors, various schemes regarding remove poverty and their impact on economy and employment.

Table 1 - (See in the next page)

(A) Chi-Square Test Implementation of poverty alleviation schemes Across The Demographical Factor

Hypothesis 1

HO :There is no association between poverty alleviation policies across economic development in India

HA :There is association between poverty alleviation policies across economic development in India.

Table 2 (See in the next page)

There is association between poverty alleviation policies across economic development in India.

Hypothesis 2

HO :There is association between poverty alleviation policies across the employment growth in India.

HA :There is no association between poverty alleviation policies across the employment growth in India.

Table 3 (See in the next page)

There is association between poverty alleviation policies across the employment growth in India.

(A) Ranking of factor for Implementation of poverty alleviation schemes

Table 4 (See in the last page)

Graph (See in the last page)

(B) T-Test For Analyzing people's satisfaction (BPL) across the economic development and Employment Growth in India.

Hypothesis 3

HO :There is association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India.

HA : There is no association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India.

Table 5 (See in the last page)

There is association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India.

Hypothesis 4

HO : There is association between people's satisfaction (BPL) across employment growth in India.

HA : There is no association between people's satisfaction (BPL) across employment growth in India.

Table 6 (See in the last page)

There is no association between people's satisfaction (BPL) across employment growth in India.

Results and Findings -

1. Out of 8 major schemes of poverty alleviation in India 5 are more popular between people's below poverty line.
2. 85% schemes are contributed as providing Long term and short term loan on low rate of interest.
3. In all major poverty removal policies in India, contribution of central government to applicable is 74% and of all states government are 26%.
4. According to the ranking of factor for Implementation of poverty alleviation schemes Economic Development 1st , 2nd for Increase in Employment, 3rd for Equal Applicability, 4th for Improve in Living Standard, 5th for Social Development & Safety, 6th for Decrease in Crime.
5. There is association between poverty alleviation policies across economic development in India.
6. There is association between poverty alleviation policies across the employment growth in India.
7. There is association between people's satisfaction (BPL) across the economic development in India.
8. There is no association between people's satisfaction (BPL) across employment growth in India.

Conclusion - It is evident from the study that all the policies of poverty alleviation launched by the government helpful to reduced percentage of poverty in India. These policies not only provide platform for economic development of people's Below Poverty Line but also increased employment proportion of the country. Majority of the people belong from below poverty line have updated their living standard due to taken benefits from various poverty alleviation schemes. Government also launch every policy same duration in whole the country. In future, government should be require to launch more better schemes on zero balance rate to alleviation poverty from the society.

References :-

1. Dandekar, Vinayak Mahadev, and Nilakanth3 Rath. Poverty in India, vol. 3, ser. 7, Books for Change, 2008, pp. 310–340. 7. Retrieved from <https://www.amazon.in/Poverty-India-K-R-Gupta/dp/8126909005>
2. Jalihal, K. A., and M. Shivamurthy. Pragmatic Rural Development for Poverty Alleviation: a Pioneering Paradigm, 2nd ed., vol. 3, Concept Publ., 2003, pp. 35–51. Retrieved from <https://books.google.co.in/books?isbn=818069030X>
3. Jha, Ugra Mohan Rural Development in India: Prob

- lems and Prospects, 4th ed., vol. 1, Anmol Publications, 1995, pp. 237–265. Retrieved from <https://books.google.co.in/books?id=OMrZAAAAMAAJ>
4. Jain, A. K. The Informal City: Inclusive Growth for Poverty Alleviation, 2nd ed., vol. 3, Readworthy Publications, 2011, pp. 67–82. Retrieved from <https://www.amazon.in/Informal-City-Inclusive-Poverty-Alleviation/dp/9350180162>
 5. K., Minija. Micro Finance and Poverty Alleviation, vol. 1, ser. 3, Lap Lambert Academic Publ, 2011, pp. 129–144. 3. Retrieved from <https://www.amazon.in/Micro-Finance-Poverty-Alleviation-Minija/dp/3846595047>
 6. Kumar, Anand, et al. Chronic Poverty in India: Issues, Policies and Challenges, 5th ed., vol. 3, Vitasta, Let Knowledge Spread, 2017, pp. 112–148. Retrieved from <https://www.amazon.in/Chronic-Poverty-India-Policies-Challenges/dp/9382711929>
 7. Lakshmi, P. S. Poverty Alleviation among Rural Women, 6th ed., vol. 4, Global Research Publications, 2013, pp. 227–260. Retrieved from <https://www.snapdeal.com/product/poverty-alleviation-among-rural-women/680610585950>

Table 1 - Mean value among different measures

Statement	SA	A	N	D	SD	M	St. D
Poverty alleviation schemes helpful to improve financial position of poor citizen [BPL]	64	20	5	-	-	1.08	0.86
Due to Poverty removal Policies rate of Employment rapidly increase	39	45	2	3	1	1.33	0.72
Poverty alleviation policies reduce poverty ratio in India	33	26	4	2	-	1.46	0.67
All Poverty removal schemes launched same time and same task in all over the India	42	38	6	3	2	1.78	0.45

SA(1)= Strongly agree, A (2) =Agree, N (3) = Neutral, D(4) Disagree, SD (5) Strongly disagree, St. D = Standard deviation

Table 2

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	12.44	2	0.0012
Likelihood Ratio	13.47	2	0.0009
Linear-by-Linear Association	15.02	1	0.0007
N of Valid Cases	87	-	-

Inference - The above HO : is Rejected (chi-square with 4 degree of freedom=12.44, p=.0012).

Table 3

Chi-Square Tests	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson ChiSquare	8.46	4	0.087
Likelihood Ratio	9.02	4	0.073
Linear-by-Linear Association	4.73	1	0.090
N of Valid Cases	89	-	-

Inference - The above HO : is accepted. (Chi Square with 4 degree of freedom=8.46, p= 0.087).

(A) Ranking of factor for Implementation of poverty alleviation schemes

Table 4

Serial No	1	2	3	4	5	6	7	8	WAS	Rank
Factor	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	Count	-	-
Equal Applicability	21	11	10	78	3	4	6	5.14	3	
Economic Development	32	7	14	21	9	6	7	12	6.25	1
Social Development & Safety	9	4	16	11	13	18	13	16	4.61	5
Increase in Employment	27	19	22	13	15	9	9	3	5.81	2
Improve in Living Standard	14	15	10	17	8	6	7	2	5.07	4
Decrease in Crime	8	10	9	10	4	5	9	2	3.28	6

Inference - The Table 4 gives the distribution of the respondent according to the ranking of factor for Implementation of poverty alleviation schemes Economic Development 1st , 2nd for Increase in Employment, 3rd for Equal Applicability, 4th for Improve in Living Standard, 5th for Social Development & Safety, 6th for Decrease in Crime.




Table 5

Levine's Test for Equality of Variance s	t-test for Equality of Means				
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)
Equal variances assumed	3.97	0.07	1.71	85	0.164

Inference - The above HO : is Accepted, ($p=.164 > .07$, $t= 1.71$).

Table 6

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	4.69	17	0.36	0.427	- 0.83
Within Groups	33.84	68	0.51	-	-
Total	40.02	81	-	-	-

Inference - The above HA : is Accepted ($p= - 0.83 p <.05$, $f=.427$).

G.S.T. - Its Impact On India Economy

Dr. Deepali Behere*

Introduction - Amidst economic crisis across the globe, India has posed a beacon of hope with ambitious growth targets, supported by a bunch of strategic undertakings such as the Make in India and Digital India campaigns. The Goods and Services Tax (GST) is another such undertaking that is expected to provide the much needed stimulant for economic growth in India by transforming the existing base of indirect taxation towards the free flow of goods and services. GST is also expected to eliminate the cascading effect of taxes. India is projected to play an important role in the world economy in the years to come. The expectation of GST being introduced is high not only within the country, but also within neighboring countries and developed economies of the world.

Objective of the study-

1. To study about the concept of GST
2. To study about the impact of GST in INDIAN Economy

GST - Overview - GST has replaced many Indirect Taxes in India. The Goods and Service Tax Act was passed in the Parliament on 29th March 2017. The Act came into effect on 1st July 2017. Goods & Services Tax Law in India is a **comprehensive**, multi-stage, destination-based tax that is levied on every value addition. In simple word Goods and Service Tax is an indirect tax levied on the supply of goods and services, GST Law has replaced many indirect tax laws that previously existed in India. Under the GST regime, the tax will be levied at every point of sale.

Definition of Goods and Service Tax – “GST is a comprehensive, multi-stage, destination-based tax that will be levied on every value addition.”

Multi-stage - There are multiple change-of-hands an item goes through along its supply chain: from manufacture to final sale to the consumer. Let us consider the following case -

Purchase of raw materials

- Production or manufacture
- Warehousing of finished goods
- Sale to wholesaler
- Sale of the product to the retailer

Goods and Services Tax will be levied on each of these stages, which makes it a multi-stage tax.

Value Addition (See in the last page)

The manufacturer who makes biscuits buys flour, sugar

and other material. The value of the inputs increases when the sugar and flour are mixed and baked into biscuits.

The manufacturer then sells the biscuits to the warehousing agent who packs large quantities of biscuits and labels it. That is another addition of value after which the warehouse sells it to the retailer.

The retailer packages the biscuits in smaller quantities and invests in the marketing of the biscuits thus increasing its value.

GST will be levied on these value additions i.e. the monetary worth added at each stage to achieve the final sale to the end customer.

Destination-Based - Consider goods manufactured in Maharashtra and are sold to the final consumer in Karnataka. Since Goods & Service Tax (GST) is levied at the point of consumption, in this case, Karnataka, the entire tax revenue will go to Karnataka and not Maharashtra. components of GST-

There are 3 taxes applicable under GST: CGST, SGST & IGST.

CGST - Collected by the Central Government on an intra-state sale (Eg: Within Maharashtra)

SGST - Collected by the State Government on an intra-state sale (Eg: Within Maharashtra)

IGST - Collected by the Central Government for inter-state sale (Eg: Maharashtra to Tamil Nadu)

In most cases, the tax structure under the new regime will be as follows - (**See in the last page**)

Let us assume that a dealer in Gujarat had sold the goods to a dealer in Punjab worth Rs. 50,000. The GST rate is 18% comprising of only IGST. In such case, the dealer has to charge Rs. 9,000 as IGST. This IGST revenue will go to the Central Government. The same dealer sells goods to a consumer in Gujarat worth Rs. 50,000. The GST rate on the good is 12%. This rate comprises of CGST at 6% and SGST at 6%. The dealer has to collect Rs. 6,000 as Goods and Service Tax. Rs. 3,000 will go to the Central Government and Rs. 3,000 will go to the Gujarat government as the sale is within the state.

Cascading Effect of Taxes - In the pre-GST regime, tax on tax was calculated and paid by every purchaser including the final consumer. This tax on tax is called Cascading Effect of Taxes.

GST avoids this cascading effect as the tax is calculated only on the value-add at each stage of transfer of ownership. GST will improve the collection of taxes as well as boost the development of Indian economy by removing the indirect tax barriers between states and integrating the country through a uniform tax rate.

Based on the example of biscuit manufacturer along with some numbers, let's see what happens to the cost of goods and the taxes in a pre GST and GST scenarios.

Tax calculations in Pre GST regime -

Action	Cost	10% Tax	Total
Manufacturer	1,000	100	1,100
Warehouse adds label and repacks @ 300	1,400	140	1,540
Retailer advertises @ 500	2,040	204	2,244
Total	1,800	444	2,244

Along the way, the tax liability was passed on at every stage of the transaction and the final liability comes to rest with the customer. This is called the **Cascading Effect of Taxes** where a tax is paid on tax and the value of the item keeps increasing every time this happens.

Tax calculations in GST regime - (See in the last page)

In the case of Goods and Services Tax, there is a way to claim credit for tax paid in acquiring input. What happens in this case is, the individual who has paid a tax already can claim credit for this tax when he submits his taxes.

In the end, every time an individual is able to claim input tax credit, the sale price is reduced and the cost price for the buyer is reduced because of a lower tax liability. The final value of the biscuits is therefore reduced from Rs. 2,244 to Rs. 1,980, thus reducing the tax burden on the final customer.

Impact of GST on the Indian Economy - GST the biggest tax reform in India founded on the notion of "one nation, one market, one tax" is finally here. The moment that the Indian government was waiting for a decade has finally arrived. The single biggest indirect tax regime has kicked into force, dismantling all the inter-state barriers with respect to trade. The GST rollout, with a single stroke, has converted India into a unified market of 1.3 billion citizens. Fundamentally, the \$2.4-trillion economy is attempting to transform itself by doing away with the internal tariff barriers and subsuming central, state and local taxes into a unified GST

- Removal of bundled indirect taxes such as VAT, CST, Service tax, CAD, SAD, and Excise. Reduces tax burden on producers and fosters growth through more production. The current taxation structure, pumped with myriad tax clauses, prevents manufacturers from producing to their optimum capacity and retards growth. GST will take care of this problem by providing tax credit to the manufacturers. Different tax barriers, such as check posts and toll plazas, lead to wastage of unpreserved items being transported. This penalty transforms into major costs due to higher needs of buffer stock and warehousing costs. A single taxation

system will eliminate this roadblock.

- There will be more transparency in the system as the customers will know exactly how much taxes they are being charged and on what base.
- GST will add to the government revenues by extending the tax base.
- GST will provide credit for the taxes paid by producers in the goods or services chain. This is expected to encourage producers to buy raw material from different registered dealers and is hoped to bring in more vendors and suppliers under the purview of taxation.
- GST will remove the custom duties applicable on exports. The nation's competitiveness in foreign markets will increase on account of lower costs of transact.
- Lower the burden on the common man i.e. public will have to shed less money to buy the same products that were costly earlier.
- Increased demand and consumption of goods.
- Increased demand will lead to increase supply. Hence, this will ultimately lead to rise in the production of goods.
- Control of black money circulation as the system normally followed by traders and shopkeepers will be put to a mandatory check.
- Boost to the Indian economy in the long run.
- These are possible only if the actual benefit of GST is passed on to the final consumer. There are other factors, such as the seller's profit margin, that determines the final price of goods. GST alone does not determine the final price of goods

GST: The Short-Term Impact - From the viewpoint of the consumer, they would now have pay more tax for most of the goods and services they consume. The majority of everyday consumables now draw the same or a slightly higher rate of tax. Furthermore, the GST implementation has a cost of compliance attached to it. It seems that this cost of compliance will be prohibitive and high for the small scale manufacturers and traders, who have also protested against the same. They may end up pricing their goods at higher rates.


Conclusion - Talking about the long-term benefits, it is expected that GST would not just mean a lower rate of taxes, but also minimum tax slabs. Countries where the Goods and Service Tax has helped in reforming the economy, apply only 2 or 3 rates – one being the mean rate, a lower rate for essential commodities, and a higher tax rate for the luxurious commodities. Currently, in India, we have 5 slabs, with as many as 3 rates – an integrated rate, a central rate, and a state rate. In addition to these, cess is also levied. The fear of losing out on revenue has kept the government from gambling on fewer or lower rates. This is very unlikely to see a shift anytime soon; though the government has said that rates may be revisited once the RNR (revenue neutral rate) is reached.

The impact of GST on macroeconomic indicators is


likely to be very positive in the medium-term. Inflation would be reduced as the cascading (tax on tax) effect of taxes would be eliminated. The revenue from the taxes for the government is very likely to increase with an extended tax net, and the fiscal deficit is expected to remain under the checks. Moreover, exports would grow, while FDI (Foreign Direct Investment) would also increase. The industry leaders believe that the country would climb several ladders in the ease of doing business with the implementation of the most important tax reform ever in the history of the country. The introduction of the Goods and Services Tax will be a very noteworthy step in the field of indirect tax reforms in India. By merging a large number of Central and State taxes into a single tax, GST is expected to significantly ease double taxation and make taxation overall easy for the industries. For the end customer, the most beneficial will be in terms of reduction in the overall tax burden on goods and services. Introduction of GST will also make Indian products competitive in the domestic and international markets. Last but not least, the GST, because of its transparent character, will be easier to administer. Once implemented, the proposed taxation system holds great promise in terms of sustaining growth for the Indian economy.

References :-

1. GST law guide- C.A.. Ishaan v patkar June 2017
2. GST Manual – taxmann 2017
3. GST Ready Reckoner -v. s. Datey 2017
4. GST Made easy-Haldia2017
5. GST Law Manual –R.K. JAIN2017
6. Child line India
7. PRS India Organization
8. BBA Organization
9. The Hindu
10. Press Information Bureau
11. International Labour Organization
12. The Guardian
13. <http://www.gstn.org/>
14. <http://www.gstindia.com/types-of-invoices-in-gst/>
15. <http://www.gstindia.com/various-tax-slabs-under-gst-worry-traders-cait/>
16. <http://www.gstindiaonline.com/>
17. <http://www.ey.com/in/en/services/ey-goods-and-services-tax-gst>
18. <http://economictimes.indiatimes.com/gst>
19. <https://cleartax.in/s/gst-law-goods-and-services-tax>
20. <http://www.gstindia.com/about/>
21. <http://indianexpress.com/article/what-is/gst-and-other-bills-approved-by-the-union-cabinet-all-you-need-to-know-4578453/>
22. <http://www.timesnow.tv/business-economy/article/what-is-gst-and-how-will-you-benefit-from-it/56785>
23. <http://www.financialexpress.com/economy/gst-what-is-goods-and-services-tax-guide-highlights-benefits-indirect-tax/336821/>
24. <https://www.relakhs.com/gst-goods-services-tax-in-india/>
25. <http://indianexpress.com/article/explained/gst-bill-parliament-what-is-goods-services-tax-economy-explained-2950335/>
26. <https://qz.com/943504/gst-answers-to-all-your-questions-about-indias-biggest-tax-reform/>
27. <https://www.reachaccountant.com/gst-software/>



Transaction	New Regime	Old Regime	
Sale within the State	CGST + SGST	VAT + Central Excise/Service tax	Revenue will be shared equally between the Centre and the State
Sale to another State	IGST	Central Sales Tax + Excise/Service Tax	There will only be one type of tax (central) in case of inter-state sales. The Center will then share the IGST revenue based on the destination of goods.



Tax calculations in GST regime

Action	Cost	10% Tax	Actual Liability	Total
Manufacturer	1,000	100	100	1,100
Warehouse adds label and repacks @ 300	1,300	130	30	1,430
Retailer advertises @ 500	1,800	180	50	1,980
Total	1,800		180	1,980

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व का तुलनात्मक अध्ययन

डॉ. एल. एन. शर्मा *

शोध सारांश - छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में कुल प्राप्तियों में वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 05 प्रतिशत की कमी हुई है। कुल प्राप्तियों में यदि राजस्व प्राप्तियों का अध्ययन किया जाए तो वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 11 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 11 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय रही है। इसी प्रकार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्तियों का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 21 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय रही है। परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 24 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि शुभ संकेत है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में कुल व्ययों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 06 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 05 प्रतिशत की कमी हुई है। यदि कुल व्ययों में राजस्व व्ययों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 09 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014 से 2015-16 में 16 प्रतिशत की कमी हुई है। इसी प्रकार पूंजीगत परिव्यय के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 07 प्रतिशत की कमी हुई है। जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 39 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है। इसी प्रकार राजस्व आधिक्य का अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 70 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। जो शुभ संकेत है।

शब्द कुंजी - राजस्व, लोकवित्त, राजस्वशास्त्र, कर अपवंचन, अनुदान, लोकऋण, पूंजीगत परिव्यय, राजस्व आधिक्य।

प्रस्तावना - प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मतानुसार राजस्व में आय, व्यय एवं सार्वजनिक ऋणों का अध्ययन किया जाता है। राजस्व अर्थशास्त्र का अग्रज है, प्रो. रिकार्डो ने अपनी पुस्तक में करों की सीमाओं एवं उसके अभाव का अध्ययन किया है, जबकि प्रो. जे.एस.मिल. ने अपनी रचना में राजस्व के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों का मत था कि सरकार का कर्तव्य देश में शान्ति स्थापित करना, न्याय की व्यवस्था करना, जनता के हित में कार्य करना एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना था परन्तु वर्तमान परिपेक्ष में सरकार का आर्थिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार नागरिक प्रशासन में राज्य की भूमिका प्रधान है, उसी प्रकार आर्थिक प्रशासन में भी राज्य की भूमिका प्रधान होना चाहिए। प्रो. डाल्टन का अभिमत है कि राजस्व अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र के मध्य एक सीमा रेखा की भाँति है। इसका संबंध सार्वजनिक संस्थाओं के आय एवं व्यय तथा एक दूसरे से समायोजन के साथ होता है। प्रो.सी.एफ.बैस्टेबल के मतानुसार राजस्व राज्य की लोक सत्ताओं के आय एवं व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा वित्तीय प्रशासन व नियंत्रण से संबंध रखता है। जबकि प्रो. फिण्डले शिराज के अनुसार राजस्व ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन है, जो कि लोक सत्ताओं के व्यय एवं कोषों की प्राप्ति से संबंधित है।

शोध का उद्देश्य - वर्तमान में विश्व के सभी राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर है। विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आना चाहता है और

विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र बनना चाहता है। भारत के अनेक राज्यों में भी विकास की गति तेजी से बढ़ी है, अनेकों क्षेत्रों में राज्य देश के नं. 01 बनना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य भी तेजी से विकास कर रहा है। म.प्र. राज्य से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य ने तेजी से विकास किया है। छत्तीसगढ़ के विकास में राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त शोधपत्र में छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्वों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है एवं राजस्व में स्रोत की कितनी भूमिका एवं योगदान है तथा राजस्व का कौन से स्रोत की भूमिका कम है और क्यों है। छत्तीसगढ़ में सरकार के राजस्व की वृद्धि कर क्या है? तथा राजस्व बढ़ाने के क्या सुझाव हो सकते हैं। ताकि प्रदेश का और तेजी से विकास हो सके तथा भारत का नंबर 01 राज्य बन सके आदि सभी का अध्ययन करना शोध का मुख्य उद्देश्य है।

शोध प्रविधि एवं क्षेत्र - प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व के द्वितीयक संमकों का अध्ययन किया है तथा तीन वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15, 2015-16 के बजट अनुमान राजस्व में कुल प्राप्तियों एवं कुल व्ययों का ही तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका क्रं. 01 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं 01 के अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार है -

1. छत्तीसगढ़ सरकार के बजट अनुमान में कुल प्राप्तियों में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई

- 15 में 00 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2014-15 से 2015-16 की तुलना में 64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 49 प्रतिशत वृद्धि दर में वृद्धि हुई।
4. कर भिन्न राजस्व में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 02 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 12 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि वर्ष 2014-15 से 2015-16 की तुलना में 40 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार कुल वृद्धि दर में वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2015-16 में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
5. केंद्र से सहायता अनुदान में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 96 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस प्रकार 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2014-15 से 2015-16 की तुलना में केवल 11 प्रतिशत की कमी हुई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 107 प्रतिशत वृद्धि दर में कमी आई है।
6. उधार एवं अग्रिम की वसूली में वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार कमी हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 81 प्रतिशत की कमी आई है। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 81.5 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि वर्ष 2014-15 से 2015-16 से तुलना में 25 प्रतिशत वृद्धि में कमी आई है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2015-16 में कुल 56 प्रतिशत वृद्धि दर में वृद्धि हुई है।
7. शुद्ध लोक ऋण में वर्ष 2012-13, 2013-14 से 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में वर्ष 2013-14 से 2014-15 में 03 प्रतिशत की वृद्धि दर में कमी आई तथा वर्ष 2014-15 से 2015-16 की तुलना में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2014-15 कर तुलना में 2014-15 से 2015-16 में कुल 03 प्रतिशत वृद्धि दर में वृद्धि हुई है।

तालिका क्रं- 3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व के कुल व्ययों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन (चित्र देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्रं. 3 के अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार है -

1. छत्तीसगढ़ सरकार के बजट अनुमान में कुल व्यय में 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है, परंतु वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 18 प्रतिशत की

वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में कुल व्यय में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2014-15 से 2015-16 की तुलना में 19 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। इस प्रकार कुल व्यय की वृद्धि दर में वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 15 प्रतिशत की कमी आई है।

2. कुल व्यय की अलग अलग मदों का अध्ययन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि कुल आयोजनेतर व्यय में 2012-13, 2013-14 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 0.50 प्रतिशत की कमी हुई। इस प्रकार 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 24.5 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि 2014-15 से 2015-16 की तुलना में वृद्धि दर 32 प्रतिशत हुई। इस प्रकार वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 31.5 प्रतिशत वृद्धि दर में वृद्धि हुई।
3. कुल आयोजना व्यय में 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2013-14 से 2014-15 की तुलना में कुल आयोजना व्यय में 43 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2014-15 से 2015-16 की तुलना में केवल 12 प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है। इस प्रकार कुल वर्ष 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 31 प्रतिशत वृद्धि में कमी आई है।

सुझाव -

1. छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि राजस्व की कुल प्राप्ति निरंतर बढ़ी है, परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में वृद्धि दर 05 प्रतिशत की कमी हुई है। अतः वृद्धि दर में भी लगातार वृद्धि हो ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए।
2. राजस्व प्राप्ति भी प्रतिवर्ष लगातार बढ़ी है, परन्तु 2012-13 से 2013-14 की तुलना में 2013-14 से 2014-15 में जो वृद्धि दर 11 प्रतिशत बढ़ी थी जो 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में पुनः 11 प्रतिशत की कमी आई है, जो चिंता का विषय है। अतः राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर भी बढ़ाना चाहिए इसके लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। कर अपवंचन को रोकना एवं राजस्व वसूली को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
3. राजस्व में पूंजीगत प्राप्ति में वर्ष 12-13 तथा 13-14 में लगातार वृद्धि हुई है, परन्तु 14-15 में इसमें 8 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय है, जबकि 15-16 में 24 प्रतिशत की वृद्धि शुभ संकेत है। वृद्धि दर को बनाए रखने की आवश्यकता है।
4. राजस्व में कुल व्यय में भी निरंतर वृद्धि हुई है, जो विकास का प्रतीक है। परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 05 प्रतिशत की कमी चिंता का विषय है। इसमें भी वृद्धि करना आवश्यक है।

5. राजस्व व्यय में भी प्रतिवर्ष वृद्धि हुई है, परन्तु 2013-14 से 2014-15 की तुलना में 2014-15 से 2015-16 में 16 प्रतिशत राजस्व व्यय में गिरावट आई है, जो शुभ संकेत है, राजस्व व्यय पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
6. पूंजीगत परिव्यय में 2012-13 एवं 2013-14 में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में 07 प्रतिशत की गिरावट आई है जो शुभ नहीं है, क्योंकि आधारभूत संरचना पर व्यय अति आवश्यक है। वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि शुभ संकेत है।
7. राजस्व आधिक्य 2012-13 की तुलना में 2013-14 में 18 प्रतिशत घटा है, जबकि 2014-15 में गतवर्ष की तुलना में केवल 02 प्रतिशत ही बढ़ा है, परन्तु 2015-16 में गतवर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत बढ़ना शुभ संकेत है। जिसमें लगातार वृद्धि हो ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए।
8. छत्तीसगढ़ सरकार को देश की अन्य प्रांतों की सरकारों के राजस्व प्राप्तियों के विभिन्न घटकों के अध्ययन हेतु एक विशेष दल का गठन करना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि कौन-कौन सी मदों में सरकार

- के राजस्व में वृद्धि हो सकती है। किस प्रकार की वृद्धि हो सकती है।
9. छत्तीसगढ़ सरकार को राजस्व में वृद्धि हेतु नये राजस्व की खोज करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. लोक वित्त के सिद्धांत एवं व्यवहार - डॉ. डी.एन.गुर्त।
2. अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एवं राजस्व - डॉ. वी.सी.सिन्हा।
3. लोक अर्थशास्त्र - डॉ. पी.डी.माहेश्वरी, डॉ. शीलचंद्र गुप्ता।
4. व्यावसायिक वित्त - डॉ. आर.एम.कुल श्रेष्ठ।
5. Tax System in India - M.M.Sury
6. Research Methodology - Deepak Chawla
7. Public Finance - Arjun Pangonnavar
8. नवीन शोध संसार (यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2320 - 8767
9. दिव्य शोध समीक्षा (अन्तर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ISSN 2394 - 3807
10. www.finance.cg.gov.in.

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व स्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन
तालिका क्रं. 01

(रु. करोड़ में)

क्रं.	मद	बजट अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	वृद्धि (प्रतिशत में)		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
1	कुल प्राप्तियाँ	37173	43977	54660	64935	18	24	19
2	राजस्व प्राप्तियाँ	31379	37445	48654	57957	19	30	19
3	पूंजीगत प्राप्तियाँ	5794	6532	6006	6979	13	-08	16
4	कुल व्यय	37573	44169	54710	65013	18	24	19
5	राजस्व व्यय	28419	35016	46191	53730	23	32	16
6	पूंजीगत परिव्यय	9154	9153	8519	11283	00	-07	32
7	राजस्व आधिक्य	2969	2429	2463	4227	-18	02	72

स्रोत - बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16.




छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में कुल प्राप्तियों का तुलनात्मक अध्ययन
तालिका क्रं. 02

(रु. करोड़ में)

क्रं.	कुल प्राप्तियों के शीर्षक	बजट अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	वृद्धि (प्रतिशत में)		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
1	कुल प्राप्तियाँ	37172	43976	54660	64935	18	24	19
2	राज्य कर	12175	15300	17926	20086	26	17	12
3	केंद्रीय करो में हिस्सा	7495	8593	9881	16213	15	15	64
4	कर विभिन्न राजस्व	5345	6072	6185	8663	14	02	40
5	केंद्र से सहायता अनुदान	6363	7479	14662	12994	18	96	-11
6	उधार एवं अग्रिम की वसूली	1572	1579	295	221	0.5	-81	-25
7	शुद्ध लोक ऋण	3722	4453	5211	6258	20	17	20
8	लोक लेखों से शुद्ध प्राप्तियाँ	500	500	500	500	00	00	00

स्रोत : बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

छत्तीसगढ़ सरकार की कुल प्राप्तियों का वृत्त चित्र द्वारा प्रदर्शन



छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व में कुल व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन


तालिका क्रं- 3

(रु. करोड़ में)

क्रं.	व्यय के शीर्षक	बजट अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14	बजट अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	वृद्धि (प्रतिशत में)		
						2012-13 से 2013-14	2013-14 से 2014-15	2014-15 से 2015-16
1	कुल व्यय	37573	44169	54710	65013	18	24	19
2	कुल आयोजनेत्तर व्यय	15642	19470	19388	25514	25	-.50	32
3	कुल आयोजना व्यय	21931	24699	35322	39499	13	43	12

स्रोत - बजट प्रस्ताव 2012-13, 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16

छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व के कुल व्ययों का रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन



मध्यप्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अपवंचन की स्थिति

अमित वधवा *

प्रस्तावना - कर अपवंचन से आशय कर की चोरी करना, कर दायित्व को छिपाना अर्थात् कर का परिहार करना है। जब किसी कर को उच्च कोटि की कुशलता के साथ लागू नहीं किया जा सकता है, तब लोग कानूनी अथवा गैरकानूनी तरीकों से कर का अपवंचन कर लेते हैं। यदि किसी कर में अपवंचन की स्थिति निर्मित होती है, तो स्पष्ट रूप से ऐसा कर समानता एवं न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होता है। मूल्य संवर्द्धित कर को सामान्यतया ईमानदारी पर लगाया गया कर माना जाता है। इस कर के अन्तर्गत व्यापारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने वास्तविक विक्रय को ईमानदारी से घोषित करें। परन्तु व्यवहार में यह सम्भव नहीं हो पाता है और कुछ बेईमान व्यापारी अपने द्वारा किए गए कुल विक्रय में से एक निश्चित भाग को छिपा कर, कर अपवंचन कर लेते हैं। स्पष्ट है यदि किसी कर को अत्यन्त प्रभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जाता है, तो उस कर में समता के सिद्धान्त की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। देश में करारोपण प्रणाली का निर्माण तथा उसका क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जनता का कोई भी वर्ग यह अनुभव न करे कि उसके साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और यह कि उसके देय भाग से अधिक कर भार वहन करने की मांग की जा रही है, जबकि कुछ अन्य लोगों पर तुलनात्मक रूप से कम कर भार डाला गया है। इसके साथ ही करदाताओं में यह विश्वास भी होना चाहिए कि करों के रूप में उन्होंने जो धन सरकार को दिया है, वह सरकार द्वारा बुद्धिमता के साथ व्यवहारा जावेगा और प्रशासनिक अकुशलता अक्षमता अथवा भ्रष्टाचार के कारण वह बर्बाद नहीं किया जावेगा।

संक्षेप में एक अच्छी कर प्रणाली की कसौटी यह है कि उसमें इतनी सामर्थ्य हो कि वह सरकार के राजकोषीय आधार में ऐसा विश्वास उत्पन्न कर सके जो जनता के नैतिक स्तर को बनाए रखे तथा उत्पादकीय प्रयत्नों व आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहन दे। यदि किसी कर को उच्च कोटि की कुशलता के साथ लागू नहीं किया जा सकता है और स्थिति यह है कि लोग कानूनी अथवा गैर कानूनी तरीकों से कर छिपा लेते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कर समता एवं न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के अनुरूप है। मध्यप्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर लागू करते समय सरकार द्वारा व्यापारियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे स्वेच्छा एवं ईमानदारी से कर का भुगतान करेंगे और इसी दृष्टि से मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के प्रावधानों का निर्माण भी किया गया था। किन्तु ऐसी दशा में यह भी आशंका थी कि शत प्रतिशत व्यापारियों द्वारा सरकार की भावनाओं के अनुरूप करों का भुगतान नहीं किया जाएगा, यह सम्भव था कि कुछ व्यापारी स्वयं के द्वारा की गई बिक्री को छिपाकर अथवा बिना बिल के माल का क्रय विक्रय कर स्वयं को कर दायित्व से बचा लेंगे।

स्पष्ट है कि यदि इस कर को अत्यन्त प्रभावपूर्ण तरीके से लागू नहीं किया जाता है तो करों में समता एवं न्याय के सिद्धान्त की बातें केवल पुस्तकों की बाते ही रह जाएगी।

विक्रय पर करारोपण के सन्दर्भ में एक मुख्य दोष यह होता है कि व्यापारी द्वारा कटौती के लिए किए गए दावों की उचित जांच नहीं की जा सकती। व्यापारी द्वारा किए गए कुल विक्रय की ठीक-ठीक जांच पड़ताल न हो सकने के कारण इनके लिए कर छिपाना सरल हो जाता है। मूल्य संवर्द्धित कर की मुख्य सीमा यह है कि इसके अन्तर्गत व्यापारी द्वारा किये गये उस विक्रय पर कर चुकाया जाता है। जिसका उसने लेखा पुस्तकों में लेखा किया है। ऐसे विक्रय जो व्यापारी द्वारा ऊपर ही ऊपर किए गए हो, पर देय कर का अपवंचन सरलता से किया जा सकता है। यद्यपि यह सत्य है कि कर अपवंचन सामान्यतया दुनिया के सभी देशों में होता है। परन्तु यहां पर यह बताना अत्यन्त कठिन है कि किस किस देश में कितना कर अपवंचन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन, आदि प्रगतिशील देश राजस्व संग्रह की अपनी प्रशासन व्यवस्था में निरन्तर सुधार कर रहे हैं और फलस्वरूप वहाँ पर कर अपवंचन की मात्रा में कमी भी आई है।

स्पष्ट है कि कर अपवंचन कोई नई एवं विशिष्ट बात नहीं है। दुनिया के तमाम देशों में जनता में कर अपवंचन की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि भिन्न-भिन्न देशों में कर अपवंचन के कारण भी भिन्न-भिन्न होते हैं।

कर अपवंचन के प्रमुख तरीके - जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि मूल्य संवर्द्धित कर सामान्यतया ईमानदारी पर लगाया गया कर है। यदि कोई करदाता बेईमानी से अपने द्वारा किए गए विक्रय को कम दर्शाता है तो वह आसानी से कर अपवंचन कर सकता है। विक्रय कर के संदर्भ में कर अपवंचन हेतु बेईमान करदाताओं द्वारा सामान्यतया निम्नांकित तरीकों में से किसी एक अथवा सभी तरीकों को प्रयोग में लाया जाता है -

- (अ) कुल विक्रय को वास्तविक से कम दिखाना।
- (ब) समायोजित कुल विक्रय का विवरण कम करके प्रस्तुत करना।
- (स) बिना बिल के माल का विक्रय करना।
- (द) कर मुक्त माल के विक्रय की घोषणा कर, करयोग्य माल का विक्रय करना तथा
- (इ) किसी निश्चित प्रयोजन हेतु क्रय किए गए माल का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग करना।

सामान्यतया कर अपवंचन की प्रवृत्ति संसार के सभी देशों में पाई जाती है किन्तु यह बताना कठिन है कि किस-किस देश में कितनी-कितनी मात्रा में कर अपवंचन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे विकसित देश आज भी राजस्व के संग्रह की प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतर

सुधार कर रहे हैं। उनका लक्ष्य कर प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ ही कर अपवंचन की मात्रा को कम कर राजस्व में वृद्धि करना है। इसका आशय यह है कि इन देशों में भी अर्थव्यवस्था में कर अपवंचन की स्थिति मौजूद है। किन्तु जॉन ड्यू के अनुसार- **'संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा कनाडा में कर अपवंचन इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता है कि कर की आधारभूत क्षमता ही समाप्त हो जाए।'**

दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत जैसे विकासशील देश में कर अपवंचन अधिक मात्रा में होता है। इसके मुख्य कारण निम्नानुसार है -

- (अ) कर प्रशासन की अकुशलता एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार।
- (ब) देश में अत्यन्त निम्न कोटि की व्यावसायिक नैतिकता।
- (स) राजस्व संग्रह के संदर्भ में सरकार की रूचि का अभाव।
- (द) जनता में अशिक्षा एवं राष्ट्रवादिता की कमी।

संसार के अन्य देशों में कर अपवंचन की स्थिति चाहे जैसी हो किन्तु इस बात के विश्वास करने के पर्याप्त कारण विद्यमान हैं कि भारत में विक्रय कर का बड़े पैमाने पर अपवंचन होता है। काले धन और कर चोरी की समस्या से केवल भारत ही परेशान नहीं है बल्कि पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है।

शोध अध्ययन के दौरान कर अपवंचन के जो कारण ज्ञात हुए उनका संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है -

लघु उद्यमियों द्वारा हिसाब किताब न रखा जाना - व्यापारियों द्वारा अपने कारोबार का उपयुक्त हिसाब -किताब न रखकर, सरलता से कर अपवंचन किया जा सकता है। देश में प्रचलित कर कानूनों में व्यापारियों द्वारा उचित लेखा पुस्तकें रखे जाने के कई प्रावधान बताए गए हैं किन्तु कुछ बेईमान व्यापारियों द्वारा इन कर कानूनों का पालन नहीं किया जाता है और फिर वे मनमाने तरीके से अपने व्यापार का ब्यौरा प्रस्तुत कर उस पर कर चुकाते हैं और इस प्रकार कर अपवंचन कर लेते हैं।

शोध अध्ययन के दौरान व्यापारियों एवं उद्यमियों से व्यक्तिगत सम्पर्क करने पर यह ज्ञात हुआ कि छोटे - छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों तथा उद्यमियों के द्वारा कई कारणों से अपने व्यापार व्यवसाय का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है, जिनमें मुख्य कारण है -

- (अ) प्रायः उन्हें लेखांकन सम्बन्धी व्यवस्थित ज्ञान नहीं होता है।
- (ब) भारत में लघु उद्यमियों एवं व्यवसायियों के लिए लेखे रखना कानूनन अनिवार्य नहीं होता है।
- (स) यदि इन लघु उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसाय के लेखे रखने हेतु लेखापाल की सेवाएँ ली जाती हैं, तो यह कार्य खर्चीला हो जाता है।
- (द) उचित लेखांकन के अभाव में वे अपने व्यापार का उचित कर निर्धारण नहीं कर पाते हैं और न ही कर विवरणी दाखिल करते हैं। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से वे कर अपवंचन कर लेते हैं।

विभागीय भ्रष्टाचार - कर अपवंचन का एक महत्वपूर्ण कारण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार भी है। अधिकारियों, कर्मचारियों एवं करदाताओं की मिलीभगत से व्यापारी अपने द्वारा किए गए कुल विक्रय को वास्तविक विक्रय से कम दर्शाकर अथवा कर योग्य विक्रय को पूरी तरह से छिपाकर कर चोरी कर लेते हैं। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखी जाती है किन्तु आधुनिक युग में भ्रष्टाचार के तौर तरीकों में भारी परिवर्तन आया है, जिन तक विभाग का पहुंचना ही मुश्किल है। शोध अध्ययन के दौरान यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि सर्वेक्षित 300 करदाताओं में से 40 प्रतिशत करदाता यह

अनुभव करते हैं कि विभाग में गत वर्षों की तुलना में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है। कुल सर्वेक्षित करदाताओं में से 47 प्रतिशत करदाताओं ने विभाग के कर्मचारियों को सीधे रिश्वत दी है, जबकि 28 प्रतिशत करदाता ऐसे थे जिन्होंने कर सलाहकारों के माध्यम से रिश्वत का भुगतान किया है।

जान बूझ कर पंजीयन न कराना - कुछ बेईमान व्यापारी उनके द्वारा गतवर्ष में किया गया कुल विक्रय कर योग्य सीमा से अधिक होते हुए भी वे मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीयन नहीं करते हैं। और नहीं उनके द्वारा किए गए विक्रय का ठीक ठीक लेखा ही रखते हैं। मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत केवल पंजीयत व्यापारी ही कर चुकाने हेतु उत्तरदायी होते हैं, ऐसी दशा में अपंजीयत व्यापारी कर अपवंचन कर कर दायित्व से मुक्त हो जाते हैं। मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत वस्तु विक्रय के प्रत्येक चरण पर वस्तु के मूल्य में की गई वृद्धि पर कर देय होता है किन्तु यह तब ही सम्भव हो पाता है, जबकि प्रथम व्यापारी ने बीजक के माध्यम से ही विक्रय किया है। यदि प्रथम व्यापारी द्वारा अपना पंजीयन ही नहीं कराया गया है तो बिल काटने व अगले क्रेता द्वारा आदानों पर कर जमा की कटौती प्राप्त करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। इस प्रकार पंजीयन न कराने का स्पष्ट प्रभाव यह होता है कि प्रथम व्यापारी द्वारा बिना बिल के बेचे गए माल पर सरकार को कभी कर प्राप्त ही नहीं होता है और कर अपवंचन की राशि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है।

विक्रय की राशि वास्तविक से कम दर्शाना - कर अपवंचन करने वाले व्यापारी उनके द्वारा किए गए विक्रय को बेईमानी से कम करके दर्शाते हैं। वे कुछ विक्रय को लेखा, लेखा पुस्तकों में करते ही नहीं है, जबकि कुछ विक्रय की राशि को वास्तविक से कम मूल्य पर दर्शा कर कर-अपवंचन कर लेते हैं। इस प्रकार बेईमान व्यापारी द्वारा विक्रय राशि व विक्रय मात्रा दोनों को कम दिखाकर सरलता से कर अपवंचन किया जा सकता है। कर अपवंचन का यह क्रम वस्तु के अन्तिम उपभोक्ता के हाथों में पहुंचने तक अनवरत रूप से चालू रहता है।

कर मुक्त माल के व्यापारी के द्वारा करयोग्य माल का विक्रय करके - व्यापारी द्वारा विक्रय कर विभाग के समक्ष यह घोषणा की जाती है कि वह केवल कर मुक्त माल विक्रय करेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात वह घोषणा के विरुद्ध कर योग्य माल का विक्रय भी करने लगता है। कर मुक्त माल का विक्रेता होने के कारण चूंकि उसकी विक्रय विवरणी विभाग को प्रस्तुत नहीं की जाती है अतः वह उसके द्वारा किए गए कर योग्य विक्रय पर देय कर का अपवंचन कर लेता है।

विक्रय का बिल जारी नहीं किया जाना - म.प्र. मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार यदि किसी व्यापारी का चालू वित्त वर्ष में विक्रय न्यूनतम, करयोग्य राशि से अधिक हो जाता हो जाता है, तो उसे अगले प्रत्येक वर्ष में, उसके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक विक्रय का बिल काटना अनिवार्य हो जाता है। कुछ बेईमान व्यापारी अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों यथा हिसाब-किताब रखना कर विवरणी प्रस्तुत करना, कर निर्धारण, कर जमा तथा आदानों पर कर जमा प्राप्त करना आदि के झंझटों से बचने के लिए कर योग्य विक्रय होने पर भी बिल जारी नहीं करते हैं और इस प्रकार कर अपवंचन करते हैं, जिससे राजस्व की हानि होती है।

रियायती दर पर क्रय की गई अथवा करमुक्त कच्ची सामग्री का निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त, अन्यथा उपयोग करना - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा किसी निश्चित प्रयोजन अर्थात् उत्पादन में प्रयुक्त की जाने वाली कच्ची सामग्री के क्रय करने पर कम दर से

कर चुकाना होता है। व्यापारी बेईमानी से इस प्रकार क्रय की गई सामग्री का सीधा विक्रय कर देते हैं। इस प्रकार प्रथम विक्रय के समय सरकार को कम राजस्व प्राप्त होता है। साथ ही अगले प्रत्येक विक्रय पर वस्तु का मूल्य कम बना रहने से सरकार को पुनः राजस्व की हानि होती है। विभाग द्वारा सतत् निगरानी करके ही इस प्रकार के विक्रय पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

कर अपवंचन पर नियन्त्रण - प्रदेश में सरकार द्वारा कर अपवंचन पर नियन्त्रण करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रय कर अधिनियम वाणिज्यिक कर अधिनियम तथा मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम में कर अपवंचन करने वाले व्यापारियों पर अर्धदण्ड एवं सजा के प्रावधान किये गए हैं। अधिनियम में अर्धदण्ड एवं सजा के प्रावधानों के अतिरिक्त, एन्टी इवेजन ब्यूरो, अंकेक्षण एवं जांच इत्यादि से सम्बन्धित प्रावधान कर अपवंचन पर रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। म.प्र. मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर अपवंचन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने लिए निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं -

दण्डात्मक प्रावधान - म.प्र. मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर अपवंचन पर नियन्त्रण करने सम्बन्धी अर्धदण्ड एवं सजा के प्रावधान निम्नानुसार हैं -

(i) जान बूझकर पंजीयन न कराने पर - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2002 की धारा 27(6) के अनुसार यदि कोई व्यापारी जान-बूझकर मूल्यवर्द्धित कर चुकाने हेतु उत्तरदायी होते हुए भी, अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पंजीयन नहीं कराता है तो उस पर देयकर के अलावा अर्धदण्ड भी लगाया जा सकता है। अर्धदण्ड की यह राशि देयकर की राशि के डेढ़ गुना तक हो सकती है।

(ii) विक्रय की राशि कम दिखाने पर - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यापारी ने अपने विवरण पत्रों में क्रय या विक्रय की राशि कम दिखाई हो तथा उसका कर निर्धारण कर दिया गया हो परन्तु बाद में पता चले कि उसने क्रय या विक्रय की राशि विवरण पत्र में कम दिखाई थी तो आयुक्त कर निर्धारण के आदेश की तिथि से पाँच केलेण्डर वर्ष के भीतर पुनः कर निर्धारण कर सकता है। आयुक्त चाहे तो पुनः कर निर्धारण पर देय अतिरिक्त कर की रकम के बराबर तक अर्धदण्ड भी लगा सकता है।

(iii) कर-मुक्त माल का व्यापार करने वाले व्यापारी द्वारा कर-योग्य माल का विक्रय करने पर - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यापारी यह घोषणा करता है कि वह केवल कर-मुक्त माल का विक्रय करेगा, लेकिन वह इस घोषणा की अवधि में आयुक्त को सूचित किये बिना कर-योग्य माल का विक्रय करने लगता है, तो उस पर देय कर का तीन गुना अर्धदण्ड आरोपित किया जा सकता है।

(iv) बिल जारी नहीं करने पर - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यापारी का किसी वर्ष में विक्रय 15000 रु. से अधिक होने पर उसके द्वारा किए जाने वाले अगले प्रत्येक विक्रय का बिल जारी करना होगा। बिल जारी न करने पर प्रत्येक चूक के लिए 100 रु. अर्धदण्ड लगाया जा सकता है। किन्तु किसी वर्ष के लिए अर्धदण्ड की अधिकतम राशि केवल 5000 रु. तक हो सकती है।

(v) कम दर पर क्रय की गयी कच्ची सामग्री का निर्धारित उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोग करना - यदि किसी व्यवसायी द्वारा कम दर पर क्रय की गई कच्ची सामग्री का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु करता है, तो म.प्र. मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत उसे अर्धदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। अधिनियम में प्रदत्त

प्रावधान के अनुसार ऐसा व्यापारी अनुसूची 2 के कॉलम 3 में उल्लिखित पूरी दर से ऐसी कच्ची सामग्री के विक्रय पर देय कर की रकम और 9(2) के अन्तर्गत देय कर की रकम के अन्तर के बराबर राशि न्यूनतम जुमाने के रूप में देने का भागी होगा। किन्तु अर्धदण्ड की राशि ऐसे उपयोग से सम्बन्धित परिस्थितियों पर ध्यान रखते हुए आयुक्त द्वारा निर्धारित पूरी दर पर कर की रकम के सवा गुना से अधिक न होगी।

(vi) क्रय किए गए कर-मुक्त माल का निर्धारित समय में उपयोग न होना - मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम ऐसी दशा में व्यापारी उस माल के क्रय-मूल्य पर अनुसूची दो के कॉलम तीन में उल्लिखित पूर्ण दर से कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा तथा देयकर की रकम के 25% के बराबर शास्ति (अर्धदण्ड) चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।

इन्फोर्समेंट विंग का गठन - कर अपवंचन पर नियन्त्रण करने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इन्फोर्समेंट विंग का गठन किया गया है। विंग द्वारा प्रदेश में बेइमान व्यापारियों एवं करदाताओं पर शिकंजा कसने की दृष्टि से वर्ष पर्यन्त सर्वे एवं छापे की कार्यवाही की जाती है। विगत वर्षों में इन्फोर्समेंट विंग की सक्रियता एवं उसके निष्पादन का अध्ययन निम्नांकित तालिका के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से किया जा सकता है-

तालिका (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में कुछ बेईमान व्यापारियों के द्वारा बड़ी मात्रा में कर अपवंचन किया गया है। तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि इन्फोर्समेंट विंग की कार्य कुशलता प्रतिवर्ष एक जैसी नहीं रही है। वर्ष 2002.03 में विंग द्वारा 40.38 करोड़ रु. कर अपवंचन का पता लगाया गया जबकि अगले ही वर्ष विंग की निष्पादन क्षमता में एकदम गिरावट आ गई और केवल 1.09 करोड़ रु. कर अपवंचन पता लगाया जा सका।

उपर्युक्त तालिका में दर्शाए गए समकों से एक और विशेष निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि किसी वर्ष सर्वे एवं जांच के प्रकरण तो अधिक थे किन्तु कर अपवंचन की राशि कम थी अर्थात् सरकार को कम राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जबकि कुछ वर्षों में सर्वे एवं छापे के प्रकरणों की संख्या कम होते हुए भी व्यापारियों से कर अपवंचन की अधिक राशि जमा करवाई गई थी। वर्ष 2001.02 को ही ले सर्वेक्षित व्यापारियों की संख्या 238 थी और उनसे मात्र 14.73 करोड़ रु. कर अपवंचन के रूप में सरकार को प्राप्त हुए थे जबकि अगले ही वर्ष 2002.03 में इन्फोर्समेंट विंग द्वारा कुल 108 छापे मारे गए और कर अपवंचन के बदले 40.38 करोड़ रुपये वसूल किए गए। इस प्रकार वर्ष 2002.03 छापों की संख्या में 54.62 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, जबकि गत वर्ष की तुलना में कर अपवंचन के बदले प्राप्त राजस्व में 174.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्पष्ट है कर अपवंचन प्रकरणों की संख्या एवं कर अपवंचन की राशि के मध्य किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा है।

भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कार्यवाही - सरकार द्वारा कर प्रशासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए न केवल व्यापारियों पर कार्यवाही की जा रही है, अपितु भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी सरकार अंकुश लगा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सरकारी खरीद पर कर कटौती नहीं करने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। नवम्बर 2012 में विभाग के 80 अधिकारियों के विरुद्ध मूल्य संवर्द्धित कर अपवंचन के मामले में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। भविष्य में कर चोरी की यह राशि जुमाने सहित इन अधिकारियों के वेतन से

काटकर कोषालय में जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है।³

मूल्य संवर्द्धित कर आडिट रिपोर्ट अनिवार्य - वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन को रोकने के लिए 10 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए मूल्य संवर्द्धित कर आडिट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। कर अपवंचन की संभावना वाली वस्तुओं के लिए आडिट हेतु आवश्यक न्यूनतम टर्नओवर सीमा 60 लाख रुपये रखी गई है। मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2006 के लागू होने के पश्चात् से ही विभाग द्वारा आडिट करवाने पर जोर दिया जा रहा था किन्तु व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के विरोध के कारण सरकार द्वारा आडिट कराने के निर्णय को टाला जा रहा था। **कर अपवंचन पर नियंत्रण पाने हेतु सरकार द्वारा चालू वित्तिय वर्ष 2012.13 से आडिट अनिवार्य कर दिया गया है।⁴**

उच्च तकनीकी युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना - प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर अपवंचन को रोकने हेतु वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इन्दौर में उच्च तकनीकी युक्त नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जा रही है। विभाग द्वारा अपने 1000 से अधिक उच्च अधिकारियों को विशेष नम्बर वाली सिम आवंटित की जा रही है। इन नम्बरों की यह विशेषता होगी कि प्रदेश के प्रत्येक सक्रल व पोस्ट के लिए एक विशिष्ट संख्यांक आवंटित किया जावेगा जिससे कि कर अपवंचन के मामले को तुरंत पकड़ा जा सकेगा तथा विभाग के विभिन्न पदाधिकारियों के मध्य शीघ्रता से सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकेगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इन विशिष्ट नम्बरों वाली सिमो का मुख्य लाभ यह होगा कि कर अपवंचन की सूचना देने, सम्बन्धित सक्रल आफिस के प्रभारी अधिकारियों से बात करने, तथा विभाग के उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचाने के लिए अब उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारियों के नम्बर नहीं ढूँढना पड़ेगे। **साथ ही हाइटेक कन्द्रील रूम के माध्यम से विभाग के अधिकारी कम्प्यूटर पर एक क्लिक के माध्यम से प्रदेश की किसी भी जांच चौकी पर शिकंजा कस सकेंगे।⁵**

कर अपवंचन का पता लगाना व उसका निवारण - मध्यप्रदेश मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2002 की धारा 55 के अन्तर्गत राज्य सरकार को कर अपवंचन का पता लगाने एवं उसके निवारण एवं नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्य सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्यों की संख्या एवं योग्यता का निर्धारण करने हेतु राज्य सरकार सर्वाधिकार सम्पन्न है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर अपवंचन पर नियंत्रण करने हेतु समिति को प्रदत्त शक्तियाँ निम्नानुसार है -

- समिति को यह ज्ञात होने पर कि कोई व्यवसायी मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर चुकाने हेतु दायी होते हुए भी वह कर का भुगतान नहीं कर रहा है अथवा अन्यथा किसी तरीके से कर अपवंचन करने में लगा हुआ है, तो वह ऐसे व्यापारी के सम्बन्ध में विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आयुक्त को अन्वेषण हेतु प्रेषित कर सकती है।
- समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आयुक्त स्वयं अथवा अपने किसी निर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से कर अपवंचन करने वाले व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकता है।
- आयुक्त अथवा निर्दिष्ट अधिकारी, व्यापारी से यह अपेक्षा करेगा कि

वह अपने कारोबार से सुसंगत कोई लेखे रजिस्ट्रार अथवा दस्तावेज अन्वेषण हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत करे।

- आयुक्त अथवा निर्दिष्ट अधिकारी ऐसे व्यापारी के कारोबार स्थल का निरीक्षण करेगा।
 - आयुक्त अथवा निर्दिष्ट अधिकारी को व्यापारी के उपर्युक्त दस्तावेजों अथवा व्यापार स्थल का निरीक्षण करने पर, यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यापारी ने किसी वर्ष के लिए देयकर के भुगतान का अपवंचन किया है, तो वह लिखित में कारणों को स्पष्ट करते हुए व्यापारी के कारोबार से सम्बन्धित लेखा पुस्तकों, रजिस्ट्रो तथा अन्य दस्तावेजों को जिन्हें वह आवश्यक समझे, जप्त कर सकता है।
 - व्यापारी द्वारा प्रस्तुत की गई लेखा पुस्तकों रजिस्ट्रों, दस्तावेजों की संवीक्षा के अनुक्रम में या ऐसे व्यापारी के कारोबार के स्थान का निरीक्षण करने के अनुक्रम में आयुक्त के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि व्यापारी ने करयोग्य माल का विक्रय बिना कर के भुगतान के कर दिया है या व्यापारी ने कर अपवंचन के आशय से माल का उचित लेखा जोखा नहीं किया है, तो आयुक्त ऐसे समस्त माल को अभिग्रहित कर करेगा।
 - माल के अभिग्रहण के पश्चात्, आयुक्त द्वारा यथा सम्भव शीघ्र व्यापारी को एक सूचना पत्र जारी किया जावेगा कि कर अपवंचन के मामले में क्यों न उस पर नियमानुसार दण्ड आरोपित किया जावे।
 - व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आयुक्त को यह विश्वास हो जावे कि व्यापारी द्वारा जानबूझकर कर अपवंचन का अपराध किया गया है, तो वह अपवंचन किए गए कर की रकम के तीन गुने से अन्युन किन्तु अधिकतम पांच गुने तक की राशि आरोपित करने का आदेश पारित कर देगा।
- इस प्रकार प्रस्तुत अध्याय के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि करारोपण प्रणाली चाहे जैसी हो, उसमें कम या अधिक मात्रा में कर अपवंचन की स्थिति अवश्य निर्मित होती है और ऐसी स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा भिन्न भिन्न मोर्चे पर कार्य करना होते है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचालित वाणिज्यिक कर की तुलना में मूल्यसंवर्द्धित कर में कर अपवंचन कम मात्रा में होता है। यदि विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जावे तो इस पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- राज्य वित्त का अर्थशास्त्र लेखक फिलिप इ.टेलर अनुवादक निर्मला गुप्ता प्रकाशक यूरोशिया पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1965 पृष्ठ क्र. 408
- Departmental Statistics Published by Commercial Tax Department Govt of M.P.2007-2008 and 2010-11
- कर समाचार - इन्दौर 25 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012 पृष्ठ 2
- पूर्वोक्त संदर्भ क्र. 3 के अनुसार।
- कर समाचार - इन्दौर 17 मई से 2 जून 2012 अंक 43 पृष्ठ क्र. 8

तालिका
इन्फोसमिटिंग विगं द्वारा कर चोरी पर नियन्त्रण 2

क्र.	वर्ष	सर्वेक्षित करदाताओं की संख्या	माल बरामदगी प्रकरणों की संख्या	विस्तृत जांच प्रकरणों की संख्या	कर अपवंचन की राशि (करोड़ में)
	1	2	3	4	5
1	2001-2002	238	195	194	14.73
2	2002-2003	108	98	48	40.38
3	2003-2004	32	19	5	1.09
4	2004-2005	136	116	78	14.84
5	2005-2006	190	156	93	10.71
6	2006-2007	139	123	29	3.58
7	2007-2008	267	256	225	28.68
8	2008-2009	297	243	106	21.40
9	2009-2010	406	344	121	27.44
10	2010-2011	301	276	174	39.07

मध्यप्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर क्रियान्वयन

अमित वधवा * नीरज राठौर **

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश में वर्ष 1997. 98 से ही आंशिक रूप से मूल्य संवर्द्धित कर का क्रियान्वयन किया जा चुका था। 17 फरवरी 1997 को वर्ष 1997.98 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करते हुए मध्यप्रदेश के तत्कालीन वित्तमंत्री श्री अजय मुशरान द्वारा 1 करोड़ रु. से अधिक के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारियों पर मूल्य संवर्द्धित कर आरोपित करने की घोषणा की गई थी। उसके पश्चात सरकार द्वारा मूल्य संवर्द्धित कर आरोपित करने हेतु निर्धारित विक्रय सीमा को लगातार कम किया जाता रहा है। 1 अप्रैल 99 से मूल्य संवर्द्धित कर आरोपित करने की इस सीमा को 50 लाख रुपये और वर्ष 2002.03 से 10 लाख रुपये कर दिया गया। इसके पश्चात् सरकार द्वारा राज्य में 1 अप्रैल 2003 को पूर्ण रूप से मूल्य संवर्द्धित कर लागू किए जाने की घोषणा की गई थी किन्तु मूल्य संवर्द्धित कर कानून में व्याप्त विसंगतियों तथा उद्योगपतियों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के विरोध के कारण इस घोषणा को मूर्त रूप प्रदान नहीं किया जा सका और पूर्ण रूप से मूल्य संवर्द्धित कर आरोपित किए जाने की तिथि को बढ़ाकर 1 अप्रैल 2005 कर दी गई। इसी बीच केन्द्र सरकार द्वारा भी देश के विभिन्न राज्यों में विक्रय कर अथवा वाणिज्यिक कर के स्थान पर मूल्य संवर्द्धित कर लागू किए जाने हेतु सतत प्रयत्न किए जा रहे थे। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप 1 अप्रैल 2005 से देश के 29 राज्यों द्वारा मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू कर दी गई। मध्यप्रदेश सहित देश के 6 बड़े राज्यों में यह कर 1 अप्रैल 2006 से प्रारम्भ कर दिया गया।¹

प्रशासनिक व्यवस्था- मध्यप्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर, केन्द्रीय विक्रय कर, प्रवेशकर, वृत्तिकर तथा होटल कर को आरोपित करने तथा इन करों को आरोपित करने के लिए सरकार द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों यथा मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम 2002, मूल्य संवर्द्धित कर नियम 2004, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम 1976, मध्यप्रदेश वृत्तिकर अधिनियम 1995 तथा मध्यप्रदेश लवजरी कर अधिनियम 1988 के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का उत्तरदायित्व वाणिज्यिक कर विभाग है। वाणिज्यिक कर आयुक्त इस विभाग का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है।

इस विभाग का मुख्यालय इन्दौर में स्थित है। प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश क्षेत्र को 4 झोन (Zone) इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जोन को पुनः डिवीजन में बांटा गया है और प्रत्येक डिवीजन को करदाताओं की संख्या एवं क्षेत्र को ध्यान में रखकर वृत्त में (Circle) में विभक्त किया गया है। इस व्यवस्थानुसार मन्दसौर जिला ग्वालियर झोन में रतलाम डिवीजन का एक

भाग है। कर प्रशासन की दृष्टि से सम्पूर्ण मन्दसौर जिले को पुनः दो वृत्तों वृत्त एक तथा वृत्त दो में विभक्त किया गया है।

राज्य में मूल्य संवर्द्धित कर संग्रहण - राज्य में मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के पश्चात से, मूल्य संवर्द्धित कर संग्रहण में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। यही नहीं इस वृद्धि का प्रतिशत पूर्व में राज्य में प्रचलित वाणिज्यिक कर की तुलना में कहीं अधिक है। विदित है कि राज्य में मूल्य संवर्द्धित कर 1 अप्रैल 2006 से लागू किया गया है। वाणिज्यिक कर को समाप्त कर उसके स्थान पर यह कर आरोपित किया गया है। पूर्व में वाणिज्यिक कर तथा वर्तमान में मूल्य संवर्द्धित कर के संग्रहण की प्रवृत्ति का अध्ययन निम्न तालिका से अधिक स्पष्ट रूप से किया जा सकता है -

तालिका - राज्य में वाणिज्यिक कर एवं मूल्य संवर्द्धित कर के संग्रहण का तुलनात्मक अध्ययन² (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश सरकार को करों से प्राप्त होने वाले राजस्व का लगभग दो तिहाई भाग केवल वाणिज्यिक कर अथवा मूल्य संवर्द्धित कर से प्राप्त हो रहा है। उपर्युक्त तालिका के कालम 4 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2004 .05 में मध्यप्रदेश को प्राप्त कुल राजस्व रु. 4599.22 में से 3365.60 करोड़ रु. अर्थात् कुल राजस्व का लगभग 73: वाणिज्यिक कर से प्राप्त हुआ था। राज्य में मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के बाद इस प्रतिशत में और वृद्धि हुई है। और 2010-11 तक यह प्रतिशत बढ़कर 78.42 तक पहुंच गया है।

तालिका - मन्दसौर जिले में मूल्य संवर्द्धित कर संग्रहण³ (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2008.09 की स्थिति को छोड़कर (असाधारण वर्ष) देखे तो यह प्रतीत होता है कि 2005.06 के पूर्व में वाणिज्यिक कर और इसके पश्चात् मूल्य संवर्द्धित कर से राजस्व प्राप्ति में निरन्तर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। 2006.07 में तो यह वृद्धि 2005.06 की तुलना में 61.88 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। यद्यपि यह वृद्धि एक असाधारण वृद्धि थी। किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के पश्चात् से सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2008.09 में जिले में राजस्व संग्रहण में लगभग 20 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि शासन द्वारा वर्ष 2008.09 में सोयाबीन उत्पाद को मूल्य संवर्द्धित कर दायित्व से मुक्त कर दिया है। जबकि सोयाबीन जिले की प्रमुख खरीफ फसल है और सोया आइल के 2 बड़े संयन्त्र जिले में स्थापित होने के कारण इन संयन्त्रों से सरकार को अच्छा राजस्व प्राप्त होता रहा है। फिर भी जिले में यह कर पूर्ववत्

* शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

ही राजस्व प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है।

केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण - मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विक्रय कर से प्राप्त राजस्व (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय विक्रय कर को धीरे धीरे समाप्त किए जाने का प्रभाव केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण पर स्पष्ट रूप से हो रहा है। वर्ष दर वर्ष केन्द्रीय विक्रय कर के अन्तर्गत कर योग्य आवर्त में वृद्धि के बावजूद इस से प्राप्त राजस्व में उतरोत्तर कमी परिलक्षित हो रही है।

व्यवसायियों का पंजीयन

तालिका - मध्यप्रदेश में व्यवसायियों का पंजीयन (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका के विवेचन से स्पष्ट है कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2006 को मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के पश्चात् व्यापारियों के पंजीयन में मामूली वृद्धि परिलक्षित हो रही है। स्पष्ट है व्यापारियों के पंजीयन होने के साथ-साथ पूर्व में हुए पंजीयन भी निरस्त हो रहे हैं।

तालिका - पंजीयत व्यापारियों की स्थिति 9

Year	Circle I	Circle II	Total	% Increase
2003-04	3640	2710	6350	-
2004-05	3655	2760	6415	+ 1.02 %
2005-06	3693	2802	6495	+ 1.24 %
2006-07	3435	2544	5979	- 7.94 %
2007-08	3154	2189	5343	- 10.63 %
2008-09	3169	2308	5477	+ 2.50 %

तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के पूर्व तक जिले में पंजीयत व्यवसायियों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही थी किन्तु प्रदेश में मूल्यवर्द्धित कर लागू होने के पश्चात् जिले में कुल पंजीयत व्यवसायियों की संख्या में निरन्तर कमी परिलक्षित हो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि जिन व्यापारियों पर मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत कर दायित्व नहीं आ रहा है विभाग द्वारा ऐसे व्यापारियों के नाम पंजीयत व्यापारियों की सूची से बाहर किए जा रहे हैं। यद्यपि वर्ष 2008.09 में जिले में पुनः पंजीयत व्यवसायियों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित हुई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मूल्य संवर्द्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत जिन व्यापारियों पर कर दायित्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, उनके नाम पंजीयत व्यवसायियों की सूची से बाहर करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

मूल्य संवर्द्धित कर में उत्पादकता तत्व - मध्यप्रदेश में करों की उत्पादकता का विवेचन निम्न तालिका से माध्यम से अधिक स्पष्ट किया

जा सकता है -

तालिका - मध्यप्रदेश में कर उत्पादकता 10 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

उपर्युक्त तालिका के विवेचन से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश में कर संग्रहण व्ययों के प्रतिशत में निरन्तर कमी परिलक्षित हो रही है। तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 2006.07 में मूल्य संवर्द्धित कर से प्राप्त राजस्व में 2005.06 की तुलना में 20.55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि विभाग के कर वसूली तथा अन्य व्ययों में केवल 0.826 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यही कारण है कि मूल्य संवर्द्धित कर के अन्तर्गत उत्पादकता का तत्व अधिक है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मूल्य संवर्द्धित कर लागू होने के बाद भी कर वसूली व्ययों के प्रतिशत में कमी की प्रवृत्ति निरन्तर जारी है।

इन्फोसर्मेट विंग का निष्पादन (तालिका देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में मूल्य संवर्द्धित कर प्रणाली लागू होने के पश्चात् इन्फोसर्मेट विंग द्वारा निगरानी एवं सर्वे का कार्य सक्रियता से किया जा रहा है किन्तु कर चोरी के आंकड़ों में निरन्तर कमी आ रही है। उपर्युक्त तालिका में कालम न. 5 से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 2006.07 में कर चोरी के आंकड़ों में 66.57 प्रतिशत की गिरावट आई है किन्तु वर्ष 2007.08 में इन्फोसर्मेट विंग द्वारा कर वसूली में 685.47 प्रतिशत वृद्धि दर्ज गई है। कर अपवंचन एवं वसूली का यह एक असामान्य वर्ष है अतः शोध की दृष्टि से इस वर्ष के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि वाणिज्यिक कर की तुलना में मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली अधिक श्रेष्ठ है। विश्लेषण हेतु निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं जैसे, राजस्व संग्रहण, पंजीयत व्यापारियों की स्थिति, इन्फोसर्मेट विंग का निष्पादन कर अपवंचन पर नियंत्रण, कर उत्पादकता आदि सभी दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि मूल्यवर्द्धित कर प्रणाली सरकार तथा करदाता दोनों के लिये हितकारी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अप्रत्यक्ष कर लेखक अग्रवाल गुप्ता 2007 ए 08 पृष्ठ क्र. 1प1 प्रकाशक रमेश बुक डिपो जयपुर
2. departmental statistics, Commercial Tax Department Government of publishan by commissioner coommercial Tax Madhya Pradesh
3. वाणिज्यिक कर कार्यालय मन्दासौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार।
4. कर समाचार 8.14 अप्रैल 2009

तालिका
राज्य में वाणिज्यिक कर एवं मूल्य संवर्द्धित कर के संग्रहण का तुलनात्मक अध्ययन 2

S.no.	Year	Total Revenue of State Govt	MPCT/VAT Collection in Crores Rs.	% of Total Revenue	% of Changes
	1	2	3	4	5
1	2001-02 (MPCT)	2828.60	2060.50	72.84	-
2	2002-03 (MPCT)	3462.74	2520.47	72.78	22.32
3	2003-04(MPCT)	3952.25	2916.73	15.72	-
4	2004-05(MPCT)	4599.22	3365.60	73.17	15.39
5	2005-06(MPCT)	5302.93	3951.43	74.55	17.41
6	2006-07(VAT)	6242.94	4763.63	76.30	20.55
7	2007-08(VAT)	7268.94	5603.87	77.09	17.63
8	2008-09 (VAT)	8472.27	6439.35	76.00	14.90
9	2009-10(VAT)	12342.16	9679.91	78.42	32.61

तालिका
मन्दासौर जिले में मूल्य संवर्द्धित कर संग्रहण 3

Year	Circle I	Circle II	Total	% Increase
2003-04(MPCT)	243.04	514.10	757.14	-
2004-05(MPCT)	300.86	562.39	863.25	14.01 %
2005-06(MPCT)	298.29	621.92	920.21	6.59 %
2006-07(VAT)	442.82	1046.86	1489.68	61.88 %
2007-08(VAT)	480.44	1265.02	1745.46	17.17 %
2008-09(VAT)	406.74	993.31	1400.05	19.79 %

मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विक्रय कर से प्राप्त राजस्व 5

S.no.	Year	Amount Collected	Percentage Charge
	1	2	3
1	2001-02	332.94	-
2	2002-03	403.15	21.09
3	2003-04	454.02	12.62
4	2004-05	612.28	34.86
5	2005-06(MPCT)	615.68	0.56
6	2006-07(VAT)	565.84	-8.10
7	2007-08(VAT)	556.93	-1.57
8	2008-09(up to jan. 2009) (VAT)	519.77	-6.67
9	2009-10	569.98	9.66
10	2010-11	682.72	19.78

तालिका - मध्यप्रदेश में व्यवसायियों का पंजीयन⁶

स. क्र.	वर्ष	पंजीयत व्यापारियों की संख्या	पंजीयत व्यापारियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4
1	2001-02	210104	-
2	2002-03	224298	+6.75
3	2003-04	223157	-0.50
4	2004-05	237580	-
5	2005-06	241000	+ 1.439
6	2006-07	229858	- 4.62
7	2007-08	202644	- 11.84
8	2008-09	207542	+2.41
9	2009-10	217209	+4.65
10	2010-11	228951	+5.40

तालिका

मध्यप्रदेश में कर उत्पादकता 10

स. क्र.	वर्ष	मूल्य संवर्द्धित कर सहित अन्य करों से प्राप्त राजस्व	कर वसूली के व्यय	वसूली व्ययों का कर वसूली से प्रतिशत	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	6
1	2003-04	3952.25	50.84	1.286	-
2	2004-05	4599.22	52.32	1.137	- 11.58
3	2005-06	5302.93	50.41	.95	- 19.68
4	2006-07	6242.94	51.59	.826	- 13.05
5	2007-08	7268.94	60.36	.97	17.43

इन्फोसर्मिट विंग का निष्पादन 11

S.No.	Year	No. of Inspection	Total Tax Evasion Detected (Rs. In Crore)	Percentage Change in Tax evasion Detected
1	2	3	4	5
1	2004-05	136	14.84-	
2	2005-06	190	10.71 - 38.54	
3	2006-07	139	3.58 - 66.57	
4	2007-08	267	28.12 +685.47	

प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम स्वरोजगार योजना का आदिवासियों के आर्थिक विकास पर प्रभाव - झाबुआ जिले के संदर्भ में

दीपक कुमार ठाकुर * डॉ. डी. के. सिंघल **

प्रस्तावना - मध्यप्रदेश की पश्चिम सीमा पर स्थित झाबुआ एक पिछड़ा आदिवासी राज्य बहल आबादी वाला जिला है। झाबुआ जिला रतलाम, धार, आलीराजपुर जिलों की सीमा से लगा है। वही पश्चिम में राजस्थान के बांसवाडा जिला तथा केवल 16 कि.मी. की दूरी पर गुजरात राज्य की सीमा से लगा हुआ है। इस का क्षेत्रफल 6782 कि.मी. है। जिले की कुल जनसंख्या 10,25,048 है। जिले में अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी 8,91,818 है। जिसमें पुरुष 4,46,359 एवं महिला 4,45,459 हैं, जो कुल आबादी का 87.3 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजाति का है।

जिले के निवासियों की अर्थव्यवस्था का मुख्य कृषि है। कृषि आज भी परंपरागत एवं पुरानी विधियों से की जा रही है वही, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की 'स' श्रेणी में झाबुआ जिला है। कृषि तथा उद्योग से रोजगार के इतने अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते की, परिवार का भरण- पोषण हो सके, फलस्वरूप जिले के लाखों आदिवासीजनों को रोजगार की तलाश में इंदौर, भोपाल, धार, रतलाम, सुरत, बड़ोदा, अहमदाबाद, बांसवाडा आदि शहरों में रोजगार के लिए पलायन करते हैं।

निःसंदेह वर्तमान में देश की प्रमुख समस्या बेरोजगारी ही है। देश का युवावर्ग इस ज्वलंत समस्या से ग्रसित होकर कुपिठत हो रहा है। इस ज्वलंत समस्या का निदान शासकीय नौकरी अथवा अन्य नौकरियों से संभव नहीं है, आवश्यक है कि देश के युवा शिक्षित बेरोजगार स्वयं का उद्यम स्थापित करें ताकि स्वरोजगार के अतिरिक्त अन्य के लिए वह स्वयं नियोक्ता बन सकें।

केन्द्रीय व राज्य शासन की यह मंशा है कि इस योजना के माध्यम से देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी संख्या स्वरोजगार के द्वारा अपना स्वयं का व्यापार/उद्योग स्थापित करेगी, जो पूंजी के अभाव में अपनी सोच का मूर्त रूप प्रदान करने में असफल रहे हैं। साथ देश के युवा शिक्षित बेरोजगार इस योजना से लाभान्वित होकर स्वावलंबी जीवन की ओर अग्रसर होंगे।

केन्द्र व राज्य शासन के झाबुआ जिल में संचालित स्वरोजगार योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति को पलायन से रोके के लिए इस दिशा में एक कारगर कदम उठाया है।

मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उत्थान के हेतु दृढ संकल्पित है, इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। इस का उद्देश्य उक्त वर्ग के स्वरोजगार धारकों को उनके उद्योग/सेवा/व्यवसाय के चयन से लेकर उद्यम के संचालन का प्रशिक्षण तथा स्वयं का रोजगार स्थापित करने में सहयोग

दिया जाता है। वित्तीय सहायता आदि का मार्गदर्शन, परामर्श एवं क्रियान्वयन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं अन्य विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। झाबुआ जिले में संचालित स्वरोजगार योजना है -

1. रानी दूर्गावती अ.जा./अ.ज.जा. स्वरोजगार योजना।
2. दीनदयाल रोजगार योजना।
3. स्वर्ण जयंती ग्राम /शहरी स्वरोजगार योजना।
4. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
5. प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम।

अध्ययन का क्षेत्र - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले को चयनित कर अध्ययन सम्मिलित किया गया है।

शोध के उद्देश्य - प्रस्तुत शोध कार्य मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

1. सर्वेक्षित हितग्राहियों के विकास हेतु शासन द्वारा चलाए जा रही प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम का अध्ययन।
2. सर्वेक्षित हितग्राहियों की लाभदायकता की स्थिति का अध्ययन।
3. योजना आपने उद्देश्य में सफल रही है या नहीं।

शोध प्रविधि - किसी भी शोध कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के समकों की आवश्यकता होती है। कोई शोध समकों के बिना नहीं किया जा सकता है। समंक ही विश्लेषण का आधार होता है। इसलिए शोध कार्य में समंक संग्रहण एक महत्वपूर्ण कार्य है।

द्वितीय संमक - प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम से संबंधित पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन किया। इंटरनेट, विभिन्न सर्वेक्षण रिपोर्टों का तथा विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित पत्र - पत्रिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - शिक्षित युवाओं की ऊर्जस्विता, सृजनशीलता, कर्मशीलता व उत्साह इत्यादि गुणों को सकारात्मक व उत्पादक क्षेत्रों में उपयोग करना आवश्यक है। शिक्षित युवकों को व्यापार, व्यवसाय, उद्योग व अन्य सेवा कार्यों के माध्यम से रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा रिजर्व बैंक की सलाह से सन 1983 में एक स्वरोजगार योजना शुरू की गई। 2 अक्टूबर 1993 से शुरू की गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री रोजगार योजना रखा गया। इस योजना की मौलिक पृष्ठभूमि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार दिलवाने पर आधारित है।

उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नानुसार हैं -

1. इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को व्यवसाय व उद्योग स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

*शोधार्थी (वाणिज्य) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कालिदास कन्या महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

- व्यवसाय व उद्योग के माध्यम से इनके संचालन हेतु आवश्यक परामर्श व सुविधाएँ प्रदान करना है।
- प्रारम्भ में इस योजना के अंतर्गत लगभग 7 लाख लघु इकाइयों की स्थापना कर प्रतिवर्ष 2.5 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था।
- इस योजना का कार्यक्षेत्र लगभग 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को छोड़कर शेष सभी नगरों में है।
- इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों युवाओं को एक पैकेज सहायता के रूप में व्यवसाय व उद्योग प्रारम्भ करने व अपनी जीविका को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है।
- यह योजना आई टी आई उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए है, जो मैट्रिक या उससे अधिक शिक्षित हैं व जिनके परिवार की वार्षिक आय शासन के निर्धारित मापदण्डों से अधिक नहीं है।
- अभ्यर्थियों का चयन कुछ निर्धारित कोटे पर तय किया गया है। औद्योगिक कार्यों से संबंध 40 प्रतिशत व्यावसायिक कार्यों में 30 प्रतिशत व सेवा क्षेत्र से 20 प्रतिशत अभ्यर्थी में होने चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत 1 लाख का ऋण स्वयं की लघु इकाई के खोलने व 2 लाख रुपये अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
- परियोजना की लागत के 15 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये अनुदान राशि के रूप में देय है। यह जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजना है।

योजना के प्रावधान - इस योजना के लिए प्रार्थियों को पात्रता हेतु निम्न शर्तों का पालन करना आवश्यक है -

- आयु 18 से 35 वर्ष (अनुसूचित जाति/जनजाति भूतपूर्व सैनिक विकलांग एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 45 वर्ष)
- शैक्षणिक योग्यता आठवीं पास कम से कम आठवीं पास अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित कम से कम छ माह का तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।
- पारिवारिक आय समस्त स्रोतों से निर्धारित 100000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
- संबंधित जिले का कम से कम 3 वर्ष का निवासी हो। (महिलाएं अपने पति के निवास का प्रमाण पत्र दे सकती हैं।)

योजना की विशेषाएँ -

- व्यापार एवं सेवा हेतु 2 लाख रुपये एवं उद्योग हेतु 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं हेतु ऋण सुविधा उपलब्ध की जाती है।
- ऋण राशि का 15 प्रतिशत अधिकतम 15000 रुपये अनुदान देय है।
- योजना की लागत का मार्जिन मनी के रूप में 5 प्रतिशत से 16.25 प्रतिशत (अनुदान व मार्जिन मनी का योग 20 प्रतिशत के बराबर से अधिक न हो) का भाग तय है।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/ वित्तीय संस्था /सहकारी बैंक का ऋण अदायगी का दोषी युवा योजना के पात्र नहीं माना जाता है।
- योजना में पात्र महिलाएं एवं कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
- व्यापार एवं सेवा एवं उद्योग तक की परियोजनाओं पर कालेक्ट्रल सिक्वोरिटी (समकक्ष प्रतिभूति) की बैंक द्वारा मांग नहीं की जाती है।

- योजना में ऋण पर ब्याज रिजर्व बैंक द्वारा निर्देशित व निर्धारित दर पर तय की जाती है।

योजना में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ आयु शैक्षणिक योग्यता निवासी प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र आदि के साथ जिला उद्योग केन्द्र में दो प्रतियों में प्रस्तुत करने पर टास्कफोर्स कमेटी द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लिया जाता है। इसके बाद उनके चयनोपरान्त आवेदन पत्र ऋण के भुगतान हेतु वाणिज्यिक बैंकों को अग्रोषित किए जाते हैं। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद जिला उद्योग केन्द्र द्वारा निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षण दिलाया जाता है। तत्पश्चात बैंक द्वारा ऋण वितरित किया जाता है। इस प्रकार झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की स्थिति तालिका क्रमांक 1 में स्पष्ट किया है

तालिका क्रमांक 01

झाबुआ जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रमों की स्थिति

वर्ष	इकाई	नियोजित पूँजी (करोड़ रुपये)	कुल लाभान्वित हितग्राही
2011-12	147	5.42	221
2012-13	215	8.53	596
2013-14	181	2.65	435
2014-15	312	4.94	1262
2015-16	187	5.76	475

स्रोत - जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, झाबुआ।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में 147 इकाइयों की स्थापना के लिए 5.42 करोड़ रुपये के साथ 221 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया वर्ष 2012-13 में आंशिक वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 में 181 इकाइयों की स्थापना के लिए 2.65 करोड़ के रुपये के निवेश के साथ 435 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके पश्चात लगातार बढ़ते हुए वर्ष 2015-16 में 187 इकाई की स्थापना के साथ 5.78 करोड़ रुपये के निवेश से 475 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार अध्ययन अवधि में प्रतिवर्ष औसतन इकाई की स्थापना में करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रतिवर्ष औसतन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

तालिका क्रमांक 02 (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्ष - उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2006-07 में योजना के अंतर्गत 2940 हितग्राहियों को 762.74 लाख रुपये, वर्ष 2008-09 में 3948 हितग्राहियों को 1369.10 लाख रुपये, वर्ष 2011-12 में 4329 हितग्राहियों को 1430.31 लाख रुपये, वर्ष 2013-14 में 1432 हितग्राहियों को 994.03 लाख रुपये, वर्ष 2014-15 में 2734 हितग्राहियों को 1651.88 लाख रुपये तथा वर्ष 2015-16 में 2126 हितग्राहियों को 998.46 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। 10 वर्षों में योजना के अंतर्गत औसतन 2952 हितग्राहियों को 1150 लाख रुपये का ऋण वितरित किया गया।

योजना के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की औसत वृद्धि दर 6.04% रही, जो अपेक्षाकृत कम है तथा वितरण ऋण में वृद्धि का औसत 17.46% रहा। अतः योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास अपेक्षित है।

योजना के पूर्ण सफल न होने का कारण अनुसूचित जनजाति के लोगों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी न होना जिससे वे इस योजना का लाभ

नहीं ले सके।

अनुसूचित जनजाति वर्ग को योजनाओं के संपर्क में लाने के प्रयास से निश्चय यह योजना उनके लिए उपयोगी सिद्ध है। राज्य शासन की इन योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाता है, ताकि हितग्राही वर्गों के अंतिम व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुँचे और समय पर वह इनका लाभ उठा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आगे आए लाभ उठाये, प्रकाशन आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल, संस्करण जनवरी 2010
2. 'जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, झाबुआ (म.प्र.) वर्ष 2014,2015,
3. भारत जनगणना, 2011

4. सुदर्शन एम. रत्ना (2001), 'आर्थिक अधिकारिता का महत्व', योजना नई दिल्ली, 2001
5. तिवारी शिवकुमार(1984), 'मध्यप्रदेश के आदिवासी', हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल।
6. विश्व विकास रिपोर्ट, 2007
7. ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाएँ एवं कार्यक्रम, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधारतल, जबलपुर (म.प्र.)वर्ष 2010
8. आगे आए लाभ उठाए, प्रकाशन आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल, संस्करण मई 2015
9. उद्यमिता विकास, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

तालिका क्रमांक 02

मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में वितरित ऋण की स्थिति

वर्ष	हितग्राहियों की संख्या	लाभान्वित हितग्राही गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी	वितरित राशि (लाख रुपए में)	प्रत्येक वर्ष गत वर्ष की तुलना में वितरित राशि प्रतिशत वृद्धि/कमी
2006-07	2940	-	762.74	-
2007-08	3304	12.38	1299.21	70.33
2008-09	3948	19.49	1369.10	5.37
2009-10	4204	6.48	1459.77	6.62
2010-11	3255	-22.57	1104.87	-24.31
2011-12	4329	32.90	1430.31	29.45
2012-13	1256	-70.98	431.49	-69.83
2013-14	1432	14.01	994.03	130.37
2014-15	2734	90.92	1651.88	66.18
2015-16	2126	-22.23	998.46	-39.55
कुल	29528		11501.86	

स्रोत - उद्योग संचालनालय, भोपाल।

ग्वालियर जिले के औद्योगिक विकास में लघु व मध्यम उद्योगों की भूमिका

डॉ. छवि खरे *

प्रस्तावना - लघु उद्योग (छोटे पैमाने की औद्योगिक इकाइयाँ) वे होती हैं जो मध्यम स्तर के विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ करती हैं। इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा कम होती है और सापेक्षिक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ये बड़े पैमाने के उद्योगों से पूँजी की मात्रा, रोजगार, उत्पादन एवं प्रबंध, आगतों एवं निर्गतों के प्रवाह इत्यादि की दृष्टि से भिन्न प्रकार की होती हैं। ये कुटीर उद्योगों से भी इन आधारों पर भिन्न होती हैं—उत्पादन में यंत्रिकरण की मात्रा: मजदूरी पर लगाए गए श्रमिकों एवं पारिवारिक श्रमिकों के अनुपात, बाजार का भौगोलिक आकार, विनियोजित पूँजी इत्यादि।

लघु उद्योगों का वर्गीकरण तीन प्रकार के उद्योगों में किया है -

1. सूक्ष्म उद्योग
2. लघु उद्योग
3. मध्यम उद्योग

मुख्यतया लघु उद्योगों को इन में विनियोजित राशि के मापदंडों से वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण उपाय के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्योग वह है, जहाँ प्लांट एवं मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक नहीं होता। लघु उद्योग वह है, जहाँ प्लांट व मशीनरी में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रु से कम होता है। मध्यम उद्योग वह है, जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश पांच करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम होता हो।

सेवा उद्योग के स्वरूप में एक सूक्ष्म उद्योग वह है। जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से आगे नहीं बढ़ता है और लघु उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है एवं मध्यम उद्योग जहाँ उपकरणों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 5 करोड़ रुपये से कम न हो।

भारतीय आर्थिक विकास में लघु व कुटीर पैमाने के उद्योगों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है लघु पैमाने के उद्योग और कुटीर उद्योग भारत के विनिर्माण क्षेत्र की संरचना एवं स्वरूप का महत्वपूर्ण भाग है।

भाषा की दृष्टि से यह एक आम प्रवृत्ति रही है कि कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग तथा लघु पैमाने के उद्योगों का आशय एक साथ ही समान रूप से लगाया जाता है, जबकि इनमें आधारभूत अंतर है। कुटीर उद्योग तो किसी एक परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण या अंशकालिक तौर पर चलाया जाता है। इनमें पूँजी निवेश नाम मात्र का होता है। उत्पादन भी प्रायः इनके द्वारा किया जाता है। परम्परागत रूप से चलने वाली उत्पादन प्रक्रिया में वेतनभोगी श्रमिक नहीं होते हैं। लघु उद्योगों में आधुनिक ढंग से उत्पादन कार्य होता है। सवेतन श्रमिकों की प्रधानता होती है तथा पूँजी निवेश भी होता है। कतिपय

कुटीर उद्योग ऐसे भी हैं, जो उत्कृष्ट कलात्मकता के कारण निर्यात भी करते हैं। अतः उन्हें लघु क्षेत्र में रखा गया था, जिससे उन्हें भी सभी सुविधाएं प्राप्त होती रहीं।

10 हजार से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित तथा भूमि, भवन, मशीनरी आदि में प्रति कारीगर या कार्यकर्ता 15 हजार रुपये से कम स्थिर पूँजी निवेश वाले उद्योग ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ग्रामोद्योग उद्योग इन इकाइयों की स्थापना संचालन आदि में तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

लघु उद्योगों की आवश्यकता - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग देश की सम्पूर्ण औद्योगिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि मूल्य के अर्थ में यह क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से 39% एवं भारत के कुल निर्यात के 33% के लिए जिम्मेदार है। इस क्षेत्र का लाभ यह है कि इसकी रोजगार क्षमता न्यूनतम पूँजी लागत पर है। 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार यह क्षेत्र 12.84 मिलियन माइक्रो और लघु उपकरणों के जरिए अनुमानित 31.2 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र में मजदूरों की तीव्रता वृद्ध उद्योगों की तुलना में करीब 4 गुना ज्यादा अनुमानित की गई है। लघु उद्योगों की आवश्यकता देश की परम्परागत प्रतिभा व कला की रक्षा हेतु भी आवश्यक है। अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से लघु उद्योग निर्यात संवर्धन व देश को आत्मनिर्भरता की ओर जाने हेतु लघु उद्योग आयात प्रतिस्थापन में सहायक है। वे निर्यात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं।

वर्तमान परिपेक्ष्य में लघु उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों की अपेक्षा अधिक निर्यात करते हैं एवं देश या राष्ट्र के आत्मनिर्भरता में भी लघु उद्योग आवश्यक हैं।

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित शोध उद्देश्यों को लिया गया है—

1. ग्वालियर जिले में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थिति पता लगाना।
2. ग्वालियर जिले के औद्योगिक विकास में लघु व कुटीर उद्योगों की भूमिका।
3. ग्वालियर जिले में लघु व कुटीर उद्योगों के विकास में शासन की भूमिका का अध्ययन करना।
4. ग्वालियर जिले में लघु व कुटीर उद्योगों की विभागीय स्थिति कैसी है?
5. ग्वालियर जिले में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास के लिए किए जाने वाले उपायों का अध्ययन करना।

परिष्करण -

1. ग्वालियर जिले में पहले की अपेक्षा लघु व कुटीर उद्योगों की स्थिति में

सुधार हुआ है।

2. ग्वालियर जिले के औद्योगिक विकास में लघु व कुटीर उद्योगों का महत्व बढ़ाने में शासन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
3. ग्वालियर जिले में स्थापित लघु उद्योगों में विनियोजित पूँजी का वितरण बढ़ा है।

अनुसंधान उपकरण -

1. जिला उद्योग केन्द्र से निकलने वाली मासिक पत्रिकाओं से लघु व कुटीर उद्योगों से संबंधित जानकारी को लिया गया।
2. जिला उद्योग केन्द्र से सूचना आधारित आँकड़े संग्रहित किए गए।
3. जिला उद्योग केन्द्र से निकलने वाली पंचवर्षीय कार्य योजनाओं का अध्ययन किया गया।
4. जिला उद्योग केन्द्र में प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका से आँकड़ों को संग्रहित किया गया है।

योजना विधि - प्रस्तुत अनुसंधान कार्य हेतु जो उद्देश्य लिए गए हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदत्तों का संकलन किया गया।

परिणामों का विश्लेषण - प्रस्तुत शोध कार्य में परिणामों का विश्लेषण सारणी क्रमांक-1 से निम्नानुसार किया गया - **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

मध्यम उद्योग सूची (ग्वालियर)

1. यूनीपैच रबर लिमिटेड, महाराजपुरा ग्वालियर।
2. ग्वालियर शुगर कंपनी लिमिटेड, डबरा।
3. जे.बी.मंघाराम फूड्स लिमिटेड, ग्वालियर।
4. हिन्दुस्तान विद्युत उत्पादन प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर।
5. तक्षशिला टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर।
6. हर्षित टैक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर।
7. आदित्यराज होटल लिमिटेड, ग्वालियर।
8. राजइवेंट एण्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर।
9. Gwalior Distillers Ltd.
10. सूर्या रोशनी लिमिटेड महाराजपुरा, ग्वालियर।

Table 2 - Production of Mineral 2014-15

Ser No	Name of Mineral	Production
Major Mineral		
1	Murum	5,03,296 cu. Metre
2	Flag stone	38,098 cu. Meter
3	Dhoka stone	8,838,794 cu. Meter
4	Stone gitti	2,57,732 cu. Meter
5	Iron ore	8517 M. Tone
Minor Mineral		
1.	Clay	51289 cu. Meter
2.	Sana	6,25,41 cu. Meter

ग्वालियर की औद्योगिक इकाईयाँ

सारणी क्रमांक-3 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

सारणी क्रमांक-4 **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

रजिस्टर्ड आधार उद्योग सितंबर 15 से 24 मई 2016

Table-5

सूक्ष्म(Micro)	लघु(Small)	मध्यम(Medium)	कुल(Total)
1491	115	04	1610

ये सभी आँकड़े ग्वालियर में लघु व मध्यम उद्योगों की स्थिति को व्यक्त करते हैं। स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में इन उद्योगों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है फिर भी इन उद्योगों के समक्ष ऐसी अनेक समस्याएँ हैं जिससे

उनके विकास को क्षति पहुंची है। इसके लिए आवश्यक है कि उनका सही ढंग से निराकरण किया जाए। आज केवल ग्वालियर में नहीं बल्कि पूरे देश में लघु व कुटीर उद्योग के समक्ष अनेक गंभीर समस्याएँ हैं। प्रत्येक स्थान व जगह का वातावरण अलग-अलग होता है, जिसका प्रभाव वहाँ के हर पहलू पर पड़ता है। ग्वालियर जिले में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएँ हैं, किन्तु यह विकास तभी संभव हो सकता है ? जब यहाँ लघु व कुटीर उद्योगों का विकास हो और इसके लिए इन समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाना चाहिए। ग्वालियर जिले में कृषि की प्रधानता है, अतः यहाँ लघु व कुटीर उद्योगों के विकास की पर्याप्त सुविधाओं व संभावनाएँ विद्यमान हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाए।

1. **कच्चे माल की कम उपलब्धि -** ग्वालियर जिले में स्थापित कृषि आधारित उद्योग में तेल मिल उद्योग, ढाल मिल उद्योग आदि आते हैं। जिनमें प्रमुख समस्या कच्चे माल की कम उपलब्धि होता है। इन मिलों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ता है।
2. **माल गोदाम भंडारण क्षमता -** जिले में जितने भी गोदाम हैं उनका 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन, प्रान्तीय शासन अथवा रासायनिक खाद्य उत्पादकों के लिए आरक्षित है। परिणाम यह होना है कि कृषकों को अनाज भण्डारण के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाना, जबकि जो माल गोदाम हैं उनके निर्माण का मूल उद्देश्य यही है कि कृषकों की उपज का भंडारण हो।
3. **यातायात संचार सुविधाओं का अभाव -** यातायात व संचार सुविधाओं की सही व्यवस्था का न होना भी इन उद्योगों की एक प्रमुख समस्या है।

इसके अलावा विद्युत की समस्या, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सहायता का न देना, करों की अधिकता, बड़े पैमाने के उद्योगों में प्रतिस्पर्धा, उचित संगठन की कमी, तकनीकी समस्याएँ, उत्पादन की परम्परागत विधियाँ आदि हैं, जिनका सामना इन उद्योगों को करना पड़ता है। फलस्वरूप विकास में बाधा उपस्थित होती है।

निष्कर्ष - ग्वालियर जिले में अभी और अधिक विकास की संभावनाएँ हैं, बस आवश्यकता इस बात की है कि ग्वालियर के निवासियों को केन्द्र व राज्य सरकार का पूर्ण सहयोग मिलता रहे। ग्वालियर क्षेत्र तथा इसके आस-पास अनेक उद्योग कार्यरत हैं, जिसमें विस्तार एवं आधुनिकीकरण की अतिशीघ्र आवश्यकता है।

श्रम की कुशलता औद्योगिकरण का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि श्रम शक्ति का यथोचित प्रयोग किया जाए तो देश के औद्योगिकरण में वृद्धि हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि श्रमिकों को अनेक प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि वे आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यद्यपि जिले में कुछ नवीन तकनीकों व प्रबंधकीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार हो रहा है किन्तु यह संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। इसके लिए यह जरूरी है कि जिला मुख्यालय ही नहीं वरन् तहसील एवे ब्लॉक स्तर पर भी क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदाय की जाएँ।

ग्वालियर की औद्योगिक स्थिति का विश्लेषण करने के पश्चात् ज्ञात होता है कि सन् 1981 के पश्चात् लघु उद्योगों की स्थापना में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

सुझाव - उपरोक्त समस्याओं व निष्कर्ष के आधार पर इन उद्योगों के विकास

हेतु कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं -

- कच्चे माल का उपलब्ध करना** - इन उद्योगों की प्रमुख समस्या है कि कच्चे माल की कमी होना। आवश्यकता इस बात की है कि इन उद्योगों के कारीगर अपनी सहकारी समितियों का निर्माण करें क्योंकि सहकारी समितियाँ अच्छा माल बड़ी मात्रा में खरीद पाती हैं और बड़े उद्योगों द्वारा जो माल उत्पादित किया जाता है। उसमें प्रतिस्पर्धा कर पाती हैं।
- विपणन की सुविधाएँ करना** - इसके लिए सहकारी व सरकारी दोनों की स्तरों पर व्यापक प्रयास किए जाएँ क्योंकि अगर सहकारी व सरकारी समितियों के द्वारा उत्पादन कर विक्रय किय जाए तो उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।
इसके अलावा उद्योगों के लिए आवश्यक पूँजी का प्रबंध करना, बड़े व लघु उद्योगों में सहयोग व समन्वय की भावना जागृत करना, बैंकों की नीति में सुधार करना, उत्पादन की तकनीकी में सुधार करना, उद्योगों का नवीनीकरण, औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार आदि कुछ ऐसे सुझाव हैं। जिन्हें अपनाकर इन उद्योगों के विकास को ग्वालियर जिले में प्रोत्साहित किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- सिंह, रमेश भारतीय अर्थव्यवस्था Macgraw Hill Education 2014
- सिन्हा, वी.सी., औद्योगिक अर्थशास्त्र, राजकमल प्रकाशन
- कुलश्रेष्ठ, आर.एस. औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन प्रकाशन 2008
- त्रिवेदी आर.एन. शुक्ला, डी.पी. रिसर्च मैथजेलाँजी, कॉलेज बुक डिपो, उद्यमिता विकास म.प्र. भोपाल।
- स्वरोजगार मार्गदर्शिका, उद्यमिता विकास केन्द्र भोपाल।
- उद्यमी, उद्यम और स्वरोजगार, भोपाल भारतीय अर्थव्यवस्था विकास और आयोजना।
- अग्रवाल, ए.एन. जिला उद्योग केन्द्र से प्राप्त आँकड़े एवं वार्षिक पत्रिका का विश्लेषण।
- (PDF) Industrial profile of Gwalior district Madhya Pradesh updated in 2015- dcmsem.gov.in> dips> gwalior.

Table-1 Explain the micro and small enterprises and artisan units in Gwalior District.

NIC Code No	Type of Industries	Number of units	Investments (Lakh Rs.)	Employment
20	Agro based	20	20.00	30
22	Soda water	0	00.00	0
23	Cotton textile	1	2.00	4
24	Woolen, silk and artificial thread based clothes	5	2.50	8
25	Jute and jute based	0	0.00	0
26	Readymade garment and embroidery	100	80.00	186
27	Wood/Wooden based furniture	113	28.25	208
28	Paper and paper products	158	950.00	632
29	Leather based	25	74.28	52
31	Chemical/chemical based	21	252	126
30	Rubber, plastic and petro based	65	2820.00	325
32	Mineral based	03	72	16
33	Metal based (steel fab.)	91	637	260
35	Engineering units	02	5.00	08
36	Electrical machinery and transport equipment	16	4332.00	62
97	Repairing and servicing	210	31.50	275
01	others	1651	742.95	1836

Source - Industrial profile of Gwalior district Madhya Pradesh 2015-16.

Source - DIC Gwalior.

ग्वालियर की औद्योगिक इकाईयाँ
Table 3 - Industries at a Glance

Ser No	Head	Unit	Particulars
1	Registered Industrial Unit	No	15455
2	Total Industrial Unit	No	15455
3	Registered Medium and Large Unit	No	11
4	Estimated Avg. No. of Daily worker employed in small scale industries	No	38494
5	Employment in large and medium industries	No	3318
6	No of Industrial area	No	08
7	Turnover of small scale industries	In Lacs	Not available
8	Turnover of medium and large scale industries	In Lacs	Not available

रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाईयों की वार्षिक प्रवृत्ति
2000-01 से 2014-15 तक (विनियोग व रोजगार के संदर्भ में)

Table-4

(वर्ष)Year	Number of Registered Units	(रोजगार) Employment	(विनियोग) Investment (Laks Rs.)
2000-01	481	1175	2217.00
2001-02	95	871	6113.00
2002-03	121	804	5226.00
2003-04	612	1581	4803.00
2004-05	602	1755	5139.00
2005-06	610	1673	4414.00
2006-07	625	1730	4512.00
2007-08	756	1861	7183.00
2008-09	843	1692	283.10
2009-10	726	1330	704.14
2010-11	708	1687	1763.63
2011-12	706	1005	708.35
2012-13	748	1100	802
2013-14	702	1090	700
2014-15	700	1082	701.37

Source - Office of Industries Commission, Bhopal (MP)

वर्तमान परिपेक्ष्य में वस्तु एवं सेवाकर – एक अध्ययन परिचय

डॉ. असलम सईद *

प्रस्तावना – किसी भी देश के राजस्व का प्रमुख स्रोत कराधान है, करा रोपड़ के माध्यम से प्राप्त राजस्व का उपयोग सार्वजनिक व्ययों में किया जाता है।

सरकार को देश में शान्ति एवं सुरक्षा (Law and order) बनाए रखने, विदेशी से देश की सुरक्षा करने के लिए तथा देश के नागरिकों के कल्याण के लिए व्यय करना पड़ता है और इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है चूंकि भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था पर कार्य करता है, इस दृष्टि से कल्याण सम्बंधी एवं विकास सम्बंधी कार्यक्रम का निर्धारण करना सरकार का महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। इसके साथ ही ऐसे आर्थिक अन्तर्गों को समाप्त करना भी सरकार का कार्य है, जो अमीरों और गरीबों के मध्य होता है। इन सभी कार्यों को करने के लिए निश्चित रूप से कोष की आवश्यकता पड़ती है और इन कोषों प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर है।

अप्रत्यक्ष कर से आशय ऐसे कर से है, जिसका मौद्रिक भार दूसरों पर डाला जाता है अर्थात् कर का वास्तविक भार उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो उसे अदा करता है। उदाहरण स्वरूप ऐसे बहुत से कर हैं, जो चुकाया तो व्यापारी के द्वारा जाता है परन्तु जिसका संग्रह ग्राहकों से एवं अन्य सेवा उपयोगकर्ता व्यक्ति से वसूला जाता है जैसे उत्पाद शुल्क (Excise Duty) सीमा शुल्क (Custom duty) सेवा कर (service Tax) मूल्यवर्धितकर (Vat) बिक्रीकर (Sales Tax) मनोरंजन कर (Entertainment Tax) इत्यादि।

प्रत्यक्ष कर वह कर है, जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी व्यक्ति से वसूला भी जाता है अर्थात् जब कर का भार एवं कर का भुगतान एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, आयकर, व्यवसाय कर, धनकर, सम्पत्तिकर, निगमकर, भूराजस्व कर, उपहार कर इत्यादि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।

वस्तु एवं सेवाकर का परिचय – भारत सरकार के द्वारा सम्पूर्ण देश में 1.7.2017 से वस्तु एवं सेवाकर लागू कर दिया है।

वास्तव में Goods and Service Tax [GST] एक अप्रत्यक्ष कर है, यह एक ऐसा एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा सरकार ने विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करके केवल एक एकीकृत कर लागू किया है जिसे GST कहते हैं।

वस्तु एवं सेवा कर के लागू हो जाने से पूरा देश एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो गया और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर विलासित शुल्क, लाटरी कर, इत्यादि को वस्तु एवं सेवाकर में समाहित कर दिया गया है।

इस अभूतपूर्व परिवर्तन का परिणाम यह है कि पूरे भारत में अब एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लग रहा है।

वस्तु एवं सेवा कर लागू किए जाने की प्रासंगिकता अथवा आवश्यकता – भारत का कर ढांचा बहुत ही जटिल है, जिसमें राज्य सरकार और केन्द्र सरकार बटी हुई है अर्थात् भारतीय संविधान के अनुसार वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार यदि राज्य सरकार के पास है, तो वस्तुओं के उत्पादन पर एवं सेवाओं को प्रदान किए जाने पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। इसी आधार पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के मध्य करों का बटवारा होता है।

देश में विभिन्न प्रकार के करों के लागू होने के कारण देश का कर ढांचा जटिल बना हुआ है। विभिन्न प्रकार के करों के आरोपित होने के कारण कंपनियों एवं छोटे – छोटे व्यवसाय के लिए विभिन्न प्रकार के करों का भुगतान करना एवं उनके कानूनों का पालन भी एक कठिन कार्य है।

GST लागू किये जाने की मुख्य आवश्यकता इस जटिलता को समाप्त करना है ताकि छोटे व्यवसायी एवं कंपनियों के कई प्रकार के कर के भुगतान से बचाया जा सके एवं केवल एकीकृत कर की राशि उनसे वसूली जा सके ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि GST केवल अप्रत्यक्ष करों को ही एकीकृत करेगा, प्रत्यक्ष कर पर GST का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष कर वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही लगाये जाएंगे।

जी.एस.टी. का प्रारूप – GST को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है –

1. SGST (राज्य वस्तु एवं सेवाकर)
2. CGST (केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर)
3. IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर)

कर की जो राशि राज्य सरकार प्राप्त करेगी व SGST कहलाएगा तथा कर की जो राशि केन्द्र सरकार प्राप्त करेगी वह CGST कहलाएगा।

SGST एवं CGST दोनों कर राज्य के भीतर माल को बेचने पर या सेवाओं को प्रदान कि जाने पर लगाया जाएगा जिसमें से 50: भाग राज्य को एवं 50: भाग केन्द्र को SGST एवं CGST के रूप में प्राप्त होगा, उदाहरण स्वरूप यदि मध्यप्रदेश का कोई व्यापारी मध्यप्रदेश के ही अन्य व्यक्ति को माल बेचता है और यदि उस सम्बन्धित वस्तु पर GST की दर 18% है तो 9% CGST राज्य सरकार के खाते में तथा शेष 9% SGST केन्द्र सरकार के खाते में जाएगी।

यदि कोई माल राज्य के बाहर के व्यक्ति को बेचा जाए जैसे मध्यप्रदेश के व्यापारी ने कोई माल उत्तरप्रदेश के व्यक्ति को बेचा तो इस पर 9% CGST एवं 9% SGST लगने के बजाए 18: की दर से एकीकृत माल एवं सेवाकर IGST लगाया जाएगा।

IGST का एक हिस्सा केन्द्र सरकार के खाते में जाएगा और दूसरा

हिस्सा वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले राज्य को प्राप्त होगा।

वस्तु एवं सेवाकर GST लगाए जाने का आधार - GST के अर्न्तगत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जिनका वार्षिक टर्नओवर, एक निश्चित मूल्य से अधिक है, जिनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है -

1. जिन व्यवसायियों को वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपये से कम है वे GST के दायरे में नहीं आएंगे अर्थात् उन्हें GST नहीं चुकाना पड़ेगा, पूर्वोक्त एवं विशेष दर्जा प्राप्त राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 10 लाख रुपये तक या इससे कम वार्षिक टर्नओवर वाल व्यवसायी GST के दायरे में नहीं आएंगे परन्तु यदि ये व्यवसायी चाहे तो GST के लिए पंजीयन करा सकते यदि ये GST के अर्न्तगत पंजीकृत होंगे तो इन्हे आगतकर छूट (INPUT TAX CREDIT) का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
2. जिन व्यवसायियों का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रु से अधिक है यदि कारोबारी विशेष दर्जा प्राप्त राज्य से सम्बंधित है तो 10 लाख से अधिक होने पर वह IGST के दायरे में आ जाएगा तब उसे GSTN पर अपने पैने के माध्यम से पंजीयन करवाना होगा।
3. यदि व्यवसायी का वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रु. से अधिक किन्तु 1.5 करोड़ रु से कम हो तो इसे श्रेणी के अर्न्तगत आने वाले 10% व्यापारी कारोबारी उद्यमी राज्य सरकार के नियंत्रण में आएंगे, जबकि शेष 18% केन्द्र सरकार के नियंत्रण में आएंगे, इस उद्देश्य के लिए व्यापारी का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा।
4. यदि व्यापारियों का वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रु से अधिक हो तो इसे श्रेणी आने वाले व्यापारियों में से 50% राज्य सरकार के अधीन होंगे तथा शेष 50% केन्द्र सरकार के अधीन होंगे। इस उद्देश्य के लिए कि कौन से व्यापारी राज्य सरकार के अधीन और कौन से व्यापारी केन्द्र सरकार के अधीन आएंगे इस बात का निर्णय लाटरी के द्वारा किया जाएगा।

वस्तु एवं सेवाकर - माल - अथवा एवोरे जिन पर GST लागू नहीं - कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं को GST के दायरे से दूर रखा गया है अर्थात् इन वस्तुओं और सेवाओं पर GST प्रभावी नहीं होगा।

1. **शराब का क्रय** - विक्रय पूर्णतः GST से बाहर है, जिसका स्पष्ट वर्णन संविधान संशोधन विधेयक में किया गया, शराब का GST से बाहर होने का अर्थ है कि पूर्व की भांति अभी भी इस पर राज्य सरकार आबकारी शुल्क लगाती रहेगी एवं उसे वसूलेगी।
2. पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस तकनीकी तौर पर संविधान में हुए संशोधन के बाद है, तो GST के दायरे में, परन्तु वर्तमान में अभी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर GST लागू नहीं होता तब तक वर्तमान व्यवस्था के अर्न्तगत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इन वस्तुओं पर कर रोपड़ करती रहेगी।
3. शिक्षा सम्बन्धी सेवाएँ और स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं की पूर्णरूपेण GST के दायरे से बाहर रखा गया है।

वस्तु एवं सेवाकर (GST) दर - वस्तु एवं सेवाकर के अर्न्तगत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर भिन्न-भिन्न है GST की दरों को 5 खण्ड में विभक्त किया गया है-

- प्रथम खण्ड - ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर कर की दर 0% होगी
द्वितीय खण्ड - ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर कर की दर 5% होगी

तृतीय खण्ड - ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर कर की दर 12% होगी

चतुर्थ खण्ड - ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर कर की दर 18% होगी

पंचम खण्ड - ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर कर की दर 28% होगी

सरकार का साचना यह है कि दरों से सामान्य उपभोक्ता प्रभावित न हो इसलिए आवश्यक एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दर कम रखी गयी है, जबकि महंगी और विलासिता की वस्तुओं एवं सेवाओं पर GST की दर उच्च (अधिक) रखी गई है।

इस प्रकार वस्तु एवं सेवा कर की अधिकतम दर 28% है और लगभग 19% वस्तुएं ऐसी है, जिन पर 28% की दर से GST लगाया जाएगा।

वस्तु एवं सेवाएं जिन पर कोई कर नहीं लगेगा - (अर्थात् 0% दर से कर लगने वाली वस्तुएं) दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे, दूध, आटा, वेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमकबिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही शहद, ताजेफल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अण्डा, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चुड़िया हैडलूम की वस्तुएं इन सभी वस्तुओं के क्रय - विक्रय पर GST प्रभावी नहीं होगी क्योंकि इस वस्तु पर GST की दर शून्य प्रतिशत है।

वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर 5% दर से कर प्रभावी होगा - साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाइया, लाइफबोर्ड्स, फ्रोजन सब्जियां, चाय काफी, क्रीम मिल्क पाउडर, मसाले, रस, पिज्जा, ब्रेड, ब्रॉडिड फूड, ब्रॉडिड पनीर इत्यादि ऐसी वस्तुएं है। जिन पर 5% की दर से वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा यातायात सुविधा जैसे रेलवे, वायु परिवहन की सेवाओं एवं छोटे रेस्टोरेंट में खाने पानी की सुविधा प्रदान करने वाली सेवाओं के सम्बंध में 5% की दर से वस्तु एवं सेवा कर लगाया जाएगा।

वस्तु एवं सेवाएं जिन पर 12% दर से कर प्रभावी होगा - वस्तु एवं सेवाकर के अर्न्तगत तीसरे खंड में 12% की दर से जिन वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर लगाया जाएगा। वे निम्नलिखित है आयुर्वेदिक दवाइया, दूध पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिकचर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन, बटर, डिब्बे में बंद सूखे मेवे, सांस, फ्रूट जूस, नमकीन, भुजिया, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स ऐनिमल फैट, जैसे आवश्यक सामग्री को 12 प्रतिशत के दर के अर्न्तगत रखा गया है। साथ ही गैर वातानुकूलित होटल, व्यावसायिक श्रेणी का वायु यात्रा टिकट, इत्यादि सेवाओं पर भी 12% की दर से GST लगाया जाएगा।

वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर 18% दर से कर प्रभावी होगा - GST के 18% खण्ड दर से निम्न वस्तुओं पर कर लगाया जाएगा - नोट बुक्स, स्टील की बनी वस्तुएं, कैमरा, स्पीकर, मानिटर्स, टिशू पेपर, लिफाफे प्रिजर्व्ड, बेजिटेब्लस पास्ता, पेस्ट्रीज, कार्न फ्लेवर्ड, केक, रिफाईड फ्लेवर्ड शुगर, मिनरल वाटर, जैम, सूप आइसक्रीस इत्यादि पर 18% की दर से वस्तु एवं सेवाकर लगाया जाएगा। इसके अलावा आईटी सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, शराब परोसने वाली एयर - कंडीशनर होटलों की सेवाएं भी 18% की दर के अर्न्तगत आएगी अर्थात् इन सेवाओं पर 18% की दर से GST लगेगा।

वस्तुएं एवं सेवाएं जिन पर 28% दर से कर प्रभावी होगा - GST की सबसे उच्चतम दर 28% है, इस दर से पेंट, डिओडेरेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू डाइ, सनस्क्रीन, वालपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम गुड, कोकोआ रहित चाकलेट, पानमसाला, वॉटरहीटर, डिशवांशर, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, एटीएम बेडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स हेयर क्लिपर, आटोमोबाइल, मोटरसाइकल, निजि प्रयोग की एयर क्राफ्ट पर GST लगाया

जाएगा, उपरोक्त, वस्तुओं को विलासिता की वस्तु मानते हुए इन पर सर्वाधिक दर से कर लेने का निर्णय किया गया है।

इसके अतिरिक्त पांच सितारा होटल की सेवाएँ, रेस क्लब की सेवाएँ एवं सिनेमा हाल की सेवाओं पर भी 28% की दर GST प्रभावी होगी।

GST की विशेष दर एवं उपकर – सोना चांदी पर GST की एक विशेष दर 3% लागू होगी, साथ ही महंगी गाड़िया तथा विलासिता पूर्ण वस्तुओं पर 15% की दर से अतिरिक्त उपकर (Cess) लगाए जाने का प्रस्ताव भी है और ऐसा माना जा रहा है कि उपकर (सेस) लगाने से करीब 50 हजार करोड़ रूपए की सरकार को आय प्राप्त होगी। जिसका उपयोग राज्यों को से होने वाली संभावित हानियों की क्षतिपूर्ति में किया जाएगा।

साधारण जनता पर कूट का प्रभाव -

1. अप्रत्यक्ष करों का भार अंतिम उपभोक्त को ही वहन करना पड़ता है लगने से पूर्व एक ही वस्तु पर विभिन्न प्रकार के पृथक - पृथक कर लगते थे, परन्तु GST लागू हो जाने के बाद अब सभी प्रकार को वस्तुओं एवं सेवाओं पर देश के हर स्थान पर एक ही प्रकार का और एक ही दर से कर लगेगा, जिसका परिणाम ये होगा कि वस्तुओं की लागत में थोड़ी कमी आएगी किन्तु दूसरी तरफ सेवाओं की लागत में वृद्धि हो जाएगी।

2. GST का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि इसके लागू होने से भारत के सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक जैसी हो जाएगी पहले अलग - अलग राज्यों में भिन्न - भिन्न दर के कारण वस्तुओं की कीमत कम या ज्यादा होती थी परन्तु अब यह भिन्नता समाप्त हो जाएगी और हर जगह एक ही दर से कर लगेगा।

वस्तु एवं सेवाकर का व्यवसाय पर प्रभाव -

1. **वर्तमान व्यवस्था में व्यवसायों को भिन्न** - भिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों जैसे वस्तु का उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, विक्रय करने पर विक्रयकर, सेवा प्रदान करने पर सेवा कर इत्यादि का भुगतान करना पड़ता था। जिस कारण व्यवसायी प्रत्येक के लिए अलग - अलग पंजीयन कराना पड़ता था अलग - अलग रिटर्न फाइल कराना पड़ता है, जिससे बहुत कठिनाईया होती थी। GST लागू होने के बाद अब उन्हें केवल 'वस्तु एवं सेवा कर' के अर्न्तगत पंजीयन कराना होगा और केवल GST के भुगतान हेतु रिटर्न फाइल करना पड़ेगा।

2. **व्यवसायों को भिन्न** - भिन्न प्रकार के कानूनों का पालन करने से मुक्ति मिल जाएगी और कार्य भी सरल हो जाएगा और केवल एक कानून का पालन करने के कारण भारत में व्यवसाय में सरलता भी आ जाएगी।

3. वर्तमान व्यवस्था में व्यवसायी 'उत्पाद शुल्क' एवं 'सेवाकर' के भुगतान में, खरीदे गए माल पर चुकाए गये कर अर्थात इनपुट क्रेडिट का

लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, इसी प्रकार विक्रय कर के भुगतान में सेवाकर (सेवाओं पर चुकाया गया कर) और उत्पाद शुल्क (खरीदे गए माल पर चुकाया गया उत्पाद शुल्क) की क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकता था, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं की और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है परन्तु GST के लागू हो जाने के बाद व्यवसायियों के द्वारा खरीदे गए वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए पूरे कर की क्रेडिट प्राप्त हो जाएगी।

उपसंहार निष्कर्ष - GST 1 July 2017 से लागू हो चुका है, GST के बारे में जो कहा जा रहा है कि GST भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बदल कर रख देगा, भारतीय अर्थव्यवस्था पर जी.एस.टी एक बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला होगा, यह बात कहाँ तक सच साबित होती है। अभी कहा नहीं जा सकता, इसके दूरगामी परिणाम अभी सामने नहीं आए परन्तु यह सच है कि भारतीय कर व्यवस्था में GST अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन है, इसलिए इसके परिणाम भी बड़े ही होंगे।

अभी केवल यह उम्मीद की जा सकती है कि देश का प्रभाव सकारात्मक ही होगा क्योंकि सरकार ने जिस अपेक्षा के साथ और जितने प्रचार - प्रसार के साथ GST को लागू किया है। उस दशा में इसके सफल होने के अलावा और कोई कल्पना करना भी अव्यवहारिक होगा।

यदि GST के परिणाम नकारात्मक हुए तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसे लम्बे समय तक सहन करना होगा क्योंकि GST लागू हो चुकी है और इसे वापस लेना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं।

अतः वर्तमान में यही माना जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव सकारात्मक ही होंगे।

यद्यपि ये कटु - सत्य है कि GST लगने से यदि कुछ वस्तुओं की लागत में कमी आई है, तो दूसरी ओर सेवाओं की लागत में वृद्धि भी हो रही है।

एक सामान्य करदाता को GST के अर्न्तगत हर महीने तीन रिटर्न फाइल करने होंगे और वर्ष के अंत में एक रिटर्न फाइल करना होगा इस प्रकार से सामान्य करदाता को वर्ष में 37 रिटर्न फाइल करने होंगे क्योंकि एक जटिल एवं दुरूह कार्य है। कम्पोजिशन स्कीम के अर्न्तगत पंजीकृत करदाता को हर तीन महीने में एक रिटर्न फाइल करना होगा तथा वर्ष के अंत में एक संयुक्त रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और उसे वर्ष में कुल 5 रिटर्न ही फाइल करने होगा पर कम्पोजिशन स्कीम उन्हीं करदाताओं पर लागू होगी जिनका वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख रूपए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची: -

1. दैनिक समाचार पत्र।
2. इंटरनेट के माध्यम से।

भारतीय स्टेट बैंक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन

डॉ. मोनिका मालवीय *

शोध सारांश - कार्य निष्पादन मूल्यांकन मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण अंग है, भारतीय स्टेट बैंक में कर्मिकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु दोहरी व्यवस्था विद्यमान है। प्रस्तुत शोध पत्र में दैव निर्देशन विधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र का मूल उद्देश्य भारतीय स्टेट बैंक की कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

शब्द कुंजी - कार्य निष्पादन मूल्यांकन, भारतीय स्टेट बैंक।

प्रस्तावना - कार्य निष्पादन मूल्यांकन मानव संसाधन विकास का महत्वपूर्ण अंग है। शाखा प्रबंधक के पास शाखा कर्मिकों का विकास करने एवं उच्चतम उपयोग करने का एक कारगर अस्त्र कार्य निष्पादन मूल्यांकन होता है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन का मूल उद्देश्य है शाखा के कर्मिकों का विकास कर मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग करना, जिससे कर्मिक अपने कार्य निष्पादन में कमियों की पहचान कर उन्हें दूर कर सकें एवं अपनी क्षमताओं को और बढ़ा सकें।

भारतीय स्टेट बैंक में कर्मिकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु दोहरी व्यवस्था विद्यमान है। अधिकारियों का मूल्यांकन खुली व्यवस्था द्वारा किया जाता है। जबकि लिपिकों का मूल्यांकन गोपनीय प्रतिवेदन विधि द्वारा किया जाता है। बैंक में अप्रैल 1986 में 'खुली मूल्यांकन व्यवस्था' प्रारंभ की गई।

विषय साहित्य की समीक्षा -

1. उथ्यासूरिया (2002) ने अपने लेख जिसका शीर्षक 'निष्पादन उन्मुखी वातावरण का विकास' है, के अनुसार कर्मचारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के समय मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारी की विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही मूल्यांकन करना चाहिए।
2. बलदेव शर्मा (1988) के लेख जिसका शीर्षक 'बैंकिंग उद्योग में मानव संसाधन विकास' है, के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के तीन मर्दों को प्रमुख बताया है पहला प्रबंधकीय विश्वास, दूसरा कार्य तकनीकी एवं तीसरा संगठनात्मक वातावरण। लेखक के अनुसार यदि इन तीन मर्दों का सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो बैंकिंग क्षेत्र में काफी सुधार किए जा सकते हैं।
3. बी.एस. दीवान (1986) के लेख जिसका शीर्षक 'महाराष्ट्र बैंक में मानव संसाधन विकास, कार्य निष्पादन मूल्यांकन के विशेष संदर्भ में' है, के अनुसार महाराष्ट्र बैंक में कर्मचारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन गुणों पर आधारित होता है ना कि निष्पादन पर आधारित।
4. शिल्पा सक्सेना (2002) ने अपने शोध जिसका शीर्षक 'सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में मानव संसाधन विकास है' के अंतर्गत यह बताया कि यदि सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग होता है तो इससे हमारे देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा। उन्होंने कार्य निष्पादन मूल्यांकन को कार्य निष्पादन एवं

उत्पादन को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण औजार बताया।

उद्देश्य -

- (i) भारतीय स्टेट बैंक की कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
- (ii) भारतीय स्टेट बैंक की कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- (iii) प्रभावी कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्र में न्यादर्श के चुनाव हेतु दैव निर्देशन विधि का उपयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध में कुल 100 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। प्रश्नावली एवं साक्षात्कार द्वारा प्राथमिक समंक एकत्र किए गए हैं। द्वितीयक समंक पुस्तकों, पत्रिकाओं, वार्षिक प्रतिवेदन द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

समंकों का विश्लेषण - कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था के संबंध में बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों से पूछे गए प्रश्नों का विवरण एवं इसके संबंध में बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्राप्त समंकों का विश्लेषण निम्न प्रकार है - **(देखे अन्तिम पृष्ठ पर)**

कार्य निष्पादन से संबंधित सारणी से स्पष्ट है कि प्रश्न क्रं. 1, क्या आप स्वयं का कार्य बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेते हैं अथवा नहीं? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 75% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 2, क्या बैंक व्यवसाय में विस्तार के परिणामस्वरूप आपका कार्यभार अत्याधिक बढ़ गया है? के संबंध में अधिकारियों एवं लिपिक संवर्ग के औसत 74.5% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 3, क्या एक ही प्रकार का कार्य करने के परिणाम स्वरूप आपकी कार्य करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 48.75% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 4, क्या आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को बैंक में सम्मानित किया जाता है? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 66.25% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 5, यदि हां तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह सम्मान

आपकी कार्यक्षमता में गुणोत्तर वृद्धि करता है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 86.85% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 6, क्या बैंक आप में निहित क्षमता की पहचान कर उनको विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराता है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 45% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 7, क्या आपके कार्य निष्पादन मूल्यांकन में आपकी सहभागिता होती है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 65% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 8, क्या बैंक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन निष्पक्ष है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 40% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 9, क्या कार्य निष्पादन मूल्यांकन करते समय आपके द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 54.5% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 10, क्या बैंक में निम्नतर निष्पादन कर्मियों को उत्कृष्ट निष्पादन कर्मी बनाने हेतु प्रयास किया जाता है अथवा नहीं? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 62.5% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 11, क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके कार्य के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 53.3% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 12, क्या प्रतिपुष्टि आपकी कमियों से आपको अवगत कराकर आपके निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायक है ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 67.5% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

प्रश्न क्रं. 13, क्या आप वर्तमान कार्य निष्पादन प्रणाली से संतुष्ट हैं ? के संबंध में अधिकारी एवं लिपिक संवर्ग के औसत 46.6% अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहमति व्यक्त की।

सारणी में उल्लिखित समकों के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया से कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं।

समस्याएं -

- स्टेट बैंक में कार्मिक के कार्य निष्पादन मूल्यांकन की विद्यमान व्यवस्था उत्साहवर्धक नहीं है।
- बैंक में लिपिक वर्ग के कार्मिकों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन के परिणामों से अवगत नहीं कराया जाता है। परिणामतः बैंक कर्मों में निहित कमियों में सुधार नहीं हो पाता है।
- बैंक में निष्पक्ष कार्य निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं है।

निष्कर्ष - स्टेट बैंक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन की व्यवस्था अधिकारी संवर्ग एवं लिपिक संवर्ग के लिए अलग-अलग है। बैंक में अधिकारी संवर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन खुली मूल्यांकन व्यवस्था द्वारा किया जाता है एवं लिपिक संवर्ग के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन गोपनीय प्रतिवेदन विधि द्वारा किया जाता है अर्थात् बैंक कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था पक्षपातपूर्ण है। बैंक कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था को मूल्यांकन में पारदर्शिता, विविध पक्षकारों द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन एवं लिपिक संवर्ग के लिए भी खुली मूल्यांकन व्यवस्था आदि का प्रयोग कर बेहतर बना सकता है।

सुझाव - स्टेट बैंक कार्मिकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए निम्नांकित सुझाव उपयोगी हो सकते हैं :-

- मूल्यांकन पारदर्शिता** - कार्मिकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन को पूर्णतः पारदर्शी होना चाहिए अर्थात् मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया सहित परिणाम की जानकारी कार्मिकों को मिलना चाहिए।
- विविध पक्षकारों द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन** - बैंक कार्मिकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन बैंक से संबद्ध ग्राहकों, सहकर्मियों एवं बैंक अधिकारियों द्वारा कराना चाहिए।
- उत्साहवर्धक, मूल्यांकन व्यवस्था** - कार्मिकों का मूल्यांकन इस तरह होना चाहिए कि कार्मिक स्वतः ही बेहतर कार्य हेतु प्रेरित हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- Books of Instruction, Volume - I, State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai, 2003.
- Ever latest in Banking, SBI, Officer Association, Diwakar Printers, Bhopal, 2006.
- Madhvi B., Rao, C. Rama Prasada, Human Resource Development in Commercial Banks. The Associated Publisher, Ambala Cantt, 2007.
- आकांशा त्रैमासिक पत्रिका, प्रकाशक भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल सर्कल 2005
- खान, मुबीन मोहम्मद, 'मानव संसाधन प्रबंध: मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित एवं पंजाब नेशनल बैंक का तुलनात्मक अध्ययन', 1998.
- गिरहे, रवि दिवाकर 'बदलते बैंकिंग परिवेश में ग्राहक संतुष्टि : एक चुनौती', बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, अप्रैल-जून 2007.
- बैंकिंग प्रश्नोत्तारी, स्टॉफ प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा, 2005 एवं 2009.
- राय, देवज्योति घोष, बैंक शाखा में मानव प्रबंध, बी.डी.पी. पब्लिशर्स, 1998.
- सिंह, नरेन्द्रपाल, 'भारतीय बैंकों में मानव संसाधन प्रबंध', बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, जनवरी-मार्च 2008.
- www.sbi.co.in
- www.statebankofindia.com

प्र.क्रं.	विवरण औसत सहमति	प्रतिशत
1	क्या आप स्वयं का कार्य बैंक द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेते हैं अथवा नहीं ?	75
2	क्या बैंक व्यवसाय में विस्तार के परिणामस्वरूप आपका कार्यभार अत्याधिक बढ़ गया है ?	74.5
3	क्या एक ही प्रकार का कार्य करने के परिणाम स्वरूप आपकी कार्य करने की इच्छा पर विपरीत प्रभाव पड़ा है?	48.75
4	क्या आपकी उत्कृष्ट सेवाओं को बैंक में सम्मानित किया जाता है ?	66.25
5	यदि हां तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या यह सम्मान आपकी कार्यक्षमता में गुणोत्तर वृद्धि करता है ?	86.85
6	क्या बैंक आप में निहित क्षमता की पहचान कर उनको विकसित करने का अवसर उपलब्ध कराता है ?	45
7	क्या आपके कार्य निष्पादन मूल्यांकन में आपकी सहभागिता होती है?	65
8	क्या बैंक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन निष्पक्ष है ?	40
9	क्या कार्य निष्पादन मूल्यांकन करते समय आपके द्वारा भाग लिए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है?	54.5
10	क्या बैंक में निम्नतर निष्पादन कर्मियों को उत्कृष्ट निष्पादन कर्मी बनाने हेतु प्रयास किया जाता है अथवा नहीं ?	62.5
11	क्या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपके कार्य के संबंध में प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है ?	53.3
12	क्या प्रतिपुष्टि आपकी कमियों से आपको अवगत कराकर आपके निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायक है ?	67.5
13	क्या आप वर्तमान कार्य निष्पादन प्रणाली से संतुष्ट हैं ?	46.6

मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का योगदान

कीर्ति सक्सेना * डॉ. एन. के. पाटीदार **

प्रस्तावना - भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है, जो कृषि एवं कृषि सम्बन्धी कार्यों से अपना जीवन-यापन करती है। भारत के आर्थिक विकास में कृषि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत का विकास करने के लिए कृषि का विकास करना आवश्यक है।

भारत में आज भी कुल श्रम शक्ति का लगभग 64 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही अपनी आजीविका प्राप्त कर रहा है। सकल घरेलू उत्पाद का 32.9 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। देश के कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा लगभग 23 प्रतिशत है। गैर कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुएं तथा अधिकांश उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त हो रहा है। चूंकि मध्यप्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए भारत में सबसे अधिक बोया गया क्षेत्र भी इसी राज्य में है परन्तु सिंचाई सुविधाओं की कमी तथा यंत्रिकरण के अभाव के कारण सकल बोए गए क्षेत्र में प्रदेश का स्थान उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र के बाद आता है। यदि हमें सकल बोए हुए क्षेत्र में वृद्धि करना है, तो सिंचाई सुविधाओं का विस्तार तथा यंत्रिकरण को बढ़ावा देना होगा। चूंकि प्रदेश के कृषकों के पास वित्तीय साधनों का अभाव है इस कारण वे इन साधनों का विस्तार कर कृषि में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे पा रहे हैं।

पुराने समय में वित्त या धन की आवश्यकता होने पर किसानों को जमींदारों एवं साहूकारों के पास अपनी जमीने एवं नगद रकम गिरवी रखकर ऋण लेना पड़ता था तथा किसानों को अपनी एक संपत्ति गिरवी रखना पड़ जाती थी। पिता का ऋण पुत्र को चुकाना पड़ता था। शत प्रतिशत किसानों के लिए ये ऋण रूपी चक्र निरंतर चलता ही रहता था और वे इस ऋण से मुक्ति ना पाकर ऋण रूपी ढलढल में फँसते चले जाते थे। यहाँ तक की कई किसान आत्महत्या कर लेते थे। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित है। देश के किसानों को प्रकृति के प्रकोप (शीतलहर, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, भूकंप) का भी सामना करना पड़ता है। शतप्रतिशत कृषकों को वित्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना पड़ता था और अधिक ब्याज चुकाना पड़ता था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पूर्व तक ऋण प्राप्ति के साधन देशी बैंकर या साहूकार ही थे, किन्तु इनकी ब्याज दर अधिक होने के कारण व्यक्ति सोच विचार कर ही ऋण लेता था।

उपरोक्त समस्याओं को दूर करने के लिए वर्ष 1998-99 के बजट भाषण में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड लागू करने की घोषणा की गई थी। Reserve Bank of India (RBI) और National Bank for agriculture and rural Development (NABARD) ने

मिलकर संयुक्त रूप से किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में प्रारम्भ की Reserve Bank of India (RBI) द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए गए। यह मार्गदर्शक सिद्धांत किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली बैंकों एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के अनुपालन हेतु जारी किए गए। देश की बैंकों तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा अगस्त 1998 में योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया। तब से आजतक योजना के अंतर्गत कृषक हितग्राहियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। किसानों की अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से इस योजना को तैयार किया गया था। यह साख निर्गमन की एक विशिष्ट योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रयोग होने वाली बीज उर्वरक, दवाईयाँ, नकदी फसल, उत्पादन सम्बन्धी मशीनरी एवं अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु वित्त उपलब्ध कराना है। बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से किसानों को समुचित और यथा समय सरल व आसान तरीके से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है ताकि खेती करने एवं आवश्यक उपकरणों को खरीदने के लिए वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ग्रामीण समाज में निवास करने वाले कृषक वर्ग के कल्याण एवं विशेष रूप से कमजोर व गरीब तबके में आने वाले कृषकों के विकास एवं उनकी आर्थिक समस्या को दूर करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी योजना है। इसके अंतर्गत किसानों की भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उन्हें बैंक द्वारा एक क्रेडिट कार्ड बनाकर दिया जाता है जिसके द्वारा समय-समय पर उनकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराया जाता है एवं कृषकों को इसका भुगतान निर्धारित समयावधि के लिए किरतों में करना होता है। पिछले दिनों भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) को स्मार्ट सह डेबिट कार्ड बनाने का निर्णय लिया जिसके बाद किसान अपने क्रेडिट कार्ड के द्वारा प्राप्त राशि को द्वारा भी निकाल सकेंगे।

किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ -

1. किसान क्रेडिट कार्ड की प्रक्रिया बहुत ही सरल है जिसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति आसानी से समझ कर उसका इस्तेमाल कर सकता है।
2. किसान क्रेडिट कार्ड केद्वारा किसान जिले की किसी भी शाखा से वित्त ले सकता है।
3. कृषकों को प्रत्येक वर्ष ऋण लेने की प्रक्रिया को पालन नहीं करना पड़ता है। परिणामस्वरूप समय की बचत होती है और किसानों को उनके पिछले पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर ऋण आसानी से मिल

* शोधार्थी, पेसिफिक यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

**प्रवक्ता (वाणिज्य) शासकीय आर. वी. महाविद्यालय, मनासा (म.प्र.) भारत

जाता है।

4. कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, नगदी, फसल एवं कार्यशील पूंजी आदि के लिए ऋण की प्राप्ति आसानी से हो जाती है।
5. किसानों की सुविधानुसार एक वर्ष के अन्दर फसल के बिकने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान किया जाता है।
6. किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के लिए हितग्राही को बैंक के ऑपरेशन एरिया में होना जरूरी है।
7. किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों को पर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं, भण्डार की सुविधा, उत्पादन की उपयुक्तता, मिट्टी एवं जलवायु की उपयुक्तता आदि कार्यों के लिए तकनीकी सुविधा प्रदान की जाती है।
8. किसान क्रेडिट कार्ड 70 वर्ष की आयु तक के सभी किसानों को दिया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा ऋण की सीमा के भीतर कई बार राशि निकाल सकते हैं। तथा कृषि की आय के आधार पर अधिकतम ऋण सीमा को बढ़ाया जा सकता है एवं फसल कटाई के पश्चात् ऋण का भुगतान किया जाता है।

इस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है।

योजना से लाभान्वित कृषकों की संख्या व ऋण की मात्रा -नई (Revised) किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2012 में लागू की गयी। मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। म.प्र में 308 लाख हेक्टेयर भूमि है तथा 72 मिलियन जन संख्या है। म.प्र में कुल क्षेत्रफल की 9 प्रतिशत भूमि है तथा म.प्र की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 6 प्रतिशत है।

2011 के अनुसार म.प्र में 85.6 प्रतिशत कर्मचारी कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं। जिसमें 31.2 प्रतिशत कृषक एवं 38.6 प्रतिशत कृषि कर्मचारी सम्मिलित हैं।

मध्यप्रदेश की पहचान विकासशील प्रदेश के रूप में बनी है। यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबंध का ही परिणाम है। म.प्र पहला राज्य है जहाँ वर्तमान में सहकारी बैंकों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में उत्तरप्रदेश व पंजाब के बाद गेहूँ उत्पादन में मध्यप्रदेश का तीसरा स्थान है। मध्यप्रदेश को लगातार पिछले 5 वर्षों से कृषि कर्मण अवाई सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन हेतु दिया गया है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में म.प्र की GSPD (9.02 प्रतिशत) हो गई। राज्य के कुल कृषक का 75.21 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन किए गए तथा लगभग 25 प्रतिशत किसान और बचे हैं।

म.प्र में संस्थावार किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति (कार्ड संख्या) **(सारिणी देखे आगे पृष्ठ पर)**

तालिका के अनुसार 2012 में सबसे अधिक के.सी.सी का वितरण 663292 (कार्ड) वाणिज्यिक बैंक द्वारा किया गया एवं सबसे कम सहकारी बैंक द्वारा 473065 (कार्ड) का वितरण किया गया। किन्तु 2016 में कृषकों को सबसे अधिक सहकारी बैंकों द्वारा 1462049 के.सी.सी का वितरण किया गया एवं सबसे कम वाणिज्यिक बैंक द्वारा 472359 के.सी.सी का वितरण किया गया। इसका कारण मध्य प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जा रहा है।

म.प्र में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा ऋण वितरण

(रूपए करोड़ में)

क्रमांक	वर्ष	फसल ऋण		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1	2011-12	19853	14750	99
2	2012-13	23086	26779	116
3	2013-14	40150	40628	101
4	2014-15	51638	46413	89
5	2015-16	47863	50513	106

स्रोत - SLBC (157, 159, 162, 163)

वर्ष 2012 में 14750 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया एवं पांच वर्ष बाद 2016 में इसकी वृद्धि 50513 करोड़ रूपए तक हो गयी। लक्ष्य का 106 प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया। राज्य में 1,04,03,667 कृषक है। राज्य के कुल कृषक का 75.21 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड निर्गमन किए गए तथा लगभग 25 प्रतिशत किसान और बचे हैं।

दोष - इस योजना का गहन अध्ययन करने के पश्चात् अध्ययन में कुछ नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हुए जो निम्न लिखित हैं।

1. हितग्राही कृषक को विभिन्न बैंकों से एक से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया इसका मुख्य कारण निरीक्षण का आभाव था।
2. परिवार में से एक से अधिक सदस्यों को एक ही भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान कर दिया गया।
3. अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि 12-13 वर्षों में भी कृषक किसान क्रेडिट कार्ड की उपयोगिता के बारे में जागरूक नहीं हो पाए हैं। इसका मुख्य कारण जानकारी का आभाव था।
4. योजना के हितग्राही कृषकों के अनुभव से अध्ययन के दौरान ज्ञात हुआ की योजना के अन्तर्गत 100000 से अधिक ऋण लेने पर परेशानी आती है।

सुझाव -

1. किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रक्रिया को आसान बनाकर कागजी कार्यवाही को कम करना चाहिए।
2. निमित्त फसलों का सही सही आंकलन करना चाहिए और हितग्राही कृषकों को मुआवजा समय पर देना चाहिए। जिससे कृषकों को सही समय पर आपूर्ति हो और उनको महाजनों से अधिक ब्याज पर ऋण नहीं लेना पड़े।
3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास करना, शोध अध्ययन के दौरान यह तथ्य सामने आया की अधिकांश कृषक इस योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण का 33.50 प्रतिशत भाग सामाजिक, धार्मिक, एवं पारिवारिक कार्यों में उपयोग कर लेते हैं। यदि कृषकों को शिक्षित कर उनमें कृषि उत्पादन को बढ़ाने की जागरूकता पैदा की जाए तो वह इस राशि का पूरा उपयोग कृषि कार्यों में ही करेंगे जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और परिणामस्वरूप आय में वृद्धि के साथ साथ उनके जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी।
4. इस योजनान्तर्गत ऋण प्रदान करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया तथा नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। जिससे कृषकों में असमंजस की स्थिति पैदा न हो।
5. छोटे एवं सीमांत कृषकों की कृषि लागत अधिक आती है क्योंकि उनकी कृषि योग्य भूमि की मात्रा कम होती है, इस कारण उनके कृषि से

सम्बंधित खर्चे अधिक होते हैं। इसलिए तकनीकी समितियों द्वारा कृषकों की ऋण की आवश्यकता की वास्तविक स्थिति का पता लगाकर ऋण की सिमा का निर्धारण करना चाहिए।

6. कृषकों को सिंचित क्षेत्र में एक से अधिक फसल का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त साख सुविधा उपलब्ध कर प्रेरित करना चाहिए।
7. वसूली प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए- जब फसलें प्राकृतिक कारणों से खराब हो जाए तो कठोर रूप से ऋण की वसूली को रोका जाए एवं ऋण भुगतान की अवधि को बढ़ा दिया जाए।
8. किसान क्रेडिट कार्ड धारी की दुर्घटना होने पर बीमित राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए।
9. इस योजना को राजनीति से दूर रखकर होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जाए।
10. इस योजना को पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करके इसमें पारदर्शिता लायी जाए।
11. योजना से वंचित कृषकों का सर्वे करके विभिन्न सीमांत समूहों जैसे बटाईदार, किराये के कृषक, पट्टेदार जो ग्रामीण समाज की निम्न

पायदान पर है, उन्हें विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समाविष्ट करके योजना से लाभान्वित करना चाहिए।

12. गलत भू-स्वामियों को चिन्हित करके गलत कृषकों या बोगस कृषकों को कड़े कदम उठाकर हटाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. SLBC MEETING (157, 159, 162, 163)
2. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला कृषि अर्थ व्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, 2008
3. डॉ हरीश चंद्र शर्मा एवं प्रो. राज कुमार शर्मा बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, साहित्य भवन आगरा 2001
4. त्रिवेदी, नेमा भारतीय बैंकिंग प्रणाली रमेश बुक डिपो जयपुर 2005-06
5. कृष्ण कुमार उमड़िया कृषि विकास की समस्याएँ मित्तल पब्लिकेशन नई दिल्ली 2003

म.प्र में संस्थावार किसान क्रेडिट कार्ड की प्रगति (कार्ड संख्या)

वर्ष	सहकारी बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक			वाणिज्यिक बैंक		
	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत	लक्ष्य	प्राप्ति	प्रतिशत
2012	600000	473065	78	112894	75653	68	295117	663292	224
2013	600000	271880	45	118538	69966	59	317142	572603	180
2014	300000	169911	57	118538	513113	43	317142	317142	278
2015	600450	417866	70	118538	60974	51	354012	918247	259
2016	582311	1462049	251	281174	197213	70	1274168	472359	37

स्रोत- SLBC 156, 164, 165, 155, 162 and 163

भारत के निर्माण में कौशल विकास

डॉ. प्रीति आनंद उदयपुरे *

प्रस्तावना - किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल विकास और ज्ञान अति आवश्यक है। दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था में वे सभी देश शामिल हैं, जिन्होंने कौशल का उच्चस्तर प्राप्त कर लिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की तीव्र गति की ओर अग्रसर है यहां कौशल विकास की आवश्यकता को महसूस किया गया है। अनेक प्रकार की चुनौतियां पहचान की गयी हैं एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं को कौशल विकास पर पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं।

देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देश्य से एवं दक्ष एवं कुशल श्रम शक्ति की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने भारत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का गठन किया है एवं 15 जुलाई 2015 को प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ भारतीयों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 2022 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 'कुशल भारत, कौशल भारत' योजना को शुरू किया।

भारत विश्व में सबसे अधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। यहां की कुल आबादी में से 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार करने वाली (15 से 59 वर्ष) की है और कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अगले दशक में 25 से 59 आयु वर्ग की आबादी और बढ़ने की उम्मीद है। भारत अपनी इस युवा आबादी से काफी लाभ उठा सकता है लेकिन हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगार लायक कौशल और ज्ञान के साथ श्रम बल तैयार करना एक चुनौती है।

भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ग्रामीण जनता ज्यादातर कृषि-आधारित व्यवसायों पर निर्भर रहती है। असली भारत आज भी ग्रामीण परिवेश में कृषि एवं पशुपालन जैसे परंपरागत कार्यों में संलग्न है और गरीबी, अशिक्षा से लगातार संघर्ष करते हुए राष्ट्र के निर्माण में मानव संसाधन के रूप में योगदान कर रहे हैं। आज विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा करना है, तो इन गांवों में रहने वाली जनसंख्या को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके इनका सही मार्ग दर्शन करना होगा।

कौशल विकास की सबसे अधिक आवश्यकता आज ग्रामीण भारत को है क्योंकि यहां युवाओं को आसानी से प्रशिक्षण सुविधाएं हासिल नहीं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने कई नई पहल की हैं, जैसे - दीनदयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, आजीविका आदि। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत के ग्रामीण युवाओं को आधुनिक बाजार की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करना है, ताकि वे समाज में अपनी सकारात्मक भागीदारी कर सकें।

कौशल विकास योजना के उद्देश्य - इस योजना के माध्यम से युवाओं

को शिक्षित प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत विकास के नये क्षेत्रों को खोजकर उन्हें विकसित करने का प्रयास करना है। युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना है।

1. देश के युवा और नौजवानों के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें रोजगार के योग्य बनाने के लिए पूरी एक व्यवस्था के निर्माण को देश की प्राथमिकताओं में शामिल करना।
2. युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ कम्प्यूटर शिक्षा देना इस योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक है।
3. योजनाबद्ध तरीके से गरीबों और गरीब नौजवानों को शिक्षित कर संगठित करके उनके कौशल को सही दिशा में प्रशिक्षित करके गरीबी का उन्मूलन करना।
4. गरीबी को दूर करने के साथ साथ गरीब लोगों, परिवारों तथा युवाओं में नया सामर्थ्य प्रदान कर आत्मविश्वास लाना।
5. भारतीय बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगार परक बनाकर राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना।
6. आने वाले दशकों में पूरी दुनिया में कार्यकुशल जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने के लिये विश्व के रोजगार बाजार का अध्ययन करके उसके अनुसार देश के युवाओं को प्रत्येक क्षेत्र में कुशल बनाना।
7. सभी राज्यों और संघ राज्यों को संगठित कर तकनीकी प्रशिक्षण की ईकाइयों के माध्यम से दुनिया में स्वयं स्थापित करना।
8. कौशल विकास के साथ साथ उद्यमिता और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना।
9. सभी तकनीकी संस्थाओं को विश्व में बदलती तकनीकी के अनुसार गतिशील बनाना।

कौशल और उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कौशल विकास का कोर्स करने वालों के लिए 5 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये के कर्ज का प्रावधान है। योजना दो पहलुओं पर काम कर रही है। कम अवधि वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तो है ही, जो लोग पहले से प्रशिक्षण प्राप्त है। उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना भी इसमें शामिल है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अल्प अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 लाख 45 हजार 107 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया। इनमें से 3 लाख 9 हजार 760 युवा इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 5 लाख 16 हजार 861 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षित लोगों में 54 हजार 563 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। दूसरी ओर, पहले से ही प्रशिक्षण

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय नर्मदा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, होशंगाबाद (म.प्र.) भारत

प्राप्त लोगों में करीब चार लाख लोगों ने प्रमाणपत्र के लिए पंजीयन कराया, जिनमें से 2 लाख 90 हजार 99 लोगों को प्रमाणपत्र पा चुके हैं।

इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में दूसरे पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'राष्ट्रीय सोर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान' की मांगों को भी ध्यान में रखा गया है। ये अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित है। मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हर युवा को औसतन 8000 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा।

कौशल विकास योजनाओं को कई स्तर पर वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। इनमें राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक और मुद्रा योजना की भूमिका अहम है। मुद्रा योजना आज सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना -

1. युवाओं में उद्यमिता की भवना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 08 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की।
2. बैंको द्वारा बिना किसी गारंटी के तीन वर्गों - शिशु, किशोर और तरुण के लिए आसान कर्ज उपलब्ध।
3. 13 अप्रैल 2017 तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बांटे गए।
4. 2016-17 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 2017-18 में इसे दोगुना कर 2.44 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
5. 70 प्रतिशत ऋणों का लाभ महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया।

कौशल विकास के सुझाव - कौशल विकास योजना सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। इससे राष्ट्र का निर्माण विकसित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाएगा। सरकार की नीतियों में युवाओं के विकास का एक मात्र उद्देश्य है लेकिन इसमें कई कमियां हैं। इनको संतुलित करना इस देश के विकास के लिये अत्यंत आवश्यक है।

1. कौशल विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं उपयोगिता को बनाए रखा

जाए।

2. जो व्यवस्था है उसकी क्षमता के सभी को बराबर अवसर दिए जाएं।
3. स्कूली शिक्षा एवं कौशल विकास प्रयास के लिए सही संतुलन बनाए रखा जाए।
4. कौशल विकास योजनाओं के शोध एवं विकास के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए।
5. परीक्षा, प्रमाणपत्रों एवं उनकी सम्बद्धता की गुणवत्ता बनाई रखी जाए। न्यू इंडिया की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए जरूरी है कि बेरोजगार पहले खुद में कौशल विकास करें, तदनु रूप बाजार में दस्तक दें। हो सके तो कौशल विकास के जरिए बड़े आत्मविश्वास से स्वरोजगार के लिए प्रवृत्त हो जाएं। उद्यमिता की दिशा में आएं। खुद के रोजगार संकट का समाधान करने के साथ उद्यमी संस्थान में अन्य को रोजगार दें।

देश में बेरोजगारी और बेगारी की समस्या को दूर करने, आय का स्तर उठाने और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने की जरूरत है। इस दिशा में मौजूदा प्रयासों के साथ साथ सरकार को कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण को औपचारिक शिक्षा से जोड़ने और अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलावों के अनुरूप ढालना होगा।

कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे युवा आज के उद्योगों की जरूरत के अनुसार कुशल और रोजगार के लायक हों। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकता, संसाधन और परंपरागत ज्ञान को ध्यान में रखकर हमें कोर्स की विषयवस्तु तैयार करनी होगी ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरत के हिसाब से भी कुशल श्रमबल तैयार किया जा सके। दूरदराज के क्षेत्रों में युवाओं तक पहुंचने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। बहरहाल इतना तय है कि जब तक देश के सभी क्षेत्रों में कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा के स्तर को ऊपर नहीं उठाया जाता तब तक देश को विकसित बनाने का सपना अधूरा रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गाईडलाईन।
2. योजना।
3. प्रतियोगिता दर्पण।
4. जनसत्ता।

स्थानीय स्वायत्ता संस्थाओं में नवतकनीक क्षेत्र की भूमिका

प्रीति शाह *

प्रस्तावना - मानव का स्वभाव हमेशा से विकासशील रहा है। मनुष्य को वर्तमान अवस्था तक आने में कई युग बीत गए हैं। जहां मनुष्य पहले खानेपीने बैठने सोने आदि के बारे में कुछ नहीं जानता था, वहां मानव के पास वर्तमान में खाने बैठने तथा सोने उठने व अपने कार्य करने के बेहतर विकल्प है। मानव के विकास व देश के विकास में गहरा संबंध है।

देश का विकास के नगरों के विकास पर निर्भर होता है व नगरों का विकास स्थानीय संस्थाओं पर निर्भर होता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा नगर के विकास हेतु कई कार्य संपन्न किए जाते हैं और स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही नगरी विकास हेतु कई परिवर्तन किए गए।

उद्देश्य-मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र की नगर पालिकाओं द्वारा नगर के विकास हेतु नगरों में नव तकनीक का उपयोग कहां तक किया गया है इसका ध्यान करना है। हमारे उपर्युक्त शीर्षक का लक्ष्य है नगर पालिकाओं द्वारा बदलते परिवेश में नव तकनीक का उपयोग किस सीमा तक किया गया है। साथ ही पिछले वर्षों में आए परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन करना ताकि विकास ओर किस सीमा तक हम अग्रसर हो सके हैं यह ज्ञात किया जा सके।

शोध सारांश - नगरीय निकायों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नव तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, उसका अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि पहले और आज की स्थिति में बदलाव आया है।

कंप्यूटर तकनीक-इसके बारे में बात करें तो आज हालात बदले हैं। नगर पालिकाएं प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन परंपरागत तरीके से करती आ रही थी। इसमें आधुनिकीकरण के तहत कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को लाना सबसे महत्वपूर्ण था लेकिन कुछ वर्षों पूर्व तक कंप्यूटर से कार्य करने में लागत अधिक व प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव था। जिसकी वजह से नगरपालिका इस तकनीक का उपयोग नहीं कर पा रही थी। वर्तमान में नगर पालिकाओं का तेजी से आधुनिकीकरण किया है। इसकी वजह यह है कि अब आसानी से कुशल कर्मचारी यानी कंप्यूटर ऑपरेटर उपलब्ध है। उसके अलावा नगर पालिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हो चुके हैं। यह सॉफ्टवेयर शासन द्वारा ही नगर पालिकाओं को निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप नगर पालिकाएं अब अपने दैनिक कार्य से लेकर कर्मचारियों को भी आधुनिक तरीके से पूरा कर रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप नगर पालिका के कार्यों में पारदर्शिता आई है। साथ ही कार्य करने में आसानी भी हुई है। पश्चिमी निमाड़ क्षेत्र की अधिकांश नगरपालिकाओं में अब सारे काम कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। इस कार्य के चलते नगर पालिकाओं के रिकॉर्ड संधारण से लेकर अन्य स्तर पर सुविधाएं मिली है। इसमें कर संबंधी मामले में लोगों को भी पारदर्शिता

से जानकारी मिलने लगी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कर्मचारियों के निर्धारण और उनकी वसूली में कर्मचारियों के माध्यम से कथित रूप से गड़बड़ी की बात भी सामने आती थी। जब से कंप्यूटरीकरण की प्रणाली और उसे ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से किया गया है तो कर्मचारियों के निर्धारण और उनकी प्राप्ति में भी किसी तरह की त्रुटि या गड़बड़ी को न्यूनतम स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है।

प्रकाश व्यवस्था -नगरी निकाय की प्रकाश व्यवस्था के बारे में बात करें तो पूर्व के काल में अंधेरे में ही जीवन यापन करना होता था। उसके बाद में उत्तरोत्तर व्यवस्था में तरक्की हुई। परिणाम स्वरूप मिट्टी के दीपक जलाकर सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की गई। उसके बाद में बिजली का आविष्कार हुआ और फिर स्ट्रीट लाइट के लिए नगर निकायों द्वारा बिजली के बल्ब लगाने की व्यवस्था की गई।

इस दिशा में भी एक समस्या और चुनौती यदि यह थी कि नगरपालिका को अपने आय के सीमित साधनों के बीच ही बिजली का बिल भरने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पश्चिम निमाड़ की कई नगरपालिकाओं की स्थिति यह थी कि बिजली के बिल समय पर नहीं भरे जाने के कारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उनके संयोजनों को विच्छेदित कर दिया जाता था। समय के साथ में परिवर्तन हुआ, उस दौर में ऐसे बल्ब का उपयोग किया जाता था जिससे कि बिजली की खपत अधिक होती थी। वर्तमान में नगरपालिकाओं ने अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। परिणाम स्वरूप अब यह सीएफएल और एलईडी जैसी व्यवस्थाओं को लाया गया है। इसके कारण बिजली की खपत न्यूनतम स्तर पर पहुंची है। साथ ही आधुनिक विद्युत व्यवस्था में ऐसे यंत्र भी लगाए गए हैं जिससे की स्वचालित प्रणाली से उनको बंद किया जा सकता है। उल्लेखनीय की स्वचालित प्रणाली से स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होने की के कारण कई बार दिन भर बिजली के बल्ब जला करते थे, जिससे की बिजली की खपत अधिक हो जाती थी। यह भी नगर पालिकाओं के लिए आर्थिक बोझ वाला कार्य साबित होता था। अब स्वचालित प्रणाली के टाईमर उपयोग से करीब 40 से 50 प्रतिशत बिजली की कटौती हुई है। उसे नगर निकायों के आर्थिक बोझ में भी कमी आई है।

आधुनिक शौचालय व्यवस्था-नगरी निकाय के लिए शहरी ढक्कन में शौचालय का इंतजाम करना उसकी अहम जिम्मेदारी में से एक है। शहरीकरण के दौर में शौचालयों का निर्माण किया गया। पहले व्यवस्था में सार्वजनिक शौचालय को अस्तित्व में लाया गया। इसके बाद नगर पालिकाओं द्वारा घरघर शौचालय बनाने की व्यवस्था की गई। पुरानी व्यवस्थाओं के तहत मलवाहक शौचालयों का निर्माण किया जाता था। इन शौचालयों के निर्माण में सबसे बड़ी दिक्कत गंदगी की थी। वहीं मल ढोने जैसी एक गलत परंपरा

अस्तित्व में आ गई थी। इसमें कई लोगों को अमानवीय कार्य करते हुए मैल ढोने जैसी व्यवस्था में सेवाएं देना होती थी। धीरेधीरे समाज ने इस तरह की व्यवस्था को गलत दृष्टिकोण से देखा। इसी कारण आधुनिक शौचालय को स्थिति में लाने की शुरुआत हुई। नगरीय निकायों ने पहले अपने स्तर पर सार्वजनिक रूप से आधुनिक शौचालय के तौर पर फलश वाले शौचालयों का निर्माण करवाया। उसके बाद लोगों ने भी अपने घरों में शौचालय की व्यवस्था करना शुरुआत की। साथ ही नगरपालिकाओं ने नए सुलभ शौचालय का निर्माण भी करवाया। यह सुलभ शौचालय भी मलवाहक वाले नहीं बल्कि फलश वाले शौचालय बनाए गए। इन सब में एक और तकनीक की आवश्यकता महसूस की गई। शौचालयों के लिए बड़े-बड़े सेप्टिक टैंक बनाने लगे लेकिन इनके मल से भर जाने पर उनको खाली करने की भी बड़ी चुनौती थी। इसलिए नगरी निकाय को अपने आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देना पड़ा। सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए लाखों रुपए की लागत वाली आधुनिक मशीन खरीदी गई हैं। जिनसे वैक्यूम द्वारा किसी भी सेप्टिक टैंक के भर जाने पर उसे कुछ ही घंटों में खाली कर कर पुनः उपयोग लायक बनाया जा सकता है। यह व्यवस्था न केवल नगरपालिकाओं ने अपने सार्वजनिक शौचालय के लिए की बल्कि कर लेकर बकायदा यह व्यवस्था घरों में निर्मित फलश वाले शौचालयों के लिए भी उपयोग में लाई गई। परिणामस्वरूप टैंक को खाली करना आसान हो गया। ऐसी कई आधुनिक मशीनें आज निमाइ के नगरीय निकायों के पास में उपलब्ध हैं।

सफाई व्यवस्था – नगरी निकाय आमतौर पर परंपरागत रूप से ही सफाई व्यवस्था को संभालती थी। इसके चलते नगरी निकाय पूर्ण रूप से सफाई के लिए अपने सफाई कर्मचारियों पर ही निर्भर रहती थी। इस अवस्था में भी नगरी निकायों ने तेजी से आधुनिकीकरण को अपनाया। इसके फलस्वरूप सफाईकर्मियों की बहुत अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं रह गई। मानव संसाधन की बचत को मशीनों से पूरा किया गया जिससे कि कम समय में कम लागत में त्वरित और अधिक काम हो पाते हैं। नगर निकायों को शुरुआती

तौर पर निश्चित रूप से आर्थिक रूप से बड़े निवेश करना पड़े, लेकिन लंबे समय तक उनके उपयोग से नगरपालिका का मानव संसाधन पर होने वाला व्यय भी बचा है। आज मशीनों से कचरा उठाने की व्यवस्था की जा रही है। कचरा परिवहन करने के लिए आधुनिक वाहन खरीदे गए। इनके माध्यम से बहुत ही कम समय में कचरे को ट्रेडिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जा सकता है। फलस्वरूप शहर में गंदगी की समस्या खत्म हुई है, जगहजगह कचरे के अठे समाप्त हो गए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में नगरपालिका और नगरनिकाय इससे भी आगे बढ़ी है। अब घरघर कचरा संकलन करने की व्यवस्था अस्तित्व में आ गई है। स्वच्छता अभियान के माध्यम से अब ऐसे कदम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे कि शहर में स्वच्छता की व्यवस्था बेहतर हुई है। आधुनिकीकरण से नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मानव संसाधन पर बहुत अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं रहती।

निष्कर्ष – पश्चिम निमाइ की संस्थाओं की वित्तीय स्थिति कमजोर है। इनके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण बदलते हुए परिवेश में नव तकनीक को अपनाए तो गया है, लेकिन जिस स्तर पर नव तकनीक का उपयोग होना चाहिए वह अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसकी एक बड़ी समस्या यह है कि नव तकनीक को अपनाने में लाखों रुपए की लागत मशीनों को क्रय करने में आती है। साथ ही इनके रखरखाव में भी अधिक व्यय आता है। तकनीक के उपयोग में कंप्यूटरीकरण से लेकर अन्य व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया है। परिणाम स्वरूप नगर निगम के कार्य में बदलाव जरूर आया है लेकिन आशातीत सफलता नहीं मिल पाई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास श्रीवास्तव ओएस. मध्य प्रदेश हिंदी अकादमी भोपाल
2. नगरपालिका द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं
3. नईदुनिया. दैनिक भास्कर – इंदौर संस्करण

म.प्र. के पश्चिम निमाड़ में अजा एवं अजजा के विकास हेतु नीतियाँ एवं योजनाएँ

डॉ. एन. एल. गुमा * रणजीत सिंह रावत **

प्रस्तावना - अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग अर्थात् समाज जैसे जो विश्व के कई देशों में है किन्तु भारत में इस वर्ग की बहुलता है। भारत के हृदय मध्यप्रदेश में सन् 2001 की जनगणना के आधार पर 122.33 लाख आदिवासी जनसंख्या निवास करती है, जो कुल आदिवासी जनसंख्या का 20.27 प्रतिशत है। म.प्र. की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का है। आजादी से पूर्व ये वर्ग विकास की दृष्टि से उपेक्षित ही रहे। शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण इनके आर्थिक व सामाजिक उत्थान के सारे मार्ग अवरुद्ध थे। आजादी के बाद परिदृश्य बदला है। भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को समता के अधिकार' से सम्पन्न करते हुए इनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए।

संविधान की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आये। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई। इन समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से म.प्र. शासन के आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का है। अन्य विकास विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है।

म.प्र. में निमाड़ की पहचान अनुसूचित जनजाति एवं जाति बहुल और पिछड़े क्षेत्र के रूप में की गयी है। निमाड़ के खरगोन एवं बड़वानी जिले अनुसूचित जनजाति एवं जाति के बहुल जिले के रूप में माने जाते हैं। इसलिए केन्द्रिय विकास नीति के अनुरूप इसके विकास के लिए नियोजित ढंग से प्रयास किए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रयास औद्योगिक विकास केन्द्र जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र के रूप में किया है। वर्तमान समय में खरगोन एवं बड़वानी जिले के अधिकांश युवक ऐसे हैं जो शिक्षित होते हुये भी बेरोजगार हैं। उन्हें रोजगार की नितांत आवश्यकता है ऐसे में म.प्र. शासन द्वारा कई स्वरोजगार योजनाएँ जैसे दीनदयाल रोजगार योजना, रानी दुर्गावती योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना आदि संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के द्वारा खरगोन एवं बड़वानी जिले के अनुसूचित जनजाति एवं जाति वर्ग के युवाओं को अधिकतम रोजगार प्राप्त हुआ है। जिससे उनकी आर्थिक सामाजिक

स्थिति में कौफी सुधार हुआ है तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।

रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना - राज्य शासन अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से उत्थान करने के लिए कृत संकल्पित है। इसी अनुक्रम में भोपाल घोषणा पत्र में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण अनुशंसा जो कि अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को सफल उद्यमियों के रूप में विकसित करने से संबंधित है, को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से इस वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए यह योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कम से कम 5000 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से उद्यमी के रूप में विकसित कर अपने उद्योग अथवा व्यवसाय स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार आगामी 5 वर्षों में 25000 अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जायेगा। यह योजना सम्पूर्ण म.प्र. में 1 अप्रैल 2003 से लागू की गई है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में उद्यम या व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से सहायता उपलब्ध कराना जिसमें उद्यम के चयन से लेकर प्रशिक्षण वित्तीय सहायता, विपणन स्थापना आदि चरणों में सहायता व सघन अनुश्रवण भी सम्मिलित है।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्रामीण आजीविका, ग्राम समृद्धि, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार, इन्दिरा आवास और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनाओं के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण के लिये प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में वित्तीय वर्ष 2004-2005 में 11053.60 लाख खर्च किए गए हैं।

विधि स्नातकों को आर्थिक सहायता - इस योजना के अन्तर्गत म.प्र. के अनुसूचित जनजाति के विधि स्नातकों को विधि व्यवसाय में सुप्रशिक्षित स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिलाध्यक्ष द्वारा परीक्षण पश्चात् विधि स्नातकों को रूपये 200 प्रतिमाह की सहायता एक वर्ष के लिए स्वीकृत की जाती है।

अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि योजना - राज्य शासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू की गई है।

मध्यप्रदेश के पश्चिम निमाड़ में अजा एवं अजजा के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही नीतियों एवं योजनाओं से यह प्रकट होता है कि

* प्राध्यापक (वाणिज्य) शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी, जिला - बड़वानी (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी (वाणिज्य) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रदेश सरकार योजनाबद्ध रूप से अजा एवं अजजा के विकास हेतु कृत संकल्पित है और विशेषतः शिक्षा एवं रोजगार के क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन कर विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष बनायी जाने वाली नवीनतम योजनाएँ इस बात का प्रमाण है कि अजा एवं अजजा के विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'भारतीय समाज संस्थाएँ और संस्कृति' डॉ. रामनाथ शर्मा, डॉ. राजेन्द्र

कुमार शर्मा, एटलान्टिक पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।

2. 'आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं का संक्षिप्त परिचय' वर्ष 2008, म.प्र. शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
3. 'मार्गदर्शिका' आर्थिक विकास योजनाएँ- म.प्र. राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल।

पंचवर्षीय योजनाओं में आवास नियोजन

डॉ. एकता कक्कड़ *

शोध सारांश - 'सुव्यवस्थित आवास' की समस्या विकासशील देशों में सदैव रही है। भारत भी आजादी के बाद से इस समस्या से जूझ रहा था। जहाँ एक ओर अर्थव्यवस्था डाँवाडोल अवस्था में थी, वहीं सामाजिक दबाव भी था। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को प्रस्तुत शोध में दर्शाया गया है। अब तक कुल बारह पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं इन योजनाओं में भारत में मकानों की कमी व बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप आवासन समस्या पर कितना ध्यान दिया गया इसे प्रस्तुत शोध में प्रदर्शित किया है। निष्कर्ष के रूप में दर्शाया गया है कि सरकार द्वारा किये गये प्रयास जनसंख्या व आवास की कमी के संदर्भ में उपयुक्त रहे हैं या नहीं? अंत में सुझावों के रूप में विभिन्न घटकों के शामिल किया गया है जिन पर उचित कार्यवाही के पश्चात् वे भारत में आवासन समस्या के निवारण में सहायक सिद्ध हो सकेंगे। पत्र को सार गर्भित रूप प्रदान करने के लिये मैं अपने गुरु परम् श्रद्धेय श्री डॉ सुशील जगदीश ललवानी जी का आभार प्रकट करती हूँ।

प्रस्तावना - प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1920 में तत्कालीन एस एन आर के प्रसिडेंट जोसफ स्टालिन ने की थी। पंचवर्षीय योजनाओं ने 'भारत के सामाजिक क्षेत्र का स्तर उठाने में अहम भूमिका निभाई। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आवासन समस्या से निबटने के कई प्रयास किये जिन्हे प्रस्तुत शोध-पत्र में सक्षिप्त में दर्शाया गया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना देश की आखरी पंचवर्षीय योजना थी। अब 3 वर्ष का एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसे नीति आयोग द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। यह प्लान सात वर्षीय स्टैटिजी पेपर और 15 वर्षीय विजन डॉक्युमेंट का हिस्सा है।

शोध पत्र के उद्देश्य - भारतीय मकानों की स्थिति के संदर्भ में सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये प्रयासों का आंकलन करना।

मकानों की स्थिति '1951 में मकानों की कमी लगभग 9 मिलियन आँकी गई। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ इस कमी में भी वृद्धि होती गई। 1961 में 15.2 मिलियन, 1971 में 14.6 मिलियन, 1981 में 23.3 मिलियन, 1991 में 22.8 मिलियन, 2001 में 22.4 मिलियन मकानों की कमी आँकी गई।'-1 '2007 में 24.71 मिलियन की कमी पाई गई, पक्के मकानों की संख्या 53.3 मिलियन, अर्द्धपक्के मकानों की संख्या 10.05 मिलियन व कच्चे मकानों की संख्या 2.56 मिलियन आँकी गई।'-2

'ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में मकानों की कमी 24.7 मिलियन आँकी गई। 2007-12 के दौरान बैकलॉग को शामिल करते हुए कुल आवश्यकता 26.53 मिलियन आँकी गई।'-3

2012 में देश के प्रमुख चार शहरों में मकानों की स्थिति इस प्रकार है-

शहर	कुल जनसंख्या	झुग्गी झोपडियों की संख्या	प्रतिशत
चेन्नई	4343645	819873	18.9
दिल्ली	9879172	1851231	18.7
बोटर मुम्बई	11978450	6475440	54.1
कोलकता	4572876	1485309	32.5

स्रोत- सिटी मुनिसिपल कॉरपोरेशन।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956) इसे संयोग ही कहा जा सकता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के लागू होते ही आवासन सम्बन्धी समस्याएं भी उजागर होने लगी। यह महसूस किया जाने लगा कि एक सामान्य व्यक्ति अपनी निम्न आय से एक मकान का किराया चुकाने में कठिनाई महसूस करता है अतः निर्माण लागत में कमी करके, मकानों के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की बचत करके तथा फालतू मजदूरी को घटाकर आवासन क्षेत्र में क्रान्ति लाई जा सकती है। 1952 में औद्योगिक कर्मचारियों के समक्ष रखी गई आवास योजना ने भारत में सामाजिक योजनाओं में ऐतिहासिक कार्य किया। 1954 में 'नेशनल बिल्डिंग ऑरगेनाइजेशन' की स्थापना की गई, जिसने न्यूनतम मूल्य पर मकान उपलब्ध कराकर आवासन योजनाओं को आगे बढ़ाया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) में जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं ने सरकार के साथ मिलकर मध्यम आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराये। इस योजना के दौरान झुग्गी-झोपडियों व गन्दी बस्तियों को हटाने तथा भूमि विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को तेज किया गया। इस योजनाओं का प्रमुख विकास यह था कि इस योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत ऋणों को बन्द कर के राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966) में पहली बार देश के मध्यम व वृहद् शहरी केन्द्रों के लिए 400 मास्टर प्लान हेतु वित्तीय प्रबन्धन किया गया। इस प्लान में आवासन की अर्थव्यवस्था में व्यापक महत्ता तथा औद्योगिक विकास एवं आवास सुविधा के मध्य सम्बन्धों को दर्शाया गया। इस योजना के दौरान कई राज्यों में आवासन बोर्ड की स्थापना की गई, जो गन्दी बस्तियों तथा निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हुई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974) में चार आवश्यक कार्यों का निर्धारण किया गया। विकासशील गांवों के लिए समुचित नवशों की व्यवस्था करना, जल तथा सफाई की सुविधाओं की व्यवस्था करना, लोगों को अपना

मकान बनाने तथा उसकी मरम्मत करने तथा सहकारी कार्यों के लिए प्रेरित करना। आवास की कमी की निरन्तर बढ़ती दर का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा 1970 में आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) की स्थापना की गई। सत्तर के मध्य दशक में लगभग सभी राज्यों में आवासन बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी। सभी बड़े शहर तथा राज्य सरकारें हुडको व जीवन बीमा निगम से जुड़ चुकी थी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-1979) में ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूरों को आवास भूमि देने के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर चलाने की व्यवस्था की गई और इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का अंग बना दिया। अक्टूबर 1977 में 'आवास विकास वित्त नियम' की स्थापना की गई। अच्छे और सस्ते डिजायनों को लाने सम्बन्धी अनुसंधान तथा विकास क्रियाओं पर जोर दिया गया। 1978 में मुम्बई में 500 रुपये वर्ग मी. व दिल्ली में 200 रुपये वर्ग मी. की दर से मकानों की बिक्री की गई। योजना की समाप्ति पर ग्राम आवास भूमि और आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत लोगों को 77 लाख मकान बनाने के लिए भूमि प्रदान की जा चुकी थी और लगभग 5 लाख 60 हजार मकान बनाये जा चुके थे।

छठी पंचवर्षीय योजना (1979-85) में सरकार ने भूमि लाभ अधिनियम के अन्तर्गत सुधार को सही मानते हुए भूमि धारकों को प्रभावी ब्याज दर के अनुसार क्षतिपूर्ति देने पर सहमति जताई तथा योजना समिति पर ग्रामीण गरीबों और झुग्गी झोपडी वालों के लिए मकानों के निर्माण हेतु आवासन मण्डलों पर ध्यान देने हेतु दबाव डाला गया।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्रों, सार्वजनिक उद्यमों, निजी कम्पनियों, सहकारी क्षेत्रों तथा परिवार क्षेत्रों के संबंध में समन्वित रूप से प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। योजना में कहा गया कि आवास निर्माण की प्रमुख जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को देनी होगी, विशेषतः परिवार क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की जिम्मेदारी मुख्यतः आवास भूमि को देने तथा आवास निर्माण के लिए सहायता करने तक सीमित की गई। इस पृष्ठभूमि में सातवीं पंचवर्षीय योजना के 5 उद्देश्य थे-

- आत्मनिर्भर आवास को संवर्धन एवं प्रोत्साहन।
- जिन ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को अब तक मकान बनाने की भूमि नहीं दी जा सकी है, उन्हें भूमि देना और जिन्हें भूमि दी जा चुकी है उन्हें मकान बनाने में सहायता करना।
- 'वन निर्माण प्रौद्योगिकी में सुधार और सस्ती एवं स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों के विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास।
- ग्राम आवास भूमि और आवास निर्माण योजना के अन्तर्गत उन 7 लाख 20 हजार ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को आवास भूमि देना जिन्हें अभी तक भूमि नहीं दी गई थी।
- जिन 27 लाख परिवारों के पास मकान बनाने की भूमि है, उन्हें निर्माण में सहायता देना।

मार्च 1987 में भारतीय औद्योगिक राज्य संघ ने वित्तीय संस्थानों को बड़ी आवासीय योजनाओं में विनियोग करने हेतु सुझाव दिया। 1988 में एच. डी. एफ. सी. को विश्व बैंक द्वारा 250 मिलियन डॉलर का ऋण आवास क्षेत्र में विकास हेतु दिया गया। इसी वर्ष 9 जुलाई को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। सरकार ने संगठित बैंकों को गृह ऋण के 100 प्रतिशत तक पुनर्वित्त करने की अनुमति दी।

सातवीं योजना में आवास के लिए कुल व्यय में केन्द्रीय क्षेत्र का

अंश 256 करोड़ रुपये था। 1990-1991 में केन्द्रीय क्षेत्र का अंश 55.50 करोड़ रुपये एवं राज्य क्षेत्रों का अंश 525.82 करोड़ रुपये था। 1991-92 में यह राशि क्रमशः 47.92 करोड़ तथा 523.68 करोड़ रुपये थी।

1994 की राष्ट्रीय आवास नीति में यह स्वीकार किया गया कि शहरी इलाकों में जहां भूमि की कमी है, सहकारी गतिविधियां आवास निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं।

निजी क्षेत्र की संगठित गतिविधियां मुख्य रूप से प्रमुख महानगरों में केन्द्रित रही। किन्तु इस योजना के दौरान ये गतिविधियां उन छोटे और मंझोले शहरों में भी बढ़ी जहां भूमि उपलब्ध थी और लागत अपेक्षाकृत कम थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) में इन्दिरा आवास योजना को छोड़कर आवास पर योजना परिवर्तन 6377.02 करोड़ रुपये अनुमानित था, जिसमें से 3581.67 करोड़ रुपये राज्यक्षेत्र में सम्बंधित संस्थागत वित्त के लिए थे। इस योजना के दौरान अन्य साधनों के माध्यम से आवास को प्रोत्साहन प्रदान करने पर महत्व दिया गया। ग्रामीण आवास की एक नई स्कीम क्रियान्वित करने का प्रस्ताव किया गया। आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली में सुधार के लिए हुडको तथा राज्य वित्तीय सहायता के रूप में समर्थन दिया गया। 1942-1997 के दौरान 350 करोड़ की व्यवस्था की गई।

आठवीं योजना की कार्यनीति में आवास के मामलों में विभिन्न बाधाओं को समाप्त करने, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा महिलाओं सहित विशेष रूप से सुविधा वंचित समूहों को प्रत्यक्ष सहायता वातावरण का निर्माण करना था।

आठवीं पंचवर्षीय योजना का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसको एक सुनिश्चित राष्ट्रीय आवास नीति के संदर्भ में तैयार किया गया। अतः इस योजना की प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों को दीर्घावधि नीति सम्बन्धी दस्तावेजों के एक उपभूत के रूप में देखा जाना चाहिए। ग्रामीण आवास के लिए निर्देशित ध्यान एक ऐसा आयाम है जिसमें इस योजना को एक नई दिशा दी। ग्रामीण आवास कार्यक्रम में स्थानीय रूप में उपलब्ध कम लागत की उर्जा, मितव्ययता, प्रौद्योगिकियों का बढावा देने तथा आवास लागत को कम करने के लिए आयोजना एवं डिलाइन मानदण्ड तथा व्यवहार संहिता विकसित करना आठवीं योजना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था।

नववीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में राष्ट्रीय बैंक द्वारा 'गोल्डन जुबली ग्रामीण आवास वित्त' योजना की घोषणा की गई, जिसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास संबंधी कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया गया तथा प्रति वर्ष 20 लाख मकानों के निर्माण की योजना बताई गई। राष्ट्रीय स्तर पर झुग्गी-झोपडी निवारण हेतु सुझाव दिये गये।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में समान क्षेत्रीय विकास पर जोर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत गांवों में 8.89 मिलियन मकानों की कमी दर्शायी गई। तथा 22.44 मिलियन मकान ऐसे दर्शाये गये, जिसमें सुधार की आवश्यकता थी। इस हेतु 2 मिलियन आवासीय इकाईयों जिसमें निजी क्षेत्र का योगदान 4, 15,000 करोड़ रुपये था।

तालिका - गत पंचवर्षीय योजनाओं में आवासन क्षेत्र में विनियोग (देखे आगे पृष्ठ पर)

न्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) इन्द्रा आवास योजना

बी.पी.एल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु 1985-86 में प्रारंभ की गई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा 4344.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। इसके अतिरिक्त 945428 मकान एस.सी/एस.टी. के लिये तथा 164753 मकान अल्पसंख्यकों के लिये आवंटित किये गये। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अरबन रीनिवल मिशन (JNNURM) के अन्तर्गत भी शहरी निवासियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने का प्रायास किया गया।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आज़ाद भारत के 75 वें वर्ष 2022 तक सभी नागरिकों के लिये पच्चे मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2012 में भारत 1878 मिलियन मकानों की कमी से जूझ रहा था। इस समस्या का सामना करने के लिये JNNURM की कई नीतियों में सुधार किया गया। 'राजीव आवास योजना' की झुग्गी झोंपड़ी से मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिये जून 2011 में घोषणा की गई थी, जिसका दूसरा चरण जून 2012 में प्रारंभ हुआ, और जून 2013 में समाप्त हुआ। भारतीय सरकार ने 3 सितम्बर 2013 में इस योजना को 2013-2022 तक के लिये बढ़ा दिया। 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को भी विस्तृत किया।

शोध विधा - शोध हेतु मूल्यांकन, तुलनात्मक व प्रतिशत विधियों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन हेतु सहायक/द्वितीयक आंकड़ों का संकलन किया गया है। ये आंकड़े विभिन्न संस्थाओं के वार्षिक विवरणों, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेजों व प्रकाशित संकलनों से एकत्रित किये गये हैं।

निष्कर्ष - टूटते परिवार, शहरीकरण, परिवारों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि, उच्च जीवन स्तर की चाह आदि से मकानों की मांग में वृद्धि हुई है।

किन्तु गृह निर्माण लागत में वृद्धि, वित्तीय संस्थाओं की कमी राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि आदि के कारण पूर्ति की वृद्धि दर मांग के अनुरूप नहीं है। सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं में आवासन क्षेत्र में किये गये प्रयास संतोषजनक नहीं हैं।

सुझाव - भारतीय केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा आवासन समस्या पर गंभीरतापूर्ण विचार किया जाना चाहिये तथा निम्न घटकों पर उचित कार्यवाही की जानी चाहिये-

- जनसंख्या वृद्धि पर रोक
- झुग्गी झोंपड़ी मुक्त भारत हेतु उचित योजना की घोषणा, क्रियान्वन, निरक्षण व नियन्त्रण
- निम्न दरों पर आवास ऋणों की उपलब्धता
- निम्न आय वर्ग को सस्ती दरों पर भूमि वितरण
- शहरीकरण के दुष्प्रभावों पर रोक
- वित्तीय संस्थाओं का विकास
- गृह निर्माण लागत में कमी के प्रयास आदि किये जाने चाहिये।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 1951-1991, हाउसिंग स्टेटिस्टिक, एन ऑवरव्यू- 1999, नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड एम्पलॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2001, सेंसस ऑफ इंडिया- 2001, दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
2. सेंसस ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट।
3. www.hudco.in

तालिका

गत पंचवर्षीय योजनाओं में आवासन क्षेत्र में विनियोग

राशि करोड़ों में

योजना अवधि	आवासन में विनियोग			कुल विनियोग का प्रतिशत		
	सरकारी	निजी	कुल	सरकारी	निजी	कुल
प्रथम योजना (1951-1956)	250	900	1150	16.0	50.0	34.0
द्वितीय योजना (1956-1961)	300	1000	1300	8.2	32.2	19.0
तृतीय योजना (1961-1966)	425	1125	1550	7.0	26.2	15.0
चतुर्थ योजना (1969-1974)	625	2175	2800	4.6	24.2	12.0
पंचम योजना (1974-1978)	796	3640	4436	3.3	22.5	10.0
छठम योजना (1980-1985)	1471	18000	19491	1.5	15.4	7.5
सप्तम योजना 1985-1990	2458	29000	31458	0.7	12.8	7.4
अष्टम योजना (1992-1997)	31500	66000	97500	1.9	17.6	12.2
नवम् योजना 1997-2002	52000	99000	151000	-	-	-
दसम् योजना (2002-2007)	415000	311300	726300	-	-	-

स्रोत- नेशनल बिल्डिंग आर्गनाइजेशन (एन.बी.ओ.) मिनिस्ट्री ऑफ अरबन अफेयर्स एंड एम्पलॉयमेंट, हाउसिंग गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया।

The Impact of Economic Reforms on Social Sector Development of India

Dr. Aparna Devi Goswami *

Abstract - Social sector is an important sector for India's economy and includes several important component such as education, health and medical care, water supply and sanitation, poverty alleviation, housing conditions etc. that play a vital contribution in human development. This paper attempts to analyze the impact of economic reforms on the social sector. Social sector may also refer to the value system of an economy which fosters values such as philanthropy, social business, social entrepreneurship etc. The elements of liberalization and economic reforms have played a key role in the areas of social infrastructure and development. Due to the rapidly globalizing competitive marketplace coupled with the increasing need to expand quality of life at the grassroots level and to spur innovative thought, policy makers in India are slowly but surely setting the social sector on the reform track.

Keywords - Economic Reforms, Social Sector, Education, Health, Human Development.

Introduction - Social sector concerns itself with various aspects of social development, programmes like education, health, nutrition, sanitation and other welfare measures designed to improve the quality of life development of social sector enhances the capacity of citizens so that economic and political activities. It is obvious that social sector development directly leads to human development through the formation of human capabilities like improved health, the knowledge and skills which enable people to expand the range of cherishes as to what kind of life to lead. Expenditure on health, nutrition and education perform more than a mere transfer of income. Growth of social sector occupies a place of paramount importance in the process of economic development. Its shape directly or indirectly affects the entire socio-economic framework of a country and size and its importance cannot be undermined at any stage of development.

Objectives and Methodology -The objectives of this paper are :

1. To assess the performance in the social sector viz., mainly the Education, Health, situation in India.
2. To analyse the impact of economic reform on the social sector development of India.
3. To examine the status and problems of education and health sector in India.

For this purpose secondary data has been gathered from authentic resources and databases.

Situation of Education Sector in India - The role of education in overall social and economic progress is widely recognized. The right to education has been enshrined as a fundamental right in the Constitution of India, which states that: "the State shall provide free and compulsory education

to all children aged six to fourteen years in such a manner as the state may, by law, determine." The literacy rate in India has been constantly rising, improving from 64.8% in the 2001 census to 74.04% in the 2011 census. Both the central and the state governments have been paying increased attention to the need to provide "education for all." The Indian government has placed lots of emphasis on primary or elementary education. Secondary education covers children aged 14–18, and provides for more than ninety million children. The SSA has been extended to secondary education in the form of Rastriya Madhyamik Shiksha Abhiyan , with special emphasis on the inclusion of disadvantaged sections and profession-based vocational training. Despite the higher levels of enrolment at all levels of education, actual value addition has been unsatisfying, as revealed by poor learning outcomes. Evidence suggests that learning trajectories for Indian school children are almost flat and are far below the corresponding class levels in other comparable countries. Dropout rates at secondary and higher levels remain high and much higher for socially and economically marginalized groups. The complex nature of the problems of poor quality, inequality and exclusion poses challenges to the Indian education system. Education is a subject in the concurrent list, and both central and state governments have their own responsibilities. The central government spending grew at a rate of 25% per year, and the spending incurred by the state governments grew at 19.6% per year during the 11th plan. While about 43% of the total was spent on elementary education, 25% was spent on secondary education and 32% on higher education. For elementary education, the focus remains on the government institutions. There is a broad range of challenges facing

the education sector in India. Given the inadequate infrastructure, poor learning outcomes, wide variations across states and social and economic categories, the four main priority areas in our education planning are access, equity, quality and governance.

Table -1 Pupil-teacher ratio in schools in India

Year	Primary	Middle(vi-viii)	Secondary(ix-xi)
1991-92	44	38	32
1995-96	43	37	32
1999-00	43	38	32
2000-01	43	38	32
2005-06	46	34	32
2007-08	47	35	37

Source: Socio-Economic Statistics of India, 2011, RBI

It is portrayed that the pupil-teacher ratio in all the levels is more or less stagnant over the post-reform period. But the ratio is high; one of the reasons is that most of the primary schools in the villages are single-teacher school. Though it is consistent the strength per teacher should be further reduced in order to attain the qualitative education not only the quantitative educational development.

Table-2 Literacy rates as estimated through surveys (percentage)

Period	Literacy Rate
1993-94	56
1995-96	59
1997-98	62
1999-2000	62
2004-2005	64
2011*	70.04

Source: Various NSS rounds * Population Census-2011

It was shown that there is improvement in the literacy rate of India after the reforms. But at the same time it needs to be accelerated by facilitating the educational sector with adequate physical and human infrastructures

Table-3 Gross Enrolment as percentage to the total population by age and sex

Year	Age (6-11 years)			Age (11-14)		
	Male	Female	Person	Male	Female	Person
1991-92	112.8	86.9	100.2	75.1	49.6	61.4
1995-96	97.1	79.4	88.6	67.8	49.8	59.3
1999-00	104.1	85.2	94.9	67.2	49.7	58.8
2000-01	104.9	85.9	95.7	66.7	49.9	58.6
2005-06	112.2	105.8	109.4	75.2	66.4	71.0
2007-08	115.3	112.6	114.0	81.5	74.4	78.1

Enrolment Ratios in 6-11 age group are more than 100. It may be due to the fact that there may be many students outside the age-group 6-11 enrolled in classes I – V.

Source: Socio-Economic Statistics of India, 2011, RBI
Even though there is a right to education, it was revealed from the table-3, we failed to achieve cent percent of enrollment in the age group of 11-14 years. There are two reasons for that, in many of the villages schools are only at

the primary level and parents were also not allow this age group of people to school and make them as a wage earner of the family. There is a need of policy measure to overcome these two problems.

Situation of Health Sector in India - One of the basic vitalities of good living is quick access to essential services like health care. But many times it could mean a condition of life and death for an individual who is unable to get the access to these services. Thus an important part of social sector development is incomplete without adequate health care facilities. The quality of human health is the foundation upon which the realization of life goals and objectives of a persona, the community or nation as whole depends. It is both an end and means of development strategy. The relationship between health and development is mutually reinforcing-while health contributes to economic development, economic development, in turn, tends to improve the health status of the population in a country. India as a nation has been growing economically at a rapid pace particularly after the advent of New Economic Policy of 1991. However, this rapid economic development has not been accompanied by social development particularly health sector development. Health sector has been accorded very low priority in terms of allocation of resources. There is no doubt that India has achieved a good deal in the health sector during the last sixty-five years. India also bears a disproportionately heavy burden of the world's diseases. Measured in terms of healthy years lost to illness, the World Health Organization estimates that Indians, who make up 17% of the world's population, suffer 28% of the world's total number of years lost to respiratory infections, 25% to tuberculosis, 24% to diarrheal diseases, 21% to measles, and 45% to leprosy. In addition, 2.5 million people in India are living with HIV/AIDS . The Government of India has recognized that significant improvements can be made in the health sector. Public health spending constitutes only 1% of the GDP, placing India below most low-income countries and at the bottom 20% of all countries. Nearly 80% of India's health spending comes Introduction and Overview 6 from individuals' out-of-pocket payments at the point of service.

Table 4: Infant Mortality Rate in India

Survey	IMR		
	Rural	Urban	Combined
NFHS-I	85	56	79
NFHS-II	73	47	68
NFHS-III	62	42	57

Source: NFHS Surveys

Infant Mortality Rate is the best indicator of health. It was inferred that the IMR was very high compared to rural area. It may be due to the lack of health infrastructures in Rural area and the nutritional deficiency of rural women. The combined Infant mortality rate has also to be reduced

in order to attain the target fixed under the Millennium Development Goals of UNDP.

Table 5: Institutional Deliveries in India

Survey	Institutional Deliveries		
	Rural	Urban	Combined
NFHS-i	17	58	26
NFHS-ii	25	65	34
NFHS-iii	31	69	41

It was inferred that in this 21st century also, nearly 59% of deliveries are unsafe in India and it was also very shock to see that only 31% of institutional deliveries in Rural India, there is huge gap between rural and urban. There is a need of full fledged operation of Primary health care centres in Rural India and there is also need of road-connectivity to all rural areas in order to avail the hospital facilities.

Suggestions :

1. Effective monitoring system for social sector development programmes in order to attain the target fixed in the plans.
2. Adequate human resources are required in health and education sectors and
3. strengthening of infrastructural development is also needed.

Conclusion - The economic reforms are concerned largely with economic sectors, the components of social sector have not been given much importance. The data relating to public sector allocation to the different components of the social sector in India are not satisfactory. Social sector should receive more importance as it directly affects the

human development. There should be integration of social sector planning with economic planning.

Usually social sector is considered as a residual sector in policy making .The health condition of a vast majority of the population remains worse even after a decade of reforms. More over government has to take immediate necessary steps to tackle the rising challenge of life taking diseases which rose during the reform period. It is not enough that higher allocations are made for the social sectors. The economic reforms have performed well but they could not bring about effective changes in the education and health sector of India.

References :-

1. Panchamukhi, P.R.(2000), "Social Impact of Economic Reforms in India: A Critical Appraisal" Economic and Political Weekly, Vol: 35 No: 10.
2. Jain Anjali., Recent Trends of Public Expenditure on Social Services in Madhya Pradesh with special references to education and Health, Chapter5, Economics of Education, Health and Human Resource Development(ed.) K. A. Rasure Vol. II, Abhijeet Publications Delhi, pp 56-69 ISBN 81-89886-54-1,(2006).
3. Government of India, Selected Socio Economic Statistics, India 2011.
4. Source: NFHS Surveys
5. Source: Socio-Economic Statistics of India, 2011, RBI
6. Source: Various NSS rounds * Population Census-2011

GST And Its Impact On Indian Economy

Sujata Naik *

Abstract - This paper explains the taxation mechanism in new GST regime, rolled out by the Government of India from 1 July 2017. The paper also discusses initial hurdles being faced in the GST regime and long term benefits, citing reports issued by various international finance agencies.

Introduction - Goods and Service Tax - GST is a value added tax levied on manufacture, sale and consumption of goods and services. GST is the biggest indirect tax reform founded on the notion of 'one nation, one market, one tax'. It unifies the market of 1.3 billion and the \$2.4 trillion¹ economy by doing away with the internal tariff barriers and subsuming central, state and local taxes into one tax - GST.

The government rolled out GST in India in a special midnight session of parliament on 1 July 2017. The idea of government behind implementing GST across the country (29 states and 7 Union Territories) is that it would offer a win-win situation for all. Manufacturers/ traders would benefit from reduced paper work and transparency; consumers would pay less for goods and service tax; and government would earn more revenues as revenue leaks would be plugged. However, the ground reality vary.

Initially GST was introduced in 3 slabs and forth slab of 12% of added later in GST council review meeting in November 2017; 4 tax slabs are – 5%, 12%, 18% and 28%, with day to items included in lowest slab and luxury items in highest slab. All goods and services has been brought under the GST's umbrella, except fuel, which has been major point criticism in the GST regime. Government seems to sceptical about its revenue if it brings fuel under GST regime.


Understanding GST - GST is tax only on pure value addition at each stage. GST offers a continuous chain of tax credit mechanism from producer's/supplier's point to retailer's/consumer's point. As a result, the final consumer bears only the GST charged by the last dealer in the supply chain, with set off benefits at all the previous stages. This will resolve the problem of double taxation and tax on tax and check the cost of goods along with making compliances easy and bringing stability in government's tax revenues.

GST subsumes Central taxes such as Central Excise

duty, Countervailing duties, Special Additional duties of customs, various cesses and surcharges levied by central government on these taxes and State taxes such as VAT, entertainment tax, luxury tax, entry tax, taxon lottery, betting and gambling.


In India, dual GST model has been introduced i.e. GST will be concurrently imposed by both State and Central Government. The Indian Constitution has divided the power to levy taxes between centre and states. While the Centre is empowered to tax services and goods up to production stage while the states have the power to levy tax on sale of goods.

Taxation in case of intra-state and inter-state transactions is explained pictorially here below:



*Asst. Prof. (Economics) Amar Shahid Raja BhauMahakal Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.) INDIA

GST in case of inter-state transactions:



Impact Of Gst On Indian Economy - The GST implementation had initial hurdles and short term adverse effects. There was apprehension among traders/ dealers over the impact of GST roll from 1 July 2017, which prompted them to destock inventory in a big way in June. This uncertainty and slowdown was reflected in GDP growth rate of Q1 of FY2017-18, i.e. just before GST roll out. GDP growth rate for Q1 dipped to a 3 year low of 5.7%² from 7.9%³ in the same quarter in last fiscal.

However, the initial hurdles were shrugged off and the GDP growth rate increased to 6.3%, 0.6% higher than previous quarter. Although, still lower than 7.5%⁴ recorded in Q2 FY2016-17.

The future of Indian economy appears stable and bright as the implementation of GST has long term benefits as it would increase the tax net thereby increasing government revenue and control fiscal deficit, it is likely reduce inflation in long run as cascading effect of tax has been eliminated, the reality however, varies in case of inflation, and climb several ladders in the ease of doing business.

The following further reinforces that GST implementation has been observed as a positive reform and has started showing its positive impact on the economy:

1. Improvement in sovereign rating from BAA- to BAA+ by one of world's leading credit rating agencies Moody's⁵ and Standard & Poor (S&P)⁶ kept India's sovereign rating unchanged at BAA- with stable outlook.
2. Moody's in its report has stated that the recently introduced GST, among other reforms, will promote productivity by removing barriers to inter-state trade. The report also states, that the recent government support to SMEs and exporters with GST compliance, real GDP

growth will rise to 7.5% in FY2018.

3. S&P in its latest report has stated that GST and demonetization has led to temporary slowdown but observed that the medium term growth prospects of the country are favourable. The report also stated that by demonetisation and rolling out GST the government has expanded the tax base, which would accelerate government revenue.
4. In addition to the above, the World Bank (WB) upgraded India's rating from 130 last year to 100 in World Bank's Ease of Doing Business rankings⁷ in its report Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs⁸. The report also states India stands out as one of the top 10 improvers having implemented highest number of business reforms in 2016/17. The WB report does not consider GST as one of the factors considered for upgrading India's rating, however, the rating is likely to improve further after rolling out of GST, which has eased the indirect taxation mechanism in India manifolds.
5. Despite, the robust outlook asserted by various leading international financial institutes about Indian Economy, GST seems to have had adverse effect on inflation. Retail inflation jumped to 15 months high of 4.88%⁹ in November vis-à-vis from 3.58% in previous month. However, an SBI report¹⁰ states that the impact of GST on inflation has been more than anticipated and the benefit of credit mechanism would take much longer to percolate to reflect the reduced impact of GST on prices. Apparently, inflation would take longer to absorb the shock of change in indirect regime to GST.

Conclusion - With the introduction of GST in India, the indirect tax system has changed substantially and there appears to certain teething problems with regards to compliance and percolation of credit mechanism to realise the reduction in prices. The initial hurdles have been noted by the government and that has resulted in various sops for exporters and introduction of a new tax slab. However, in various developed nations that follow GST regime maximum tax slabs are limited to 3, so, the impact of 4 tax slabs on ease of business has to be seen. The forth slab of 12% has definitely given some respite to certain businesses such as restaurants, hotels, etc.

The long term growth prospects for Indian economy are robust and positive, which the time will tell, and this has been observed by the World Bank, international credit rating agencies and various international financial institutes.

References :-

1. <https://cleartax.in/s/impact-of-gst-on-indian-economy>
2. Press note on Estimates of Gross Domestic Product for the Second Quarter (July-September) of 2017-18
3. Press note on Estimates of Gross Domestic Product for the Second Quarter (July-September) of 2017-18
4. Press note on Estimates of Gross Domestic Product for the Second Quarter (July-September) of 2017-18

5. <https://economictimes.indiatimes.com/markets/stocks/news/full-text-moodys-india-rating-upgrade-report/articleshow/61682706.cms>
6. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/sp-report-appreciation-of-govts-reform-measures-sitharaman/articleshow/61786051.cms>
7. World Bank Report on Doing Business 2018 – Reforming to Create Jobs
8. <http://www.doingbusiness.org/~media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf>
9. Press release dated 12 December 2017 issued by Central Statistical Organisation on CPI numbers
10. <https://thewire.in/179636/explains-indias-five-month-inflation-high/>

सीमेंट खनिज से संपन्न रीवा संभाग (दूरगामी प्रभाव)

डॉ. कीर्ति शुक्ला * डॉ. ए. के. पाण्डेय **

शोध सारांश – कोई भी उद्योग-धंधा कहाँ पर स्थापित किया जाए, यह वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु, कच्चेमाल की उपलब्धता, उपलब्ध बाजार आदि पर निर्भर करता है। भारत में सीमेंट उत्पादन के लिए प्रचुर मात्रा में कच्चा माल (लाइम स्टोन) पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से रीवा संभाग में (सतना, रीवा, कटनी, मैहर, सीधी आदि), मंडसौर (पश्चिमी म.प्र.), छत्तीसगढ़, (रायपुर, बिलासपुर), बिहार (बोकारो), राजस्थान, गुजरात (भुज), हिमाचल प्रदेश, आंध्रप्रदेश (हैदराबाद) आदि हैं। रीवा संभाग देश के अग्रणी सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में है। वर्तमान में यहाँ लगभग 10 कारखाने कार्यरत हैं और लगभग 5 बड़े संयंत्र स्थापित होने की स्थिति में हैं तथा कुछ और सीमेंट संयंत्र लगने की संभावनाएँ हैं।

प्रस्तावना – भारतीय सीमेंट उद्योग में विगत पाँच वर्षों में उत्तरोत्तर विकास किया है। भारत में सीमेंट की उत्पादन क्षमता जहाँ 2008 में 174.3 मिलियन मैट्रिक टन थी, वहीं 2017 में बढ़कर 407 मिलियन मैट्रिक टन हो गई है। जिसे आरेख के द्वारा अंकित किया गया है।

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

विकास की यह गाथा केवल सीमेंट खनिज की उपलब्धता पर ही निर्भर नहीं है बल्कि लाइम स्टोन की गुणवत्ता व उसके भंडारों के उत्खनन पर निर्भर है। किसी नए सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका सुरक्षित सीमेंट खनिज भंडार (लाइम स्टोन भण्डार) कितना है। साथ ही उस संरक्षित भंडार की गुणवत्ता, उसके उत्खनन के आर्थिक व तकनीकी पहलू क्या है ? उत्पादन की तकनीक व उसके भविष्य की संभावनाएँ क्या हैं ? रीवा संभाग के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर सीमेंट खनिज चूना पत्थर की बहुलता है, पर्याप्त मात्रा में वन संपदा व जलशक्ति है। **सीमेंट खनिज (चूनापत्थर) – 'उद्योग धंधे आधुनिक भारत के मंदिर हैं।' पं. जवाहरलाल नेहरू**

उद्योग धंधों में सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, ऊर्जा उद्योग, जल विद्युत, परियोजनाएँ, कागज उद्योग, रसायन उद्योग आदि हैं जिसमें सीमेंट उद्योग प्रमुख है। भारत में सीमेंट उद्योग की विशालता का अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि भारत चीन के बाद सीमेंट उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है। नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मटेरियल (एन.सी.बी.एम.) के आधुनिक आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन का भंडार 58656.06 मिलियन टन है, जिसमें-

1. 11292.03 मिलियन टन-मापित हैं।
2. 3968.47 मिलियन टन-रेखांकित हैं।
3. शेष 43395.56 मिलियन टन-अस्पष्ट है।

सीमेंट उत्पादन की लगभग अनुपातिक वार्षिक वृद्धि दर 10 प्रतिशत है, तो अगले 50 वर्षों में मापित भण्डारों में से 11292.03 मिलियन टन लाइम स्टोन की खपत होगी, यह एक चेतनात्मक अवस्था है जो हमें जागृत करती है कि सीमेंट खनिज के भण्डार सिकुड़े रहे हैं। इस हेतु और अधिक

अनुसंधान की जरूरत है।

सीमेंट खनिज के प्रकार – चूने का पत्थर कोल कोरियात चट्टानों का प्रमुख प्रतिनिधि है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है, इसके अतिरिक्त अन्य बालू भ्रूणमय तथा लौहमय पदार्थ होते हैं, जिन चट्टानों में मैग्नेशियम कार्बोनेट होता है, ऐसे चूने के पत्थर को डोलोमाइट कहते हैं। यदि चूने के पत्थर का रूपांतरण होता है, तो इस चट्टान में रवे बन जाते हैं तथा रूपांतरित चट्टान को संगमरमर कहते हैं।

रासायनिक संरचना के आधार पर इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है-

1. **केल्केरियस मटेरियल** – इसका निर्माण कैल्शियम संरक्षित कार्बोनेट के तीन बड़े ग्रुपों कैल्काइट, आर्गोनाइट व डोलोमाइट के कार्बोनेट के संरक्षण से होता है।
2. **आर्गोलेसियस मटेरियल** – ये सभी प्राकृतिक भूगर्भीय तत्व हैं, जो वले (मिट्टी) कहलाते हैं।
3. **करेक्टिव मटेरियल** – इसमें सिलिका रेत, बालू रेत, वले, क्वार्ट्जाइट, एल्युमिना, बाक्साइड आदि पाए जाते हैं।

चूना पत्थर की उपलब्धता का कारण – (रीवा संभाग के संदर्भ में) – रीवा संभाग मुख्यतः तीन जिलों से मिलकर बना था परंतु 28 मई 2008 को सीधी जिले का विभाजन कर दिया गया। अतः वर्तमान में कुल चार जिले रीवा, सतना, सीधी व सिंगरौली हैं। म.प्र. में लाइम स्टोन के भंडार विभिन्न भूगर्भीय आयु के आधार पर विभिन्न जिलों में व्यवस्थित हैं। इनका क्षेत्रफल बहुतायत में है तथा इसमें गुणवत्ता के आधार पर भिन्नता होती है। इन भंडारों पर निगरानी व नियंत्रण राष्ट्रीय भूगर्भीय संस्थान तथा राज्य भूगर्भीय व खनिज संस्थान करते हैं।

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

लाइम स्टोन भंडारों को भूगर्भीय संरचना के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है, जिसे तालिका क्रं. 01 के माध्यम से व्यक्त किया गया है।

तालिका क्रमांक 01 (देखें आगे पृष्ठ पर)

भांडेर लाइम स्टोन विध्यबेसिन के मध्य भाग में प्रचुर मात्रा में पाया

* (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सतना (म.प्र.) भारत

जाता है। यह अच्छे गुणवत्ता वाला लाइमस्टोन बैंड होता है।

डोलोमोटिक बैंड बेला के आसपास पाया जाता है। यह बैंगनी व भूरे रंग का होता है।

तालिका क्रमांक 02 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सीमेंट खनिज आधारित संयंत्रों के प्रभाव – वर्तमान युग औद्योगिकरण का है, जिसमें आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की जरूरत है। आधारभूत संरचनाएं किसी भी रूप में हो सकती हैं- भवन के रूप में, बांध के रूप में, हवाई अड्डों के रूप में, सड़क के रूप में, शापिंग माल के रूप में, आदि और इन उपर्युक्त संरचनाओं को पूरा करने के लिए जरूरत है- सीमेंट की। सीमेंट सिर्फ आधारभूत संरचनाओं के विकास में ही सहायक नहीं है, अपितु प्रति व्यक्ति सीमेंट खपत राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण सूचकांक है।

सकारात्मक प्रभाव -

1. सीमेंट संयंत्र की स्थापना के साथ ही लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है।
2. चूंकि सीमेंट संयंत्र प्रायः दुरुह स्थानों में रहते हैं, अतः वहां पर कच्चेमाल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु परिवहन के साधनों का विकास किया जाता है। उन क्षेत्रों में अच्छी सड़कें निर्मित की जाती हैं।
3. सीमेंट संयंत्र की स्थापना से प्रत्यक्ष रोजगार तो मिलता ही है। अप्रत्यक्ष भी जैसे दूध वाला, नाई, धोबी, मोची सब्जी वाला आदि लोगों को रोजगार मिलता है।
4. सीमेंट आधारित संयंत्र स्थापित होने से लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है। जिससे बाजार में पूंजी का आगम निर्गम बना रहता है।
5. सीमेंट संयंत्र के आस-पास अच्छे स्कूलों का विकास होता है, जिसमें श्रमिक व अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
6. बहुत से सीमेंट संयंत्र आस-पास के गांवों को बिजली व पानी की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए जे.पी. सीमेंट ने जेपीनगर के आस-पास के ग्रामों में मुफ्त बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई है।
7. जे.पी. सीमेंट रीवा व बिडला सीमेंट सतना व मैहर द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) संचालित होते हैं। जहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों को वहीं पर कारखानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
8. चूंकि जिन स्थानों पर लाइम स्टोन का उत्खनन होता है, वह स्थान काफी गहरे गड्ढों में बदल जाते हैं। नियमानुसार उन गड्ढों को समतल करना चाहिए, वर्षा ऋतु में उन गड्ढों में पानी एकत्रित होता है, जिससे भू-जल स्तर में सुधार होता है।
9. जे.पी. सीमेंट रीवा द्वारा निःशुल्क सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (हिन्दी माध्यम) में संचालित हो रहा है, जिसमें ग्रामीण व गरीब विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है।

नकारात्मक प्रभाव -

1. चूंकि सीमेंट संयंत्र का खनिज चूना पत्थर जमीन के अंदर पाया जाता है, उसे निकालने हेतु कई प्रशासनिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती है। प्रबंधन कई बार प्रलोभन देकर पारिवारिक दबाव देकर, सामाजिक दबाव देकर उनसे जमीन लेने का प्रयास करता है। जिससे बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे असंतोष उपजता है। कई बार सीमेंट संयंत्र के कर्मचारी शासकीय विभागों से तालमेल कर असली भूस्वामियों को गुमराह भी करते हैं।



2. सीमेंट उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कच्चा माल चूना पत्थर है, जिसे उत्खनन करके जमीन से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में यदि आबादी बसी हुई है, तो उसका विस्थापन दूसरे स्थान पर किया जाता है। इस हेतु विस्थापन शुल्क तो दिया जाता है। परन्तु बिचौलियों के कारण उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
3. जिस जमीन से उत्खनन होता है, वह खेती लायक जमीन उत्खनन से खत्म हो जाती है।
4. जब माइन्स में अंधाधुंध ब्लास्टिंग होती है, तो उससे भूजल संतुलन भी प्रभावित होता है और उसका स्तर काफी गिर जाता है।
5. रोजगार के संदर्भ में बात करें तो संयंत्रों में 10 प्रतिशत ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिल पाता है। और संयंत्र में उच्च पदों पर, प्रशासनिक पदों पर बाहरी लोगों का कब्जा रहता है, जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
6. जहाँ पर संयंत्र स्थापित होता है, वहां का पानी भारी जल (हार्ड वाटर) होता है जिसमें चूना पत्थर की प्रचुरता रहती है, जिससे अपच, पथरी, आदि की संभावना बढ़ती है।
7. चूंकि जहां पर सीमेंट संयंत्र स्थापित होता है, वहां पर सरकार द्वारा उस स्थान विशेष हेतु कुछ सी.एस.आर. रहते हैं। जिन्हें कंपनियाँ सिर्फ कागजों पर खानापूर्ति करती हैं और प्रशासनिक मिलीभगत से समाज के विकास में ज्यादा रुचि न रखकर अपना मुनाफा कमाती रहती हैं।
8. सीमेंट की कीमतों से स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है।

निष्कर्ष – रीवा संभाग प्रदेश में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पर 'सीमेंट हब' के रूप में विकसित हो रहा है। संभाग को प्रकृति में उदारतापूर्ण खनिज संसाधनों से परिपूर्ण किया हुआ है। यहां पर सीमेंट उत्पादन हेतु कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सीमेंट संयंत्र भी बहुतायत में हैं परन्तु इस संभाग की आर्थिक प्रगति आधारभूत ढांचा एवं लोगों के जीवन स्तर में सुधार का स्तर अभी भी निम्न है। संभाग के लोगों को न तो सीमेंट उत्पादन में, न रोजगार में, न अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी मिल पाई है। उनकी स्थिति 'कुएं में भी रहकर प्यासा' वाली हो गई है।

जब तक सीमेंट खनिज के उपयोग एवं विपणन को स्थानीय लोगों की पहुंच तक नहीं लाया जाता तब तक रीवा संभाग का आर्थिक उन्नति व समग्र आर्थिक विकास संभव नहीं है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मेगस्थनी एण्ड ओरियन, पृ. क्र. 20
2. संभागीय सांख्यिकी पुस्तिका 2016
3. म.प्र. का भौगोलिक अध्ययन (म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी 1994) डॉ. प्रमिला कुमार ।
4. डूडा. डब्ल्यू.एच. सीमेंट डाटा बुक 1985 तृतीय संस्करण ।
5. चटर्जी एस.पी. फिजिकल प्लेट नं. 28 भारतीय मानचित्र संस्थान ।
6. इंडियन सीमेंट रिव्यू-वर्ष 2015
7. सीमेंट स्टेटिक्स-वर्ष 2013-14
8. आई.सी.आर. ग्लोबल सीमेंट रिपोर्ट आठवां अंक - 2005
9. डॉ. आर.के. जैन व पी.के. जैन (सूर्य प्रकाशन)।
10. योजना (विकास को समर्पित मासिक पत्रिका) म.प्र. राज्य सहकारी प्रेस, भोपाल।
11. कृष्णान एम.एस. जियोलॉजी ऑफ इंडिया एण्ड वर्मा पृ. क्र. 183-187



लाइम स्टोन की उपलब्धता (रीवा संभाग के संदर्भ में)

तालिका क्रमांक 01

क्रं.	भूगर्भीय संरचना	जिला
1.	क्रिटेशियस कल्प	मंदसौर, भिंड, मुरैना, धार
2.	अपर विंध्यन	मुरैना, दमोह, पन्ना, सतना व रीवा
3.	लोवर विंध्यन	जबलपुर, सतना, रीवा, सीधी व मंदसौर
4.	आद्य महाकल्प (Archaean Era)	होशंगाबाद व जबलपुर
5.	कडप्पा(Cuddaph)	दुर्ग, रायपुर व बिलासपुर

स्रोत- चटर्जी एस.पी. फिजिकल प्लेट नं.-28 भारतीय मानचित्र संस्थान ।

तालिका क्रमांक 02
रीवा संभाग में जिलाबार चुनावपत्थर भंडार

क्रं.	जिला	स्थान	भंडार (मिलियनटन)			कुल
			मापित	रेखांकित	दुर्लभ	
1.	सतना	देग्राहट	-	31.40	-	31.40
		सिजहटा	-	-	36.00	36.00
		रामनगर	-	10.00	3.00	13.00
		बेला	47.00	-	-	47.00
		मैहर	18.00	-	4.60	22.60
		बदनपुर	11.00	-	39.00	50.00
		बाबूपुर	-	36.14	-	36.14
		झुन्ना	-	7.64	-	7.65
		नैना	-	-	65.00	65.00
		अन्य	-	-	-	115.14
		कुल	76.00	200.53	147.60	423.93
2.	रीवा	बनकुंइया	-	1.80	-	1.80
		नौबस्ता	-	35.30	-	35.30
		बेला	-	46.75	-	46.75
		परपोखरा ब्लाक	-	7.34	-	7.34
		कुल	-	91.19	-	91.19

स्रोत - संभागीय खनिज कार्यालय, रीवा संभाग, रीवा (म.प्र.) 2015

शिक्षा सम्बंधी शासकीय योजनाओं का अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर प्रभाव एक अध्ययन

राकेश कुमार दिलावरे * डॉ. उषा कुमठ **

प्रस्तावना - भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जिसमें बहुत से गाँव जनजाति बाहुल्य हैं। हमारा देश आर्थिक एवं सामाजिक रूप से विकसित हो रहा है लेकिन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग अभी तक पिछड़े हुए हैं। सरकार देश के विकास के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। हम अपने शोध के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शासकीय योजनाओं का लाभ ले रहे हैं या नहीं, यदि योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उसके कारणों को जानना और उचित सुझाव प्रस्तुत करना ताकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शासकीय योजनाओं का लाभ ले कर स्वयं का विकास कर सकें।

वर्तमान, शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शासकीय योजनाएँ चलायी जा रही हैं, ताकि सभी उपयुक्त शिक्षा तक पहुँच संभव हो। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षा के महत्व और लाभों को दिखाने के लिए टीवी और अखबारों में बहुत से विज्ञापनों को दिखाया जाता है क्योंकि पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी और शिक्षा की ओर अधूरी जानकारी के कारण पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं। पहले, शिक्षा प्रणाली बहुत ही महंगी और कठिन थी, गरीब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। समाज में लोगों के बीच बहुत अन्तर और असमानता थी। उच्च जाति के लोग, अच्छे से शिक्षा प्राप्त करते थे और निम्न जाति के लोगों को स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। यद्यपि, अब शिक्षा की पूरी प्रक्रिया और विषय में बड़े स्तर पर परिवर्तन किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा सभी के लिए शिक्षा प्रणाली को सुगम और कम महंगी करने के लिए बहुत से नियम और कानून बनाकर लागू किये हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने उच्च शिक्षा को सस्ता और सुगम बनाया है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भविष्य में समान शिक्षा और सफलता प्राप्त करने के अवसर मिलें।

अच्छी शिक्षा जीवन में बहुत से उद्देश्यों को प्रदान करती है जैसे व्यक्तिगत उन्नति को बढ़ावा, सामाजिक स्तर में बढ़ावा, सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार, आर्थिक प्रगति, राष्ट्र की सफलता, जीवन में लक्ष्यों को निर्धारित करना, हमें सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूक करना और पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए हल प्रदान करना और अन्य सामाजिक मुद्दों आदि। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, अशिक्षा और समानता के मुद्दों को विभिन्न जाति, धर्म व जनजाति के बीच से पूरी तरह से हटाने में सक्षम है। शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को बड़े स्तर पर विकसित करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को मिटाने में मदद करती है। यह हमें अच्छा अध्ययन

कर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलु को समझने के लिए सूझ-बूझ को विकसित करती है। यह सभी मानव अधिकारों, सामाजिक अधिकारों, देश के प्रति कर्तव्यों और दायित्वों को समझने में मदद करती है। शिक्षा हम सभी के उज्वल भविष्य के लिए आवश्यक उपकरण है। हम जीवन में शिक्षा के इस उपकरण का प्रयोग करके कुछ भी अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा का उच्च स्तर लोगों को सामाजिक और पारिवारिक आदर और एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है। शिक्षा का समय सभी के लिए सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। यह एक व्यक्ति को जीवन में एक अलग स्तर और अच्छाई की भावना को विकसित करती है। शिक्षा किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है।

हम में से कोई भी जीवन के हर एक पहलु में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकता। यह मस्तिष्क को सकारात्मकता की ओर मोड़ती है और सभी मानसिक और नकारात्मक विचारधारों को हटाती है। यह लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। बचपन में ही हमारे माता-पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्था से अच्छी शिक्षा प्रदान करने में अपने सबसे अच्छे प्रयासों को करते हैं। यह हमें तकनीकी और उच्च कौशल वाले ज्ञान के साथ ही पूरे संसार में हमारे विचारों को विकसित करने की क्षमता प्रदान करती है। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने का सबसे अच्छे तरीके अखबारों को पढ़ना, टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखना, अच्छे लेखकों की किताबें पढ़ना आदि हैं। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। यह समाज में बेहतर पद और नौकरी में कल्पना की जाए पद को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है। पहले शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन थी।

सभी जातियाँ अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थी। अधिक शुल्क होने के कारण प्रतिष्ठित कॉलेज में प्रवेश लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ना बहुत ही आसान और सरल बन गया है। हम अपने बचपन में, शिक्षा का पहला पाठ अपने घर विशेष रूप से माँ से प्राप्त करते हैं। हमारे माता-पिता जीवन में शिक्षा के महत्व को बताते हैं। जब हम 3 या 4 साल के हो जाते हैं, तो हम स्कूल में उपयुक्त, नियमित और क्रमबद्ध पढ़ाई के लिए भेजे जाते हैं, जहाँ हमें बहुत सी परीक्षाएँ देनी पड़ती है, तब हमें एक कक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण मिलता है। एक-एक कक्षा को उत्तीर्ण करते हुए हम धीरे-धीरे आगे

* शोद्यार्थी (अर्थशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

** (अर्थशास्त्र) माता जीजाबाई शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

बढ़ते हैं, जब तक कि, हम 12वीं कक्षा को पास नहीं कर लेते। इसके बाद, तकनीकी या पेशेवर डिग्री की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसे उच्च शिक्षा भी कहा जाता है। उच्च शिक्षा सभी के लिए अच्छी और तकनीकी नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। हम अपने अभिभावकों और शिक्षक के प्रयासों के द्वारा अपने जीवन में अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनते हैं। वे वास्तव में हमारे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाने में मदद की।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकांश लोग गरीब होते हैं, ग्रामीण इलाकों में निवास करते हैं, अशिक्षित होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं इसलिए मजदूरी कर जीवन यापन करते हैं, अशिक्षा और गांवों में निवास करने के कारण शासकीय योजनाओं से अज्ञान रहते हैं। प्रस्तुत शोध में हम शासकीय शिक्षा संबंधी योजनाओं की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर प्रभावशीलता का अध्ययन कर रहे हैं।

अध्ययन का उद्देश्य – शिक्षा सम्बंधी शासकीय योजनाओं का अनुसूचित जाति एवं जनजातियों पर प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की विधि – प्रस्तुत शोध में हम सरल देव निदर्शन विधि का उपयोग कर रहे हैं। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्र 2 जिलों में बंटा हुआ है। प्रत्येक जिले से हम सरल देव निदर्शन विधि द्वारा 20 गांवों का चुनाव कर प्रत्येक गांव से 05 उत्तरदाताओं का चुनाव कर जानकारी प्राप्त की गयी इस प्रकार एक जिले से 100 परिवार, इसी प्रकार दूसरे जिले से भी 100 परिवारों का चुनाव कर जानकारी प्राप्त की गयी। इस प्रकार 2 जिलों से 200 परिवारों का चयन किया है।

शिक्षा संबंधी योजनाओं की प्रभावशीलता संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण – शासकीय शिक्षा संबंधी योजनाओं का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर प्रभावशीलता का विश्लेषण करने के लिए हमने काई वर्ग विधि का प्रयोग किया है।

शिक्षित एवं अशिक्षित उत्तरदाताओं की शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी का विश्लेषण

शिक्षा सम्बंधी योजना	जानने वाले	नहीं जानने वाले	योग
शिक्षित	120	12	132
अशिक्षित	23	45	68
योग	143	57	200

H_0 : शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी की एक दुसरे पर निर्भरता नहीं है।

H_1 : शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी की एक दुसरे पर निर्भरता है।

$\alpha = 5\%$

d.f. = 1

$\chi^2_{tab} = 3.84$

$\chi^2_{cal} = 71.75$

5% सार्थकता स्तर पर χ^2 का सारणी मूल्य 3.84 है, जबकि χ^2 का परिकलित मूल्य 71.75 है जो सारणी मूल्य से अधिक है। अतः हमारी H_0 (शून्य परिकल्पना) अस्वीकार होती है और H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना) स्वीकार होती है अर्थात् निर्देशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी दोनों में निर्भरता पायी गयी। निष्कर्ष

प्राप्त होता है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी अधिक रखते हैं किन्तु अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी कम रखते हैं।

शिक्षित एवं अशिक्षित उत्तरदाताओं की शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने वालों का विश्लेषण

शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ	लाभ लेने वाले	लाभ नहीं लेने वाले	योग
शिक्षित	68	52	120
अशिक्षित	07	16	23
योग	75	68	143

H_0 : शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने की एक दुसरे पर निर्भरता नहीं है।

H_1 : शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने की एक दुसरे पर निर्भरता है।

$\alpha = 5\%$

d.f. = 1

$\chi^2 = 3.84$

$\chi^2 = 5.33$

5% सार्थकता स्तर पर χ^2 का सारणी मूल्य 3.84 है, जबकि χ^2 का

परिकलित मूल्य 5.33 है, जो सारणी मूल्य से अधिक है। अतः हमारी H_0 (शून्य परिकल्पना) अस्वीकार होती है और H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना) स्वीकार होती है अर्थात् निर्देशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षा सम्बंधी योजनाओं का लाभ लेने दोनों में निर्भरता पायी गयी। निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजना का अधिक लाभ ले रहे हैं किन्तु अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजनाओं की लाभ कम ले रहे हैं। **शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने वाले एवं लाभ नहीं लेने वालों का प्रायवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ने का विश्लेषण (आगले पृष्ठ पर तालिका 1 देखें)**

H_0 : शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने एवं प्रायवेट स्कूल में पढ़ने की एक दुसरे पर निर्भरता नहीं है।

H_1 : शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने एवं प्रायवेट स्कूल में पढ़ने की एक दूसरे पर निर्भरता है।

$\alpha = 5\%$

d.f. = 1

$\chi^2 = 3.84$

$\chi^2 = 63.40$

5% सार्थकता स्तर पर χ^2 का सारणी मूल्य 3.84 है जबकि χ^2 का

परिकलित मूल्य 63.40 है, जो सारणी मूल्य से अधिक है अतः हमारी H_0 (शून्य परिकल्पना) अस्वीकार होती है और H_1 (वैकल्पिक परिकल्पना) स्वीकार होती है अर्थात् निर्देशन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार शिक्षा सम्बंधी योजनाओं का लाभ लेने एवं प्रायवेट स्कूल में पढ़ने दोनों में निर्भरता पायी गयी। निष्कर्ष प्राप्त होता है कि शिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजना का अधिक लाभ ले रहे हैं किन्तु अशिक्षित व्यक्ति शिक्षा सम्बंधी योजनाओं की

लाभ कम ले रहे हैं।

शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी नहीं होने के कारणों का वर्गीकरण (आगले पृष्ठ पर तालिका 2 देखें)

सारणी का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा के आधार पर उत्तरदाताओं जो शिक्षा सम्बंधी योजना नहीं जानते हैं। योजनाएं नहीं जानने के कारणों का वर्गीकरण करने पर शिक्षित व्यक्तियों में 33 प्रतिशत योजनाएं गाँवों में पता नहीं चलती और 68 प्रतिशत किसी ने योजना की जानकारी नहीं दी वाले व्यक्ति पाए गए। वहीं अशिक्षित व्यक्तियों में 86 प्रतिशत गाँवों में योजना की जानकारी नहीं मिलती और 14 प्रतिशत हमें योजना के बारे में किसी ने बताया नहीं वाले व्यक्ति पाए गए।

शिक्षा सम्बंधी योजना को जानने के बाद लाभ नहीं लेने के कारणों का वर्गीकरण (आगले पृष्ठ पर तालिका 3 देखें)

सारणी का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि शिक्षित उत्तरदाताओं के आधार पर शिक्षा सम्बंधी योजनाओं को जानने के बाद लाभ नहीं ले पाने के कारणों का वर्गीकरण करने पर सबसे अधिक 42 प्रतिशत दायरे में नहीं आते उससे कम 27 प्रतिशत में प्रवेश नहीं मिला उससे कम 21 प्रतिशत गाँव में प्रायवेट स्कूल नहीं और सबसे कम 10 प्रतिशत समय पर जानकारी नहीं मिलने का अभाव वाले पाए गए। वहीं अशिक्षित व्यक्तियों में सबसे अधिक 50 प्रतिशत समय पर जानकारी नहीं मिलने का अभाव वाले उससे कम 25 प्रतिशत गाँव में निजी स्कूल नहीं है और सबसे कम 12.5-12.5 प्रतिशत में दायरे में नहीं आते और प्रवेश नहीं मिला वाले समान पाए गए।

शिक्षा सम्बंधी योजनाओं में सुधार हेतु दिये गए सुझावों का वर्गीकरण (आगले पृष्ठ पर तालिका 4 देखें)

सारणी का अध्ययन करने से हमें ज्ञात होता है कि शिक्षा सम्बंधी योजनाओं में सुधार हेतु उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों का वर्गीकरण करने पर शिक्षित व्यक्तियों में सबसे अधिक 31 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, उससे कम 24 प्रतिशत गाँवों में प्रायवेट स्कूल खुलने चाहिए और उससे कम 23 प्रतिशत योजनाओं की जानकारी समय पर गाँवों में मिलनी चाहिए और सबसे कम 22 प्रतिशत सभी को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वाले पाए गए। वहीं अशिक्षित व्यक्तियों में सबसे अधिक 35 प्रतिशत जानकारी समय पर गाँवों में मिलनी चाहिए, उससे कम 32 प्रतिशत सभी को योजना का लाभ मिलना चाहिए, उससे कम 21 प्रतिशत प्रवेश प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, और सबसे कम 12 प्रतिशत गाँव में प्रायवेट स्कूल खुलना चाहिए वाले व्यक्ति पाए गए।

निष्कर्ष –सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए चलाई जाने वाली शिक्षा सम्बंधी योजनाएं गरीब एवं पिछड़े हुए परिवारों को शिक्षा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वह व्यक्ति शासकीय योजनाओं का उचित लाभ नहीं ले पा रहे हैं, जो अशिक्षित हैं और गाँवों में निवास करते हैं। शिक्षा सम्बंधी योजनाओं की जानकारी के

संबंध में निष्कर्ष प्राप्त हुए है कि शिक्षित व्यक्तियों में 91 प्रतिशत शिक्षा सम्बंधी योजनाओं को जानने वाले पाए गए हैं एवं अशिक्षित व्यक्तियों में केवल 33 प्रतिशत व्यक्ति ही शिक्षा सम्बंधी योजनाओं को जानने वाले पाए गए हैं इससे स्पष्ट होता कि जब जानकारी ही नहीं होगी तो लाभ कहां से लेगे। शिक्षा सम्बंधी योजनाओं को नहीं जानने वाले व्यक्तियों ने योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारणों के रूप में कहा कि, योजनाओं की जानकारी गाँवों में पता नहीं चलती और गाँवों में ऐसा कोई कार्यालय भी नहीं है, जो योजनाओं की जानकारी दे और उनका लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन करें। शिक्षा सम्बंधी योजनाओं की जानकारी होने के बाद भी बहुत सारे व्यक्ति उनका लाभ नहीं ले पाते हैं, लाभ नहीं ले पाने के कारणों के रूप में प्राप्त हुआ कि समय पर जानकारी मिलने का अभाव है, दायरे में नहीं आते, प्रवेश नहीं मिल पाया, गाँव में निजी स्कूल नहीं है आदि महत्वपूर्ण कारण सामने आए हैं। शिक्षा सम्बंधी योजनाओं में सुधार हेतु व्यक्तियों ने सुझाव दिए हैं कि प्रवेश प्रक्रिया सरल होनी चाहिए, योजनाओं की जानकारी समय पर मिलनी चाहिए, सभी को योजना का लाभ मिलना चाहिए, गाँवों में प्राथमिक स्तर पर निजी स्कूल अनिवार्य रूप से संचालित किये जाने चाहिए। सरकार द्वारा शिक्षा सम्बंधी योजनाएं चलाई जा रही है। व्यक्ति उनका लाभ भी उठा रहे हैं। योजनाओं में बहुत सारी अच्छाईयाँ होने के साथ कुछ बुराईयाँ भी सामने आयी है, जिसके कारण जानकारी होने के बाद भी व्यक्ति योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सरकार द्वारा योजनाओं में आने वाली उन सभी बुराईयों को खत्म करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि योजनाओं का लाभ सभी को आसानी से प्राप्त हो सके और कुछ नयी योजनाएं शुरू करनी चाहिए, ताकि उसका लाभ सभी को आसानी से मिल सके।

सुझाव – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति द्वारा शासकीय शिक्षा सम्बंधी योजनाओं का लाभ लेने हेतु निम्न लिखित सुझाव प्रस्तुत हैं।

1. शिक्षा सम्बंधी योजनाओं की जानकारी हेतु आंगनवाडी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षित करना ताकि योजना की जानकारी एवं योजना का लाभ लेने हेतु उचित मार्गदर्शन मिल सके।
2. शिक्षा के क्षेत्र में नयी योजनाएं चलाई जाए, ताकि साक्षरता दर बढ़ सके।
3. प्राथमिक स्तर पर निजी स्कूलों की स्वीकृती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त-सुन्दरम।
- 2 सांख्यिकी के सिद्धांत शुक्ल-सहाय।
- 3 भारतीय अर्थव्यवस्था लाल-लाल।
- 4 जिला शिक्षा केन्द्र खण्डवा।
- 5 जिला सांख्यिकी कार्यालय खण्डवा।
- 6 www.Indiacensus.in
- 7 www.mpeducationportal.in

तालिका 1 : शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने वाले एवं लाभ नहीं लेने वालो का प्रायवेट स्कूल में बच्चों को पढने का विश्लेषण

शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ	प्रायवेट स्कूल मे पढते हैं	शासकीय स्कूल मे पढते हैं	योग
शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ लेने वाले	67	08	75
शिक्षा सम्बंधी योजना का लाभ नहीं लेने वाले	16	52	68
योग	83	60	143

तालिका 2 : शिक्षा सम्बंधी योजना की जानकारी नहीं होने के कारणों का वर्गीकरण

योजनाओ को नहीं जानने के कारण	योजना की जानकारी गाँवों में नहीं मिलती	प्रतिशत	हमें योजना के बारे में किसी ने बताया नहीं	प्रतिशत	योग
शिक्षित	04	33%	08	67%	12
अशिक्षित	38	84%	07	16%	45
योग	42	74%	15	26%	57

तालिका 3 : शिक्षा सम्बंधी योजना को जानने के बाद लाभ नहीं लेने के कारणों का वर्गीकरण

योजनाओं का लाभ नहीं ले पाने के कारण	शिक्षित	प्रतिशत	अशिक्षित	प्रतिशत	योग
समय पर जानकारी नहीं मिलने का अभाव	05	10%	08	50%	13
दायरे में नहीं आते	22	42%	02	12.5%	24
प्रवेश नहीं मिला	14	27%	02	12.5%	16
गाँवों में प्रायवेट स्कूल नहीं हैं।	11	21%	04	25%	15
योग	52	100%	16	100%	68

तालिका 4 : शिक्षा सम्बंधी योजनाओ में सुधार हेतु दिए गए सुझावों का वर्गीकरण

योजनाओ में सुधार हेतु दिए गए सुझावो	शिक्षित	प्रतिशत	अशिक्षित	प्रतिशत	योग
प्रवेश प्रक्रिया सरल होनी चाहिए	40	31%	14	21%	54
योजनाओ की जानकारी समय पर मिलनी चाहिए	31	23%	24	35%	55
सभी को योजना का लाभ मिलना चाहिए	29	22%	22	32%	51
गाँव में प्रायवेट स्कूल खुलना चाहिए	32	24%	08	12%	40
योग	132	100%	68	100%	200

म. प्र. के खरगोन जिले के कृषकों की ऋणग्रस्तता के कारण एवं सुझाव (विशेषकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्बंध में)

डॉ. रिमता शाह *

प्रस्तावना - खरगोन जिला देश एवं राज्य के अधिकांश जिलों की भाँति कृषि प्रधान जिला है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 15,29,562 है। जिसमें कामकाजी व्यक्तियों की संख्या 589350 है, जिले की 84.60 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। साथ ही जिले में लगभग 73.39 प्रतिशत कामकाजी व्यक्ति कृषक एवं खेतिहर मजदूर के रूप में कृषि कार्य से जुड़े हैं। इस प्रकार कृषि कार्य जिले में आजीविका का प्रमुख साधन है। जिले में कुल क्षेत्रफल में से 72.43 प्रतिशत भूमि कृषि के अन्तर्गत है। फसल सघनता 115 प्रतिशत है। तथा जिले में कुल सिंचित क्षेत्र 168422 हेक्टर है। जिले में कुल 9 विकासखण्ड हैं जिसमें से 4 विकास खण्ड भगवानपुरा, झिरन्या, सेगांवा और भीकनगांव विकासखण्ड की भूमि पथरीली तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है। अन्य विकासखण्डों की भूमि मध्यम उपजाऊ है। खरगोन जिला अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है इस जिले में 35.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या है। खरगोन जिले की कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 5,42,762 है जिसमें 2,74,740 पुरुष तथा 2,68,022 स्त्रीयां हैं। अर्थात् 49.38 प्रतिशत स्त्रियों का है। खरगोन जिले की 94.34 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है अर्थात् इस जिले की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है।

शोध अध्ययन की प्रविधि - हमने अपने इस शोध कार्य में समको के एकत्रीकरण के लिए अनुसूची और निदर्शन प्रविधि का उपयोग किया है। अध्ययन के लिए कृषि अर्थव्यवस्था की वास्तविक जानकारी संबंधित कृषकों से प्राप्त की हैं। अतः प्राथमिक समंक अनुसूची के माध्यम से शोधकर्ता द्वारा संबंधित 300 कृषकों (खरगोन जिले की विभिन्न तहसीलों में कुल जनसंख्या से जनजाति की संख्या का प्रतिशत के आधार पर तथा कृषि जोतों के आधार पर) से साक्षात्कार द्वारा प्राप्त किए गए। आदिवासी बाहुल्य भगवानपुरा झिरन्या, सेगांव व भीकनगांव से 278 कृषक लिये गये हैं तथा सीमन्त, लघु व अर्धमध्यम कृषक 251 लिए गए हैं जो क्रमानुसार 72, 102, 77 हैं जिनका चयन आकारानुसार कृषि जोतों की संख्या (05-06 हेक्टर में) तहसील अनुसार के आधार पर लिया गया है।

खरगोन जिले के कृषकों की ऋण ग्रस्तता के मुख्य कारण एवं सुझाव :- ऋणग्रस्तता से तात्पर्य उस ऋण राशि से है, जिसका ऋणदाताओं एवं ऋणदात्री संस्थाओं को भुगतान करना शेष है अर्थात् ऋणग्रस्तता की स्थिति उस समय शुरू होती है, जब व्यक्ति ऋण तो लेता है किन्तु उन ऋणों की वापसी नहीं कर पाता। ऋणग्रस्तता इस शब्द की व्याख्या ऋणदात्री संस्थाओं के संदर्भ में की जाती है। सर्वेक्षण से प्राप्त समकों के आधार पर खरगोन जिले में अनुसूचित वर्ग के 60 प्रतिशत कृषकों द्वारा समय पर ऋण अदा

कर दिया जाता है, जबकि 40 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं, जो ऋण राशि वापिस नहीं कर पाते हैं। ऋण न चुका पाने के उन्हीं के द्वारा बताए गए प्रमुख कारण वर्षा की कमी, उत्पादन की कमी, सूखे की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, जोत उपविभाजन आदि हैं। कृषकों की ऋणग्रस्तता के उन्हीं के द्वारा बताए गए प्रमुख कारण निम्न है -

1. सिंचाई सुविधाओं का अभाव - हमारे विषय खरगोन जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के चयनित कृषकों की ऋणग्रस्तता का अध्ययन में हम देखें तो जहां अनुसूचित जनजाति का जितना अधिक प्रतिशत है, वहां कृषि भूमि सिंचाई का उतना ही कम प्रतिशत है, जो कि अनुसूचित वर्ग के कृषकों की सिंचाई व्यवस्था की जानकारी देता है। सिंचाई व्यवस्था से कृषि उपज प्रभावित होती है। क्योंकि वर्षा आधारित कृषि में अनिश्चितता अधिक होती है। जैसे- भगवानपुरा में अनुसूचित जनजाति का 82 प्रतिशत है। वहां बोये गये क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र से 28.02 प्रतिशत है, झिरन्या तहसील में 80 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है, वहां 18.99 प्रतिशत है। इसके विपरीत जहां अनुसूचित जनजाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत कम है वहां सिंचाई का प्रतिशत अधिक है। जैसे- खरगोन तहसील में 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है वहां सिंचाई का 36.88 प्रतिशत है तथा बड़वाह तहसील में 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है वहां सिंचाई का 51 प्रतिशत है। इसी प्रकार कसरावद 20 प्रतिशत व महेश्वर में 24 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है वहां बोये गये क्षेत्रों का शुद्ध सिंचित क्षेत्र से प्रतिशत 49.08 व 50.54 है। इसे निम्न टेबल द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

तालिका क्र. 01

विभिन्न तहसीलों में अनु. जन. का प्रतिशत व शुद्ध सिंचित क्षेत्र का बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत

तहसील	कुल जनसंख्या से अनु. जन. का प्रतिशत	शुद्ध सिंचित क्षेत्र का बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत
भगवानपुरा	82	28.02
झिरन्या	80	18.99
सेगांव	74	30.21
महेश्वर	24	50.54
कसरावद	20	49.08
बड़वाह	16	51.00
खरगोन	15	36.88

स्रोत - अधीक्षक भू-अभिलेख खरगोन एवं जनगणना 2001 जिला सांख्यिकी पुस्तिका 07-08 पेज न. 35, पेज न. 18

सुझाव - कुल कृषि भूमि व कुल सिंचित भूमि को ध्यान में रखना।

ऋण प्रदाय करने व ऋण माफी के समय कुल कृषि भूमि व कुल सिंचित भूमि को ध्यान में रखना चाहिए ताकि असिंचित भूमि वाले छोटे कृषकों को अत्यधिक सुविधाएं मिल सकें।

2. अशिक्षा – जिले में जिस तहसील में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति अधिक है, वहां जन संख्या में साक्षरता का प्रतिशत कम है। कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्रमानुसार भगवानपुरा, झिरन्या, सेगांव, भीकनगांव, महेश्वर, कसरावद, बडवाह, खरगोन में 81.83, 80.05, 74.20, 42.31, 24.43, 19.99, 16.03, 15.19 तथा कुल संख्या से साक्षरता का प्रतिशत 36.60, 32.40, 62.90, 64.00, 72.60, 69.30, 70.80, 70.20 है

अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों की संख्या व प्रत्येक तहसील में कुल साक्षर व्यक्तियों का प्रतिशत निम्न प्रकार है –

तालिका क्र.02 व ग्राफ (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सुझाव – शिक्षा के स्तर में वृद्धि।

अनुसूचित जनजाति के कृषकों को शिक्षित करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय

3. जोतों की संख्या की अधिकता एवं जोत का आकार कम होना – अध्ययन से ज्ञात होता है कि जिले में लघु जोतों की संख्या सभी तहसीलों में अधिक है तथा वृहद जोतों की संख्या बहुत ही कम है तथा जिले में कुल जोत संख्या देखे तो विभिन्न तहसीलों में संख्या में विषमताएं हैं। इसमें सबसे अधिक खरगोन तहसील में 31919 जोतों की संख्या है, जबकि सबसे कम सेगांव में जोतों की संख्या 11565 है। जोतों की संख्या से वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं होता है, जोतों का क्षेत्रफल में वितरण वास्तविक स्थिति का परिचय कराता है। जिले में आकारानुसार जोतों में क्षेत्रफल का विवरण – यह ज्ञात होता है कि जिले में लघु जोतों का कुल क्षेत्रफल 434959 हेक्टर है। जिसमें सबसे अधिक बडवाह तहसील में 78107 हेक्टर है। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल से गांव तहसील में 26729 हेक्टर है।

सुझाव – जोत की उच्चतम सीमा/भू-सीमा निर्धारण – परस्पर समझौतों द्वारा भूमि उपविभाजन तथा अपखण्डन में कमी की जानी चाहिए साथ ही जोत की उच्चतम सीमा क्रियान्वित होनी चाहिए। एक व्यक्ति अथवा परिवार के लिए भूमि के नियत क्षेत्र पर स्वामित्व प्राप्त होने के उपरान्त अधिक भूमि रखने पर कानून नियंत्रण होना चाहिए।

4. कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव – खरगोन जिले की कुल कार्यशील जनसंख्या 589350 में 48.92 प्रतिशत कृषक 30.85 प्रतिशत खेतीहर मजदूर, 1.57 प्रतिशत पारिवारिक उद्योगों में कार्यशील एवं 18.66 प्रतिशत अन्य कार्यशील है। इस प्रकार जिले में 79.77 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में कार्यरत है। जिले की कुल जनसंख्या 1529562 है जिसमें कुल कार्यशील व्यक्ति 589350 है। स्पष्ट है कि जिले में कार्यशीलता का प्रतिशत 38.53 है। अतः गैर कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत उँचा है जो जनसंख्या के अधिक अश्रित होने की जानकारी देता है जो कि उचित नहीं है।

सुझाव – सीमित परिवार से होने वाले लाभों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जाना चाहिए। ताकि कृषि पर जनसंख्या का भार कम हो सके। जनसंख्या में कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक उँचा होना चाहिए ताकि पारिवारिक आय में वृद्धि हो एवं जीवन स्तर उँचा हो।

5. ऋण माफी/मुक्ति सम्बन्धी आश्वासन – कृषकों को अपनी ओर

आकर्षित करने तथा अपना कार्य सिद्ध करने के लिए अक्सर विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों द्वारा ऋण मुक्ति सम्बन्धित आश्वासन दिए जाते हैं। वर्ष 2006-07 में किसानों को कर्ज से राहत दिलाने के लिए केन्द्रीय बजट में 6000 करोड़ रु रखे गए। इसमें से 5000 करोड़ रु छोटे व मध्यम किसानों के ऋण माफ करने के लिए थे और 1000 करोड़ रु. उन किसानों को 25 प्रतिशत छूट देने के लिए थे, जो कर्ज पुरा चुका देंगे। यह पैकेज उन बड़े किसानों के लिए है, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2007 के पहले कर्ज लिया। परन्तु जिन लोगों ने ऋण लेकर भुगतान कर दिया है, उन्हें भी कोई लाभ नहीं मिला, ईमानदार कृषकों को कोई राहत नहीं मिली, असिंचित भूमि वाले जिन गरीब किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि है, उन्हें भी समय भी समय पर चुकाने के बाद कोई लाभ नहीं मिला। इसके कारण अनुसूचित जनजाति के कृषक संस्थागत साख स्रोतों से ऋण तो ले लेते हैं; किन्तु उनकी वापसी समय पर नहीं करते। इसकी हानि सरकार व कृषक दोनों को उठानी पड़ती है। एक तो संस्थागत स्रोतों के ऋण की वसूली नहीं होती है, वहीं ऋण अदायगी न होने के कारण कृषकों को नये ऋण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी कारण वर्तमान में कई संस्थाओं की अस्तित्वां (न वसूली हुई राशियां) बढ़ती जा रही हैं।

सुझाव – ऋण चुकाने के लिए भी कृषक ऋण लेता है व केवल ब्याज का ही भुगतान कर पाता है इस प्रकार ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऋण देने वाला व्यक्ति या संस्था सोचती है कि कृषक ने ऋण का भुगतान कर दिया, परन्तु वास्तव में किसान एक ऋणदाता से लेकर दूसरे को भुगतान कर देता है, जिससे किसान को ऋण मिलने की सीमा प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। अतः किसानों कालातीत घोषित न करके उनके द्वारा जितना ऋण वापस किया जाये; उतना पुनः मिलना चाहिए। शासन द्वारा जब भी इस प्रकार की योजना चलाई जाए ईमानदार किसानों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए ताकि किसान प्रेरित हो और समय पर ऋणों का भुगतान करें तथा यदि कृषक ऋण न चुका पाये तो माफ हो जाना चाहिए। यदि ऋण माफ किया जाये तो सिंचाई सुविधा, कृषि भूमि व जाति (तह. अनुसार) को ध्यान में रखना चाहिए।

6. खेतों से मोह भंग होना – खरगोन जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि 89.7 प्रतिशत कृषक कृषि से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तथा वे चाहते हैं कि उनके पुत्र कृषि कार्य न करें व अन्य रोजगार प्राप्त करें। यह अतयन्त विचारणीय है। कृषक कृषि आय से संतुष्ट नहीं हैं। वैकल्पिक रोजगार देख रहे हैं। जिसके विभिन्न कारण हैं जैसे- पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण का चलते रहना, उपज मूल्य कम, लागत अधिक, भूमि की उर्वरक शक्ति में कमी, सरकारी नितियों का सही कार्यान्वयन नहीं।

सुझाव – छोटे और सीमान्त किसानों के लिए कृषि को ज्यादा से ज्यादा आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि खेती की ओर उनका रुझान बढ़े। कर्ज चुकाने की क्षमता तभी आएगी जब कृषि लाभदायक व्यवसाय बने और किसान अपना काम छोड़ने को मजबूर न हो।

7. विपणन सुविधाओं का अभाव – खरगोन जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के 86 प्रतिशत कृषक उपज का विक्रय फसल आने पर वित्त की कमी के कारण तुरंत विक्रय कर देते हैं तथा केवल 14 प्रतिशत उचित मूल्य होने का इन्तजार करते हैं। कृषकों की ऋणग्रस्तता का महत्वपूर्ण कारण कृषि उत्पादों का विक्रय फसल कटाई के तुरन्त बाद किया जाना है। फसल कटाई के बाद वस्तुओं की पूर्ति माँग की तुलना में अधिक होने के कारण कृषकों को उत्पादन के विक्रय से उचित कीमत प्राप्त नहीं होती है,

शोध कार्य से ज्ञात होता है कि 48 प्रतिशत कृषक घर व मण्डी से माल का विक्रय करते हैं तथा 30 प्रतिशत कृषक घर से माल का विक्रय करते हैं केवल 22 प्रतिशत कृषक मण्डी से माल का विक्रय करते हैं।

सुझाव - विपणन व भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि

8. गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना - संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में आने वाली परेशानियों को देख कृषक विवश हो गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेता है, जहां पर कि ब्याज दर बहुत अधिक होती है।

सुझाव - संस्थागत स्रोतों से ऋण लेने में आने वाली परेशानियों को खत्म कर देना चाहिए। ऋणों पर ब्याज को नियंत्रित कर बैंक ब्याज स्तर तक लाना चाहिए।

9. कृषि यन्त्रीकरण को न अपनाना - ज्ञात होता है कि विभिन्न कृषि आकार वाले विभिन्न कृषक परिस्थितियों के अनुसार कृषि पद्धतिया अपनाते हैं। यदि हम कुल कृषकों में से परम्परागत कृषकों का प्रतिशत निकाले तो ज्ञात होता है कि केवल 90 कृषक अर्थात् 30 प्रतिशत कृषक परम्परागत पद्धति को अपनाते हैं। आधुनिक पद्धति से कृषि करने वाले कृषकों की संख्या 12 है अर्थात् 4 प्रतिशत कृषक आधुनिक पद्धति को अपनाते हैं। सर्वाधिक कृषकों की संख्या दोनों पद्धतियों से कृषि कार्य करने की है जिनका प्रतिशत 66 है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि अशिक्षा के कारण या परम्परागत पद्धतियों से लगाव के कारण सभी कृषक आधुनिक पद्धति को नहीं अपनाते हैं।

सुझाव - कृषकों को कृषि यन्त्रीकरण से होने वाले लाभों से अवगत कराना चाहिए।

10. अन्य कारण - किसान की अस्वस्थता, सहायक उद्योगों का अभाव, पशु रोग, खेतों से चोरी होना, बिजली की कमी, ब्याज दर अधिक, शराबी बन जाना, मौसमी बेरोजगारी, मिट्टी पानी का संरक्षण एवं सदुपयोग की समस्या, सरकारी योजनाओं का उचित क्रियान्वयन न होना, उत्तम खाद, बीज, दवाई का न मिलना आदि।

सुझाव - ऋण प्रदाय औपचारिकताओं को कम व आसान किया जाना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाना चाहिए, ईमानदार कृषक जो समय पर ऋण चुकाए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, फसल नष्ट होने पर उचित मूल्य दिया जाना चाहिए, कृषि उपज व कृषि यन्त्रों को चोरी से बचाने हेतु कृषि क्षेत्र पर पुलिस व्यवस्था की जानी चाहिए जिले के समस्त कृषकों का सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। जिससे वास्तविक आर्थिक परिस्थिति ज्ञात हो सके और समस्याग्रस्त कृषकों के हितों की रक्षा हो सके।

सारांश - खरगौन जिला अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, इस जिले में 35.48 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या है। जिले में जहां जितना ज्यादा प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है, वहां सिंचाई व शिक्षा का प्रतिशत उतना ही कम है। खरगौन जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के कृषकों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही है इसका प्रमुख कारण खरगौन जिले में आदिवासी बाहुल्य तहसीले भगवानपुरा, झिरन्या, सेगांव, भीकनगांव में शिक्षा, सिंचाई का प्रतिशत अन्य तहसीलों की तुलना में बहुत कम है तथा इन तहसीलों की भूमि भी कम उपजाऊ है तथा अन्य कई कारण जो कृषकों द्वारा बताए गए जैसे- बिजली की कमी, वर्षा की कमी, लागत मूल्य अधिक, उपज का चोरी होना आदि। जिले के समस्त कृषकों का सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। जिससे वास्तविक आर्थिक परिस्थिति ज्ञात हो सके और समस्याग्रस्त कृषकों के हितों की रक्षा हो सके।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नईदुनिया 4 सितम्बर 2007 पेज नं. 4 लेखक खाद्य और कृषि मामलों के विशेषज्ञ देविंदर शर्मा।
2. अधीक्षक भू-अभिलेख खरगौन एवं जनगणना 2001 जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2009-10
3. कृषि विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों को दी जाने वाली सुविधाएँ वर्ष 2006-07
4. म. प्र. जनजातियां विकास एवं आयोजन म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी भोपाल 2001 (डॉ. तिवारी)।
5. भारतीय कृषि का अर्थतन्त्र राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर (डॉ. एन. एल. अग्रवाल)।
6. म. प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण।
7. अधिक भू-अभिलेख, खरगौन।
8. भारत 2008 प्रकाशक विभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।
9. agriculture statistics at a glance directorate of economics and statistics, ministry of agriculture, government of India new Delhi.
10. Agricultural situation in india - various issues, directorate of economics & statistics, ministry of agriculture, government of india, new Delhi.
11. Indian Agriculture In Brief, Various Issues, Directorate Of Economics And Statics, Ministry Of Agriculture, Government Of India, New Delhi.

तालिका क्र.02
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का साक्षरता से प्रतिशत

जिला तहसील	अनुसूचित जनजाति की संख्या	कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत	कुल साक्षर	साक्षरता का प्रतिशत
बड़वाह	47,939	16.03	1,75,523	70.80
महेश्वर	48,463	24.43	1,20,451	72.60
कसरावद	40,969	19.99	1,16,167	69.30
सेगांव	51,180	74.20	34,298	62.90
भीकनगांव	64,686	42.31	78,632	64.00
खरगोन	46,393	15.19	1,77,672	70.20
भगवानपुरा	1,21,589	81.83	40,785	36.60
झिरन्या	1,21,543	80.05	37,268	32.40
जिला खरगोन	5,42,762	35.48	7,80,796	63

स्रोत - जनगणना 2001 जिला सांख्यिकी पुस्तिका 07-08 पेज नं 3



भवन निर्माण कार्य में महिला श्रमिकों की सहभागिता एवं समस्याओं का अध्ययन

डॉ. बी. एल. डावर * डॉ. मिसर नरगावें **

प्रस्तावना - किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ पर निवासरत अथक श्रमिकों में निहित होता है। स्व. पं. जवाहरलाल नेहरू जी का कथन सत्य है कि 'भोजन व वस्त्र के पश्चात् आवास मनुष्य की मुलभूत अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है, स्वस्थ व सुंदर आवास सभ्य सुखी व शांत जीवन के लिए नितांत आवश्यक है।'

भारत में कुल श्रमशक्ति का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, असंगठित क्षेत्र में ठेका श्रमिक, घरों में कार्य करने वाले, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, बंटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार, भवन निर्माण श्रमिक आदि शामिल हैं। महिलाएँ और बच्चे असंगठित क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के **श्रम ब्युरों द्वारा** प्रकाशित महिला श्रमिकों का आंकड़ा 2012-13 (स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल ऑन वीमेन लेबर) के अनुसार वर्ष 2011 में महिलाओं की भागीदारी दर 25.63 प्रतिशत थी जिसमें से 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 15.4 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अधिकांश कृषि कार्य में लगी हुई होती हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाकर्म असंगठित क्षेत्रों जैसे घरेलू उद्योग, छोटे-मोटे व्यापार और सेवाएँ, भवन और निर्माण आदि कार्यों में लगी हैं।

सन् 1991 की नवीन आर्थिक नीति के पश्चात् देश में निर्माण क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा शहरीकरण में वृद्धि हुई, जिससे भवन निर्माण की अधिकता हुई, भूमि की कीमतें बढी परिणामस्वरूप श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई, श्रम प्रधान वार्षिक रिपोर्ट सन् 2008-09 अनुसार म.प्र. के निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक 9.53 लाख हैं।

श्रम सहभागिता का अर्थ - श्रम शक्ति से आशय उन समस्त व्यक्तियों के समूह से है, जो कार्य करते हैं या कार्य करने की इच्छा और योग्यता रखते हैं, किन्तु उन्हें कार्य करने का अवसर नहीं मिलता, यद्यपि इसके लिए वह सदा प्रयत्नशील रहते हैं। सम्पूर्ण जनसंख्या का वह भाग जो श्रम शक्ति में उस एक अनुपात या दर के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे श्रम शक्ति सहभागिता दर कहते हैं।

श्रम सहभागिता दर से आशय आर्थिक गतिविधियों में जागृत श्रम शक्ति या कार्यशील जनसंख्या के अनुपात को श्रम सहभागिता दर कहते हैं। श्रम सहभागिता दर का अभिप्राय भारतीय जनगणनाओं में देश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात से है।

सूत्र-
$$\text{कार्यभागिता दर} = \frac{\text{कुल कार्यशील जनसंख्या}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

अध्ययन के उद्देश्य -

1. भवन निर्माण महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला श्रमिकों की सहभागिता दर का पता लगाना।
3. महिला श्रमिकों की समस्या तथा बाधाओं का अध्ययन करना।

राष्ट्र की प्रगति में महिला श्रमिकों की सहभागिता - भारत इस समय विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उसका लक्ष्य प्रतिवर्ष स्थायी रूप से 9 से 10 प्रतिशत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर प्राप्त करना है। एक युवा देश होने के कारण देश की 60 प्रतिशत जनसंख्या 15 से 55 वर्ष के आयु समूहों में कार्यशील है।

सामाजिक व आर्थिक रूप से भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग कृषि व कुटीर उद्योग पर आधारित है। जिनमें महिला श्रमिकों की सहभागिता महत्वपूर्ण है, भारत के श्रम बल में महिला श्रमिकों का स्थान महत्वपूर्ण है। विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चला कि महिलाओं की कार्य सहभागिता में सुधार हुआ है, लेकिन पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो महिलाओं की कार्य सहभागिता दर में लगातार कमी आती जा रही है। सर्वेक्षणों के आँकड़े बताते हैं कि वर्ष 2001 में शहरी क्षेत्रों में 11.88 प्रतिशत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कार्य सहभागिता दर 30.79 प्रतिशत थी जबकि शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्य अधिक महिलाएँ करती हैं।

अध्ययन क्षेत्र - प्रस्तुत शोध के अध्ययन हेतु म.प्र. के धार जिले का चयन किया गया है। धार जिला चूँकि आदिवासी बाहुल्य एवं कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कि जनसंख्या कृषि पर आधारित होने के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र जैसे-भवन निर्माण कार्य घरेलू उद्योग, कुटीर उद्योग आदि पर भी आश्रित होती है। इस जिले का आर्थिक दृष्टि से विकास बहुत ही निचले स्तर पर है तथा महिला श्रमिक अधिकांश भवन निर्माण कार्य में लगी होती हैं। अतः महिला श्रमिकों की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इस जिले का चयन किया गया है।

अध्ययन विधि - प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। इसमें तथ्यों, सूचनाओं का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से किया गया है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत भवन निर्माण में कार्यरत महिला श्रमिकों से स्वयं मिलकर साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्रश्न पुछकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आय, व्यवसाय तथा सहभागिता जानने का प्रयास किया गया है।

भवन निर्माण क्षेत्र में महिला श्रमिकों का अध्ययन वर्गीकृत **द्वैव-निर्देशन** के आधार पर संकलित समंको के माध्यम से किया गया है। अध्ययन में 50 भवन निर्माण महिला श्रमिकों को न्यादर्श के रूप में चुना गया है।

* प्रवक्ता (इतिहास) शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.) भारत

** अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, थांदला, जिला - झाबुआ (म.प्र.) भारत

भवन निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की आर्थिक स्थिति, समस्याओं एवं सहभागिता दर का तालिकाओं द्वारा निम्न स्थिति दर्शाई गई है।

सर्वेक्षण के आधार पर जातिगत विवरण

क्र.	जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	13	26%
2	अनुसूचित जनजाति	30	60%
3	पिछड़ा वर्ग	05	10%
4	अन्य	02	04%
	योग	50	100%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक भवन निर्माण महिला श्रमिक अनुसूचित जनजाति की है, जो 30 (60 प्रति.) है, इसका मुख्य कारण है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होना है। अशिक्षित होने के कारण उन्हें भवन निर्माण कार्य एवं कृषि कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य नहीं मिलता है जिससे उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति प्रभावित होती है।

सर्वेक्षण के आधार पर शैक्षणिक विवरण

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अशिक्षित	31	62%
2	साक्षर	13	26%
3	प्राथमिक स्तर	04	08%
4	माध्यमिक स्तर	02	04%
	योग	50	100%

उपर्युक्त तालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सर्वाधिक भवन निर्माण महिला श्रमिक अशिक्षित होती है जो 31 (62 प्रति.) है इनका अशिक्षित होने का प्रमुख कारण इनका पारम्परिक पारिवारिक स्तर आर्थिक रूप से कमजोर होता है साथ ही परम्परागत व सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण इन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होती है। इन महिला श्रमिकों का अशिक्षित होना उनका पारिवारिक, शैक्षणिक स्तर प्रभावित होता है। यह स्वयं अशिक्षित होने के साथ-साथ उनके परिवार में भी अधिकांश सदस्य अशिक्षित रह जाते हैं।

सर्वेक्षण के आधार पर मासिक आय का विवरण

क्र.	मासिक आय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	1000-2000	06	12%
2	2000-3000	39	78%
3	3000-4000	03	06%
4	4000-5000	02	04%
	योग	50	100%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक आय वर्ग 2000-3000 तक की 78 प्रतिशत महिला श्रमिक आय प्राप्त करती है, क्योंकि इन्हें प्रतिदिन 100 रु. मजदूरी मिलती है। 100 रु. मजदूरी दर होने के कारण यह इनके परिवार का भरण-पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाती है। यह महिला श्रमिक भवन निर्माण कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य करने में यह असमर्थ होती है। अतः इन महिला श्रमिकों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सर्वेक्षण के आधार पर व्यवसाय का विवरण

क्र.	व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	कृषि	09	18%
2	मजदूरी	10	20%
3	भवन निर्माण	28	56%

4	वनोपज	02	04%
5	अन्य	01	02%
	योग	50	100%

उपरोक्त तालिका द्वारा स्पष्ट है कि सर्वाधिक व्यवसाय महिला श्रमिकों द्वारा भवन निर्माण कार्य किया जाता है जिसका 28 (56 प्रतिशत) है। यह महिला श्रमिक कृषि कार्य मजदूरी या अन्य कार्य करने की अपेक्षा भवन निर्माण कार्य करना अधिक पसंद करती है।

सर्वेक्षण के आधार पर महिला श्रमिकों की सहभागिता

श्रम शक्ति या कार्यशील
जनसंख्या

$$\text{कार्यसहभागिता दर} = \frac{\text{भवन निर्माण कार्यशील महिला मजदूर}}{\text{कुल जनसंख्या}} \times 100$$

$$\text{न्यायदर्श महिला श्रमिकों} = \frac{\text{न्यायदर्श महिला श्रमिक}}{\text{न्यायदर्श महिला श्रमिकों}} \times 100$$

$$\text{न्यायदर्श महिला श्रमिकों} = \frac{23}{50} \times 100 = 46\%$$

$$\text{सहभागिता दर} = \frac{50}{50} \times 100 = 100\%$$

क्र.	न्यायदर्श महिला श्रमिक	भवन निर्माण में कार्यशील महिला श्रमिक	महिला श्रमिकों की सहभागिता दर
1	50	23	46%

न्यायदर्श महिला श्रमिकों की सहभागिता दर का 46 प्रतिशत है जो भवन निर्माण क्षेत्र में अत्यधिक कार्यशील है। इसका मुख्य कारण है कि इन्हें कृषि कार्य या मजदूरी करने अपने आवास स्थल से कई दूरी पर जाना पड़ता है, जिससे यह अपने आवास स्थल के समीप रहकर भवन निर्माण कार्य करना अधिक पसंद करती है। इन महिला श्रमिकों को अपने आवास स्थल से दूर कार्य करने पर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

निष्कर्ष - असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों के बड़े भाग को पर्याप्त श्रम सुरक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें अनियमित रोजगार, अस्थिर आय, किशतों में पारिश्रमिक दर के प्रचलन और आय, रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा के सम्बंध में अल्पवधि सुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे अक्सर कम कौशल कम पारिश्रमिक के चक्र में फंस जाते हैं और व्यावसायिक सोपान में उनके आगे बढ़ने की लगभग कोई संभावना नहीं होती और उनमें सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है। उत्तरोत्तर आधुनिक सरकारों ने विधायी उपायो और कल्याणकारी योजनाओं सहित कई कदम उठाए हैं, उनके जीवन को और बेहतर बनाने के लिए काफी कुछ किया जाना शेष है।

सुझाव -

- शहरी क्षेत्रों में महिलाओं में कार्य सहभागिता की दर ग्रामीण महिला श्रमिकों की अपेक्षा बहुत कम है। इसी प्रकार शिक्षित महिलाओं में यह दर अशिक्षित महिलाओं की तुलना में कम है। सामान्य तौर पर महिलाओं की सहभागिता दर में पुरुषों की तुलना में गिरावट की प्रवृत्ति है। यदि इसे रोकने हेतु प्रभावी प्रयास सक्रिय न हुए तो आर्थिक विकास साथ-साथ शिक्षा के प्रयास एवं आधुनिक उद्योगों के विस्तार में भी महिलाओं की श्रम सहभागिता दर में निरंतर कमी आने की संभावना है।
- पुरुष श्रमिकों की तुलना में महिलाओं को कम मजदूरी मिलती है अतः

शासन द्वारा महिला श्रमिकों को पुरुषों के समान मजदूरी दी जाना चाहिए जिससे यह अपने परिवार का भरण-पोषण सही ढंग से कर सके, साथ ही अपना जीवन स्तर उँचा उठे सके।

- आर्थिक उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के इस युग में महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इनमें शिक्षा तक पहुँच और कौशल विकास प्रशिक्षण आवश्यक है। इन सुरक्षात्मक उपायों के अतिरिक्त महिलाओं हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की नीतियों को भी प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। महिला रोजगार पर कार्यक्रमों से यह लाभ होगा कि देश में कुटीर व सकल उद्योगों को सफल बनाया जा सकेगा और साथ ही देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और राष्ट्र की प्रगति में महिला श्रमिकों की सहभागिता बढ़ेगी जिससे भवन निर्माण में कार्यरत महिला श्रमिकों

का जीवन स्तर विकास की ओर अग्रसित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. टी. एम. गोलीवाल 'श्रम समस्या एवं औद्योगिक संबंध' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा (1988)
2. आषुतोष 'श्रम एवं शक्ति' कुरुक्षेत्र (2006)
3. सामान्य अध्ययन 'भारतीय अर्थव्यवस्था' (अतिरिक्तांक प्रतियोगिता दर्पण उपकार प्रकाशक स्वदेशी बीमा नगर आगरा (2012)
4. वार्षिक रिपोर्ट, श्रम एवं श्रम प्रदान (2010)
5. लोक सभा सचिवालय शोध एवं सूचना प्रभाग 'सूचना बुलेटिन' दिसम्बर 2014
6. श्रम रोजगार, श्रम ब्यूरो।

ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहकारी संस्थाओं की भूमिका

सुमन भंवर *

प्रस्तावना - भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में निवास करती है। कई शताब्दियों से भारतीय ग्राम भूखमरी, अज्ञानता, शोषण, सामाजिक कुरूपतियों, अंधविश्वासों, अशिक्षा स्वास्थ्य व आर्थिक असमानता आदि जैसी सामाजिक समस्याओं से ग्रसित रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए, किन्तु वर्तमान में ग्रामीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। जिन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य में सुधारना आवश्यक है। इस सुधार की गति में तीव्रता लाना आवश्यक है जिससे शहरीय जीवन के समान ग्रामीण विकास के विविध आयाम छू सकें। सन् 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना रही है। इससे पहले ग्रामीण क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा होते हुए भी उपेक्षित था। ग्रामीणों की आय का मुख्य साधन कृषि एवं पशुपालन के साथ साथ हस्त उद्योग था। वर्तमान में हमारी राष्ट्रीय आय का लगभग 17.5 प्रतिशत कृषि क्षेत्रों से आता है। किन्तु इसके पूर्व राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का हिस्सा 30 प्रतिशत से अधिक रहा है। उत्तरोत्तर राष्ट्रीय आय में ग्रामीण आय का हिस्सा घटता रहा है। इसको देखते हुए भारत सरकार ने ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जैसे- सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, संघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण, सुखा क्षेत्र कार्यक्रम आदि।

ग्रामीण विकास का आधार - भारत के ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करना अनिवार्य ही नहीं अपितु आवश्यक भी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के समय ही ग्रामीण विकास का नारा दिया था, उनका मानना था कि 'भारत ग्रामों में निवास करता है, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, रोजगार उपलब्ध हो। आदर्श ग्राम तभी स्वावलम्बी बनेगा जब सभी घरों में मूलभूत सुविधाएँ, पर्याप्त प्रकाश, हवा, स्थानीय साधन सामग्री, पेयजल की उचित व्यवस्था, औद्योगिक शिक्षा, पंचायत, दुग्धशाला, ग्राम रक्षक आदि होगी।' सहकारिता ने गत कई वर्षों से ग्रामीण विकास तथा विविध कार्यक्रमों, परियोजनाओं को प्रारंभ किया। जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार योजना, मनरेगा, संघन कृषि जिला विकास कार्यक्रम, लघु कृषक विकास अभिकरण, सुखा क्षेत्र कार्यक्रम आदि।

ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं का इतिहास - सहकारिता का इतिहास हमारे देश में आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व ब्रिटिश शासन के समय अपनाया गया था। जिसके द्वारा अनेक ग्रामीण व शहरी समस्याओं का हल किया गया। देश की स्वतंत्रता के पश्चात् भी ये सहकारी संस्थाएँ उपलब्धियों, आलोचनाओं एवं बुराइयों तक ही सीमित रह गई थी। सन् 1904 में सर्वप्रथम यह विचार अपनाया गया। वास्तव में सहकारिता

सैद्धांतिक सिद्धांत न होकर बल्कि इसका गहरा संबंध सामान्य व्यक्ति की आर्थिक संभावनाओं से है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कृषि एवं ग्रामीण विकास पर आधारित है। 30 प्रतिशत लोग शहरों में निवास करते हैं। भारत के नवीन आंकड़ों 2014 के अनुसार कृषि योग्य भूमि 60.4 प्रतिशत है। जिसमें खाद्यान फसलों का उत्पादन 80 प्रतिशत तथा अन्य फसलें 20 प्रतिशत उत्पादित की जाती है। राष्ट्रीय आय में कृषि उत्पादन में होने वाली आय लगभग 45 प्रतिशत है। परम्परागत रूप से चली आ रही भारत की भौगोलिक, सामाजिक व्यवस्था में यह कटु सत्य है कि भारत आरम्भ से ही कृषि प्रधान देश रहा है। इसलिए ग्रामों में सहकारिता का भविष्य और संभावनाएँ अधिक हैं। सहकारिता अपने इन सभी उद्देश्यों को ग्रामीण विकास प्रक्रिया में सहज ही प्राप्त कर सकती है।

सहकारी संस्थाओं के विविध स्वरूप - भारतीय अर्थव्यवस्था त्रिआयामी है, ग्रामीण, शहरी व अर्द्धशहरी - अर्द्धग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी एवं सरकारी आर्थिक सहयोग की सुविधाओं की कमी है। इसके पूर्व गाँव के लोग अस्थानीय महाजनों से कृषि, पशुपालन, उद्योग आदि के लिये ऋण लिया करते थे और ये कम समय में कम ऋण पर अधिक ब्याज देने के लिए विवश होते थे। इस शोषण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर टूटती जा रही थी। गाँव वालों का किसी अन्य वित्तीय संस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता था लेकिन बैंकिंग प्रणाली व सहकारी संस्थाओं के आ जाने से ग्रामीणों को आसान एवं सुविधाजनक कृषि, पशुपालन आदि के लिये ऋण प्राप्त होने लगा। इसने भारत में हरित क्रान्ति को बढ़ावा दिया और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित किया तथा ग्रामीण उत्पादनों में वृद्धि होने से राष्ट्र के विकास में भी सहयोग प्राप्त हुआ। ग्रामीण बैंक व सहकारी संस्थाओं से न केवल सेवा बचत में वृद्धि हुई, अपितु बचत का उपयोग भी उत्पादन कार्यों में सुविधाजनक लिया जाने लगा।

ये बैंक व सहकारी संस्थाएँ प्राकृतिक व मानवीय आपदाओं के दौरान ऋण सुविधा के साथ साथ बीमा, आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्रदान करती हैं। सड़क, पुल, तालाब, कुओं और शिक्षण संस्थाओं आदि के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त इन बैंकों की मदद से ग्रामीण लघु उद्योगों, कुटीर उद्योगों, हस्त उद्योगों, स्वयं सहायता समूह, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना की स्थापना की जाती है। क्योंकि किसानों को कृषि कार्य केवल 6 महीने में मौसम व फसल के अनुसार करना होता है। ऐसे में लघु उद्योग उनकी आय का प्रमुख स्रोत बन जाता है। कुटीर उद्योगों के विकास से गाँव की बेरोजगारी की समस्या का समाधान काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को ग्रामीणजन कम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं। जिससे इन वस्तुओं को खरीदने

के लिये ग्रामीणवासियों को शहर जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता के लिये अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं होती है। सहकारी संस्थाओं से ग्रामीण विकास की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। यह न केवल भारतीय ग्रामीण विकास में अपना योगदान देती है अपितु सम्पूर्ण देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान भी करती है।

सहकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य – कृषकों, ग्रामीण कारगरों, भूमिहीन मजदूरों, कमजोर व पिछड़े वर्गों को रोजगार एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी प्रदान कर एक अच्छा उद्यमी व उत्पादक बनाना है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ मानव शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। जिसका एक भारी अंश समाज का कमजोर वर्ग है। ग्रामीण विकास में आर्थिक विकास की प्रक्रिया सार्थक व्यापक महत्व रखती है।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संकल्पना – एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संकल्पना, ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवार के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में सहायता करने के लिये प्रारंभ की गयी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ा है, जैसे –

1. आय, रोजगार तथा उत्पादन में की गई वृद्धि एवं अधिकतम उपयोग, जिससे गरीबी की रेखा में जीवनयापन करने वाले लोगों को ऊपर उठाया जा सकेगा।
2. ग्रामों में कमजोर वर्गों के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को अधिकतम करने के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित करना।
3. न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम, रोजगार, शिक्षा, जीवन स्तर, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, बिजली आदि की पूर्ति करना।
4. काम के बदले अनाज कार्यक्रम और बेरोजगारी दूर करने के लिए उद्योगों की स्थापना करना।
5. सामाजिक एवं आर्थिक अवस्थापना का निर्माण करना।
6. गरीबों के कल्याण के लिए विद्यमान संस्थाओं एवं संगठनों को नया मोड़ देना।
7. ग्रामीणों को गरीबी से बचाने के लिये नये सहकारी संगठनों की स्थापना करना।
8. ग्रामीण विकास केन्द्रों को विपणन केन्द्र के रूप में मान्यता देना तथा इस प्रकार उनमें सभी तकनीकी, विकास, रोजगार, संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

राष्ट्रीय सहकारी नीति के उद्देश्य एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम – ग्रामीण विकास को वर्तमान में राष्ट्रीय उन्नति और सामाजिक कल्याण के लिए अनिवार्य माना गया है। समाज का विकास केवल ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही नहीं बल्कि ग्रामीण समुदायों, जिसमें हमारा राष्ट्र समाविष्ट है, के विकास से है। सहकारी आंदोलन ग्रामीण कुशलता को बढ़ाने पर बल देता है और कुछ उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है-

1. सहकारी समितियों का निर्माण विकेन्द्रीकरण, श्रमप्रधान, ग्राम उन्मुख कार्यक्रम आर्थिक विकास के प्रमुख साधन के रूप में किया जाएगा।
2. छोटे और सीमान्त कृषकों, खेतीहर मजदूरों, ग्रामीण कारिगरों, मध्यम तथा निम्न आय वर्गों के साधारण उपभोक्ताओं को सहकारी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अधिक मौका दिया जाएगा।
3. सम्पूर्ण तथा व्यापक ग्रामीण विकास के लिए ऋण, कृषि निवेश की आपूर्ति, मछली पालन, डेयरी उद्योग, कृषि उत्पादनों में दिया जाएगा।
4. सहकारी कृषि संसाधनों और औद्योगिक इकाइयों के मध्य उत्पादकों

तथा उपभोक्ताओं के बीच आर्थिक संबंध स्थापित किए जाएँगे।

5. उपभोक्ता सहकारी आंदोलन का निर्माण इस तरह से किया जा सकेगा जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली मजबूत हो और उपभोक्ता संरक्षण को सहारा मिल सके।

सहकारी संस्थाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए सुझाव – आज हम जिस समाज के सदस्य हैं, उनकी नई उम्मीद विश्वासों पर टिकी है। सहकारी संस्थाएँ अपने विकास उन्मुख कार्यक्रमों के लिए दृढ़ संकल्पी हैं। तथा धीरे-धीरे विकास कार्यों में योगदान दे रही हैं, परन्तु फिर भी कुछ कमियाँ हैं, जिसे दूर करना आवश्यक है। जैसे –

1. **राजनीतिक प्रभावों को समाप्त करना** – चूंकि यह पूर्ण रूप से संभव नहीं है कि राजनीतिक प्रभावों को समाप्त किया जा सके, लेकिन कुछ प्रयासों के माध्यम से इसे कम किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी सतर्कता आयोग का गठन किया जाए। बेईमान निर्देशकों को दण्डित किया जाए, जो समिति के विरोध में कार्य करते हैं।
2. **नियुक्ति के लिए निष्पक्ष एवं सक्षम समिति का होना** – सहकारी समितियों के स्वस्थ विकास के लिये यह आवश्यक है कि सहकारी कर्मचारी का चयन कर उनकी श्रेणी तैयार की जाये। और उसे विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों के राज्य स्तरीय संघ को सौंपा जाए। ताकि उचित चुनाव गुण-अवगुण के आधार पर, पदोन्नति के अवसर, अच्छा वेतन, नौकरी की सुरक्षा के साथ-साथ सहकारी समितियों से अपनी संस्था के लिये निर्भय और निष्पक्ष होकर वे कार्य कर सकें।
3. **नेतृत्व की परिपक्वता के लिये सहकारी संस्थाओं को अनिवार्य करना** – वर्तमान शिक्षा प्रणाली मात्र डिग्री लेकर बेरोजगारों की संख्या को बढ़ा रही है। जिससे युवावर्ग अपने जीवन के लक्ष्य को पुरा नहीं कर पा रहा है। इसके लिये जरूरी है कि विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में प्रारम्भ से ही सहकारी शिक्षा प्रणाली अनिवार्य की जाये ताकि छोटी उम्र से ही सहकारी नेतृत्व की बात व्यवहारिक रूप से प्रकट हो सके। पदाधिकारियों के लिये नियमित रूप से संगोष्ठियों का आयोजन होना चाहिये। और यदि पदाधिकारी किसी संगठन में पूर्णकालीन और अंशकालीन काम करते हैं, तो उन्हें उचित वेतन या मानदेय दिया जाना चाहिये। जिससे वे गलत माध्यमों से धन अर्जित करने की दिशा में न बढ़ सकें। इससे न केवल भ्रष्टाचार खत्म होगा अपितु निष्पक्ष कार्य कर सकेंगे।
4. **संचालन के योग्य व्यक्ति का चयन** – सहकारी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिये, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि सहकारी समितियाँ अपना संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप देती है, जो उस कार्य के संचालन में अनुभवहीन होते हैं। उससे सहकारी प्रणाली के दोष के साथ-साथ सहकर्मियों के मध्य सामाजिक वैमनस्य जैसी बुराईयाँ आती हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि सहकारी कर्मचारियों में से ही किसी योग्य व्यक्ति को कार्यभार सौंपा जाये, जिसे न केवल खुद पर गर्व हो अपितु सहकारिता एवं सहकर्मियों के बीच ईमानदार हो।
5. **एक सिद्धे के दो पहलू** – उद्देश्यों तथा विचारधाराओं की दृष्टि से ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सहकारी संगठन एक ही विषय के दो पहलू हैं। दोनों का मुख्य उद्देश्य समाज का आर्थिक उत्थान करना एवं शोषणरहित समाज की स्थापना करना है। सहकारिता की परिधि के अंतर्गत सभी प्रकार के आर्थिक कार्यक्रम आते हैं चाहे कृषि, विपणन,

आपूर्ति, उद्योग प्रक्रिया या अन्य किसी भी संबंधित क्रिया से जुड़े कार्य।
सहकारी संस्थाओं की विकास प्रक्रिया के लिये सुझाव - ग्रामों से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी संगठन कार्यरत ही नहीं बल्कि निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक प्रकार से सहकारिता का ही एक अंग माना जा सकता है। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, औद्योगिक सहकारी संस्थाएँ, सहकारी कृषि समितियाँ, सहकारी विपणन समितियाँ, सहकारी उपभोक्ता समितियाँ, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियाँ आदि अनेकों संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इन संस्थाओं का अधिक से अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के कुछ संपन्न वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को मिलता है। इस कारण सामान्य ग्रामीण व्यक्ति को इन संस्थाओं के कार्यों में रुचि नहीं होती है। इस प्रकार की स्थिति शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ता व सहकारी समितियों के संबंध में भी देखने को मिलती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि जन कल्याण एवं राष्ट्र कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर इस बात विचार किया जाये कि कर्जो रूपों के प्रावधान के बावजूद सहकारिता का कार्यक्रम सामान्य ग्रामीण व्यक्ति के लिये लाभप्रद क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि सहकारी संस्थाओं को निम्न सुझाव अपनी प्रक्रिया में लाना चाहिए।

1. सहकारी संस्थाओं को ग्रामीण विकास निर्माण, योजना एवं उसके क्रियान्वयन का एक अभिन्न अंग माना जाए।
2. सहकारी संस्थाओं का ग्राम पंचायत तथा अन्य विकास अभिकरण से पूर्ण समन्वय स्थापित किया जाए।
3. ग्रामों की सम्पूर्ण आवश्यकताओं में से अधिकाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व सहकारी समितियों को दिया जाए।
4. ग्रामीण विकास योजना के लिए भी आर्थिक स्रोत के रूप में ग्रामीण विकास संस्थान को प्रमुख स्थान दिया जाए।
5. ग्रामीण अंगीकृत योजना को समग्र ग्रामीण विकास योजना का आधार बिन्दु मानकर कार्यान्वित किया जाए।

उपसंहार - वास्तविक रूप में सहकारिता आंदोलन का प्रादुर्भाव ग्रामीणवासियों की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिये हुआ है। सहकारिता ने भारत में 90 प्रतिशत गाँवों को अपनी कार्य परिधि में शामिल किया है।

औसतन प्रत्येक चार ग्रामों के बीच एक ग्रामीण सहकारिता समिति कार्यरत है। सहकारिता की मुख्य रणनीति स्थानीय संसाधनों को विकसित कर उनका जनता के लिए उपभोग करना है, जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अनुरूप हों। नियोजकों तथा विशेषज्ञों के साथ इसकी विभिन्न कमियों को दूर किया जा सकता है। सहकारी संस्थाएँ वास्तविक रूप में सभी प्रकार के कार्य करने में न केवल सक्षम हैं, अपितु ग्रामीण विकास के मुख्य केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रही हैं। इनकी क्षमता का पूर्ण उपयोग करना, वर्तमान स्थिति में आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो गया है। सहकारी संगठनात्मक ढाँचा, कार्यप्रणाली सिद्धांत, जनसमुदाय की साझेदारी, वित्तीय सुदृढता आदि ऐसे आधार हैं, जिनसे ग्रामीण विकास का मुख्य लक्ष्य का एकमात्र साधन सहकारिता ही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गौतम, कुमार नीरज, ग्रामीण विकास में सहकारिता का योगदान, कुरुक्षेत्र, मार्च 2009, पृष्ठ संख्या 205।
2. जर्नल ऑफ रूलर कापेरेशन, सेन्टर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक रिसर्च, वाल्यूम 42, वर्ष 2014, पृष्ठ संख्या 14।
3. सिंह अजित, भारत में ग्रामीण विकास और बैंकों की भूमिका, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2010, पृष्ठ संख्या 27।
4. कुमार आर्य, एग्रीकल्चर ओवरड्यूस इशुस एण्ड रेमेडिज़, द जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, वाल्यूम 57, नम्बर 3, जुलाई - सितम्बर, 2001।
5. द्विवेदी, आर. सी., 100 इयर्स ऑफ कापेरिटीव मूवमेंट इन इंडिया, सेन्टर फॉर प्राइमरी कापेरिटीव, 2005।
6. मिश्रा, बी. एस., परफार्मेंस ऑफ प्राइमरी कापेरिटीव इन इंडिया-एन इम्पेरिकल एनालिसिस, एम. पी. आर. ए. पेपर नम्बर 21890, नाबार्ड वेबसाईट।
7. www.policyproposalsforindia.com
8. Government of India, 2009 "Report of the High Power Community of Corporative is Minister of Agriculture.

भारत में कृषि उत्पादकता - धीमी गति के कारण तथा बढ़ाने हेतु किए गये उपाय

डॉ. हरदयाल अहिरवार *

प्रस्तावना - भारत में स्वतंत्रता के समय कृषि उत्पादन बहुत कम था और खादानों की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता था। किन्तु 1966 की हरित क्रान्ति के राष्ट्रीय आय एवं कृषि उत्पादकता में तेजी से वृद्धि हुई।

भारत में कृषि उत्पादन मुख्यतः दो रूपों में विभक्त किया जाता है। तथा खाद्यान (Food Grain) और गैर खाद्यान (Non Food Grains) विगत 60 वर्षों में गेहूँ, गन्ना, कपास, आदि के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1950-51 में चावल का उत्पादन केवल 206 लाख टन था बढ़ के 2013-14 में 1063 लाख अन्न हो गया। इसी प्रकार गेहूँ 64 लाख टन से बढ़कर 958 लाख टन हो गया। परन्तु कुछ वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बाद में कमी आई। जैसे ज्वार, का उत्पादन 55 लाख टन से बढ़कर आरवी योजना (1992-97) 107 लाख टन रह गया। परन्तु 2013-14 में 53 लाख टन रह गया। यही प्रवृत्ति बाजरा एवं मक्का की रही।

तालिका-2 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

भारत में विभिन्न उच्चावचनों के साथ उत्पादन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधारणतया कृषि क्षेत्र में उत्पादन भूमि अथवा श्रम सधन के रूप में व्यक्त की जाती थी। भूमि की उत्पादकता से तात्पर्य भूमि के एक इकाई क्षेत्र से प्राप्त होने वाले उत्पादन की मात्रा से है जो प्रति हेक्टर उपज किंटन के रूप में प्रकट की जाती है। उत्पादकता प्रकट करके नहीं रहता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कृषि उत्पादकता में (1965-66) के बाद विशेष प्रयास किए गये। अच्छी किस्मों के बीजों का अविष्कार सिंचाई के नए-नए साधन, कृषि यंत्रीकरण, अनुसंधान एवं तकनीक विधियों का प्रयोग। जिससे पंचवर्षीय योजनाओं के दरमियान प्रमुख फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई।

तालिका-3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

अन्य देशों की उत्पादकता की तुलना करने पर पता चलता है। कि हमारे देश में कृषि उत्पादकता का स्तर कितना निम्न है। भारत में इंग्लैण्ड की तुलना में मात्र 48 प्रतिशत है। चीन की तुलना में गेहूँ की उत्पादकता 68 प्रतिशत है। भारत में चावल की उत्पादकता चीन में उत्पादकता का 53 प्रतिशत अमेरिका में उत्पादकता का 43 प्रतिशत विश्व में धान (चावल) तथा गेहूँ अर्धन भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है। तथा वह दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भले ही देश में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। परन्तु उत्पादकता में उसका स्थान 138 वाँ है। सारणी 17.3% कुछ देशों में प्रति हेक्टर उत्पादकता 2012 (सारणी देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

देश	मूँगफली	देश	गन्ना
चीन	3575	अर्जेन्टाइन	74429

अमेरिका	4699	ब्राजील	71304
वियमनाम	2134	चीन	68811
भारत	1179	भारत	68344
पाकिस्तान	2410	कोलाम्बिया	1,25164
विश्व	1686	विश्व	68,854

स्रोत-Government of India Agriculture statistics at glance 2013 (Delhi, 2013) table7.1

संभाव्य एवं वास्तविक उत्पादन - न केवल भारत बालिक अन्य देशों की तुलना में उत्पादकता कम है। यह बात सरणी 17.4 से स्पष्ट हो जाती है।

फसल	संमात्य/उत्पादकता	वास्तविक उत्पादन
चावल	4000/5810	2,462
गेहूँ	6000/6800	3,118
ज्वार	3000/4200	862
मक्का	6000/8000	25,25
कपास	700/850	482
परसन	2500/3000	2350
गन्ना	96000/112000	66,988

स्रोत- (1) S. Gangadharan "Agriculture : New thrust on dry-land farming needed". The Eco.Junes January? 1992, P.13 (2) and Reserve Bank of India, Hand book of statistics on Indian Economy 2012-13 (mumbai-2013) Table-2 Page-64.⁽²⁾

कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण- Causes Of Low Productivity of Agriculture -

1. प्राकृतिक कारण Natural Factors- प्राकृतिक घटक जैसे- अकाल सूखा तूफान, बीमारियाँ एवं पाला आदि कृषि उत्पादकता को भारी नुकसान करते हैं।
2. कृषि पर अधि निर्भरता एवं भार भूमिका घटता क्षेत्रफल प्रच्यन्न बेरोजगारी ऋण ग्रस्तता में दबे किसान।
3. सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता- यहाँ अधिकांश कृषि कार्य वर्षा के सहारे पर निर्भर रहता है। भारत में केवल 32 प्रतिशत भारत सिंचाई सुविधा उपलब्ध है।
4. कृषकों की रुढ़िवादिता- भारत में अधिकांश कृषकों को न तो तकनीकी शिक्षा प्राप्त है और न ही रुढ़िवादिता प्राचीन रीति रिवाज धार्मिक विश्वास आदि भी कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं।
5. वित्तीय सुविधाओं का अभाव- समय पर ऋण उपलब्ध न होना उँची ब्याज दर महाजन एवं साहूकारों द्वारा शोषण कम करने में सहायक

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) पं.शम्भूनाथ शुक्ल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.) भारत

- है-
- कुशल विपणन व्यवस्था का अभाव- एकता उपज का एक बड़ा भाग ऋण व ब्याज के रूप में महाजनों को देना पड़ता दूसरी मण्ड में आढतियों एवं ढलालों द्वारा शोषण।
 - कृषि अनुसंधान कार्यों की अत्यवहारिकता- अनुसंधान कार्य होते हैं। परन्तु सामान्य किसान तक यह जानकारी नहीं पहुँच पाती कि कृषि क्षेत्र में किस प्रकार बदलाव लाना है।
 - पौध संरक्षण कार्यक्रम- कृषि में लगने वाले रोगों को समाप्त करने के लिए सरकार के अनेक प्रयास किए। फसलों को कीटाणुओं से बचाने के लिए जोधपुर में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई।
 - फसल बीमा योजना- फसल की अकिर्रचना एवं हानि से रक्षा हेतु फसल बीमा योजना चालू की गई। इस योजना सन् 2006-07 थी रबी फसल तक 971 लाख किसानों के इस योजना में 92618 करोड़ रुपये का फसल बीमा कराया।⁽³⁾

**कृषि उत्पादकता को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयास-
Efforts made by Govt. for Agricultural Increase in
Productivity)**

- सिंचाई सुविधाओं का विकास- अतिरिक्त नहरे, तालाब न बाँधों का निर्माण जिसके परिणाम स्वरूप 1950-51 में सिंचित क्षेत्र 2,26 करोड़ हेक्टेयर था, वह 2009-10 में बढ़कर 10,82 करोड़ हेक्टेयर हो गया।
- उर्वरकों का प्रयोग- उर्वरकों का प्रयोग जहाँ 1950-51 में केवल 0.69 लाख टन था, वह बढ़कर 2009-10 में 264.9 लाख टन हो गया।
- अधिक उपज देने वाली किस्म एवं बीजों का योग- जहाँ 1965-66 हरित क्रान्ति के बाद गेहूँ के उत्पादन में 6 गुना चावल के उत्पादन में ढाई गुना वृद्धि हुई।
- प्रमाणित बीज आपूर्ति- सरकार में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो संगठन राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) तथा भारतीय राज्य कार्य निगम (SFC) की स्थापना की है। जिसके चलते 1969 से 1998 तक नई किस्मों की कृषि फसलों का पता लगाया जा चुका है।
- भूमि संरक्षण- 1950-51 से 2004-05 तक 398 लाख हेक्टेयर भूमि को भूमि संरक्षण के अर्न्गत लाया जा चुका है।

जैसा कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है। कि कृषि योग्य भूमि सीमित है। कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए कृषि उत्पादकता पर जोर देना होगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर बारहवीं योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) शुरू किया गया था। जिसके अच्छी किस्म के बीजों के वितरण पर जोर दिया गया। जैसा की बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि विद्यमान प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए उर्वरकों के संतुलित उपयोग सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग वह किस्मों को खोजने की जरूरत है। बारहवीं योजना प्रभावशाली बनाया जाये। चुनिन्दा स्थानों पर एवं चुनिन्दा जिलों व चुनिन्दा फसलों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों को चालू रखा जाए। (NFSM) का प्रचार-प्रसार किया जाये तथा गेहूँ, चावल, दालों, एवं मोटे अनाज एवं चारे को भी लाया जाएगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

- अर्थशास्त्र संस्करण 2015 बी.ए प्रथम (II) सेमस्टर पी.डी. माहेश्वरी एवं गुप्ता, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ. 119, 120, 121
- भारतीय अर्थव्यवस्था- मिश्रा एवं पुरी हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, 26वाँ संस्करण, पृ.231, 232
- यूनीफाइड अर्थशास्त्र- द्वितीय सेमस्टर पृ. 96,97,98 डॉ अनुपम गोयल, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी खजूरी बाजार, इन्दौर

भारत में कृषि उत्पादन की प्रवृत्ति-1950-51 से 1913-14

तालिका-2

फसल	इकाई	वर्ष 1950-51	तृतीय योजना औसत 1961-66	आठवीं योजना 1992-97	वर्ष 2000-01	लाख टन 2013-14
कुल उत्पादन	लाख टन	508	810	1870	1959	2644
चावल	लाख टन	206	351	787	849	1063
गेहूँ	लाख टन	64	111	629	687	958
ज्वार	लाख टन	55	88	107	77	53
बाजरा	लाख टन	26	39	67	71	92
मक्का	लाख टन	17	46	98	121	242
दालें	लाख टन	84	111	133	107	196
तिलहन	लाख टन	62	73	219	184	324
गन्ना	लाख टन	571	1092	2584	2992	3484
कपास	लाख टन	30	54	122	97	365
पटसन	लाख टन	33	57	81	93	114

स्रोत-आर्थिक समीक्षा- 2007-08 एवं आर्थिक सर्वे 2013-14 ⁽¹⁾

तालिका-3
प्रमुख फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता (किलोग्राम प्रति हेक्टेयर)

फसल	1950-51	1960-61	1970-71	1980-81	1990-91	2000-01	2013-14
सभी खाद्यान्न	552	710	872	1023	1380	1636	2095
चावल	668	1013	1123	1336	1740	1913	2419
गेहूँ	3555	851	1307	1630	2281	2743	3059
ज्वार	353	533	466	660	814	772	912
मक्का	547	926	1279	1159	1518	1841	2602
बाजरा	288	286	452	458	658	719	1161
दालें	441	539	524	473	578	533	770
कपास	88	125	106	152	225	191	529
पटसन	1044	1183	1186	1245	1833	2014	2386

स्रोत- आर्थिक समीक्षा भारत सरकार 2007-08 एवं Eco. Swrvegy 2013-14, statistical Appendix Table 1.14, Page-19⁽¹⁾

देश	चावल/धान	देश	गेहूँ	देश	मक्का
मिस्र	9,702	चीन	4995	अमेरिका	7,774
भारत	3,591	फ्रांस	7599	फ्रांस	9,083
जापान	5391	भारत	3,173	भारत	2,507
चीन	6,744	ईरान	1,971	अर्जेन्टाइन	7,343
थाईलैण्ड	3,000	इंग्लैण्ड	6,657	फिलीपींस	2,856
अमेरिका	8,349	मिस्र	6,516	चीन	5,959
विश्व	4,395	विश्व	3,115	विश्व	4,494

सहकारी संस्थाओं के वित्त प्राप्ति के स्रोत एवं ऋणनीति का अध्ययन इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में

डॉ. सपना सोनी * रिमता पाटीदार **

शोध सारांश - 'औद्योगिक विकास की दृष्टि से सहकारी संस्थाओं का एक विशेष महत्व है। साथ ही विकासशील देशों में सहकारिता का महत्व और भी अधिक है क्योंकि औद्योगिक विकास के द्वारा ही कोई भी देश अपना विकास कर सकता है। किसी भी उद्योग की प्रथम माँग वित्त है, क्योंकि बिना वित्त के उद्योग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि उद्यमी को यथासमय वित्त की प्राप्ति हो जाती है, तो वह औद्योगिक विकास के साथ अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकता है। साथ ही साथ देश के समुचित विकास में भी अपना योगदान दे सकता है। वर्तमान में इस भावना के बिना सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। आज भी सहकारिता हमारे विकास प्रयासों में आत्मनिर्भरता की ओर एक रचनात्मक कदम है। अतः औद्योगिक विकास के लिए वित्त की आवश्यकता को स्वीकारा गया है। बिना वित्त के औद्योगिक विकास संभव नहीं है। किसी भी प्रकार के उद्योग को प्राकृतिक साधनों द्वारा वित्त की पूर्ति से ही समृद्ध बनाया जा सकता है।'

प्रस्तावना - अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना सहकार (Cooperation) कहलाता है समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं की सम्मिलित संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य म.प्र. में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, इन संस्थाओं के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम एवं वृहद उद्योगों की स्थापना हुई है। भारत में सहकारिता की यह निश्चित व्याख्या सन् 1904 में अंग्रेजों ने कानून बनाकर की थी कानून बनने के बाद अनेक पंजीकृत संस्थाएँ इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतरी सहकारिता में समाजहित को देखते हुए सरकार द्वारा भी बहुत तेजी से वृद्धि के प्रयास हुए। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए चाहे वह छोटे पैमाने पर हो या बड़े वित्त की आवश्यकता होती है। वित्त किसी भी उद्योग की प्रथम मांग होती है। सामान्यतः व्यक्ति वित्त की प्राप्ति दो साधनों से करता है। पहला साधन साहूकार, देशी बैंकर्स एवं दूसरा साधन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी समितियाँ एवं अन्य बैंकों से वित्त प्राप्त करता है। स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पूंजी एवं धन उपलब्ध कराने का कार्य सेठ, साहूकार द्वारा किया जाता था। ये साहूकार उँची ब्याज दर पर कृषकों की मूल्यवान संपत्तियों को गिरवी रखकर ऋण देते थे। इसी के साथ-साथ वे व्यक्तियों को हर प्रकार से शोषित भी करते थे।

शोध प्रविधि - उपरोक्त शोध पत्र सहकारी संस्थाओं के वित्त प्राप्ति के स्रोत एवं ऋणनीति का अध्ययन नामक शोधपत्र में प्रथम एवं द्वितीयक समकों का प्रयोग किया गया है, जिसमें विश्लेषणात्मक पद्धति, सैद्धांतिक और प्रायोगिक रूपों को संकलन का आधार माना गया है। प्रथम आंकड़ों के लिए व्यक्तिगत अनुसंधान (साक्षात्कार) अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत (प्रश्नावली) एवं स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा एकत्रित किए गए हैं जबकि द्वितीयक समक के लिए मेरे द्वारा सहकारी संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट, पत्र-पत्रिकाएँ, प्रतिवेदन एवं प्रकाशित समकों एवं सूचनाओं का प्रयोग किया गया है। शोध प्रविधि के माध्यम से अनेक हितग्राहियों ने अपने समक्ष

ऋण लेते समय आने वाली समस्याओं एवं सुझाव भी प्रस्तुत किए हैं।

अध्ययन का उद्देश्य - प्रस्तुत शोध कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं -

- सहकारी संस्थाओं की ऋण नीति का अध्ययन।
- उद्योगों के लिए सहकारी संस्थाएँ किस प्रकार प्रयत्नशील हैं।
- उद्योगों को सहकारी संस्था के माध्यम से व्यवहार करने की प्रवृत्ति के बारे में पता लगाना।
- उद्योगों को ऋण प्रदान करने की कार्यविधि का पता लगाना।

सहकारी संस्थाओं के वित्त प्राप्ति के स्रोत - आधुनिक व्यवसाय में अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से समस्त संसाधनों की प्राप्ति वित्त पर निर्भर करती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया वित्त के अभाव में संभव नहीं है। वित्त किसी भी व्यवसाय को सफल बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

सामान्यतः सहकारी समितियाँ सदस्यों को ऋण देने और अन्य कार्यों के लिए भी सहकारी समिति को पर्याप्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है। सहकारी समितियाँ वित्त की प्राप्ति आन्तरिक एवं बाह्य दोनों साधनों से करती हैं।

(अ) आन्तरिक साधन - आन्तरिक साधन में मुख्य रूप से प्रवेश शुल्क, अंशपूंजी, सुरक्षित कोष और सदस्यों की जमाओं को शामिल किया जाता है।

आंतरिक साधनों से संस्थाएँ अल्पपूंजी प्राप्त करती हैं, इसलिए संस्थाओं को बाह्य साधनों पर भी निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि ऋण सामान्यतः कृषक वर्ग या उद्यमियों द्वारा लिये जाते हैं और इसकी पूर्ति हेतु बाह्य साधनों पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। संस्था के आन्तरिक साधनों से ऋण पूर्ति नहीं कर सकते हैं।

आन्तरिक साधनों में निम्न है -

- प्रवेश शुल्क

* प्राध्यापक शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, शहीद भीमानायक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

- अंशपूँजी
- सुरक्षित कोष
- जमाएँ
- सदस्यों से अमानत
- अनुदान या भेंट
- सहकारी अधिकांश से ऋण

(ब) बाह्य साधन - बाह्य साधन में उन स्रोतों को शामिल किया जाता है, जो गैर समिति सदस्यों से प्राप्त होते हैं। बाह्य स्रोतों में मुख्य रूप से सरकार, केन्द्रीय वित्त संस्थाएँ अनुदान एवं अन्य समितियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित हैं।

ऋणनीति - सहकारी संस्थाएँ अपनी साख का वितरण ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके समय, उद्देश्य, जमानत आदि के आधार पर ऋण प्रदान करती हैं। सहकारी संस्थाओं की ऋण नीति का निर्धारण सरकार एवं उद्योग बोर्ड निगम करता है तथा ये संस्थाएँ लोगों को स्वरोजगार हेतु लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण देती हैं। ये सहकारी संस्थाएँ लोगों को ऋण नीति के आधार पर निम्नांकित आधार पर ऋण प्राप्ति का निर्धारण करती हैं, जो निम्न है -

1. **अल्पकालीन ऋण** - यह ऋण 3-4 माह की अवधि के लिए दिया जाता है।
2. **मध्यकालीन ऋण** - यह ऋण 4 माह से 1 वर्ष की अवधि के लिये दिया जाता है।
3. **दीर्घकालीन ऋण** - यह ऋण 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिये दिया जाता है।

तालिका (देखें)

तालिका से स्पष्ट है कि सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋणनीति का निर्धारण तीन चरणों में होता है, प्रथम चरण में अल्पकालीन ऋण, द्वितीय चरण में मध्यकालीन ऋण एवं तृतीय चरण में दीर्घकालीन ऋण आदि। अल्पकालीन ऋण में लघु उद्योगों को 150 लाख रु. का ऋण दिया गया है, इसी प्रकार मध्यकालीन ऋण में 200 लाख रु. का ऋण दिया गया है। दीर्घकालीन ऋण में 400 लाख रु. का ऋण दिया गया है। इसी प्रकार तीन माध्यमों से कुल 750 लाख रु. का ऋण दिया गया है जो समस्त ऋण राशि का 44.99 प्रतिशत होता है। इसी प्रकार कुटीर उद्योगों के लिए अल्पकालीन 94 लाख

रु. का ऋण दिया गया है, मध्यकालीन 190 लाख रु. का मूल्य दिया गया है तथा दीर्घकालीन 325 लाख रु. का ऋण दिया गया है। कुल ऋण राशि तीनों माध्यमों से 609 लाख रु. का ऋण दिया गया है, जो समस्त राशि का 36.53 प्रतिशत है।

निष्कर्ष - 'विभिन्न हितग्राहियों एवं ग्राहकों से प्राप्त जानकारियों के अध्ययन के आधार पर यह विश्लेषण किया गया है कि सहकारी संस्थाओं से ऋण के रूप में वित्त प्राप्त करके उद्यमी लघु कुटीर उद्योगों को स्थापित करता है एवं संस्थाओं से प्राप्त वित्त से वह अपने कार्य को सुचारू रूप प्रदान करता है। सर्वेक्षित क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि इंदौर जिले में समस्त प्राकृतिक साधन हैं, जो लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इंदौर जिले में लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास की स्थिति जानने के लिए मैंने शासकीय प्रशासनों, सूचनाओं और पत्र-पत्रिकाओं का उपयोग किया गया है। इंदौर जिले में अनुकूल दशा के रूप में यातायात की सुविधा, बिजली की आपूर्ति एवं दूरसंचार की सुविधा भी उपलब्ध है। सहकारी संस्थाओं की ऋणनीति, संतोषजनक है। एक उद्यमी इन संस्थाओं द्वारा लाभांशित होकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. म.प्र. सहकारिता - एम.पी.सक्सेना, आभा प्रकाशन, भोपाल 1979
2. सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार - वी.पी. गुप्ता, रमेश बुक डिपो, जयपुर (1980)
3. भारतीय कृषि उद्योग एवं नियोजन - मामोरिया एवं जैन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
4. म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960- मदनलाल जिंदल राजकमल प्रकाशन, इंदौर (2003)

समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ -


1. उद्योग जगत - उद्योग विकास म.प्र. शासन।
2. प्रतियोगिता दर्पण - साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. दैनिक भास्कर - इंदौर संस्करण।
4. नव भारत - इंदौर संस्करण।

तालिका

सर्वेक्षित क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋणनीति का निर्धारण

क्र.	उद्योग	अल्पकालीन ऋण (लाख रु. में)	मध्यकालीन ऋण (लाख रु. में)	दीर्घकालीन ऋण (लाख रु. में)	कुल ऋण (लाख रु. में)	प्रतिशत
1.	लघु उद्योग	150	200	400	750	44.99
2.	कुटीर उद्योग	94	190	325	609	36.53
3.	अन्य	84	96	128	308	18.47
	योग	328	486	853	1667	100.00

स्रोत - सर्वेक्षण के आधार पर संकलित आँकड़े।



बैगा जनजाति के आर्थिक विकास में शासकीय योजनाओं का प्रभाव (बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. महेश कुमार धुर्वे *

प्रस्तावना - जनजाति शब्द का उच्चारण करते ही हमारे मस्तिष्क में प्राचीन सामाजिक पृष्ठभूमि की झलक सामने आ जाती है। जनजातियाँ आज भी अपनी ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बनाए हुए हैं और भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर अपनी विलक्षण जीवन-शैली के लिए जानी पहचानी जाती है। भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ पायी जाती हैं, इसलिए इसे जनजातियों का अजायब घर कहा जाता है। जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति आज भी पिछड़ी हुई है। आजादी के बाद से देश के नव निर्माण एवं विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रपात हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जनजातीय विकास के लिये कोई विशेष रणनीति नहीं बनी, बल्कि 'सामुदायिक विकास दृष्टिकोण' के माध्यम से अतिरिक्त वित्तीय संसाधन के प्रावधानों पर बल दिया गया था। प्रथम योजना के अंत में (1954) 43 विशेष बहुदेशीय जनजाति विकास परियोजनाएँ बनायी गयी, किन्तु इन परियोजनाओं के माध्यम से जनजातियों का पूर्णतया ध्यान नहीं रखा गया। यही दृष्टिकोण द्वितीय योजना में भी रहा।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार जनजातीय विकास के लिए एक पृथक कार्यनीति बनायी गई, जिसके अन्तर्गत 66 प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या वाले विकासखण्डों को जनजातीय विकासखण्ड में परिवर्तित कर विकास पर ध्यान दिया गया। किन्तु इस कार्यनीति की अपनी सीमाएं थी, इसके द्वारा जनजाति विकासखण्डों के बाहर रहे देश की जनजातीय आबादी का ध्यान नहीं रखा गया। जनजातियों के त्वरित सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए वर्ष 1972 में समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने 'जनजातीय उपयोजना कार्यनीति' तैयार की, जिसे पहली बार पाँचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया और तब से यह कार्यनीति जारी है।

जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत एवं शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कुछ जनजातियों का विकास तो हुआ किन्तु समाज के अंतिम छोर पर जीवन यापन करने वाले राष्ट्रीय मानव का दर्जा प्राप्त बैगा जनजाति पर इस कार्य योजना का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। परिणाम स्वरूप उपयोजना के अंतर्गत बैगा जनजाति के विकास हेतु पृथक से 'बैगा विकास अभिकरण' की स्थापना की गई।

बैगा विकास अभिकरण को जनजाति उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इनके लिए पृथक-पृथक विभागों को विभागों को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बजट प्रावधान किए जाते रहे हैं। केन्द्र एवं म.प्र. सरकार द्वारा बैगा जनजाति के समग्र विकास के लिए किए जाने वाले सतत् प्रयासों के फलस्वरूप इस जनजाति का कितना विकास हुआ एवं विकास योजनाओं का इनके आर्थिक विकास में क्या भूमिका रही,

क्या प्रभाव पड़ा यह एक शोधपरक तथ्य है। अतः बालाघाट जिले को अध्ययन हेतु चुना गया है।

मध्य प्रदेश में जनजाति एवं बैगा जनजाति - भारत की सर्वाधिक जनजातियाँ म.प्र. में निवास करती है। 'देश के कुल जनजातियों की अनुमानतः एक चौथाई आबादी म.प्र. में रहती है। इस प्रकार देश में जनजाति जनसंख्या के मामले में विभिन्न प्रदेशों की सूची में म.प्र. शीर्ष पर है।' प्रदेश की जनजातियाँ 46 समूहों में विभक्त है। प्रदेश में पायी जाने वाली जनजातीय समूहों में 'बैगा जनजाति अत्यन्त पिछड़ी जनजाति है। इनके आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण ही इन्हें 'शेड्यूल एरिया एण्ड शेड्यूल ट्राइब कमीशन द्वारा 1960-61 में म.प्र. की 'विशेष पिछड़ी जनजाति' के रूप में चिन्हित किया गया है। बैगा जनजाति एकांत उंचे स्थानों और जंगलों में बसना पसन्द करते हैं। इनका जीवन प्रकृति पर आधारित रहा है, इसलिए इन्हें 'प्रकृति पुत्र' या 'धरती पुत्र' कहा जाता है। म.प्र. के मण्डला बालाघाट डिण्डोरी, उमरिया एवं शहडोल जिले में बैगा जनजातीय पायी जाती है।

बालाघाट जिले में बैगा जनजाति - बालाघाट जिले में मुख्य रूप से बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा वि.ख./तहसील में बैगा जनजाति पायी जाती है, जिले की तीनों तहसील प्रदेश के 'एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना' के अन्तर्गत आती है। बैहर परियोजना में कुल 481 ग्राम है जिसमें 1992 के सर्वेक्षण के अनुसार 189 ग्राम बैगा बाहुल्य आबादी वाले थे। 2001 में जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार कराये गए सर्वेक्षण के आधार पर परियोजना क्षेत्र में 190 बैगा ग्राम है। जिनकी जनसंख्या तहसीलवार/विकासखण्डवार निम्नानुसार है।

तालिका - 1

विकास खण्डवार बैगा जनजाति जनसंख्या (2001)

क्र.	वि.ख. का नाम	ग्रामों की संख्या	बैगा परिवार की संख्या	कुल जनसंख्या
1	बैहर	72	1549	6602
2	बिरसा	52	1644	7547
3	परसवाड़ा	66	748	2997
	योग	190	3941	17146

स्रोत - बैगा विकास अभिकरण बैहर बालाघाट।

इस प्रकार तालिका से स्पष्ट है कि जिले के तीनों वि.ख./तह. में बैगा जनजाति की कुल जनसंख्या 17146 है। बैहर एवं परसवाड़ा वि.ख. में बैगा ग्रामों की संख्या अधिक है, किन्तु जनसंख्या बिरसा वि.ख. में अधिक है जिले में बैगा आज भी परम्परागत ढंग से जीवन व्यतीत कर रहे है। बैगा समूह अपने खान-पान, रहन-सहन, आचार-विचार, तौर-तरीके, प्रथाएँ

एवं जीवनशैली के कारण अन्य सामाजिक समूहों से भिन्नता ली हुई है।

पूर्व साहित्य का अनुशीलन - 'सोनवानी' (1997) ने लघु शोध प्रबंध 'मण्डला जिले के चाण्डा क्षेत्र के बैगा जनजाति की शैक्षणिक उन्नति का समीक्षात्मक अध्ययन' में बैगा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का मूल्यांकन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक स्थिति कमजोर होने के कारण इनका विकास नहीं हो पा रहा है। ध्रुव' (1992) के अपने लेख 'नागा बैगा के वंशज बैगा' में जनजातीय अर्थव्यवस्था तथा वन अर्थव्यवस्था दोनों को परस्पर निर्भर बताया है। स्पष्ट किया है कि बैगा जन जाति की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर है। वन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन है। 'दुबे' 2013 ने 'बैगा जनजाति विकास के नवीन आयाम' में बैगा जनजाति के सर्वांगीण विकास हेतु आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास पर जोर दिया है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत अध्ययन निदर्शन पद्धति वे आधार पर संकलित समंको के माध्यम से किया गया है। अनुसूची पद्धति को अपनाया गया है। इस हेतु बालाघाट जिले वे 392 परिवारों का दैव निदर्शन द्वारा चयन किया गया है।

उद्देश्य -

1. बैगा जनजाति की आर्थिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. बैगा जनजाति क्षेत्रों में लागू विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों का आकलन करना।
3. बैगा जनजाति के आर्थिक विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका व प्रभावों का मूल्यांकन करना।

परिकल्पना -

1. बैगा जनजाति की आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की रही है।
2. विकास योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है।
3. विकास योजनाओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव पडा है।

अध्ययन क्षेत्र - अध्ययन का क्षेत्र बालाघाट जिले की बैहर, बिरसा एवं परसवाड़ा विकासखण्ड जहाँ बैगा जनजाति के लोग पाए जाते हैं।

अध्ययन अवधि - अध्ययन के लिए 2007 से 2012 तक पाँच वर्षों की समयावधि का निर्धारण किया गया है।

सर्वेक्षित परिवारों की संख्या - शोध अध्ययन में न्यादर्श के आधार पर प्रत्येक विकास खण्ड (जहाँ बैगा जनजाति पायी जाती है) से 10 - 10 प्रतिशत परिवारों का चयन किया गया है। इस प्रकार बैहर विकास खण्ड के 8 ग्रामों से 154 परिवार बिरसा विकास खण्ड के 5 ग्रामों से 164 परिवार एवं परसवाड़ा विकासखण्ड के 7 ग्रामों से 74 परिवार कुल 392 परिवारों का अध्ययन हेतु चयन किया गया है।

तालिका क्र. 1.1

सर्वेक्षित परिवारों की संख्या

क्र.	विकासखण्ड	कुल ग्राम	परिवार संख्या
1	बैहर	8	154
2	बिरसा	5	164
3	परसवाड़ा	7	74
	योग	20	392

सर्वेक्षित परिवारों में आय के स्रोत - शोध के दौरान शोधार्थी द्वारा बैगा जनजाति क्षेत्रों के भ्रमण एवं सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि बैगा जनजाति के आय का प्रमुख स्रोत वनोपज, मजदूरी एवं परम्परागत कृषि है। वनों से प्राप्त विभिन्न उत्पादों को बाजारों में, गाँव में या साहूकारों

को औने-पौने दामों पर बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। आय के प्रमुख स्रोतों के निम्न तालिका से दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 1.2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या वनोपज एवं मजदूरी पर निर्भर है। 19.93 प्रतिशत जनसंख्या कृषि करती है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार - गरीबी रेखा से अभिप्राय वास्तविक गरीब से है, जबकि व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाए। बैगा जनजाति वर्ग में गरीबी का प्रतिशत सर्वाधिक है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों से स्पष्ट होता है कि 97.45 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है। शासन द्वारा संचालित अनेकों योजनाओं के बावजूद भी बड़ी मात्रा में गरीबी रेखा का प्रतिशत इनकी आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है।

तालिका क्र. 1.3

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार

क्र.	विकासखण्ड	परिवार संख्या	बी.पी.एल. परिवार	प्रतिशत
1	बैहर	154	150	38.27
2	बिरसा	164	162	41.33
3	परसवाड़ा	74	70	17.85
	योग	392	382	97.45

विकास योजनाओं की जानकारी - शासन द्वारा बैगा जनजाति के लिए विकास की अनेक योजनाओं संचालित की जा रही है। प्रश्न यह उठता है कि क्या इन योजनाओं की जानकारी इन्हें है? सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों से ज्ञात होता है कि 80.12 प्रतिशत परिवारों को योजनाओं की जानकारी किन्तु 18.88 प्रतिशत परिवारों को आज भी इनकी जानकारी नहीं है। जो कि निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्र. 1.4

विकास योजनाओं की जानकारी

क्र.	विकासखण्ड	परिवार संख्या	हाँ	नहीं
1	बैहर	154	128	26
2	बिरसा	164	132	32
3	परसवाड़ा	74	58	16
	कुल	392	318	74
	प्रतिशत	100.00	81.12	18.88

योजनाओं का आर्थिक विकास पर प्रभाव - बैगा जनजाति के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है किन्तु शासन के अथक प्रयासों के बावजूद भी बैगा जनजाति का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है।

तालिका क्र. 1.5

योजनाओं का आर्थिक विकास पर प्रभाव

क्र.	विकासखण्ड	परिवार संख्या	हाँ	नहीं
1	बैहर	154	93	26
2	बिरसा	164	100	32
3	परसवाड़ा	74	45	16
	कुल	392	238	74
	प्रतिशत	100.00	60.71	39.29

तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 392 परिवारों में मात्र 60.71 प्रतिशत परिवारों के आर्थिक विकास पर शासकीय योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। अभी लगभग 40 प्रतिशत परिवारों पर योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

बैगा विकास अभिकरण द्वारा पृथक से संचालित योजनाओं का प्रभाव—जनजाति उपयोजना के अंतर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता मद से करोड़ों रु. बैगा विकास अभिकरण को बैगा विकास हेतु प्राप्त होती है। किंतु इन विशेष योजनाओं का इनके आर्थिक विकास पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। बैगा जनजाति की आर्थिक सामाजिक स्थिति अभी भी निम्न स्तर की है। ये लोग आज भी जीवन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। आकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं।

तालिका क्र. 1.6
विशेष योजनाओं का प्रभाव

क्र.	विकासखण्ड	परिवार संख्या	हाँ	नहीं
1	बैहर	154	96	58
2	बिरसा	164	103	61
3	परसवाड़ा	74	51	23
	कुल	392	250	142
	प्रतिशत	100.00	63.78	36.22

उपरोक्त तालिका से है कि बैगा विकास अभिकरण द्वारा 'विशेष केन्द्रीय सहायता' मद के अन्तर्गत संचालित विशेष योजनाओं का लाभ भी शत प्रतिशत बैगा परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। केवल 63.78 प्रतिशत परिवारों पर ही विशेष योजनाओं का कुछ प्रभाव पड़ा है किंतु 36.22 प्रतिशत परिवारों पर इन विशेष योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थात् शासकीय योजनाओं के लाभ से बैगा जनजाति आज भी वंचित है।

निष्कर्ष – शोध अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आजादी के छ: दशकों के बाद भी बैगा जनजाति की आर्थिक, सामाजिक स्थिति निम्न स्तर की है। आज भी बैगा जनजाति के परिवारों को वनोपज एवं मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। 97.45 प्रतिशत परिवार आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि शासन की योजनाओं का कुछ सकारात्मक प्रभाव रहा है किंतु समग्र विकास हेतु योजनाओं के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता है एवं योजनाओं को और प्रभावी बनाया जाए क्योंकि आज भी लगभग 19 प्रतिशत परिवारों को योजनाओं की जानकारी तक नहीं है

सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि लगभग 40 प्रतिशत लोगों के आर्थिक विकास पर शासकीय योजनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

सुझाव – बैगा जनजाति के विकास हेतु संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों की उच्च स्तर पर सतत जाँच व निगरानी कर विकास कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, ताकि बैगा जनजाति को योजनाओं का सही लाभ दिलाया जा सके। साथ ही विकास योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक है कि उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित किया जाए। सहभागिता के द्वारा उनका विश्वास जीतकर उनकी आवश्यकताओं, परिस्थितियों एवं भावनाओं और उनकी मानसिकता के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए।

बैगा जनजाति समाज को उनकी रूचि व इच्छानुसार व्यवसायों में संलग्न किया जाना चाहिए एवं बैगाओं के परम्परागत व्यवसायों को प्रोत्साहित कर उनके दक्षता संवर्धन के कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, तभी बैगा जनजाति का आर्थिक एवं सामाजिक विकास सम्भव हो पाएगा। साथ ही बैगा जनजाति के समग्र विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का शतप्रतिशत लाभ उन्हें प्रदान किया जाए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सोनवानी, अर्जुन कुमार (1997) मण्डला जिले के चांदा क्षेत्र के बैगा जनजाति की शैक्षणिक उपनति का सकारात्मक अध्ययन लघु शोध प्रबंध शिक्षा महावि. डॉ. हरिसिंह गौर वि.वि. सागर।
2. ध्रुव सुरेश (1999) 'नागा बैगा के वंशज बैगा' रोजगार और निर्माण 30 जनवरी।
3. दुबे, डॉ. केश कुमार (2013) बैगा जनजाति विकास के नवीन आयाम प्रथम संस्करण 2013 श्री विनायक पब्लिकेशन आगरा।
4. चौरसिया, डॉ. विजय (2009) प्रकृति पुत्र बैगा म.प्र. हिन्दी अकादमी भोपाल।
5. त्रिपाठी रमेशचंद्र (1985) बैगा जनजाति एक सामाजिक अध्ययन आदिम जाति अनुसंधान संस्थान भोपाल।
6. नायडू पी.आर. (2002) भारत के आदिवासी विकास की समस्याएँ, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण।
7. चौरसिया डॉ. विजय (2009) प्रकृति पुत्र बैगा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल।

तालिका क्र. 1.2
सर्वेक्षित परिवारों में आय के स्रोत

क्र.	विकासखण्ड	कृषि	वनोपज	मजदूरी	व्यवसाय	नौकरी	अन्य	कुल
1	बैहर	68	107	99	4	4	8	290
2	बिरसा	84	167	129	6	0	11	397
3	परसवाड़ा	14	67	56	2	1	6	146
	योग	166	341	284	12	5	25	833
	प्रतिशत	19.93	40.94	34.09	1.44	0.60	3.00	100.00

बांधों से विस्थापित परिवारों की विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याएँ

गोविन्द मुवेल * डॉ. संग्राम भूषण **

प्रस्तावना – देश के विकास तथा भारत निर्माण के अन्तर्गत भारत में अनेक बांधों का निर्माण हुआ। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब हमारे यहां 300 से भी कम बड़े बांध थे लेकिन वर्तमान में यह संख्या 4000 तक जा पहुंची है। जिनमें आधे से ज्यादा बांध 1971 से 1989 के बीच बनाए गए। अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा बांध भारत में ही हैं। चूकि बड़े बांधों का निर्माण हुआ है, तो अनेक मानवीय विपदाएँ भी उत्पन्न हुई हैं। कई बेकसूर लोगों को मजबूरन अपने पैतृक निवास स्थान को छोड़ना पड़ा। विस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य को किसी न किसी कारणवश एक स्थान से दूसरे स्थान पर पुनर्वासित होना पड़ता है। वर्तमान समय में अधिक विस्थापन बांधों के निर्माण के कारण हुआ है। अतः एक और बांधों का निर्माण बढ़ता गया तथा दूसरी ओर विस्थापन की समस्या। वाल्टर फर्नान्डीस ने भारत में सन् 1951-1990 के बीच योजनाबद्ध विकास के कारण विस्थापित होने वालों की कुल संख्या 1 करोड़ 10 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख के बीच आँकी गई है। इतने बड़े विस्थापन के बाद महज 25 प्रतिशत लोगों को ही पुनर्वास व्यवस्था मिली है, शेष 75 प्रतिशत आज भी पुनर्वास से वंचित हैं। बांधों के निर्माण से डूब प्रभावितों को एकमुश्त मुआवजा राशि देकर विस्थापित करने से विस्थापित लोग मुआवजा की रकम को राशन, उधारी, शराब, सट्टे-बाजी, विलासिता उपभोग पर खर्च कर देते हैं जिसके कारण इनकी आर्थिक स्थिति और भी बुरी हो जाती है।

अध्ययन का उद्देश्य – प्रस्तुत शोध-पत्र में बांधों से विस्थापित परिवारों की विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध-पत्र द्वितीयक संमकों पर आधारित है। बांधों से विस्थापित परिवारों की विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्याओं के अध्ययन हेतु साहित्य संदर्भित पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाओं, विभागों की वेबसाइट, प्रकाशित लेखों, समाचार पत्र आदि से जानकारीयें एकत्रित की गई हैं।

आजादी के बाद पंचवर्षीय योजनाओं में बांधों के निर्माण क्रयान्वयन से प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति विस्थापित हुए हैं। विस्थापन और बस्तियों के विनाश का सबसे बड़ा कारण जल-विद्युत एवं सिंचाई योजनाएँ हैं। हालांकि विस्थापन के अनेक कारण हो सकते हैं। भूकंप, चक्रवात, सुनामी इत्यादी प्राकृतिक आपदाएँ इसके अलावा शत्रु देश का आक्रमण अथवा, उग्रवादी अथवा नक्सवादी आक्रमण, बड़े उद्योगों का निर्माण इत्यादी। विकास और विस्थापन के मामले में प्रभावित होने वालों में सबसे बड़ी संख्या स्पष्टतः जनजातीय लोगों की हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जनजातियों की संख्या देशों में कुल जनसंख्या की मात्र 8 प्रतिशत है फिर भी विस्थापितों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं का है। बाँध निर्माण से प्रभावितों को अनेक प्रकार की

समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपने निवास स्थल को छोड़ने से रोजगार की समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कृषि पर निर्भर कृषकों की भूमि डूब में जाने के कारण उनकी स्थिति प्रदत्त से भी खराब हो जाती है तथा एक स्थान से अन्य स्थान पर बसने से वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं।

ज्यादातर जनजातियाँ ऐसे क्षेत्रों में रहती आई है जिनकी प्रशासकीय दृष्टि से एक लम्बे जमाने से उपेक्षा होती आई है और जिसे पिछड़ा हुआ इलाका समझा जाता रहा है इसलिए जनजाति के व्यक्ति को उसके अपने छोटे भू-खण्ड का जो भी मुआवजा दिया गया है, वह बहुत ही कम और नगण्य जैसा है। दूसरी ओर जनजातियों के लोग एक ऐसी आत्मनिर्भर और पर्याप्त अर्थव्यवस्था पर परम्परा से रहते आए हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी। अपने क्षेत्र के बाहर की अर्थव्यवस्थाओं से उनका कभी कोई सरोकार भी नहीं रहा है। इसलिए वे नई परियोजनाओं में रोजगार पाने की आशा भी नहीं कर सकते। (वाल्टर फर्नान्डीस 1995)

बहुत से विद्वानों ने अपने अध्ययनों में विस्थापन के अनेक कुप्रभावों का उल्लेख किया है। अनैच्छिक पुनःस्थापन से मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों प्रकार के तनाव बढ़ते हैं। उससे रोग भी फैलते हैं और मृत्यु की घटनाएँ भी बढ़ती हैं। दूसरा दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम परिवार के अलग-अलग होने से निःसहाय और कमजोर होने की संभावनाएं फैलती हैं। नये क्षेत्रों में जाकर रहने की बात जनजाति के लोग सोच भी नहीं सकते क्योंकि वे अपने पैतृक स्थान और परिवेश से जुड़े होते हैं।

हिमाचल प्रदेश से विस्थापित भाखड़ा बांध के विस्थापितों को हरियाणा के सिरसा और हिसार जिलों में बसाने का कार्यक्रम बनाया गया, पर जिन 2180 परिवारों का यहां पुनर्वास होना था, उनमें से 730 परिवार ही यहां बस सके। एक लम्बे समय तक भूमिधारी हक उन्हें नहीं दिए गए।

मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अन्तर्गत नर्मदा व इसकी सहायक नदियों पर 29 वृहद, 135 मध्यम व 3000 लघु बांध बनाए जा रहे हैं। 29 वृहद परियोजनाओं में 5 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं से विस्थापित परिवारों को जिन स्थानों पर बसाया गया है वहाँ पर जीवन-यापन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसी कारण से कुछ पुनर्वास स्थल पर विस्थापित लोगों ने वहाँ पर रहने से इंकार कर दिया।सेन्टर फॉर साइन्स एण्ड एन्वायर्नमेंट स्टडी के एक अध्ययन के मुताबिक विस्थापन की बड़ी वजह अनुमानतया बांधों का निर्माण है। बांधों से विस्थापित

* शोधार्थी (अर्थशास्त्र) अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) अध्ययनशाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

होने वाले लोगों की संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है। इसमें विस्थापित लोगों में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत है, जबकि देश की कुल अबादी में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 8.6 प्रतिशत है। शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया है कि लोगों को विकास परियोजनाओं के कारण 2.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन छोड़नी पड़ी है। जिसमें 70 लाख हेक्टेयर वनभूमि भी सामिल है।

ओडिसा में रेंगाली बांध से करीब पचास हजार लोग विस्थापित हुए जिनमें से ज्यादातर को बंजर भूमि पर बसाया गया। समय-समय पर यहां कुपोषण और भूख की मार से होने वाली मौतों के समाचार मिले हैं। बांध निर्माण से कृषि भूमि डूब में जाने के कारण यहां बसाए अनेक लोगों को दूर-दूर रोजगार के लिए प्रवासी मजदूरों के रूप में भटकना पड़ा।

सिंगरौली क्षेत्र से रिहद बांध से भी लगभग पचास हजार लोग विस्थापित हुए। यहां के डूब क्षेत्र में पानी भरने से पहले बहुत कम समय का नोटिस दिया गया और बदहवास की सी स्थिति में अपने घरों से तब भागे जब कुछ इलाके में पानी भरना शुरू भी हो चुका था। इनमें से अनेक विस्थापितों को दुबारा या तिवारा भी कोयला खदानों या ताप बिजली घरों के लिए अपने नए घरों से उखड़ना पड़ा।

स्वर्णरेखा परियोजना देश की सबसे विवादस्पद नदी घाटी परियोजनाओं में से एक रही है। बिहार, उड़िसा और पश्चिम बंगाल की यह एक अन्तर्राज्यीय नदी घाटी परियोजना है, जिसका सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बिहार में है। इस परियोजना से विस्थापित होने वाले एक लाख से भी कहीं अधिक लोगों का भविष्य बेहद अनिश्चित हो गया।

इस संदर्भ में दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालाजी (आई.आई.टी.) के डा. वी. उपाध्याय द्वारा स्वर्णरेखा परियोजना के विस्थापन और पुनर्वास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन भारतीय सरकार के कल्याण मंत्रालय की सहायता से किया गया। स्वर्णरेखा परियोजना में दो बांध और दो बैराजों का मुख्य निर्माण कार्य है। परियोजना के आरंभिक दौर में सरकारी स्तर पर कहा गया था कि इस परियोजना से लगभग 6800 परिवार ही विस्थापित होंगे। बाद में जब नई पुनर्वास नीति बनाई गई तो कहा गया कि लगभग 12800 परिवार विस्थापित होंगे किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया है कि वास्तविक विस्थापन इस नये सरकारी अनुमान से भी कहीं अधिक है। इस अध्ययन के अनुसार तो लगभग 35000 परिवारों का विस्थापन स्वर्णरेखा परियोजना के कारण होगा।

जब सरकारी आंकड़ों में बहुत से विस्थापितों की गिनती हो नहीं सकी है, तो जरूरी है कि विस्थापितों का भविष्य अनिश्चित ही होगा। यही बात इस अध्ययन के अन्तर्गत किए गए सर्वेक्षण से अनेक गांवों व बस्तियों से उभर कर आती है।

उदाहरण के लिए हुरलुंग गांव एक पूर्ण आदिवासी गांव था, जिसने संगठित ढंग से पुनर्वास संबंधी अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया है। अनेक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध उन्होंने अदालत में केस भी दर्ज करवाए। इस संगठन की शक्ति और सक्रियता के बावजूद कुल मिलाकर इस गांव में पुनर्वास कार्य की स्थिति बेहद असंतोषजनक है। यहां के 75 परिवारों में से 67 को आवास का मुआवजा मिला व इन 67 में से आधे से अधिक परिवारों को दस हजार रूपए से भी कम का मुआवजा मिला। जिस तरह के मकान यहां बने हुए थे, उन्हें नई जगह पर बनाने में लगभग एक लाख रूपए खर्च हो सकते हैं, पर मुआवजा उसके हिसाब से नहीं दिया गया। केवल कुछ ही परिवार वालों को 30000 रूपए से अधिक का मुआवजा

मिला। इतने कम मुआवजे की भी सब किस्में अनेक परिवारों को समय पर नहीं मिली। किशतों में रूपए मिलने के कारण कई बार दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पैसे खर्च हो जाते हैं और नया घर बनाने के लिए और भी कम पैसा बचता है। आजीविका के स्तर पर तो उन्हें और भी गहरा धक्का लगा है। वनों तथा कृषि पर आधारित उनकी आजीविका छिन्न-भिन्न हो गई है। कृषि भूमि के बदले में अन्य जगह कृषि भूमि देने के स्थान पर अनेक विस्थापितों को नगद मुआवजा ही दिया गया वह भी बहुत कम। पेड़ों के लिए भी बहुत कम मुआवजा दिया गया है। कुल मिलाकर ऐसी स्थिति नहीं बन सकी है कि लोग अन्य स्थान पर संतोषजनक ढंग से बस सकें और खेती कर सकें।

पिछले कुछ साल में बड़े बांध से होने वाला विस्थापन अधिक चर्चा का विषय बना है, पर अनेक खनन परियोजनाओं और बड़े उद्योगों से भी कम विस्थापन नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बोकारो स्टील प्लांट के लिए 30984 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ और 12487 परिवारों का विस्थापन हुआ। भिलाई स्टील प्लांट के लिए 33370 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ और 5703 परिवारों का विस्थापन हुआ। सेट्रल कोलफील्ड ने वर्ष 1981-85 के दौरान 120300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस्टर्न कोलफील्ड ने छठी योजना के कार्यकाल में तीस हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। कुछ अन्य जगहों पर अब तक और भी अधिक बड़े पैमाने पर विस्थापन हो जाता पर लोगों के विरोध के कारण इस विस्थापन को रोका जा सका है। पर विस्थापन केवल बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के कारण ही नहीं होता है। जिन जगहों पर धीरे-धीरे आजीविका के साधनों का हास हो रहा है, वहां से होने वाला विस्थापन और भी दर्दनाक है। किसी परियोजना के कारण होने वाले विस्थापन में कम से कम मुआवजे और पुनर्वास की जिम्मेदारी को स्वीकार तो किया जाता है, चाहे इसे ठीक से निभाया न जाए। पर धीरे-धीरे होने वाले आजीविका के हास की जिम्मेदारी स्वीकारने या पुनर्वास के वादे करने भी कोई आगे नहीं आता है। इस विस्थापन से उजड़ने वाले लोगों को अपना भविष्य पूरी तरह से अपने कमजोर हाथों ही बनाना पड़ता है।

कुछ गांवों में वन विनाश और भूमि-कटाव से जुड़े संकट के कारण धीरे-धीरे कृषि और पशुपालन दोनों के अवसर कम हो जाते हैं। पीने के पानी, सिंचाई, रोजगार, चारे-ईंधन जैसी दैनिक जीवन की बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति का संकट पैदा हो जाता है। कुछ अन्य गांवों में विकास की महंगी चाल के चलते छोटे और सीमांत किसान नए तौर तरीकों को अपनाने में कठिनाई के कारण कई बार अपनी थोड़ी बहुत धरोहर से भी वंचित हो जाते हैं। कुछ जगहों पर जमीन के दलदलीकरण और लवणीकरण का बढ़ता संकट किसानों की जमीन का उपजाऊपन छीन लेता है, और उन्हें वैकल्पिक रोजगार की तलाश के लिए मजबूर करता है। कुछ अन्य स्थानों पर आयात का या बड़ी कंपनियों का नई तरह का माल बाजार में आने के कारण दस्तकारों को अपनी आजीविका छिनती नजर आती है। लंबी तालाबंदियों, हड़तालों के चलते अनेक मजदूर पहले अपने रोजगारों और फिर धीरे धीरे अपने निवास स्थानों से भी विस्थापित हो जाते हैं।

विस्थापन की पहचान इस व्यापक अर्थ में की जाए तो इसके दर्द को कम करने के लिए जरूरी उपायों का दायारा भी व्यापक रखना होगा। पहले विशेष परियोजनाओं से होने वाले विस्थापन को देखें, तो सबसे पहले इस सोच को छोड़ना जरूरी लगता है कि विस्थापन के पैमाने और पुनर्वास के खर्च को कम से कम आंका जाए ताकि इस कारण परियोजना के आर्थिक

औचित्य के बारे में सवाल न उठ सकें। वास्तव में विस्थापितों और उनके पुनर्वास के प्रति ईमानदारी की कमी की जड़े तो इस सोच में ही हैं, जरूरी है कि विस्थापन के रूप में होने वाली किसी परियोजना के प्रतिकूल असर को कम न आंका जाए। उसे परियोजना रिपोर्ट में ठीक-ठीक दिखाया जाए व इसके अनुकूल ही पुनर्वास की भागीदारी बनी रहे।

निष्कर्ष - उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि बांधों के निर्माण से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ सिंचाई, उद्योग, रोजगार, पर्यटन विकास, बिजली एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार होगा। लेकिन इस तरह की विकास परियोजनाओं से लाखों लोगों को विस्थापित किया जाता है, जिससे उनकी आजीविका के साथ-साथ उनके परिवार, रिश्तेदारी, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। हैं। अतः यह आवश्यक है कि विस्थापित आबादी का पुनर्वास इस प्रकार हो कि उनके जीवन स्तर में किसी प्रकार की गिरावट न आए तथा उन्हें नये स्थान पर आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य परेशानियों का सामना ना करना पड़े।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत डोगरा, (2004) पर्यावरण और समाज कल्याण का विश्लेषण प्रकाशक-भारत डोगरा सी-27 रक्षाकुंज पश्चिम विहार नई दिल्ली - 11063
2. Fernandes walter, (1993) "Indians Tribals and the search for on Indigenous Indentity" Social Change Vol. XXIII.
3. गोण्डवाना सन्देश, (2012 जून) विस्थापन, पुनर्स्थापना और पुनर्वास।
4. www.hindi.indiawaterportal.org
5. माइकल एम. सोनिया, (1991) ग्रामिण विकास का बदलता स्वरूप
6. नटराज - सार्थक संकेत, समाज विज्ञान शोध पत्रिका जनवरी 2015
7. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पत्रिका विजन 2011
8. पेठकर प्रमोद, (2008) जनजातीय समाज का विस्थापन एवं पुनर्वास
9. रंगाचारी, बडे बांध : भारत का अनुभव, आदर्श प्रिंटस एण्ड पब्लिशर्स, भोपाल
10. वाटर वेल्थ ऑफ इन्डिया डॉ. के. एल. राव ओरिएंट लांगमैन नई दिल्ली।

डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों हेतु चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ एवं प्रभाव का अध्ययन

डॉ. अर्चना आर्य *

प्रस्तावना - जिस प्रकार किसी कुटुम्ब में मुखिया पर परिवार के समस्त सदस्यों का भार रहता है, उसी प्रकाश नागरिकों के पालक होने के नाते देश तथा प्रदेश की सरकार के ऊपर राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होता है और विशेषकर भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा से तात्पर्य उस सुरक्षा से हो जो कि समाज अपने सदस्यों को उनके जीवन काल में किसी भी समय घट सकने वाली अनेक प्रकार की आकस्मिकताओं (दुर्घटनाओं) के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह अवधारणा सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा उन आकस्मिक संकटों, दुर्घटनाओं या कठिनाईयों से होने वाली जोखिमों से बचने का प्रयास है, जिनकी संभावना जोखिम पूर्ण कार्य करने वाले श्रमिकों पर बनी रहती है।

‘सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत राज्य जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको मनुष्य व्यक्तिगत रूप से साधनों का अभाव होने के कारण प्राप्त करने में असमर्थ है।’ **वी. वी. गिरी**

भारत जैसे राष्ट्र में जहाँ श्रमशक्ति की पर्याप्त मात्रा है, तथा सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को जीवन स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा योजना की भारत में अनेक कारणों के कारण आवश्यकता होती है, जैसे : श्रमिकों की दयनीय स्थिति, दुर्घटना के समय लाभदायक, बेरोजगारी की दशा में सहायक, भयंकर रोगों से सुरक्षा, वृद्धावस्था में सहायक आदि।

निदर्शन - प्रस्तुत शोध में डोलोमाइट उद्योग व खदानों में कार्यरत श्रमिकों में **देव निदर्शन** पद्धति का प्रयोग कर 100 श्रमिकों का चयन किया गया है।

शोध के उद्देश्य -

1. डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की जानकारी संबंधी तथ्यों को जानना।
2. सामाजिक सुरक्षा योजना से श्रमिकों के जीवन स्तर पर पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

शोध विधि - प्रस्तुत शोध प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों से प्राप्त सूचनाओं के अपने शोध अध्ययन में प्रयोग किया गया है तथा प्रमुख आंकड़ों के संकलन हेतु साक्षात्कार प्रश्नावली की सहायता से जानकारी का एकत्रीकरण किया गया है।

सर्वेक्षण के आधार पर डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधी प्राप्त जानकारी का विवरण

तालिका क्र. 1

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी का स्तर

क्र.	सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	55	55%
2	नहीं	45	45%
	योग	100	100 %

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका क्रमांक 1 से स्पष्ट है कि 55 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी है तथा 45 प्रतिशत श्रमिकों को आज भी सामाजिक सुरक्षा योजना का कोई ज्ञान अथवा जानकारी प्राप्त नहीं है।

इस विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि अध्ययन क्षेत्र में कई श्रमिकों को शासन द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी आज भी नहीं है, जिससे कई श्रमिक इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

तालिका क्र. 2

श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्ति का विवरण

क्र.	सामाजिक सुरक्षा का लाभ लिया गया	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	34	34 %
2	नहीं	66	66 %
	योग	100	100 %

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत 34 प्रतिशत श्रमिक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त किया गया है तथा 66 प्रतिशत श्रमिक द्वारा किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

अतः स्पष्ट होता है कि डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत अधिकांश श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

तालिका क्र. 3

सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत

क्र.	सामाजिक सुरक्षा जानकारी के स्रोत	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	रेडियो द्वारा	25	45.50 %
2	टी. वी. द्वारा	15	27.30 %
3	समाचार पत्रों द्वारा	10	18.20%

4	श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा	05	9.0%
5	अन्य	-	-
	योग	55	100%

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका क्र. 3 से स्पष्ट है कि अधिकांश 45.50 प्रतिशत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना की जानकारी रेडियो द्वारा प्राप्त हुई तथा 27.30 प्रतिशत श्रमिकों को टेलीविजन द्वारा 18.2 प्रतिशत श्रमिकों ने समाचार पत्रों द्वारा इस सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है।

तालिका क्र. 4

सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा लाभ प्राप्त करने वाले श्रमिकों का विवरण

क्र.	योजना का लाभ	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	प्रसूति सहायता	14	41.20%
2	दूर्घटना के उपरांत चिकित्सा सहायता	17	50.00%
3	विवाह सहायता	-	-
4	मृत्यु पर अन्त्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि	03	8.80%
5	पेंशन योजना	-	-
	योग	34	100%

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनमें अधिकांश 50 प्रतिशत श्रमिक को दूर्घटना के दौरान चिकित्सक सुविधा उपलब्ध करायी गयी, तथा 41.20 प्रतिशत महिला श्रमिकों द्वारा प्रसूति सहायता का लाभ प्राप्त किया गया।

तालिका क्र. 5

विभिन्न श्रमिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न उठा पाने के कारण संबंधी जानकारी

क्र.	लाभ न उठा पाने के कारण	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	जानकारी का अभाव	30	45.50%
2	अपूर्ण जानकारी	16	24.20%
3	अशिक्षा	20	30.30%
	योग	66	100%

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि अधिकांश 45.50 प्रतिशत जानकारी के अभाव में आज भी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं तथा 24.2 प्रतिशत अपूर्ण जानकारी के कारण तथा 30.30 प्रतिशत श्रमिक ऐसे हैं जो अशिक्षा के कारण विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं।

तालिका क्र. 6

सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभ प्राप्ति श्रमिकों के जीवन स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी

क्र.	सामाजिक व आर्थिक स्तर	श्रमिकों की संख्या	प्रतिशत
1	आर्थिक स्थिति में सुधार	12	35.30%
2	सामान्य रही	22	64.70%
3	बिगड़ी	-	-
	योग	34	100%

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने वाले 35.30 प्रतिशत मानते हैं कि इन योजना के लाभ से उनकी आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार आया है, जबकि 64.70 प्रतिशत श्रमिकों का मानना है कि उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति अभी भी सामान्य ही है, उनके जीवन स्तर में कोई खास बदलाव नहीं आया है।

निष्कर्ष - डोलोमाइट उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में अधिकांश श्रमिक आज भी ऐसे हैं, जो कि अशिक्षा तथा जानकारी के अभाव में विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ न हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है। इस समस्या के समाधान हेतु श्रमिकों में शिक्षा को महत्व जानना अति आवश्यक है जिससे वे अपने अधिकारों तथा योजनाओं का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं तथा विभिन्न कार्यरत श्रमिकों की मनोदशा देखते हुए सरल सुगम योजना नीति बनायी जानी चाहिए ताकि कम शिक्षित अथवा अशिक्षित श्रमिक भी इन योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सके।

सुझाव - डोलोमाइट उद्योग व खदानों में कार्यरत श्रमिकों की आर्थिक तथा सामाजिक दशा अत्यंत दयनीय एवं विचारणीय है, जिस प्रमुख कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण श्रमिकों में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण वे अपना पूर्ण व उचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। अतः शासन को ऐसे उद्योगों तथा खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष शिक्षा उपलब्ध की जाना चाहिए तथा उद्योग मालिक पर भी श्रमिकों की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु दबाव बनाना चाहिए।

- जानकारी के अभाव में वर्तमान में शासन द्वारा चलायी जा रही सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। शासकीय श्रम कार्यालयों को यह सख्ती से आदेश दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्रत्येक श्रमिक को उपलब्ध कराये तथा योजनाओं के लाभों से भी अवगत करावें।
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की कार्यप्रणाली सुगम तथा सरल होना चाहिए तथा कागजी कार्यवाही कम से कम होनी चाहिए। जिससे कि एक कम शिक्षित अथवा अशिक्षित श्रमिक भी इन योजनाओं का आसानी से लाभ उठा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. टी. एन. भगोलिवाल, श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध 1998
2. दत्त एवं सुंदरम - भारतीय अर्थव्यवस्था 2016 एस. के. पी. एम. सुन्दरम चन्द्र एण्ड कम्पनी रामनगर नई दिल्ली।
3. एम. मुस्तफा - श्रमिक कल्याण श्रमिक समस्या एवं कल्याण योजनाएँ
4. सामाजिक सुरक्षा योजना (2010) उद्योगों व खदानों तथा भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल मार्ग की ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल
5. वार्षिकी प्रशासकीय श्रम विभाग रिपोर्ट (2014-15)
6. राष्ट्रीय शोध पत्र-पत्रिकाएँ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में पंचायती राज की भूमिका (मध्य प्रदेश के संदर्भ में)

डॉ. महेश कुमार मालवीय *

प्रस्तावना - आज प्रायः भारत देश के सभी विचारक, राजनीतिक और प्रशासक इस बात पर एक मत है कि यदि हमें तेज रफतार से विकास करना है, तो यह कार्य जन-साधारण के सहयोग से एवं उनमें रूचि पैदा करके ही किया जा सकता है और यह कार्य सत्ता के विकेन्द्रीकरण द्वारा ही संभव है। जन साधारण को यह महसूस हो सके कि उनका अपना राज है और अपने भाग्य का निर्माण करने का अधिकार व शक्ति उनमें स्वयं निहित है। इस दृष्टि से पंचायती राज का अपने आप में महत्व है। विचार विमर्श और परामर्श की प्रक्रिया ने भारत में सदियों पूर्व ही ग्राम पंचायतों का रूप ग्रहण कर लिया था। ग्रामीण जनता निष्पक्ष, योग्य एवं अग्रणी व्यक्ति को पंच चुन लेती थी और उन्हें 'पंच-परमेश्वर' का दर्जा देती थी। परम्परागत रूप से सम्मानित जनता द्वारा सहज रूप से स्वीकृत ये पंचायतें ही ग्रामीण समाज पर शासन करती रही हैं। भारत में ग्राम पंचायत व्यवस्था का अस्तित्व प्राचीन है ऋग्वेद, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थों में इसका प्रामाणिक विवेचन मिलती है।

पंचायती राज का परिचय - मध्यप्रदेश में पंचायतीराज के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए निरंतर प्रयास कर ग्रामीण जन-जीवन में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान पंचायती राज के माध्यम से जहाँ ग्रामीण विकास को विशेष महत्व प्रदान किया गया है, वहीं दूसरी ओर पंचायत प्रतिनिधियों को दायित्वों के निर्वहन एवं अधिकारों का प्रत्यायोजन द्वारा विकास की अनेक योजनाएँ संचालित की गई हैं। यहाँ यह आवश्यक हो जाता है कि पंचायती राज के माध्यम से विकास कार्यक्रमों का तथ्यात्मक मूल्यांकन किया जाए ताकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण से ग्रामीण विकास पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन संभव हो सके। ग्रामीण विकास आधुनिक शासन के लिए सत्ता धारण करने का मूलमंत्र है। पंचायत राज व्यवस्था को एकरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1962' की संरचना की गई। इसके अंतर्गत सन् 1965 में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। सन् 1970-71, 1978, 1985 में भी विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया गया। भारतीय संविधान के 73 वें संविधान संशोधन का पालन करते हुए मध्यप्रदेश में 'मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम-1973' जो 24 जनवरी 1994 से प्रभावशील हुआ तथा विभिन्न स्तरों पर निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण की गई।

1. **विकेन्द्रीकरण** - वह प्रक्रिया है। जिनमें आर्थिक सत्ता एवं शक्ति का वितरण का किया जाता है। इस प्रक्रिया में आर्थिक सत्ता का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य क्षेत्रों की ओर होता है। इसके तहत अब गांव आर्थिक सत्ता के केन्द्र बनते जा रहे हैं।

2. **प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण** - इसके तहत विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया

को लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई संस्थाओं आर्थात् ग्राम पंचायतों के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों को निर्वाचन के द्वारा प्रजातांत्रिक स्वरूप देकर उनके अधिकार सम्पन्न बनाकर आर्थिक सत्ता सौंपी जा रही है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया ही प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण है।

3. **ग्राम स्वराज** - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्पष्ट ग्राम स्वराज था। उन्होंने कहा था कि यदि भारत की आर्थिक उन्नति करना है तो गांवों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना होगा और गांव आत्मनिर्भर तब ही होंगे जब ग्रामीणों का अपना स्वयं का शासन होगा। उन्हें सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

4. **पंचायत राज** - मध्यप्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित पंचायत राज प्रणाली में पंचायतों के माध्यम से ग्रामीणों को सत्ता एवं अधिकार चरणबद्ध रूप से प्रदान किए जा रहे हैं। जिससे कि ग्रामीण जनता आर्थिक व अन्य समस्याओं का निराकरण करने में स्वयं ही सक्षम हो सकें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास स्थानीय संस्था तथा स्थानीय ग्रामीण जनता आपसी सहयोग से कर सकते हैं। पंचायती राज के तहत प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की गई है।

5. **स्थानीय प्रशासन** - स्थानीय शासन वह प्रजातांत्रिक प्रणाली है जिसके समस्त प्रशासनिक क्रियाएँ स्थानीय ग्रामीण स्तर पर ही संचालित की जाती हैं। इसके तहत ग्रामीणों के विकास संबंधी कार्यों को स्थानीय समितियों द्वारा स्थानीय ग्रामीण जनता के द्वारा जन सहभागिता के आधार पर किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा सरपंच उपसरपंच, स्थानीय प्रतिनिधि तथा ग्रामीण जनता के द्वारा आपसी सहयोग एवं समन्वय के आधार पर किए जा रहे हैं।

पंचायती राज में महिलाओं की भूमिका - पंचायती राज संस्थाओं में हर वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देकर निश्चित रूप से इनको ग्राम विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया है। यदि समाज के इस कार्य में जागरूकता लाई जाए तो विकास के सारे कार्यक्रम चाहे वे मजदूरी से संबंधित हो या स्वरोजगार से संबंधित हो महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान होने के कारण गांवों को विकसित किया जा सकता है। किसी भी देश का समग्र विकास महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा ही है। राष्ट्र प्रणेता स्वामी विवेकानंद ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए कहा था कि जिस प्रकार एक पंख से चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती है, उसी प्रकार बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता।

शोध का उद्देश्य - प्रस्तुत शोधकार्य प्रदेश में ग्रामस्वराज के तहत पंचायतों की गतिविधियों का मूल्यांकन करता है।

1. ग्राम पंचायतों के उत्तर दायित्वों, अधिकारों, कार्यों का विश्लेषण करना।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के कार्यों का विश्लेषण करना।
3. ग्राम पंचायतों को आर्थिक कार्य सम्पादित करने में सहायक एवं बाधक तत्वों का अध्ययन करना।

आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व – पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बनाते हुए ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए 29 विषय निर्धारित किए गए जिन पर निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित कराने का अधिकार पंचायतों को सौंपा गया है।

ग्रामीण आर्थिक विकास के कुछ उपर्युक्त माप इस प्रकार हो सकते हैं जैसे कृषि भूमि के सिंचित क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही हो। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र तथा ग्रामीण वासियों का शहरों की ओर पलायन क्रमशः घट रहा हो। ग्रामीण अधोसंरचना निरंतर विकसित हो रही है। इसमें ऊर्जा जैसे विद्युत, डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, आवागमन एवं परिचालन हेतु पक्की सड़कों का विकास तथा डाकघर, दूरसंचार, दूरदर्शन एवं समाचार सेवाओं का विकास, सामाजिक उपरिव्यय जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पेयजल स्वच्छता एवं मनोरंजन के साधन, नियमित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास परिवार कल्याण एवं बाल विकास हेतु जनसंख्या शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि के घटक हैं जो ग्रामीण विकास की माप कर सकते हैं।

सुझाव – ग्रामीण विकास की नीति में पंचायती राज की भूमिका एक आधारभूत संस्थागत ढांचा की भांति कार्य करेगी। जिसमें निम्नांकित तत्वों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।

1. सर्वप्रथम ग्रामीण विकास आयोजन में सड़क यातायात को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।
2. अशिक्षा के कारण ग्रामीण निर्धन वर्ग योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं सस्ती एवं निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए।
3. निर्धनों गरीबों में धनराशि का उचित आवंटन आवश्यक है।
4. ग्रामीण विकास कार्यक्रम का निरंतर मूल्यांकन अति आवश्यक है।
5. सामाजिक दुष्प्रथाएं, अशिक्षा, अज्ञानता, विधवा विवाह, निषेध, बाल विवाह का प्रचलन, पर्दाप्रथा तथा अन्याय, अन्धविश्वास इनकी वजह से भी इसको सफलता नहीं मिल सकी।

6. निर्धनता की वजह से भी लोग इसमें रूचि नहीं लेते वे अपने उदरपूर्ति में ही लगे रहते हैं।

उपसंहार – पंचायतों की सबसे प्रमुख उपलब्धि यह पायी गयी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई दूषित जल की निकासी, कचरे का निपटान, गोबर गैस संयंत्र लगाना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ओर रुझान बढ़ा है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण जैसे – पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, व्यायाम शालायें, धर्मशाला, विश्रामगृह, बस स्टेण्ड, यात्री प्रतिकालय आदि के ओर रूचि बढ़ायी है। यद्यपि इनके निर्माण का प्रतिशत कम है परन्तु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए यह अच्छा संकेत है। पंचायतों के द्वारा सम्पन्न किए गए कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, सड़के, प्रकाश व्यवस्था, सफाई व्यवस्था दूषित जल निकासी शिक्षा स्वस्थ आदि क्षेत्रों में दोहरे लाभ प्राप्त हुए हैं। इस तरह इन सुविधाओं के विस्तार से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। उनके शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है, तो दूसरी ओर विभिन्न प्रकार की योजनाओं के क्रियांवयन से ग्रामीण आय एवं रोजगार में वृद्धि हुई है जिससे गरीबी कम करने में सहायता मिली है। इन योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं राजनैतिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जिसका प्रभाव आगे आने वाले वर्षों में और अधिक उजागर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (2010-11) विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन।
2. शर्मा, डॉ. श्रीनाथ. एवं सिंह, डॉ. मनोज कुमार (2011) पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस 4831/24, प्रहलाद गली अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली।
3. राय, मनोज. एवं प्रिया. (2005) मध्यप्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था समर्थन सेन्टर फॉर डेवलपमेंट सपपोर्ट एवं प्रिया।
4. मध्यप्रदेश में विकास के नवाचार (2010) मध्यप्रदेश शासन जनसम्पर्क विभाग के लिये म0प्र0 माध्यम द्वारा आकल्पित एवं मुद्रित
5. मध्य प्रदेश पंचायिक (भोपाल)।
6. मध्यप्रदेश संदेश (भोपाल)।

रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों का आर्थिक अध्ययन

डॉ. ममता कुशगोतिया *

प्रस्तावना - किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के बाद तृतीयक क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यातायात व परिवहन तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंश हैं और इनका विकास इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। भारत में कृषि और उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों की स्थितियों, परिस्थितियों और व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अनेक आर्थिक अध्ययन किए गए हैं, परंतु इन क्षेत्रों को विकास की ओर उन्मुख करने में सहायक तृतीयक क्षेत्र और विशेषकर इसके यातायात व परिवहन वाले हिस्से में कार्यरत कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति, परिस्थिति पर विचार, विनिमय, अध्ययन, मनन और चिन्तन न के बराबर है। यदि देश की अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर अग्रसर रखना है तो तृतीयक क्षेत्र का विस्तार व विकास आवश्यक है और इसके लिए इसमें कार्यरत कर्मचारियों की कार्यदशाओं आर्थिक परिस्थितियों की जानकारी, उसकी कमियों की खोज व निदान आवश्यक है अतः इसी को दृष्टिगत रखते हुए विषय का चयन किया गया है।

रतलाम रेलवे मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या - रतलाम रेलवे मण्डल में समस्त कर्मचारियों को चार वर्गों में बाँटा गया है। वर्ग 'ए' तथा बी में प्रबंधकीय आते हैं, जो राजपत्रित कहलाते हैं। भारतीय रेलवे में इन कर्मचारियों की भर्ती एवं नियुक्ति चार प्रकार से होती है-

1. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा
2. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा
3. रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा
4. क्षेत्रीय व मण्डल मुख्यालय द्वारा।

वर्तमान की स्थिति में रतलाम रेलवे मण्डल में कुल 15563 कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें वर्ग ए तथा बी में 133 राजपत्रित व शेष वर्ग सी तथा डी में 15430 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। छोटे वेतन आयोग के अनुसार वर्ग ए तथा बी राजपत्रित अधिकारियों का वेतनमान 15,600 से 80,000 के मध्य है और वर्ग सी तथा डी का वेतनमान 4,440 से 20,200 के मध्य है। भारतीय रेलवे एवं रेलवे मण्डल द्वारा जो भी विकासोन्मुख एवं अन्य नियमित कार्य किए जाते हैं, उसका सम्पूर्ण सफल संचालन कार्मिक प्रबंध पर ही निर्भर करता है, लेकिन कर्मचारियों का वेतन उनके कार्य की तुलना में कम है, जिससे रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है और कर्मचारियों में वेतन के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है।

विषय का चयन एवं आवश्यकता - इन कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन हमें उन कर्मचारियों की वस्तुगत एवं वास्तविक स्थिति से परिचित तो कराता ही है, हमें उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक,

पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी अवगत कराता है, जब तक समस्याओं की जानकारी नहीं होगी, उनके निराकरण के उपाय नहीं किए जा सकते। इस दृष्टि से कर्मचारियों के आर्थिक अध्ययन महत्वपूर्ण ही नहीं अत्यावश्यक भी है। भारत जैसे विशाल देश में अर्थव्यवस्था के अनेक अंग हैं। किसी विशेष समय में देश के किसी एक भाग (रतलाम क्षेत्र) में किसी एक निश्चित आर्थिक क्षेत्र (यातायात) में उस निश्चित क्षेत्र के उपक्षेत्र (रेलवे) में एक समस्या विशेष (कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति) का विश्लेषणात्मक अध्ययन केवल व्यवहारिक व सैद्धांतिक दृष्टि से ही नहीं वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

शोध की परिकल्पना - प्रस्तुत शोध कार्य की परिकल्पना अग्र प्रकार है-

1. रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है।
2. रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों को प्राप्त सुविधाएँ संतोषप्रद नहीं हैं।
3. रेलकर्मियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शोध के उद्देश्य -

1. रतलाम रेलवे मण्डल में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यदशाओं का अध्ययन करना
2. रतलाम रेलवे मण्डल के कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाली सुविधाओं का अध्ययन कर उनकी आर्थिक स्थिति का स्तर ज्ञात करना।
3. कर्मचारियों की आय संरचना और व्यय प्रवृत्ति का अध्ययन करना।
4. ऋण बचत एवं विनियोग की स्थिति का अध्ययन कर कर्मचारियों को बचत करने एवं अपव्यय को हतोत्साहित करने हेतु सुझाव देना।

अध्ययन पद्धति - सम्बंधित शोध पत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक समकों पर आधारित है। यह समंक रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रकाशित सामग्री द्वारा लिए गए हैं। प्राथमिक समंक हेतु साक्षात्कार प्रश्नावली एवं सर्वेक्षण का उपयोग किया गया है।

रतलाम रेलवे मण्डल के सर्वेक्षित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन - किसी भी संस्था, उद्योग, व्यवसाय या विभाग के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ज्ञात करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में आय पक्ष, व्यय पक्ष, बचत एवं ऋण पक्ष का अध्ययन करना आवश्यक है।

सर्वेक्षित कर्मचारियों की वेतन से प्राप्त आय - कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है। उसमें कई भत्ते शामिल होते हैं। जो वेतन में जुड़े होते हैं जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा सुविधा, यातायात भत्ता, अन्य वित्तीय प्रेरणाएँ आदि। इस आय अध्ययन में सर्वेक्षित 500 कर्मचारियों को उनकी मासिक आय के आधार पर 6 आय वर्गों में बाँटा गया है।

तालिका 1 - मासिक आय के आधार पर सर्वेक्षित कर्मचारियों का वर्गीकरण

क्र.	आय समूह (रुपये में)	सर्वेक्षित कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	5000 से कम	0	0
2	5000 से 10000	220	44.0
3	10000 से 15000	99	19.8
4	15000 से 20000	84	16.8
5	20000 से 25000	46	9.2
6	25000 से 30000	40	8.0
7	30000 से 35000	9	1.8
8	35000 से अधिक	2	0.4
	योग	500	100

तालिका 2 - सर्वेक्षित कर्मचारियों की वेतन के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त आय

क्र.	आय का स्रोत	सर्वेक्षित कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	मकान किराया	8	1.6
2	कृषि या व्यवसाय	55	11.0
3	ब्याज व लाभांश	32	6.4
4	समयोपरि भत्ता	45	9.0
5	परिवार के अन्य सदस्यों को नौकरी	77	15.4
6	अन्य साधन	23	4.6
7	अन्य कोई साधन नहीं	260	52.0
	योग	500	100

तालिका 3 - सर्वेक्षित कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर उनकी राय

क्र.	आर्थिक स्थिति पर राय	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	व्यय अच्छी तरह चलता है	74	14.8
2	व्यय सामान्य रूप से चलता है	218	43.6
3	व्यय तंगी से चलता है	208	41.6
	योग	500	100

स्रोत - सर्वेक्षण पर आधारित।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 14.8 प्रतिशत कर्मचारी ऐसे हैं जिनका व्यय अच्छी तरह चलता है अर्थात् वे अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं। 43.6 प्रतिशत कर्मचारी सामान्य स्थिति में हैं। जबकि 41.6 प्रतिशत कर्मचारी, आर्थिक तंगी का अनुभव करते हैं।

निष्कर्ष किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन विशेषकर रेल

परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उपर्युक्त आँकड़ों एवं वर्तमान में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की सूचनाओं एवं रेल बजट से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय रेलवे एवं रतलाम रेलवे मण्डल लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है लेकिन रेल परिवहन की यह उन्नति, उपयोगिता, सफलता पूर्णतः उसके सुयोग्य, निष्ठाप्रद और कुशल प्रशासन एवं कर्मचारी पर ही निर्भर होती है। चालू वर्ष प्रकाशित रेल बजट से ज्ञात होता है कि रेल मंत्रालय द्वारा केवल सामाजिक कल्याण एवं उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ तय की और वित्तीय फायदे एवं लाभ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे रेल मंत्रालय के 16 लाख कर्मचारियों और उनके परिवार का आर्थिक भविष्य अधर में दिखाई पड़ रहा है।

उपर्युक्त शोध कार्यों एवं शोध पत्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि विकसित देशों में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी विषय पर विभिन्न जर्नलों में शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं लेकिन विकासशील देशों में अभी भी इस क्षेत्र में पर्याप्त शोध का अभाव है। यही कारण है कि इस पहलू पर एक बड़े स्तर पर शोध कार्य की आवश्यकता है तभी हम कर्मचारियों व देश दोनों का सर्वांगीण आर्थिक विकास कर सकते हैं।

इस प्रकार रतलाम रेल मण्डल के कर्मचारियों का आर्थिक अध्ययन व्यक्त करता है कि रेल मण्डल के कर्मचारी अपने कार्यालयीन, सामाजिक व पारिवारिक जीवन में विभिन्न प्रकार के आर्थिक व सामाजिक स्तरों पर जीवन यापन रहे हैं। उनमें से कुछ की स्थिति सन्तोषप्रद है और कुछ को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराकर एक समुचित आर्थिक व सामाजिक स्तर पर लाने की आवश्यकता है। आशा ही नहीं वरन् विश्वास भी है की अगर रेल प्रशासन इन समस्याओं के निराकरण हेतु इन सुझावों की पूर्ति को मूर्त रूप दे तो कर्मचारियों का असंतोष दूर होगा साथ ही वे अधिक लगन व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे जिससे उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। निष्कर्ष के रूप में यह स्पष्ट है कि जिस देश की आय अधिक होगी उस देश के निवासियों का जीवन स्तर उन्नत होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय रेल एवं मण्डलीय खाते एवं वित्त लेखक अनिल सेनानी, प्रकाशक बाहरी ब्रदर्स, नई दिल्ली, प्रकाशक वर्ष 2002
2. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, आर, सी, सोनी प्रकाशक अमर लॉ पब्लिशिंग इन्डौर प्रकाशक वर्ष 2007
3. महाप्रबंधक की वार्षिक वर्णनात्मक रिपोर्ट 2006-07, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड
4. करन्ट अफेयर्स मई 2013 भाग 3 अंक 05
5. वेस्टर्न रेलवे एम्पलाइज यूनियन का मुखपत्र, रेलवे सेन्टीनल, अप्रैल 2013, संपादक- दिनेश पांचाल।

म.प्र. में औषधीय फसलों के उत्पादन का एक अध्ययन

डॉ. गोरा बुन्देला *

शोध सारांश - भारत वर्ष में ग्रामिण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वोपरि स्थान है एवं कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। देश की लगभग 60 प्रतिशत जनशक्ति की आजीविका का आधार कृषि ही है, कृषि एक अति महत्वपूर्ण व्यवसायिक संसाधन के रूप में कृषि वर्तमान दौर में अपनी दोहरी भूमिका का निर्वहन कर रही है। कृषि में पूर्व में खाद्य फसलों का उत्पादन किया जाता था, किन्तु आधुनिक समय में भारतीय कृषकों ने अपने सीमित साधनों द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त के सर्वोपरि उद्देश्य को वरीयता दिए जाने के फलस्वरूप नगदी फसलों को उगाने का प्रचलन काफी बढ़ गया है व खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्यात प्रोत्साहन में वृद्धि दर्ज की गई है।

शब्द कुंजी - औषधीय फसलें, उत्पादन, कृषि।

प्रस्तावना - इस समय वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में कृषक अत्यधिक लाभान्वित हुए हैं। भारतीय कृषक विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए विश्व स्तर पर औषधीय फसलों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि कर रहे हैं देश के उत्पादन का 50 प्रतिशत मार्फीन, थेबेन, घातक बीमारियों से निजात पाने हेतु दर्द निवारक औषधी का निर्माण होता है एवं बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पदार्थों की बढ़ती मांग के अनुकूल हमारे देश में औषधी उत्पादन लगभग आधी ही हो पाती है। हमारे देश में कई कंपनियां आज भी इन पदार्थों को विदेशों से आयात कर रही हैं। औषधीय पौधों का देश में प्रचुर रूप से उत्पादन संभव है। हमें ऐसी संभावनाओं को तलाशना है जिससे न सिर्फ इनका आयात रोका जा सके बल्कि इनका निर्यात भी किया जा सके।

उद्देश्य-

1. मध्यप्रदेश में औषधीय फसलों की आवश्यकता।
2. औषधीय फसलों की कृषि करने के तरीके को ज्ञान करना।
3. औषधीय फसलों से होने वाले लाभ ज्ञात करना।
4. औषधीय फसलों के उत्पादन में आने वाली समस्याएं ज्ञात करना।
5. औषधीय फसलों के उत्पादन विस्तार के तरीके ज्ञात करना।

शोध प्रविधि - यह शोध पत्र द्वितीयक संमकों पर आधारित है तथा अवलोकन विधि के अन्तर्गत गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग कर निष्कर्षों की ओर पहुँचने का प्रयास किया गया।

औषधीय फसलों के उत्पादन में आने वाली समस्याएँ -

1. म.प्र. में आज भी कृषकों में अंधविश्वास, अशिक्षा, जागरुकता की कमी अप्रशिक्षित व कौशल के अभाव में कृषि के लागत के चलते उत्पादन का घटता अनुपात।
2. आधारभूत सुविधाओं जैसे - बिजली, पानी, सड़क आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. कृषकों को बैंक लोन सुविधा आसानी से मुहैया नहीं हो पाती, और न ही शासन स्तर पर पूंजी की कोई विशेष योजना है।

4. कृषकों में शिक्षा अभाव के कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने एवं उनका लाभ लेने में असमर्थता महसूस करता है।
5. कृषकों के परिवार का आकार अत्यधिक बड़ा होना।
6. म.प्र. में कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा होना।
7. म.प्र. में कृषि जोतों का छोटे आकार होने से आधुनिक यंत्रों का प्रयोग असंभव होना।
8. कृषकों द्वारा किये जाने वाले अनुउत्पादकीय कार्यों पर अपठ को नियंत्रित किया जाये।
9. औषधीय उत्पादन हेतु कृषकों को कुशलकतापूर्वक आधुनिक तकनीकी अपनाने हेतु प्रेरित किया जाये।
10. कृषि विभाग संचालित योजनाओं में कृषकों को उदारता से ऋण प्रदान करें जिससे हितग्राही उन्नत कृषि के लिये प्रोत्साहित हो।
11. औषधीय फसलों के उत्पादन के लिये आवश्यक दिशा - निर्देश प्रचारित प्रसारित हो।
12. कृषक ऋण व्यवस्था में ऋण दलालों व फर्जी ऋण प्राप्त व्यक्तियों के लिये कठोर दण्डनीय प्रावधान हो।
13. औषधी उत्पादक कृषकों को उचित ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे कृषक त्वरित कृषि विकास हेतु निवेश बढ़ाया जा सके।
14. अफीम का उचित शासकीय मूल्य निर्धारण हो परिणाम स्वरूप अवैध व्यापार नियंत्रण हो सके।
15. औषधीय फसलों के विपणन में आने वाली समस्याओं का निवारण हेतु कृषकों को कार्यशालाओं व संगोष्ठियों के माध्यम से शिक्षित किया जाये।
16. उत्पादन लागत में कमी एवं भूमि की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति में वृद्धि करने हेतु जैविक खादों का उपयोग किया जाये।
17. औषधी फसलों के क्रय-विक्रय हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की उद्घोषणा की जाये।

18. अत्यधिक सिंचाई वाली फसलों के लिये वर्षा जल संग्रहण, डबरी निर्माण तालाब, जलाशय आदि कार्य किये जाये।

19. कृषि एवं औषधी फसलों के उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को सरकारी बजट में सर्वोपरी एवं केन्द्रीय स्थान प्रदान किया जाये।

निष्कर्ष – भारत देश का औद्योगिक ढाँचा व समस्त उत्पादकीय स्वरूप, विविध बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साथ राजनैतिक अस्तित्व भी अर्थात् राष्ट्र का सर्वांगिण विकास कृषि पर पूर्णतः निर्भर करता है। वही जनशक्ति का एक तिहाई भाग भी कृषि से ही संबद्ध है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में अन्य विकासात्मक क्षेत्रों में बहुआयामी एवं उल्लेखनीय प्रगति सकारात्मक रूप में परिलक्षित होती है परन्तु दुःखदः तथ्य यह है, कि जहाँ विकास चरमोत्कर्ष पर होना चाहिए था उस क्षेत्र (कृषि) का प्रभावी सफलता पर संशय बना हुआ है। शासन के कार्यक्रमों की असफलता के पिछे वित्तीय व्यवस्था में कमी की ओर संकेत मिलता है। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 उत्पादन और उत्पादकता पर ही किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित रहेगा।

अतः औषधीय फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हेतु

न्यूनतम समर्थन एवं सभी राज्यों में राज्य स्तरीय किसान आयोग के गठन का सुझाव, कृषकों हेतु बीमा योजनाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास एवं कृषकों में अत्यधिक पिछड़ापन, अशिक्षा व जागरुकता को दूर करने एवं म.प्र. को कृषि एवं औषधीय फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारतमें अग्रणी एवं सर्वोच्च शिखर पर प्रस्थित होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ए.के. बनर्जी – 'भारत में औषधि मूल्य निर्धारण' प्रकाशक विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, योजना सन् अक्टूम्बर 2009 पेज नं. 09।
2. मनीष कुमार अगस्त (2007) – 'कुरुक्षेत्र, मई 2002' प्रकाशक- ग्रामीण विकास मंत्रालय।
3. डॉ. एन.एल. अग्रवाल – भारती अर्थव्यवस्था विश्व प्रकाशक, 1996 न्यू एज इंटर नेशनल (प्रा.लिमिटेड) का प्रभाग दरियागंज नई दिल्ली।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन

डॉ. जयराम सोलंकी *

प्रस्तावना - दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अथवा 'दक्षेस' (south Asian Association For Regional Cooperation or "SAARC") दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.7 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 08 दिसंबर 1985 को भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14 वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया।

सार्क का गठन सन् 1970 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों का एक व्यापार गुट का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को 1981 में स्वीकृत किया गया और 1983 अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के द्वारा इसे अपनाया गया, इसके उपरांत 1985 में 07 देशों के सहयोग से सार्क का गठन किया गया। लम्बी अवधि के उपरांत सातों देशों की सहमति से अफगानिस्तान को 13 नवंबर 2005 में शामिल किया गया। सार्क का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र का विकास करना है और साथ ही जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और परिवहन सुविधाओं के सुधार का समाधान करना है। सार्क दक्षिण एशियाई देश तक ही सीमित है और आज कुल आठ देशों का सदस्य हो गया है, इसके अलावा कुछ अन्य देशों जैसे म्यांमार, जापान, आस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान, मारीशस, और यूरोपीय संघ को सार्क के पर्यवेक्षकों का दर्जा का भार दिया गया है।

सार्क देशों के उद्देश्य -

1. सार्क का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोग कल्याण के साथ-साथ लोगों के जीवन यापन के गुणवत्ता में सुधार लाना है।
2. आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास जैसे क्षेत्र में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को आत्म सम्मान के साथ उन्हें रहने और उन्हें अपनी क्षमता का अहसास दिलाकर उन्हें अवसर प्रदान करना है।
3. दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूती प्रदान करना।
4. दक्षिण एशियाई लोगों में आपसी विश्वास को बढ़ाना और एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए बढ़ावा प्रदान करना।
5. आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, नस्लीय और वैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
6. अन्य विकासशील देश के साथ मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करना

है।

7. सार्क का लक्ष्य है कि वह अंतराष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय संगठन के साथ मिलकर मदद करे।
8. आपस में साझा हित के मामलों पर अंतराष्ट्रीय मंचों में सहयोग को मजबूत करना।

सिद्धांत (principal) - दक्षेस जिन सिद्धांतों पर आधारित है, वे निम्न प्रकार हैं-

1. संघ के कार्यकलाप के ढांचे के अंतर्गत समान सम्प्रभुता के सिद्धांतों के प्रति आदर, प्रादेशिक एकजुटता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना और पारस्परिक लाभों पर आधारित सहयोग होगा।
2. यह सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के विकल्प के तौर पर नहीं वरन् पूरक के रूप में होगा।
3. ऐसा सहयोग द्विपक्षीय या बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों के प्रति सामंजस्य विहित या परस्पर विरोधी नहीं होगा।

सामान्य धाराएँ (General provisions) - दक्षेस (सार्क) की सामान्य धाराएँ निम्न प्रकार हैं-

1. सभी स्तरों पर निर्णय सदस्य देशों में सर्वसम्मति के आधार पर लिया जायेगा।
 2. विचार विमर्श से द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दे अलग रखे जाएंगे।
- सचिवालय -** संगठन का संचालन सदस्य देशों के मंत्रिपरिषद द्वारा नियुक्त महासचिव करते हैं, जिसकी नियुक्ति तीन साल के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है।

1. बांग्लादेश अबुल अहसान - 16 जनवरी, 1987 से 15 अक्टूबर, 1989
2. भारत कांत किशोर भार्गव - 17 अक्टूबर, 1989 से 31 दिसंबर, 1991
3. मालदीव इब्राहिम हुसैन जाकि - 01 जनवरी, 1992 से 31 दिसंबर, 1993
4. नेपाल यादव कांत सिलवाय - 01 जनवरी, 1994 से 31 दिसंबर, 1995
5. पाकिस्तान नईम यू हासन - 01 जनवरी, 1996 से 31 दिसंबर, 1998
6. श्रीलंका निहाल रोडरिगो - 01 जनवरी, 1999 से 31 दिसंबर, 2002
7. बांग्लादेश क्यू. ए. ए. रहीम - 11 जनवरी, 2002 से 28 फरवरी, 2005
8. भूटान ल्योपेर्नो चेन्क्याब दोरजी - 01 मार्च 2005 से 29 फरवरी,

2008

9. भारत शील कांत शर्मा -01 मार्च , 28 फरवरी, 2011
10. मालदीव फतिमाथ धियाना सईद -01 मार्च ,2011 से 11 मार्च , 2012
11. मालदीव अहमद सलिम - 12 मार्च , 2012 से 28 फरवरी 2014
12. नेपाल अर्जुन बहादुर थापा -01 मार्च 2014 से अब तक

शिखर सम्मेलन -

1. 07 दिसंबर, 1985 ढाका
2. 16 नवंबर, 1986, बेंगलोर
3. 21 नवंबर, 1987 काठमांडू
4. 29 दिसंबर, 1988 इस्लामाबाद
5. 21 नवंबर, 1990 माले
6. 21 दिसंबर, 1991 कोलंबो
7. 10 अप्रैल, 1993 ढाका
8. 21 मई, 1995 नयी दिल्ली
9. 12 मई, 1997 माले
10. 29 जुलाई, 1998 कोलंबो
11. 04 जनवरी, 2002 काठमांडू
12. 02 जनवरी, 2004 इस्लामाबाद
13. 12 नवंबर, 2005 ढाका
14. 13 अप्रैल, 2007 नयी दिल्ली
15. 01-03 अगस्त, 2008 कोलंबो
16. 28-29 अप्रैल, 2010 थिम्पू
17. 10-11 नवंबर, 2011 अदद शहर
18. 27-28 नवंबर, 2014 काठमांडू

हॉल ही में सार्क का 18 वाँ शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ। इसके पूर्व काठमांडू में तीसरे (1987) और ग्यारहवें (2002) सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है।

सार्क का 18वाँ शिखर सम्मेलन - दो दिवसीय 18वाँ सार्क शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 26-27 नवंबर, 2014 के मध्य सम्पन्न हुआ। सार्क के शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था - 'शांति और समृद्धि के लिए बेहतर एकता'

साफ्टा (SAFTA) - 11 अप्रैल, 1993 को सार्क राष्ट्रों ने ढाका में सार्क क्षेत्र के अन्तर्गत टैरिफ को कम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। साउथ एशियन प्रीफेरेणियल ट्रेडिंग अरेन्जमेंट (SAPTA) 07 दिसंबर, 1995 को अस्तित्व में आयी। साफ्टा के पश्चात् साफ्टा (साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया) की पृष्ठभूमि तैयार हो गयी। 25 अनुच्छेदों वाली

साफ्टा संधि पर 06 जनवरी, 2004 को सहमति हुई और 01 जनवरी, 2006 से यह अस्तित्व में आ गयी। अफगानिस्तान फरवरी, 2008 में साफ्टा का सदस्य बना।

सार्क के 18वें शिखर सम्मेलन में सभी आठ सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों (भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरींग तोबगे, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन गयूम, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला तथा अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अहमदजई) ने भाग लिया।

दक्षिण का 18वाँ शिखर सम्मेलन की उपलब्धियाँ -

1. व्यापार, निवेश, वित्त, ऊर्जा, सुरक्षा, अवसंरचना, संपर्क और संस्कृति के क्षेत्रों में सहयोग को प्रगाढ़ करके दक्षिण एशिया में शांति एवं समृद्धि लाने हेतु क्षेत्रीय एकता को गहराई प्रदान के प्रति दृढ़ निश्चय व्यक्त किया गया।
2. मुक्त व्यापार क्षेत्र, एक सीमा शुल्क संघ, एक साझा बाजार और एक साझा आर्थिक एवं वित्तीय संध के माध्यम से दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई गई।
3. सार्क पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन केन्द्र स्थापित किए जाने का स्वागत किया गया।
4. सयुक्त राष्ट्र महासभा के 69 वे सत्र में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस घोषित किए जाने का स्वागत किया गया।
5. वर्ष 2016 को सार्क सांस्कृतिक विरासत वर्ष घोषित किया गया और संस्कृति मार्ग विकसित करने पर सहमति हुई।
6. दक्षिण एशिया को सतत् रूप से एक आकर्षक साझा पर्यटन स्थल बनाने के लिए अपना संकल्प दोहराया गया।
7. आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ की तथा इसके सभी स्वरूपों और चेहरों की एक स्वर से निंदा की गई।
8. भारत द्वारा सार्क देशों को समर्पित करने हेतु एक उपग्रह विकसित करने और प्रक्षेपित किए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय विदेशी व्यापार एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ-पृष्ठ संख्या- 148, 149, 150
2. किरण कम्पटीशन टाईम-पृष्ठ संख्या - 193
3. सामान्य अध्ययन (भारतीय अर्थव्यवस्था)-पृष्ठ संख्या-268
4. www.saarc.com.in

Adjournment Motion - An Analytical Study

Dr. Anvita Massad *

Abstract - An Adjournment Motion is an extra-ordinary procedural device. Its primary purpose is to set aside the normal business of the House and take up for discussion a matter of urgent public importance of recent occurrence. Normally, no business not included in the agenda of the business for a day can be transacted at any sitting without the permission of the Speaker. However, a matter of urgent public importance can be raised by interrupting the regular business of the House through an Adjournment Motion tabled at the earliest opportunity.

Introduction - An Adjournment Motion, like Question is also an important instrument of legislative control over the administration. Redlich has termed Adjournment Motion as "urgency Motion".¹

Conditions Of Admissibility - The Rules of the Legislative Assembly allow a member to move an Adjournment Motion for discussion on any matter of urgent public importance. A member considering his subject matter to be urgent and of public importance may give a notice of Adjournment Motion to the Secretary, Legislative Assembly, in duplicate at least one hour before the commencement of the sitting on the day on which the Motion is proposed to be made and the Secretary sends one copy of the same to the Minister concerned.² For moving the Motion, consent of the Speaker is essential.³ A notice for the Motion is not admitted by the Speaker unless it satisfies the test of conditions of admissibility prescribed under the Rules.

An Adjournment Motion must relate to a definite matter of urgent public importance and not merely grievances of an individual or a group of individuals or a small section of society.⁴ It should be a single specific issue free from vagueness.⁵ Matter should be of recent occurrence.⁶ A Motion should not revive discussion on a matter which has been decided in the same session⁷ or has already been fixed for discussion⁸ or is likely to come up before the House during the course of some discussion within a reasonable time.⁹ A Motion should not raise a question of privilege.¹⁰ It should not relate to any matter, which is *sub-judice*.¹¹ Only one Motion can be discussed at one sitting¹².

Speaker The Sole Interpreter Of The Rules - The Speaker is the sole interpreter of the Rules of the House and as such is expected to act in an impartial manner for there is no provision for appeal against his rulings. But the fact is that the Speaker usually belongs to the ruling party and on his election to the august office does not sever his affiliations with the party on whose ticket he is elected. As such, he is

obviously influenced by his political creed and political antecedents, which on a number of occasions have reflected in his decisions in determining the admissibility of the notices on Adjournment Motions.* For instance, on October 9, 1980, a notice of Adjournment Motion tabled by Mitra Sen Yadav (CP) regarding the propriety of a letter by the Chief Minister to the Election Commission for the postponement of by-elections in the State without taking the House into confidence was not admitted on the ground that it related to the Election Commission.¹³ The notice, in fact, questioned the propriety of the Chief Minister's action, which affected all the political parties in the State. Had the notice been admitted, the Government particularly the Chief Minister would have had to face bitter criticism of the opposition parties.

Likewise, the Speaker disallowed a Motion regarding situation arising out of strike by the truck drivers in Kumaon Mandal on the ground that the matter was not of public importance.¹⁴ It is interesting to note that the general public of Kumaon Mandal was facing hardships due to the strike since trucks were the only means of transportation of essential commodities in the Hills. Still the Speaker ruled that the matter was not of public importance. Here again his decision seems to have been influenced by his political affiliations.

Debate On The Motions Admitted - During a span of 13 years from 1977-1991 debate on adjournment motions were admitted very sparingly. Discussion was allowed under Rule 56 on only two Adjournment Motions.

In certain cases the debates to decide the admissibility of notices ended with assurances for administrative actions by the Government -

For example, a notice for Adjournment regarding retrenchment of Government employees was given by Rajendra Kumar Gupta on March 9, 1983 The Speaker allowed the members to speak on admissibility. The Minister

*Asst. Professor (Political Science) Ramadheen Singh Girls Degree College, Lucknow (U.P.) INDIA

for Parliamentary Affairs first justified the action of the Government but later on thanked the mover for drawing the attention of the Government and assured the House to get the matter investigated.¹⁵

A notice of Adjournment was tabled by Pradeep Kumar Yadav regarding the arrest of sixty-nine 'Pandas' of Ayodhya while coming to U.P. Assembly for submitting a memorandum. Speaking on admissibility, the mover drew the attention of the Government on the hardships being faced by their families as their bread-earning members had been put in jail and requested for their release. The Minister for Parliamentary Affairs first justified the arrest of the Pandas and later assured to release them.¹⁶

It is interesting to mention here that a good number of notices of Adjournment Motions were not considered in the first instance but, by pursuing the matter over and again, by giving notices on subsequent days, the members succeeded in drawing the attention of the Speaker and sometimes secured assurances or redressal which otherwise could have remained unredressed :

On March 17, 1982, Hariyansh Sahai and others gave a notice regarding strike by the employees of Civil Courts. The Speaker allowed a statement on it because the notice was being given over the past few days.¹⁷

Similarly, a notice for Adjournment regarding the arrest, beating and locking up of eighty helpless blind and disabled persons by the Police was rejected on December 27, 1978.¹⁸ But the same notice given again on the next day was accepted for a statement.¹⁹ On March 7, 1983, a notice by Vidyasagar Nautiyal regarding strike by the Ayurveda and Unani students was rejected on the ground that it was not of public importance.²⁰ On March 9, 1983, a similar notice was given by Rajendra Kumar Gupta. This time the Speaker allowed the mover to speak on admissibility and the member succeeded in securing an assurance to get the matter thoroughly investigated.²¹

A notice on March 16, 1982 regarding intrusion in the border village of U.P. by the people from Haryana under the protection of Haryana Police and their carrying away the harvested crop was rejected on the ground that the matter related to an inter-state dispute.²² Again next year the same incident occurred and a similar Motion for Adjournment was tabled on March 4, 1983. It was heard on admissibility but was rejected by the Speaker on the request of the Government that discussion on the matter might lead to the deterioration of inter-state relations.²³ The intrusion from Haryana side was repeated again and on April 4, 1984, notice on the matter was once again moved. This time, despite the Government's objection, the Speaker heard it on admissibility and thereafter fixed forty five minutes discussion for April 12, 1984.²⁴ On April 4, 1984, the Minister for Home had denied the involvement of Haryana Police²⁵ but on April 12, 1984, while replying to the debate, the Minister admitted that the Haryana Police had provided cover to the intrusion of about one thousand people from Haryana. He informed the House that the

matter had been taken up with the Haryana Government and the Central Government and assured the members that the matter was being pursued earnestly and that the PAC had been deployed in the border villages.²⁶

In another instance on March 3, 1982, Mohan Singh (LD) gave a notice under Rule 56 on the situation arisen out of strike by the truck drivers in the State. The Speaker directed for a statement.²⁷ On March 4, 1982, a similar notice given by LD members Rudra Pratap Singh and Kuber Bhandari was rejected.²⁸ As the strike continued, Rajendra Kumar Gupta (BJP) raised the same matter on March 13, 1982 and the Speaker heard him on admissibility.²⁹ Two days later on March 15, 1982, Mohan Singh once again raised the matter. He and other members were heard on admissibility.³⁰ Similar notice on March 18, 1982 was rejected.³¹ The members moved the Motion again on March 19, 1982 but it was rejected by the Speaker. This sparked off a furore in the House and the House had to be adjourned. After deliberations with the leaders of various parties, the Speaker fixed one hour discussion.³² Thus the concerted efforts of the Opposition yielded some results.

On March 13, 1989, an Adjournment notice on the destruction of Harijan villages and killing of a Harijan on February 26, 1989 was not at all taken up³³ but a similar notice on March 15, 1989 was heard for admissibility and the members succeeded in getting an assurance from the Government for compensation to the family of the deceased.³⁴

In spite of the Government's assurances, the Speaker sometimes referred the matter to the concerned Committee of the House for proper scrutiny and follow-up into the matter.

While speaking on the admissibility of an Adjournment Motion on April 4, 1982, Rajendra Kumar Gupta (BJP) alleged embezzlement of more than seven crore rupees in the Uttar Pradesh Anusuchit Jati Vitta Evam Vikas Nigam by way of showing the amount as spent on boring and installation of pumping sets though not a single pump was installed. He pointed out that when the fraud became public, a Committee under the Chairmanship of Chief Secretary decided to get the matter investigated by sending a team for on the spot enquiry. He further alleged that the Government revoked the decision of the Committee to hush-up the fraud. The Minister for Harijan and Social Welfare assured the House to get the matter investigated thoroughly and action against those found guilty.³⁵ Despite the Minister's assurance, the Speaker referred the matter to the Committee on Public Undertakings and Corporations with the direction to submit a Special Report to the House by the next session.³⁶ No such report was tabled in the House till 1991.

In another case, a notice by Beni Prasad Verma and five others on July 23 1985 related to the sufferings of the people due to seepage in canals.³⁷ After the Minister's reply, the Speaker suo moto referred the matter to the Questions and Reference Committee.³⁸ Ibid., pp. 101 - 102.

In the X Assembly, in 1989, a new method of selecting the notices was introduced whereby upto a maximum of ten notices are selected.

An evaluation of the study reveals that though the notices of Adjournment were too rarely admitted by the Speaker but the few minutes required in disposing of the Motion served well the purpose of the members of drawing the attention of the Government, the House and the public to the grievances raised by them and in a fair number of cases succeeded in securing the Government's response in some or the other form. There is no denying the fact that the attention of the Government and the public drawn towards the grievances in itself is not a small gain for the member and his party.

References :-

1. Redlich, Josef, 'The Procedure of the House of Commons,' Archibald Constable and Co. Ltd., London, 1908, Vol. II, p. 249.
2. Rule 56, UPLA Rules.
3. Rule 57, i bid.
4. Rule 57, ibid.
5. Rule 58(2), ibid.
6. Rule 58(3), ibid.
7. Rule 58(5), ibid.
8. Rule 58(6), ibid.
9. Ibid.
10. Rule 58(4), ibid.
11. Rule 59, ibid.
12. Rule 58(l), ibid.
13. UPLAP, vol. 347, October 9, 1980, p. 895.
14. UPLAP, vol. 356, March 18, 1982, p. 1079.
15. UPLAP, vol. 361, March 9, 1983, pp. 579 - 580.
16. UPLAP, Vol. 361, March 9, 1983, pp. 579 - 581.
17. UPLAP, vol. 356, March 17, 1982, p. 938.
18. UPLAP, vol. 355, December 27, 1978, pp. 1244-45.
19. UPLAP, vol. 355, December 28, 1978, pp. 1440-41.
20. UPLAP, vol. 361, March 7, 1983, p. 257.
21. UPLAP, vol. 361, March 9, 1983, p. 580.
22. UPLAP, vol. 356, March 16, 1982, p. 779.
23. UPLAP, vol. 361, March 4, 1983, pp. 90 - 92.
24. UPLAP, vol. 367, April 4, 1984, pp. 64 - 68.
25. UPLAP, vol. 367, April 4, 1984, p. 73.
26. UPLAP, vol. 367, April 12, 1984, pp. 108-116.
27. UPLAP, vol. 355, March 3, 1982, p. 1127.
28. UPLAP, vol. 355, March 4, 1982, p. 1243.
29. UPLAP, vol. 356, March 13, 1982, pp. 409 - 411.
30. UPLAP, vol. 356, March 15, 1982, pp. 560,563-568.
31. UPLAP, vol. 356, March 18, 1982, p. 1079.
32. UPLAP, vol. 356, March 19, 1982, pp. 1227 - 1234.
33. UPLAP, vol. 391, March 13, 1989, p. 117.
34. UPLAP, vol. 391, March 14, 1989, pp. 94 - 99.
35. UPLAP, vol. 367, April 4, 1984, p. 69.
36. UPLAP, Vol. 367, April 4, 1984, p. 73.
37. UPLAP, vol. 370, July 23, 1985, pp. 92, 95.Lucknow.

Sheikh Mohammed Abdullah's Political Career : A Study

Javaid Ahmad Bhat *

Abstract - Five miles to north of Srinagar, on the road to Ganderbal and Khirbhanwani Temple, there is a village called Soura. In this village Sheikh Abdullah was born, on December 05, 1905. He was a posthumous child of Sheikh Mohammed Ibrahim. As Sheikh Mohammed Ibrahim had died only fifteen days before his birth. He has six sons and last son was Sheikh Abdullah.

His ancestors were Muslim converts from a Brahmin family in 18th Century, they had settled at Soura, on the outskirts of the city of seven bridges, and were merchants trading in Shawls. Sheikh Abdullah grew up in Soura and received his early guidance from his eldest brother, Sheikh Mohiuddin, and from his pious mother. They were deeply religious and followed the tenets of Islam, offered prayers five times a day, and recited the Holy Quran, Sheikh Abdullah's mother had great organizational ability and was a strict disciplinarian and survived her husband by thirty years. Sheikh Abdullah was a sensitive child and what he saw around him was poverty and injustice being perpetrated on the Muslims. If God was merciful, about which he had no doubt, He would surely deliver the down-trodden from the oppressors. Sheikh Abdullah went to a Maktab to study the Holy Quran.

Introduction - Kashmiri Polymath and Lawyer Moulvi Abdullah, his lectures motivated Sheikh Abdullah and other educated Muslim youth to struggle for justice and fundamental rights.

As a student at Aligarh Muslim University, he came in direct contact with Gandhi and Sarojini Naidu and was influenced by them with liberal and progressive ideas. He became convinced that the feudal system was responsible for the miseries of the Kashmiris and like all progressive nations of the world. Kashmir too should have a democratically elected government.

Sheikh Mohammed Abdullah Also known as "Lion of Kashmir" That is how he was known, a towering personality, the undisputed, unchallenged, unrivalled and betrayed political leader.

A nationalist, frequently imprisoned by Maharaja from 1931, literate and illiterate Muslim majority made him very popular and the people as a whole visualized through him a very rosy political future. After returning, from Aligarh Muslim University, he joined Government service as a teacher but soon gave up the job to join political struggle against Maharaja. It is said, he was introduced to Jawaharlal Nehru in 1930 who offered him a hand of friendship which cost Kashmiris very dearly. A charismatic leader, Sheikh Abdullah a dream like situation, was a crowd puller and in spite of his weaknesses, was revered, loved and admired for the inherent qualities, right or wrong, as a leader. Apparently, an independent Kashmir as his dream and to achieve this objective he backed wrong horses. Unfortunately, he lacked political acumen, had no vision and was oblivious about the intricacies of politics. It is on

record that he trusted a shrewd Politician Pandit Jawaharlal Nehru who made him believe to be his boson friend and that his where he made wrong decisions and was betrayed. The caucus of opportunists around Sheikh Abdullah, an old lion now, convinced him of a political defeat and forced him to commit his life's blunder by signing in famous 75 accord and accept whatever was being offered by Government of India. Unfortunately, Sheikh's political history that could have been written in golden words was archived never to be mentioned again.

Sheikh Abdullah's only achievement as Prime Minister for six years of rule was the abolition of feudal land ownership, 'Land to tiller' as it was referred to, a step to hit the Pandit landowners and Dogra Rajputs very hard, who carried on entertaining grudge, sabotaged and scuttled his every move thence forth.

Unlike Maharaja Hari Singh, Sheikh Abdullah was in two minds. The former showed resilience to stay independent till the last moment but for the unfortunate intrusion of Pathan tribesmen from North West Frontier Province the Course of history would have been entirely different. The Maharaja was so adamant that he even refused to entertain Mountbatten of Burma and managed to send him back to India empty-handed.

Maharaja and Nehru did not see eye to eye as Nehru was stopped and arrested by Maharaja's forces at Kohala to bar him from entering Kashmir. Maharaja and impediment, Nehru laid a trap to entice Sheikh Abdullah and leave the job of tackling the Maharaja the VP Menon supported by Mehar Chand Mahajan with the blessings of Lord Mountbatten. Nehru also received unsolicited help

from Mohamed Ali Jinnah and other leaders of Pakistan by ignoring Abdullah's stature and importance in the equation that allowed him to be used by Nehru. Sheikh Abdullah suspected and given to understand that Kashmir acceding to Pakistan surely meant his ouster from Kashmir Political Scene and dominance of Pakistan feudal lords to marginalize the Kashmiri Population monopolizing the entire economic structure. Pandit Nehru Succeeded with verbal promises and a few gestures of political statements to hoodwink Sheikh as the latter used his leadership to control the malleable mindset of Kashmiris to gain time for a military stronghold on Kashmir. A firm military grip on his 'ancestral home' was enough for Nehru to dispense with his expandable friend accusing him of sedition or treason. Sheikh Abdullah sensing the betrayal messed up his political future with empty roars in Kashmir and behaviour of a tamed lion elsewhere in India:

"The existence of Kashmir did not depend on Indian money, trade, or defense forces, and did not expect any strings to be attached to Indian aid and threats. The taunts would not intimidate into servile submission."

Sheikh Abdullah received an overwhelming public support that he did not seem to respect or understand, and unfortunately, sold Kashmir cheaply second time after the British traded Kashmir for a paltry sum to Maharaja Gulab Singh in the year 1846.

Nehru discarded him to shred the 'Umbilical Cord' to pieces and would "Shuttle him from one Jail to another for the next twenty two years. The coup authorized by Nehru justifying the action that Sheikh had autocratic methods which resulted in the loss of the majority of his cabinet, caused trauma to the electorate'. This is some what puzzling for the people of Kashmir to comprehend and fail to understand asking, why on earth did Sheikh Abdullah Keep on trusting Nehru or what was the compulsion, He had the whole population behind him for all his rights and wrongs and that is where he derived his strength, but that did not seem to be enough and he failed to understand that Nehru mesmerized him to legitimize his plan to answer any questions those would be asked on an international level, had Nehru simply banked on Hari Singh's purported 'instrument of Accession'. Moreover, people of Kashmir were pained to see Sheikh's continued and persistent trust reposed in someone who stabbed him in the back many times over.

The people of Kashmir are grappling with the notion to understand their 'Lion' to remain faithful to Pandit Nehru even after being put behind bars and later banished from the state for more than two decades.

Sheikh Abdullah had no cards to play when he concluded an Accord with Indira Gandhi and become Chief Minister on February 24, 1975, at the outset, on August 23, 1974, he had written to G. Parthasarathy, "I hope that I have made it abundantly clear to you that I can assume office only on the basis of the position as it existed on August 8, 1953, judgment on the changes since "will be deferred until

the newly elected Assembly comes into being".

On June, 16, 1949, Sheikh Abdullah, Mirza Afzal Beg, Maulana Masoodi and Moti Ram Bagda joined the constituent Assembly by India. Negotiations began in earnest on Article 370. N. Gopaldaswamy Ayyangar tried to reconcile the differences between Patel and S. Abdullah. A text, agreed on October 16, was moved in the constituent Assembly the next day, unilaterally altered by Ayyangar. "A trivial change" as he admitted in letter to the Sheikh Abdullah on October 18, 1949; Patel confirmed it to Nehru on November 3, on his return from the United States. Mirza Abzal Beg had withdrawn his amendment after the accord. Sheikh Abdullah and he were in the lobby, and rushed to the House when they learnt of the change. In its original form the draft would have made the Sheikh's Ouster in 1953 impossible.

This was explicitly an accord on 'Political Cooperation between us', as Indira Gandhi wrote (December 16, 1974). On February 12, 1975, Sheikh Abdullah recorded that it provided "a good basis for my cooperation at the political level". In parliament on March 3, 1975, she called it a "new political understanding". He was made Chief Minister on February 24, 1975, backed by the congress majority in the Assembly and on the understanding of a fresh election soon. Sheikh Abdullah memoirs Aatish-e-Chinar (Urdu) record his back tracking, on the pledge and congress perfidy in March 1977 when he lost the Lok Sabha elections. It withdrew support and staked a claim to form a government. Governors Rules was imposed. The Sheikh Abdullah's National Conference won the elections with a resounding majority on the pledge to restore Jammu and Kashmir's autonomy, which was also farooq's pledge in 1996. The 1975 accord had collapsed.

Sheikh Abdullah's warning in 1952, that "any suggestion of altering arbitrarily this basis of our relationship with India would not only constitute a breach of the spirit and letter of the constitution, but if may invite serious consequences for a harmonious association of our state with India", fell on deaf ears and from Nehru to Jagmohan all left no stone unturned to erode. The relationship that Sheikh Abdullah had, apparently, developed with his mentor, Nehru.

By 1953 Sheikh Abdullah realized India's other interactions and started objecting to any interference from Indian Government. He reminded Nehru of his promise of independence for his country and this fragile and temporary friendship did not last very long and Nehru in his first opportunity arrested Sheikh Abdullah on 9th August, 1953 and installed a puppet regime of Bakshi Ghulam Mohammed. Sheikh Abdullah was released in 1970 and the geographical political change in the sub-continent, through emergence of Bangladesh in 1971, brought a lot of disappointment for Sheikh Abdullah and the people of Kashmir. This time he was again hoodwinked not by Nehru but his daughter Prime Minister of India Mrs Indira Gandhi by making him sign an accord known as "75 accord," and also known as Kashmir Accord," a legalistic document which

gives somehow to the government and pays lip service to Kashmiri autonomy at the same time.

References : -

1. Syed TaffazullHussain (2008): Sheikh Abdullah - A biography. Wordclay.Indianapolis.IN.
2. Justice A.S. Anand (2006) The Constitution of Jammu and Kashmir. Universal Law Publishing Co.
3. Gilmartin, David. Empire and Islam . Berkeley: University of California Press.
4. Jagmohan.My Frozen Turbulence in Kashmir. New Delhi : Allied.
5. Jalal, Ayesha.The State of Martial Rule. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Kachru, B.B. Kashmiri Literature. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
7. Kaul, R.N. Sheikh Mohammad Abdullah . New Delhi: Sterling Publishers.
8. Lamb, A.The Kashmir Problem . London: Routledge & Kegan Paul.
9. A.G. Noorani (2006), "Nehru's legacy in foreign affairs". Frontline Volume Volume 23 - Issue 15: July 29 August 11, 2006

पुलिस प्रशासन में मानव अधिकार की स्थिति का अध्ययन (बालाघाट जिले के विशेष संदर्भ में)

डॉ. तरुण कुमार शेण्डे *

प्रस्तावना - मानवाधिकार का अभिप्राय व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास तथा गरिमामय जीवन जीने के लिए सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्वतंत्रता व समानता प्राप्त हो जिससे वह अपने विकास का मार्ग चुन सके। आदिम काल से मनुष्य के मन में अपने अधिकारों के प्रति कमोवेश रूप से ही सही अपने अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता थी, भले ही उसे कानूनी जामा नहीं पहनाया गया था कुछ अच्छे मानवीय योगी प्रतिमान कालान्तर में अपने लोकप्रियता के आधार पर समाज में प्रतिभाषित होने लगे। आधुनिक काल में इन प्रतिमानों का गहन मंथन किया गया। इसके पीछे उद्देश्य यही था कि मनुष्य जितना अधिक विकास करता है उतना ही अधिक उसे कई प्रकार की सीमा का निर्माण करना पड़ता है। तभी तो कहा गया है 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' शनैःशनैः मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये इन्हीं प्रतिमानों को कानूनी जामा पहनाना प्रारम्भ किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10 दिसम्बर 1948 को मानवाधिकार विश्वव्यापी घोषणा-पत्र का स्वरूप तैयार किया गया। इसमें प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं इस घोषणा-पत्र में न केवल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का भी पहली बार प्रतिपादन किया गया।

'हम सब बराबर बराबर प्यारे अधिकार' का नारा मध्यप्रदेश मानवाधिकार आयोग ने 1998 में देकर जस्टिस गुलाब गुप्ता जी मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष थे ने इसमें अपना अमूल्य योगदान देकर मानव अधिकार की दिशा में योगदान दिया।

मानव अधिकार संरक्षण का कार्य मानव को श्रेष्ठता के न्यूनतम स्तर पर स्थिर रखने की प्रक्रिया है। अतः इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है, यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय समाज में मानव अधिकार की आवश्यकता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए भीषण नरसंहार एवं अमानवीय व्यवस्था के कारण हुई, भारत वर्ष में हजारों वर्षों पूर्व भी उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। वर्तमान में मानव अधिकार संरक्षण आन्दोलन का प्रारम्भ संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र से माना जाता है। इसके वास्तविक सुरुआत मानव अधिकारों की प्रथम सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसम्बर 1948 से हुई थी। इस घोषणा पत्र में मूलभूत मानव अधिकारों मनुष्य को व्यक्ति के रूप में गरिमा तथा पुरुषों एवं महिलाओं के अधिकारों की समानता की बात कही गई थी।

संविधान के संरक्षण के बावजूद भी अधिकारों का उल्लंघन लगातार न केवल हमारे देश में विश्व भर में हो रहा है अतः विश्व समुदाय की चिन्ता स्वभाविक है अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार किये जा रहे प्रयत्नों के फल स्वरूप हमारे देश में भी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पारित कर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग की

स्थापना की गई और उनके माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण का सतत एवं सफल प्रयास हो रहा है, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ थोड़े से लोगों को आयोग की पदस्थापना कर देने से ही कार्य पूरा नहीं होगा उल्लंघन के क्षेत्रों को बन्द करना होगा 'संरक्षण पर हम सबका अधिकार है' का नया नारा बुलन्द करना होगा और सभी लोगों को इस पुनीत कार्य में भागीदार बनना होगा। इस कार्य हेतु मानव अधिकार संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी कारण मानव अधिकार आयोग ने जनजागृण के साथ-साथ मानव अधिकार शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी बेड़ा उठाता है।

शोध के उद्देश्य - किसी भी अनुसंधान समस्या का चुनाव करने के साथ शोधकर्ता के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि शोध अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करें ताकि अपने उद्देश्य को सही ढंग से प्राप्त कर सके। अतः उद्देश्य का निर्धारण आवश्यक है।

1. मानव अधिकार संबंधी जानकारी का अध्ययन करना।
2. पुलिस थानों में मानव अधिकार हनन के मामले में आयोग की भूमिका का अध्ययन करना।
3. जिला पुलिस प्रशासन बालाघाट जिले में मानव अधिकार, अपराध एवं संरक्षण का अध्ययन करना।

अध्ययन का क्षेत्र - मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले की सभी तहसीलों (आठ) को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

शोध अध्ययन के उपकरण एवं तरीके - आंकड़ों के संग्रह के लिए सर्वेक्षण विधि के विभिन्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। किन्तु प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित विधियों को प्रयोग में लाया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने शोध क्षेत्र में समक एकत्रित करने में निम्नलिखित दो स्रोत हैं - **प्राथमिक समंक** - प्राथमिक समंक के लिये साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया। साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर उत्तरदाताओं से मानव अधिकारों से संबंधित जानकारी एकत्रित की।

द्वितीयक समंक - द्वितीयक समंको के संकलन के लिए पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं सरकारी अभिलेखों के माध्यम से संकलन किया गया है जैसे -

1. साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली
2. अवलोकन विधि
3. सामूहिक चर्चा

पुलिस प्रशासन में मानव अधिकार की स्थिति का अध्ययन - पुलिस संगठन में अनुशासन और नेतृत्व का विचार सर्वोच्च महत्व रखता है। पुलिस प्रमुख अपने अधीन पुलिसजनों के अच्छे तथा बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी समझा जाता है। वह अपने इस दायित्व का निर्वहन जबकि पुलिस बल का पदानुक्रम संगठन अनुशासित हो उसमें आज्ञाकारिता हो तथा जनसेवा एवं जनहितार्थ की भावना हो। पुलिस का यह संगठन भारत में ब्रिटिश

शासनकाल में 1861 को पुलिस एक्ट को लागू किया गया, जो आज भी भारतीय पुलिस की रीढ़ का स्तंभ है। आज जब हम पुलिस संस्कृति की बात करते हैं। तब हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय गणतंत्र के संविधान में हमने पुलिस ढांचे को बिना किसी परिवर्तन के यथावत स्वीकार किया है। अंग्रेज यहाँ राज्य करते थे और पुलिस उनके इस उद्देश्य में सहायक थी। अतः पुलिस में जिस संस्कृति का जन्म हुआ, वह इस मूलभूत भावना से युक्त थी और यही भावना आज के प्रजातांत्रिक समाज में पुलिस और जनता के बीच संदेह और एक लम्बी दूरी बनाए हुए है। ब्रिटिश कालीन पुलिस व्यवस्था 'डिवाइड एण्ड रूल' पर आधारित थी और जनता में आतंक फैलाने वाली थी। उस समय भारत माता की जय और तिरंगे झण्डे की जय की आवाज बुलन्द करने वाले व्यक्ति को कारागार में डाल देना व देश छोड़ी करार देना पुलिस का दायित्व था। इस तरह उस समय पुलिस की भूमि का दमनात्मक थी किन्तु स्वतंत्र भारत के बदलते परिवेश व नागरिक सुरक्षा व नागरिक सुरक्षा व संरक्षण की अवधारणा के अंतर्गत पुलिस की यह भूमिका कदापि न्याय संगत व तर्क संगत नहीं कही जा सकती। पुलिस कर्मचारियों में अपने शांत रखने, जनता के सम्मान पूर्वक व्यवहार करने तथा जनता के सामने अपने काम को यथा संभव प्रिय बनाने की दृष्टि से उचित उपाय करने की कमी पाई जाती है। कुछ पुलिस कर्मचारी चाहे उनकी संख्या थोड़ी ही है, जाँच के दौरान पुलिस अभिरक्षा में लोगों की साथ क्रूर तरीके अपनाते हैं, जिसे वह अपने भाषा में 'थर्ड डिग्री' तरीका कहते हैं। इसी को पुलिस संस्कृति कहते हैं।

पुलिस शब्द का सकारात्मक अर्थ - पुलिस शब्द का सकारात्मक अर्थ है-

P (पी)	=	पोलाइट (विनम्र)
O (ओ)	=	ओबिडे (आज्ञाकारी)
L (एल)	=	लायल (विश्वासपात्र)
I (आई)	=	इटेलीजेन्ट (बुद्धिमान)
C (सी)	=	करेजियस (साहसी)
E (ई)	=	एफिसियन्ट (दक्ष)

प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन क्षेत्र में मानव अधिकार का पुलिस प्रशासन की दृष्टि में पढ़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है तथा इन प्रयासों के संबंध में पुलिस प्रशासन का दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत मानव अधिकार का पुलिस प्रशासन की दृष्टि में पढ़ने वाले प्रभावों के अध्ययन में पुलिस प्रशासन की मानवाधिकारों के संरक्षण किस प्रकार भूमिका निभाता है, पुलिस प्रशासन को कौन-कौन सी जानकारी मानवाधिकारों के संदर्भ में प्रदान की गई, मानव अधिकारों के उल्लंघन या हनन से संबंधित किस प्रकार के प्रकरण आते हैं एवं प्रकरणों का समाधान किस प्रकार किया जाता है तथा आदिवासियों के अधिकारों की किस हद तक मदद एवं सहयोग करते हैं इन सभी पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः यह अध्याय अध्ययन क्षेत्र में मानवाधिकारों का पुलिस प्रशासन की दृष्टि में पढ़ने वाले प्रभावों से वास्तविक स्थिति को समझने में पर्याप्त सहायता प्रदान करेगा।

तालिका क्रमांक - 1 (देखे आगे पृष्ठ पर)

निष्कर्षतः उपर्युक्त तालिका के समको से स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि पुलिस प्रशासन मानवाधिकारों के संरक्षण में अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुसूचित जनजाति की समस्याओं का क्रियान्वयन किया जाता है, अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उन्मूलन कि दिशा में प्रयास करता रहता है तथा

पुलिस प्रशासन अनुसूचित जनजाति के मानवाधिकार, संरक्षण, प्रबंध, नियंत्रण हेतु भूमिका निभाता है।

तालिका क्रमांक - 2 (देखे आगे पृष्ठ पर)

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश उत्तरदाताओं के मत में पाया गया कि मानवाधिकारों की रक्षा करना व समाज में शांति कानून व व्यवस्था बनाए रखना संबंधी जानकारी पुलिस विभाग को प्रदान की जाती है।

तालिका क्रमांक - 3

मानवाधिकार के उल्लंघन या हनन से संबंधित प्रकरणों संबंधी विवरण

क्र.	प्रकरणों का विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
01	चोरी	19	38.00
02	हत्या	03	06.00
03	अपहरण	08	16.00
04	डकैती	07	14.00
05	लूट/मारपीट	13	26.00
	कुल योग	50	100

निष्कर्ष रूप में स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश उत्तरदाताओं का मत है कि मानवाधिकार के उल्लंघन व हनन से संबंधित प्रकरणों में चोरी के प्रकरण व लूट/मारपीट के प्रकरण सबसे अधिक आते हैं।

तालिका क्रमांक - 4

उत्तरदाताओं का प्रकरणों के समाधान संबंधी विवरण

क्र.	प्रकरणों का समाधान	आवृत्ति	प्रतिशत
01	अपराधी को गिरफ्तार	18	36.00
02	निष्पक्ष जांच करवाकर	17	34.00
03	विरोधी पक्षों को समझना	04	08.00
04	पीड़ितों को सहानुभूति/सांत्वना देकर	03	06.00
05	अपराधी को सजा/दण्ड दिलवाना	08	16.00
	कुल योग	50	100

निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के मत में पाया गया कि मानव अधिकारों के उल्लंघन व हनन से संबंधित प्रकरणों के समाधान अपराधी को गिरफ्तार करके व निष्पक्ष जांच करवाकर अपराधी को सजा व दण्ड दिलवाकर प्रकरणों का समाधान किया जाता है।

निष्कर्ष - निष्कर्ष के रूप में संपूर्ण समकों से यह ज्ञात होता है कि मानव अधिकारों का प्रभाव बालाघाट जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग पर पड़ रहा है। मानव अधिकारों के तहत् योजनाओं का लाभ लेने से इनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में जागरूकता का संचार व अपने अधिकारों को समझने का प्रयास कर रहे हैं उत्तरदाताओं को मानव अधिकारों की जानकारी ग्राम पंचायतों, समाचार पत्रों, टी.वी, रेडियों, शिक्षा अध्ययन से प्राप्त हो रही है और ये मानव अधिकारों के प्रसार-प्रचार में अहम भूमिका निभाते हैं।

मानव अधिकारों का पुलिस प्रशासन की दृष्टि में पढ़ने वाले प्रभावों के अंतर्गत पुलिस प्रशासन मानव अधिकारों के संरक्षण में भूमिका निभाता है व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है तथा अनुसूचित जनजाति के मानव अधिकारों के लिए समाज में शांति कानून व व्यवस्था बनाये रखना अपनी जिम्मेदारी समझता है यदि अधिकारों का उल्लंघन व हनन होता है तो इसके लिए पुलिस प्रशासन अपराधी को गिरफ्तार करती है व प्रकरणों का निष्पक्ष

जांच करवाकर पीड़ितों को समझाकर या सांत्वना देकर अपराधी को सजा व दण्ड दिलवाती है। मानव अधिकारों के संरक्षण में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा उनमें जागरूकता का संचार करके योजनाओं का लाभ दिलाते हैं।

सुझाव -

1. मानव अधिकारों की प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम शिक्षा का प्रसार-प्रचार किया जाना चाहिए। जिससे जनजागृति एवं चेतना का विकास हो।
2. मानवाधिकारों के अधिकारों का समुचित प्रयोग किया जाना चाहिए।
3. मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी के लिए ग्रामीण स्तरों पर जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाना चाहिए।
4. मानव अधिकारों से उनकी आवश्यकता एवं उपयोगिता दोनों से अवगत कराना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अतर चन्द, (1985) - मानव अधिकार, नागरिक स्वतंत्रताएँ और राजनीति - ग्लोबल सर्वे दिल्ली, UBH पब्लिशर।
2. अग्रवाल, गिरिजाशरण 1999 - पुलिस कानून तथा मानव अधिकार आयोग उ0प्र0।
3. अर्जुन देव, 1998 - मानव अधिकार शोध ग्रन्थ, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली।
4. डॉ. स्वामी मीनाक्षी (2000) - मानवाधिकार संरक्षण एवं पुलिस - प्रकाशक C-H-78 एच. आय. जी. दीनदयाल नगर सुखलिया इंदौर म.प्र.।
5. डॉ. टी.पी. त्रिपाठी (2005) - मानव अधिकार, लॉ एजेंसी पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

तालिका क्रमांक - 1

मानवाधिकारों के संरक्षण में पुलिस प्रशासन की भूमिका संबंधी विवरण

क्र.	पुलिस प्रशासन की भूमिका	आवृत्ति	प्रतिशत
01	मानव अधिकार पुलिस प्रशासन के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करना हैं	18	36.00
02	मानव अधिकार की समस्याओं का क्रियान्वयन पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाता हैं	08	16.00
03	मानव अधिकार के अधिकारों के उन्मूलन हेतु प्रयास करता रहता हैं	13	26.00
04	पुलिस प्रशासन मानवाधिकार, संरक्षण, प्रबंध, नियंत्रण हेतु प्रयासरत	11	22.00
	कुल योग	50	100

तालिका क्रमांक - 2

मानवाधिकार संबंधी जानकारी पुलिस विभाग को प्रदान की गई के संबंध में विवरण

क्र.	पुलिस विभाग की जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
01	समाज में शांति कानून व व्यवस्था बनाये रखना	13	26.00
02	अपराधों की रोकथाम करना	04	08.00
03	मानवाधिकारों की रक्षा करना	16	32.00
04	मानव अधिकार के उत्थान एवं कल्याण हेतु राज्य द्वारा निर्मित कानून को लागू करना	10	20.00
05	सभी जानकारी (आयोग से संबंधित)	07	14.00
	कुल योग	50	100

वैश्वीक युग में उपभोक्ता अधिकार एवं जागरूकता अभियान

डॉ. संध्या आमगा *

प्रस्तावना – वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है। किंतु समाज के संदर्भ में वैश्वीकरण की व्यवस्थित व्याख्या रोबर्टसन ने 1992 में की थी। वही भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी। तब नरसिम्हराव देश के प्रधानमंत्री थे और मनमोहनसिंह वित्त मंत्री। यही से आर्थिक नवयुग का सूत्रपात हुआ था। इस अवस्था कि विशेषता यह है कि यह अपने नये अवतार में बाजार अर्थव्यवस्था बन गई। इसमें राज्यों को यह अधिकार मिल गया कि केन्द्रीय योजना अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत वे अपनी वित्तीय स्थिति में परिवर्तन कर सकें। यह नई व्यवस्था इस भांति नियंत्रित अर्थव्यवस्था से संघीय अर्थव्यवस्था में बदल गई। वैश्वीकरण जैसे तो मूल रूप से आर्थिक प्रक्रिया है लेकिन व्यापकता ने व्यक्ति से लेकर समाज, संस्कृति, धर्म, बाजार आदि को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण ने बाजारवाद को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पोषित किया, जिसकी परिणति हमें बहुउत्पादन के रूप में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अतः बहुउत्पादन को खपाने के लिए विस्तृत बाजार और अधिकाधिक उपभोक्ता परमावश्यक होते हैं इसकी इसी आवश्यकता कि पूर्ति के रूप में पूरा विश्व एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रूप में उभर रहा है। जिससे दुनिया भर के लोगों में विभिन्नता होते हुए भी एक जैसे सांचे में ढल जाते हैं और इस वैश्वीकता की एक और बड़ी विशेषता यह है कि यह विविधता का भी अपने में समावेश कर लेती है। यह प्रक्रिया जिस संस्कृति को दुनियाभर में परोसती है वह स्थानीय संस्कृति को परम्परागत और अप्रासंगिक बताकर उसके प्रति घृणाभाव को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में कोई यह नहीं देखता कि अमुक व्यक्ति को इस वस्तु, सेवा की आवश्यकता है या नहीं क्योंकि समाज के लिए यह सबकुछ अद्योषित स्टेटस सिम्बोल की तरह हो जाता है। लोग बिना ज्यादा सोचें समझे उपभोक्तादी संस्कृति में लीन होने लगते हैं। अधिकाधिक उपभोग करना ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है। बात यह है कि वैश्वीक वस्तु का उपभोग उसकी उपयोगिता के आधार पर कम अपितु प्रतीकात्मक अधिक होता है जो विज्ञापन दुनिया के कारण संभव हुआ। उदाहरणार्थ टेलीविजन, समाचार पत्रों आदि में गोरेपन के विज्ञापनों ने युवा वर्ग विशेषकर कम गोरे या काले लोगों में गोरे होने का अनावश्यक उत्साह उत्पन्न किया जबकि यह सर्वविदित है व्यक्ति का रंग, उसका जैविक गुण है जिसमें परिवर्तन 10, 20, 50, 100, 500 या इससे भी ज्यादा रूप में मिलने वाले क्रीमों से सम्भव नहीं है बावजूद इसके मात्र स्वयं के लाभ के लिए मल्टीनेशनल बढ-चढ कर इस धोखाधड़ी व्यापार को बढ़ाने के आए दिन नीत नए तरीके प्रस्तुत करती है।

आज देश का प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है, चाहे वह किसी भी वर्ग या आयु का हो। वह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं एवं सेवाएं हाट बाजारों,

स्थानीय बाजारों, सुपर मार्केट या ऑनलाइन दुकानों से क्रय करता है यह सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं

प्रथम, जो कीमत देकर वस्तुएं खरीदता है।

द्वितीय, जो कीमत की एवज में सेवाएं प्राप्त करता है।

भारत में उपभोक्ता अधिकार

भारत में उपभोक्ता आन्दोलन को दिशा 1966 में जेआरडी टाटा के नेतृत्व में कुछ उद्योगपतियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत फेयर प्रैक्टिस एसोसिएशन मुंबई में स्थापित की गई और इसकी शाखाएं कुछ प्रमुख शहरों में स्थापित की गईं। इसके बाद स्वयंसेवी संगठन के रूप में ग्राहक पंचायत की स्थापना बीएम जोशी द्वारा 1974 में पुणे में की गई। तत्पश्चात् राज्यों में उपभोक्ता कल्याण हेतु संस्थाओं का गठन हुआ। इस प्रकार उपभोक्ता आंदोलन आगे बढ़ता रहा। 9 दिसम्बर 1986 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद ने पारित किया और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद देशभर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम में 1993 एवं 2002 में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इन संशोधनों के बाद यह एक सरल तथा सुगम अधिनियम हो गया है। इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का पालन न किए जाने पर धारा 27 के अधीन कारावास एवं दण्ड तथा धारा 25 के तहत कुर्की का प्रावधान भी किया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 6 के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के निम्नलिखित अधिकारों का उल्लेख किया गया है

1. सुरक्षा का अधिकार, ऐसे माल जो जीवन और सम्पत्ति के लिए हानिकारक हो उसे बाजार में भेजने तथा बेचने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना तथा उपभोक्ताओं का संरक्षण करना।
2. सूचित किए जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार से उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करने के लिए माल की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता व मूल्य के बारे में सूचित किया जाना अनिवार्य किया गया।
3. सुनवाई का अधिकार, यह आश्चर्य करना कि उपभोक्ताओं के हितों पर सक्षम मंचों पर सम्यक् रूप से विचार किया जाएगा, जिसे हम कंस्युमर सर्विस के रूप में समझ सकते हैं।
4. क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, अनुचित व्यापारिक व्यवहारों एवं उपभोक्ता की ठगी के मामलों में उचित क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है।
5. शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों का बोध कराना व जागरूक बनाना, ताकि वे अपने अधिकारों का सही प्रयोग कर सकें।

6. सूचना का अधिकार, उपभोक्ता जिन वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसके पैकेट पर कुछ जानकारियां पाते हैं ये उस वस्तु में शामिल पदार्थों, मूल्यों, बैच संख्या, उसके उचित प्रयोग की अंतिम तिथि, माह, निर्माण की तारीख तथा वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती हैं।
7. चुनने का अधिकार, उपभोक्ता को किसी भी तरह की वस्तु या सेवा के विभिन्न विकल्पों में से चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है।
8. स्वस्थ वातावरण का अधिकार, इसमें उपभोक्ता को क्रय हेतु उचित वातावरण प्रदान करना विक्रेता का कर्तव्य है जिससे उपभोक्ता सही विकल्प का चयन कर सके।

उपभोक्ता विवाद समाधान की व्यवस्था - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय अर्द्ध न्यायिक प्रावधान किये गये हैं **(तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)**

उपभोक्ता संरक्षण फोरमों में शिकायतों के निवारण की स्थिति (तालिका देखे आगे पृष्ठ पर)

तालिका से विदित होता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के लागू होने के बाद इस दिशा में न्याय प्राप्त हुआ है किन्तु प्रश्न यह है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपने विवादों की शिकायत फोरम में कर न्याय प्राप्त किया जबकि इसके विपरीत असंख्य उपभोक्ता ऐसे हैं जो इस कानून के बारे में किसी भी तरह की प्राथमिक जानकारी नहीं रखते हैं।

उपभोक्ता जागरूकता अभियान - उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा वर्ष 2005 से उपभोक्ताओं के अधिकार एवं जिम्मेदारियों से सम्बंधित विविध पक्षों पर देश व्यापी मल्टीमीडिया जागरूकता अभियान संचालित कर रहा है। 'जागो ग्राहक जागो' अब घर-घर प्रचारित हो गया है। हाल ही में औषधि संबंधी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एन.पी.पी.ए.) के साथ मिलकर प्रिंट मीडिया में संयुक्त प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।

उपभोक्ता जागरूकता अभियान का कार्यान्वयन श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.), दूरदर्शन नेटवर्क (डी.डी.) और ऑल इंडिया रेडियो (ए.आई.आर.) के माध्यम से किया जाता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान अभियान के संबंध में वर्षवार आबंटन और खर्च का विवरण तालिका में दिया गया है -

पिछले पांच वर्षों के दौरान उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में वर्षवार आबंटन और खर्च (करोड़ रूपए में)

क्र	वर्ष	आवंटन	व्यय
1	2011-12	87.23	85.73
2	2012-13	58.00	66.46
3	2013-14	71.00	68.07
4	2014-15	76.47	71.50
5	2015-16	80.00	71.30
6	2016-17	60.00	51.34 (31.12.16 तक)

(स्रोत-वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय)

दूरदर्शन के जरिए अभियान - दूरदर्शन (डी.डी.) की एक महत्वपूर्ण भौगोलिक पहुंच है। पूरे शहरी-ग्रामीण जनसंख्या में इसके विभिन्न प्रकार के दर्शक हैं। डी.डी. 'जागो ग्राहक जागो' अभियान के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम बन चुका है। डी.डी. देश के ग्रामीण और दूरस्थ भागों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लक्षित श्रोताओं तक पहुंचने में विभाग को सक्षम बनाता है।

आकाशवाणी और एफ.एम. स्टेशनों के जरिए प्रचार - आकाशवाणी, देश की लगभग 99: जनसंख्या तक पहुंचने का अद्वितीय आयाम प्रदान करता है और रेडियो सेट की सरल वहनीयता के कारण प्रवासी जनसंख्या और निर्माण श्रमिकों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर और किसान जो प्रायः अपने साथ रेडियो सेट को कार्य क्षेत्र/निर्माण स्थल पर ले जाते हैं, तक पहुंच का एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। प्रचार के माध्यम के रूप में एफ.एम. स्टेशनों ने अत्यधिक प्रगति की है। इसलिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पैलबद्ध किए गए आकाशवाणी के एफ.एम.स्टेशनों के साथ-साथ निजी एफ एम स्टेशनों का उपयोग भी 'जागो ग्राहक जागो' के तहत चलाए जा रहे प्रचार अभियान के लिए समुचित रूप से किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर राज्यों में प्रचार - पूर्वोत्तर राज्यों के दूरदर्शन केन्द्रों के जरिए स्थानीय भाषा में संदेश की पहुंच सुनिश्चित की जाती है। श्रव्य के साथ-साथ दृश्य स्पॉटों को स्थानीय भाषाओं, खासतौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्रों की भाषाएं जैसे कि असमी, खारसी, गारो, मिजो, मणिपुरी, नागा, में ऑडियो और वीडियो तैयार किया गया है। अभियान को पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकाशवाणी केन्द्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एफ एम चैनलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संस्करणों वाले समाचार पत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

आउटडोर माध्यम से प्रचार - भारत जैसे विशाल देश में उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए आउटडोर प्रचार किसी भी मल्टी मीडिया प्रचार अभियान का एक अभिन्न अंग है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के जरिए उपलब्ध मीडिया जैसे एक्सेस कार्ड, एयरपोर्ट (होर्डिंग/यूनिपोल), बस अड्डों पर आडियो विज्ञापन, बोर्डिंग पास, ब्रिज पैनल, बस क्यू शेल्टर, डिस्पले बोर्ड (रेलवे स्टेशन), बिजली का बिल, गानट्रीस, एल सी डी/एल ई डी/प्लाज्मा टी वी स्क्रीन, रेलवे ट्रेन पैनल, मेट्रो ट्रेन इत्यादि का प्रचार अभियान के लिए समुचित रूप से उपयोग किया गया।

राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाईन (एन.सी.एच.) - दिल्ली विश्वविद्यालय से एक राष्ट्रीय उपभोक्ता हैल्पलाईन संचालित की जा रही थी, जिसे मई, 2014 के दूसरे सप्ताह से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान स्थित उपभोक्ता अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित किया जा रहा है। देश भर के उपभोक्ता टॉल फ्री नं० 1800-11-4000 या संक्षिप्त कोड 14404 पर कॉल करके उन समस्याओं के बारे में परामर्श ले सकते हैं जो एक उपभोक्ता के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में उनके सामने आती हैं। यह सेवा अंग्रेजी और हिन्दी में उपलब्ध है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा भी उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में प्रयास किये जाते हैं, किन्तु वर्तमान वैश्विक युग में परम्परागत बाजारों के समानांतर एक ऑनलाइन शॉपिंग कल्चर भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसमें व्यक्ति घर बैठे एक पेन से लेकर कार तक खरीद रहा है इसमें भी ठगी शिकायतें समाचार पत्रों में दिखाई देती हैं। वैश्विक युग में बाजार बहुत ही तेज गति से विकसित हो रहे हैं जिसका केन्द्र बिन्दु अधिकाधिक लाभार्जन है ये लाभार्जन स्थानीय कम्पनियों से लेकर मल्टी नेशनल तक विस्तृत है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो साथ ही सरकारों को इन अधिकारों के क्रियान्वन का अनुश्रवण समय समय पर करना होगा जिससे बाजार के साथ उपभोक्ता भी संतुष्ट रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Bhaduri, Amit, Deepak Nayyar, The Intelligent Person's Guide to Liberalization, Penguin Books, 1996

2. Singh, Yogendra, Cultural Change in India, Rawat Publication, Jaipur, 2000
3. सुधीर पचौरी, आलोचना के आगे, राधाकृष्ण, 2001
4. शर्मा, अर्चना, वैश्वीकरण के दौर में उपभोक्ता अधिकार व संरक्षण व्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, 2013
5. गिरिमाजी, पुष्पा, देश में उपभोक्ता अदालतों की स्थिति, योजना, फरवरी, 2009
6. दोशी, एस. एल., आधुनिक समाजशास्त्रीय विचारक, रावत पब्लिकेशन, जयपुर।
7. सैय्यद सीमा, वैश्वीक उपभोक्तावादी समाज में उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण, नटराज सार्थक संकेत, दिसम्बर 2016
8. वार्षिक प्रतिवेदन 2016-17, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय।

उपभोक्ता विवाद समाधान की व्यवस्था

क्रम	संस्थाएं	स्तर	संख्या (देश में)
जिला स्तर(20 लाख तक के विवाद)	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम	निम्न स्तर	628
राज्य स्तर(20 लाख से 01 करोड़ तक के विवाद)	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग	मध्य स्तर	36
राष्ट्रीय स्तर(01 करोड़ से अधिक के विवाद)	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली	उच्च स्तर	01

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित उपभोक्ता संरक्षण निकायों ने 90 प्रतिशत से अधिक शिकायतों का निराकरण किया है।

उपभोक्ता संरक्षण फोरमों में शिकायतों के निवारण की स्थिति

क्र.	निकाय	स्थापना के बाद से दायर शिकायतें	स्थापना के बाद से निपटाई गई शिकायतें	लंबित शिकायतें	निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम	3745411	3456649	288762	92.29%
2	राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग	717645	617210	100435	86.00%
3	राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग	103419	92231	11188	89.18%
	कुल योग	4566475	4166090	400385	91.23%

गोपालकृष्ण गोखले का राजनैतिक उदारवाद

डॉ. श्याम सुन्दर वर्मा *

शोध सारांश – गोपालकृष्ण गोखले उदारवादी राजनीतिज्ञ चिन्तक थे। उनके नेतृत्व में भारतीय उदारवाद अपनी सर्वोच्चता तक पहुँचता है। वस्तुतः रानाडे एवं गोखले के साथ भारतीय राजनीति में उदारवाद की स्वतन्त्र धारा विकसित होती है, जिसे जनभाषा में नरमदलीय राजनीति या राजनीतिशास्त्र की भाषा में संवैधानिक-उदारवाद कहना उपयुक्त होगा। उनका राजनैतिक उदारवाद कोई क्रान्तिकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि रचनात्मक राजनीति का प्रतीक है, जो मानवीय स्वतन्त्रता एवं जनतन्त्र के लिये संघर्ष की प्रेरणा देता है। वे संघर्ष के लिये भी संविधानवादी तरीके को ही मान्यता देते हैं। उनका चिन्तन उदारवादी राजनैतिक परिवर्तनों की दिशा निर्देशित करता है। संविधानवाद में गहन आस्था के कारण वे राजनैतिक परिवर्तनों के लिये सरकार के साथ सर्वसम्भव सहयोग द्वारा सुधारों का मार्ग अपनाते हैं। फलतः उन पर भीरु हृदय सुधारक होने का भी आरोप लगाया गया। ब्रिटिश सरकार से उनके सहयोग का कारण पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध उनकी बौद्धिकता थी। वस्तुतः उन पर पश्चिम के उदारवादी दर्शन का व्यापक प्रभाव था। उसका प्रत्येक पक्ष-विवेकवादी व्यक्ति, संसदीय एवं संविधानवादी कार्यपद्धति, राजनैतिक यथार्थवाद, जनतन्त्र, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता, लौकिक एवं नैतिक राजनीति और अन्ततः राष्ट्रवाद-गोखले के राजनैतिक चिन्तन में पूर्णतः अभिव्यक्त होता है।

प्रस्तावना – व्यक्तिपरक – उदारवाद एक विवेकवादी विचारधारा है। अतः उसका प्रथम एवं आधारभूत सिद्धान्त व्यक्ति के महत्त्व पर स्थिर है। वस्तुतः वह व्यक्तिवादी विचारधारा पर ही आधारित रहा है। उसकी यह मान्यता रही है कि व्यक्ति को न केवल सम्प्रभु के अतिक्रमण के विरुद्ध, बल्कि व्यक्ति के विश्वासों पर आक्षेप करने वाली प्रत्येक संस्था के विरुद्ध स्वतन्त्रता का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए।

गोपालकृष्ण गोखले पश्चिमी शिक्षा से उपलब्ध नवीन मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि थे। विवेकवाद में उनकी स्वाभाविक आस्था थी। फलस्वरूप वे व्यक्ति को परम्परा से मुक्त कर स्वतन्त्र एवं केन्द्रीय रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने चिन्तन में व्यक्ति को केन्द्र में रखकर उसके जीवन के राजनैतिक पहलू का जनतन्त्रीय स्वरूप निरूपित किया है। वे दासता से मुक्त जनता का संगठित राष्ट्र के रूप में निर्माण करना चाहते थे। उनकी दृष्टि में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य यह था कि मनुष्य की नैतिक, बौद्धिक, शारीरिक योग्यता एवं प्रतिभा का विकास तथा परिवर्धन करके उसे मुक्ति प्रदान की जाय। गोखले के अनुसार यह तभी सम्भव हो सकता था, जब अपने को जनसेवक मानने वाले लोग समर्पण की भावना के साथ इस कार्य में जुट जाँय। साथ ही सार्वजनिक कर्ताव्य एवं राजनैतिक जीवन को पवित्र राष्ट्रीय सेवा का मार्ग समझें।

संसदीय एवं संविधानवादी – गोखले एक जनतन्त्रवादी व्यक्ति थे और संसदीय कार्य पद्धति में उनकी आस्था थी। वे विरोध प्रगट करने के लिए भी संसदीय पद्धति को सर्वाधिक उपयुक्त मानते थे। अतः अतिवादियों के विरोध के बावजूद भी 1899 से 1901 तक बम्बई विधान परिषद् और 1901 से 1915 तक केन्द्रीय विधान परिषद् में सदस्य रहे। केन्द्रीय विधान परिषद् में गोखले अपने समय के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली सदस्य थे और सामान्यतः उन्हें 'विपक्ष का नेता' कहा जाता था। लेकिन वे भारत की संवैधानिक पद्धति में अपने लिये इस पद्धति को युक्ति-संगत नहीं मानते थे,

क्योंकि वे अपनी भूमिका को सदैव विरोधी मानने के लिये सहमत नहीं थे। वस्तुतः गोखले सहयोग एवं समालोचना के भाव पर आधारित जनतन्त्रीय एवं संसदीय पद्धति के प्रतीक थे।

गोखले के संविधानवादी चिन्तन के दो पहलू हैं – सकारात्मक एवं नकारात्मक। सकारात्मक रूप में वह प्रार्थना, याचिका एवं पुनर्विचार के लिए अनुरोध, प्रतिनिधित्व, शर्तों के लिये बातचीत, सरकारी नीति की दृढ़, कठोर किन्तु रचनात्मक आलोचना एवं अन्य शान्तिपूर्ण उपायों का प्रयोग है। नकारात्मक रूप में वह बल प्रयोग, विद्रोह, विप्लव, विदेशी आक्रमण को सहायता और अन्त में अपराध एवं हिंसायुक्त तरीकों का निषेध है। इस प्रकार वे किसी भी प्रत्यक्ष कार्यवाही के विरोधी थे। वस्तुतः गोखले सद्बुद्देश्य की प्राप्ति के लिये अनैतिक तरीकों के प्रयोग के प्रबल विरोधी थे, क्योंकि उन्हें मानव प्रकृति की श्रेष्ठता में विश्वास था। वे मानते थे कि जो कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, हार्दिक सहयोग और नैतिक उत्तरदायित्व के साथ।

राजनैतिक यथार्थवादी – गोखले उदारवादी विचारक थे। अतः वे किसी भी प्रकार के प्रजातीय या राष्ट्रीय पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जनकल्याण के संदर्भ में यथार्थवादी दृष्टि से विचार करते हैं। यही कारण है कि वे ब्रिटिश सरकार से किसी सीधे संघर्ष के पक्ष में नहीं थे। उनका दृढ़ मत था कि इस तरह के किसी भी कार्य से जनशक्ति का दुरुपयोग होगा और सरकार को दमन का अवसर प्राप्त होगा। वस्तुतः गोखले का यह विश्वास था कि ब्रिटेन के साथ सम्पर्क से देश को अनेक लाभ हुए हैं, और अपने गुरु रानाडे की भाँति उनकी भी मान्यता थी कि भारत में ब्रिटिश शासन ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। वे मानते हैं कि पश्चिमी सम्पर्क से ही देश में परिवर्तन की शक्तियाँ आ सकती हैं।

एक यथार्थवादी राजनीतिज्ञ होने के कारण गोखले को यह स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं था कि मानवीय इतिहास में हम बहुत पीछे रह गये हैं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य स्वशासन है। लेकिन इसके लिये आवश्यक

है कि हम जनतन्त्रीय संस्थाओं की अपेक्षा के अनुरूप राजनैतिक योग्यता अर्जित करने के लिये ब्रिटिश शासन के साथ विभिन्न स्तरों पर सहयोग कर प्रशिक्षण प्राप्त करें। अतः वे दोनों देशों के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग की कामना करते थे, जिससे भारत में जनतन्त्रीय संस्थाओं के निर्माण को बल मिले। इस सन्दर्भ में वे ब्रिटिश सरकार से भी उत्तरदायित्व स्वीकार करने का आग्रह करते हैं, जो नैतिक है, न कि कानूनी। वे मानते थे कि विश्व के राष्ट्रों के बीच सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त करना ही भारत का भाग्य है। इंग्लैंड के लिये गौरव की बात यही होगी कि वह इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करे।

जनतन्त्रीय अवधारणा – गोखले के जीवनपर्यन्त जनतन्त्र, जिस पश्चिमी समाज में उसका उद्भव हुआ, वहीं वह विकासशील अवस्था में था। सामान्यतः जनतन्त्र की परिभाषा उस व्यवस्था के रूप में की जा सकती है, जहाँ वयस्क नागरिक स्वयं पर शासन करते हैं। स्वयं पर शासन एक दुष्कर कृत्य है। निश्चित रूप से यह अप्रत्यक्ष ढंग अर्थात् नागरिकों द्वारा चुनी हुई उत्तरदायी सरकार के द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार जनसंख्या के प्रति सरकार का समस्त उत्तरदायित्व जनतन्त्र का सर्वप्रमुख लक्ष्य है। जब हम उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं, तो हमारा तात्पर्य होता है कि वहाँ एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये – यथा, जनतन्त्रीय संस्थाओं का निर्माण, उसके लिये स्वतंत्र रूप से आयोजित चुनाव, जिसके द्वारा उसके वयस्क नागरिक विभिन्न विकल्पों में से सरकार का चुनाव कर सकें। दूसरी बात यह कि सत्ता में कार्य कर रही स्वयं द्वारा निर्वाचित सरकार, परन्तु वे कुछ नियन्त्रण स्थापित कर सकें। यह प्रतिनिधि जनतन्त्र है। उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधि के लिये मताधिकार की अपेक्षा होती है। गोखले एक महान् जनतन्त्रवादी थे, यद्यपि राष्ट्र की तात्कालिक परिस्थिति में एक यथार्थवादी होने के कारण, उनकी जनतान्त्रिक आकांक्षाएँ संयमित एवं सीमित थीं।

इस प्रकार गोखले ने पश्चिमी उदारवादियों एवं उपयोगितावादियों की ही भाँति जहाँ एक ओर जनतन्त्रीय संस्थाओं के निर्माण पर बल दिया, वहीं दूसरी ओर जनतन्त्रीय स्वतन्त्रता के आयोजन के लिए भी संघर्ष किया। पश्चिमी जनतन्त्र की परम्परा के अनुरूप उन्होंने विधायिकाओं में एक प्रभावशाली जन-प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया और उनका प्रयोग एक ओर जन-स्वातन्त्र्य की रक्षा, तो दूसरी ओर उदारवादी विधान के लिए किया। वे एक महान् बौद्धिक, अर्थ-मर्मज्ञ एवं उदारवादी राजनीतिज्ञ थे, साथ ही वे एक प्रभावशाली वक्ता थे। अपनी इन समग्र विशेषताओं के साथ भारतीय विधायिका के प्रारंभिक दिनों में उन्होंने उसमें विपक्ष के नेता के रूप में सफल जनप्रतिनिधि की भूमिका प्रस्तुत की और इस प्रकार भारत में संसदीय जनतन्त्र की ठोस आधारशिला रखी।

राजनैतिक सुधारवाद – उदारवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। किन्तु प्रगति के लिये वह किसी क्रान्ति की नहीं, बल्कि क्रमिक सुधारों के आयोजन पर बल देता है। गोखले भी क्रान्तिकारी नहीं सुधारवादी थे। उनके सुधार सम्बन्धी विचार जनतन्त्रीय मूल्यों एवं जनकल्याण की भावना पर आधारित थे। बम्बई एवं केन्द्र की विधान परिषदों में उनके कार्य हाबहाउस विकेन्द्रीकरण आयोग के समक्ष उनके साक्ष्य भारतीयराष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उनके कार्यों एवं उनकी वसीयत सभी के विवेचन से गोखले का यह दृढ़ निश्चय प्रकट होता है कि भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के प्रगतिशील एवं जनतन्त्रीय सुधार का प्रयत्न किया जाना चाहिये और इस सन्दर्भ में सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

राजनैतिक सुधारों के सन्दर्भ में गोखले ने जनतन्त्रीय संस्थाओं के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने इसके लिए जहाँ तक और अधिक

उत्तरदायित्वयुक्त विधान परिषदों के निर्माण की मांग की, वहीं राजनीतिक सत्ता के अधिकाधिक सम्भव विकेन्द्रीकरण की, जिसकी ईकाई के रूप में ग्राम पंचायत हों और शीर्ष पर केन्द्रीय विधान परिषद। विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त राजनीतिक अधिकारों के दर्शन का आधारभूत तत्व है। शक्ति का केन्द्रीकरण अन्त में एकतन्त्रात्मक शासन का रूप धारण कर लेता है। इसलिये गोपालकृष्ण गोखले ने विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता स्वीकार की। विकेन्द्रीकरण आयोग के समक्ष उन्होंने कहा कि 'विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, जिससे प्रान्तीय मामलों की व्यवस्था में जन प्रतिनिधियों का वास्तविक योगदान हो सके।'

उनके पास कोई क्रान्तिकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि वे क्रमिक राजनैतिक सुधारों में विश्वास करते थे। उनके इस दृष्टिकोण के पीछे दो प्रकार के तथ्य कार्यरत थे। एक तो ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी में उनकी निष्ठा और दूसरे संविधानवाद में उनकी आस्था। उन्होंने स्वयं ही कहा 'मैं बहुत दूर देखने के लिए नहीं कहता, मेरे लिये एक कदम ही काफी है।' उन्होंने कहा कि भारत की वर्तमान आकांक्षाओं का प्रश्न इस बात पर आधारित नहीं है, कि सैद्धान्तिक दृष्टि से क्या उचित है, बल्कि वह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यावहारिक दृष्टि से क्या संभव है? यह सपनों का प्रश्न नहीं बल्कि बाहुबल, चरित्र, कार्यक्षमता, संगठन एवं त्याग का प्रश्न है।

आधुनिकता पश्चिमी समाज के माध्यम से आ रही थी और उसे भारतीय सन्दर्भ के साथ जोड़ने की एक ही कड़ी हो सकती थी राष्ट्रवाद। अतः गोखले राष्ट्रवादी थे। किन्तु अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त मध्यम वर्ग के प्रतिनिधि होने के कारण वे यह मानने के लिये बाध्य थे कि राष्ट्रवाद अंग्रेजों की देन है। वस्तुतः रानाडे की भाँति उनका भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही एक अंग है और उससे भारत को काफी लाभ हुआ है। गोखले को भारत के महान् सांस्कृतिक अतीत पर गर्व है। वे उस महान् भारतीय अतीत के प्रति श्रद्धावान् थे, जिसने महान् चिन्तक, राजनीतिज्ञ, धर्म, साहित्य एवं दर्शन को जन्म दिया। किन्तु यथार्थवादी राजनैतिक दृष्टि के अन्तर्गत वे कहते हैं कि 'भारत में एक राजनैतिक राष्ट्र' की कल्पना अंग्रेजों से पूर्व नहीं थी। जिस समय अंग्रेज यहाँ आये पूरा देश जहाँ राजनैतिक दृष्टि से बिखरा हुआ था, वहीं वह असाधारण अराजकता एवं हिंसात्मक वातावरण से ग्रस्त था। अंग्रेज जाति की कृपा से ही वह एक शासन, एक शिक्षा-व्यवस्था, एक न्यायपालिका एवं एक विधि संहिता के अधीन आया और देश में शान्ति एवं व्यवस्था का वातावरण निर्मित हुआ।

सन् 1903 ई० के बजट भाषण में उन्होंने कहा – 'ईश्वर की अनुकम्पा से भविष्य का भारत ऐसा नहीं होगा जिसमें जनता की समृद्धि निरन्तर घटती जाय, प्रगति की आशाएँ धूमिल हों और लोगों में औचित्यपूर्ण असन्तोष व्याप्त हो, बल्कि भविष्य के भारत में उद्योगों का विकास होगा, लोगों की शक्तियाँ जाग्रत होंगी, समृद्धि बढ़ेगी और धन तथा सुख-सुविधा के साधनों का अधिक व्यापक रूप से वितरण होगा। मुझे अपने देशवासियों की अन्तरात्मा तथा सद्बुद्देश्य में विश्वास है। मैं समझता हूँ कि इस विषय में उनकी शक्तियाँ असीम हैं। किन्तु इस प्रकार का भविष्य केवल अधीश्वर शक्ति की अवरूद्ध छत्रछाया में ही साक्षात्कृत किया जा सकता है, उसे छोड़ अन्य किसी स्थिति में नहीं, और न ब्रिटिश ताज के अतिरिक्त अन्य किसी नियन्त्रणकारी सत्ता के अन्तर्गत उसका (भविष्य का) परिरक्षण ही किया जा सकता है। गोखले की कामना थी कि इंग्लैंड तथा भारत के बीच सामंजस्यपूर्ण सहयोग की वृद्धि हो। इसलिये वे पारस्परिक सूझबूझ की भावना की बड़ी कद्र करते थे। वे ऐसी व्यापक योजना के निर्माण में सहायता

देने के इच्छुक थे जिससे देश की नैतिक तथा भौतिक समृद्धि की पुनः स्थापना की जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Prof. T.K. Shahni - Gopal Krishna Gokhale, a Liberal Pioneer who spritualised the Indian Politics, Indian Journal of Pol. Sc.,1944-45, p.11.
2. J.S. Hoyland - G.K. Gokhale, p. 187-88.
3. M.V.D. Mahajan - Some Aspect of Gokhale's Political Thought, Indian Jr. of Pol. Sc., 1944-45, p. 19.
4. प्रो० वि०प्र० वर्मा - आधुनिक भारतीय राजनैतिक चिन्तन, पृ० 170
5. O.P. Goyal - Poltical Thought of Gokhale, p. 48.
6. वही, कांस्टीट्यूशन आफ सोसायटी, परिशिष्ट एफ, पृ० 117
7. Sankar Ghose - The Renaissance to Militant Nationalism in India, p.79.
8. Appadorai - Documents on Political Thought in India, Report of a Speech made by Gokhale at Allahabad, p. 184.
9. प्रो० वि०प्र० वर्मा, पृ०, पृ० 170
10. अप्पदोरइ, पृ०, पृ० 184 - एम०ए० बुच : राइज एण्ड ग्रोथ आफ इंडियन लिब्रेलिज्म, पृ० 181
11. Griffith : British Impact on India, p. 295-96.
12. पट्टाभि सीतारमैया - काँग्रेस का इतिहास, संक्षिप्त संस्करण, पृ० 20-21
13. R.C. Majumdar - British Paramountcy and Indian Renaissance, p. 407.
14. Chirol - Indian Unrest, p. 159.
15. देवगिरीकर - गोपालकृष्ण गोखले, पृ० 160
16. Speeches of Hon. Gopal Krishna Gokhale, p. 1971.

धार जिले में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य की योजनाएँ

राजेश भाभर *

शोध सारांश – आजादी के पश्चात् अनुसूचित जनजाति को लोकव्यापीकरण की नीति के तहत शिक्षा का प्रचार-प्रसार प्रारंभ किया। वर्तमान में कम से कम दो पीढ़ियाँ शिक्षा के माहौल से गुजर चुकी हैं। अब गाँव-गाँव में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जनजातियों के विकास में शासन भी अपनी तरह से काफी योगदान दे रहा है। उच्च शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार अनुसूचित जनजाति में तेजी से हो रहा है। परिणाम स्वरूप शासन की योजनाओं का लाभ अनुसूचित जनजाति छात्र ले रहे हैं। आज इस वर्ग के अनेक शिक्षित लोग शासन की विभिन्न सेवाओं में सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के धार जिले में उच्च शिक्षा की योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

प्रस्तावना – भारत देश को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है। विभिन्न प्रजातीय तत्वों का मिश्रण होने के कारण इसे कभी-कभी प्रजातियों का अजायबघर भी कहा जाता है। यहाँ प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक मानव समुदाय मानव सभ्यता के विकास क्रम में विभिन्न कारणोंवश पृथक रहे गए, फलतः विकास का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाया। हजारों वर्षों से जनजातिय लोग वनों में निवास करने के कारण आम लोगों के सम्पर्क से दूर रहे। इस कारण उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विकास नहीं हो सका। मध्यप्रदेश में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों को विकसित लोगों ने आदिवासी जनजाति, आदिम जाति, वन्य जाति, वनवासी इत्यादि नामों से अविहित कर दिया है। इतिहास की विडंबना ने इस सम्पूर्ण समुदायों को आदिवासी या जनजाति की संज्ञा दे दी। भारत के प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख इनके अपने ही नामों, यथा भील, कोल, किरात, निशाद इत्यादि के रूप में हुआ है। जनजाति अंग्रेजी के 'Tribe' शब्द का हिन्दी पर्याय है जो भारतीय संविधान के आने के बाद विशेष रूप से प्रचलित हो चुका है। 'जनजाति' की परिभाषा विभिन्न मानव शास्त्रियों एवं समाज शास्त्रियों ने दी है।

जनजाति की परिभाषा –

फ्रेंज बोआंस के अनुसार – 'जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र समूह है, जो एक भाषा बोलता है और आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है।'

डी.एन. मजूमदार के अनुसार – 'जनजाति' को 'परिवारों' का संकलन कहा है जिसका सदस्य एक निश्चित भू-भाग पर रहते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं 'विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निषेधों का पालन हैं तथा एक सुनियोजित आदान-प्रदान कर विकास करते हैं।'¹

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सन् 1950 में जनजातिय समुदायों की पहचान कर 212 जनजातीय समुदायों की सूची तैयार करने के बाद अनुसूचित जनजातिय आदेश 1950 में लागू किया गया। सम्पूर्ण भारतीय जनजातियों की सहायता हेतु संविधान के 338वें अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कमिश्नर की नियुक्ति की गयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गणतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके अनुसार यहाँ की

कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग एक करोड़ इक्यानवे लाख थी।²

भारत देश में अनुसूचित जनजातियों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रही है। भारत देश एक कल्याणकारी राज्य है, जो सामान्य रूप से अपने नागरिकों और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। पैंसठवें संविधान संशोधन अधिनियम (1990) के अन्तर्गत अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त किए जाने वाले विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में इन जातियों के कल्याण के लिए अलग विभाग है। अलग-अलग राज्यों में प्रशासनिक ढांचा अलग-अलग तरह का है।³

मध्यप्रदेश में सर्वाधिक जनजातिय लोग निवास करते हैं। इसी दृष्टि से मध्यप्रदेश का भारत में 11वां स्थान है। मध्यप्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या का 73.54 प्रतिशत है। राज्य की अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 14.5 प्रतिशत है तथा राज्य की कुल जनसंख्या का एक चौथाई (21.1 प्रतिशत) है।⁴

भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक दृष्टि से उत्थान करने और उनकी सामाजिक अयोग्यताओं को दूर करने के उद्देश्य से उनको आवश्यक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने के उपाय किए गए।

मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा, स्वास्थ्य व आय स्तर के संबंध में जी चक्रवर्ती द्वारा अध्ययन किया गया उनके अध्ययन का यह निष्कर्ष था कि इन वर्गों के विकास के लिए उनके सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए व्यापक स्तर पर योजनाएँ बनाई गई एवं क्रियान्वित की गई। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में मध्यप्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ा केन्द्र बनता जा रहा है। शिक्षा में किसी संस्था की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। बढ़ते उच्च शिक्षा संस्थानों से मध्यप्रदेश के छात्रों के साथ ही पड़ोसी राज्यों के छात्र भी यहां पढ़ने आ रहे हैं। विद्या को एक ऐसा धन कहा जाता है जिसे कोई चुरा नहीं सकता क्योंकि ज्ञान होने पर व्यक्ति न केवल धन का अर्जन

कर सकता है, बल्कि समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी बना सकता है। शासन ने अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा देने के लिए अनेक योजनाएं बनाई परन्तु अनुसूचित जनजाति के लोग इन योजनाओं से अवगत नहीं हैं।⁵

वर्ष-2011 की जनगणना में राज्य की जनगणना अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की 21.10 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएं प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है।⁶

धार जिला एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जो सर्वाधिक पिछड़े जिलों में गिना जाता है। वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार धार जिले की कुल जनसंख्या 2185793 है जिसमें पुरुषों की संख्या 1112725 और महिलाओं की संख्या 1073068 है। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 1222814 है जिसमें पुरुषों की संख्या 614619 है तथा महिलाओं की संख्या 608195 है। अनुसूचित जनजातियों का धार जिले में 46.30 है जो कि राज्य की साक्षरता की अपेक्षा बहुत कम है।⁷

अध्ययन के उद्देश्य -

1. अनुसूचित जनजाति के लोगों में सामाजिक आर्थिक विकास में उच्च शिक्षा की विभिन्न योजनाओं का अध्ययन एवं कमियों का पता लगाना तथा समस्या का निराकरण करना।
2. उच्च शिक्षा के संचालन में जिला प्रशासन की भूमिका का आकलन करना।
3. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीति क्या होगी उसका पता लगाना।
4. शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का अनुसूचित जनजातियों के जीवन पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
5. अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास में शासन की इन योजनाओं का क्या योगदान रहा उनकी समीक्षा करना।
6. उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग को बजट में कितना महत्व दिया गया है।
7. शोध आलेख में किए गए अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कितना बजट रखा गया है और वह उसका उपयोग किस प्रकार कर रहा है।
8. यह देखा जाना चाहिए कि शिक्षा पर व्यय के परिणामस्वरूप शिक्षा का विस्तार हुआ या नहीं? साक्षरता की दर में कितनी वृद्धि हुई ?
9. विभाग द्वारा कई खर्च बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं होती है।
10. शासन की योजनाओं से शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजातियों को प्रेरित करना।

योगदान - शासन द्वारा अनुसूचित जनजातियों में उच्च शिक्षा का विकास करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं के अंतर्गत बड़ी मात्रा में धन राशि आवंटित एवं व्यय की गई। फलस्वरूप इसमें शिक्षा का विकास हुआ, साक्षरता की दर 1991 में 28.60 थी जो बढ़कर 2011 में 50.55 हो गई। शैक्षणिक योजनाओं पर पिछले कुछ वर्षों में जितनी राशि आवंटित की गई थी वह पूरी राशि व्यय नहीं की गई तथा उसे वापस लौटाना पड़ा, जिसे समर्पित राशि के अंतर्गत दर्शाया गया है। आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग न

होने के निम्न कारण हैं:-

1. जागरूकता की कमी के कारण जनजातियां शासन की योजनाओं का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
2. आवंटित राशि समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण वह राशि का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते।
3. अनुसूचित जनजातियों के प्रति सामान्य वर्ग द्वेष बढ़ रहा है। उच्च जाति के लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।
4. योजनाओं पर किए गए व्यय का मूल्यांकन नहीं मूल्यांकन में कमी। इस प्रकार उपयुक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को शासन द्वारा छात्रवृत्ति शिष्यवृत्ति आदि का विवरण उनके विकास के लिए किया जा रहा है। शिक्षा से संबंधित कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। म.प्र. में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, निम्नानुसार है। 2011 के अनुसार-

वर्ग	जनसंख्या	साक्षरता
पुरुष	7719404	89.55
महिला	7597380	41.47
कुल योग	15316784	50.55

स्रोत- प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष-2016-17

मध्यप्रदेश में 2011 के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 15316784 थी तथा साक्षरता का प्रतिशत 50.55 था।

धार जिले में जनसंख्या एवं साक्षरता का प्रतिशत

वर्ग	जनसंख्या	साक्षरता
पुरुष	614619	55.27
महिला	608195	37.32
कुल योग	1222814	46.30

स्रोत- प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष-2016-17

धार जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार धार जिले में कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 1222814 थी तथा साक्षरता का कुल प्रतिशत 46.30 है।

निष्कर्ष - अध्ययन क्षेत्र धार जिला में अध्ययन के दौरान कुछ छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन उनके विकास के लिए जो राशि दी जाती है। उनमें अनियमितता एवं सही पात्र छात्र-छात्राओं को नहीं मिल पाना परिलक्षित होता है। उसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ छात्र-छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा से संबंधित योजनाओं पर बड़ी मात्रा में राशि तो व्यय की जाती है। लेकिन इसका पूरा-पूरा लाभ इन जनजातियों द्वारा नहीं उठाए जाने के कारण व्यय के लिए दी गई आवंटित राशि सरकार को समर्पित कर दी जाती है। साथ ही सरकार द्वारा इन व्ययों के मूल्यांकन के पूर्ण व तीव्र विकास के लिए सरकार व्यय के लेखों के साथ साथ इन जातियों के विकास का भी मूल्यांकन करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारत की जनजाति संस्कृति, विजय शंकर उपाध्याय एवं विजय प्रकाश शर्मा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बानगंगा, भोपाल (म.प्र.), पृ. 1,2
2. भारत की जनजाति संस्कृति, विजय शंकर उपाध्याय एवं विजय प्रकाश शर्मा, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, बानगंगा, भोपाल (म.प्र.), पृ. 3,4
3. डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, नन्दूराम एवं रामगोपाल

- सिंह, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), पृ. 121
4. भारत की हृदयस्थली, मध्यप्रदेश विस्तार में, जबरसिंह परमार एवं संजय कुमार, अरिहंत पब्लिकेशन लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 254
5. डॉ. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, नन्दूराम एवं रामगोपाल सिंह, डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, डॉ. अम्बेडकर नगर (महू), पृ. 121
6. प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष -2016-17, 'म.प्र. शासन', आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल, पृ. 9
7. प्रशासकीय प्रतिवेदन, वर्ष -2016-17, 'म.प्र. शासन', आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल, पृ. 179

सामाजिक न्याय और भारतीय संविधान

डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह *

शोध सारांश - वर्ष 1935 में प्रथम बार भारत के संविधान का प्रारूप बनाया गया था, जिसको इण्डिया एक्ट 1935 कहा जाता है। भारत की सर्वोच्च सत्ता गवर्नर जनरल के अधीन रखी गयी और इसके अधीन (1) सुरक्षित विषय-रक्षा विशेष रखे गए और (2) स्थानान्तरित विषय वे रखे गए जो मंत्री परिषद् द्वारा स्वीकृत किए जाते थे। इस एक्ट में स्वायत्तता प्रदान की गई थी। उसमें हर प्रान्त का शासक गवर्नर होता था, जो सीधा कानून के प्रति उत्तरदायी होता था, भारतीय गवर्नर जनरल के प्रति नहीं। गवर्नर मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था। 1935 के अनुसार गवर्नर सरकार का सर्वोच्च निर्णायक होता था। वह बिना मंत्री परिषद् की सलाह के कुछ भी कर सकता था। इस एक्ट 1935 में कार्य-विभाजन की 3 सूचियाँ थीं - (1) केन्द्रीय सूची, (2) सूबों की सूची, (3) सम्वर्ती सूची। इस एक्ट के अधीन हर राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

शब्द कुंजी - भारत, संविधान, गवर्नर, कानून, अनुच्छेद, प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता।

प्रस्तावना - डॉ. अम्बेडकर ने 1935 के एक्ट को अनुचित बताया क्योंकि यह प्रजातांत्रिक कानून नहीं था। डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि विधायिका का चुनाव पोलिंग मताधिकार के आधार पर हो और मंत्री परिषद् विधायिका के लिए जवाबदेय हो। डॉ. अम्बेडकर की योग्यता को देखकर ही उन्हें मंत्री परिषद् में सम्मिलित किया गया था और संविधान मसौदा का चेयरमैन भी डॉ. अम्बेडकर को ही चुना गया। अम्बेडकर ने संविधान की जो प्रस्तावना लिखी उसमें स्पष्ट लिखा गया कि भारत का संविधान न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों की धुरी पर अवस्थित है। संविधान की प्रस्तावना है, उसमें उन शब्दों का प्रयोग है। जिन पर भारत का संविधान खड़ा किया गया है और ये शब्द हैं - (1) रिपब्लिक, (2) प्रजातंत्र (3) समता स्वतंत्रता और बंधुत्व, (4) समाजवाद, (5) सामाजिक न्याय।

रिपब्लिक - भारत के संविधान की रिपब्लिक शासन व्यवस्था में राज्य के शासन को नाममात्र का अधिकार दिया गया और उसकी सत्ता जनता के हाथ में दी गई है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति हैं, जिसे वह कार्यपालिका का प्रमुख माना जाता है किन्तु उसके वंशवादी राजा के अधिकार नहीं हैं। उनका कार्यकाल भी 5 वर्षों के लिए ही होता है। पांच वर्ष बाद जनता उसको बदल सकती है। भारत के संविधान में राजतंत्र के स्थान पर प्रजातंत्र की सत्ता स्थापित की गई है।

प्रजातंत्र - भारत का संविधान प्रजातांत्रिक व्यवस्था का संविधान है। इसमें सत्ता जनता से शक्ति प्राप्त करती है। इसमें शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रजातंत्र दो प्रकार का होता है - (क) प्रत्यक्ष, (ख) अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित होती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में सत्ता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। निर्वाचित मण्डल अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं जो सरकार बनाते हैं। यह प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहलाता है। भारत के संविधान में यही प्रतिनिधि सरकार की व्यवस्था है।

प्रजातंत्र का एक विस्तृत अर्थ है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रजातंत्र समाहित है। भारतीय संविधान में समता, स्वतंत्रता और

बंधुत्व के सूत्रों पर शासन व्यवस्था निहित की गई है, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सामाजिक न्याय का तत्व सर्वजन हित में निहित है।

धर्मनिरपेक्षता - यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। संविधान में व्याख्या है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान होंगे। धर्म को जो वर्णन संविधान में है, वह अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया है, जिसके अनुसार हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता है कि वह कोई भी धर्म अपनाए, उस पर चले और उसका प्रचार करे। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ही धर्म निरपेक्षता है। संविधान में यह शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय की ही एक पहचान है।

एकता - संविधान के 42वें संशोधन में एकता शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है कि देश के हर नागरिक को अलगाववाद की विचार धारा को त्याग कर यह मानकर चलना होगा कि भारत का हर हिस्सा उसका घर है। संविधान में इस राष्ट्रीय भावना का उल्लेख संघ शब्द के रूप में विद्यमान था। उसमें उल्लेख था कि भारत राज्यों का संघ होगा जिसका अर्थ यही है कि किसी राज्य को संघ से पृथक होने का अधिकार नहीं है।

सामाजिक न्याय - देश के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार हैं, जिसकी आधारशिला समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर रखी गई हैं। संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। यही हमारे संविधान के सामाजिक न्याय के मापदण्ड हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार निम्नलिखित हैं - अनुच्छेद 14 से 18 - समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 - स्वतंत्रता का अधिकार,

अनुच्छेद 23 से 24 - शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 - धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

अनुच्छेद 29 से 30 - सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 - संवैधानिक उपचार का अधिकार,

अनुच्छेद 14 -में कानून के समक्ष समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा का प्रावधान किया गया है।

अनु. 15 (1) -अनु. 15 (1) यह स्पष्ट करता है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव करने से रोकता है।

(2) किसी नागरिक को जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं मानेगा और इनके आधार पर निम्नलिखित पर रोक लगाएगा - दुकान, जलपान गृह, होटल - जो सार्वजनिक हो या राज्य के धन के द्वारा चलाए जाते हों में प्रवेश।

अनु. 15 (1) के अनुसार दुकान, छात्रावास, जलपान गृह, कुआँ, तालाब घाट जो सरकार के धन से बने हों या सार्वजनिक प्रयोग के हों किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

अनु. 15 (2) में अनुसूचित जाति और जनजाति के आधार पर भेदभाव करना वर्जित किया गया है।

अनु. 15 (3) के अनुसार बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान बनाने का उल्लेख है।

अनु. 15 (4) में अनु. जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को शिक्षा में विकास के लिए प्रावधान किया गया है।

अनुच्छेद 15 (3) और 15 (4) के प्रावधान 16 (3) व 16 (4) पर भी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में समान रूप से लागू होते हैं और अनु. 14 के सन्दर्भ में भी अनु. 16 (3) व 16 (4) के अनुसार आरक्षण वैध है।

अनुच्छेद 17- इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान द्वारा छुआ-छूत के आचरण को गैर कानूनी और दण्डनीय बनाया गया है।

अनुच्छेद 19 -संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को (1) विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, (2)सभा करने की स्वतंत्रता,(3) संगठन बनाने की स्वतंत्रता,(4) घूमने की स्वतंत्रता, (5) बसने की स्वतंत्रता, (6) व्यवसाय की स्वतंत्रता है।

अनुच्छेद 20 -अनुच्छेद 20 सन्देश के अपराध में दण्ड से मुक्ति

अनुच्छेद 21 -अनुच्छेद 21 जीवन रक्षा की गारन्टी देता है।

अनुच्छेद 22 -अनुच्छेद 22 जबरन गिरफ्तारी और अवरुद्ध करने से रक्षा अनुच्छेद 23-24 -अनुच्छेद 23-24 हर आदमी को शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अब कोई व्यक्ति या उद्योग इकाई किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूर नहीं रख सकती है और न जबरन बेगार ले सकती है। कोई चाहे कि जबरन मजदूरी करने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर कर सके तो वह ऐसा नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 25-28 - अनुच्छेद 25-28 संविधान के इन अनुच्छेदों के अनुसार हर आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है। अनुच्छेद 29-30 - अनुच्छेद 29-30 में व्यवस्था है कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हर व्यक्ति या वर्ग को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का पूरा अधिकार है उसको किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता है।

अनुच्छेद 35-अनुच्छेद 35 के अनुसार हर नागरिक को संविधान में प्रदत्त मानवाधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। यदि कोई संस्था/सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में अवरोध उत्पन्न करती है या संवैधानिक उपबन्धों को लागू नहीं करती है, तो उसे रिट करके न्यायालय से लागू कराया जा सकता है।

अनुच्छेद 36-51 - संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या है।

अनुच्छेद 38 (1) - अनुच्छेद 38 (1) में सामाजिक और आर्थिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, जिन पर राज्य को चलना होगा इसकी व्याख्या में उद्देश्य है कि राज्य हर व्यक्ति को समानता के आधार पर सामाजिक और आर्थिक नियमों का निर्माण करेगा।

अनुच्छेद 38 (2) - अनुच्छेद 38 (2) उपबन्धित करता है कि राज्य विभिन्न व्यवस्थाओं में आय का अन्तर कम से कम निर्धारित करने के नियम बनाएगा और ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें सुविधाओं और अवसरों के लिए कम और अधिक आय वाले में कोई अन्तर न हो।

अनुच्छेद 39 -अनुच्छेद 39 में संविधान राज्य के लिए सिद्धांत प्रतिपादित करता है और व्यवस्था देता है कि राज्य यह मान्यता प्रदान करेगा कि -

1. राज्य का हर नागरिक स्त्री-पुरुष समान है और सभी को अपनी जीविका अर्जित करने का समान अधिकार है।
2. आर्थिक स्रोतों पर अधिपत्य और नियंत्रण किसी एक व्यक्ति या समुदाय के हाथों में न होकर उसके समान वितरण की व्यवस्था करेगा जो सामान्य हित के प्रयोजन में आ सके।
3. आर्थिक ढाँचा इस प्रकार का बनाया जाए जिससे धन का केन्द्रीयकरण न हो और पैदावार के सभी स्रोत सामान्य नियंत्रण में हों।
4. समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मान्य होगा और यह सभी स्त्री पुरुषों पर समान रूप से लागू होगा।
5. राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें मजदूर आदमी महिलाएँ और बच्चों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में आर्थिक कमजोरी बाधक न बने साथ ही किसी बच्चे या बूढ़े को उनकी उम्र के विपरीत कोई पेशा करने के लिए विवश न करे।
6. बच्चों को शोषण से मुक्त रखा जाएगा।

अनुच्छेद 46-अनुच्छेद 46 प्रावधान देता है कि समाज के कमजोर वर्ग खासकर अनु. जाति/जनजाति को शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए शोषण से मुक्त व्यवस्था करनी चाहिए।

अनुच्छेद 330-अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनु. जाति/जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान है।

अनुच्छेद 338-अनुच्छेद 338 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति अनु. जाति/जनजाति के कमिश्नर के नाम से एक अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अनु. जाति/जनजाति की स्थिति का अध्ययन करेगा और अपनी रिपोर्ट तथा सुझाव सालाना (वार्षिक रिपोर्ट) राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन में विचारार्थ पेश करेगा।

अनुच्छेद 339 (1) - इस अनुच्छेद में राज्य के किसी भी हिस्से के अनु. जाति/जनजाति की स्थिति का अध्ययन करने के लिए संविधान की 10 वर्ष की अवधि के बाद एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

अनुच्छेद 340-अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति पिछड़ी जातियों के लिए जो शैक्षिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं। एक आयोग का गठन करेगा। यह आयोग जो सिफारिश करेगा उन्हें राज्य लागू करेगा। यह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को निर्णयार्थ संसद में पेश करेगा।

अनुच्छेद 341- अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपनी अधिसूचना द्वारा किसी भाग में रहने वाले किसी जाति या ट्राइब को अनुसूचित जाति में समाहित करने की घोषणा कर सकता है। इसी

प्रकार संसद कानून बनाकर किसी जाति को अनुसूचित जाति की सूची से निकाल सकती है और सम्मिलित कर सकती है।

अनुच्छेद 342- अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में वहाँ के राज्यपाल की सलाह पर किसी ट्राइव को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है।

संसद को कानून बनाकर किसी राज्य की किसी ट्राइव को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने और निकालने का अधिकार है। हिन्दू सिविल लॉ का निर्माण संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही निर्मित किया गया है। जिसमें नारी को पुरुष के समान ही सम्पत्ति में हिस्सेदारी, विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना, भरण पोषण, अव्यस्क संरक्षण के विषय में बराबर के अधिकार दिए गए हैं।

निष्कर्ष- सामाजिक न्याय का अभिप्राय है कि मनुष्य-मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर उपलब्ध हों किसी व्यक्ति का किसी रूप में शोषण न हो समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएँ पूरी हों आर्थिक सत्ता चन्द हाथों में केन्द्रित न हो समाज का कमजोर वर्ग अपने को असहाय महसूस न करे। सामाजिक न्याय सुलभ करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की

राजसत्ता (विधायी और कार्यकारी) कृत्यों द्वारा समतानुक्त समाज की स्थापना का प्रयत्न करें। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान में अनेक रूपों में मान्यता मिली है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. एस.एल. सागर - 'सामाजिक न्याय', मुद्रक सागर प्रिंटिंग प्रेस, मैनपुरी, प्रकाशक सागर प्रकाशन मैनपुरी, 1999,
2. डॉ. आर.एन. त्रिवेदी, डॉ. एम.पी. राय - 'भारतीय सरकार एवं राजनीति', कालेज बुक डिपो, 83 त्रिपोली बाजार जयपुर - 2,
3. सी. पार्वधन्या - 'शैड्यूल कास्ट एवं ट्राइब्स', 1984, आशीष पब्लिशिंग हाउस, 8/81 पंजाबी बाग, नईदिल्ली,
4. स्रोत भारत सरकार 1968, हैण्डबुक आन शैड्यूल कास्ट एवं ट्राइब्स, विमल चन्द्रा, द्वारा उपआयुक्त.
5. सी. पार्वधन्या - 'शैड्यूल कास्ट एवं ट्राइब्स' - 1984, आशीष पब्लिशिंग हाउस, 8/81 पंजाबी बाग, नईदिल्ली,
6. भारतीय संविधान, पृष्ठ सं. 5, प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की धारा 2 द्वारा जोड़ा गया है.
7. डॉ. डी. वेकेटवरलू - हरिजन अपर कास्ट कन्फ्लिक्ट्स 1990, डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली .

मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन में गैर सरकारी संगठन

डॉ. संध्या आमगा *

प्रस्तावना - मानव अधिकारों से अभिप्राय मौलिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता से है, जिसके सभी मनुष्य अधिकारी हैं। अधिकारों एवं स्वतंत्रता के उदाहरण के रूप में जिनकी गणना की जाती है, उनमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित हैं। जैसे कि जीवन और आजाद रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ ही साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार, भोजन का अधिकार, काम करने का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार आदि शामिल हैं।

मानव अधिकारों का इतिहास - अनेक प्राचीन दस्तावेजों एवं बाद के धार्मिक और दार्शनिक पुस्तकों में ऐसी अनेक अवधारणाएं हैं, जिन्हें मानवाधिकारों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। ऐसे प्रलेखों में उल्लेखनीय हैं, अशोक के आदेश पत्र, मुहम्मद द्वारा निर्मित मदीना का संविधान आदि। आधुनिक मानवाधिकार कानून तथा मानवाधिकार की अधिकांश अपेक्षाकृत व्यवस्थाएं समसामयिक इतिहास से सम्बंधित हैं। The Twelve Articles of the Black Forest (1525) को यूरोप में मानवाधिकारों का सर्वप्रथम दस्तावेज माना जाता है। यह जर्मनी के किसान विद्रोह स्वाबियप संघ के समक्ष उठाई गई किसानों की मांग का ही एक हिस्सा है। ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स ने युनाइटेड किंगडम में सिलसिलेवार तरीके से सरकारी दमनकारी कार्रवाइयों को अवैध करार दिया। 1776 में संयुक्त राज्य में और 1978 में फ्रान्स में 18 वीं शताब्दी के दौरान दो प्रमुख क्रांतियां घटीं। जिसके फलस्वरूप क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की एवं फ्रांसीसी मनुष्य की मानव तथा नागरिकों के अधिकारों की घोषणा का अभिग्रहण हुआ। इन दोनों क्रांतियों ने ही कुछ निश्चित कानूनी अधिकार की स्थापना की। किसी भी देश में मानवाधिकारों को लेकर विवाद बना रहता है। ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई मानवाधिकारों की सार्थकता है। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी मानवाधिकार संगठनों के बावजूद मानवाधिकारों का परिदृश्य तमाम तरह की विसंगतियों और विद्रूपताओं से भरा पड़ा है। किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। भारतीय संविधान इन अधिकारों की न सिर्फ गारंटी देता है, बल्कि इसे तोड़ने वाले को अदालतें सजा भी देती हैं।

गैर सरकारी संगठन - किसी देश में भीतर ऐसा संगठन जो समाज के उपेक्षित लोगों के हितों की देखरेख करता है, क्योंकि ये लोग स्वयं अपने अधिकार की रक्षा के लिए पर्याप्त संगठित व समर्थ नहीं होते, ऐसे संगठन उनकी समस्याओं का पता लगाकर, उनके कारणों की जाँच करते हैं और उन समस्याओं का मुख्यतः कानूनी ढंग से सुलझाने के लिए प्रभावित लोगों

की उपयुक्त सलाह एवं सहायता देते हैं ऐसे संगठन को गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा एक प्रस्ताव 27 फरवरी, 1950 को अंगीकार किया गया, जिसमें परिभाषित किया गया कि गैर-सरकारी संगठन का अर्थ है- '**कोई ऐसा अन्तरराष्ट्रीय संगठन, जो सरकारी करार द्वारा स्थापित नहीं किया जाता है, दूसरे शब्दों में, इस शब्द का प्रयोग किसी ऐसे बिना लाभ के संगठन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, जो सरकार से स्वतंत्र हो**'

संयुक्त राष्ट्र संघ, गैर-सरकारी संगठन तथा मानव अधिकार - संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) के प्रारम्भ (सन् 1945) से ही गैर-सरकारी संगठन इसके सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 'मानवाधिकारों का अन्तरराष्ट्रीय बिल' (International Bill of Human Rights) बनाए जाने में इन संगठनों (NGO) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है गैर-सरकारी संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों द्वारा समय-समय पर की गई मानवाधिकार से सम्बंधित विभिन्न घोषणाओं एवं उनके कार्यान्वयन में भी सहायता प्रदान की है।

गैर-सरकारी संगठनों को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (UN Charter) के अनुच्छेद 71 (Article 71) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि आर्थिक व सामाजिक परिषद् (UN Economic & Social Council) द्वारा इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे, जिससे गैर-सरकारी संगठनों को परामर्शदात्री भूमिका (Consultative) निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, यू. एन. की आर्थिक व सामाजिक परिषद् द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को तीन प्रकार से सलाहकारी दर्जा (Consultative Status) प्रदान किया जाता है एक साधारण दर्जा (General Status) दूसरा, विशेष दर्जा (Special Status) तथा तीसरा रोस्टर (Roster), वर्तमान यू. एन. की आर्थिक व सामाजिक परिषद् के अन्तर्गत लगभग 4045 गैर-सरकारी संगठनों को सलाहकारी दर्जा प्राप्त है यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ को समय-समय पर मानवाधिकारों के हनन की सूचना देते हैं और हनन के कारणों की जाँच कराने में सहायता प्रदान करते हैं।

मानवाधिकार से सम्बन्धित अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन - विश्व स्तर पर मानवाधिकारों से सम्बन्धित बहुत गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं-

1. **एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International)** - मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों में 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, यह एक अन्तरराष्ट्रीय

मानवाधिकार संस्था है इसकी स्थापना ब्रिटिश नागरिक पीटर बेनसन द्वारा 28 मई, 1961 को की गई थी संस्था का अन्तर्राष्ट्रीय मुख्यालय लन्दन में स्थित है वर्तमान में इस संस्था के विश्व के लगभग 170 देशों में 12 लाख सदस्य एवं समर्थक हैं।

एमनेस्टी इंटरनेशनल का आज्ञा-पत्र (Mandate) संयुक्त राष्ट्र संघ (एनएच) के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा-पत्र (Universal Declaration of HR) पर आधारित है। यह संगठन विश्व भर में सर्वत्र ऐसे कैदियों को छुड़ाने का प्रयास करता है, जो अपनी राजनीतिक एवं अध्यात्मिक विचारधारा, विशेष नस्ल तथा जातिगत आधारों पर बंदी है तथा जिन्होंने किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग न लिया हो यह संगठन मृत्युदण्ड तथा उत्पीड़न के विरुद्ध भी आवाज उठाता है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल अधिकारों के लिए संघर्षरत व्यक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनों की सहायता करता है। इसके साथ ही यह संगठन अपने कार्यों हेतु मीडिया-प्रबन्धन तथा विशेषज्ञ सहायता भी लेता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के विरुद्ध किए गए सभी प्रकार के मामलों को प्रकाश में लाता है यह संगठन मानवाधिकारों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकाशित कर उल्लंघनकर्ता राष्ट्रों का पर्दाफाश करता है।

'एमनेस्टी इंटरनेशनल' एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क एवं अन्तर्राष्ट्रीय सचिवालय के माध्यम से संचालित होता है। इस संगठन के कार्यों को सम्पादित करने हेतु 'अन्तर्राष्ट्रीय परिषद्' सर्वोच्च प्राधिकारी है। इसके सदस्यों का चयन अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (IEC) के सदस्यों एवं अनुभाग के प्रतिनिधियों द्वारा होता है, इसकी बैठक 'अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति' द्वारा निर्धारित तिथि पर दो वर्ष के अन्तराल पर होती है। संस्था द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सन् 1977 में संस्था को 'नोबल शान्ति पुरस्कार' प्रदान किया गया।

2. ह्यूमन राइट्स वाच (Human Right Watch) - ह्यूमन राइट्स वाच (Human Right Watch) की स्थापना वर्ष 1978 में 'हेलसिंकी वाच' (Helsinki Watch) के रूप में की गई थी, जिसका आरम्भिक उद्देश्य 'इलसिंकी एकाडर्स' (Helsinki Accords) द्वारा निश्चित किए गए मानवाधिकारों का उल्लंघन सोवियत संघ के राज्यों द्वारा (Soviet Bloc) तो नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच करना था इसी दिशा में अमरीका ने मानवाधिकारों के हनन की जांच के लिए सन् 1981 में 'अमरीकी वाच' (America Watch) की स्थापना की इसी आधार पर अन्य देशों में भी मानवाधिकारों की निगरानी के लिए वाच कमेटियों की स्थापना की गई, जैसे-एशिया वाच (वर्ष 1985 में Asia Watch) अफ्रीका वाच (वर्ष 1988 में Africa Watch) मिडिल ईस्ट वाच (Middle East Watch) आदि सन् 1988 में 'ह्यूमन राइट्स वाच' के अन्तर्गत सभी क्षेत्रीय इकाइयों को सम्मिलित कर दिया गया वर्तमान में 'ह्यूमन राइट्स वाच' लगभग 85 देशों में कार्यरत है।

ह्यूमन राइट्स वाच के अनुसंधानकर्ता विश्व के समस्त क्षेत्रों मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में तथ्यों का अन्वेषण करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की तरफ विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित करना होता है तथा इस रिपोर्ट को सरकारी एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तत्पश्चात् ह्यूमन राइट्स वाच अपने निष्कर्षों को प्रति वर्ष अपनी रिपोर्टों में प्रकाशित करता है ह्यूमन राइट्स वाच का मुख्यालय न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमरीका) में है।

3. माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप (Minority Rights Group) - अल्पसंख्यकों की दशा सुधारने हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप (MRG) प्रभावी है। इसकी स्थापना साठ दशक के प्रारम्भ में हुई, इसका मुख्यालय लन्दन (UK) में स्थित है, इस संगठन को यू.एन. की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के अन्तर्गत सलाहकारी दर्जा (Consultative Status) प्राप्त है।

भारत में मानवाधिकार से सम्बन्धित प्रमुख गैर-सरकारी संगठन - भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1993 में पारित 'मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (Human Rights Protection Act. 1993) की धारा 12(I) (Article 12(II)) के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहित करे-उल्लेखनीय है कि भारत में गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण (Registration) सामान्तः पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत होता है, भारत मानवाधिकार से सम्बन्धित बहुत से गैर सरकारी संगठन (NGO) कार्य कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं-

- 1. पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल (PUCL) -** 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एण्ड डेमोक्रेटिक राइट्स' की स्थापना जयप्रकाश नारायण (JP) द्वारा वर्ष 1976 में आपतकाल के दौरान की गई थी, वर्ष 1980 में पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एण्ड डेमोक्रेटिक राइट्स ने अपने एक सम्मलेन में संस्था को 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) नाम दिया। उल्लेखनीय है कि पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय ने 27 सितम्बर 2013 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) में 'उपर्युक्त में से कोई नहीं' (NOTA/नोटा) विकल्प उपलब्ध कराने का चुनाव आयोग को निर्देश दिया है।
- 2. पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) -** पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (PUDR) की स्थापना अरसी के दशक के प्रारम्भ में 1981 में जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है यह संस्था जनता में लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागृति लाने हेतु समय-समय पर सम्मेलन, गोष्ठियाँ, लेख प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार करती है।
- 3. ऑल इण्डिया फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स -** यह संस्था वर्ष 1982 में स्थापित की गई, जो विभिन्न छोटे-छोटे क्षेत्रीय संगठनों को मिला-जुला मंच है यह भी मानवाधिकारों के हनन के मामले उठाती है।
- 4. इण्डियन पीपुल्स ह्यूमन राइट्स कमीशन -** इण्डियन पीपुल्स ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना वर्ष 1987 में की गई यह एक लोक न्यायाधिकार जैसी संस्था है, यह कमीशन मानवाधिकार हनन के मुकदमों की सुनवाई में योगदान देता है।

वर्तमान में मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन में गैर-सरकारी संगठनों का योगदान - वर्तमान में गैर-सरकारी संगठन मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण (Promotion & Protection of HR) में तीनों रूपों में सहायक हो सकते हैं, प्रथम यह कि मानवाधिकार के उल्लंघन का पता लगाकर जनसाधारण के ध्यान में लाना तथा उनके निवारण के लिए प्रयत्न करना, दूसरा यह है कि गैर-सरकारी संगठन का जनसाधारण से

जुड़े होने के कारण मानवाधिकार के उल्लंघन के गंभीर मामलों में अन्वेषण की प्रक्रिया में हर प्रकार से मदद करना। तीसरा, जैसा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहता है, मानवाधिकार कार्य में विशिष्ट क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों की निजी एवं उच्च-स्तरीय विशेषज्ञता आयोग के लिए अत्यधिक उपयोगी स्रोत बन सकती है, क्योंकि आयोग विशिष्ट मुद्दों व समस्याओं का अध्ययन करता है और उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वर्तमान में मानवाधिकार के संवर्धन एवं संरक्षण में निभाई जा रही भूमिका इस प्रकार है -

1. मानव अधिकारों के प्रति समाज में जागरूकता लाना।
2. जनहित याचिकाएं दाखिल कर शासन प्रशासन पर दबाव बनाना।
3. सामाजिक परिवर्तन में सकारात्मक भागीदारी निभाना।
4. मानवाधिकारों के लिए मानक निश्चित करना।
5. मानवाधिकार से सम्बन्धित कानूनों को समसामयिक बनाने हेतु शोध करना।
6. सरकार द्वारा बनी योजनाओं, कार्यक्रमों, कानून व व्यवस्थाओं का सही कार्यान्वयन हेतु सहयोग करना।
7. मध्यस्थता की भूमिका।
8. विविध सहायता प्रदान करना।
9. अन्तर्राष्ट्रीय निकायों एवं सरकारों से वार्तालाप।

निष्कर्ष - वर्तमान में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राज्य ही नहीं बल्कि देश-विदेश में मानव अधिकारों के संवर्धन एवं संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अतः सरकार द्वारा भी मानवाधिकारों के संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इन संगठनों की सहायता से राज्य के विभिन्न हिस्सों में मानव अधिकारों की स्थिति की जाँच समय-समय पर कराती रहे और समस्याओं से निपटने के लिए गैर-सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श करें। इन संगठनों को भी चाहिए कि मात्र अपनी लोकप्रियता के लिए सरकार की उचित कार्यवाहियों का विरोध न करें। ताकि जनता का विश्वास इन संगठनों पर बना रहे। इन संगठनों पर भी उचित माध्यम से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. https://hi.wikipedia.org/wiki/human_rights
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Amnesty_International
3. "Who we are". Amnesty International. Retrieved 16 March 2015.
4. <http://nhrc.nic.in/>
5. भसीन अनीश, गैर सरकारी संगठन और मानवाधिकार, प्रतियोगिता दर्पण, मई एवं जून 2015

भारत में विभिन्न युगों में स्त्रियों के मानवाधिकार - एक अध्ययन

दीपशिखा सक्सेना *

शोध सारांश - महिलाओं के मानवाधिकारों के अति संवेदनशील पहलू को जानने के पूर्व भारतीय समाज में विभिन्न युगों में महिलाओं की मानवाधिकार संबंधी स्थिति को समझना होगा दरअसल भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति लंबे समय से विवाद का विषय रही है। इस विवाद का मुख्य कारण स्त्रियों की दैहिक पवित्रता संबंधी संकुचित विचारधारा रही है। मूल भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान और दुर्गा की पूजा की जाती रही है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना गया जिसके बिना कोई धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं हो सकता। परन्तु वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बाद भारतीय समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ रूढ़ियों में बदलने लगी। परिणामस्वरूप स्त्रियों के विशेष गुण जैसे ममता, स्नेह, त्याग, सहनशीलता आदि को उनकी दुर्बलता मान लिया गया। इस आधार पर उनका शोषण शुरू हो गया। यही नहीं इस शोषण को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों का संरक्षण भी मिल गया। इससे स्त्रियाँ धीरे-धीरे परतंत्र, असहाय और कमजोर होती गईं। मध्यकाल में स्त्रियों के मानवाधिकार तक छिन लिये गये और उनकी स्थिति एक दासी की भांति हो गई मगर फिर समाज के एक बड़े भाग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास आरंभ कर दिया। वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए भरपूर प्रयास आरंभ कर दिए। परिणामतः वर्तमान में स्त्रियों को पुनः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नवीन अधिकार प्राप्त हो रहे हैं।

शब्द कुंजी - मानवाधिकार, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धर्म शास्त्र काल, ब्रिटिश काल, उत्पीड़न, संविधान।

प्रस्तावना - 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।'

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति जानना अत्यंत आवश्यक है।² भारत में सभ्यता जितनी तेजी से आगे बढ़ती है यानि संस्कृति की गति धीमी है। भारतीय परंपराओं की जड़े गहराई तक हैं, इसका मुख्य कारण विवेक सभ्यता की दौड़ पीछे रह जाता है और परंपराओं को काटने में असमर्थ रहा है। महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थिति जानने के लिये भारतीय समाज की प्रगति की परंपरा का अध्ययन करना आवश्यक है। क्योंकि संस्कृति के भौगोलिक ऐतिहासिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, समाजिक, प्रशासनिक स्थिति की पृष्ठभूमि के अध्ययन से ही मूल्यों की स्थिति एवं भविष्य परीक्षण संभव है। भारतीय समाज में स्त्रियों की मानवाधिकार संबंधी स्थिति को समझने के लिए विभिन्न युगों में उनके मानवाधिकारों को देखना होगा। उक्त शोध पत्र के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि स्त्रियों के मानवाधिकार विभिन्न युगों में किस प्रकार के रहे हैं। क्या प्राचीन समय में नारी को पर्याप्त स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त थी। इन्हीं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उक्त शोध पत्र का चयन किया गया है।

विभिन्न युगों में स्त्रियों के मानवाधिकार - वैदिक काल में स्त्री को पुरुष की प्रकृति माना गया जिसके बगैर वह जीवित नहीं रह सकता है। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा, धर्म, राजनीति और सम्पत्ति में पुरुष के समान अधिकार थे। शिक्षा और शास्त्रों के अध्ययन का पूर्ण अधिकार था। विवाह तथा जीवन साथी चयन में स्त्री की इच्छा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ स्वच्छंदता पूर्वक विचरण करती थीं। विवाह परिपक्वावस्था में ही होते थे। स्त्रियाँ स्वच्छंदता से अविवाहित रहकर भी जीवन

यापन करती थी।

इस काल में स्त्रियाँ की रक्षा करना वीरता और अपमान पापाचार माना जाता था। इससे स्पष्ट है कि इस काल में स्त्रियों के मानवाधिकार पूर्ण सुरक्षित थे। उन्हें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के सम्मान और गरिमा सहित असर प्राप्त थे।

उत्तर वैदिक काल अर्थात् ईसा 600 वर्ष पूर्व से ईसा के 300 वर्ष बाद का माना जाता है। इस युग के आरम्भिक वर्षों में महाभारत की रचना हुई। जहाँ स्त्रियों का आदर होता है। वहाँ देवता निवास करते हैं जैसे उक्तियाँ इसी काल की हैं, जो स्त्रियों की मानवाधिकार संबंधी सकारात्मक स्थितियों की ओर इंगित करती हैं। मगर फिर भी स्त्रियों की साध्वी और असाध्वी दो श्रेणियाँ बनाकर उन पर नियंत्रण लगाने की शुरुआत भी हो गई। फिर भी इस काल में स्वयंवर प्रथा द्वारा स्त्रियों को जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता थी। वे वेदों का अध्ययन करके समाज में उच्च स्थान भी प्राप्त करती थीं। इससे जाहिर है कि उनके मानवाधिकारों की स्थिति श्रेष्ठ थी।⁴

इस बीजारोपण के साथ स्त्रियों के मानवाधिकारों का हनन प्रारम्भ हुआ। सबसे पहले उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। वेदों का अध्ययन और यज्ञ वे नहीं कर सकती थीं। विधवा विवाह पूर्णतः निषिद्ध हो गया। स्त्रियों का एकमात्र धर्म हो गया- पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह। वह भी स्वयं की इच्छाओं, भावनाओं, व्यक्तित्व निर्माण की संभावनाओं का बलिदान करके। मगर फिर भी यह स्थिति उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में थी। यह स्थिति सैद्धांतिक थी व्यवहारिक नहीं। व्यवहार में स्त्रियाँ पूर्ववत् अपने अधिकारों का प्रयोग करती रही।

धर्म शास्त्र काल तीसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक का है। इस काल में याज्ञवल्क्य संहिता, विष्णु संहिता और पाराशर संहिता

*शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) लोक प्रशासन एवं मानवाधिकार अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

की रचना हुई। इनमें मनुस्मृति को ही व्यवहार की कसौटी माना गया। इस काल में स्त्रियों के मानवाधिकारों का घोर हनन होने लगा। इस काल में सामाजिक और धार्मिक संकीर्णता ने अपनी जड़े जमा ली। चंद्रावती लखनपाल ने इस काल में स्त्रियों के मानवाधिकारों के हनन का चित्रण करते हुए लिखा है। इस काल में स्त्रियाँ गृहलक्ष्मी से याचिका के रूप में दिखाई देने लगी। माता से सेविका बन गईं जीवन और शक्ति प्रदायिनी देवी अब निर्बलताओं की प्रतीक बन गईं। स्त्री, जो किसी समय अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रवाहित करती थी, अब परतंत्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।

इस काल में स्त्री के जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो गया-विवाह। पति और उसके परिवार जनों की प्रसन्न करने में ही उसके जीवन की सफलता और सार्थकता मानी गई। सतियों की कथाओं के माध्यम से स्त्रियों को त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति बनने की प्रेरणा देकर उनके मानवाधिकारों तक को छीनकर इस अपराध को धर्म का जामा पहाना दिया गया। बालिका के विवाह के लिए दस बारह वर्ष की आयु का विधान बनाया गया। कुलीनता विवाह का आधार माना जाने लगा अतः बहुपत्नी विवाह भी शुरू हो गए। 6वस्तुतः यह काल स्त्रियों के मानवाधिकारों के हनन का आधारभूत काल था।

ब्रिटिश काल अठारहवीं शताब्दी की आखिरी वर्षों से आजादी पाने तक का काल है। इस काल में भी स्त्रियों के मानवाधिकारों रक्षा के लिये शासन की ओर से तो अपने नीहित स्वार्थों के कारण कोई प्रयत्न नहीं किए गए। अंग्रेजों का हित तो इसी में था कि स्त्रियों की स्थिति दयनीय ही बनी रहे। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में उनकी स्थिति का निरंतर पतन हो गया। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में अधिकारों की बात थी, उन पर शासन करने वाले पुरुष तक जब अंग्रेजों के गुलाम थे तब उनके राजनीतिक अधिकारों का तो प्रश्न नहीं उठता। अशिक्षा, कन्यादान का आदर्श, पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता, संपत्ति में अधिकार की समाप्ति, संयुक्त परिवार व्यवस्था, बाल विवाह वैवाहिक कुरीतियाँ, मुस्लिम आक्रमण आदि स्त्रियों के मानवाधिकारों के हनन के मुख्य कारण थे।

यद्यपि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुछ महापुरुषों ने स्त्रियों के मानवाधिकार की रक्षा के लिए ठोस प्रयत्न किए। इनमें राजा राममोहन राय का प्रयत्न उल्लेखनीय है। जिन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन खड़ा करने इस अमानवीय सतीप्रथा को 1829 में कानून के द्वारा समाप्त करवाया। साथ ही स्त्रियों की संपत्ति अधिकार प्रदान करने, बाल विवाहों की समाप्ति, स्त्री शिक्षा का प्रचार-प्रसार जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी उन्होंने किए। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी उत्तर भारत में स्त्रियों को पर्दा प्रथा और और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं से बचाकर मानवाधिकार दिलवाने में योगदान दिया। ईश्वरचंद्र विधासागर ने भी विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ करके ओर बहुपत्नी विवाह पर रोक लगाने के लिए भरसक प्रयत्न कर स्त्रियों को वस्तु से मानव का दर्जा दिलवाने में एक सीमा तक सफलता भी प्राप्त की। उनके प्रयासों से सन् 1856 में यविधवा विवाह कानून पास हुआ और स्त्रियों के मानवाधिकारों में एक और कड़ी जुड़ी।⁸

कांग्रेस की स्थापना के बाद गांधीजी व अन्य नेताओं ने स्त्री शिक्षा, दहेज, और कुलीन विवाह पर नियंत्रण, अन्तर्जातीय विवाह का प्रचार-प्रसार, बाल विवाह की कानून द्वारा समाप्ति के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के समुचित प्रयत्न किए। स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी के लिए स्त्रियों को जागरूक करने से स्त्रियों ने अपनी शक्ति को पहचाना

और वे स्वयं भी अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक हुईं। महिलाओं के मानवाधिकारों पर विशेष ध्यान दिया गया है।⁹

भारतीय महिलाओं की स्थिति पश्चिम से कई अर्थों में भिन्न है। यहाँ व्यापक रूप से निरक्षरता और पिछड़ापन होने के बाद भी आसानी से अधिकार प्राप्त है। भारतीय महिलाएँ विधी निर्माण के किसी भी सर्वोच्च पद पर आसीन हुई हैं। सदियों के उतार-चढ़ाव के पश्चात भारतीय महिलाएँ आज भी अपनी कोई स्पष्ट छवि नहीं रखती हैं। कुछ बातों में हमें अपने बीच अंतः विरोध दिखाई देता है। महिलाओं की स्थिति काफी उलझी हुई है। इसलिए आज के प्रगति के युग में भी भारतीय महिलाओं के सामने मार्ग स्पष्ट नहीं है। इसी कारण महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण कर उनको साथ चलने के लिए तैयार किया जाता है।³

भारत में स्त्रियों के समान अधिकार की बात डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा भारत के संविधान में की गई। भारत के संविधान की भूमिका में ही बिना किसी भेद के समानता की उसके सम्पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। महिलाओं का विकास और कल्याण किसी भी समाज प्रदेश व राष्ट्र के विकास की मूलभूत आवश्यकता है। जिसकी धुरी पर सम्पूर्ण विकास केन्द्रित होता है। इनकी स्थिति में सुधार हुए बिना किसी भी देश का विकास संभव नहीं है। इसके लिए समय-समय भारत सरकार ने कुछ कानून व कार्यक्रम बनाए गए हैं। भारत स्वतंत्रता प्राप्त से पूर्व और उसके उपरांत महिलाओं की स्थिति व उनके विकास के लिए विभिन्न मर्दों पर चिंताएँ प्रकट की जाती रही हैं।

महिलाओं की स्थिति की जानकारी के लिए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की स्थापित किया जाए तथा इन संगठन द्वारा भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जाता रहा है। इस संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व अधिकारिक प्रयास भारत सरकार द्वारा वर्ष 1971 में किया गया जिसके अंतर्गत महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों एवं बाधाओं की पहचान हेतु '**भारत में महिलाओं की स्थिति की जानकारी का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया।**' समिति ने अपने अध्ययन के पश्चात अपनी रिपोर्ट में यह मत व्यक्त किया कि-

मई 1975 में उपरोक्त रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखा गया और समिति की अनेक सिफारिशों को सरकारी रूप से स्वीकार कर लिया गया। इसके पश्चात धीरे-धीरे महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टि से मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। प्रयासों के क्रम में वर्ष 1989 में तात्कालीन प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला अधिकारों को संरक्षण की दृष्टि से ऐसे केन्द्रीय अभिकरण की स्थापना पर बल दिया जिसकी कार्यकर्ता स्वयं ऐसी महिलाएँ हों जो महिलाओं से संबंधित विषयों की विशेषज्ञ हों।

इस विचार को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए सरकारी विचार विमर्श के पश्चात संसद द्वारा 1990 का अधिनियम संख्या 20 पारित किया गया जिसके अंतर्गत सरकार को राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापित करने का अधिकार मिला। 1990 के अधिनियम के अनुसरण में राष्ट्रीय स्तर पर एक सांविधिक निकाय के रूप में **31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।** आयोग का अध्यादेश बहुत व्यापक है। जिसमें महिलाओं के विकास के प्रायः सभी पहलू आते हैं।¹²

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में एक वैधानिक अधिकार प्राप्त संस्था के रूप में हुई। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में हुआ है। सिवाय जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर। महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना उनके काल्याणपूर्वक कानून को बनाने के

लिए सरकार से सिफारिश करना, उनकी कठिनाईयों के निराकरण में सहायता देना और महिलाओं से संबंधित मामलों के नीति निर्धारण में सरकार को सलाह देना इसका मुख्य उद्देश्य है।¹³

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विकास को समर्पित मासिक पत्रिका (योजना पत्रिका) अगस्त 2001 दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक-2.
2. कायस्थ महा सभा पत्रिका (चित्रगुप्त बन्धु) जून, 2001.
3. श्रीवास्तव, सुधारानी (भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति) कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 2007 पृष्ठ क्रमांक-11.
4. इन्दिरा (प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति), बम्बई, 1951 पृष्ठ क्रमांक 12-13.
5. राष्ट्रीय महिला आयोग वार्षिक रिपोर्ट, 1996-97 : पृष्ठ क्रमांक 22-24.
6. लता, मंजु (अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न), अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 2008, पृ. क्र.4-8.
7. विशिष्ट, विनिता (नारी तुम अबला कम तक), समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, 1998, पृ. क्र.22.
8. तिवारी, आ.पी. एवं शुक्ला डी.वी. (मध्यकालीन एतिहासीक परिप्रेक्ष्य में भारतीय नारी), ए.पी.एच. पब्लिशिंग कॉरपोरेशन नई दिल्ली, पृष्ठ क्रमांक-22-24.
9. समाचार पत्र (दैनिक जागरण) 15 दिसम्बर, 1999.
10. (भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन), भारत सरकार, 1971.
11. त्रिपाठी, गणेशदत्त (आधुनिक काव्य संकलन), भोपाल, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1986 पृष्ठ क्रमांक-32.
12. रानी, सीमा (महिलाअधिकारों के प्रति प्रशासनिक प्रतिबद्धता), मेरठ, 2007.
13. श्रीवास्तव, सुधारानी (पर्वोक्त), पृष्ठ क्रमांक-270.
14. अवरथी, शैलेन्द्र कुमार (मानवाधिकार विधि), ओरिएन्ट पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ क्रमांक 472-473.
15. नाराणी, प्रकाश नारायण (महिला जागृति और कानून), अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर की महिला सशक्तिकरण में भूमिका

डॉ. हनुमान प्रसाद मीना *

शोध सारांश - डॉ. भीमराव अम्बेडकर महिलाओं के लिए देवदूत से कम नहीं थे। उस समय जब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में महिलाओं को मतदान करने तक का अधिकार नहीं था, ऐसे समय में अम्बेडकर ने भारत जैसे पिछड़े और परतंत्र देश में महिला अधिकारों की वकालत की। उन्होंने भारत में लैंगिक समानता पर बल दिया। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए हिन्दू कोड बिल का न केवल समर्थन किया बल्कि इसको लागू कराने का हर संभव प्रयास भी किया। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए समान कार्य, समान वेतन, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, अन्तर्जातीय विवाह और विधि के समक्ष समानता का समर्थन किया। उन्होंने शिक्षा, विशेषकर महिला शिक्षा पर बल दिया। क्योंकि उनके अनुसार शिक्षा वह संजीवनी बूटी है, जिसके बिना जीवित मनुष्य भी मृत प्राणी के समान है। शिक्षा, महिला सम्मान व गौरव को प्राप्त करने का प्रवेशद्वार है। अम्बेडकर के समस्त नारीवादी चिंतन का सार महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और शैक्षणिक प्रगति पर आधारित रहा है।

शब्द कुंजी - सामाजिक न्याय, हिन्दू कोड बिल, विधि संहिता, पितृसत्तात्मक, विषम सांस्कृतिक वर्चस्व, आत्म सहायता, न्यूनतम, सोपानात्मक, संरचना।

प्रस्तावना - डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र के आंबेडे गाँव में हुआ। ये सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई की चौदहवीं संतान थे। यह बालक दिखने में हट्ट-पुष्ट और तंदरुस्त था, इसलिए इसका नाम भीम रखा गया और आगे चलकर यही बालक अपनी अद्वितीय योग्यता के बल पर सम्पूर्ण संसार में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों के उत्थान और सभी को समान रूप से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक अधिकार दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। वे दलितों व पिछड़ों के मुक्तिदाता तो थे साथ ही महिला सशक्तिकरण के अग्रदूत भी थे। उन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा के कारण जल्दी ही यह समझ लिया कि भारत में सभी समस्याओं के समाधान की मूल शर्त सामाजिक न्याय और परिवर्तन की क्रांति है। उनका मानना था कि अगर किसी राष्ट्र की प्रगति के विषय में जानना हो तो पहले यह जान लेना चाहिए कि उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति कैसी है। वे कहते थे कि मनु से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने व शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। मनुस्मृति ने महिलाओं के समस्त अधिकारों को नकारा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक ओर तो स्त्री को धन, विद्या और शक्ति की देवी माना। मनु संहिता के तीसरे अध्याय के छप्पनवें श्लोक में स्त्री को देवी की संज्ञा दी गयी है।

‘यत्र नार्यस्तु पुजयंते रमंते तत्र देवता’

वहीं इसके विपरीत पांचवे अध्याय के 155 वे श्लोक में लिखा है कि ‘स्त्री का न तो अलग यज्ञ होता है न व्रत होता है, न उपवास।’ अम्बेडकर का मानना था कि मनु की ‘मनुस्मृति’ से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। वे मनुसंहिता के कटुआलोचक थे। उन्होंने मनु व्यवस्था के खिलाफ महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिकता दी तथा कहा कि हिंदू समाज में महिलाओं को वे समस्त

अधिकार मिलने चाहिए, जिन्हें मनु संहिता ने उनसे हस्तगत कर लिया है ताकि वे सम्मान और गौरव के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अम्बेडकर ने महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भरता का अधिकार दिलाने के लिए जो संघर्ष किया उसके लिए वे सदा स्मरणीय रहेंगे।

जून 1952 में उन्होंने हिन्दू महिलाओं का उत्थान और पतन नामक लेख ‘महाबौद्ध जनरल’ में लिखा। उन्होंने इसमें लिखा कि महिलाओं की समाज में दोगम दर्जे की भूमिका व गिरते स्तर के लिए अगर कोई उत्तरदायी है, तो वह मनु संहिता है, पुत्र के समान पुत्री को भी उपनयन संस्कार और शिक्षा का अधिकार था। ब्रह्मचर्य पूर्ण होने के पश्चात् कन्या की सहमति से ही विवाह सम्पन्न होते थे। इसी प्रकार ‘Woman and Counter Revolution’ में भी उन्होंने लिखा कि ‘मनु ने महिलाओं को छोटे-छोटे कार्यों में इतना नीचे गिरा दिया कि उन्हें एक दास की भांति समझा जाने लगा। उनका संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। उन्हें न तो विद्या अर्जन का अधिकार था और न ही वेदों के अध्ययन का, समाज में महिलाओं की स्थिति शूद्रों के समान है। यूनानी विचारक सुकरात के समान अम्बेडकर भी मानते थे कि ‘ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और उनका व्यक्तिगत जीवन इसका साक्षात् उदाहरण है। उन्होंने 4 अगस्त 1913 को न्यूयार्क से जमादार को लिखे पत्र में शिक्षा की आवश्यकता व महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने इसमें लिखा कि ‘पुरुष शिक्षा के साथ-साथ महिला शिक्षा को भी महत्व दिया जाना चाहिए। अम्बेडकर ने अपनी दिव्यदृष्टि से यह आंकलन कर लिया था कि ‘यदि हम पुरुष शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं की शिक्षा के प्रति गम्भीर हो जाए, तो हम अतिशीघ्र प्रगति कर सकते हैं। शिक्षा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं होना चाहिए अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा का समान अधिकार मिले चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। नारी शिक्षा, पुरुष शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण है, एक स्त्री के शिक्षित होने से पूरा एक परिवार, एक समाज शिक्षित होता है क्योंकि स्त्री समस्त पारिवारिक व्यवस्था

की धुरी है।

अम्बेडकर निम्न जाति में जन्मे थे, इसलिए सामाजिक दासता का दंश उन्होंने नित दिन झेला और यही कारण रहे कि उन्होंने महिलाओं के शोषण, उत्पीड़न अज्ञान, अपमान एवं सामाजिक विषमता की सदियों से चली आ रही विषम समाज व्यवस्था का सखती से विरोध किया। उदाहरण के लिए उनके जीवन का प्रथम आंदोलन महाइ सत्याग्रह, महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया। उनका प्रथम प्रयास था। अम्बेडकर ने मनुस्मृति के इस दृष्टिकोण को स्त्रियों पर अन्याय का मूल कारण माना जिसमें कहा गया कि बाल्यकाल में स्त्रियों की रक्षा पिता करें, यौवन में पति व वृद्धावस्था में पुत्र करें तथा उन्हें कभी भी स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। अम्बेडकर ने स्मृतियों और अन्य शास्त्रों की इस आधार पर कटु आलोचना की कि उन्होंने स्त्रियों की समाज में स्वतंत्रत भूमिका पर प्रतिबंध लगाए हैं। यही सब कारण रहे जिनके कारण अम्बेडकर ने महिला सशक्तिकरण के रूप में प्राचीन विधि संहिता मनुस्मृति का दहन किया। इस घटना के बाद महिला आन्दोलनों को एक व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ। अम्बेडकर की यह भी मान्यता थी कि जातिप्रथा को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका निर्विवाद रूप से अहम है। इसलिए हिन्दू समाज उन्हें किसी तरह की स्वतंत्रता देने का पक्षधर नहीं है। अगर वह ऐसा करने देता है, तो हिन्दू समाज की जाति व्यवस्था का विघटन निश्चित है। उनका दृढ़ मत था कि स्त्रियाँ जातिवाद का प्रवेश द्वार है। इसलिए हिन्दू धर्म व्यवस्था उन पर अपना आधिपत्य जमाए रखने के लिए जी-जान लगा कर भी उद्यत रही है। स्त्रियों को अधीन बनाए रख कर ही ऊंच-नीच पर आधारित जाति व्यवस्था कायम रह सकती है। इसलिए अम्बेडकर की समग्र विचारधारा और दर्शन का निष्कर्ष महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और शैक्षणिक प्रगति पर आधारित रहा। उन्होंने सामाजिक न्याय, सामाजिक पहचान, समान अवसर एवं संवैधानिक स्वतंत्रता के रूप में नारी सशक्तिकरण को ही सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का सूचक माना।

अम्बेडकर कहते थे कि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है। इसलिए यहां पर महिला विषयक विषम सांस्कृतिक वर्चस्व के कारण अब स्वयं महिलाएं भी स्वयं के अधिकारों के प्रति जागरूक और उत्सुक नहीं हैं। 25 दिसंबर 1927 को महाइ सम्मेलन में महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कपड़े और गहने चुनने की तुम्हारी आजादी पर कोई रोक नहीं लगा सकता। मन को सांस्कृतिक करने और आत्म-सहायता की भावना पर अधिक ध्यान दो.....! 'जैसी तुम बनोगी वैसे ही तुम्हारे बच्चे होंगे। उनके जीवन को सदगुणों से भरो.....।' जिस देश में महिलाओं के लिये मानव कल्याण रहित, परंपरा और रूढ़ियों का राज हो। कानून आग्रह से चलता हो वहां कहीं न कहीं अन्याय शोषण एवं उत्पीड़न उपस्थित होता ही है। जहां रीति-रिवाज कानून से भी अधिक शक्तिशाली हो वहां महिलाओं में सांस्कृतिक पहचान एवं गरिमा को जीवित करने का कार्य अम्बेडकर ने किया।

1920 में नागपुर में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'सशक्तिकरण का अर्थ है, अपनी क्षमताओं को बनाना और उसे विकसित कर समाज की मुख्यधारा का एक अहम हिस्सा बनना। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्हें सामाजिक परिवर्तन का विधान निर्मित करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने महिलाओं को संविधान में समान रूप से अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। (1) अनुच्छेद-14 में समानता का अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया गया है। (2) अनुच्छेद 15- किसी भी नागरिक से उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव

का निषेध करता है। (3) अनुच्छेद 15(3) तथा अनुच्छेद 16 भी महिलाओं के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं। (4) अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य सभी नागरिकों (महिलाओं और पुरुषों) के जीवन यापन के पर्याप्त साधनों के लिए समानता प्रदान करता है। (5) अनुच्छेद 39 (घ) तथा अनुच्छेद 41 में महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा आर्थिक सीमाओं के भीतर सभी नागरिकों अर्थात् महिला - पुरुष को काम का अधिकार (6) अनुच्छेद 42 के अनुसार कार्य के लिए न्यायपूर्ण स्थिति, अर्थात् प्रसूति सहायता इत्यादि।

इतना ही नहीं महिलाओं को और अधिक अधिकार देने तथा उन्हें सशक्त बनाने के लिए सन् 1951 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने 'हिन्दू कोड बिल' संसद में पेश किया। उनका मानना था कि सही मायने में प्रजातंत्र तब आएगा जब महिलाओं को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हिस्सा मिलेगा और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार दिये जाएंगे। अम्बेडकर यह बात भली-भांति समझते थे कि स्त्रियों की स्थिति सिर्फ ऊपर से उपदेश देकर नहीं सुधरने वाली और अकेला संविधान या कानून भी लोगों की मानसिकता को नहीं बदल सकता। इसलिए हिन्दू समाज में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए देश के पहले कानून मंत्री के रूप में अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल लोकसभा में पेश किया। वास्तव में हिन्दू कोड बिल पास कराने के पीछे अम्बेडकर की हार्दिक इच्छा कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत स्थापित करने की थी। जिनका उल्लंघन दण्डनीय अपराध बन जाए। उदाहरणार्थ स्त्रियों के लिए विवाह विच्छेद का अधिकार, हिन्दू कानून के अनुसार विवाहित व्यक्ति के लिए एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और विधवाओं तथा अविवाहित कन्याओं को बिना शर्त पिता या पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का हक। उनका आग्रह था कि हिन्दू कानून में अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दी जाए। इस बिल में अंतर्निहित ये न्यूनतम सिद्धांत धार्मिक रीति से विवाहित स्त्रियों को इन अधिकारों का इस्तेमाल करने और लाभ प्राप्त करने के अवसर प्रदान करते हैं। अम्बेडकर हिन्दू कोड बिल के जरिए धार्मिक आचरण के क्षेत्र में प्रगतिशील मूल्यों को रख कर निजी क्षेत्र को फिर से विधिवत परिभाषित करना और उन सामाजिक आचरणों को बदलने के लिए आधार निर्मित कर देना चाहते थे, जो हिन्दुओं के जीवन को विकृत कर रहे थे। इस प्रकार हिन्दू कोड बिल निजी को राजनीतिक बनाने का एक जोरदार उपक्रम था। वास्तव में स्त्रियों को पुरुषों के अधीन बनाने की प्रक्रिया पहले परिवार से ही शुरू होती है। यही प्रक्रिया समाज तक पहुंचती है। सोपानात्मक समाज संरचना इसे आसान बनाती है। इसलिए अम्बेडकर के हिन्दू कोड बिल को परिवार को विखंडित करने वाला और समाज के लिए घातक बताया गया। जबकि वे इस बिल के माध्यम से पितृसत्ता के दुष्चक्र को भेद कर जाति व्यवस्था को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे थे। हिन्दू कोड बिल में स्त्रियों को तलाक का अधिकार देकर अम्बेडकर एक ओर विवाह की अविच्छेदता को चुनौती देते हैं तो दूसरी ओर स्त्री को पुरुष के प्रत्येक अन्याय को सहन करने की बाध्यता से छुटकारा दिलाते हैं। पुरुष के एक विवाहित पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने की छूट पर प्रतिबंध लगा कर उसकी मनमानी पर अंकुश लगाते हैं और पत्नी की स्वाधीनता और आत्मसम्मान को संरक्षित करते हैं। इसी प्रकार स्त्री को पुरुष की संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान करके वे उसकी आर्थिक परनिर्भरता को खत्म कर देना चाहते हैं। हिन्दू कोड बिल के ये तीनों प्रावधान निश्चय ही स्त्री-पुरुष को समान धरातल पर खड़ा कर परिवारिक सामाजिक समरसता को बढ़ाने वाले हैं।

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अम्बेडकर के विचार चिंतन में

महिलाओं से संबंधित प्रश्न किसी भी अन्य बड़ी समस्या से भी अधिक जटिल थे। यह जटिलता परिवार, समाज, संस्कृति, कानून व रोजगार प्रत्येक स्थल पर सैंकड़ों रूपों में उपस्थित थी। उनका मानना था कि इस जटिलता को नजरंदाज करना देश की आधी आबादी के प्रति अपराध के समान है। उनका दावा था कि इस विशाल और जटिल देश में स्त्रियों के संघर्ष कहीं अधिक कष्टकारी और गहरे रहे हैं। इन संघर्षों की सांस्कृतिक जमीन को पुख्ता करना स्त्री स्वतन्त्रता की प्राथमिक और अनिवार्य शर्त है। उनके अनुसार महिलाओं को समाज में द्वायम दर्जे के स्थान पर स्वतन्त्रता, समानता गौरव व सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया ही जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. गर्दा लर्नर - 'दि क्रिएशन ऑफ पेट्रारकी' ।
2. धनंजय कीर - डॉ. अम्बेडकर, जीवन और लक्ष्य मुम्बई 1954
3. डब्ल्यू. एन. कुबेर - बी.आर. अम्बेडकर ।
4. डी.आर जाटव- अम्बेडकर का सामाजिक दर्शन आगरा, 1985
5. सुधीर, राजाराम देवरे- भारतीय सामाजिक व्यवस्था दिल्ली 2004
6. 4 अगस्त 1913 को न्यूयार्क से पत्र ।
7. डॉ. बाबासाहिब अम्बेडकर, राइटिंग एण्ड स्पीचेज ।
8. एल.जी.मेश्राम - डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के आलेख एवं अभिभाषण, खण्ड-प्रथम, पृ. 17 नई दिल्ली ।

नक्सलवाद उन्मूलन हेतु राजनीतिक एवं सामाजिक प्रयास

डॉ. मीनाक्षी पंवार *

प्रस्तावना - नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है, जो भारतीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से हुई, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारु मजूमदार और कानून सांख्यिक ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आन्दोलन की शुरुआत की। नक्सलवाड़ी गाँव के नाम से इस आन्दोलन का नाम नक्सलवाद पड़ा। नक्सलवाड़ी संगठन को चीन से सभी प्रकार की सहायता मिलने लगी। धीरे-धीरे इस संगठन का विस्तार बिहार, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडू और त्रिपुरा तक हो गया। नक्सलवादी संगठन अधिक उग्र और हिंसात्मक तरीकों में अधिक विश्वास रखता है। शोषित, पीड़ित, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, वन-मजदूर तथा अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले मेहनतकश लोगों ने जमींदार, साहूकार, उद्योगपति, कारखानों के मालिक, राजनेता और सरकारी कर्मचारियों के अन्याय, अत्याचार से मुक्ति दिलाने हेतु नक्सलवादी हिंसात्मक कर्वाइयों का सहारा लेते हैं। आम आदमी को न्याय मिल सके और उनकी समस्याओं की सुनवाई हो सके, इसके लिए शासन व्यवस्था का पर्याय उपलब्ध कराने का काम भी कुछ जगहों पर इस संगठन द्वारा किया गया है। बिहार और उड़ीसा में नक्सलवाद का संघर्ष जमींदारों के विरुद्ध है, तो आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडू में जमींदार-साहूकारों के साथ ठेकेदार और सरकारी कर्मचारियों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र और आन्ध्रप्रदेश की सीमाओं पर तथा झारखण्ड व छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलवादी गतिविधियाँ जोरों पर हैं।

अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत शोध पत्र में विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। इसके अनेक दृष्टिकोणों को छूने के लिए मूलग्रन्थों के साथ-साथ समाचार पत्र, पत्रिकाएँ तथा इन्टरनेट के माध्यम से शोध पत्र पूर्ण करने में सहायता प्राप्त हुई है।

नक्सलवाद उन्मूलन हेतु प्रयास - नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए सर्वप्रथम सरकार ने 1 जुलाई से 15 अगस्त, 1981 तक सेना की सहायता से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 'ऑपरेशन स्टीपल चेज' के नाम से अभियान चलाया। इस रणनीति में एक इलाके में ज्यादा से ज्यादा मजबूत घेराबंदी कर ली जाती थी और उनके आने-जाने के सारे रास्ते बंद कर धीरे-धीरे सेना आगे बढ़ती जाती थी, जिससे नक्सलवाद में काफी कमी आई। इस अभियान में नक्सलवाद के प्रमुख चारु मजूमदार को 16 जुलाई, 1972 को कोलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। परिणामतः नक्सलवाद में कमी आई और नक्सलवादी आन्दोलन के एक अध्याय का अन्त हुआ।

1980 के दशक में आन्ध्रप्रदेश में कोडापल्ली सीतामैया के नेतृत्व में पीपुल्स वार ग्रुप (P.W.G.) के गठन के साथ नक्सलवाद में पुनः जान आई।

- पी.डब्ल्यू.जी. के कार्यक्रम में निम्न बातें सम्मिलित थी -
- खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाना।
 - कर एवं जुर्माना लगाना।
 - भूमि का पुनर्वितरण।
 - सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना।
 - जन अदालतों का संचालन करना।
 - सरकारी कर्मचारियों का अपहरण करना।
 - पुलिसकर्मियों पर हमला करना।
 - सामाजिक संहिता लागू करना।

इस नक्सलवाद के दूसरे अध्याय को समाप्त करने के लिए 1992 में आन्ध्रप्रदेश सरकार ने पी.डब्ल्यू.जी. और इसके छह संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया तथा पुलिस ने केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से नक्सलवाद के विरुद्ध कार्यवाही की। इस प्रकार नक्सलवाद के द्वितीय अध्याय का भी समाप्त हुआ। नक्सलवाद के तृतीय अध्याय का प्रारंभ 2001 में पी.डब्ल्यू.जी. की नौवीं बैठक के साथ शुरू हुआ। 2005 में 1564 हिंसक घटनाएँ हुईं, जिसमें लगभग 700 लोग मारे गए। छत्तीसगढ़ में सन् 2010 में हुए नक्सली हमले में 74 जवान शहीद हुए थे। 2013 में हुए हमले में कई बड़े नेता मारे गए थे। अप्रैल, 2015 में सुकमा में नक्सलवादी हमला हुआ था। 2013 के बाद नक्सली मूवमेंट में कुछ हद तक कमी जरूर आयी थी, किन्तु 24 अप्रैल, 2017 को छत्तीसगढ़ में सुकमा जिले में एक नक्सली हमले में सी.आर.पी.एफ. के 24 जवान शहीद हो गए। सरकारी सख्ती से नक्सली लड़ाके सुस्त जरूर हुए हैं, लेकिन इस समस्या का पूरी तरह उन्मूलन नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हिंसा का ज्यादा जोर बस्तर इलाके में है। राजनादगांव, सुकमा, जशपुर और सरगुजा जिलों में भी नक्सलवादी सक्रिय है। इन क्षेत्रों में नक्सलवाद पी.डब्ल्यू.जी., एम.सी.सी., सी.पी.आई., एम.आई.सी., एम.एस. आदि विभिन्न नक्सलवादी संगठनों के माध्यम से सक्रिय है। नक्सलवाद आज एक विकट रूप से हमारे सामने उपस्थित है। नक्सलवाद के सम्बन्ध में अनेक भूले हैं जैसे -

- जब नक्सलवादी संगठित हो रहे थे, तब उन्हें रोकने के लिए सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं थे।
 - नक्सलवादी विद्रोह को वर्ग-संघर्ष मानकर छोड़ देना।
 - जांच संबंधी सभी रिपोर्ट को ठण्डे बस्ते में डाल देना।
 - नक्सलियों की गुटबाजी से बावजूद उन्हें समाप्त नहीं कर पाना।
 - वार्ताओं का असफल होना।
 - पुलिस को सक्षम बनाने के लिए रूपया तो आया, किन्तु खर्च ही नहीं कर पाना।
 - जवानों की हत्या पर हत्या होने से भी फर्क न पड़ना।
 - सेना का प्रयोग न करना।
- नक्सलवाद समस्याँ दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कई कारण

है, जो इस प्रकार है -

- जाति और वर्गगत असामनता।
- लचर प्रशासन।
- राज्य की सेना को माओवादियों की चाल का बहुत कम ज्ञान है।
- सी.आर.पी.एफ. ने खुफिया तन्त्र बनाने के लिए अधिक प्रयास नहीं किए गए।
- हमले के लिए समन्वय और तालमेल और बल की तैनाती में आवश्यकता के अनुरूप सुधार नहीं।
- सुरक्षा बलों के पास अत्याधुनिक उपकरणों का न होना।
- नक्सली सरकार को नीचा दिखाने के लिए पुलिसवालों को बेरहमी से मार रहे हैं।
- मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षण में कमी।
- अत्याधुनिक उपकरणों का न होना।

राजनीतिक एवं सामाजिक समाधान -

- हमारी राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएँ सबको विकास करने के समान अवसर प्रदान कर दे, तो यह समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- सामाजिक विषमता को कम करने के प्रयास।
- शोषण पर अंकुश।
- जनहित हेतु शासकीय योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- राजनीतिक इच्छाशक्ति को बढ़ावा।
- अपराधियों के प्रति कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए तथा न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता।
- रोजगारोन्मुखी शिक्षा।
- पुनः कुटीर उद्योगों की स्थापना।
- नैतिक उत्तरदायित्व।
- स्थानीय लोगों को पुलिस संरक्षण।
- आवागमन के साधनों का विकास।
- देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना।
- पड़ोसी देशों के उग्रवादियों को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार को राजनीतिक एवं कुटीर उपायों को अपनाना होगा।
- भ्रष्टाचार पर अंकुश।
- राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा से नक्सलियों को जोड़ना।
- नक्सलियों को बाहर से प्राप्त होने वाले प्रत्येक सहयोग को रोकना।
- नक्सलियों को सहायता देने वाले औद्योगिक घरानों पर कानूनी कार्यवाही।
- ट्राइबल सब प्लान का रूपया जो दूसरे मर्दों में खर्च हो रहा है, पर प्रतिबंध।
- जनप्रतिनिधियों द्वारा आदिवासियों की समस्याओं को विधानसभा व संसद तक ईमानदारी से पहुंचाना।
- प्राकृतिक संसाधनों को पूंजीपतियों को न सौंपना।
- नक्सल प्रभावित हर जिले को केन्द्र और राज्य सरकार जितना रूपया देती है, वह उसी पर पूरी तरह खर्च किया जाए।
- केन्द्र व नक्सलवाद प्रभावित राज्यों को ठोस पहल करनी होगी।
- सुरक्षा बलों का अत्याधुनिक साजो-सामान से सुसज्जित होना।
- नक्सलियों के साथ बैठकर समस्याएँ का शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास।
- नक्सलियों में व्याप्त कुंठाओं को दूर करके उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना।

- स्थानीय युवाओं को भर्ती कर अधिक बटालियन बनाई जाए।
- क्षेत्रीय सुखिया तंत्र तैयार किया जाए।
- गैर-राजनीतिक राष्ट्रीय रणनीति बनाई जाए।
- प्रशिक्षण के लिए सेना के अधिकारियों और सेवानिवृत्त अधिकारियों का सक्रिय सहयोग लिया जाए।
- नक्सली नेताओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतंत्र में जगह बनाकर अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए।
- नक्सलवाद की जड़े उन क्षेत्रों में अधिक गहरी हैं जहां विकास या तो पहुंच नहीं सका अथवा उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे क्षेत्रों में तेज विकास के जरिए ही नक्सलवाद की कमर तोड़ी जा सकती है।
- राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता चाहे तो ऐसे क्षेत्रों में नक्सल समर्थकों को समझा-बुझाकर उन्हें राष्ट्रीयता से जोड़ने के ठोस प्रयास करने होंगे।
- सुरक्षा बलों को शक्तिशाली बनाया जाय।
- सी.आर.पी.एफ. जवान नक्सल प्रभावित इलाकों के भौगोलिक हालात और सामाजिक परिवेश से अनजान होते हैं, इसलिए उनके साथ पुलिस की सक्षम टुकड़ी का होना आवश्यक है।
- नक्सलियों से निपटने में सक्षम कमांडो दस्तों का गठन किया जाए।
- नक्सलवाद से निपटने के लिए सुरक्षा के मोर्चे को दुरुस्त करने के साथ ही राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर भी जो प्रयास अपेक्षित हो उनसे भी पीछे नहीं हटा जाना चाहिए।
- नक्सलवाद से निपटने की दीर्घकालिन राजनीति पर आगे बढ़ना होगा। लम्बे समय से जारी इस लड़ाई में विजय पाने के लिए सरकार को सभी संभव तरीकों का उपयोग करना चाहिए।

निष्कर्ष - निष्कर्ष में यह कहना होगा कि विविध उपाय करके सरकार देश से नक्सलवाद की समस्या समाप्त कर सकती है। वर्तमान समय में इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर योजनाएँ तैयार की गई हैं। इस योजना में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है और राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भूमि सुधार तेजी से लागू करें। नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, ताकि समस्या आने पर नक्सलवाद समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा सके।

इसके निदान के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकारें अपने-अपने स्तर पूर्ण समन्वय के साथ विविध तरीकों का प्रयोग करते हुए प्रयास कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हरीश कुमार खत्री - मध्यप्रदेश का शासन एवं राजनीति, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल, 2012
2. डॉ. रश्मि श्रीवास्तव - मध्यप्रदेश शासन एवं राजनीति कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2010
3. संजय गुप्त - दैनिक जागरण समूह के सीईओ (प्रधान संवादक) - नई दुनिया 1 मई, 2017
4. नक्सलवाद - विकिपीडिया।
5. लुईस एवं प्रकाश- जनशक्ति - मध्यप्रदेश व बिहार में नक्सलवादी आन्दोलन।
6. प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2013, पृ. 514, 516
7. संपादकीय नई दुनिया स.प. 25 अप्रैल, 2017
8. इन्टरनेट।

महिला मानवाधिकार और राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका

डॉ. रितु बत्रा *

प्रस्तावना - मानवाधिकारों को सामान्यतः ऐसे अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनका उपभोग करने और जिनकी रक्षा की अपेक्षा रखने का हक प्रत्येक मनुष्य को है। ये सामाजिक जीवन की वे अनिवार्य आवश्यकताएँ हैं, जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति न तो जीवन का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए कोई उपयोगी कार्य कर सकता है। ये मसला मनुष्य की चेतना से सम्बद्ध है, मनुष्य की चेतना को उसके मौलिक और समग्र रूप से जगाकर न केवल वैयक्तिक स्तर पर उसकी स्वतंत्रता कायम रखी जा सकती है, बल्कि भिन्न प्रवृत्तियों के बीच सामन्जस्य भी स्थापित किया जा सकता है।

ए.ए.सईद के अनुसार- 'मानव अधिकारों का सम्बन्ध व्यक्ति की गरिमा से है। एक आत्मसम्मान का भाव जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है तथा मानव समाज को आगे बढ़ाता है।'

महिलाओं के मानवाधिकारों को आज विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, इसी के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं तथा पुरुषों के समान अधिकारों की वकालत की है। सं. रा.सं. मानवाधिकारों की घोषणा से पूर्व 1946 में महिला परिस्थिति के अध्ययन के लिए गठित समिति की घोषणा महत्वपूर्ण रही जिसको 'कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वूमेन' का नाम दिया गया। 1967 में सं. रा. स. महासभा द्वारा महिलाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया, इसी शृंखला में यह प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, पुरुष के साथ आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में सभी समान अधिकार प्रदत्त किए जाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा।

इसके अलावा विश्व स्तर पर बहुत से ऐसे नियम, कानून तथा आचार संहिताएँ हैं जो महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण से सम्बन्धित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने सदैव मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था को अपनाया। भारतीय संविधान के अध्याय उसे मानवाधिकारों को संरक्षित किया गया है तथा समय-समय पर संशोधन कर उन अधिकारों को परिमार्जित करने की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी किया गया है।

उद्देश्य -

मानवाधिकारों की भूमिका उजागर करना - मानवाधिकारों की धारणा अपने आय में कई नहीं है। हालांकि इसका नाम नया है। इतिहास में बहुत पहले कुछ यूनानी राज्यों द्वारा मानवाधिकारों को मान्यता दी गई थी, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (इन्सोमोरिया), कानून के समक्ष समानता

(इन्सोनोमिया) और सभी का बराबर सम्मान (इसोटिमिया), जैसी आधुनिक अवधारणाओं से परिचित थे। 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध में एक ओर विश्व के कुछ बड़े हिस्सों में औपनिवेशिक शासन अपनी पराकाष्ठा पर था, बहुत से देशों में सर्वसत्तावादी सरकारों का उदय हुआ तथा कुछ प्रदेशों में बर्बर और आक्रामक फासीवादी शासन व्यवस्थाओं की स्थापना हुई तो दूसरी ओर उपनिवेशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा अनेक देशों में लोकतंत्र एवं सामाजिक प्रगति की हलचल हुई। इसी दौर में मानव को इतिहास के दो सबसे विनाशकारी विश्व युद्धों का सामना करना पड़ा। पहले और दूसरे विश्वयुद्धों के मध्य जो अन्तराल रहा, उसे महज 'शान्ति का अन्तराल' ही कहा जा सकता है। दोनों महायुद्धों की समाप्ति के अंतिम वर्षों में जबकि फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, उसी समयावधि के दौरान मानवाधिकारों की अवधारणा और अभिव्यक्ति उनके वर्तमान अर्थ में की जाने लगी।

भारत में महिला मानवाधिकार - भारत में संविधान निर्माता महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों तथा असमानता की स्थिति से भलीभांति परिचित थे। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा स्त्रियाँ तथा पुरुषों की बराबरी का प्रावधान किया गया, अर्थात् भारतीय संविधान में लिंग भेद को अपराध माना गया। इतना कुछ होते हुए भी स्त्रियाँ पर होने वाले अपराध ये दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं कुछ कमी अवश्य रही गई है, जिसके कारण ये समाज आज तक पुरुष प्रधान समाज ही बनकर रह गया है तथा स्त्री जाति को प्रताड़ित करने में कोई कमी नहीं छोड़ता।

महिलाओं की स्थितियों में सुधार लाने के लिए वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'महिला वर्ष' के रूप में मनाया गया। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक अत्याचारों से सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय महिला आयोग' का गठन किया गया। इस आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अन्तर्गत जनवरी 1992 में संवैधानिक निकाय के रूप में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी:-

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी संरक्षण की समीक्षा करना।
- सुधारात्मक वैधानिक उपायों की अनुशंसा
- शिकायतों के सुधार की सुविधा प्रदान करना
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत तथ्यों पर सरकार को सलाह देना।

सरकार के इन प्रयासों के बावजूद महिला मानवाधिकारों के हनन का अन्दाजा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत कार्यरत संगठन 'नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो' द्वारा प्रकाशित महिलाओं के प्रति अपराधों की निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है-

तालिका (देखे)

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2013 से 2016 के बीच महिला हनन के मामले घटने की बजाय उनमें बढ़ोतरी ही हुई है। इन आंकड़ों से ये उद्धारित हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के बावजूद भी सभी तरह के अत्याचारों में वृद्धि हुई है। इस का मतलब ये हुआ कि महिला अत्याचार विरोधी कानूनों का किसी में खौफ नहीं है, या जो कहे कि कानून का ईमानदारी से पालन नहीं हो रहा है। जिन्हें किसी भी सूरत में सही नहीं कही जा सकता। राष्ट्रीय महिला आयोग के सम्मुख आने वाली कुछ प्रमुख शिकायतों का ब्यौरा इस प्रकार दिया जा सकता है-

तीन तलाक का मसला - तीन तलाक को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है, राजस्थान के जोधपुर में एक पति अतीक के जुए खेलने की आदत से परेशान होकर उसकी पत्नी अंजुमन पीहर चली गई, इसके बाद अतीक ने अंजुमन को फोन पर ही तलाक दे दिया। अंजुमन द्वारा महिला आयोग में गुहार लगाई गई फिर जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पति-पत्नि की काउंसलिंग की गई और दोनों के बीच राजीनामा कराया गया तथा इस तरह से एक परिवार बिखरने से बच गया।

खाकी वर्दी तार-तार - लखीमपुर (उ.प्र.) में पुलिस चौकी में मौजूद खाकी वर्दी वाले दरिन्दों ने एक 14 वर्षीय बालिका को अगवा करके, उसकी अस्मत् लूटकर दूसरे दिन पेड़ पर रस्सी से लटका दिया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से उसकी मौत दर्शा दी। लड़की की माँ की निरन्तर गुहार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मीडिया के भारी दबाव के चलते मामले पर संज्ञान लिया गया तथा दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया और चौकी में 11 खाकी वर्दीधारी दरिन्दों को तत्काल सस्पेंड किया गया।

निष्कर्ष - स्वतंत्रता के 70 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी भारत वर्ष में महिलाओं के मानवाधिकारों का समुचित संरक्षण, संवर्द्धन नहीं हो रहा है तथा समाज में महिलाओं के प्रति उचित संवेदना अभी तक जाग्रत नहीं हुई है। समस्त कानूनों, सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं और साक्ष्य अधिनियम में किए गए बदलाव के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है तथा आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार तथा रूतबा नहीं मिल रहा है। इसका समुचित हल निकालने के लिए महिला अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव पैदा करना जरूरी है।

आज की महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों का मुकाबला कर सकती है, यहां तक कि वह अंतरिक्ष में भी हो कर आ गई है तथा भारत में इस गौरवपूर्ण

इतिहास को रचने वाली सुश्री कल्पना चावला है, जिसने इस स्वपन को हकीकत में बदल दिया। आज विज्ञान के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है कि परीक्षणों द्वारा कुछ भी पता लगाया जा सकता है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है, जिसके कारण बेटियों को प्रति लोगों की चाहत नहीं रही तथा कन्या भ्रूण की हत्याएँ लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा है। दहेज प्रथा घटने की बजाय बढ़ती जा रही है, जिससे लड़कियों के माता-पिता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ आ जाते हैं, लड़कों की कीमत लगाई जाती है, जो जितना पढ़ा लिखा होता है, उसके माता-पिता द्वारा उतनी ही मोटी करम वधू के पिता से ही वसूली जाती है।

दहेज के कारण कितनी ही नववधुएँ जला दी जाती है अथवा वे स्वयं ही आत्महत्या कर लेती है। आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन का अत्यन्त घृणित रूप है, ये मनोवैज्ञानिक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है। स्त्रियाँ द्वारा आत्महत्या किए जाने के अन्य कारणों में चरित्र रखलन चरित्र पर संदेह तथा अहम् का टकराव आदि है।

सुझाव - महिला मानवाधिकारों के हनन से निपटने के लिए इस समय हमारे समक्ष एक उपाय सामने आता है कि महिलाओं को जागरूक बनाया जाए, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगी तो इस संघर्ष को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकेगी। विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना तथा वर्गों में विभाजित समाज में मौलिक परिवर्तन लाना परम आवश्यक है। महिला वर्ग के उत्थान के लिए समय-समय पर जागरूकता शिविर कार्यशालाएँ, सेमीनार आदि आयोजित किए जाने चाहिए जिससे 'सशक्त महिला-सशक्त समाज' के उद्देश्य को साकार किया जा सके। यदि राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की सशक्त उल्लेखित भागीदारी के स्वप्न को साकार करना है तो महिला शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महती आवश्यकता है, जिसके लिए सरकार द्वारा शिक्षा के प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जकिया रफ़त-राधा कमल मुखर्जी: चिन्तन परम्परा ।
2. अमर उजाला ।
3. नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो ।
4. डॉ. सुधांशु अग्रवाल- महिला सशक्तिकरण के प्रति जन चेतना जाग्रत करने में समाचार पत्रों का योगदान ।
5. नवभारत टाइम्स ।

तालिका (नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो) (2013-2016)

अपराध शीर्षक Crime Head	वर्ष			
	2013	2014	2015	2016
Rape (Sec.376 IPC)	33707	36735	34651	38947
Kidnapping and Abduction (Sec. 363-373 IPC)	51881	57311	59277	64519
Dowry Death (Sec. 302/304 IPC)	8083	8455	7634	-
Molestation (sec. 354IPC)	70739	82235	82422	84746
Cruelty by husband or his Relatives	118866	1222877	113403	110378
Immoral Traffic (Prevention) Act 1956	2579	2070	2424	2617
Indecent Representation of women (prohibition) Act 1986	362	47	40	47
Dowry Prohibition Act 1961	10709	10050	9894	10050
Protection of women from domestic violence Act	-	426	461	426
Rate of Crime Against woman	56.3%	-	53.9%	56.8%

भारत छोड़ो आन्दोलन और उत्तराखण्ड

डॉ. पूनम भट्ट *

प्रस्तावना - सन् 1942 ई० की अनूठी जनक्रांति को व उसे जन्म देने वाली शक्तियों को समझने के लिए भारत के अन्दर सन् 1930 के बाद से होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम तथा विकास को समझना आवश्यक है।

सन् 1930 ई० की शुरुआत गांधीजी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ हुई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू होते ही किसानों ने उत्साह के साथ उसमें भाग लिया तथा आन्ध्र, गुजरात, संयुक्त प्रांत में उस आन्दोलन को लगान बन्दी या लगान में कमी कराने के आन्दोलन के रूप में लिया गया। पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ व 'टैक्स रोको' आन्दोलन चला। महाराष्ट्र, बिहार व अन्य प्रान्तों में 'जंगल सत्याग्रह' चलाया गया।¹ विश्वव्यापी अर्थिक मंदी के दुष्परिणाम तथा वामपंथी विचार धारा के भारत में सशक्त होने के कारण 1930-1940 के दशक में किसान आन्दोलन को नया आयाम प्रदान किया।

उत्तराखण्ड के गढ़वाल व कुमांऊ क्षेत्र में भी इस राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1930-1940 के दशक में टिहरी गढ़वाल रियासत तथा ब्रिटिश गढ़वाल व कुमांऊ में स्थानीय हकहकूकों के संघर्ष से लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की भावना से प्रेरित होकर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जनभावना का जबर्दस्त उभार हुआ। एक और उत्तराखण्ड में जन्में चन्द्रसिंह गढ़वाली 'पेशावर विद्रोह' के नायक के तौर पर उभरे वहीं मेरठ षडयंत्र केस में अल्मोड़ा (कुमांऊ) निवासी का०पी०सी० जोशी राष्ट्रीय चर्चा में आये।

यदि सिर्फ उत्तराखण्ड के इतिहास पर इस दशक में नजर डाली जाए तो यह दशक उत्पन्न महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 26 जनवरी सन् 1930 को उत्तराखण्ड में (टिहरी रियासत को छोड़कर) सभी स्थानों पर राष्ट्रीय झण्डा फहराकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया व प्रतिज्ञा पत्र पढ़े गए थे।

जनवरी 1930 ई० में स्वराज्य की कल्पना का प्रचार करने हेतु देशभक्त मोहन जोशी ने अल्मोड़ा शहर में 'स्वाधीन प्रजा' नामक राष्ट्रीय पत्र और 'पिण्डर की सैर' शीर्षक के माध्यम से ब्रिटिश सरकार तथा उसके कर्मचारियों के अत्याचारों पर कुठारघात किया। फलतः सरकार ने 'स्वाधीन प्रजा' पर छः हजार रुपये की जमानत लगा दी। जमानत न देने पर पत्र का प्रकाशन बन्द हो गया।²

12 मार्च 1930 ई० के डांडी मार्च में गांधी जी के 79 सत्याग्रही सैनिकों में तीन सत्याग्रही उत्तराखण्ड के निवासी थे। जिनमें ज्योतिराम काण्डपाल (28वें नम्बर के सत्याग्रही सैनिक), भैरव दत्त जोशी (27वें नम्बर के सत्याग्रही सैनिक), व गोरखा वीर खड़क बहादुर थे।

कुमांऊ में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व गोविन्द बल्लभ पंत जी ने किया था। उन्हीं के कारण नैनीताल नमक सत्याग्रह में कुमांऊ कमिश्नरी का केन्द्र

बना। नैनीताल में स्वयं सेवकों ने नमक बनाकर नमक कर का उल्लंघन किया था।

26 मई 1930 को अल्मोड़ा में झण्डा सत्याग्रह हुआ। जिसमें शान्तिलाल त्रिवेदी और मोहन जोशी पर गोरखा सैनिकों द्वारा प्रहार हुआ और अन्ततः नगर पालिका भवन (वर्तमान महिला अस्पताल) में तिरंगा फहराया गया।³

मई 1930 में गढ़वाल के दोगड़ा नामक स्थान पर एक राजनैतिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसे ब्रिटिश सरकार का प्रथम राजनैतिक सम्मेलन कहा जाता है। इसके पश्चात पौड़ी के कोट महादेव में राजनैतिक सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों में गढ़वाल में सत्याग्रह संचालित करने हेतु कार्यक्रमों को निश्चित किया गया। देहरादून में सत्याग्रह आन्दोलन का नेतृत्व नरदेव शास्त्री द्वारा किया गया। देहरादून के खाराखेत में नमक कर का विरोध किया गया। इस आन्दोलन में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया व तलाशियां ली गयीं। 'भारतीय प्रेस' तथा 'भास्कर प्रेस' से जमानत मांगी गयी।⁴

टिहरी रियासत के रंवाई क्षेत्र में यमुना नदी के बांये किनारे स्थित तिलाड़ी (पुरौला) के मैदान में 30 मई 1930 को इसी आन्दोलन के तहत एक वृहद जनसभा का आयोजन था। परन्तु रियासत के दीवार चक्रधर जुयाल के नेतृत्व में पुलिस द्वारा दमन नीति को अपनाते हुए निर्दोष जनता पर गोलियां चलाई गयी थी। यह एक भीषण नरसंहार था। इतिहास में यह नरसंहार 'रंवाई गोली काण्ड' के नाम से जाना जाता है। इस गोली काण्ड में करीब 70 लोग मारे गए थे व घायल और लापता लोगों की कोई सीमा न थी तथा 196 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

तिलाड़ी काण्ड के प्रमुख नेता दयाराम, रूद्रसिंह, लाखीराम, रामप्रसाद और जमनसिंह को राज्य प्रशासन की पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार किया गया था।⁵

कुमांऊ में भी अवज्ञा आन्दोलन अपने पूरे चरम पर था। सल्ट क्षेत्र में तो यह विद्रोह इतना तीव्र था कि इसे 'कुमांऊ की वारदोली' नाम दिया गया। गढ़वाल में 1930 के आस-पास स्वतंत्रता आन्दोलन जोरों पर था। लैंसडोन क्षेत्र में 'गढ़वाली' समाचार पत्र के सम्पादक श्री प्रताप सिंह नेगी, कूपाराम मिश्र मनहर, रूपचन्द्र वर्मा, गोपाल नारायण गौड़ संगठन बनाने में जुटे थे।

इन्हीं दिनों गढ़वाल में डोला-पालकी आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। गांधी जी के 'हरिजन' आन्दोलन का असर इस क्षेत्र पर भी पड़ा। गढ़वाल के प्रमुख नेताओं ने डांडा मण्डी, पौड़ी, श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, चमोली, देवप्रयाग आदि स्थानों का भ्रमण करके इस आन्दोलन के प्रति लोगों को जागृत

किया। इसके साथ ही स्वतंत्रता आन्दोलन को बढ़ाने में बासवानन्द मिश्र, भक्त दर्शन, श्री विद्यादत्त बहुखण्डी, श्री डब्लसिंह नेगी, ईश्वरी दत्त शर्मा, गोपाल नारायण, गोपाल सिंह आदि नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। डाण्डामंडी क्षेत्र में श्री आदित्यराम, श्री सोहन सिंह रावत, लाला प्रताप सिंह आदि सक्रिय थे।

सन् 1932 ई0 से 1934 के मध्य कुमांऊ कमिश्नरी में अछूतोद्धार कार्यक्रम अपनाया गया। 1932ई0 में बट्टीदत्त जोशी एडवोकेट की अध्यक्षता में 'कुमांऊ समाज सुधार' सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी साल दोगड्डा में भी दलितोद्धार सम्मेलन हुआ। इन सम्मेलनों के माध्यम से समाज में व्याप्त कठोर वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई और शूद्र की उन्नति अन्य वर्णों की भांति मानी गई व उसे सुधारने का प्रयास किया गया।⁶

सन् 1932 ई0 में देहरादून में करबंदी, विदेशी माल का बहिष्कार और शराब की भट्टियों पर धरना दिया गया। इस आन्दोलन का आरम्भ ऋषिकेश के कई साधु सन्तों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर के किया गया।

23 फरवरी सन् 1938 ई0 को देहरादून में टिहरी सामन्त शाही के खिलाफ राज्य प्रजामण्डल की स्थापना की गयी। श्रीदेव सुमन इसके सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने टिहरी सामन्तशाही के खिलाफ जनचेतना का प्रसार किया। सन् 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में एक वृहद राजनैतिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जवाहर लाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पण्डित ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में दोनों गढ़वालों (ब्रिटिश गढ़वाल व टिहरी गढ़वाल) की अखण्डता के विषय में व गढ़वाल की यातायात की सुविधा के लिए मोटर मार्गों का निर्माण कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसी वर्ष गढ़वाल में 'जागृत गढ़वाल संघ' की स्थापना भी की गयी। जिसमें पांच आना बढी लगान के विरुद्ध तथा मोटर मार्ग निर्माण हेतु सफल आन्दोलन प्रारम्भ किया गया।

सन् 1939 में आनन्दशरण रतूड़ी (सिराई टिहरी गढ़वाल के प्रमुख स्वतंत्रता सैनानी) ने मसूरी में गढ़वाल में डोला-पालकी की समान्या उठ जाने के कारण गांधीजी ने वहां व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। कार्यकर्ताओं ने डोला-पालकी की समस्या को दूर करने के लिए 23 फरवरी 1941ई. में डोला-पालकी सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दृढ़ संकल्प के साथ डोला-पालकी की सफलता से प्रसन्न होकर गांधीजी

ने सत्याग्रह पर लगा प्रतिबंध हटा दिया।

सन् 1942 ई0 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भी गढ़वाल पीछे नहीं रहा। आनन्द शरण रतूड़ी को 1942ई0 के आन्दोलन के तहत आगरा जेल भेजा गया। गढ़वाल के भारत छोड़ो आन्दोलन में इन्द्रदत्त, कालीराम, कृष्णानन्द, दिनेश चन्द्र सकलानी, मोहन सिंह नेगी, परिपूर्णानन्द पैन्थली, पातीराम, पूरणसिंह, फरसूराम, धर्मानन्द, नागेन्द्र सकलानी आदि प्रमुख नेता थे। बड़कोट के कुंवर सिंह व अन्य कई नेताओं ने भी भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया था।⁷

सन् 1942ई0 की ऐतिहासिक जनक्रांति, स्वाधीनता संग्राम की एक रोमांचकारी घटना है। जहां सम्पूर्ण भारत में 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' की आवाज पूरे देश के कोने-कोने में गूंज उठी। वहीं गढ़वाल का प्रतिनिधित्व करने कांग्रेस महा समिति की बैठक में टिहरी गढ़वाल से भी श्रीदेव सुमन जी ने भी भाग लिया था। इस ऐतिहासिक अगस्त आन्दोलन में सभी भारतवासी अपनी-अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कूद पड़े थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पट्टभि सीता रमथ्या - हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस भाग-4 अध्याय-एक पृ0सं0-702 दिल्ली।
2. पाठक शेखर - मोहन जोशी, एक अध्ययन संस्करण 1978 उत्तराखण्ड भारती प्रकाशन पृ0सं0-9
3. पाठक शेखर - पूर्वोक्त पृ0सं0-6-7
4. नरदेवशास्त्री - देहरादून और गढ़वाल के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास संस्करण 1931 देहरादून पृ0सं0-85
5. द इण्डियन स्टेट रिफार्मर 1 जनवरी 1931, कर्मभूमि सप्ताहिक 26 जनवरी 1956 कोटद्वार, गढ़वाली पाक्षिक पत्रिका देहरादून 28 जून 1930
6. डॉ. सुनील कुमार - जन प्रतिरोधों की परम्पराएं (एक परिदृश्य) गढ़वाल और गढ़वाल सन् 1999 पृ0सं0-47
7. डबराल शिव प्रसाद - उत्तराखण्ड का इतिहास भाग-6 (टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास) संवत् 1872- सन् 2006 वीर गाथा प्रकाशन दोगड्डा पृ0सं0-335-46

बलात्कार एक सामाजिक अध्ययन

डॉ. भावना ठाकुर *

प्रस्तावना - बलात्कार को भारत में अपराध की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह किसी महिला के साथ किया गया ऐसा अपराध है, जो उसे शारीरिक क्षति के साथ-साथ मानसिक आघात भी देता है। यह एक तरह से किसी महिला का महिला होने की सजा देने जैसा है। भारत के संविधान में महिला व पुरुष को बराबरी का दर्जा व अधिकार प्राप्त है फिर इस तरह का कृत्य दण्डनीय अपराध ही है। जिसमें एक या अधिक पुरुष द्वारा अन्य महिला नागरिक सदस्य की मान मायदा तथा आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाई जाती है।

बलात्कार का अपराधी माना जाएगा जो कि किसी महिला से निम्न में से किसी एक के तहत शारीरिक संबंध बनाता है-

1. उसकी इच्छा के विरुद्ध।
2. उसकी सहमती के विरुद्ध।
3. उसकी सहमती से, जब सहमति उसे मारने या नुकसान पहुंचाने के डर से दी गई हो।
4. उसकी सहमती से जब पुरुष को पता हो कि वह उसका पति न हो परन्तु महिला को उसका पति होने का भरोसा हो।
5. उसकी सहमति या असहमति से जबकि वह 16 वर्ष से कम उम्र की हो।

उक्त अपराध भारतीय दण्ड विधान की धारा 375 एवं 376 के तहत पंजीबद्ध किया गया है। जिसके अंतर्गत 7 वर्ष, 10 वर्ष या उम्र कैद तथा कुछ मामलों में मृत्युदण्ड तक की सजा दी जा सकती है। यह दण्ड सम्पूर्ण भारत के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही तरह से लागू है। सजा की अवधि तथा कठोरता बलात्कार को धारा 376 के साथ लगी अन्य धाराओं के अनुसार तय होती है। जैसे कि अपराध, धमकी, मारपीट, डर, प्रलोभन इत्यादि। इसके लिए 506, 363, 366, 344, 342, 376 धाराएं लगाई जाती हैं तथा यह धाराएं, अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए लगाई जाती हैं।

अपराधी को सजा देने वक्त अपराधी का पुराना रिकार्ड, उसका चाल चलन तथा मानसिक स्थिति का ध्यान रखा जात है। यदि आरोपी आदतन अपराधी पाया जाता है, तो यह विशेष रूप से उल्लेखित होता है। साथ ही पीड़िता की आयु मानसिक स्थिति, जाति (विशेषतः यदि वह किसी जन जातिय या विशेष आरक्षित वर्ग से संबंधित हो) को भी मुख्यतः ध्यान रखा जाता है तथा इन मामलों में सजा की तीव्रता बढ़ जाती है, चाहे आरोपी भी संबंधित वर्ग या जाति का क्यों न हो।

बैतूल जिले की बात करें तो 10,54,359 किलो मीटर क्षेत्र में फैला हुआ बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जिसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण (11,36,056) है। 1328 गांवों सहित 10 विकासखण्ड है तथा साक्षरता दर 66.67 प्रतिशत है।

उद्देश्य - बैतूल क्षेत्र में बलात्कार के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इसी को

आधार बनाते हुए प्रस्तुत शोधपत्र तैयार किया गया है। जिसके उद्देश्य इस प्रकार है-

1. विगत 5 वर्षों में हुए कुल बलात्कार प्रकरणों का अध्ययन।
2. बालिग व नाबालिग पीड़ितों की कुल संख्या की जानकारी।
3. कुल सजायापता व बरी हुए आरोपियों की संख्या ज्ञात करना।
4. सामान्य तथा आरक्षित वर्ग की पीड़ित महिलाओं की संख्या ज्ञात करना।
6. अपराध संख्या में घटत या बढ़त की जानकारी प्राप्त करना।

उपकल्पना -

शोध करने से पूर्व की गई उपकल्पनाएं निम्नानुसार हैं-

1. बलात्कार प्रकरण साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं।
2. विशेष वर्ग तथा आयु समूह की पीड़ित महिलाओं की संख्या अधिक है।
3. अधिकतर आरोपी सजा प्राप्त करते हैं।
4. सजा के कड़े प्रावधान इस अपराध में कमी करने में सहायक है।

विधि - प्रस्तुत अध्ययन करने हेतु पूर्णतः वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया गया है। यह अध्ययन व्यवहारिक शोध के अंतर्गत किया गया है। इसमें तथ्य संकलन हेतु द्वितीयक तथ्य संग्रहण स्रोतों का उपयोग किया है, जो कि पुलिस जिला मुख्यालय बैतूल में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार है। चूंकि तथ्य विभागीय दस्तावेजों से प्राप्त है। अतः कुल अपराध दर्ज संख्या के अनुसार सत्यता परक है। उक्त सभी सूचनाएं जिला मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं से एकत्रित किए गए हैं। इसमें-

1. विगत पांच वर्षों की कुल अपराध संख्या
2. आरोपी को मिली सजा या अपराध मुक्त व्यक्तियों की संख्या
3. बालिग नाबालिग, पिछड़ा अन्य तथा सामान्य वर्ग की कुल पीड़ित महिलाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को सारणीयन तथा ग्राफ प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अध्ययन के अपेक्षित परिणाम -

1. यह अध्ययन बैतूल जिले में विगत 5 वर्षों में कुल बलात्कार संख्या को जानने में मदद करेगा।
2. इस अपराध के लगातार बढ़ने या कम होने की जानकारी मिल पाएगी।
3. महिलाओं की आयु, सामाजिक समूह आदि का ज्ञान हो पाएगा।
4. अपराध दर्ज होने के उपरांत दोषियों की संख्या अपराध मुक्त व्यक्तियों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।
5. यह अध्ययन अन्य शोधार्थियों के अध्ययन हेतु अधिकाधिक

सांख्यिकीय जानकारी (2009 से 2013 तक उपलब्ध करवा पाएगा)
प्रतिवेदन - प्रस्तुत अध्ययन में विगत पांच वर्षों के (2009 से अब तक) बलात्कार अपराधों की कुल वार्षिक दर्ज संख्या की गई है। जिसके अनुसार अब तक कुल 605 घटनाएं दर्ज की गई हैं। जिनमें 110 अनुसूचित जाति, 344 अनुसूचित जनजाति, 146 अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार हुए हैं। जिनमें 243 नाबालिक (18 वर्ष से कम) एवं 362 बालिग महिलाएं हैं। जिनकी वर्षवार संख्या इस प्रकार है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Aldow, Allison, Jules-A Legal case study In Sentencing-Macmillan Education Australia-1993.
2. Allison, Julie-Rape, the Misunderstood Crime-SAGE-1993.
3. Andrew. Taslitz-Rape and the culture of the court-NYU press-1999.
4. Astralian Institute of Criminology-rape: Social, criminological and legal aspects-1976.
5. Bourke, Joanna-Rape: Sex, Violence, History-Shoemaker & Hoard-2007.

Journals -

1. Bakshi, Pratiksha-Justice is a secret compromise in rape trial-Jawaher Lal University New Delhi-2nd Feb 2011.
2. Desai, Druve-Sexual Harassment & rape law in India-Symbiosis Society'S law college - Sep.1995.
3. Fitzgerald, Nora- Drug facilitatd Rape-National Institute for justice-April 2000.
4. Kate-Child Sexual abuse and the "Grooming" processs-Pandora's Project-2009.
5. Krieg, Sarah H-Culture, Violence and Rape Adjudication-Internet Journal of criminology-2007

कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार

नेहा चौहान *

प्रस्तावना - भारतीय इतिहास में कौटिल्य का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सिकन्दर के आक्रमण से देश का राजनैतिक ढाँचा डगमगा गया। संपूर्ण भारत असंगठित और नेतृत्वहीन हो गया। कौटिल्य के प्रयत्न से उसमें नवचेतना का संचार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से देश को सुसंगठित कर शासन की नींव एक सुदृढ़ आधार पर रखने का संकल्प लेकर कौटिल्य आगे आए। तत्पश्चात् राजतंत्र पर अंकुश लगाने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने, लाखों देशवासियों के सामाजिक अधिकार निश्चित करने, राष्ट्र की रक्षा का स्थायी प्रबंध करने तथा राज्य के सामान्य प्रशासन में राजा के दैनिक हस्तक्षेप को हटाने के लिए उन्होंने अपने महान ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' का प्रणयन किया।

विष्णुगुप्त कौटिल्य का परिचय - विष्णुगुप्त कौटिल्य, तक्षशिला के विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के आचार्य थे। कौटिल्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण के पुत्र थे। जैन ग्रंथ 'आवश्यक सूत्र' के अनुसार विष्णुगुप्त 'चाणक' नामक ग्राम में पैदा हुए इसलिए उन्हें 'चाणक्य' कहा जाता है। तक्षशिला में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कालान्तर में वे त्रिवेदज्ञ, शास्त्र पारंगत, मंत्रविद्या विशेषज्ञ, नीति-निपुण, राजनीतिज्ञ, प्रगाढ़ कूटनीतिज्ञ, विविध विधाओं के महापण्डित और दर्शनिक बन गए, किन्तु वे क्रोधी, कुरूप और उग्र स्वभाव के थे। धनार्जन हेतु चाणक्य पाटिलपुत्र पहुँचे जहाँ धनानन्द नामक राजा था। उसके चाणक्य को एक दानशाला का प्रबंधक नियुक्त किया किन्तु कटु स्वभाव और कुरूप होने के कारण उन्हें वहाँ से निकाल दिया। चाणक्य ने इस अपना अपमान समझा और धनानन्द के नंदवंश के विनाश हेतु शिखा खोलकर प्रतिज्ञा की। इसी बीच चाणक्य और चंद्रगुप्त की भेंट हुई और उन्होंने मगध में क्रांति कर धनानन्द के वंश का नाश कर दिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक किया और मगध का सम्राट बना दिया। पुरस्कार स्वरूप चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री और प्रमुख परामर्शदाता नियुक्त किया। इसके पश्चात् कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु महान ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' का प्रणयन किया।

कौटिल्य का अर्थशास्त्र - आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा रचित ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' राजनीतिशास्त्र का एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें राजनीति के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। संस्कृत वाङ्मय में लिखा गया यह ग्रंथ युगों-युगों से अपने सिद्धांतों की मौलिकता एवं उपयोगिता के कारण संपूर्ण विश्व में जाना जाता है। इसके अंतर्गत राज्य के विभिन्न अंग, राजा के गुण तथा उसके कर्तव्य, मंत्री परिषद्, पदाधिकारी, शासकीय एवं प्रशासकीय विभाग, न्याय व्यवस्था, ढण्ड विधान, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, युद्ध, सेना, दुर्ग आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।

कौटिल्य के अनुसार, अर्थशास्त्र का क्षेत्र पृथ्वी को प्राप्त करने के उपायों का विचार करना है।

“मनुष्यों की वृत्ति” को ‘अर्थ’ कहते हैं। मनुष्यों से संयुक्त भूमि ही अर्थ है। उसकी प्राप्ति तथा पालन के उपायों का विवेचना करने वाले शास्त्रों को अर्थशास्त्र कहते हैं।” - **कौटिल्य**

इस ग्रंथ एवं उसके लेखक कौटिल्य की महानता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसकी तुलना अरस्तु के 'पॉलिटिक्स' एवं मैकियावली के 'प्रिंस' नामक ग्रंथों से की जाती है। कौटिल्य को 'भारत का मैकियावली' भी कहा जाता है।

अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त है एवं इनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जो इस प्रकार है -

राजस्व संबंधी विविध विषय, नागरिक प्रशासन, दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख, सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्य एवं दायित्व, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय, शत्रुदेश में लोकप्रियता के उपाय, युद्ध तथा संधि के अवसर आदि विविध विषयों का उल्लेख।

आक्रामक विदेश नीति की झलक दिखाती 'मण्डल व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ही देखने को मिलता है। **कौटिल्य के राज्य संबंधी विचार** - आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने विभिन्न सिद्धांतों, आदर्शों एवं ग्रंथों का संकलन किया एवं अपने सिद्धांतों एवं विचारों को उनमें सम्मिलित कर एक ऐसे ग्रंथ का प्रणयन किया जो एक सफल साम्राज्य हेतु अति उपयोगी सिद्ध हुआ। साथ ही आज के इस तकनीकी एवं वैज्ञानिक युग में भी यह शासकों एवं साम्राज्य निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभा रहा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में राजा एवं राजतंत्र, गणतंत्र, निरंकुश शासन, देश द्रोह, राजद्रोह, युद्ध, शांति, संधि, मंत्री एवं मंत्री परिषद्, पुरोहित, प्रशासनिक अधिकारियों, गुप्तचरों, युवराजों, निरीक्षकों आदि के अधिकारों व कर्तव्यों के साथ साथ राजा के अधिकारों एवं कर्तव्यों, कल्याणकारी कार्यों, राजत्व के उच्च आदर्शों, प्रशासन, विभिन्न विभागों एवं उनके अधिकारियों के विषयों, राजकीय अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था, राजस्व प्रणाली, गुप्तचर, प्रथाख ढण्ड विधान, कूटनीति तथा राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों, नीतियों एवं आदर्शों का बड़ा ही रोचक व उपयोगी वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने मौर्य युगीन समाज तथा धर्म से संबंधित विषयों पर भी अपने तथा पूर्वगामी विचारकों तथा सिद्धांतों का भी 'अर्थशास्त्र' में वर्णन किया है।

कौटिल्य के विचारों का क्रमबद्ध विवरण निम्नलिखित है - राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य का विचार है कि राज्य से पूर्व के समय में संपूर्ण

समाज में 'मत्स्य न्याय' का सिद्धांत व्याप्त था। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोर एवं शक्तिहीन व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे व समाज में अराजकता व्याप्त थी। लोगों ने 'मनु' को संरक्षक एवं प्रतिनिधि के रूप में अपना राजा नियुक्त किया। सभी ने एक निश्चित धनराशि या अपनी फसल आदि का भाग राजा को देने का निश्चय किया। राजा को साम्राज्य को सुचारु रूप से चलाने हेतु कर की राशि निश्चित की। साथ ही राजा के कुछ अधिकार तथा कर्तव्य भी निश्चित किए।

कौटिल्य ने राज्य के कुछ आवश्यक तत्व निर्धारित किये हैं, जिनकी संख्या सात है। ये इस प्रकार हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दण्ड और मित्र। इन्हें कौटिल्य के 'समांग सिद्धांत' कहा जाता है। इन्हें कौटिल्य ने राज्य के अवयव भी कहा है।

कौटिल्य ने राजा के छः शत्रु बताए हैं - 1. काम, 2. क्रोध, 3. लोभ, 4. अभिमान, 5. विलासिता तथा 6. चापलूसी।

कौटिल्य ने सामान्यतः राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही राजपद प्राप्त करने हेतु अधिकारी माना है। लेकिन उसमें एक राजा हेतु आवश्यक सभी गुण विद्यमान होना चाहिए। उसमें बुद्धिमत्ता, लोक कल्याण की भावना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह चरित्रवान भी होना चाहिए।

राजा की रक्षा करना एक बहुत ही कठिन चुनौती थी। कौटिल्य प्रत्येक व्यक्ति से राजा को सावधान रहने की सलाह देता है।

कौटिल्य की मान्यता थी कि प्रत्येक राजा की यह इच्छा होती है कि वह अपने राज्य का विस्तार करें। अतः विजय की कामना से कौटिल्य ने उसे 'विजिगिषु' की संज्ञा दी है। अपने पड़ोसी राज्य यानि शत्रु की सीमा के उस पार के राज्य व राजाओं को कौटिल्य ने मित्र माना है। शत्रु को कौटिल्य 'अरी' नाम से संबोधन करता है।

कौटिल्य के सिद्धांत निम्न शृंखला द्वारा समझ सकते हैं - 1. विजिगिषु 2. शत्रु 3. मित्र 4. शत्रु मित्र 5. मित्र मित्र 6. शत्रु मित्र मित्र। कौटिल्य के इस सिद्धांत को संपूर्ण विश्व के महान राजनीतिज्ञों द्वारा स्वीकार एवं सराहा गया है।

कौटिल्य की विदेश नीति के छः गुण निम्नलिखित हैं - संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, और द्वैधीभाव।

कौटिल्य के अनुसार राजदूत राजा का मुख होता है। राजदूत विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। उसे मंत्री अर्थात् अमात्य के समकक्ष समझा जाता था।

कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तृष्ण युद्ध, युद्धों के प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने राजकार्य एवं राजा की सहायता हेतु राजा की निरंकुशता एवं मनमानी को रोकने के लिए भी मंत्रियों का होना आवश्यक समझा है। मंत्री परिषद् का एक अध्यक्ष होता था। विभिन्न विभाग एवं उनके अध्यक्ष होते थे।

राजा को यदि राजपुरोहित का सहयोग प्राप्त है, प्रधानामात्य तथा मंत्री राज्य संचालन में सहायता देते हैं तथा राजा शास्त्रानुगत आचरण करता है वो वह बिना युद्धों के ही विजयी होता है तथा राज्य की अभिवृद्धि करता है।

मंत्री परिषद् की मंत्रणा गोपनीय रखी जाती थी। कौटिल्य ने प्रशासन के सभी अंगों सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि का भी वर्णन किया है।

राजा की सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी, रथ आदि होते थे। नौसेना का भी कौटिल्य ने वर्णन किया है। राजा की मुख्य सम्पत्ति उसकी शक्तिशाली सेना होती है। कौटिल्य के अनुसार वित्त व्यवस्था पर अधिक

बल दिया जाना चाहिए व भूमि कर की विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए।

न्याय धर्मशास्त्रों के आधार पर होता था किन्तु राजा एवं धर्मशास्त्रों में विरोधाभास होने पर राजा का निर्णय अंतिम माना जाता था। न्याय की दो श्रेणियाँ थी, धर्मस्थीय (दीवानी) और कंटक शोधन (फौजदारी)।

कौटिल्य के अनुसार व्यापारियों एवं व्यवसायियों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए अन्यथा वे प्रजा का शोषण एवं भ्रष्टाचार करेंगे।

गुप्तचर व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया गया है। गृहनीति के स्थान पर सैन्य बल तथा चतुरता अधिक महत्वपूर्ण मानी गई। विदेश नीति का इस काल में अधिक महत्व था। यही कारण है कि कौटिल्य ने राजनीति में कुटनीति को सम्मिलित किया।

कौटिल्य के समांग सिद्धांत, मंडल सिद्धांत, विदेश नीति के छः गुण आदि अत्यन्त कारगर सिद्ध हुए। साम, दाम, दण्ड या भेद, किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त होनी चाहिए लेकिन इन सबके बीच राजा को अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। साथ ही राजा अपनी प्रजा का कल्याण करने हेतु अपनी नीतियों का निर्धारण करे।

कौटिल्य कहता है कि धनुष से छोड़ा हुआ बाण केवल एक हनन है किन्तु प्रजावान की चतुराई गर्भ में स्थित शिशु का भी हनन कर देती है।

राजा के विषय में कौटिल्य का कथन है कि राजा वीर, योग्य, दूरदर्शी, साहसी, दृढ़ निश्चयी, शस्त्रों एवं शास्त्रों में पारंगत, विपत्ति के समय विचलित न होने वाला होना चाहिए।

मूल्यांकन - कौटिल्य ने अपने ग्रंथ 'अर्थशास्त्र' में अपने पूर्वगामी विचारकों एवं सिद्धांतों, शास्त्रियों के विचारों एवं सिद्धांतों का अनुशीलन कर, अपने विचारों एवं सिद्धांतों को साथ रखकर इसकी रचना की।

अर्थशास्त्र राजनीति के मौलिक सिद्धांतों से परिपूर्ण है। अर्थशास्त्र प्रत्येक साम्राज्य निर्माता हेतु एक विश्वकोष की भाँति मार्गदर्शक की भूमिका निभाता आया है। जिसका मार्गदर्शन पाकर चन्द्रगुप्त ने एक विशाल, शक्तिशाली एवं विश्वविख्यात मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो आज भी भारतवासियों को गर्वित करता है।

राज्य के विभिन्न अंग, राजा के गुण, उसके कर्तव्य, मंत्री एवं मंत्रीपरिषद्, प्रशासनिक विभाग, न्याय विधान, दण्ड विधान, राजस्व प्रशासन, विदेश नीति आदि बड़े से बड़े एवं छोटे से छोटे तत्व को इस ग्रंथ में अत्यधिक कुशलता के साथ कौटिल्य ने उल्लेखित किया है।

स्वयं कौटिल्य के शब्दों में - 'अर्थशास्त्र' के प्रकाश में एक व्यक्ति न केवल औचित्य, मितव्ययता एवं सौंदर्यपूर्ण कार्यों को सम्पन्न कर सकता है किन्तु वह अनुचित, अतिव्ययतापूर्ण और असुन्दर, कार्यों को छोड़ भी सकता है।

उक्त वाक्य से कौटिल्य की बौद्धिक महानता का आभास होता है। इस बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ, कुटनीतिज्ञ, महापण्डित द्वारा रचित यह ग्रंथ राजतंत्र के द्वारा लोक कल्याण के गुर सिखा गया।

अर्थशास्त्र की रचना के बाद राजतंत्र का यह रूप इतना सर्वमान्य हो गया कि आगे चलकर भारतीय विद्वानों ने राजतंत्र के रूप में विवाद एवं विचार करना ही छोड़ दिया व सभी ने उसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया।

कौटिल्य ने एक राजा को विजय प्राप्त करने हेतु साम-दाम, दण्ड भेद, प्रत्येक प्रकार के साधन उपयोग करने का परामर्श दिया किन्तु किसी भी स्थिति में अपनी प्रजा को अनदेखा ना करने की सलाह दी। वे कहते हैं कि राजा का परम ध्येय उसकी प्रजा का कल्याण एवं सुख है।

'कौटिल्य के अर्थशास्त्र को भारतीय राजनीति साहित्य में वही स्थान

प्राप्त है जो भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य को है।' - नीलकण्ठ शास्त्री
संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शास्त्री नीलकण्ठ, नंद मौर्य युगीन भारत, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली पृ. 213
2. लुणिया, बी.एन., प्राचीनकाल भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, कमल प्रकाशन, इंदौर, पृ.क्रं. 202, 146-147
3. भार्गव, वी.एस., प्राचीन भारतीय इतिहास, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.क्रं. 161, 162, 163, 164, 165, 175 व 177
4. कुमार, नलिन, अरिहन्त पब्लिकेशन इण्डिया लिमिटेड, मेरठ, पृ.क्रं. 147
5. मुकर्जी, राधाकुमुद, चंद्रगुप्त मौर्य एवं उसका काल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, पृ.क्रं. 43
6. त्यागी, आर. भाटिया, पी.आर. भारतवर्ष का इतिहास, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, मेरठ, पृ.क्रं. 136
7. ओझा, एन.एन., संपूर्ण इतिहास, प्राचीन भारत भाग-2, क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ.क्रं. 53, 54 व 61
8. सिंहल, जी.पी., प्राचीन भारत, रिसर्च पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ.क्रं. 134, 136, 137, 138, 139, 142, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155, 156 व 158
9. दिपंकर, आचार्य, कौटिल्य कालीन भारत, हिन्दी समिति, उत्तरप्रदेश, लखनऊ, पु.क्रं. 2, 3, 6, 11, 12, 14, 19, 60, 134, 118, 160, 161, 162, 163 व 165
10. महाजन, वी.डी., प्राचीन भारत का इतिहास. पृ.क्रं. 564 एवं 265



शहडोल संभाग की जनजातियों की धार्मिक प्रतीक एवं उनका स्वरूप

डॉ. प्रीति शर्मा *

शोध सारांश – मानव और प्रकृति का सम्बन्ध अनादिकाल से रहा है। मानव ने अपनी विकास यात्रा प्रकृति के संरक्षण प्रारंभ की। जब से मानव जानने समझने की शक्ति आई तब से वह प्रकृति की हो गोद में पला बढ़ा। मानव के लिए सर्वस्व प्रकृति ही थी इसलिए मानव ने प्रकृति ही थी इसलिए मानव ने प्रकृति की विविधताओं में अनेकानेक देवताओं की कल्पना की और उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया।

शहडोल सम्भाग का जनजातीय समाज अन्य जनजातीय समय से अलग नहीं था। मैकल पर्वत श्रृंखला की गोद में पल बढ़ रहे थे। प्रकृति के साथ इनके सम्बन्ध बड़े ही सहज थे। प्रकृति और उससे जुड़ी चीजों को अपना अराध्य मान कर उसकी पूजा-अर्चना शुरू कर दी ताकि उनका अहित न होने पाए। प्रतीक चिन्हों के रूप में गोदना, पूजन सामग्रिया और मुखौटे का प्रयोग अपने पूजा-पाठ में करते थे।

प्रस्तावना – जनजातीय धार्मिक प्रतीक का अध्ययन करने से पहले प्रतीक शब्द का अर्थ जानना अति आवश्यक है। हिन्दी शब्दकोश के आधार पर प्रतीक के विभिन्न अर्थ बताए गए हैं, जैसे-चिन्ह, लक्षण, आकृति अथवा किसी स्थान पर या बदले में रखी हुई कोई वस्तु आदि। हिन्दी में प्रतीक शब्द अंग्रेजी के 'सिम्बल' शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। वहाँ पर भी प्रतीक शब्द के अनेक अर्थ हैं-

1. कोई ऐसा चिन्ह जिससे कोई वस्तु जानी जाए।
2. कोई परम्परागत संकेत जो कभी-कभी व्यक्ति द्वारा स्वयं भी प्रयुक्त होता है, तथा किसी अन्य तत्व अथवा पदार्थ का प्रतिनिधित्व भी करता है।¹ इस आधार पर प्रतीक वह सांकेतिक चिन्ह अथवा शब्द हो सकता है, जिसका प्रयोग स्वयं हो अथवा परम्परागत दृष्टि से किसी अन्य वस्तु, पदार्थ अथवा अर्थ के लिए किया जाता है।² प्रतीक दो शब्दों का योग है, प्रति;इक;प्रतीक। प्रति का अर्थ होता है-अपनी ओर और इक का अर्थ होता है-झुका हुआ। अर्थात् इसका अर्थ हुआ-अव्यक्त को अपनी ओर से व्यक्त करना 'प्रतीक' है।³ आदिमानव भी अपनी गतिविधियों की अभिव्यक्ति प्रतीकों के माध्यम से करता था। जिसके प्रमाण गुफाओं कंदराओं के भित्ती चित्रों में आज भी उपलब्ध है। जब से मानव में बुद्धि का विकास हुआ और उसने रेखा खींचनी सीखी तभी से वह अपने भावों का प्रदर्शन प्रतीकों के माध्यम से करने लगा।⁴ प्रतीक एक संकेत है, जो भाषा के परे जाकर हमें अनन्त अलौकिक सत्ता का साक्षात्कार कराता है।

प्राचीन काल में मानव प्रकृति के वशीभूत था। वह प्रकृति के भयानक रूप से भी भयभीत होता था। उसने प्रकृति के पीछे किसी अदृश्य शक्ति की कल्पना की, किन्तु फिर भी वह प्राकृति के रहस्यों को जानने में असमर्थ था।⁵ प्रागैतिहासिक काल में पशु और वनस्पति जगत का अधिक प्रतीकात्मक अंकन प्राप्त होता है। निःसन्देह उनके निरूपण की पृष्ठभूमि में प्रकृति की महान शक्ति की परिकल्पना रही होगी। अतः मंगल की कामना एवं सुरक्षा हेतु उसने वृक्ष, जल आदि की पूजा प्रारंभ कर दी और उसमें देवता का निवास मानने लगी। प्रकृति के रहस्यमय स्वरूप के कारण ही प्रतीकात्मक अंकन हुए। लिपि के पूर्व इन्हीं प्रतीकों और चिन्हों के माध्यम से

मानव अपने भाव व्यक्त करता था, अतः पुरातत्वीय दृष्टि एवं इतिहास की दृष्टि से ये प्रतीक गूढ़ अर्थ के साथ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।⁶ प्रतीक के माध्यम से देवी-देवताओं की अभिव्यक्ति अत्यन्त पुरातन परम्परा का अवशेष है।⁷ प्रतिमा भी प्रतीक है, जो विकसित मानव की देन है। लोक देवताओं या कहे तो आदिवासी जनजातियों के देवताओं का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता था किसी न किसी प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त होते हैं।

प्रागैतिहासिक मानव के मनोजगत का ज्ञान प्रतीकों से कहीं अधिक निश्चिन्तात्मकता, विशदता एवं सूक्ष्मता के साथ शैलचित्रों द्वारा प्राप्त होता है, और इस दृष्टि से प्रतीकों को अद्वितीय महत्व दिया गया है। प्रागैतिहासिक शैलचित्रों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों की जानकारी प्राप्त होती है। जिसमें हिंसक पशु मृत्यु के साक्षात् प्रतीक जिसमें प्रतिहिंसा, कभी भय, कभी बलि से पारितोष (उपहार) की भावना भी शामिल है। क्षुधापूर्ति में सहायक बनने वाले पशु मांगालिक और बलि के उपादेय बनते गये।⁸ पशुओं के प्रति जो भय जन्य पूजा की भावना परवर्ती युग में विकसित हुई। उसके मूल में इस प्रकार की कोई भावना निहित रही होगी। इस प्रकार प्राचीन कालीन शैलचित्रों में प्रदर्शित चित्रों को भी हम इन प्रतीकों के माध्यम से ही पहचान पाते हैं क्योंकि प्रतीक हमारे जीवन को प्रारंभिक काल से ही प्रभावित करते आए हैं। इन प्रतीकों का अध्ययन शैलचित्रों में ज्ञात वस्तुओं, नृत्य, पूजा-पाठ, धर्म समाज, जादू-टोना आदि के माध्यम से स्पष्ट अवलोकित होती हैं। इसी क्रम में शैलचित्रों में-देवआकृतियाँ, वृक्षपूजा-वनदेवता, स्वारितक पूजा, त्रिशूल, चक्र, हाथ की छापें, मानव पंक्ति, चौक और वेदिका, ज्यामितीय आकल्पन, लिपि चिन्ह या लिपिवत् चिन्ह, अस्पष्ट अभिप्राय आदि प्रतीक प्राप्त होते हैं।⁹

प्राचीन काल में इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से मानव अपना जीवन जीता था। वे प्रतीक चिन्ह मानवों की बहुत सहायता करते थे।¹⁰ जिससे इनका जीवन आसान हो गया था। उदाहरण-मानव जंगलों में शिकार के लिए जाता था, तो वह जानवरों के पैरों के निशान को जरूर देखता था। उसे इन पदचिन्हों या कहे तो प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जानवरों के उस स्थान पर होने का अनुमान होता था और वह आसानी से शिकार कर पाता था।

जनजातीय समाज में प्रतीकात्मक लोककथाएँ बहुलता से प्रचलित हैं। प्रतीकात्मक लोककथाओं से आशय ऐसी लोककथाओं से हैं, जिसमें मुख्य पात्र मानव न होकर अन्य प्राकृतिक अनुचर पात्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसी लोककथाओं में मानवपात्र कभी-कभार ही पाए जाते हैं।¹⁰ प्रतीकात्मक कथाओं में मुख्य पात्र प्रायः जीव-जन्तु, पेड़-पौधे, आवश्यकता के समान जैसे-कुठिला, कुठिली, पइला, कुरुआ, लाठी, बल्लम, खटिया, मचिया, लोट-लुटिया, तालाब, कुआ आदि होते हैं।

जनजातीय समाज में अपने गोत्र के प्रतीक चिन्ह (टोटम) के अनुसार आभूषण बनवाए जाते हैं।¹¹ उन्हीं प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अपने शरीर पर गोदना भी अंकित करवाते हैं। उसका तात्पर्य यह है कि उनके गोत्र का प्रतीक इहलोक और परलोक में भी उनके साथ रहेगा।

जनजातीय समाज की सभी पूजन सामाग्रियाँ प्रतीक रूप में पूजी जाती हैं। जैसे-लौंग को बलि का प्रतीक माना जाता है। लौंग का फूल तोड़कर पूजने से उसे एक बलि के बराबर माना जाता है। बैंगन को काटना बकरे की बलि देने के बराबर माना जाता है। इसी प्रकार ककड़ी, खीरा को काटना मुर्गे की बलि देने के बराबर माना जाता है। सफेद कदू जिसे 'बरिहा-कुम्हड़ा' कहते हैं, उसे काटना नरबलि के बराबर मानते हैं। लगभग सभी जनजातियों में 'कुल्हाड़ी' को कर्म को प्रतीक के रूप में पूजा जाता है।

उसी प्रकार कई जनजातियों में देवी-देवता के मुखौटे प्रतीक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कहा जाता है कि इन मुखौटों को लगाकर पूजा, नृत्य, अनुष्ठान आदि करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार कई गोत्र चिन्हों (टोटमों) ओर उनके प्रतीकात्मक अर्थों की एक सारणी निम्नानुसार हैं-मछली-प्रजनन का प्रतीक, हाथी-दृढ़ता का प्रतीक, मयूर-प्रेम और सौन्दर्य का प्रतीक, नाग-अन्नत इच्छाओं का प्रतीक, अश्व-ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक, कछुआ-धैर्य और इच्छाशक्ति का प्रतीक, वृक्ष-सृष्टि, जीवन और प्रकृति का प्रतीक, बिच्छू-कामोत्तेजना का प्रतीक, आम-समृद्धता का प्रतीक, मोर-ज्ञान और विवेक का भी प्रतीक, तोता-बुद्धि और प्रेम का प्रतीक।

इसी प्रकार कई प्रतीक चिन्हों को जनजातीय समाज में 'गोदना' के रूप में पूर्ण मान्यता प्राप्त है। जैसे¹²-तोता और मोर-प्रेम के प्रतीक, नाग-इच्छा शक्ति, काल का प्रतीक, मछली-सम्पन्नता का प्रतीक, बिच्छू-कामवासना का प्रतीक, कछुआ-इन्द्रिय संयम (धैर्य) का प्रतीक, कोयल-मधुर वाणी (मीठी बोली के प्रतीक), वट वृक्ष-चिरन्तर रहने (प्राण का प्रतीक), फूल-सन्दरता का प्रतीक, फलफूल से युक्त वेल-समृद्धि और सम्पन्नता का प्रतीक आदि है। जनजातीय स्त्रियों में सौभाग्य और मातृत्व के रूप में गोदना 'गोदवाचा' जाता है। इन गोदना आकृतियों में मस्तक का गोदना उनकी जाति को प्रतीक रूप में अभिव्यक्त करता है। इन गोदना आकृतियों से हम यह जान जाते हैं कि यह कौन सी जनजाति है।

बैगा में एक अंधविश्वास अनुसार 'गीदड़' के रास्ता काटने पर उसी स्थान पर एक 'टहनी' (पतली सी लकड़ी) रखकर उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रख दिया जाता है। टहनी बैगाओं में शत्रु का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि जिसने भी गीदड़ को भेजा था और पत्थर उसकी कब्र का प्रतीक है। तथा इसके बाद आगे जाया जा सकता है। गौड जनजाति में बाघेश्वर देवता की पूजा की जाती है, जो शेर का प्रतीक रूप ही है।¹³ बाघेश्वर के प्रतीक बाघ या टोटम, शेर की काष्ठ मूर्ति बनाने की परम्परा गौडों में पाई जाती है। बाघेश्वर देव की पूजा भारिया जनजाति में भी की जाती है। गौड, भील और कोरकू जनजातियों में मृतक स्तम्भ बनाने की प्रथा है, या कर्हे कि

रिवाज है। मृतकों की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने के लिए 'गाता' या 'गातला' की स्थापना अनुष्ठान पूर्वक करती है।¹⁴ विशेष पर्वों पर अवसरों पर 'गाताओं' की पूजा अर्चना की जाती है। ये 'गाता' मृत्यु के 'प्रतीक चिन्ह' या 'प्रतीक स्तम्भ' के रूप में पूजे जाते हैं और इस काष्ठ स्तम्भों में कई प्रतीकात्मक चित्रों का अंकन किया जाता है। जिससे उस जनजाति की पहचान अर्थात् यह किस जनजाति का मृतक स्तम्भ है। इस बात की जानकारी मिल जाती है।

मध्य प्रदेश की सभी जनजातियों में नृत्य कला के कई प्रकार हैं। जिसमें एक नृत्य 'मुखौटा' पहनकर किया जाता है। गौर-नृत्य का मुखौटा गौर के सींग, पक्षियों के पंख एवं कौड़ियों को झालर से निर्मित होता है। जो यह व्यक्त करता है कि इन मुखौटों में पूरी सृष्टि समाहित है।

इनमें से अधिकतम ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग जनजातियों में गोदना आकृतियों के रूप में किया जाता है, जो किसी न किसी प्रतीक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। जनजातियों के शरीर के प्रत्येक अंगों पर किए जाने वाले गोदना का एक उद्देश्य या कर्हे की प्रतीक रूप उस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है।¹⁵ जो निम्नलिखित है-मस्तक पर गोदना-भाग्य निर्माण का प्रतीक, जांघों पर गोदना-अश्व के समान शक्ति का प्रतीक, बांहों में गोदना-शक्ति प्राप्ति का प्रतीक, मुंह में गोदना-जादू-टोना, टोटका आदि को प्रभावहीन कर उनके रक्षा का प्रतीक है। वक्षस्थल पर-दाम्पत्य सुखी जीवन का प्रतीक, शरीर के विभिन्न अंगों में गोत्र चिन्ह का चित्रांकन-पूर्वजों एवं मृतात्माओं का संरक्षण एवं आशीर्वाद प्राप्ति का प्रतीक है। शरीर के विभिन्न अंगों में गोत्र-चिन्ह का चित्रांकन-पूर्वजों एवं मृतात्माओं का संरक्षण एवं आशीर्वाद प्राप्ति का प्रतीक, कलाइयों में-स्वर्ग में अपनों से मिलन का प्रतीक है।

जनजातीय नृत्यों के भी प्रतीक रूप होते हैं-शैला नृत्य-पर्वत का प्रतीक, कर्मा नृत्य-कर्म का प्रतीक, झरपट नृत्य-छेड़छाड़ का प्रतीक, बिरहा नृत्य-बिरह का प्रतीक माना जाता है इत्यादि नृत्य प्रचलित है।

जनजातीय आभूषण के भी प्रतीक रूप होते हैं-बिंदिया-बैर नाशक, टीका-टोना आदि से रक्षा, हंसली-हसमुख व्यवहार, चन्दनहार-चांदनी के रूप में अंधकार को हटाना, माला-मन की मलीनता की स्वच्छता, बाजूबंद-बाजी मारने की प्रवृत्ति, कंगना-कर्म का प्रतीक, छल्ली-छल एवं कपट का त्याग, पैड़ी-परहित और प्रसन्नता, और बिछुआ-पति से विलग न होने की कामना इत्यादि प्रमुख है।

हमारा सारा संसार ही प्रतीकों से भरा हुआ है। आदिकाल से लेकर आज तक ये प्रतीक ही हमारे जीवन को संचालित और नियमित करते रहे हैं। 'इसी प्रकार जनजातियों में 'टोटम' भी एक प्रकार का प्रतीक ही होता है जो हानिकारक वृक्ष या पशु होता है। इन टोटम प्रतीकों के प्रति जनजातियों में भय तथा आदर दोनों भाव पाए जाते हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि इन जनजातियों का जीवन प्रतीक से भरा पड़ा है और ये लोग ही इन प्रतीकों की सही अभिव्यक्तियों का अपने जीवन में व्यक्त करते हैं या कहे कि आत्मसात कर उसका पूर्ण निष्ठा से पालन करते हैं। जनजातीय धार्मिक प्रतीकों में उनके इतने सारे अदृश्य और अनगढ़ देवताओं के प्रतीक रूप, टोटम अर्थात् गोत्र चिन्ह तथा उनके पूजा पाठ में जुड़े बहुत सारे प्रतीक सामग्री का प्रयोग इन जनजातीय समाजों में किया जाता है। जनजातीय पूरा संसार ही धर्म से ओत-प्रोत रहता है। अतः उनके इस संसार (जीवन) से जुड़ी सभी सामान प्रतीक ही कहलाते हैं। ये प्रतीक इनके जीवन में इतने रच बस गए हैं कि इनके बिना जीवन जीना

नहीं मृत्यु के समान है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निरगुणे बसन्त, लोक संस्कृति: म.प्र. हि.ग्र. अका.भोपाल 1996 प्र. 121;125
2. वही पृ. सं 121;125
3. श्रीवास्तव विमल मोहिनी, 'भारतीय कला में प्रतीक ,विश्व भारतीय प्रकाशन वाराणासी 2002 पृ. प्रस्तावक से
4. तिवारी शिव कुमार, 'मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति' म.प्र. हि.ग्रंथ अका. भोपाल 1999 पृ. 62
5. श्रीवास्तव विमलमोहिनी, 'भारतीय कला में प्रतीक- विश्व भारतीय प्रकाशन वाराणासी 2002 पृ.सं 01
6. निरगुणे बसन्त- लोक संस्कृति म.प्र.हि.ग्र.अ. भोपाल 1996 पृ.सं. 71
7. गुप्त जगदीश प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला. नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली 1967 पृ.सं. 146
8. बघेल किरण-भारतीय समाज और संस्कृति' पुष्पराज प्रकाशन इलाहाबाद पृ.सं. 164
9. जनजातीय विमर्श- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि.वि. अमरकन्टक 2013 पृ.सं. 80
10. तिवारी राजेश जनजातीय नृत्यकला मे सांस्कृतिक तंत्र- अ.प्र.सि.वि.वि.रीवा अप्रकाशित शोध पत्र
11. महावर निरजंन-(गोदना लेख) चौमासा वर्ष-8 अंक 25 1991 पृ.सं. 39
12. चौमासा अंक 77 वर्ष 24,वर्ष 2008 पृ.सं. 42
13. वर्मा बी.एल. 'भीलो की सामाजिक व्यवस्था' क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली 1992 पृ.सं. 68
14. चौमासा वर्ष-19 अंक 59 वर्ष 2002 पृ.सं. 96-99
15. मोहम्मद शरीफ- भारत मे लोक नृत्य- म.प्र.हि.ग्र.अ. भोपाल 2010 पृ.सं. 79
16. वही पृ.सं. 21,31,40,43
17. वही पृ.सं. 78-79

मुगलकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति - एक विवेचन

ईश्वर सिंह *

शोध सारांश - सारांश एवं प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य - इस शोध-पत्र के द्वारा मध्यकालीन भारत में विशेष रूप से मुगलकाल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक जीवन की झलक प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मुगलकालीन भारतीय समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक कुप्रथाएँ जैसे - सती-प्रथा, जौहर-प्रथा, बालविवाह-प्रथा, बहुविवाह-प्रथा, पर्दा-प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी-प्रथा, विधवा विवाह इत्यादि के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध-पत्र में मुगलकालीन स्त्रियों के खान-पान, उनकी वेशभूषा, सौंदर्य प्रसाधन एवं आभूषण और उनके मनोरंजन के साधन आदि के बारे में वर्णन किया गया है।

शब्द कुंजी - सती-प्रथा, जौहर-प्रथा, बालविवाह-प्रथा, बहुविवाह-प्रथा, पर्दा-प्रथा, वेश्यावृत्ति, देवदासी प्रथा, विधवा विवाह।

प्रस्तावना - भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति हमेशा से ही एक समस्या रही है। प्राचीन भारतीय समाज में नारी को 'अर्द्धांगिनी', 'अर्द्धस्वामिनी', 'सहगामिनी' आदि उपाधियों से सुशोभित किया जाता था। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिले हुए थे और वे सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र थी। नारी की स्थिति के बारे में स्मृतिकारों ने भी कहा था कि जहाँ नारी का मान होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता।' मुगलकाल में भी सल्तनतकाल की अपेक्षा नारी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उस काल में नारी का अपमान किस सीमा तक किया जाता था, इसका वर्णन तुलसीदास की इन पंक्तियों में मिलता है - ढोल, गँवार, शुद्ध, पशु, नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी।

सती-प्रथा - जब कोई भी स्त्री अपने पति की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके शव के साथ जीवित ही चिता में जलकर अपने प्राणों को त्याग देती थी, वह प्रथा सती-प्रथा के नाम से जानी जाती थी। भारत में सती-प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 5 10 ई० ए० अभिलेख में मिलता है। मुगलकालीन भारतीय हिंदु समाज में अधिकतर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य परिवार की स्त्रियाँ सती होती थीं। विदेशी यात्री निकोलस विथिंगटन एक सती होने वाली स्त्री के बारे में विवरण देता है, 'जिस स्त्री को सती होना था, उसकी उम्र 10 वर्ष होगी। उसका पति एक सैनिक था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। परंतु उसके कपड़े और साफा उसके घर लाया गया और इन कपड़ों को लेकर ही उसकी पत्नी सती हो गई।' सभ्य मुगल बादशाहों ने इस सामाजिक कुप्रथा को रोकने के प्रयास किए। 1663 में औरंगजेब ने सती-प्रथा को समाप्त करने के लिए आदेश दिया, फिर भी जिन विधवाओं के कोई संतान नहीं थी, उन्हें सती होने की अनुमति दी जाती थी।²

जौहर-प्रथा - यह प्रथा मुगलकालीन हिंदुओं में विशेष रूप से राजपूतों में प्रचलित थी। जब राजपूत युद्ध के मैदान में हार जाते थे तो उनकी पत्नियाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए सामूहिक रूप से अपने आप को अग्नि की भेंट कर देती थी। इसे 'जौहर' कहा जाता था। गुजरात के शासक बहादुरशाह ने 1534 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजमाता कर्णवती ने 13

हजार स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़ में ही जयमल और फता की मृत्यु पर 9 रानियों, 5 राजकुमारियों तथा अनेक राजपूत सरदारों की स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर किया।³

स्त्री-विधवा के रूप में - मुस्लिम समाज में विधवाओं की स्थिति हिंदु विधवाओं की अपेक्षा अच्छी होती थी। मुस्लिम विधवाएँ पुनर्विवाह कर सकती थीं। हिंदुओं में कुछ छोटी जातियों को छोड़कर विधवा-विवाह वर्जित था। हिंदु समाज में विधवाओं की स्थिति बड़ी दयनीय होती थी। हिंदु विधवाएँ न तो आभूषण धारण कर सकती थी और न ही शृंगार कर सकती थी। विधवा स्त्रियों के द्वारा कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करवाया जाता था, परिवार में उन्हें उपेक्षा एवं अपमान का जीवन व्यतीत करना पड़ता था।⁴

पर्दा प्रथा - सल्तनत काल की भाँति मुगलकाल में भी पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तुर्क आक्रमणकारियों से पहले हिंदु समाज में पर्दा-प्रथा नहीं थी। हिंदुओं ने तुर्कों से अपनी स्त्रियों की इज्जत की रक्षा के लिए पर्दा-प्रथा को अपनाया पड़ा था। जायसी, चैतन्य और विद्यापति के अनुसार बंगाल और उत्तर प्रदेश के अमीर हिंदु घरानों में पर्दे का प्रचलन था। मुस्लिम समाज में स्त्रियों को पर्दे की प्रथा का बड़ी कठोरता के साथ पालन करना पड़ता था। बदायूनी ने अकबर के एक फरमान का वर्णन करते हुए लिखा है, 'यदि कोई नारी बिना पर्दे के बाजार में दिख जाए, तो उसे वेश्यालय भेज दिया जाए और वह धंधा अपनाते दिया जाए।'⁵ मजबूरी में जब कभी मुस्लिम स्त्रियों को घर से बाहर निकलना पड़ता था तो उनके लिए पर्दा करना अनिवार्य था। जब मुस्लिम औरतें पालकी में जाती थी तो, उसके चारों ओर बड़ा पर्दा पड़ा होता था। कठोर पर्दा-प्रथा के कारण बीमार औरतों के इलाज के लिए भी पुरुष चिकित्सक को सम्राट या अमीर के जनानखाने में प्रवेश नहीं मिल पाता था।⁶

विवाह, बहुविवाह - मुगलकाल में आमतौर पर सामान्य हिंदु एक ही विवाह करते थे, परंतु राजा और उसके अमीर बहु विवाह करते थे। आमेर के शासक मानसिंह की 1500 पत्नियाँ थी। पीटर डेला वेला के अनुसार, 'हिंदु एक विवाह करते थे तथा उसके चरित्रहीन होने के अतिरिक्त उसकी मृत्यु तक उसे नहीं छोड़ते थे।'⁷ शरियत के अनुसार सुन्नी मुसलमान चार स्त्रियों से शादी कर सकता था और शिया मुतहा-प्रणाली (अस्थायी विवाह जो केवल एक

निश्चित समय के लिए किया था) के अंतर्गत चार से भी ज्यादा शादियाँ करने के लिए आजाद थे।

बालविवाह - भारत में मुस्लिम आक्रान्ताओं के प्रवेश के बाद बालविवाह प्रथा का प्रचलन शुरू हुआ। मुस्लिम शासक और अमीर वर्ग के लोग रूपवती हिंदु कन्याओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। यह प्रथा मुगलकाल में भी प्रचलित थी। बाल विवाह के कारण स्त्रियों की उन्नति का मार्ग बंद हो जाता था क्योंकि उन्हें अच्छी प्रकार की उच्च शिक्षा नहीं मिल पाती थी। मुकन्दराम के अनुसार 'जो पिता अपनी कन्या की शादी 9 वर्ष की आयु में कर देता था, वह भाग्यशाली और ईश्वर का कृपापात्र समझा जाता था।'⁸ हिंदुओं की भाँति बालविवाह की प्रथा मुस्लिमों में भी प्रचलन में थी। मुगल बादशाह अकबर बाल विवाह का विरोधी था और उसने आदेश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती।

स्त्री-शिक्षा - मध्यकाल में विशेषकर मुगल काल में हिंदु स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाएँ सामान्यतः नहीं थी, फिर भी उन्हें साहित्य, दर्शनशास्त्र, धर्म, संगीत, नृत्य आदि की शिक्षा दी जाती थी। हिंदु तथा मुस्लिम धनी परिवारों की स्त्रियों को विशेष सुविधाएँ दी जाती थी। मीराबाई भी एक प्रसिद्ध कवयित्री थी जिसने नरसी जी का मेहरा, गीत गोविन्द की टीका, राग गोविन्द आदि प्रसिद्ध पुस्तकों की रचना की थी।⁹ मुस्लिम स्त्रियों में शिक्षा का काफी प्रचार था। बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की। अमीर वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से अध्यापिकाएँ नियुक्त की जाती थी। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम एक सुशिक्षित महिला थी, जो फारसी एवं तुर्की में धाराप्रवाह बोल एवं लिख सकती थी। उसने 'हुमायूँनामा' नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अब्दुलरहीम खानखाना की बेटी जॉन बेगम ने कुरान पर एक टिप्पणी लिखी जिसे अकबर ने 50000 दीनार इनाम के रूप में दिए।¹⁰

वेश्याओं की स्थिति - मुगलकाल में गायिकाओं और वेश्याओं का एक अलग वर्ग होता था। ये अनेक अवसरों पर बादशाहों तथा अमीरों का अपनी कला के द्वारा उनका मनोरंजन करती थी। औरंगजेब ने वेश्यावृत्ति पर रोक लगा दी थी, फिर भी यह कुप्रथा रूक न सकी। विदेशी यात्री टेवरनियर गोलकुण्डा नगर का वर्णन करता हुआ कहता है कि अकेले गोलकुण्डा नगर 20 हजार वेश्याएँ दरोगा के रजिस्टर में दर्ज थीं।¹¹ मुहम्मदशाह के शासनकाल में नूरबाई राजधानी दिल्ली में अपने संगीत नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। राज्य के बड़े-बड़े अमीर उनको धन और रत्न देकर अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए तैयार रहते थे। नादिरशाह उसके संगीत और नृत्य से प्रभावित हुआ और उसने उसे फारस ले जाने की इच्छा व्यक्त की।¹²

भोजन - मुगलकाल में हिंदु तथा मुस्लिम दोनों ही वर्गों की सामान्य स्त्रियाँ साधारण भोजन से ही अपना जीवन निर्वाह करती थीं। उनका मुख्य भोजन आटे से बनी रोटी, दाल और सब्जी होते थे। गर्मियों में गेहूँ और सर्दियों में बाजरे का भोजन किया जाता था। उच्च वर्गों की स्त्रियों का भोजन बहुत ही कीमती होता था। खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल और मेवे काबुल और कश्मीर से मंगवाए जाते थे। दूध का पेय के रूप में प्रयोग किया जाता था। अतिथियों का पान-बीड़ा से स्वागत किया जाता था। स्त्रियों को दिन भर पान चबाने की आदत थी।¹³

वस्त्र - मुगलकाल में हिंदु स्त्रियों की अधिकतर पोशाकें लाल रंग की होती थी। हिंदु औरतें साड़ी का प्रयोग करती थी। साड़ी के नीचे पेटीकोट का प्रयोग किया जाता था।¹⁴ बाहर जाते समय चादर या दुपट्टे का प्रयोग करती थी। जाड़ों में कढ़े हुए सुंदर कश्मीरी शालों का प्रयोग किया जाता था। मुस्लिम

स्त्रियाँ सलवार तथा कमीज पहनती थीं।¹⁵ अमीर वर्ग की स्त्रियों का प्रमुख पहनावा कश्मीरी शॉल और करवा था। मुस्लिम स्त्रियाँ घर से बाहर निकलने पर काले वस्त्र के बुर्के का प्रयोग करती थीं।

सौंदर्य-प्रसाधन - मुगलकाल में हिंदु तथा मुस्लिम स्त्रियाँ विभिन्न प्रकार के प्रसाधनों द्वारा अपना शृंगार करती थीं। स्त्रियाँ काजल, बिंदी लगाकर, माँग भरकर, मोतियों और रत्नों से वेणी सजाकर अपने आपको सँवारती थीं। स्त्रियों में बालों का जुड़ा बनाने और आँखों में सुरमे का प्रयोग करने का फैशन था। महिलाओं को अपने शरीर को सिर से पैर तक आभूषणों से सजाने का शौक था। स्त्रियाँ गले में हार, सोने का नेकलेस, बाजुओं में बाजूबंद, कंगन, कड़े, चुड़ी और हाथों की अंगुलियों में अंगुठियाँ पहनती थीं। हिंदु विधवाएँ न तो आभूषणों का प्रयोग करती थी और न ही माथे पर बिंदी लगाती थीं।¹⁶

मनोरंजन के साधन - मुगलकालीन भारत में मनोरंजन के अनेक साधन थे। स्त्रियाँ नृत्य, संगीत, नाटक और शतरंज का खेल खेलकर अपना मनोरंजन करती थीं। सामुहिक आयोजन के रूप में मेले और त्यौहार भी मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। गढ़मुक्तेश्वर का मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला था, जहाँ हजारों की संख्या में हिंदु जाते थे।¹⁷ हिंदु स्त्रियाँ अनेक त्यौहार मनाकर अपना मनोरंजन करती थीं। अकबर रक्षा बंधन के अवसर पर अपने हाथ में राखी रखता था। बसंत-पंचमी के उत्सव पर हिंदु और मुस्लिम स्त्रियाँ बागों में खुशियाँ मनाती थीं।¹⁸ दीवाली के अवसर पर मुसलमान भी, खास-तौर पर ग्रामवासी मुसलमान अपने घरों पर दीपक जलाकर रोशनी करते थे। ईद के त्यौहार पर हिंदु स्त्रियाँ अपने मुस्लिम मित्रों को मुबारकबाद देती थीं। 'शबे-बरात' पर्व पर हिंदु और मुसलमान दोनों ही आतिशबाजी का मजा लेते थे।¹⁹

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मुगल काल में महिलाओं की सामाजिक दशा अत्यंत दयनीय थी। हिंदु स्त्रियों की दशा मुस्लिम स्त्रियों की तुलना में अधिक असंतोषजनक थी। मुगलकालीन भारतीय समाज में हिंदु तथा मुस्लिम दोनों ही वर्गों में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ जैसे- सती-प्रथा, जौहर प्रथा, बाल विवाह, प्रर्दा-प्रथा इत्यादि प्रचलन में थी जिनके कारण दोनों ही वर्गों की स्त्रियों का समाज में कम सम्मान होता था और उनकी उन्नति का मार्ग अवरूद्ध हो गया था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. सिंह ओमप्रकाश, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास (750 से 1761 ई0 तक), पृ. सं. 360, इलाहाबाद-2001
2. गुप्त, आर.के., मध्यकालीन समाज, धर्म, कला एवं वास्तुकला, पृ. सं. 75, जयपुर-2004
3. वही, पृ. सं. 75
4. डॉ. सिंह ओमप्रकाश, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास (750 से 1761 ई0 तक), पृ. सं. 366, इलाहाबाद-2001
5. डॉ. नागोरी एस.एल., श्रीमती नागोरी कान्ता मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, पृ. सं. 66, जयपुर-2007
6. बर्नियर ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, पृ. सं. 267
7. डॉ. नागोरी एस.एल., श्रीमती नागोरी कान्ता मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास, पृ. सं. 66, जयपुर-

2007

8. वही, पृ. सं. 66
9. गुप्त, आर.के., मध्यकालीन समाज, धर्म कला एवं वास्तुकला, पृ. सं. 77, जयपुर-2004
10. वही, पृ. सं. 78
11. टेवरनियर ट्रैवल्स इन द इंडिया, भाग-1, पृ.सं. 127
12. जहीरउद्दीन मलिक-रेन ऑफ मुहम्मदशाह, पृ. सं. 365-66
13. टेवरनियर ट्रैवल्स इन द इंडिया, भाग-1, पृ.सं. 127
14. मनूकी, भाग-3, पृ. 40
15. डॉ. सिंह ओमप्रकाश, मध्यकालीन भारत का राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक इतिहास (750 से 1761ई0 तक), पृ. सं. 369, इलाहाबाद-2001
16. वही, पृ. सं. 370
17. जहीरउद्दीन मलिक-रेन ऑफ मुहम्मदशाह, पृ. सं. 352
18. वही, पृ. सं. 352
19. वही, पृ. सं. 352

राजस्थान की ऋण प्रणाली - एक अवलोकन (17वीं से 19वीं शताब्दी)

डॉ. कुलवन्त सिंह शेखावत *

शोध सारांश - मध्यकालीन राजस्थान की वित्तीय व्यवस्था में ऋण का लेन-देन प्रमुख पक्ष था। देशीय बैंकरों के द्वारा शासकों, कृषकों, दस्तकारों एवं आम लोगों को अड़ाणा ऋण, खंडी ऋण एवं अनाज ऋण दिया जाता था। साहूकारों द्वारा ऋण वसूली के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते थे। राज्य भी ऋण विवादों के निपटारों में भूमिका निभाते थे। प्रस्तुत आलेख में 17वीं से 19वीं शताब्दी के दौरान के दस्तावेजों के आधार पर ऋण प्रणाली में प्रचलित पद्धतियों, व्यवस्थाओं, ब्याज दर, नियमों एवं विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

शब्द कुंजी - देशीय बैंकर, मध्यकालीन राजस्थान, साहूकार, ऋण पद्धति।

प्रस्तावना - राजस्थान के मध्यकालीन सामंतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था में कोठीवाल, सराफा, महाजन एवं बोहरा नामक व्यवसायिक वर्ग वित्तीय गतिविधियों का संचालन करते थे। वे व्यापार के साथ हुण्डी, बीमा, मुद्रा विनिमय एवं ऋण देने का व्यवसाय करते थे। जिसमें ऋण देने के व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के बैंकर संलग्न थे। राजस्थान में ऋण देने के व्यवसाय को बोरगत व्यवसाय के नाम से जाना जाता था।

मध्यकालीन राजस्थान की बोरगत बहियों में ऋण के लेन-देन के लिखित दस्तावेज उपलब्ध हैं। इसको 'कागज' 'खत' एवं टीप लिखना कहते थे।¹ 17वीं 18वीं शताब्दी में मारवाड़ राज्य के मेड़ता कर्बे में पारीक ब्राह्मण बैंकर बोरगत कार्य में संलग्न थे। इनकी बहियाँ 'लोकमणी संग्रह' के नाम से ज्ञात है जो भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर में उपलब्ध है। उन बहियों में प्राप्त ऋण-पत्रों के अध्ययन से पता चलता है कि ऋण पत्र में सर्वप्रथम ऋण पत्र के शीर्ष पर ईष्ट देव का नाम का अंकित होता था। ऋणदाता ऋणी का नाम, जाति, निवास, ऋण राशि, ब्याज दर, भुगतान के तरीके, ऋण लेने के उद्देश्य, ऋण की एवज में गिरवी रखी वस्तु का पूर्ण विवरण, जमानती एवं ऋणी द्वारा ली जाने वाली शपथ और अंत में साक्षियों के भी लिखे जाने की परम्परा थी।²

ऋण के प्रकार - देशीय ऋण प्रणाली में कई प्रकार की ऋण पद्धतियों का प्रचलन था जिसमें अड़ाणा ऋण, खंडी ऋण एवं अनाज ऋण प्रमुख थी।

1. अड़ाणा ऋण पद्धति - मध्यकालीन राजस्थान में साहूकार एवं बोहरों द्वारा अड़ाणा ऋण का व्यापक प्रयोग किया जाता था इसके लिए रहन, गिरवी, गहना एवं भोगलिया आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। इस ऋण पद्धति में ऋण राशि की वसूली सरल एवं सुलभ होती थी क्योंकि साहूकार के पास अड़ाणे रखी वस्तुओं पर अधिकारिक स्थिति थी। उस काल में यह ऋण पद्धति प्रचलन एवं प्रयोग में अधिक लाई जाती थी।

उस काल में शासकों, उच्च पदाधिकारियों और स्थानीय जागीरदारों द्वारा ऋण की एवज में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले आय के विविध आय स्रोतों (ठोड़ों की जमा) को साहूकार के नाम आरक्षित कर देते थे। जोधपुर के महाराजा गजसिंह (1619-38 ई.) ने अपने राज्य में सार्वजनिक निर्माण के कार्य करवाए जिसके लिए बोहरा से 13 लाख रुपये ऋण लिया जिसकी एवज में जालौर परगना अड़ाणे पर रखा था।³

ठोड़ों की जमा को आरक्षित करने का सबसे व्यापक एवं विस्तृत उल्लेख बीकानेर के महाराजा सूरतसिंह द्वारा वि.सं. 1884 (1827 ई.) में चूरू के प्रसिद्ध सेठ मिर्जामल पौद्दार से 4 लाख 1 रुपये का ऋण लिया था जिसके बदले शासक ने एक हुण्डी (वचन-पत्र) साहूकार को सौंपी जिसमें राज्य की आय के अनेक स्रोतों को साहूकार के पक्ष में आरक्षित किए थे। जिसमें राजगढ़, भादरा, छत्रगढ़, नोहर एवं रावतसर आदि परगनों एवं चूरू कर्बे के 9 गाँवों का भू-राजस्व, 11 चीरों (एक प्रशासनिक इकाई) की रूखवाली की भाछ (राज्य द्वारा लिया जाने वाला सुरक्षा कर) के साथ अनेक प्रकार के व्यावसायिक व्यापारिक शुल्क एवं करों की राशि शामिल थी।⁴

साहूकारों के पास दस्ताकार, छोटे व्यापारी, कृषक एवं सामान्य जन अपने आभूषण, खेत, दुकान, मकान गिरवी रखते थे। समय पर ऋण अदायगी नहीं होने पर उसे आधी-गयी करके साहूकार अपने ऋण की भरपाई करता था। जब तक ऋण का निपटारा नहीं होता तब तक साहूकार उन संपत्तियों से होने वाली आय का उपभोग करता था।⁵

गरीब ऋणी के पास भौतिक संपत्ति नहीं होने की स्थिति में वह अपने पशुओं, स्वयं अपने पारिवारिक सदस्यों को साहूकार के पास गिरवी रखता था। वह भोगलिया, हाली रहकर अपने शारीरिक श्रम द्वारा ऋण एवं उसके ब्याज अदायगी करता था। 19वीं शताब्दी में लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री चूरू के निजी पोद्दार संग्रह में ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिनमें हाली एवं भोगलिया व्यवस्था के स्पष्ट उदाहरण मिलते हैं। 1833 में चूरू के सेठ मिर्जामल के पास 101 रुपये ऋण के बदले खेते बगडिया ने हाली रहना स्वीकार किया।⁶

2. अनाज ऋण - ऋण प्रणाली के साहूकार अधिकतर नगद राशि ऋण में देता था इसके लिए बहियों के ऋण पत्रों में 'रोकड़ा दीना छै' शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा साहूकार विशेषतः कृषक को उसकी कृषिगत एवं घरेलू आवश्यकता के लिए अनाज को ऋण के रूप में देता था। अधिकतर किसान के लिए ऐसा ऋण लेते थे। जिसे वह साहूकार को सवाया, ड्योडा चुकाता था।⁷

लोकमणी संग्रह बही में मेड़ता के साहूकार वृन्दावन व्यास से कृषक स्वामी उदापुरी ने वि.सं. 1823 (1766 ई.) में साढ़े तीन मण एवं चार सेर धान लिया जिसे फसल कटने के समय चुकाने का वायदा किया था।⁸

3. **खंडी ऋण** - साहूकार ऋणी से ऋण राशि एवं ब्याज की वसूली एक निश्चित समयावधि में किश्तों के रूप में करते थे ऐसा ऋण टिकी, खंडी एवं रहती के नाम से जाना जाता था⁹ किश्ते साहूकार दिनों, महीनों एवं वर्षों के आधार पर निश्चित कर सकता था। यह ऋण अच्छे प्रचलन में था, साहूकार को अपना खंडी व्यवसाय के संचालन के लिए राज्य से अनुमति लेनी पड़ती थी। कोटा एवं जयपुर राज्यों के शासकों द्वारा ऐसे आदेश जारी करके खंडी ऋण का व्यवसाय संचालन करने की साहूकारों को अनुमति प्रदान की थी। जयपुर राज्य में टिकीवाल व्यापारी इसी तरह के खंडी ऋण देने के व्यवसाय में संलग्न थे।¹⁰

बीकानेर राज्य ने साहूकार हिम्मतगीर एवं उदयगिर से 170 रूपये ऋण राशि ली थी। जिसकी 1797 ई., 1798 ई., 1799 ई., 1800 ई., 1801 ई., 1802 ई. में क्रमशः 30, 30, 30, 30, 30 एवं 20 रूपयों किश्तें निश्चित की गई।¹¹

ब्याज दरें - मध्यकालीन राजस्थान ब्याज दरें ऋणी साहूकार के पारस्परिक सम्बन्धों, ऋण के प्रकार, ऋणी की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर थी। प्राचीन भारत में सामाजिक आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण किए जाने का उल्लेख मिलता है। मनु द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के लिए क्रमशः 24, 36, 48 एवं 60 प्रतिशत वार्षिक दरों का निर्धारण किया गया था।¹²

राजस्थान के साहूकारों की बोरगत बहियों के अध्ययन से पता चलता है कि अधिकतर 12, 15, 18, 24 एवं 36 प्रतिशत वार्षिक दरों से ब्याज वसूला गया था।¹³

ऋण प्रणाली में प्रचलित नियम - ऋण प्रणाली में व्यवहारगत प्रचलित नियमों सम्बन्धी मौलिक एवं प्रमाणिक सूचनाएँ सेठ-साहूकारों की बोरगत बहियों और देशी रियासतों के राजकीय दस्तावेजों से प्राप्त होती हैं। ऋणी-ऋणदाता के आपसी विवाद होने पर न्यायालय की शरण लेते थे। राज्य के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय से उस समय ऋण प्रणाली में प्रचलित नियमों का पता चलता है।

बीकानेर एवं मारवाड़ राज्य की क्रमशः कागदो-री-बहियों एवं सनद परवाना बहियों में ऐसे दस्तावेज प्राप्त होते हैं, जिनमें ऋणी-साहूकार के आपसी विवादों एवं राज्य के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की जानकारी मिलती है। सनद परवाना बही नं. 105 के अनुसार साहूकार बैणीराम व्यास के पास संवत् 1865 (1808 ई.) तेली मुसता अल दादरी का एक धान का कोठा (अनाज रखने का भवन) गिरवी रखा था। जिसे 1812 ई. में उसकी पुत्री अणदे ने अन्य साहूकार के पास गिरवी रख दिया इस पर जोधपुर राज्य ने साहूकार बैणीराम व्यास के पक्ष में निर्णय दिए।¹⁴ इसी प्रकार जोधपुर राज्य के साहूकार बगसीराम के पास हिन्दुमल की दुकान अड़ाणे पर रखी थी। जब हिन्दुमल ऋण राशि चुकाकर दुकान पुनः प्राप्त करना चाहता था, तब बगीराम ने मना कर दिया। इस विवाद पर राज्य की परबतसर कचैडी ने बगसीराम को हिन्दुमल से ऋण राशि लेकर दुकान उसे सौंपने के आदेश दिये।¹⁵ कागदो-री-बही नं. 5 में एक रोचक केस मिलता है कि बीकानेर राज्य में भोमू लोहार ने अपना घर साहूकार को गिरवी रखा उस साहूकार ने अन्य सेठ को ऋण पत्र बेच दिया।¹⁶ तब लोहार ने भोग भरने से इंकार कर दिया। विवाद राज्य पहुँचने पर राज्य ने आदेश भोमू लोहार के पक्ष में दिया

उसका घर उसे सौंपने का आदेश हुआ। इन विवादों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि समकालीन ऋण प्रणाली में कुछ व्यवहारगत नियम प्रचलन में थे जिनकी अनुपालना साहूकार एवं ऋणी को करनी पड़ती थी। किराए पर दी गई संपत्ति को गिरवी न रखना, एक बार गिरवी रखी भौतिक संपत्ति अन्य साहूकार के पास गिरवी वस्तु को छोड़ देता था। साहूकार ऋण पत्र को अन्य साहूकार को स्थानान्तरण नहीं कर सकता था। अपितु अड़ाणा ऋण में साहूकार को विशेष अधिकार प्राप्त होते थे। इस तरह स्पष्ट है कि राजस्थान में 17वीं से 19वीं शताब्दी में ऋण प्रणाली विकसित अवस्था में संचालित थी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जावलिया, बृजमोहन (2002) सोशियो-इकॉनॉमिक कंडीशन इन राजस्थान (1650-1750), जोधपुर, पृ. सं. 141-144
2. भारतीय विद्या मन्दिर प्रतिष्ठान बीकानेर में उपलब्ध लोकमणी संग्रह बहियों के ऋण पत्र।
3. जोधपुर राज्य की ख्यात, रघुवीरसिंह/मनोहरसिंह राणावत (सं.) जयपुर, 1988, पृ.सं. 195
4. अग्रवाल, गोविन्द (1976), चूरू मंडल का शोधपूर्ण इतिहास, लोक संस्कृति शोध संस्थान नगर श्री चूरू, पृ.सं. 486-89
5. शेखावत, कुलवन्तसिंह (2005) 'मध्यकालीन राजस्थान की अड़ाणा ऋण पद्धति' रासो अंक-1, सृजन संस्थान अजमेर, पृ.सं. 86-95
6. श्री श्यामसुंदर पोद्दार, कागज नं. 67, लोक संस्कृति शोध संस्थान, नगर श्री चूरू, मरू श्री शोध पत्रिका, चूरू, अंक 2-3 जनवरी-जून, 1980, पृ.सं. 25-26
7. राजस्थान स्टेट गजेटियर, वाल्यूम-III, जयपुर 1996, पृ. सं. 304
8. ऋण पत्र श्रावण सुदि नवम्, संवत् 1823 (1776 ई.), लोकमणी संग्रह बही, भारतीय विद्या मन्दिर शोध प्रतिष्ठान, बीकानेर।
9. गुप्ता, बी. एल. (1987), ट्रेड एण्ड कॉमर्स इन राजस्थान ड्यूरिंग एटीथ सेन्चुरी, जयपुर, पृ.सं. 163
10. बोहरा की लेखा बही, भंडार नं. 7 बस्ता 14, वि.सं. 1878 (1821 ई.), कोटा रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
11. कागदो-री-बही नं. 10, वि.सं. 1854 (1797 ई.) बीकानेर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
12. शर्मा, राम शरण (2000), प्रारम्भिक भारत का आर्थिक एवं सामाजिक इतिहास, नई दिल्ली, पृ. सं. 227-248
13. शेखावत कुलवन्तसिंह (2012) 'राजस्थान में प्रचलित एवं मान्य ब्याज दरें एवं विधियाँ' प्रोसिडिंग्स राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस वाल्यूम XXVII, पृ. सं. 280-286
14. सनद परवाना बही नं. 105, जोधपुर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।
15. सनद परवाना बही नं. 116, वि.सं. 1906 (1849 ई.) जोधपुर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर।
16. कागदो-री-बही नं. 5 वि.सं. 1838 (1781 ई.) बीकानेर रिकॉर्ड्स, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर।

राजनीतिक एवं सामाजिक जन-जागरण में समाचार पत्र-पत्रिकाएँ की भूमिका

डॉ. दीपक अग्निहोत्री *

शोध सारांश – भारत में अपने जन्म के साथ ही समाचार पत्र-पत्रिकाएँ को संघर्ष करना पड़ा। ये संघर्ष चलता रहा और इसी संघर्ष ने आगे चल कर स्वतंत्रता आन्दोलन के दीप को प्रज्वलित किया। इन समाचार पत्रों ने तमाम बन्दिशों और अंग्रेजों के अत्याचार को सहते हुए न केवल लोगों को जागृत किया बल्कि उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष खड़ा कर दिया।

तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाएँ में न सिर्फ भारतीय जनता का राजनीतिक जागरण किया बल्कि सामाजिक बुराइयों और साम्प्रदायिकता पर भी जम कर प्रहार किया। लोगों को उनकी कमियाँ बताई ताकि लोग उन्हें समय रहते दूर कर सकें

प्रस्तावना – प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक दो वर्ष पहले और दो तीन वर्ष बाद तक के राजनीतिक जागरण के क्षेत्र में समाचार पत्र-पत्रिकाएँ का विशेष योगदान नहीं था, किन्तु प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लगभग दस वर्षों बाद भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के आगमन से राष्ट्रीयता पर आधारित राजनीतिक जन-जागरण के कार्य में विशेष तेजी आई। 23 मार्च 1874 ई की 'कविवचनसुधा' में भारतेन्दु ने एक प्रतिज्ञा-पत्र प्रकाशित किया कि 'हम लोग सर्वान्तदासी सत्र स्थल में वर्तमान सर्वदृष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहिनेंगे और जो कपड़ाऔर सब देश हितैषी इस उपाय की वृद्धि में अवश्य उद्योग करेंगे।' इस तरह के समाचारों को लिखकर के उन्हें देशी वस्त्रों को पहनने के लिए प्रेरित किया जाता ताकि, अंग्रेजों से कुछ तो पीछा छूट सके। समाचार पत्रों के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता। इस पर भी जब जागने का नाम नहीं लिया जाता तब उन्हें झिंझोड़कर 'स्वदेशी' अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता। स्वदेशी पर देशवासियों को धिक्कारते हुए प्रताप नारायण ने अपने समाचार पत्र में लिखा था कि 'हम और हमारे सहयोगीगण लिखते-लिखते हार गए कि देशोन्नति करो, पर यहाँ वालों का सिद्धान्त है कि अपना भला हो, देश चाहे चूल्हे में जाए, यद्यपि जब देश चूल्हे में जाएगा तो हम बच न रहेंगे।.....यदि अब भी न चेतें तो तुमसे ज्यादा भकुआ कौन?' समाचार पत्रों में इस तरह के लोग छापने का उद्देश्य स्पष्ट था कि आम जन को राष्ट्रीयता का बोध कराया जा सके।

भारतेन्दु जागरूक व्यक्ति थे, उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता आन्दोलन की असफलता को देखा था और उन्होंने महसूस किया कि यदि शीघ्र हिन्दी भाषा को समूचे राष्ट्र की भाषा के रूप में परिणित नहीं किया गया तो, यह अंग्रेजी सरकार भाषाई विवाद को हवा देकर भारत को कई टुकड़ों में विभाजित कर देगी। इसके साथ ही भाषाई विवाद को हवा देकर वह राष्ट्रीयता की भावना का समूल नाश करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 'एक देश-एक भाषा' का आन्दोलन शुरू किया उन्होंने अपनी पत्रिका में स्पष्ट घोषणा की-

'निज भाषा उन्नतिअहैं सबउन्नति को मूल।

बिन निधि भाषा ज्ञान के,मिटै न हिय को शूल'।।

ब्रिटिश सरकार बिलकुल भी नहीं चाहती थी कि हिन्दी का विकास हो क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि हिन्दी का समुचित विकास हो गया और यदि सारे देश में यह भाषा स्वीकार्य को गई तो हमें राज करना मुश्किल हो जाएगा।

इसलिए वह अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी भाषी समाचार पत्रों को प्राथम्य अपनी इसी नीति के कारण देती थी। भारतेन्दु और उनके समकालीन व्यक्तियों के दिमाग में यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई थी कि यदि देश और समाज का उद्धार करना है, तो हमें 'एक देश एक भाषा' का सिद्धान्त अपनाना पड़ेगा। तभी हमें इन अंग्रेजों से छुटकारा मिल सकता है, इसलिए पं. प्रताप नारायण मिश्र का कहना था कि 'हिन्दी का पूर्ण प्रचार हुए बिना हिन्दुओं का उद्धार असंभव है।'³

भारतेन्दु के मन में यह बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई थी। इसलिए उन्होंने हिन्दी के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास किया। देश की जनता को जागरूक करने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। उन्होंने अपनी लेखन में राजनीति से लेकर साहित्य तक हर क्षेत्र में अपने देशवासियों को समाचार पत्रों के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया। उन्होंने देश के अंग्रेज परास्त देशवासियों को धिक्कारते हुए अपनी पत्रिका 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' लिखा कि 'इस वर्ग से भिन्न दूसरा वर्ग उन संस्कृत पण्डितों का था, जो पौरिहित्य आदि मेंकिन्तु अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों के तलवे चाटने और जी हजुरी करने में रात-दिन एक कर रहे थे। आगे इसी अंक में उन्होंने लिख कि अपनी मेम्बरी कुर्सी मुलाकात तथा प्रतिष्ठा के सामने उन्हें देशभक्ति या राष्ट्रोत्थान की कोई चिंता न थी।'⁴ इस तरह के समाचार छाप कर लोगों को अंग्रेजों की गुलामी न करने के लिए कहा जाता, साथ उन्हें देश के बारे में कुछ सोचने के लिए विवश करता है।

धीरे-धीरे ही सही, कुछ लोग ही सही जो देश की तत्कालिन स्थिति से असन्तुष्ट थे। उन्हें अपने देश की चिंता थी वे चाहते थे कि देश को जितनी जल्दी हो सके, इन अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाए। इस काल के पत्रकारों में भारतेन्दु अधिक उग्र थे। उन्होंने ही देशवासियों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया। अपने लेखों से निरन्तर समाज और देश के लोगों को झिंझोड़ने का कार्य करते रहे। उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता और निष्ठुरता को इंगित करते हुए 4 जून 1874 ई. को 'कविवचनसुधा' में लिखा कि 'चुंगी और टैक्स की निष्ठुरता को भी आपकी क्रूरता मात करती हैं।.....से तुम्हारा वश चलता है।'⁵ न तो भारतेन्दु यहीं रुके पर और न ही 'कविवचनसुधा' यहाँ पर आकर रुकी। इन्होंने निरन्तर अंग्रेजों के खिलाफ लिखा। एक लेख में उन्होंने लिखा कि 'हे देशवासियों इस निद्रा से चौको। इनके (अंग्रेजों) भरोसे मे मत फुलें रहो, ये विद्या (अंग्रेजी) कुछ काम न आवेगी।'⁶ अंग्रेजी

सरकार के प्रत्येक दमनकारी कदम का विरोध करना 'कविवचन सुधा' का लक्ष्य बन गया था। तभी तो जनता पर लायसेंस से कर लगाया तो 'कविवचनसुधा' ने इस कर को आयकर के 'दादा' के नाम से सम्बोधित किया।⁷

समाचार पत्रों में राष्ट्रीयता की भावना पर पर्याप्त प्रकाश डाला जाता था। इसी के साथ हम भारतीयों में जो फूट थी और उसका लाभ विदेशी ले रहे हैं। इस बात को आम जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। इस तरह देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए काशी से प्रकाशित पत्रिका 'कविवचनसुधा' ने लिखा कि 'शोक का स्थान है कि भारतवासी लोग अब तक इस बात से अनभिज्ञ हैं। कि इस देश की अवनति का मूल यही परस्पर द्वेष है और इसी फूट, बैर से भारत ऐसी हीन दशा को पहुंचा। इसी द्वेष के कारण बड़े-बड़े राज्य नष्ट हो गए और इसी ईर्ष्या के हाथ पड़ बड़े-बड़े लोगों ने अपना जीवन नष्ट कर दिया।'⁸ अंग्रेज अपने को सभ्य, शिक्षित होने का दावा करते थे और हमें असभ्य और बर्बर की उपाधि से नवाजते थे। उन्होंने भारत पर राज करने के हर हथकण्डे को अपनाया, वे हमारे साथ दोग्यम दर्जे का व्यवहार करते थे। न्याय व्यवस्था में भी दोग्यम दर्जे का व्यवहार होता था। एक ही अपराध के लिए भारतीयों को अलग और कठोर दण्ड जबकि यूरोपियनों और अंग्रेजों को उसी अपराध के लिए मामूली सजा देकर या फिर उन्हें येन-केन-प्रकारेण छूट का लाभ देकर मुक्त कर दिया जाता था।

देशवासियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए अंग्रेजों की इस नीति पर 'सार सुधानिधि' ने जमकर प्रहार किया। अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था को लक्ष्य करके अपने 39 वें अंक में 'सारसुधानिधि' ने उन्नतसर्वी सदी ब्रिटिश राज्य ब्रिटिश न्याय' शीर्षक से लिखा कि 'तुम सबको एक बार नमस्कार है, भाग्यहीन हिन्दुओं देखो यद्यपि तुम्हारे अंग-भंग तराशे जाए तुम चूँ न कर उठना, नगर में टें-टें करोगे हवालात में छोड़े जाओगे, पत्रों में चिल्लाहट मचाओगे प्रेस एक्ट एक ही कौर में तुम्हें खा जाएगा, तुम्हारे समय प्रभु तो.....हाय! महारानी विजयिनी। क्या आपने हम हतभाग्यकारों को शरण में ले, अपने विमल यश पर लांक्षन लगाया'⁹

तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाएँ ने न सिर्फ ब्रिटिस सरकार की आलोचना तक अपने को सीमित रखा बल्कि भारतीय समाज के हिन्दू और मुसलमानों के आपसी वैमनस्य पर भी जमकर प्रहार किया। समाचार पत्रों द्वारा इस प्रकार के प्रहार व्यंग्यात्मक लहजों में किया जाता था। सितम्बर 1879 ई. को हिन्दी प्रदीप' ने अपना व्यंग्य इसी को लक्ष्य करके लिखा था। कि'.....एक पण्डित जी वर्ण पर कुछ वक्तृता कर रहे थे, इतने में एक मसखरा बोल उठा-पण्डित जी कुत्ते की क्या जाति है हिन्दू या मुसलमान। पण्डित जी ने जबाव दिया-कुत्ता तो हिन्दू मालूम होता है क्योंकि यदि मुसलमान होता तो दूसरे कुत्ते को अपने साथ खिलाने में न भूंकता...'¹⁰ इसी तरह 'कविवचनसुधा' ने भारतीयों की आपसी फूट पर उन्हें नसीहत देते हुए एक सूत्र में बँधकर रहने का सन्देश देते हुए, 8 जून 1874 ई. के अंक में लिखा कि 'भाइयों अब तो सन्नद्ध हो जाओ ताल ठोक करके इनके सामने तो खड़े हो जाओ और देखो भारत वर्ष का धन जिससे जाने न पावे, उपाय करो।'¹¹

भारतीय समाज में उस समय कई कुरीतियाँ और अन्ध-विश्वास फैले हुए थे। इन पर भी समाचार पत्र-पत्रिकाएँ में लेख होते थे। कुछ समाचार पत्रों को पाठको के पत्र भी प्राप्त होते थे, वे उन्हें ज्यों का त्यों छाप देते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि धीरे-धीरे भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना आ रही थी। कई भारतीयों को महसूस हो रहा था कि बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाज से दूर हटाना चाहिए' विधवाओं को भी

अपना जीवन जीने का पूरा हक है' सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का अन्त होना चाहिए। 25 जून 1881 ई. के अंक में 'उचितवक्ता' ने एक पाठक का पत्र प्रकाशित किया। इसमें पाठक ने लिखा था कि 'एक दिन यह विधवाओं की आह आपत्ति लावेगी और फिर लावेगी क्या वो आ ही चुकी, देखिए कौन सी दशा इस भारत की हुई है। यह इन्हीं विधवाओं के शाप का प्रतिफल है।'¹² 18 समाचार पत्र-पत्रिकाएँ का दायरा अब बढ़ता जा रहा था, न सिर्फ अब विधवा और बाल विवाह जैसे विषयों पर सीमित थे बल्कि, छुआछूत, गो-वध जैसी कुरीतियों पर भी जमकर प्राहार करते थे। इन सबके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य जनता को इनसे छुटकारा दिलाना था।

अंग्रेजों की विस्तावादी नीति की भूख अभी शान्त नहीं हुई थी तभी तो उन्होंने लार्ड नार्थ ब्रुक की जगह लार्ड लिथन को सन 1876 ई. में वायसराय बना करके भेजा। लिथन को भारत भेजने की नीति के पीछे अफगानिस्तान का मसला था। अंग्रेज किसी भी सूरत में अफगानिस्तान को अपने अधिकार में देखना चाहते थे। लिथन ने आते ही अपनी विस्तार संबंधी अफगानिस्तान की नीति आरंभ की। इसके साथ अपनी नई आर्थिक नीति बना कर उस पर अमल करना शुरू किया। लार्ड लिथन के कृत्य का तत्कालीन समाचार पत्र-पत्रिकाएँ ने जमकर विरोध किया। लार्ड लिथन को लक्ष्य करके 'सारसुधानिधि' ने वर्ष 2 के अंक 17 में लिखा कि 'धन्य है आपको नमस्कार है। आपकी लीला अपरंपार है आप जो कहते हैं सब सत्य है।.....किन्तु लार्ड लिथन का प्रताप उनसे भी बढ़कर दिखाई देता है कि निरपराधी बीस करोड़ भारतवासी को एक विध अपराधी कर सभी एक ही दण्डाज्ञा द्वारा गूंगा और लज्जा कर बैठाया। आश्चर्य है कि इनकी इस उग्र को दण्ड विविध के अनुसार आप भी हमारी व्यथा सुनने की परांगमुख हो अभी काल की प्रतीक्षा की आज्ञा देते है।'¹³ सारसुधानिधि यही आकर नहीं रुकता, वह लार्ड लिथन से प्रथम वर्ष के 38वें अंक में 'काबुल का व्यय कौन देगा' शीर्षक से पूछता है कि 'काबुल का युद्ध भारत वर्ष के विशेष हित के लिए न होकर इंग्लैण्ड के हित के लिए हुआ था।

तत्कालीन समय के समाचार पत्र-पत्रिकाएँ ने भारतीय जनता को न सिर्फ अंग्रेजों के विरुद्ध जगाया बल्कि उन्हें सामाजिक बुराइयों के बारे में भी जाग्रत करने का काम करते रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कृष्ण बिहारी मिश्र-हिन्दी पत्रकारिता-पृ.- 114
2. वही पृ.- 115
3. उदधृत डॉ. वंशीधर लाल-भारतीय स्वतंत्रता और हिन्दी पत्रकारिता-पृ.. 123
4. वही पृ.- 133
5. उदधृत : डॉ. वंशीधर लाल-भारतीय स्वतंत्रता और हिन्दी पत्रकारिता-पृ. 123
6. उदधृत वही पृ.- 133
7. वेद प्रताप वैदिक- हिन्दी पत्रकारिता - विविध आयाम भाग- 1 पृ. 89
8. कृष्ण बिहारी मिश्र-हिन्दी पत्रकारिता-पृ.- 150
9. वही पृ.- 174
10. डॉ. वंशीधर लाल-भारतीय स्वतंत्रता और हिन्दी पत्रकारिता पृ.-96
11. उदधृत वही पृ.-99
12. कृष्ण बिहारी मिश्र-हिन्दी पत्रकारिता-पृ.- 231
13. उदधृत वही पृ.- 163-164

मध्यप्रान्त का जंगल सत्याग्रह (1930 से 1931 ई. तक) नागपुर क्षेत्र के परिपेक्ष में

डॉ. रामबिलास मरकाम *

शोध सारांश - गांधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन पूरे राष्ट्र में समुद्र तट व विशाल पानी वाले स्थानों पर नमक बनाकर 'नमक कानून' तोड़कर चलाया गया, साथ ही चूँकि मध्यप्रान्त में ऐसे विशाल पानी वाले स्थान नहीं थे उसके स्थान पर, अंग्रेज सरकार द्वारा बनाए गए 'वन कानून' के विरोध में वन कानून का उलघन कर अहिंसात्मक रूप से 'जंगल सत्याग्रह' चलाया गया। यह अध्ययन मध्यप्रान्त में नागपुर क्षेत्र के 'जंगल सत्याग्रह' (1930-1931 ई. तक) पर आधारित है।

प्रस्तावना - 'जंगल सत्याग्रह' मध्यप्रान्त में दो चरणों में चलाया गया। मध्यप्रान्त अवलोकन - मध्यप्रान्त ब्रिटिश आधीन भारत का एक प्रान्त था। मध्य प्रान्त का निर्माण सन 1861 ई में हुआ। यह प्रान्त मध्य भारत के उन राज्यों से बना था, जिन्हें अंग्रेजों ने मराठों एवं मुगलों से जीता था। इस प्रान्त की राजधानी नागपुर थी। यह क्षेत्र नॉन रेग्यूलेशन प्रांत के रूप में नागपुर स्थित चीफ कमिश्नर के अधीन रखा गया था। मध्यप्रान्त में सागर-नर्मदा क्षेत्र के सागर, दमोह, जबलपुर, मण्डला, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद एवं नागपुर क्षेत्र के नागपुर, चाँदा, भण्डारा, छिन्दवाड़ा, रायपुर, बस्तर तथा बरोदा जिले शामिल किए गए थे। यद्यपि इस क्षेत्र के भीतर जाति, भाषा और आचार-विचार की विभिन्नता विद्यमान है, तो भी इसमें स्थित जिले, जातियाँ तथा वर्गों में से अनेक या तो एक समान हैं या उनमें आपस में ठोस सादृश्य तथा एक रूपता हैं। नागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत तालेगाँव, तूरिया गाँव, वर्धा, चाँदा, यवतमाल, अकोला, रामटेक के 'जंगल सत्याग्रह' का अध्ययन प्रस्तुत है।

उद्देश्य - आधुनिक भारतीय इतिहास के इस कालखंडीय सिंहावलोकन में उन सभी प्रसंगों, घटनाओं तथा सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जिन्हें समकालीन कर्णधारों ने एवं आम नागरिकों ने अपने जीवन में घटित होते हुए देखा। इस विशिष्ट ऐतिहासिक प्रवाह के दो पक्ष हैं एक भारतीय और दूसरा ब्रिटिश। एक ओर जब विदेशी सत्ता देश के विभिन्न भागों को जकड़ रही थी तो दूसरी ओर गुलामी की कड़ियों को तोड़ने का प्रयास भी चल रहा था। यह प्रयास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सानिध्य में सुव्यवस्थित जन आन्दोलन के रूप में चला। 1930-34 ई. का सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी महात्मा गांधी द्वारा पूरे राष्ट्र के साथ मध्यप्रान्त में भी दो चरणों में चलाया गया, जिसमें प्रथम चरण 1930 से 1931 ई. तक की अवधि में जो भी घटनाएं, सत्याग्रह, धरना, बहिष्कार कार्यक्रम हुए तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आए उनका समुचित, सविस्तर वर्णन करने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रान्त के नागपुर क्षेत्र के बारे में इस काल का कोई प्रमाणित समग्र इतिहास अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, जो भी ज्ञान उपलब्ध है। वह सम्पूर्ण भारत के सविनय अवज्ञा आन्दोलन एवं उससे जुड़े घटनाक्रम के संदर्भ में मिलता है। अतः इस विषय पर यह शोध कार्य इतिहास के अध्ययन

में आवश्यक और उपयोगी सिद्ध होगा ऐसी आशा है।

जंगल सत्याग्रह - मध्यप्रान्त में चूँकि ऐसे विशाल पानी वाले स्थान नहीं थे इसलिए इस कानून का विरोध प्रदर्शन जुलूस एवं भाषणों द्वारा तो खूब किया गया परन्तु रचनात्मक रूप में यह कार्यक्रम नहीं चल पाया। इसके स्थान पर अंग्रेज शासन काल में 'वन कानून' (जिसके अन्तर्गत रहवासियों को जलाऊ लकड़ी, कास्तकारी उपयोग हेतु लकड़ी, मवेशियों को जंगल में चराने व घास काटने पर प्रतिबंध था) के विरोध में पं. द्वारका प्रसाद मिश्र ने 'जंगल सत्याग्रह' कार्यक्रम को गांधीजी से विचार-विमर्श कर नेहरूजी से अनुमति लेकर पूरे प्रांत में अहिंसात्मक रूप से कार्यान्वित कराया। यह मध्य प्रांत का चूँकि अपना निजी कार्यक्रम था, इसलिए यहां के नेताओं जैसे सेठ गोविन्द दास, एम.व्ही. अभ्यंकर, रविशंकर, अनसुईया बाई काले, डी.पी. मिश्रा, तेज बहादुर सप्रू, रायबहादुर माधवराव गणेश देशपांडे, एम.पी.काले, सी.वी.पारिख, दुर्गाबाई जोशी, एन.एस.पाटिल, डॉ.ई.राघवेन्द्र, एस.बी.ताँबे आदि प्रमुख नेताओं के कुशल मार्गदर्शन में स्थानीय निवासियों के सहयोग से बड़े उत्साह एवं अहिंसात्मक तरीके से नागपुर क्षेत्र में 'जंगल सत्याग्रह' को चलाया गया।

नागपुर क्षेत्र के निम्न 'जंगल सत्याग्रह' का अध्ययन किया गया है - **तालेगाँव का जंगल सत्याग्रह** - तालेगाँव में पहले जत्थे का नेतृत्व टिककर ने किया, उन्होंने 28 स्वयं सेवकों के साथ 24 जुलाई को नागपुर से प्रस्थान किया और पैदल यात्रा करते हुए गौडखेरी, बजारगाँव, कोढली, थानेगाँव, करेजा, तथा सारवाडी में ठहरते हुए अपने शिविर में 31 जुलाई को सांयकाल पहुँचे। 1 अगस्त को स्वयं सेवकों का चल समारोह जंगल की सीमा पर पहुँच गया और उन्होंने ने अधिकारियों को कार्यकारिणी समिति का प्रस्ताव क्रं 6 दिया। जिसमें शासकीय कर्मचारियों का कहा गया था कि वे विदेशी सरकार की सेवा त्याग दें। अधिकारियों ने स्वयंसेवकों से पूछा कि उन्होंने शासकीय वन में प्रवेश की अनुमति प्राप्त की थी तो उत्तर नकारात्मक मिला। स्वयं सेवक जंगल में घुस गये और घांस काटना प्रारंभ कर दिया। ज्यों ही सत्याग्रह प्रारंभ हुआ समस्त घाटी कर्णभेदी नारों से गूँज उठी। लौटते समय स्वयं सेवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक सामूहिक सत्याग्रह का मामला था। जिसमें कुल 500 लोगों की सामूहिक गिरफ्तारियां हुईं।

तूरिया ग्राम का जंगल सत्याग्रह -सिवनी-नागपुर मार्ग पर स्थित तूरिया

ग्राम में मूका लुहार और उसके साथियों ने 9 अक्टूबर को शासन को सूचित कर तूरिया के निकट सरकारी जंगल में घास काटने पहुँचे। कलेक्टर सीमेन के निर्देश में पुलिस इंस्पेक्टर ने मूका लुहार और उनके साथियों को बिना घास काटे गिरफ्तार कर लिया। लोगों को मूका की गिरफ्तारी खबर सुनकर लोग बड़ी संख्या में पुलिस केम्प की ओर बढ़े तो पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें 3 स्त्रियाँ एवं 1 पुरुष की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद सामूहिक रूप से कई आदिवासी समूहों जिसमें स्त्री-पुरुषों ने मिलकर रक्षित वनों में घास काटी व जलाऊ लकड़ी भी काटी और अपनी गिरफ्तारी का आमंत्रित करते रहे जो नहीं हुई। कई जगह 10 से 15 हजार तक लोग घास काटने में हिस्सा लेते रहे।

वर्धा का जंगल सत्याग्रह - वर्धा क्षेत्र के हीगन घाट के जिराध गाँव में वर्धा में आर.ए. नारखेड़े के सहयोग से ग्रामीणों के संघ में लगभग 24 लोगों के समूह ने संरक्षित वन में सैकड़ों मवेशी चराए। जब वर्धा खबर पहुँची तो वहां से पुलिस बल और जंगल के 3 कर्मचारियों ने हीगन घाट पहुँचकर अन्य सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर वर्धा ले गए तथा 1700/- रुपये जुर्माना कर छोड़ दिया गया। लोगों ने वापस गाँव पहुँचकर अपने कार्यक्रम को चालू रखा और सत्याग्रह में भरपूर सहयोग देते रहे। हीगन घाट के नागरी में वन कानून तोड़ने के लिए श्रीमती थट्टे को गिरफ्तार किया गया।

चौदा का जंगल सत्याग्रह - चौदा में काँग्रेस कमेटी ने यह घोषणा कि थी कि पूरे जिलों के जंगलों में 24 अगस्त को वन सत्याग्रह शुरू किया जावेगा। सरकार ने काँग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्री देवताले भूतपूर्व एम.एल.सी. और अन्य सदस्यों को 31 अगस्त को एहितयात के तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। चौदा के एक बगीचे में जंगल विभाग द्वारा लगाए गए 20 चंदन के पेड़ों में से 18 पेड़ किसी ने रात में काटकर सरकार को नुकसान पहुँचाया था, इस संबंध में कई नवयुवकों एवं सत्याग्रहियों से पूछताछ की गई।

रामटेक का जंगल सत्याग्रह - रामटेक में लोगों ने सामूहिक जंगल सत्याग्रह का आयोजन 8 अगस्त को सेबेरे रामटेक से 8 मील दूरी पर सरकारी जंगल में किया। सत्याग्रहियों ने जिनमें बहुत सी स्त्रियाँ भी थी जुलूस बनाकर जंगल की ओर प्रस्थान किया और तहसीलदार तथा अन्य वन्यकर्मियों एवं पुलिस की उपस्थिति में घास काट कर जंगल कानून तोड़ा। बहुत सी घास काटकर रस्सी बांध बोझा बनाकर अपने घर लाई गई। सरकार की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी इसमें नहीं हुई और सभी सत्याग्रही 'जंगल कानून' तोड़कर रामटेक वापस लौट आए। नागपुर से डॉ. कुलकर्णी 11 स्वयं सेवकों के साथ रामटेक, घायल हुए सत्याग्रहियों के इलाज के लिए गये थे परन्तु ऐसा मौका नहीं आया (न लाठीचार्ज हुआ और न ही किसी की गिरफ्तारी)।

यवतमाल का जंगल सत्याग्रह -क्षेत्र के यवतमाल काँग्रेस संघ के कुछ सदस्यों ने भी इस सत्याग्रह में भाग लिया 23 सितम्बर को सरूल जंगल में भाउराम देशपाण्डे, जयराम पाटिल, सीताराम के नेतृत्व में एक जुलूस के रूप में जत्थे ने सरूल जंगल में प्रवेश किया तथा बहुत मात्रा में लकड़ी काटकर वन का नुकसान किया, यवतमाल के जंगल पर विशेष नजर रखी जाती थी क्योंकि यहाँ अच्छे किस्म की कीमती ईमारती लकड़ी होती थी घास का क्षेत्र भी अच्छा और विशाल था। 'वन कानून' तोड़ने के लिए वरूचा एस.डी.एम. ने देष्पाण्डे, पाटिल व सीताराम को कारावास की सजा सुनाई और वाकी स्वयं सेवकों को जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया।

अकोला का जंगल सत्याग्रह - 'जंगल कानून' अकोला में भी सामूहिक नेत्रत्व के साथ तोड़ा गया निम्न काँग्रेस कार्यकर्ताओं को 4 माह के साश्रम

कारावास की सजा सुनाई गई - मि. रंगनाथ राव केलकर सर्व श्री त्रयम्बकराव वरहालकर, सदा शिवराव सम्भा जी, महादेव नारायण और लक्ष्मण सखाराम सर्वश्री किशन रंभा जी, रामचन्द्र नारायण, काशीराम नथू अम्रत विठोवा पुडलिक, सीताराम और मोतीराम गनू यह सभी लोग गिरफ्तार किए गए। इन सभी पर सामूहिक या अलग-अलग कानून तोड़ने का अपराध कायम था।

निष्कर्ष - मध्यप्रान्त में नागपुर क्षेत्र के 'जंगल सत्याग्रह' में बड़े- बूढ़े, नवयुवक, बच्चों एवं महिलाओं ने भाग लिया एवं वन कानून का उल्लंघन घास काटकर, जलाऊ एवं कास्तकारी के उपयोग की लकड़ी काटकर, मवेशी जंगलों में चराकर किया। मध्यप्रान्त के क्षेत्रों में आन्दोल के प्रथम चरण में यह आन्दोलन बड़ी सफलता एवं अनुशासित तरीके से चला। जंगल सत्याग्रह ने राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन में परोक्ष व अपरोक्ष रूप से योगदान दिया। गाँधी जी का नेतृत्व एकता के सूत्र में बाँधने वाली शक्ति के रूप में कार्य करता रहा। इस आन्दोलन से विदेशी वस्तुओं एवं कपड़ों का बहिष्कार एवं स्वदेशी तथा खादी को अपनाने का प्रचार हुआ।

भारत भारतीयों का अपना देश है, भारतीयों का ही शासन होना चाहिए किसी बाह्य शक्ति का हस्ताक्षेप की जरूरत नहीं है। इस उद्देश्य की प्राप्ति चूँकि इस आन्दोलन के बाद न हो सकी पर, यही अहिंसक कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता गया जो 1947 में अभिष्ट फल देने में सफल रहा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ताराचंद - हिस्टी ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट एन इंडिया ।
2. सी.वाई. चिंतामणि - इंडियन पालिटिक्स सिन्स क्यूटवी ।
3. डी.पी. मिश्रा - मध्यप्रान्त में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास ।
4. बी.एल.ग्रोवर - भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास ।
5. पट्टाभि सीतारामैया - काँग्रेस का इतिहास ।
6. गर्वनमेंट ऑफ मध्यप्रदेश दा हिस्टी ऑफ मूवमेंट ऑफ मध्यप्रदेश नागपुर मध्यप्रदेश ।
7. फारेस्ट डिपार्टमेंट 1.4.1931 बरार संभाग के कमिश्नर डी. का नोट ।
8. नोट ऑन दि सिविल डिसओविडियेन्स मूवमेंट इन दि सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार - 1930.
9. पोलिटिकल एण्ड मिलेटरी सीडी.एम.- 1930.
10. सुभास चन्द्र बोस - दा इंडियन स्ट्रेगल - 1920-1942.
11. नेहरू पेपर्स - नेहरू टू गाँधी ।
12. ए.आई.सी.सी. पेपर्स फाइल सी. - 1929-30.
13. डॉ. ए.के. मित्तल - भारत का इतिहास 1858-1950 ई. तक राष्ट्रीय आन्दोलन के विशेष संदर्भ में ।
14. प्रो. रामलखन शुक्ल - आधुनिक भारत का इतिहास स्वतंत्रता प्राप्ति और देश विभाजन तक ।
15. कु.शालिनी सक्सेना - अहिंसात्मक आन्दोलन में मध्यप्रान्त की अग्रणी महिलाएं 1920 से 1947 ई. तक ।
16. श्रीमती विजेता चौबे - मध्यप्रान्त में सामाजिक रूपान्तरण सन 1861 से 1947 ई.तक ।
17. श्रीमती कल्पना स्थापक - मध्य नर्मदा घाटी में सामाजिक रूपान्तरण का इतिहास 1861 से 1947 ई. तक ।
18. .हितवाद 14 जुलाई 1930, हितवाद 25 सितम्बर 1930, एवं हितवाद 25 सितम्बर 1930.

दलितोद्धार आंदोलन

डॉ. एकता पाल *

प्रस्तावना - भारतीय समाज जिन कुरीतियों, कुप्रथाओं से ग्रस्त था, उनमें जातीय आधार पर उनका क्रूर विभाजन बहुत बड़ी बुराई था। इस उच्चता निम्नता की शवना ने समाज में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर दिया। भारतीय समाज का बहुत बड़ा वर्ग अस्पृश्य अर्थात् अछूत बनकर रह गया। इनके छायामात्र के स्पर्श से उच्च कही जाने वाली हिन्दू जाति स्वयं को अपवित्र मान बैठती थी। इनमें से कुछ प्रमुख जातियों में - महार एवं मतंग (महाराष्ट्र) चर्मकार (पश्चिमी तथा उत्तरी भारत), माला एवं मडिग (आन्ध्र), होलेया (कर्नाटक), पल्लार शानन एवं परिया (तमिलनाडु) और एझवा (केरल) आदि जातियां। सवर्ण हिन्दुओं में भी अनेक उच्च एवं पिछड़ी जातियां थीं, जैसे- जाट, अहीर, गूजर पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा एवं पंजाब, मराठा महाराष्ट्र, बेल्लार (तमिलनाडु) कम्पा, कापू और रेड्डी (आन्ध्रप्रदेश) वोक्कलिंग लिंगायत और बत कर्नाटक प्रमुख उच्च जातियों में उत्तर भारत के राजपूत ब्राह्मण तथा शूमिहर तथा दक्षिण एवं पश्चिमी भारत के ब्राह्मण थे।

प्रारंभ से ही भारतीय समाज का स्वरूप ऐसा नहीं था। बल्कि ऋग्वैदिक काल के पूर्व सिन्धु सभ्यता काल में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के 400 वर्षों के काल में सम्पन्न सामाजिक जातियों के प्रमाण मिले हैं। इनका अनुमान नगरों की खुदाई से मिले कलाकृतियां, मनके, मुहरें, ईंटें, मिट्टी के बर्तन, ताँबे, सोना चाँदी एवं शंख व हड्डियों से बने गहने उस युग की कलात्मक श्रेष्ठता और श्रेष्ठ सामाजिक स्तर की कहानी कहती हैं, किन्तु किसी जाति या प्रजाति के श्वेदभाव के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है, जिसमें शूद्रों की उत्पत्ति आदि पुरुष के पैरों से बताई गई है। इसी प्रक्रिया में जातिगत सामाजिक व्यवस्था का विकास हुआ तथा समाज छोटी ईकाईयों में विभाजित हो गया। इस व्यवस्था में निम्न वर्ग का हर प्रकार से शोषण किया गया।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक चेतना की जागृति तथा पाश्चात्य शिक्षा एवं उदार विचारों के प्रभाव से पर्याप्त सुधार हुआ फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हुआ।

जाति आंदोलन का स्वरूप - छठी सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों में शी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह हुआ था। वैदिक धर्म में बाह्य आडंबर और कर्मकांडों की जटिलताओं से समाज ग्रस्त हो रहा था। ब्राह्मणों के नैतिक पतन से धार्मिक व्यवस्था चरमरा गई। उस समय शूद्रों ने ऐसे समाज व धर्म का परित्याग करना उचित समझा जिसमें जातिगत श्वेदभाव थे तथा मिथ्या आडंबरों से पूर्ण था। वो ऐसे धर्म को अपनाना चाहते थे जो कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिला सके। उस समय बहुत से शूद्रों ने महात्मा बुद्ध के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बुद्ध के समतावादी सामाजिक धारणा से तत्कालीन जनता बहुत प्रभावित हुई थी।

शक्ति आंदोलन - 11वीं- 12वीं सदी में शक्ति आंदोलन के सन्तों ने जाति व्यवस्था का खण्डन किया। 14वीं सदी में रामानंद का जन्म एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामानंद ने ब्राह्मणों की प्रभुता को अस्वीकार करते हुये निम्न एवं अछूत वर्ग के लोगों को भी समान धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके क्रांतिकारी विचारों का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा। रामानंद ने अपने सभी शिष्यों के साथ समानतापूर्ण व्यवहार किया। उनके उपदेशों से तत्कालीन जाति पाँति के बंधन ढीले हो गये। उनके शिष्यों में धन्नाजाट, सेना नाई, रैदास जाटव, तथा कबीर मुस्लिम थे। महाराष्ट्र में रामानंद के प्रमुख शिष्य संत नामदेव थे। वे ऊँच नीच का श्वेदभाव नहीं मानते थे। नामदेव से लेकर तुकाराम तक ने मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में शक्ति एवं सामाजिक समानता की शवना का प्रचार किया। कबीर और रैदास के दोहों ने जाति व्यवस्था पर कुठाराघात किया। कबीर और रैदास कहते हैं-

'जाति पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को श्जे सो हरि का होई।'
जा देखे धिन उपजे, नरक कुंड में वास,
प्रेम भक्ति सो उघरे, प्रगटन जन रैदास।।

आर्य समाज आंदोलन - 18- 19 वीं सदी में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने दलितों के लिये विभिन्न शैक्षणिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ किये। स्वामी जी शूद्रों को उनके सामाजिक एवं धार्मिक अधिकार दिलाने के प्रबल समर्थक थे। स्वामी दयानंद के शिष्यस्वामी श्रद्धानंद ने 12 अप्रैल 1917 में दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। सन् 1921 में उन्होंने यदलितोद्धार सभा की स्थापना की। उनका विचार था कि जब तक भारत की अछूत कही जाने वाली जातियों का उद्धार नहीं होगा, तब तक भारत कभी स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी श्रद्धानंद, लाला नारायण दत्त, लाला ज्ञानचंद आदि आर्य नेताओं ने दलितोद्धार सभा द्वारा दिल्ली के दलितों की अस्पृश्यता संबन्धी अनेक समस्याओं का निराकरण किया गया। जनवरी 1924 में दिल्ली में एक विशाल दलितोद्धार सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें एक विशाल अर्न्तजातीय सहभोज का आयोजन हुआ तथा निम्न कही जाने वाली जातियों द्वारा पकाया शोजनसभी ने उनके साथ बैठकर प्रेमपूर्वक ग्रहण किया। इसी प्रकार प्रार्थना समाज ने बम्बई में 1898 में तथा मद्रास में 1909 में दलित वर्ग मिषन की स्थापना की।

हरिजन आंदोलन - गाँधी जी ने अस्पृष्यों को हरिजन नाम दिया। हरिजनो का उत्थान ही गाँधी जी का मुख्य उद्देश्य बन गया। अछूतों की दशा को सुधारने तथा उन्हें चिकित्सा शिक्षा व तकनीकी सुविधायें प्रदान करने के लिये उन्होंने सितम्बर 1932 में अखिल शारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग

हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। 1933 में साप्ताहिक हरिजन का प्रकाशन करना प्रारम्भ किया। 1933-1934 में 2000 किमी. की भारत में हरिजन यात्रा की। इस हरिजन यात्रा के दौरान उन्होंने उद्घोषित किया, 'अछूतों के कल्याण का कार्य तपस्या है, जिसे हिन्दुओं के प्रक्षालन हेतु करना होगा।' **डॉ. अम्बेडकर का आंदोलन** - 'दलित वर्ग के चहुँमुखी विकास के लिये मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अत्यंत कठोर परिश्रम करूँगा। इसी कार्य के लिये मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है.... अस्पृष्यों के समक्ष विकट चुनौतियाँ हैं। मैं जागरूक हूँ कि मैं उनकी समस्याओं का हल सम्भवतया नहीं कर सकूँ, किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं इन चुनौतियों को संसार के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ.... यदि मैं चुनौती रूपी इन हिमालयों को भूषायी न कर सका, करोड़ों अस्पृष्य मेरे स्तरंजित सिर को देखकर हिमालय को नत करने के लिये अपने जीवन का बलिदान करने के लिये प्रवृत्त होंगे....डॉ. अम्बेडकर ने अपनी शपथ को आत्मसात कर लिया और अपना सर्वस्व जीवन दलितोत्थान के लिये समर्पित कर दिया।'

बाबा साहेब ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डिया देयर मेकेनिज्म, जेनेसिस एण्ड डेवलपमेण्ट 1915 में प्राचीन समय से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने दलित आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिये कई कार्य किये जिनमें मराठी पाक्षिक पत्रिका मूकनायक का 31 जनवरी 1920 को प्रकाशन किया। अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में 1920 के दशक में बहुत बड़े अस्पृष्यता आंदोलन का सूत्रपात किया जो आज कई रूपों में क्रियाशील है और इसने अखिल शारतीय रूप ग्रहण कर लिया है। 1924 में अम्बेडकर ने बम्बई में दलित वर्ग संस्थान बहिस्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की तथा तीन वर्ष पश्चात् 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया। 1927 में ही सवर्ण हिन्दुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धान्त पर प्रचार करने के लिये

अम्बेडकर ने समाज समता संघ स्थापित किया। उन्होंने पृथक्तावादी दृष्टिकोण अपनाया तथा दलितों के लिये संविधान के द्वारा आरक्षण व्यवस्था की माँग की। 1930 के दशक में अम्बेडकर ने यह कहना प्रारम्भ कर दिया था कि, अछूतों की स्थिति को सुधारने का एकमात्र उपाय हिन्दू धर्म का परित्याग है अतः उन्होंने यह नारा दिया - 'आपके पास अपने धर्म को खोने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 1950 के दशक में हिन्दू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। डॉ. अम्बेडकर का मत था कि इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिये जो कि समानता स्वतंत्रता और शर्इचारे की लोकतांत्रिक आस्थाओं के अनुरूप हो।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भिन्न समयावधि में अलग अलग रूपों में इस दलित आंदोलन ने सामाजिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप निम्न वर्ग को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हुआ, अंतर्जातीय सम्पर्क बढ़े, शिक्षा के अधिकार मिले तथा जटिल कर्मकाण्ड और अस्पृष्यता समाप्त हुई, दलितों का सामाजिक स्तर उँचा उठा। इस प्रकार इन सामाजिक आंदोलनों के पहल व प्रयासों की बड़ी उपलब्धि मानी गई।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बौद्ध एवं जैन- धर्म तथा दर्शन, डॉ. सत्यनारायण दुबे यशरतेन्दू', विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी 2004
2. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर: ए क्रिटिकल स्टडी, व्ही. एन. कुबेर
3. डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉ. सूर्यनारायण रणसुभे, राधाकृष्ण 1992
4. महर्षि दयानंद सरस्वती- जीवन कार्य एवं दर्शन, आलोक प्रकाशन, 1996 प्रथम संस्करण।
5. आर्य समाज का इतिहास भाग-2 सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, नई दिल्ली, 1957

पश्चिमी निमाड़ का आर्थिक लोक जीवन

अनिल पाटीदार *

प्रस्तावना - पश्चिमी निमाड़ की अधिकांश आबादी कृषि प्रधान है। यहाँ का जनजीवन कृषि तथा पशुधन पर निर्भर है। लोक जीवन का स्थानीय स्थायी धन कृषि व पशुधन को माना जाता है। पश्चिमी निमाड़ की कृषि जलवायु के तहत यहाँ दो तरह की फसल होती है। एक प्रकार की फसल वर्षा के समय खरीफ की होती है। दूसरी फसल शीत ऋतु के समय रबी की होती है। इन फसलों की सिंचाई के विभिन्न साधन हैं जैसे- कुएं, नलकूप, नहर और तालाब। यहाँ की फसलों में प्रमुख रूप से कपास, गेहूँ, तुवर, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, चना, चवला, बाजरा, गन्ना, मिर्च, प्याज, और शाक-भाजी मेंकटू, बैंगन, मूली, तुरई, मैथी, करेला, टिनसा, धनियाँ, गोभी, टमाटर व गिलकी आदि है। पश्चिमी निमाड़ में बागानी कृषि के अन्तर्गत प्रमुख फलों में पपीता, चीकू, आम, केला, जामफल, सीताफल, आंवला आदि का उत्पादन किया जाता है। गर्मी में जायद की फसले अर्थात् तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी भी उपजाई जाती हैं।

पश्चिमी निमाड़ का किसान अत्यंत परिश्रमी है वह कृषि में नित नये प्रयत्न करता है परिणाम देना या उपज देना प्रकृति पर निर्भर है। गाँधीजी के शब्दों में 'किसान अपने श्रम के जरिये प्रभु को भजते है।' कृषि एक स्वयंपूर्ण स्वावलंबी रचनात्मक कृत्य है। खेती धरती, प्रकृति, परिश्रम, कौशल, बीज, बैल, हल का संयुक्त परिणाम है। पूर्व समय में कृषि के लिए अनिवार्य चीजे गाँवों में ही विभिन्न कौशल वर्ग द्वारा तैयार की जाती थीं। खेती कार्य परस्पर सहायता तथा सहयोग से पूरा किया जाता था। कृषि उपकरणों को निर्मित करने और सुधारने वाले सुतार और लोहार हर गाँव में होते थे उनके काम के बदले उन्हें उनका मेहनताना दे दिया जाता था जो गल्ले के रूप में दिया जाता था, जिससे इनके परिवार का पालन-पोषण होता था। कृषि उपकरणों में हल, बखर, कोलपा, तिपण, पाटला, गेती, फावड़ा, खूरपी, दरती, रास, जोत, सावल, मुस्का, नाथ, आरा, खरालिया, पाट, बैलगाड़ी प्रमुख थे। खेती के लिए आवश्यक वस्तुएँ जैसे बीज, खाद और सिंचाई के साधन स्थानीय स्तर पर जुटाए जाते थे। आज के समय में खेती में अधिकांश किसान बीज, कृषि औजारों, सिंचाई, खाद के लिए बाजार पर आश्रित हो गया है। किसान की आय की एक बड़ी राशि इन्हीं साधनों को पूर्ण करने में चली जाती है और किसान लगातार ऋण ग्रस्तता के भँवर में फँसता चला जाता है। वर्तमान में खेती के आधुनिक साधन अर्थात् ट्रैक्टर के माध्यम से खेती की जुताई, बुवाई, कटाई की जाने लगी है। खेती के अत्याधुनिक साधनों में कल्टीवेटर, रोटावेटर, सिड्रिल, थ्रैसर और सिंचाई की नवीनतम तकनीकों में टपक सिंचाई प्रणाली, रिप्रांकलर और विद्युत चालित पम्पसेट का उपयोग किया जाने लगा है। आज कल किसान आधुनिकता के चलते फसलों से खरपतवार हटाने तथा कीट व

रोगों से बचाव के लिए पेस्टिसाइड का उपयोग करने लगा है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तो हुई, किन्तु पोषक तत्वों में कमी आई।

पश्चिमी निमाड़ में कार्यशील समूह अधिक है बुद्धिजीवी न्यून है। इन्हीं कार्यशील समूहों में ग्रामीण, कारीगर, कुम्हार, रंगारे, लोहार, बढई, सुतार, दर्जी, माली, नाई और तेली सभी अपने-अपने व्यवसाय में संलग्न हैं, क्योंकि इनकी आजीविका का प्रमुख माध्यम यही है। ऐसी ही अनेक जातियाँ निमाड़ में आकर रच बस गयी है। जो अलग-अलग कालों में अपनी जरूरत के अनुसार यहाँ आकर बसते गये है। इनमें कुछ प्रतिशत लोग अस्थायी तौर पर केवल कार्य विशेष के समय आते है और बाद में अपने मूल स्थान पर चले जाते है। उदाहरण के लिए सूती और उनी वस्त्र बनाने वाले देश के विभिन्न भागों से आकर अपना व्यापार व्यवसाय कर मूल निवास पर लौट जाते है। अधिकांश लोग अलग-अलग जगह मेलों में व्यापार-व्यवसाय के लिए आते है और मेले समाप्त होने पर वापस चले जाते है।

पश्चिम निमाड़ की अनेक जातियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी विविध शिल्प कला में लगी हुई है। पश्चिमी निमाड़ की मूल जातियों में कुछ लोग अपने परम्परागत व्यवसाय या धंधे को अपनाते है। समय के परिवर्तन के साथ मूल जातियाँ सामान्य जीवन जीने के लिए अभ्यस्त होती चली गयी। ये जातियाँ जनजातियाँ पश्चिमी निमाड़ में रहते हुए संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन जातियों में शिल्पकला का सिलसिला चलता आया है उनमें मिट्टी के बर्तन तथा मिट्टी की मूर्तियों के लिए कुम्हार, पत्थर के शिल्प के लिए सिलावट, लकड़ी की कलात्मक वस्तुओं के लिए सुतार, बाँस की वस्तुओं के लिए झमराल, वस्त्र छापने के लिए बंजारा छापा, लाख की वस्तुओं के लिए लखारा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहार, ताँबे पीतल के लिए कसारा, चाँदी और सोने के गहनेबनाने के लिए सुनार, काँच की चूड़ियों के लिए मणियार, कपड़े सीने के लिए दर्जी, गादी तकिये भरने वाले पिंजार, चमड़े के जूते, चप्पल बनाने वाले चमार आदि जातियों के लोगों की शिल्प व्यवसाय कला ही विशिष्ट छाप बन गयी।

अनाज भण्डारण के लिए मिट्टी, बाँस के बड़े-बड़े पात्र कुम्हार और लोहे, पतरे के बड़े पात्र लोहार बनाने में लगे है। दीवाली के दीये और गर्मी के दिनों में शीतल जल हेतु मिट्टी के घड़े, सुरई, रांजन और झारेभी कुम्हारों के द्वारा ही तैयार किये जाते है। इसके अलावा आवास निर्माण में सहायक ईंटें, क्वेलू, गमले और मिट्टी की कलात्मक वस्तुएँ कुम्हार बनाते हैं। पश्चिमी निमाड़ में काष्ठ शिल्प कर्म बड़ी सिद्धता के साथ सुतार जाति के लोग करते है। भील जनजाति के लोग भी काष्ठ शिल्प में सिद्धहस्त है। पुराने समय में आवास

* शोधार्थी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर, शोध केन्द्र शहीद भीमा नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

का अधिकांश फर्नीचर प्रायः लकड़ी का होता था। किसी समय वास्तुकला में काष्ठ शिल्प का केन्द्रीय महत्व था। लकड़ी की कला में खराद और कंधी बनाने वाली जातियाँ भी निमाड़ में है। कई प्रकार की काष्ठ शिल्प कृतियाँ भी बनाई जाती है।

बाँस शिल्प का कार्य करने वाले झमराल और बरगुण्डा जाति के लोग है। बाँस से बनी कलात्मक वस्तुएँ और जीवनोपयोगी चीजें बनाने का कार्य परम्परा से ये लोग करते चले आये हैं। पश्चिमी निमाड़ में टोकनी, टोपली, सुपड़ा, झाड़ू, चटाई, पंखे आदि बाँस शिल्प के अन्तर्गत आती हैं। पत्ता शिल्प भी पश्चिमी निमाड़ में प्रचलित है। इसमें पत्तल, दोने, चटाई आदि निर्मित की जाती है। वस्त्र शिल्प में महेश्वर की साड़ियाँ अपनी मौलिकता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है।

छापा शिल्प में डाई के माध्यम से सूती वस्त्र पर छापे बनाये जाते हैं और इस प्रकार के वस्त्र पहनने की परम्परा पश्चिमी निमाड़ में बहुत प्राचीन है। यहाँ रंगाई, छपाई का पारम्परिक व्यवसाय छीपा, रंगारा, नीलगर, भावसार आदि जाति के लोग अनेको वर्षों से करते आ रहे हैं। ये लोग बने बनाये सूती वस्त्रों पर कलात्मक छपाई का कार्य करते है।

पूर्व में जो पश्चिमी निमाड़ का परिवेश दिखाई देता था उसमें वर्तमान में कुछ परिवर्तन दिखाई देते है। पलावर मिल के साथ चक्की के गीत अब समाप्त

हो रहे है। ट्रैक्टर के साथ हल के गीत भी लुप्त होते जा रहे है। पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय इस बदलते हुए निमाड़ के परिवेश के संबंध में कहते हैं कि- पहले जो आदमी गाँव का समृद्ध किसान माना जाता था वही अब बढ़ती हुई महंगाई और शोषणकारी समाज व्यवस्था के चलते अपनी जमीन से हाथ धोकर खेतीहर मजदूर में बदलता जा रहा है।

‘यह सब देखकर पूछने का जी चाहता है कि आखिर मेरे गाँव की सुख और शान्ति किसने छीन ली। राजनीति की दलबन्दी ने गाँव की एकता खण्डित की है। गाँव का भोला-भाला मनुष्य अब अधिक चालबाज बनने लगा है। यद्यपि ऐसे दृश्य बिरले हैं। आज भी हमारी संस्कृति समय-समय पर अनुकूल प्रतिसाद देती है। उदाहरण के लिए जगह-जगह भागवत कथा के आयोजन में भारी जनसैलाब उमड़ता है, जो लोक विश्वास और श्रद्धा को प्रदर्शित करता है। हर धार्मिक आयोजन में वही पूर्ववत भक्तिभाव और आत्मीयता के दर्शन होते है। आज भी गणगौर के समय असीम श्रद्धाभाव से जन-जन माता के प्रति आस्था प्रकट करते है। ऐसा हर त्यौहार पर होता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय- लोक साहित्य समग्र, पृ.35
2. स्वयं के शोध अध्ययन से।

भारत में साइबर क्राइम

प्रो. अनामिका प्रजापति *

प्रस्तावना – वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विकास आज अपने चरमोत्कर्ष पर है। संचार क्रांति ने पूरे विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप में बदल दिया है। कम्प्यूटर से संबंधित तकनीकी के कारण आज हम न केवल कुछ क्षणों में ही दुनिया के किसी भी कोने में सन्देशों व सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं वरन् संसार के किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति को देखते हुए बातचीत भी कर सकते हैं। जिन आकड़ों, तथ्यों व सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कार्यालय में जहां हजारों फाइले रखी जाती थी, वहीं आज हम कम्प्यूटर की सहायता से सभी जानकारियों को एक साफ्टवेयर में रखकर उसका कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। नेटवर्क के द्वारा सभी कम्प्यूटरों को इस प्रकार जोड़कर रखा गया है कि एक साइट से संबंधित सामग्री का उपयोग दूसरे सभी कम्प्यूटरों के द्वारा किया जा सकता है।

कम्प्यूटर टेक्नालॉजी आधुनिकता की दिशा में होने वाली एक ऐसी उपलब्धि है, जिसमें प्रौद्योगिकी, औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिक विकास, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा एवं जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। इसके व्यापक लाभ होने के साथ-साथ इसके कारण ऐसे अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। जो मानवीय अधिकारों और मानवीय मूल्यों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। आज हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना करने में सक्षम हैं किन्तु साइबर अपराधों के विरुद्ध संघर्ष करके इसका समाधान करना कठिन है।

साइबर क्राइम क्या है ? – आज कम्प्यूटर और इंटरनेट का युग है, कम्प्यूटर की मदद के बिना किसी बड़े काम की कल्पना करना भी मुश्किल है, ऐसे में अपराधी भी तकनीक के सहारे हाईटेक हो रहे हैं। वे जुर्म करने के लिए कम्प्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम दुनियाभर में सुरक्षा और जांच एजेंसियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

साइबर अपराध से आशय कम्प्यूटर से जुड़ी हुई जालसाजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक चोरी से है। साइबर अपराधों का संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो कम्प्यूटर तकनीक में विशेष रूप से प्रशिक्षित तथा योग्य होते हैं। इन लोगों में इतनी प्रतिभा होती है कि यदि उसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो संचार तकनीक को एक नई दिशा मिल सकती है। इसके विपरीत जब कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में अति कुशल और मेधावी लोग अपनी दक्षता का उपयोग कम्प्यूटर के माध्यम से गवन करने, गुप्त आकड़ों की चोरी करने, अश्लीलता को प्रोत्साहन देने अथवा हजारों कम्प्यूटरों में वायरस छोड़कर उनकी कार्यप्रणाली को नष्ट करने के लिए करने लगते हैं, तब इन्हीं अनैतिक कार्यों को हम साइबर अपराध कहते हैं।

डॉन बी पार्कर ने लिखा है कि 'कोई भी वह अवैधानिक कार्य जिसे पूरा

करने के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी के परिचालन का विशेष ज्ञान आवश्यक होता है, उसे साइबर अपराध कहा जाता है।' स्पष्ट है कि ये वे अपराध हैं, जिन्हें कम्प्यूटर प्रणाली के उच्च ज्ञान के बिना नहीं किया जा सकता।¹

साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है, जिस में कम्प्यूटर और नेटवर्क शामिल हैं। किसी भी कम्प्यूटर का अपराधिक स्थान पर मिलना या कम्प्यूटर से कोई अपराध करना कम्प्यूटर अपराध कहलाता है। कम्प्यूटर अपराध में नेटवर्क शामिल नहीं होता है। कम्प्यूटर से जानकारी चोरी करना, जानकारी मिटाना, जानकारी में फेर बदल करना, किसी की जानकारी को किसी ओर को देना, कम्प्यूटर के भागों की चोरी करना या नष्ट करना आदि कम्प्यूटर अपराध की श्रेणी में आते हैं। साइबर अपराध भी कई प्रकार से किए जाते हैं जैसे- स्पैम ईमेल, हैकिंग, फिशिंग, वायरस को डालना, किसी की जानकारी को ऑनलाइन प्राप्त करना या किसी पर हर वक्त नजर रखना।²

स्पैम ईमेल – कम्प्यूटर में अनेक प्रकार के ईमेल आते हैं, जिसमें ऐसे ईमेल भी होते हैं, जो कम्प्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। जिससे कम्प्यूटर में खराबी आ जाती है।

हैकिंग – किसी की भी निजी जानकारी को हक करना जैसे उपयोग कर्ता का नाम या पासवर्ड और फिर उसमें फेरबदल करना।

फिशिंग – किसी के पास स्पैम ईमेल भेजना ताकि वो अपनी निजी जानकारी दे और उस जानकारी से उसका नुकसान हो जाए। ये ईमेल आकर्षित होते हैं।

वायरस फैलना – साइबर अपराधी कुछ ऐसे साफ्टवेयर आपके कम्प्यूटर पर भेजते हैं जिसमें वायरस छिपे हो सकते हैं। इन वायरस में वर्म टार्जन हार्स, लॉजिक हार्स आदि वायरस शामिल हैं। ये आपके कम्प्यूटर को हानि पहुंचा सकते हैं।³

साफ्टवेयर पाइरेसी – साफ्टवेयर की नकल तैयार कर सस्ते दामों में बेचना भी साइबर क्राइम के अन्तर्गत आता है। इससे साफ्टवेयर कम्पनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही आपके कीमती उपकरण भी ठीक से काम नहीं करते हैं।

फर्जी बैंक कॉल – आपको जाली ईमेल, मैसेज या फोन कॉल प्राप्त हो जो आपको बैंक जैसा लगे जिसमें आपसे पूछा जाए की आपके एटीएम नम्बर और पासवर्ड की आवश्यकता है और यदि आपके द्वारा यह जानकारी नहीं दी गयी तो आपका खाता बन्द कर दिया जाएगा या इस लिंक पर सूचना दे तो याद रखिए कि बैंक द्वारा ऐसी जानकारी कभी भी नहीं मांगी जाती है। और भूलकर भी अपनी किसी भी प्रकार की जानकारी को इंटरनेट या फोनकॉल या मैसेज के माध्यम से नहीं बताए।

सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अफवाह फैलाना – बहुत से लोग सोशल

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) सुभद्रा शर्मा शासकीय कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा, जिला-विदिशा (म.प्र.) भारत

नेटवर्किंग साइटों पर सामाजिक, वैचारिक, धार्मिक और राजनैतिक अफवाह फैलाने का काम करते हैं, लेकिन यूजर्स उनके इरादे समझ नहीं पाते हैं और जाने-अनजाने में ऐसे लिंक्स को शेयर करते रहते हैं। यह भी साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है।

साइबर बुलिंग – फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग पर अपोभनीय कमेंट्स करना, इंटरनेट पर धमकियां देना, किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि तंग हो जाये, इंटरनेट पर दूसरों के सामने शर्मिंदा करना इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं।

ऑनलाइन फिरौती – आजकल अपराध करने का तरीका बदल गया है। साइबर संसार में अपहरण करके फिरौती नहीं मांगी जाती बल्कि आपका सिस्टम हैक करके फिरौती मांगी जाती है। रैनसमवेयर वायरस अटैक इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।⁴

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध – इंटरनेट क्रांति की बढौलत एक विलक पर सारी दुनियां सिमट गई है। दोस्तों-रिश्तेदारों से चैटिंग से लेकर खरीददारी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन...सब कुछ एक विलक पर हो जाता है। मगर दुनियां को समेटता ये इंटरनेट कभी भी आपकी दुनियां भी बदल सकता है। सोशल साइट्स पर की गई जरा सी मस्ती भारी पड़ सकती है। तेजी से बढ़ते साइबर क्राइम के खतरे के बावजूद ज्यादातर लोग इसे हल्के में ही लेते हैं। साइबर क्राइम का ये अनदेखा और अनजाना दुश्मन आपको बहुत अधिक हानि पहुंचा सकता है। साइबर क्राइम का दायरा बहुत बड़ा है। इसके निशाने पर कभी कोई कंपनी होती है, तो कभी कोई देश तो कभी महिलाएं। महिलाओं को टारगेट करने वाले साइबर क्राइम निम्न है-

- ईमेल भेजकर उत्पीड़ित करना। इसमें बदमाशी, धोखा और धमकी शामिल है। ऐसा अक्सर फर्जी आई-डी से किया जाता है।
- साइबर स्टार्किंग नये तरह का अपराध है। स्टार्किंग का अर्थ होता है छिपकर पीछा करना। साइबर स्टार्किंग में विक्टिम को मैसेज भेजकर, चैट रूम में प्रवेश कर के और ढेर सारे ईमेल भेजकर उसे परेशान किया जाता है।
- अश्लील फोटो, मैग्जीन, वेबसाइट आदि बनाकर महिलाओं को मेल करना।
- ईमेल स्पूर्फिंग में किसी दूसरे व्यक्ति के ईमेल का इस्तेमाल करते हुए गलत मकसद से दूसरे को ईमेल भेजना शामिल है। इसके जरिए पुरुष अक्सर अपनी अश्लील फोटो महिलाओं को भेजते हैं, उनकी सुंदरता की तारीफ करते हैं, उन्हें डेट पर चलने के लिए कहते हैं। यहा तक कि सर्विस चार्ज भी पूछते हैं।
- महिलाओं को एमएमएस और चैट के माध्यम से अश्लील संदेश भेजे जाते हैं, जिसमें कई बार पीड़ित महिला का चेहरा किसी अश्लील ड्रेस वाली महिला की फोटो पर होता है।

चाइल्ड पोर्नोग्राफी के तहत बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उन बच्चों के साथ संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकार्ड करना, एमएमएस बनाना और दूसरों को भेजना आदि आता है। जिस तरह बच्चों की जिन्दगी में इंटरनेट की पहुंच बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, उसी तरह पेरेंट्स को सतर्क रहने की अत्यावश्यकता है।⁵

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2015 में 11592 केस साइबर अपराध के संबंध में दर्ज किए गए। जिसमें 2014 की अपेक्षा 20 प्रतिशत

की वृद्धि हुई है।⁶ बेगलुरु इस साल साइबर हमला रैनसमवेयर, साइबर क्राइम की सबसे चर्चित घटना भले रहा हो लेकिन इकलौता नहीं। वर्ष 2017 के पहले 6 महीनों में हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम होने की बात सामने आई है। यह 2016 के आकड़ों से ज्यादा है, जब हर 12 मिनट में एक क्राइम होता था। इसमें जालसाजी और स्कैनिंग जैसे क्राइम शामिल है।

इंडियन कम्प्यूटर इमर्जेसी रिस्पॉन्स टीम के मुताबिक जनवरी से जून 2017 के बीच साइबर क्राइम के 27,482 मामले दर्ज किए गए। इसमें जालसाजी, स्कैनिंग, साइट में घुसपैठ, साइट को बिगाड़ना, वायरस पहुंचाना, रैनसमवेयर और साइट का काम ठप करना शामिल है। भारत में इंटरनेट से जुड़ते लोगों की बढ़ती संख्या के कारण साइबर क्राइम के होने से पहले ही पहचानना और रोकना बहुत जरूरी है। पिछले साढ़े तीन साल में भारत में साइबर क्राइम की संख्या 1.71 लाख पहुंच चुकी है। इस साल अभी तक दर्ज किए जा चुके मामलों के हिसाब से यह कहना मुश्किल नहीं है कि दिसंबर तक यह संख्या 50 हजार पार कर जावेगी।⁷

साइबर क्राइम की रोकथाम तथा उपचार –

1. स्वयं को अपडेट एवं शिक्षित रखना
 2. फायरवाल का प्रयोग
 3. सावधानी पूर्वक विलक करना
 4. सुरक्षित प्रैक्टिस के साथ सर्फिंग
 5. अभ्यासित सुरक्षित खरीददारी
 6. सिस्टम को अपडेटिड रखने के लिए कम्प्रीहेन्सिव सुरक्षा सॉफ्टवेयर का प्रयोग
 7. मजबूत पासवर्ड का उपयोग
- थोड़ी सी जानकारी और सतर्कता के द्वारा हम हैकर्स की पकड़ से बच सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय और प्रयासों को व्यवहारिक बनाने की आवश्यकता है-⁸

1. संदिग्ध ईमेल को खोलने की कोशिश न करे। ये फिशिंग ई-मेल हो सकते हैं, जो यूजर्स की व्यक्तिगत जानकारी को कैप्चर कर लेते हैं।
2. स्वयं को फाइनेंशियल संस्था बताने वाल ई-मेल को अपना अकाउण्ट नम्बर या क्रेडिट कार्ड नम्बर न दे। इसके लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट पर दिए गए फार्म का उपयोग करे।
3. अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट समय-समय पर चेक करे।
4. क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग साइट पर विजिट करते समय वेब एड्रेस इंटरनेट वॉशर पर ही टाइप करे अर्थात् ई-मेल मैसेज के लिंक पर कभी भी विलक न करे।
5. ऐसे इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करे जिसमें एंटीवायरस, फायरवाल , इन्ट्रजन, प्रोटेक्शन और ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी प्रोटेक्शन उपलब्ध हो। CNET.Com तथा PC Magazine ऐसे सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हैं। जिसके द्वारा उपभोक्ता अपने लिए बेहतर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का चुनाव कर सकता है।
6. अपने इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को समय-समय पर अपडेट करते रहे।
7. अज्ञात ई-मेल को एकजीव्यूट करने से बचे।
8. पासवर्ड में नम्बर और सिम्बल्स का प्रयोग करे तथा कुछ अन्तराल पश्चात् इसे बदलते रहे।
9. एम.पी.-3, स्मार्ट फोन जैसे गैजेट्स के प्रयोग में सावधानी बरते। इनके द्वारा आपके घर या ऑफिस के कम्प्यूटर में वायरस का प्रवेश

हो सकता है।

10. ध्यान रहे कि वेबसाइट द्वारा सुझाए गए पासवर्ड से मिलता जुलता पासवर्ड कभी न बनाए।
11. साइबर कैफे में इंटरनेट बैंकिंग से परहेज करे क्योंकि ऐसे स्थानों पर कुछ कम्प्यूटरों में कीलॉगर्स जैसे वायरस होते हैं, जो कम्प्यूटर पर की गयी किसी भी एण्ट्री को लॉग कर लेते हैं।

निष्कर्षतः देश में साइबर सुरक्षा में मेनपावर की बहुत कमी हैं। साइबर सुरक्षा के आकड़ों के अनुसार चीन और अमेरिका के मुकाबले देश में साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की कमी है। देश में साइबर सुरक्षा को लेकर सजगता तो बढ़ी है लेकिन वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक है जिस पर तत्काल एक्शन की जरूरत है। यह बात सही है कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई संस्थाएं बनाई गई हैं लेकिन उनके बीच अपेक्षित तालमेल का अभाव अभी भी दिखता है।

कुल मिलाकर भारत को इस तरह के हमलों से सतर्क होने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को डिजिटल इण्डिया की तर्ज पर तकनीकी रूप से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिये कुछ ओर विशेष प्रयास

करने होंगे क्योंकि इंटरनेट के इस युग में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. जी.के. अग्रवाल, समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, वर्ष, 2017, पृष्ठ संख्या-225
2. <https://hi.wikipedia.org/wiki>
3. <http://www.mybigguide.com/2015/11/what-is-Cyber-Crime-in-Hindi.html>
4. <https://www.merisaheli.com/cyber-crime/>
5. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार
6. <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/one-cyber-crime>
7. डॉ. रवीन्द्र नाथ मुकर्जी एवं डॉ. भरत अग्रवाल, यूनीफाइड समाजशास्त्र, शिवलाल अग्रवाल एण्ड कंपनी, इन्दौर, 2017 पृ. 577
8. प्रतियोगिता दर्पण, सितम्बर, 2017, पृ. 99

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों को विवाह के दौरान आने वाली समस्याएँ

डॉ. सीता बोरासी *

प्रस्तावना - निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया जाता है, ताकि समाज के ये वंचित लोग मुख्यधारा में सम्मिलित हो सकें। सरकार की यह मंशा रहती है कि समाज के अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हों। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 1 अप्रैल 2006 से प्रारंभ की गई थी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने में होने वाली कठिनाईयों का अध्ययन किया गया है।

शोध का उद्देश्य - शोध का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने में हितग्राहियों को किस प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

अध्ययन पद्धति - प्रस्तुत शोध पत्र को पूर्ण करने हेतु मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से लाभान्वित 50 कन्याओं के माता-पिता का साक्षात्कार लिया गया है।

तालिका क्रमांक 01

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराने में इन्तजार करने के कारणों की दशानि वाली तालिका

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	अधिकारियों की अनियमितता	41	82.00
2.	पंजीयन दस्तावेज पूर्ण करने में	02	04.00
3.	समय पर राशि प्राप्त न होना	03	06.00
4.	अन्य कारण	04	08.00
	योग	50	100.00

स्पष्ट है कि 82.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें अधिकारियों की अनियमितता के कारण सामूहिक विवाह का इन्तजार करना पड़ा था। 04.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें विवाह के पंजीयन दस्तावेजों को पूर्ण करने हेतु इन्तजार करना पड़ा था। 06.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें मध्यप्रदेश सरकार द्वारा समय पर राशि उपलब्ध न कराये जाने के कारण इन्तजार करना पड़ा था, जबकि 08.00 उत्तरदाताओं के अनुसार उन्हें सामूहिक विवाह हेतु अन्य कारणों से इन्तजार करना पड़ा था।

तालिका क्रमांक 02

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आयोजन की व्यवस्थाओं को

दशानि वाली तालिका

क्र.	व्यवस्था	संख्या	प्रतिशत
1.	अच्छी थी	10	20.00
2.	ठीक-ठाक	22	44.00
3.	अव्यवस्थित	18	36.00
	योग	50	100.00

20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत सामूहिक विवाह समारोह के आयोजन की व्यवस्था अच्छी थी। सर्वाधिक 44.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था ठीक-ठाक थी, जबकि 36.00 उत्तरदाताओं के अनुसार सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था अव्यवस्थित थी। स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सामूहिक विवाह के आयोजन की व्यवस्था न तो अच्छी थी और न ही खराब थी अर्थात् ठीक-ठाक थी।

तालिका क्रमांक 03

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आयोजन से असंतुष्टि के कारणों को दशानि वाली तालिका

क्र.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	तय समय पर नहीं हुआ	09	18.00
2.	खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी	17	34.00
3.	वर-वधू के ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं थी	08	16.00
4.	मण्डप की व्यवस्था ठीक नहीं थी	06	12.00
5.	व्यवस्था ठीक थी	10	20.00
	योग	50	100.00

18.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार समारोह तय समय के अनुसार आयोजित नहीं हुआ था। सर्वाधिक 34 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार समारोह में खाने-पीने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार वर-वधू के ठहरने के लिए ठीक व्यवस्था नहीं थी, जबकि 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार मण्डप की व्यवस्था ठीक नहीं थी। 20 प्रतिशत उत्तरदाता इन व्यवस्थाओं से संतुष्ट है।

निष्कर्ष - सामूहिक विवाह के आयोजनों से उत्तरदाताओं को एक से अधिक

* अतिथि विद्वान (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, पेटलावद, जिला - इन्दौर (म.प्र.) भारत

कठिनाईयों का सामना करना है। इनमें कार्यक्रम का अपने निर्धारित समय पर प्रारंभ होना नहीं रहा है, विवाह समारोह में खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं होना, वर-वधू के ठहरने की व्यवस्था ठीक नहीं होना एवं मंडप की व्यवस्था ठीक नहीं होना रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत विवाह समारोह को आयोजित करने हेतु बजट की कमी रहती है। कम बजट में अधिक सुविधाएँ देना संभव नहीं होता है, यही कारण है कि आयोजकों को निर्धारित राशि में ही व्यवस्थाओं को पूर्ण करना होता है और परिणामस्वरूप विभिन्न प्रकार की अव्यवस्थाएँ आयोजन में होती हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कापड़िया के. एम., मैरिज एण्ड फेमिली इन इण्डिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली, 1972
2. बढ़ते कदम, बेहतर कल की ओर, महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
3. अग्रवाल जी. के. एवं पाण्डेय एस.एस., सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, एस.बी.पी. डी. पब्लिशिंग हाउस, आगरा।

स्वयं सहायता समूह योजना महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास में सहायक एक सर्वेक्षणत्मक अध्ययन - विशेषतः इन्दौर जिले के संदर्भ में)

डॉ. सुमा थकांचन *

प्रस्तावना - सहकारिता आंदोलन गरीब व समाज के कमजोर वर्ग को संगठित कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सामूहिक रूप से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विकास की आज हमारे देश में सहकारिता के माध्यम से सर्वाधिक आवश्यकता महिलाओं की है, महिलाओं को अपने पारिवारिक दायित्वों से शेष बचे समय का सदुपयोग कर स्वरोजगार हेतु उन्मुख कर उनकी आय के साधन पैदा करने से ग्रामीण समाज का उत्थान होगा और इससे महिलाओं को विकास की ओर अग्रसर किया जा सकेगा, महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करके किया जा रहा है -

स्वयं सहायता समूह ऐसे ग्रामीण लोगों का समूह है। जिनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति एक जैसी हो। प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के रोजगार सृजन में एवं आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य - महिलाओं के गरीबी उन्मूलन रोजगार सृजन के स्वयं सहायता समूह योगदान का पता लगाया। स्वयं सहायता समूह से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है।

अध्ययन की परिकल्पनायें -

1. स्वयं सहायता समूह योजना महिलाओं के रोजगार सृजन में सहायक है
2. स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है।

शोध पद्धति - शोध संरचना के निर्माण के लिए द्वितीयक संयुक्तों को आधार बनाया गया है। द्वितीयक संयुक्तों के संकलन के लिए इन्दौर प्रीमियर को आपरेटिव बैंक इन्दौर में खाता खोले गए स्वयं सहायता समूह को आधार बनाया गया है, के आधार पर हमने पिछले वर्षों में स्वयं सहायता समूह द्वारा खोले गए खाता का विवरण निम्न है।

तालिका क्र. 01

बैंक में खाता खोले गए समूहों की संख्या

वर्ष	इन्दौर	तालिका से स्पष्ट है कि इन्दौर प्रीमियर कोपरेटिव बैंक के वर्ष 1998-99 में 20, 1999-00 में 25, 2000-01 में 134, 2001-02 में 303, 2002-03 में 469 खाते खोले गए थे जिसकी संख्या 469 हो गई।
1999-98	20	
1999-00	25	
2000-01	134	
2001-02	303	
2002-03	469	

तालिका क्र. 02 (देख आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट है कि इन्दौर प्रीमियर कोपरेटिव बैंक में स्वयं सहायता समूह के द्वारा वर्ष 1998-99 में 20, 99-2000 में 25, 2000-

01 में शासकीय विभाग के द्वारा 106, एन.जी.ओ. द्वारा 26, बैंक द्वारा 2 खाते खोले गए एवं वर्ष 2001-02 में शासकीय विभाग द्वारा 145, एन.जी.ओ. द्वारा 149 बैंक द्वारा 9 खाते खोले गए। वर्ष 2002-03 में शासकीय विभाग द्वारा 237 एन.जी.ओ. द्वारा 177 बैंक द्वारा 155 खाते खोले गए।

तालिका क्र. 03

कुल सदस्य संख्या

वर्ष	इन्दौर	तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 में इन्दौर प्रीमियर कोपरेटिव बैंक के स्वयं सहायता समूह के 210 खाता खोले गए जो 1999-2000 के में 275, 2000-2001 में 1587, 2001-02 में 3429 एवं 2002-03 में 495 खाते खोले गए।
1998-99	210	
1999-00	275	
2000-01	1587	
2001-02	3429	
2002-03	495	

तालिका क्र. 04

महिला स्वयं सहायता समूह संख्या

वर्ष	इन्दौर	तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 में 15 थी, जो वर्ष 1999-2000 में बढ़कर 20 हो गई 2000-01 में 108, 2001-02 में 120, 2002-03 में 170 हो गई।
1998-99	15	
1999-00	20	
2000-01	108	
2001-02	120	
2002-03	170	

तालिका क्र. 05

समूहों की बैंक में जमा कुल बचत राशि

वर्ष	इन्दौर	स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रतिमाह एक निश्चित राशि की बचत सदस्यों द्वारा की जाती है तथा इस बचत को बैंक में प्रतिमाह जमा की जाती है, इन्दौर प्रीमियर कोपरेटिव बैंक में समूहों की बचत राशि वर्ष 1998-99 में 0.16 थी जो 1999-00 में 0.46, वर्ष 2000-01 में 3.53, 2001-02 में 8.66, 2002-03 में 14.56 हो गई। इसके निरंतर वृद्धि हुई है।
1998-99	0.16	
1999-00	0.46	
2000-01	3.53	
2001-02	8.66	
2002-03	14.56	

तालिका क्र. 06 (देख आगे पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 07 (देख आगे पृष्ठ पर)

समस्याएँ व सुझाव -

1. समूह के सदस्यों में जागरूकता लाना आवश्यक है, जिससे वे अपने अधिकारों

- व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता ला सके।
2. बैंकों के द्वारा लिंक करने के पूर्व कम से कम दो वर्ष तक स्वयं संचालित होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. स्वयं सहायता समूह गरीबों की उन्नति की राह राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण

विकास पत्रिका वर्ष 2002 रविशंकर नगर भोपाल।

2. प्रगति (1) महिला सांराशीकरण के बढ़ते कदम समाज कल्याण फरवरी 2003 महिला स्वयं सहायता समूह म.प्र. आर्थिक विकास निगम 24 जून 02, एम.पी. नगर भोपाल।

तालिका क्र. 02
स्वयं सहायता समूह का गठन

इन्दौर वर्ष 1999-98			वर्ष 1999-2000		
शा.वि. द्वारा	एन.जी.ओ. द्वारा	बैंक शाखा द्वारा	शा.वि. द्वारा	एन.जी.ओ. द्वारा	बैंक शाखा द्वारा
-	20	-	-	25	-
वर्ष 2000-01					
106	26	02			
वर्ष 2000-01					
145	149	09	-		
वर्ष 2002-03					
237	177	155	-		

तालिका क्र. 06
समूहों पर बैंक की ऋण राशि (लाखों में)

वर्ष	समूह संख्या	ऋण राशि	बैंक द्वारा स्वयं सहायता समूह को उत्पादन की पूर्ति हेतु ऋण प्रदान किया जाता है, तालिका से स्पष्ट है कि इन्दौर प्रीमियम बैंक द्वारा समूह को वर्ष 1998-99 में 20 समूह को 0.10 ऋण राशि प्रदान की गई। इसी प्रकार 1999-2000 के 25 समूह को 0.37 लाख रु. प्रदान किया गया।
1998-99	20	0.10	
1999-00	25	0.37	
2000-01	20	1.73	
2001-02	45	3.30	
2002-03	125	7.02	

तालिका क्र. 07
प्राप्त पुनर्वित्त (लाखों में)

वर्ष	समूह संख्या	ऋण राशि	बैंक द्वारा परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को जारी किए गए समस्त ऋण वितरण के मामले में राष्ट्रीय बैंक से पुनर्वित्त प्राप्त हुआ है, बैंक को 100 प्रतिशत पुनर्वित्त 7 प्रतिशत पर प्राप्त हुआ है, स्वयं सहायता समूहों को ऋण वितरण के बैंक को ऋण मंजूर किया जाता है, जो प्रत्येक मामले में उसे 10 वर्षों में चुकाना होता है तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 1998-99 में 20 प्रकरणों के 0.10 लाख रु. प्राप्त हुए वर्ष 1999-2000 में 25 समूह को 0.37 लाख रु. प्रदान किया गया।
1998-99	20	0.10	
1999-00	25	0.37	
2000-01	4	0.27	
2001-02	6	0.9	
2002-03	52	6.21	

शैक्षणिक गतिशीलता पर डॉ. अम्बेडकर के विचार

डॉ. सोनिका बघेल *

प्रस्तावना - भारत जैसे विशाल देश में आर्थिक विकास कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षणिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ा है। वे अनेक योजना एवं सामाजिक व्यवस्था के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये उनका विशेष झुकाव शिक्षा की तरफ हुआ है। इसलिए शिक्षा में गतिशीलता लाने के लिए ऐसे हर संभव प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी आधार संरचना बेहतर हो सके और उसे अतिरिक्त निवेश मिल सके। उपेक्षित वर्गों एवं महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा बुनियादी कार्य की योजना को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। इस प्रकार की योजना जिसमें शिक्षा की आधार संरचना महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए जाने का प्रावधान लेना अत्यन्त आवश्यक है। पिछले 70 वर्षों में हमारी शिक्षा पिछड़े वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक समुदायों और स्त्रियों के प्रति हमारे स्वयं को नहीं बदल सकी है। यह बीसवीं शताब्दी के अंतिम पचास वर्षों की आधुनिक शिक्षा उपलब्धि से काफी भिन्न है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में धर्म निरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता जैसे आदर्श देशभक्ति पूर्ण तत्वों के समावेश का बहुत बड़ा श्रेय महिलाओं की आधुनिक शिक्षा को है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने में असफल रही है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में यदि शिक्षा को स्त्रियों एवं अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग जातियों के स्तर में परिवर्तन लाने के लिये सकारात्मक भूमिका निभाना है तो शिक्षा को समाज की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना होगा। यदि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जागृत होकर उस पर पहुँचने का तरीका निकाल लिया जाए तो समझिये की महायुद्ध जीत लिया। व्यवसायिक एवं तकनीकी के क्षेत्र में कमजोर वर्गों का तथा महिला की पहुँच बहुत कम है।

डॉ. अम्बेडकर ने सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े दलित कमजोर पीड़ित, अशिक्षित व अस्तित्व के लिये संघर्षरत इन जातियों को 'शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो' का ओजस्वी नारा दिया था। राजनैतिक शिक्षर पर पहुँचने के लिए शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए बाबासाहेब ने शिक्षा के प्रकाश द्वारा अंधकार रूपी अज्ञानता, निरक्षरता को दूर करने का शंखनाद किया।

डॉ. अम्बेडकर ने बंबई में 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा में दलित शिक्षा' पर अपने ओजस्वी भाषण द्वारा दलितों के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा व रोजगार पर बल दिया।

डॉ. अम्बेडकर मानते थे कि शिक्षा के बल पर ही सत्ता की चाबी को अपने हक में किया जा सकता है। उन्होंने दलितों को आत्मसम्मान, आत्मबल तथा अपनी खोयी हुई अस्मिता को पहचानने हेतु प्रेरित किया।

एक लम्बे अरसे से शुद्ध, पिछड़ी जातियों को 'मनुस्मृति' के पाखंडवाद विधान के कारण शिक्षा से वंचित रखा गया। उनको वेद, ग्रंथ स्मृतियाँ, प्राचीन पुराणों को पढ़ने एवं सुनने पर प्रतिबंध लगा रखा था। उपनयन संस्कार नहीं होता था। शिक्षा पर सवर्णवादी विचारधारा का वर्चस्व था। एकाधिकारवादी शिक्षा प्रणाली तथा हर क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता व अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए ब्राह्मणों ने 'मनुस्मृति' का निर्माण किया था।

ब्रिटिश शासन के उपरांत दलितों में शिक्षा की उच्च आकांक्षाएँ जगी। डॉ. अम्बेडकर ने शिक्षा के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए। सिद्धार्थ कॉलेज तथा मिलिन्द विश्वविद्यालय की स्थापना की। डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि छोटी जातियों के लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिये बहुत कम प्रेरित कर पाते हैं और यदि हम शिक्षा का अपने मनोनुकूल विस्तार करने में सफल होते हैं, तो हमें श्रमिक वर्ग का अधिक बौद्धिक विकास करना होगा। भले ही इसमें धनाढ्य व्यक्तियों की उपेक्षा हो जाए। दलित शिक्षा पर ही स्वस्थ समाज की स्थापना होगी।

छोटी जातियों को शिक्षा और सभ्यता उँची जातियों से मिलना चाहिए। इस प्रकार इन छोटी जातियों से एक नई शक्ति का संचार होगा। उनका मानना था कि सबसे पहले उँची जातियों की संकीर्णवादी विचारधारा को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उस समय बम्बई विधानसभा में अछूतों से संबंधित कई प्रस्ताव पारित व पास हुए थे। जैसे अछूत जातियों के लिए प्राथमिक विद्यालयों का खोला जाना, अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए अलग से छात्रावास की व्यवस्था करना आदि।

'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' 20 जुलाई सन् 1924 में ही संस्थापित हुई थी। दामोदर हॉल, बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी।

बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मुख्य कार्यालय बम्बई में स्थापित किया गया था। इस सभा के मुख्य उद्देश्य थे -

1. दलित वर्ग के लिए पढ़ाई की सुविधा मुहैया करना।
2. उनके लिए छात्रावास खोलना।
3. औद्योगिक तथा कृषि से संबंधित स्कूल खोलकर अछूतों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
4. दलित वर्ग की कठिनाईयों को दूर करते हुए समुचित कदम उठाना।
5. दलित वर्ग में सांस्कृतिक संचेतना लाने हेतु पुस्तकालय सोषल सेंटर्स और स्टडी सर्कल खोलना।

इस संस्था के प्रबंधक व चेयरमेन डॉ. अम्बेडकर बनाए गए। दरअसल इस संस्था के पीछे डॉ. अम्बेडकर के काफी ठोस प्रयत्न थे।

डॉ. अम्बेडकर नारी शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। वे नारी मुक्ति की दिशा

में शिक्षा को अहम मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि उस राष्ट्र में नारी की प्रगति का मापदंड क्या है ?

उन्होंने नारी चेतना के लिए और उनके अधिकारों की जोरदार वकालत की थी। परंपरावादी धार्मिक कर्मकाण्ड व नियमों ने नारियों पर अनेक प्रकार की सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक नियोग्यताएँ थोप रखी थी।

नगरीय निकायों, पंचायतों में महिलाओं अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिये जो आरक्षण निर्धारित किया गया है। वह डॉ. अम्बेडकर की ही देन है।

आज की नारी शिक्षा तथा अधिकारों को पाकर जीवन के हर क्षेत्र चाहे संचार हो, मीडिया वर्ग हो, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, टेक्नालॉजी, शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र में अपनी सफल उपस्थिति दर्ज करा रही है।

ये बाबासाहेब के विचारों एवं हिन्दू कोड बिल की प्रासंगिकता के कारण ही हो पाया है। परम्परागत समाज की बेड़ियों से मुक्त होकर नारी अपने भविष्य को उज्ज्वल बना रही है। नारी की इस सफलता में शिखर पुरुष डॉ. अम्बेडकर का विशेष योगदान रहा है।

शिक्षा के बारे में डॉ. अम्बेडकर ने कहा है -

'सरकार को सामान्य व्यक्ति को शिक्षा सुलभता से प्राप्त हो सके' इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। निम्नतम वर्ग को उच्चतम शिक्षा के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है, इसलिए उच्च शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। निम्न वर्ग को उच्च वर्ग के समकक्ष लाने के लिए उन्हें रियायतें देनी चाहिए। पाँच और दस

इन संख्याओं को दो से गुणा करने पर गुणाकार दस और बीस आता है। अतः पाँच को दो से और दस को एक से गुणा करना चाहिए अर्थात् समाज की सभी जातियों को समान स्तर पर लाने का संकल्प हो तो फिर समानता के तत्व को निरन्तर प्रतिपादित करने के बजाय जो पिछड़ा वर्ग है, उन्हें अधिक सुविधाएँ प्रदान करनी चाहिए और जो उन्नत वर्ग है उसकी सुविधाओं में कटौती करना चाहिए।

शिक्षा एक कुंजी है, जिससे ज्ञान का ताला खुल सकता है। इसका आकलन बाबा साहेब से ही हो गया था। शिक्षा ही सामाजिक परिवर्तन का माध्यम है, इसका एहसास उन्हें यौवनावस्था में ही हो गया था। अतएव दलित वर्ग का विकास बिना शिक्षा के संभव नहीं है। यह जानकर जब भी दलित वर्ग को ज्ञानोपदेश देने लगे तब तक उन्होंने भाषणों में शिक्षा के महत्व को विशद किया। बालक और बालिकाओं की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने का आग्रह किया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अल्लेकर, डॉ. अनन्त सदाशिव, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति।
2. अम्बेडकर बी. आर., संपूर्ण वाङ्मय, खंड 4, 1994, प्रकाशक, डॉ. अम्बेडकर कल्याण मंत्रालय।
3. म.ला.शहारे एवं अनिज नलिनी, 1993, प्रकाशक सेगमेंट बुक्स नई दिल्ली, पृ. 65
4. बसु एम. एन. 'फिल्ड मेथड्स इन एनथ्रोपोलॉजी एण्ड अदर साइंसेस' 1961

बदलता परिवेश और कामकाजी महिलाएँ

सविता लोरी *

प्रस्तावना - आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। वर्तमान परिवेश की हर एक अच्छी बुरी परिस्थितियों पर अनेक स्त्रीवादी साहित्यकारों ने अपनी पैनी कलम चलाई है। आधुनिक हिन्दी साहित्य संसार पर दृष्टि डाले तो अधिकांश नारी चरित्र स्वतन्त्र चेतना, आत्मसंघर्ष और अपने अस्तित्व की पहचान से ज्यादा अपने दुःखों और संघर्षों से परिपूर्ण हैं। वर्तमान नारी स्वतन्त्र होकर भी स्वतन्त्र नहीं है। समाज के अनेक बंधन उसे जकड़े रहते हैं।

'आधुनिक महिला लेखन निरन्तर चर्चा का विषय रहा है, महिला कथाकारों के सामाजिक जीवन व व्यक्तिगत जीवन से जुड़े प्रश्नों के साथ साहसिक अभिव्यक्ति, जहाँ समाज में स्त्री की स्थिति को स्पष्ट करती है, वहीं आने वाली पीढ़ी का मार्गप्रशस्त करती नजर आती है।' आज स्त्री की मानसिकता में परिवर्तन आया है। वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला कर सफलता की नई ऊँचाईयों को छू रही है और हमारे समाज की बदलती सोच भी उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है।

वर्तमान समय में नारी के जीवन में अनेक परिवर्तन आए हैं। स्त्री जब रोजी-रोटी की तलाश में अपने घर की चारदीवारी की लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बाहर आयी तो उसकी जीवन स्थितियों में बहुत अन्तर आ गया।

पितृ सत्तात्मक सामाजिक संस्कारों वाले परिवार के मध्य जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, तो उसे अपने परिवार के साथ साथ समाज से भी संघर्ष करना पड़ता है। वर्तमान समाज चाहे स्त्री स्वतन्त्रता व समानता की बात करता हो, पर वास्तविकता इसके विपरीत है। घर परिवार में एक कामकाजी महिला दोहरी भूमिका निभाती है और पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को पूरा करती है जबकि कामकाजी पुरुष वर्ग अपने झूठे अहम् के कारण इस दोहरी जिम्मेदारी में महिलाओं का साथ देने से कतराते हैं। पुरुष वर्ग का कामकाजी महिलाओं के प्रति जो नजरिया है, उसमें बदलाव लाना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा नजरिया कामकाजी महिलाओं के प्रति नहीं बदलता है, तब तक महिलाओं के आत्मसंघर्ष को कम नहीं किया जा सकता है।

'मुख्य रूप से अनेक विसंगतियों और आर्थिक कठिनाईयों को झेलने के बाद भी महिलाएँ परिवार के प्रति समर्पित हैं। यह निर्णय उसका प्राथमिक निर्णय है। नौकरीपेशा स्त्री बाहरी कार्यस्थल पर भी अपनी क्षमता को सिद्ध करती है और घर पर भी वह पत्नी व माँ के दायित्वों को वहन करती है, दोनों ओर के समायोजन में वह तलवार की धार पर चलती है।'

बदलती जीवन शैली में महिलाएँ घर से बाहर निकल कर अपने आप को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही हैं, परन्तु महिलाएँ अभी भी आर्थिक शोषण का शिकार बनती हैं। 'महिलाएँ दुनियाँ की आबादी का

आधा हिस्सा हैं, लेकिन दुनिया की आमदनी का दसवां हिस्सा उन्हें मिलता है और दुनिया की संपत्ति के सौवें हिस्से से भी कम संपत्ति महिलाओं के पास है।'

आर्थिक भेदभाव के चलते पूँजीवादी समाज में महिलाओं की पुरुषों पर निर्भरता काफी हद तक बढ़ जाती है। महानगरों में कामकाजी महिलाओं को महिला होने के नाते विशेष तौर पर आर्थिक एवं शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ता है। चित्रा मुद्गल जी के आवां उपन्यास की पात्र नमिता को भी कामकाजी महिला होने के कारण पहले अन्ना साहब और फिर संजय कनोई के शोषण का शिकार होना पड़ता है। नमिता का द्दन्द इन शब्दों में स्पष्ट होता है - 'सुनन्दा की मौत ने मेरे निर्णय को और भी पुख्ता कर दिया है। इन अराजक गलियों में मैं सांसें नहीं भर सकती। मैं अपने लिए एक नई दुनिया के द्वार खोलना चाहती हूँ, अभावों की बिलबिलाहट से दूर छन्न हत्याओं और भीतरघातों से परे।'

आधुनिक बोध के कारण आज की नारी में स्वाभिमान तथा आर्थिक स्वावलम्बन का भाव आया है। आज की महिला विवाह के बाद भी अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहती है। केवल अर्थार्जन की चिन्ता से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व की तलाश में नारी अपने घर की दहलीज से कदम बाहर रखती है। नारी केवल घर परिवार में बंध कर संतुष्ट भाव से जी नहीं पा रही है। इसलिए आर्थिक आवश्यकता न होते हुए भी उच्च वर्ग एवं मध्यम वर्ग की महिलाएँ अर्थार्जन कर रही हैं। आज की कामकाजी महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह पूरी दृढ़ता और स्वाभिमान के बल पर आगे बढ़ने को तैयार हो गई है।

तसलीमा नसरीन की कविता इसी संदर्भ में है -

'यह अच्छी तरह याद रखना,
तुम जब घर की चौखट लाँघोगी,
लोग तुम्हें टेड़ी-मेड़ी नजरों से देखेंगे।
जग तुम गली से होकर गुजरोगी,
लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, सीटी बजाएँगे,
जब तुम गली पार करके मुख्य सड़क पर पहुँचोगी,
तुम्हें चरित्रहीन कहकर गालियाँ देंगे।
तुम व्यर्थ हो जाओगी, अगर पीछे लौटोगी,
वरना जैसी जा रही हो जाओ।'

'आधुनिक साहित्य में कुछ महिला चरित्र घरेलू, कामकाजी, अन्तर्मुखी हैं। उच्च मध्यमवर्गीय नारी चरित्रों के रूप में उन्हें देखा जा सकता है, ये नारी चरित्र शिक्षित, योग्य एवं विकास की संभावनाएँ लिए हैं तथा घर व बाहर दोनों की जिम्मेदारी को पूरा करती हैं।' पद पाकर भी अपने परिवार के प्रति

नारी में सजगता है, तो अपने केरियर और कर्तव्य के प्रति भी सजग है।

आज दुनियां की धुरी अर्थ हो गया है। इसी केन्द्रीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए नारी इच्छापूर्वक व अनिच्छापूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य हुई है। कामकाजी महिलाओं की छवि भारतीय समाज में बदलती जा रही है, परन्तु वर्तमान समय में भी कामकाजी महिलाओं का आत्मसंघर्ष जारी है। हमारे समाज की रूढ़ियाँ उसे स्वतन्त्रता से जीने का अधिकार भी नहीं देती हैं। आश्चर्य इस बात का है कि इन रूढ़ियों की संरक्षिका व पोषिका पुरुषों से ज्यादा स्वयं नारी है। कुछ लोग यह सवाल उठाते हैं कि महिलाएँ किस कीमत पर नौकरी कर रही हैं? घर परिवार की कीमत पर या बच्चों की कीमत पर? महिलाएँ नौकरी छोड़ने को सहज तैयार नहीं होती, वर्तमान कामकाजी महिलाएँ पैसे की अहमियत और जरूरत को समझती हैं। उनका मानना है कि पति पर किस चीज के लिए आश्रित रहा जाए? जब तक कामकाजी महिलाओं

के प्रति पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव नहीं आते हैं, तब तक इनके संघर्ष को खत्म नहीं किया जा सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दादूलाल जोशी : 'समकालीन बोध और स्त्री विमर्श'
2. धर्मा यादव : 'स्त्री विमर्श और हिन्दी स्त्री लेखन'
3. सुदेश बत्रा : 'प्रतिरोध के स्वर : भारतीय लेखिकाओं के आत्मकथ्य'
4. कात्यायनी : 'तीसरे दशक की नारी-मुक्ति-चेतना और माधुरी'
5. चित्र मुद्गल : 'आया'
6. कृष्णकांत सुमन : 'इक्कीसवीं सदी की ओर'
7. प्रमीला कपूर : 'कामकाजी भारतीय नारी'
8. मधु अरोड़ा : 'कामकाजी महिलाएँ और बच्चे' : जनसत्ता, 19 अप्रैल 2015

पलायन करने वाले श्रमिकों के मूल निवास स्थान पर समूह चर्चा द्वारा अध्ययन (खरगोन जिले के भगवानपुरा, सेगांव तहसील के संदर्भ में)

डॉ. आर. के. यादव *

प्रस्तावना - वर्तमान समय में रोजगार की तलाश में गांवों से शहरों की ओर श्रमिकों का निरंतर पलायन हो रहा है। खरगोन जिले का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भगवानपुरा एवं सेगांव तहसील में निवासरत आदिवासी परिवार भी इससे अछूते नहीं हैं। क्षेत्र की विषम परिस्थितियों में जीविका चलाने तथा परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोग पलायन हेतु मजबूर हैं। जिसका क्षेत्र में व्यापक असर दिखाई देता है। इस पलायन से क्षेत्र का स्थानीय स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है वहीं पलायन स्थल पर भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। क्षेत्र में पलायन का सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही परिणाम देखने को मिलते हैं। अध्ययनकर्ता ने पलायन करने वाले तथा उससे प्रभावित होने वाले परिवार के सदस्यों तथा उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों से समूह चर्चा कर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जिसके परिणाम निम्न निकले हैं-

समूह चर्चा में पलायन करने वाले गाँव के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों से चर्चा की गई। उनके सामने अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रश्न पूछे गए। इस प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों निष्कर्षों को शोध अध्ययन में शामिल किया गया है। समूह चर्चा गाँव के सरपंच सचिव, सचिव, मनरेगा कृषक स्थानीय ठेकेदार, स्कूल शिक्षक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिला पंचायत के अधिकारी तथा विकासखण्ड स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों से चर्चा की गई। शोधकर्ता में ऐसे परिवारों के सदस्यों को भी उत्तरदाता बनाया जो पलायन कर शहरों में निवास करने लगे हैं। उनसे गाँव से निवास का पता लेकर उनसे सम्पर्क भी किया गया। समूह चर्चा अध्ययन उपयोगी साबित होकर अध्ययन को सार्थक बनाने में सहयोगी बनी। समूह चर्चा के बिन्दू और निष्कर्ष निम्नानुसार रहे हैं।

उत्तरदाता के मूल स्थान पर - अध्ययन के दौरान शोधार्थी ने अध्ययन क्षेत्र की दोनों तहसीलों के चयनित गाँवों जहाँ से अध्ययन के लिए इकाईयों का चयन किया गया है। वहाँ स्वयं जाकर समूह चर्चा की। इस समूह चर्चा में समाजजनों में अतिरिक्त इन व्यक्तियों से भी चर्चा की जो इन आदिवासी परिवारों से संबंधित हैं। अर्थात् वह तमाम व्यक्ति जिन पर पलायन का प्रभाव हो रहा है। केवल प्रत्यक्ष ही नहीं वरन् उन व्यक्तियों को भी चर्चा में शामिल किया गया जिन पर अप्रत्यक्ष रूप से पलायन के कारण प्रभाव हो रहा है। पलायन से संबंधित अनेक तथ्य ऐसे हैं, जो बिना चर्चा के प्रकाश में नहीं लाए जा सकते थे। सरपंच हो या पंचायत सचिव मनरेगा से संबंधित, पंचायत में कार्य करने वाले सहायक सचिव से भी चर्चा की गई। पलायन का प्रभाव उन संस्थाओं जैसे स्कूल, आंगनवाड़ी स्वयं सहायता समूह गैरशासकीय संगठन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तथा विशेष रूप से व्यापारी, किसान आदि सब से चर्चा की गई चर्चा के मुख्य बिन्दू तथा परिणाम निम्न थे -

सरपंच-पंच-पंचायत सचिव से समूह चर्चा - अध्ययन क्षेत्र की दोनों तहसीलों, भगवानपुरा तथा सेगांव तहसील की ऐसी पंचायतें जिनमें सर्वाधिक पलायन होता है। उन गांवों से संबंधित पंचायत के सरपंच-पंच और पंचायत सचिवों से पलायन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। भगवानपुरा तहसील की ग्राम पंचायतें जिनके सरपंच-पंच, सचिव से चर्चा की।

सभी ग्राम पंचायतों में अध्ययनकर्ता ने पलायन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की गई जिसमें निम्न थे-

रोजगार कार्यक्रम - सरपंच, पंच, पंचायत सचिवों से रोजगार कार्यक्रमों के संदर्भ में चर्चा की गई। संबंधितों द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायतों के द्वारा समय-समय पर रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। राहत कार्यों, ग्राम सड़क योजनाओं तथा अन्य योजनाओं के तहत तालाब निर्माण, पौधा रोपण, आदि कार्य मिलते रहते हैं, जिनके तहत रोजगार मिलता है। किन्तु राहत कार्यों एवं रोजगार कार्यक्रमों का निर्धारण शासन स्तर से होता है। जिससे पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।

पलायन रोकने के लिए पंचायत स्तर पर किए जा रहे प्रयास - इस संदर्भ में संबंधित का कहना था कि सीमित संसाधनों के द्वारा पलायन रोकने का प्रयास किया जाता है। योजनाओं के संबंध में गांवों में मुनादी (डोंडी) करवायी जाती है इसका असर देखने को मिलता है। परन्तु वर्तमान समय में पंचायत स्तर पर काम की कमी है। कुछ पंच इन सबसे अनभिज्ञ भी थे।

2. पलायन का क्या प्रभाव महसूस करते हैं - लगभग सभी पंचायतों के संबंधितों ने बताया कि पलायन का असर स्थानीय स्तर पर होता है। ग्राम पंचायतों के जलकर, बिजली कर आदि का भुगतान समय पर नहीं होता। किसानों से चर्चा के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि पलायन के कारण श्रमिक वर्ग अन्य स्थानों पर कृषि कार्य या अन्य कार्यों से बाहर चला जाता है। जिससे मजदूरी दर में वृद्धि हो जाती है। समय पर मजदूर नहीं मिल पाते हैं। बचे हुए मजदूर मनमाने ढंग से मजदूरी लेते हैं। कई बार फसल का खराब होने का भय होता है। समय पर बीज नहीं बोये जाने (बोनी लगने) से फसल का सही विकास नहीं हो पाता। सामान्यतः तो कृषि कार्य में अनेक ऐसे कार्य हैं, जिसमें मानव श्रम की आवश्यकता होती है। खेत हलने, बखरने, बुआई, निंदाई और मुख्य रूप से कटाई और फसल चुनने में भारी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। मजदूरों के पलायन के कारण मानव श्रम की भारी कमी हो जाती है। फसल की कटाई समय पर नहीं होने के कारण फसल नष्ट होने लगती है। कुछ फसलें तो ऐसी होती हैं जिसमें समय पर कटाई और चुनाई आवश्यक है, ऐसे में बड़े किसान प्रभावित होते हैं। अनेकों बार मानव

श्रम फसल की कटाई के लिए बाहर चला जाता है। क्षेत्र में श्रम की मांग बहुत बढ़ जाती है जिसके कारण छोटे-छोटे कामों के लिए भी मशीनों का प्रयोग करना होता है, जो बड़ा महंगा साबित होता है, जिससे फसलों का लागत मूल्य बढ़ जाता है एवं मुनाफा कम हो जाता है।

3. अन्य संस्थाओं पर पलायन का प्रभाव - अन्य स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि पलायन के कारण स्कूलों के एडमिशन पर काफी असर होता है। अनेक परिवार ऐसे समय पलायन कर जाते हैं, जब स्कूलों में एडमिशन करवाना होता है। कई परिवार अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, जिसके कारण न तो आंगनवाड़ियों में अपने बच्चों को भेज पाते हैं और नहीं स्कूलों में दाखिले करवा पाते हैं, ऐसे में स्कूलों में छात्र संख्या प्रभावित होती है। इतना ही नहीं चर्चा में यह बात की सामने आई कि कई बार परिवार वापस मूल निवास पर आ जाते हैं। तब अपने बच्चों को दाखिले के लिए आते हैं, किन्तु सत्र के मध्य में दाखिला करवाना मुश्किल हो जाता है। कई बार छात्र-छात्राएँ मध्य सत्र में ही स्कूल छोड़कर अपने पलायन करने वाले माता-पिता भाई-बहन के साथ चले जाते हैं। जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है या स्थगित हो जाती है। शाला छोड़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं को कॅरियर खराब हो जाता है या मुश्किल में पड़ जाता है।

4. अधिकारी/कर्मचारियों से चर्चा - यह ज्ञात हुआ कि शासकीय योजनाओं के संदर्भ में लोग लाभ लेने के प्रति उदासीन रहते हैं। तो वे वापस लौट कर नहीं आते हैं। तमाम प्रचार-प्रसार के पश्चात् भी लोग रूचि नहीं लेते हैं। इन्हें जब भी शासन से कोई आर्थिक सहायता दी जाती है विशेषकर कृषि क्षेत्र में, अन्य योजनाओं में राशि का उपयोग अन्य स्थान पर जैसे सामान खरीदने, शादी-ब्याह और अन्य सामाजिक कार्यों में इसका उपयोग कर लेते हैं। कई बार तो यह सामग्री तक विक्रय कर देते हैं। अनेकों बार तो ऐसे समय पर कोई भी घर पर मिलते ही नहीं हैं। राहत कार्यों तथा रोजगारोन्मुखी योजनाओं के संचालन के समय भी ऐसे परिवार उपस्थित नहीं होते हैं। राशन कार्ड का भी दुरुपयोग होता है। पलायन करने के समय में अपना राशन कार्ड साथ ले जाते हैं या दूसरों को दे जाते हैं। जिसका दुरुपयोग राशन दुकान वाला या अन्य कोई करता है।

5. पलायनकर्ता उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों से चर्चा - पलायन का असर यदि सबसे ज्यादा होता है तो उसके परिवार के सदस्यों पर। पलायन करने वाले उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्यों से समूह चर्चा की गई। सदस्यों के मत निम्नानुसार थे -

माता-पिता एवं अन्य सदस्यों से अध्ययन क्षेत्र में कुछ पलायन करने वाले उत्तरदाता संयुक्त परिवार के हैं। इन पलायनकर्ताओं के परिवार के अनेक सदस्य अपने मूल निवास स्थान पर रहते हैं। माता-पिता, भाई-बहन, पत्नी और बच्चों। अध्ययन के दौरान ऐसे परिवारों से अध्ययनकर्ता द्वारा पलायन के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों और लाभ समस्याएँ आदि पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकांश पलायन करने वाले उत्तरदाताओं के माता-पिता का कहना था कि उनके पुत्र के पलायन का व्यापक असर हुआ है। कुछ माता-पिता का कहना था कि पलायन करने के कारण उनकी स्थिति में सुधार भी हुआ है। कर्ज से मुक्ति भी मिल रही है। ऐसे माता-पिता ने बताया पलायन करने के कारण पलायन करने वाला परिवार का मुख्य व्यक्ति था। उसके पलायन करने का कारण घर की जवाबदारियाँ हम पर आ गई हैं। इन जवाबदारियों में बच्चों के स्कूल, स्वास्थ्य संबंधी, बाजार और बाहर के कार्य प्रभावित होते हैं। पलायनकर्ता प्रमुख होने के कारण, आर्थिक परेशानियों

भी आ रही हैं। पलायनकर्ता यदा-कदा परिवार से मिलने आता है। परन्तु पलायनकर्ता के परिवार के साथ वैसा व्यवहार नहीं महसूस होता है, जैसा पूर्व में था। कुछ माता-पिता का तो कहना था कि पलायनकर्ता का परिवार के साथ भावनात्मक संबंध लगभग समाप्त हो रहे हैं। ऐसे पलायनकर्ता जिन्होंने अकेले पलायन किया है। पति तथा बच्चों जिनके मूल स्थान पर ही है। वह निरन्तर मूल स्थान पर आते जाते रहते हैं। परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। किन्तु पलायन स्थल से गांव या मूल स्थान पर कभी-कभी ही आते हैं। संचार के माध्यमों विशेषतः मोबाईल पर खैर-खबर लेते रहते हैं।

एकांकी परिवार के होने के कारण, अनेक परेशानियों का सामना करते हैं। विशेषतः सदस्यों के स्वास्थ्य खराब होने की दशा में पत्नी को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पत्नी का अन्य कार्य खेती-मजदूरी करने में बड़ी परेशानी होती है। कुछ पत्नियों का कहना था कि बच्चों अपने पिता को बहुत याद करते हैं। बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है। काम करने जब बाहर जाते हैं जब बच्चों की देख-भाल के लिए पास-पड़ोस या रिश्तेदार को जवाबदारी देनी पड़ती है। घर का सारा कार्य हमें ही करना होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार आदि भी हमें ही जाना पड़ता है। कुछ पत्नियों का यह भी कहना था कि तमाम परेशानियों के बावजूद भी पलायन के कारण जो पैसा मजदूरी के रूप में मिलता है। इस पैसे से घर सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। घर में गृहस्थी के समान के अतिरिक्त अन्य सामान भी खरीदा जा सकता है। घर में पंखा, मोबाईल, सायकल, तथा टी.वी. खरीदा जा सका है।

कुछ परिवारों का मानना था कि पलायन के कारण धीरे धीरे कर्ज से मुक्त हो रहे हैं। कुछ पशुधन जिसमें बकरी, मुर्गी, गाय, पलायन के कारण मिलने वाली मजदूरी से खरीदा गया है। ऐसे कुछ परिवार भी थे जिनके सदस्य बड़ी बचत करते हैं। वह कार्य के अतिरिक्त कार्य करते रहते हैं। एक ही परिवार के एक से अधिक संख्या में पलायन करते हैं। तथा कड़ी मेहनत करते हैं। जिसके कारण कुछ बड़े कार्य कर पाते हैं। सामाजिक तथा पारिवारिक उत्सवों में भाग लेते हैं तथा अपना योगदान भी देते हैं। लम्बे समय तक कार्य करते रहने के कारण अधिक तथा अच्छी मजदूरी मिलती है। बचत से जिसमें जेवरात खरीदना तथा मकान का निर्माण करना भी शामिल था। कृषि करने के लिए कुछ परिवारों के सदस्यों ने अन्य स्थल पर पलायन किया है। ऐसे परिवारों की माली हालात थोड़ी ठीक-ठाक होती जा रही है। अनेक परिवारों के सदस्य पलायन के कारण संतुष्ट भी नजर आते हैं।

पलायित परिवार के अन्य सदस्यों का कहना था कि पलायन के कारण ही परिवार में बड़ा परिवर्तन आया है। खान-पान तथा रहन-सहन में बड़ा बदलाव आया है। आधुनिक साधनों का उपयोग भी करने लगे हैं। कुछ परिवार के सदस्यों का कहना था कि पलायन के कारण कुछ नयी समस्याओं ने भी जन्म लिया है। पलायनकर्ता अधिक नशा करने लग गए हैं। परिवार की देखभाल उचित तरीकों से नहीं हो पा रही है। आधुनिक मूल्यों को अपनाने के कारण अपने रीति-रिवाजों को भूल रहे हैं। त्यौहारों एवं उत्सवों में भी परम्परागत उत्सवों में कम रूचि लेते हैं। जबकि हिन्दू धर्म से संबंधित त्यौहारों को मनाने लगे हैं। होली, दीपालवी, नवरात्रि, गणेश उत्सव, में ज्यादा रूचि लेने लग गए हैं। पहनावे में जबरदस्त बदलाव आया है। परम्परागत पहनावे के स्थान पर पेंट, टी-शर्ट आदि का प्रचलन बढ़ रहा है। खान-पान की आदतों में भी बदलाव आ रहा है। कुछ परिवारों के सदस्यों का यह भी मानना

था कि, पलायन करने वाला सदस्य बहुत परेशान भी है। हमेशा टेंशन में रहता है। अनेक चिंताओं के तहत बीमार तक हो जाते हैं। कार्य न मिलना, रहने की ठीक ठाक व्यवस्था का न होना, मजदूरी समय पर न मिलना, कम मजदूरी मिलना, ब्याज पर पैसा उठाना, कर्ज में रहना, तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहना प्रमुख है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम मिलने की दशा में नये आवास स्थल बनाना सारी सुविधायें फिर से जुटाना समय खर्च होता है। कई दिनों तक इन्हीं कारणों से मजदूरी पर नहीं जा पाते जिससे आर्थिक नुकसान होता है। बहुत से परिवार के सदस्यों का कहना है कि बुरा असर बच्चों के भविष्य को लेकर होता है। पलायन के कारण बच्चों किसी एक स्कूल में पड़ ही नहीं पाते हैं। निरन्तर स्थान परिवर्तन के कारण अधिकांश बच्चों की पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। माता-पिता के साथ कार्य

में हाथ बटाने लग जाते हैं। बाल्यावस्था में ही मजदूरी करने लग जाते हैं।
निष्कर्ष - पलायनकर्ता के मूल स्थान पर जाकर अध्ययनकर्ता ने विभिन्न लोगों से समूह चर्चा की जिसमें कुछ लोगों को लगता है कि पलायन के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग थे, जिनका कहना था कि पलायन के कारण क्षेत्र को भारी नुकसान भी हो रहा है। पलायनकर्ता का जहां आर्थिक विकास हो रहा है, वहां उसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। स्थानीय कृषकों, अन्य संस्थाएं जिनके ये हितग्राही हैं या उनसे संबंधित हैं, उन्हें इससे परेशानियां हो रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

कृषि नवाचार का जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव (बड़वानी जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. यशोदा चौहान *

प्रस्तावना - परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रत्येक समाज में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहते हैं, स्थितैर्य एवं परिवर्तन दोनों ही समाज की अन्तरंग विशेषताएँ हैं। अतः इसके समुचित अध्ययन के लिए उसके स्थित एवं गतिशील दोनों पहलुओं के अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे समाज की संरचना और देशकाल परिस्थिति के कारण उसमें होने वाले परिवर्तनों का ज्ञान हो सके।

मध्यप्रदेश के आदिवासी आमतौर पर पहाड़ी तथा वनाच्छादित आंचलो में निवास करते हैं, सन् 2001 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले में 67.2% जनसंख्या जनजातियों की है, जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या 86.9% निवासी तहसील में व सबसे कम 38.9% ठीकरी तहसील में है। बड़वानी जिला जनजातिय बाहुल्यता की दृष्टि से प्रदेश में दूसरे स्थान का जिला है, मानसून की दृष्टि से दो दशक पूर्व यह क्षेत्र वर्षा की दृष्टि से पीछे नहीं रहा, परन्तु वनों की अधिक कटाई से पर्यावरणीय सन्तुलन बिगड़ जाने से यह अल्प वर्षा के रूप में कई सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का केन्द्र बन गया है।

जनजातियों में तकनीकी नवाचार से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव के साथ-साथ उनके विकास के विभिन्न पहलुओं का भी वर्णन किया गया है। जनजातिय समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के उपाय राजनैतिक एवं धार्मिक स्थिति पर आधुनिकता का प्रभाव जनजातिय विकास कार्यक्रम एवं उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनमें होने वाले परिवर्तनों को संक्षिप्त रूप में बताया गया है।

अध्ययन क्षेत्र - मध्यप्रदेश की दक्षिण पश्चिमी सीमा पर स्थित बड़वानी एक आदिवासी बाहुल्य जिला है, नर्मदा नदी उत्तरी सीमा बनाती है तथा सम्पूर्ण जिला सतपुडा की वादियों में फैला हुआ है।

बड़वानी जिला 21°23' उत्तरी अक्षांश से 22°09' उत्तरी अक्षांश तथा 74°27' पूर्वी देशान्तर से 75°30' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है, इसकी समुद्र सतह से 177 मीटर उँचाई पर स्थित है, जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3665 वर्ग कि.मी. है, जो मध्यप्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 18 प्रतिशत है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बड़वानी जिले की कुल जनसंख्या 108144 है, जिसमें कुल जनजातिय जनसंख्या 724735 है जो कुल जिले की जनसंख्या का 67.02 प्रतिशत है।

विधितंत्र - बड़वानी जिले के आदिवासी आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, स्वतन्त्रता प्राप्ति के 63 वर्ष के बाद भी आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कृषि नवाचार के बाद इन आदिवासियों में कितना सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हुआ है, वे क्या कारण हैं कि आज भी इन आदिवासियों का उतना विकास नहीं हो

पाया है, जितना होना चाहिए था, यदि विकास हुआ भी है, तो किस सीमा तक ? आदि प्रश्नों को जानने के लिए सुक्ष्म अध्ययन हेतु बड़वानी जिले की 07 विकासखण्डों के प्रत्येक विकासखण्ड से 02 गाँवों का चयन इस प्रकार कुल 14 गाँवों का चयन किया गया है, चूँकि जिले के समस्त गाँवों का अध्ययन करना सम्भव नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में अध्ययन क्षेत्र से 14 गाँवों का चयन कर प्रत्येक गाँव से 20 परिवारों का चयन किया गया।

प्रतिदर्श - बड़वानी जिले के 07 विकासखण्ड से 02 गाँवों का चयन कर कुल 14 गाँवों का चयन किया गया, प्रत्येक गाँव से दैव निदर्शन विधि द्वारा 20 परिवारों का चयन कर कुल 280 उत्तरदातों को चुना गया। प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आँकड़ों पर आधारित है।

अध्ययन का उद्देश्य - अध्ययन क्षेत्र में आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हेतु शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्व में किया गया था, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए। बड़वानी जिले के आदिवासी कृषि कार्य अधिक करते हैं, क्योंकि इसके अतिरिक्त कोई जीविकोपार्जन का साधन नहीं है, कृषि नवाचार तकनीकी का प्रयोग करते हुए अब ये आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करने लगे हैं, जिससे इनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव देखने को मिला है।

इसी तारतम्य में आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु शासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका रही ? शासन द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बावजूद आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई विशेष परिवर्तन क्यों नहीं हुए ? कौनसी समस्याएँ हैं, जिनसे आदिवासियों में विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है, अर्थात् ऐसे कौन से कदम उठाये जाने चाहिए जिससे इनका सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव हो सके तथा ये अन्य समाजों के साथ मिलकर चले व देश के विकास में योगदान कर सके।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का उद्देश्य आदिवासियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर का आँकलन या समीक्षा करना है।

1. जनजातियों का सामाजिक परिदृश्य।
2. जनजातियों का योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता एवं दृष्टिकोण ज्ञात करना।
3. भौगोलिक संसाधनों का आर्थिक विकास में योगदान।
4. विकास कार्यों में मृदा अपरदन पर पड़े प्रभावों का आँकलन करना।
5. विकास कार्यों से भूजल स्तर से हुए परिवर्तन को ज्ञात करना।
6. विकास कार्यों से कृषि उत्पादन में परिवर्तन का आँकलन करना।
7. गैर सरकारी संस्थाओं की योजनाओं का जनजातिय जीवन पर प्रभाव।

8. विषय वस्तु के सन्दर्भ में आय एवं रोजगार के अवसरों की खोजबीन करना।

9. शासकीय विकास योजनाओं का पलायन पर रोक तथा प्रभाव।

संमकों का संकलन - प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों का उपयोग किया गया है।

A. **प्राथमिक संमक** - प्राथमिक संमकों में प्रश्नावली अनुसूची साक्षात्कार एवं अवलोकन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को लिपिबद्ध करके उत्तरदाताओं के व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से अनुसूची भरी गई है।

B. **द्वितीयक संमक** - द्वितीयक आँकड़ों का संकलन पत्र-पत्रिकाओं, वार्षिक रिपोर्ट, ग्राम वन समिति रिपोर्ट, वन परिक्षेत्र, वन मंडल कार्यालय, भू-राजस्व अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय आदि से प्राप्त किये गये।

विश्लेषण - A. सर्वेक्षित परिवारों का उद्देशानुसार - तालिका क्रमांक 1.1 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सर्वेक्षित गाँवों में पाटी विकासखण्ड के बुन्दी गाँव के 168 व्यक्ति हैं, जिनका 9.59 प्रतिशत भाग आता है, सबसे कम जनसंख्या पानसेमल विकासखण्ड के आमझिरी गाँव की है, जिसका प्रतिशत 5.02 है।

B. सर्वेक्षित परिवारों का आयु के आधार पर वर्गीकरण -

तालिका क्रमांक 1.2

(सर्वेक्षित परिवारों का आयु वर्गीकरण)

क्र.	आयु वर्ग	कुल जनसंख्या	प्रतिशत
1.	0-14	575	32.83
2.	15-20	299	17.07
3.	21-40	545	31.12
4.	41-50	190	10.85
5.	51-60	86	4.91
6.	61 से अधिक	56	3.19
कुल योग		1751	100

सर्वेक्षित परिवारों की कुल जनसंख्या में 32.83 प्रतिशत जनसंख्या 0-14 वर्ष की आयु की है, जो लगभग 01 तिहाई है। सबसे कम जनसंख्या 3.19 प्रतिशत 61 वर्ष की है। तालिका क्रमांक 1.2 से स्पष्ट है।

वैवाहिक स्थिति - तालिका क्रमांक 1.3 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

सर्वेक्षित परिवारों में कुल जनसंख्या में 47.05 प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है, जो इस बात को इंगित करती है, आदिवासियों में कम उम्र में विवाह कर दिया जाता है।

C. सर्वेक्षित परिवारों में शिक्षा का स्तर - तालिका क्रमांक 1.3

क्र.	शिक्षा का स्तर	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	अशिक्षित	809	46.20
2.	शिक्षित	942	53.80
3.	प्राथमिक	545	31.12
4.	माध्यमिक	221	12.62
5.	हाईस्कूल	84	4.79
6.	हायर सेकण्डरी	45	2.59
7.	स्नातक	31	1.77
8.	स्नातकोत्तर या अधिक	16	0.91

सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता का प्रतिशत नगण्य रहा है, शिक्षा के स्तर के अनुसार 46.20 प्रतिशत व्यक्ति निरक्षर है, अर्थात् आज भी लगभग आधी जनसंख्या साक्षर नहीं है, 31.62 प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा, 12.62 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा, 4.79 प्रतिशत हाईस्कूल, 2.59 प्रतिशत हायर सेकण्डरी, 1.77 प्रतिशत स्नातक व 0.91 प्रतिशत स्नातकोत्तर या उच्च शिक्षा प्राप्त है। आज भी इन आदिवासियों में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। अतः शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

आर्थिक स्थिति - अध्ययन क्षेत्र के परिवारों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, कृषि फसलों के निम्न उत्पादन एवं गुणवत्ता में कमी से खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है, इन समस्याओं का समाधान कृषि उत्पादन है।

कृषि करना इन आदिवासियों का प्राथमिक व्यवसाय है किन्तु कृषि में विकास के समस्त साधनों के अभाव के कारण इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है।

वार्षिक आय

तालिका क्रमांक 1.4

कुल वार्षिक आय	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
0-5000	-	-
5000-10000	-	-
10000-15000	28	10.00
15000-20000	79	28.21
20000 से अधिक	173	61.79
योग	280	100.00

तालिका क्र. 1.4 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों की कुल वार्षिक आय 20000 से अधिक अर्थात् 61.80 प्रतिशत परिवार की है, तथा सबसे कम वार्षिक आय वाले परिवारों की संख्या 28 है, जिनकी वार्षिक आय 10000 से 15000 के बीच है, इनका प्रतिशत 10 है।

व्यवसाय की स्थिति (सर्वेक्षित परिवारों की)

तालिका क्रमांक 1.5

क्र.	व्यवसाय का प्रकार	परिवार की संख्या	प्रतिशत
1.	बेरोजगार	-	-
2.	मजदूरी	195	69.64
3.	कृषि	280	100.00
4.	कारीगरी	09	3.21
5.	नौकरी	13	4.64
6.	व्यापार/दुकान	05	1.78
7.	पशुपालन	02	0.71

तालिका क्र. 1.5 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सभी परिवार कृषि कार्य करते हैं, इसके अलावा 69.64 प्रतिशत परिवार मजदूरी भी करते हैं, क्योंकि कृषि कार्य वर्ष भर नहीं होता है, 4.64 प्रतिशत परिवार नौकरी करते हैं, 3.21 प्रतिशत परिवार कारिगरी का कार्य करते हैं, 1.76 प्रतिशत परिवार दुकान चलाते हैं तथा 0.71 प्रतिशत परिवार पशुपालन करते हैं।

मकानों का प्रारूप - तालिका क्रमांक 1.6 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

तालिका क्र. 1.6 से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सबसे अधिक 114 परिवारों के पास कच्चा मकान है, जो कुल सर्वेक्षित परिवारों के 40.71 प्रतिशत है तथा सबसे कम 62 परिवारों के पास ही पक्का मकान है, जिनका

प्रतिशत 22.14 है।

पीने के पानी की व्यवस्था

तालिका क्रमांक 1.7

क्र.	साधन	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	नदी	-	-
2.	सार्वजनिक कुँआ	20	7.14
3.	हेण्डपम्प	185	66.07
4.	ट्यूबवेल	75	26.78
	योग	280	100

सर्वेक्षित परिवारों में पीने के पानी के लिए सबसे अधिक 66.07 प्रतिशत हेण्डपम्प से पानी लाते हैं, सार्वजनिक कुँआ से पानी की व्यवस्था बहुत कम 7.14 प्रतिशत परिवार ही करते हैं, इसका कारण यह है कि आदिवासी लोग बिखरे हुए टोलों में रहते हैं, इसलिए कुँआओं की बजाय हेण्डपम्प का प्रयोग अधिक करते हैं।

उपलब्ध सुविधा

तालिका क्रमांक 1.8

क्र.	उपलब्ध सुविधाएँ	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	शौचालय	10	3.57
2.	रसोई घर	264	94.28
3.	पशुओं को रखने का स्थान	266	95.00

आदिवासी लोग पशुओं को पालने का कार्य भी करते हैं, लगभग 95 प्रतिशत परिवार पशुओं को बाँधने के लिए अलग से स्थान रखते हैं, लगभग इतने ही प्रतिशत लोगों के पास स्वयं का रसोई घर है। सबसे दयनीय स्थिति शौचालय से सम्बन्धित है, ये लोग खुले स्थान पर शौच के लिए जाते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न बिमारियों को जन्म देते हैं।

बिजली की व्यवस्था

क्र.	बिजली की व्यवस्था	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	बिजली नहीं है	26	9.28
2.	अवैध	18	6.42
3.	एक बत्ती कनेक्शन	182	65.00
4.	मीटर कनेक्शन	54	19.28
	योग	280	100

तालिका क्रमांक 1.9

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश शासन की नीति के अनुसार लगभग 65 प्रतिशत परिवारों के पास एक बत्ती कनेक्शन है, और अपने परिवारों के विकास में इस सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, 19.28 प्रतिशत परिवारों ने ही मीटर लगवाए हैं तथा 6.42 प्रतिशत परिवार आज भी अवैध रूप से बिजली की चोरी करके अपना कार्य करते हैं, परन्तु 9.28 प्रतिशत परिवार शासन की विभिन्न योजनाओं के लागू होने के बाद भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं।

मनोरंजन के साधन

तालिका क्रमांक 1.10

क्र.	मनोरंजन के साधन	सर्वेक्षित परिवारों की संख्या	प्रतिशत
1.	रेडियो	42	15.00
2.	टेप रिकार्डर	14	5.00
3.	टेलीविजन	181	64.64
4.	सी.डी. प्लेयर	97	34.64
5.	मोबाईल	81	28.92
6.	अन्य	5	17.85

मनोरंजन के साधनों के उपयोग में आदिवासी वर्ग भी पीछे नहीं है, 64.64 प्रतिशत परिवारों के पास संचार के आधुनिक साधन टी.वी. है, क्योंकि वर्तमान में टी.वी. की कीमत कम होने से ये लोग आसानी से क्रय कर लेते हैं, 28.92 प्रतिशत परिवार सी.डी. प्लेयर भी रखते हैं, 34 प्रतिशत परिवार रेडियो एवं टेप दोनों का उपयोग करते हैं, लगभग 18 प्रतिशत परिवारों के पास मोबाईल भी है, इससे यह प्रतीत होता है कि इनका सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन तेजी से हो रहा है।

निष्कर्ष - कृषि नवाचार से जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन कृषि नवाचार में सर्वेक्षित क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा नवीन कृषि उपकरणों, सिंचाई पद्धति, उन्नत बीज व खाद का प्रयोग किया जा रहा है, और जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन बढ़ने से उनके सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति पर प्रभाव भी हो रहा है, परन्तु यह प्रभाव की गति धीमी है, इसका कारण इस क्षेत्र में वर्षा की कमी, जोतो का आकार छोटा व उबड़-खाबड़ भूमि है। अतः शासन को इस क्षेत्र में कृषि नवाचार को और अधिक गति देने हेतु सर्वेक्षित क्षेत्र के आदिवासियों को जागरूक किया जाना चाहिए व कृषि विभाग द्वारा उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्र आदि विभिन्न संस्थाओं एवं सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए।

सुझाव -

1. शिक्षा के क्षेत्र में सुधार व यातायात साधनों को बढ़ाना चाहिए।
2. खाद, बीज, दवाईयों का उचित मूल्य पर वितरण करना चाहिए।
3. रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग करने के लिए आदिवासियों को प्रेरित करना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौधरी, डॉ. बी.एल. 2004 - पर्यावरण अध्ययन एवं जितेन्द्र पाण्डेय एयेक्स पब्लिशिंग हाउस, उदयपुर (राजस्थान)।
2. मामोरिया, डॉ. चतुर्भुज - मानव भूगोल साहित्य भवन पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
3. तिवारी, शिवकुमार - हिन्दु सामाजिक संस्थाएँ किताब महल, इलाहाबाद, 1961
4. माथुर, एस.एस. 1991 - फिजिक्स जियोग्राफी ऑफ इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली।

Mythical Elements In The Plays Of Girish Karnad

Twishampati De *

Abstract - Post Independence Literature consists of many playwrights. Among them, Girish Karnad is most significant. Through his innovative and imaginative style, he has portrayed folk tales and myths in his plays which reflect the social reality. According to Shastri, "Myth, at all events, is raw material, which can be stuff of literature". Indian playwrights like Sri Aurobindo and Kalidasa selected their themes from the myths and legends of Indian Literature. Karnad's purpose of using myths in his plays is to expose the absurdity of human life with all its elemental passions and conflicts, men's eternal struggle to achieve perfection.

Key words - Myths, archetypes, folktales, Hindu mythology, supernatural elements, supernatural qualities, magic elements, social hierarchy, mythical tale.

Introduction - Karnad has taken the plot of the play "Yayati" from the first chapter of the Mahabharata in which "Yayati" is cursed by Shukracharya and Sharmishtha's son Pooru rescues "Yayati" from the curse. "Yayati" is a play on the theme of responsibility where "Yayati" himself is not ready to shoulder his responsibility. At last he accepts it, after enjoying youth for one thousand years. In Girish Karnad's "Yayati", he accepts it only after the death of Chitrlekha. "Karnad's "Yayati" retells the age-old story of the king who in his longing for eternal youth does not hesitate to usurp the youth and vitality of his son. Karnad invests new meaning and significance for contemporary life and reality by exploring the king's motivations. In the Mahabharata, "Yayati" understand the nature of desire itself and realizes that fulfillment neither diminishes nor eliminates desire. In the drama, Karnad makes "Yayati" confront the horrifying consequences of not being able to relinquish desire; and through the other characters he highlights the issue of class, caste and gender coiled within a web of desire." (B. Yadav Raju 18) Karnad's originality lies in working of the motivations behind "Yayati's" choice. In Karnad's "Yayati", "Yayati" recognizes the horror of his own life and assumes his moral responsibility only after symbolic encounter of Chitrlekha. Chitrlekha is Karnad's own creation. In the Mahabharata, "Yayati" recognizes the desire itself and realizes that fulfillment does not diminish even after thousand years.

Karnad is attracted to the myths, histories, and folk stories for personal reasons. This autobiographical dimension is indubitably evident in "Yayati", "Tughlaq" and "Hayavadana". Next, he is excited by the universal characteristics of certain recurrent archetypes –problems, characters, situations, themes and so on. Hence, the personal and the social, the past and the present, commingle in Karnad's plays which will ever remain relevant

to mankind. The story of "Hayavadana" comes partly from Thomas Mann's story titled "Transposed Heads" and also on the stories in "Vetal Panchavimshati" and "Kathasaritsagar". Karnad's play in a characteristic way begins where the Vetal story ends. In "Vetal Panchavimshati" Prince Dhavala marries Madansundari, the daughter of a king named Suddhapata's. One day Svetapata, Suddhapata's son proceeds to his own country along with his sister and her husband. On the way, they come across the temple of goddess Gauri. Dhavala goes into the temple and pays homage to the goddess. Through some urge he cuts off his head with a sword and presents it to the goddess. As Dhavala does not come even after waiting for some time, Svetapata goes inside and when he finds Dhavala has cut his head off, he also offers his head to goddess. When Madansundari, after a long time, enters the temple, she sees the dead bodies lying before the goddess. And in great grief she begins to cut off her own head but the Goddess Gauri appears and asks her to shape their heads on their shoulders. But in excitement the heads are changed. Vetal's question is who is Madansundari's husband? And the king answers "of course the person with Dhavala's head on his shoulders." Each of these stories possess a riddle at the end, which the Vetal challenges the king to solve. A modern source of the plot of Hayavadana is Thomas Mann's narrative, "The Transposed Heads". Mann who got the story from Zimmer changes and elaborates it further making it a vehicle for the expression of favourite idea, namely, the ironic confrontation between opposite in human life. "If Mann's aim was to stress the ironic impossibility of uniting perfectly the spirit and the flesh in human life, Karnad tries to pose existential ideas like problem of 'Being' and the metaphysical anguish of the human condition." (M.K.Naik 137)

The practice of going back to mythology is not totally

new in Indian English drama. The playwrights before Girish Karnad, have drawn stories from mythology and interpreted them a new. Karnad also realizes that the relationship between theatre and mythology is very close. As the function of theatre is to reflect society, best signified in myths and the best reservoir of it is epics. Time is generally divided into present, past and future and the division exists only on a conscious level. At the subconscious or unconscious level, there is no such compartmentalization. That's why myths being the representatives of our subconscious and unconscious mind never get old. Some critics have accused Karnad of writing with western audience in mind and of using themes and techniques that might shock or startle the Indian viewers. But this doesn't seem to be true as far as "Hayavadana" is concerned. Karnad wants to illustrate man's universal predicament in new twentieth century awareness. As banal methods would not do for the purpose, as the established myths were found insufficient, he invented a myth and dramatized it.

The play "Nag -Mandala" is based on two oral folk tales from Karnataka. According to Karnad, women tell these stories to their children while patting them to bed or while doing household work. In the presence of children and women, they gave expression with their own point of view which otherwise remains unrecognized. According to Girish Karnad, "These stories represent a distinctly woman understanding of the reality around her, a lived counterpoint to the patriarchal structures of classical texts and institutions." (Karnad 17) The title of play is based on Naga (Snake). In Hindu mythology, Naga represents several images. In south India, many houses have their shrines= which have a grove reserved for snakes where there are lots of trees. Snake symbolizes strength of man. They are sometimes portrayed as handsome man as half man and half Cobra, it is considered/ believed that they can assume the form of any man or woman. Many people worship Naga (snake), as well as the people believe that snake/Cobra can fulfill the wishes of the people. In the play also, Rani, neglected by her husband Appanna, gets everything which she would never have expressed openly. She gets a devoted husband, a son and a lifelong maid. It is due to her lover (Naga) who fulfills all her wishes and leaves her life when she becomes happy with her husband Appanna.

Due to this interesting story, the Sutradhara also remains awake for the whole night and saves his life. Now, he has to pass the story on according to his promise made to the 'story'. It also shows that an artist is bound to represent his art as well as the tradition of storytelling from generation to generation to be carried out. Many devices used in folk tale or mythic patterns are included in the play e.g. supernatural elements, superhuman qualities, magic elements i.e. paste of root, extraordinary ordeals etc. All these elements help in increasing the reader's interests, as well as they are the need of folk tales.

Girish Karnad uses history and historical characters in order to comment on the contemporary situation of India.

Karnad writes in the preface of his play, "I wrote Tale-Danda in 1989 when the 'Mandir' and the 'Mandal' movements were beginning to show again how relevant the questions posed by these thinkers were for our age. The horror of subsequent events and the religious fanaticism that has gripped our national life today have only proved how dangerous it is to ignore the solutions they offered." (Girish Karnad's Preface of the play Tale- Danda) When Babari Mosque was demolished by Hindu people, the Indian philosophers, literary figures and people who believed in Indian culture were disturbed. It was a great blot on India's history. The foundation of Indian society is based on the caste system in it. Manchi Sarat Babu writes, "The Hindu society consists of four recognized classes called 'varnas' and one unrecognized class called 'avarnas.' They are Brahmins (priests, poets, teachers and ministers), kshatriyas (kings and warriors), Vaishyas (tradesmen), Shudras (craftsmen) and the Panchamas (menial workers). Shudras and Panchamas toil and produce wealth which people of higher classes enjoy. According to a Hindu myth, the four recognized classes emanated from the mouth, the arms, the thighs and the feet of Brahma, the God of Creation respectively. Such myths and literature created and perpetuated by Brahmins, seek to justify the social hierarchy and sanction their superiority." (M. Sarat Babu 45)

The myth is taken from the Mahabharata. There are innumerable tales in the Mahabharata and myth of Yavakri is one of them. It is found in 'Vanaparva'. In the narrative of Parvasu, Arvasu and Yavakri, Karnad found the plot of "The Fire and the Rain". The play also dramatizes one more archetype and that is the archetype of fratricidal strife between Indra and his brothers Vishwarupa and Vritra. In the myth, Indra kills Vritra to become supreme in power. The mythical tale is taken from 'Rig-Veda'. Karnad in this play has exploited the myth of Yavakri. With the help of this myth he brings into light the age long antagonism between father and son.

In the Mahabharata, when Yavakri violates the sanctity of Vishakha, the lake dries up. But in the play, the land is afflicted with draught for ten years. The original episode ends with the release of Brahma Rakshasa. Though the myths are taken from diverse sources, Karnad has selected elements required for his play and worked on them so that they will suit his purpose. Unless one has the knowledge of the background, context of myths, it will be difficult for one to be able to interpret the purpose of the playwright.

The matured artist, Girish Karnad has used the myths in the very appropriate manner. The legend of Indra, Vritra is intertextual with the myth of Arvasu and Parvasu. P. Jayalaxmi writes, "Karnad's mastery lies in his successful weaving of the contradictions and dilemmas that the myth from the Mahabharata glossed over. He re- interprets and represents the myth with definitive statement in the context of the present". (P. Jayalaxmi 261). Though there are certain differences between the original episodes and the play beneath the superficial differences, there lies a principle

and reality which is universal? The underlying reality principle remains there always.

References :-

1. Girish Karnad, Three Plays, Naga-Mandala, "Hayavadana", Tughlaq, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p.12
2. 47. Girish Karnad, Three Plays, Naga-Mandala, "Hayavadana", Tughlaq, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p.11
3. Girish Karnad, Three Plays, Naga-Mandala, "Hayavadana", Tughlaq, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p.16
4. Girish Karnad, Three Plays, Naga-Mandala, "Hayavadana", Tughlaq, Oxford University Press, New Delhi, 2009, p.27
5. Jayalaxmi P. 'Politics of power. A study of Gender and caste in The Fire and the Rain in Girish Karnad's plays performance and critical perspectives (ed.) By Mukherjee Tutun Delhi: Pencraft International,2006. clxxxiv
6. Ratna Sheila Mani, K. 'The Betrayal of Motif in Karnad's Tughlaq' in The Plays of Girish Karnad.(Ed.) Jaydipsingh Dodiya, New Delhi: Prestige, 1999.

20वीं सदी के अंतिम दशक की महिला कहानीकारों की कहानियों में आर्थिक शोषण

रेखा *

शोध सारांश - स्त्री जिसे देश की आधी कहा जाता है वो शक्ति जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने में सक्षम है जिसे करुणा और दया की प्रतिमूर्ति कहा जाता है तो सदैव बंधन में रही है उसे सदा से ही परतंत्र जीवन जीना पड़ा है चाहे वह कितने ही त्याग बलिदान और संघर्षपूर्ण व्यवस्था को क्यों न झेलती रही हो किंतु अपने संबंधों से बढ़कर उसके लिए कभी कुछ नहीं रहा। क्योंकि उसके लिए संबंध जीवन रूपा वृक्ष का भोजन है। जैसे भोजन के अभाव में व्यक्ति नष्ट हो जाता है वैसे ही संबंधों के अभाव में व्यक्ति नष्ट हो जाता है। किंतु आधुनिक जीवन की विडंबना ही ऐसी है। कि लोग सब समाप्त हो जाने के बाद बचाव करने भागते हैं- इस प्रवृत्ति को परिवर्तित किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

शब्द कुंजी - धरलू, आर्थिक, विश्वास, शोषण, वेतन, स्वावलम्बी, शान्ति, रूढ़िवाद, भेदभाव।

प्रस्तावना - अर्थ की शक्ति को इंगित करते हुए प्रभा खेतान कहती है, औरत भी पहली लड़ाई अर्थ की दुनिया से शुरू होती है। मैंने भी जीवन जीते हुए यही सीखा है कि कैसे कमाने से स्त्री निर्णय लेना सीखती है और निर्णय भी क्षमता उसके संघर्ष को मजबूत करती है, सन् 1956 में हिन्दू कोड बिल के पास हो जाने से कानूनी दृष्टि से भारतीय नारी को पुरुष की भांति विविध क्षेत्रों में प्रगति के समान अवसर उपलब्ध हुए हैं। मार्क्स की दृष्टि में स्त्री की हीनावस्था का कारण आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर उसकी निर्भरता है।

भारत में नारी आर्थिक दृष्टि से पराधीन रही है। आर्थिक पराधीनता के कारण वह एक ओर शोषण का शिकार रही है तो दूसरी ओर आत्म-निर्भरता होने से वंचित रह गई है। उसका कार्यक्षेत्र समाज न रहकर घर रहा है। वह अर्थ की दृष्टि से पिता, पति और पुत्र पर निर्भर रही है। नारी के व्यक्तित्व का आंकलन सम्पन्नता और अर्थ की दृष्टि से न करके उसने सौन्दर्य की दृष्टि से किया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बदली धारणाओं के कारण आर्थिक शोषण के विभिन्न चित्र महिला कहानीकारों द्वारा उकेरे गए हैं, जिनमें नारी के शोषित रूप को देखा जा सकता है। जो नारियां आर्थिक दृष्टि से पराधीन रहती हैं, वे स्वाधीन होना चाहती हैं किन्तु जब वे पारिवारिक बाधाओं के कारण स्वाधीन नहीं हो पाती, तब उनमें द्वन्द्व एवं तनाव का निर्माण होता है।

स्त्री के हाथ में जब अर्थ की शक्ति आ जाती है, तो साधन सम्पन्न होने के साथ ही वह और भी अधिक शक्ति संपन्न हो जाती है। पुरुष उसकी इसी शान्ति और दृढ़ता से भयभीत रहता है पुरुष औरत को निर्बल करने के सारे पैतरे आजमा लेता है वह उसमें ऐसी हीन-भावना पैदा कर देना चाहता है ताकि वह पुरुष या पति से कद मिलाने का दुःसाहस ही न कर सके।

आर्थिक दृष्टि से पराधीन नारी के रूप विभिन्न स्थितियों संदर्भों एवं आयामों में उभरे हैं। इन विभिन्न रूपों के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि नारी का व्यक्तित्व केवल सैक्स, प्रेम और विवाह तक ही सीमित नहीं रहता, अपितु अर्थ द्वारा भी संचालित होता है, अर्थ उसे जहाँ आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाता है, वही अर्थ के कारण पराधीन की स्थिति में उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है।

चमगादड़ें कहानी में एक निर्धन वर्ग के गांव का चित्रण हुआ है जिनके सामने सबसे बड़ा और पहला प्रश्न है- पेट का दरिद्रता तथा भूखमरी के वातावरण में जीने वाले विद्यार्थियों के लिए पेट पालना पहला सत्य है और पढ़ाई दूसरा, माता-पिता अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने की अपेक्षा काम पर लगाना आवश्यक समझते हैं। कुछ मध्यमवर्गीय परिवारों को अपनी बेटियों को इस विद्यालय में पढ़ाने के पीछे कई कारण हैं एक वहाँ की फीस कम है, दूसरा मुस्लिम संस्था का स्कूल होने के कारण रूढ़िवादी मुस्लिम परिवारों की लड़कियों की पढ़ाई करने से बदनामी न होगी। पढ़ी-लिखी लड़कियों को वर भी अच्छा मिलेगा। शिक्षा का वास्तविक अर्थ और उद्देश्य क्या होना चाहिए, यह सोचने की न तो किसी को चिन्ता है और न ही अवकाश। घर में छोटे भाई को न संभाले तो माँ डांटती, घर-घर जाकर स्त्री के लिए कपड़े जमाकर न लाने पर पिता की डांट सुननी पड़ती है। शाम को छोटी-सी लालटेन के पास बैठ माता-पिता काम करते और उसे छोटा भाई संभालने का दायित्व सौंपा जाता। यदि वह पुस्तक खोलकर बैठेगी तो छोटा भाई माता-पिता को काम नहीं करने देगा और पुनः डांट ही मिलेगी। वह इस बात से भी परिचित है कि यदि माता-पिता काम न करेंगे तो घर चलाना असंभव हो जाएगा। प्रस्तुत कहानी में शिक्षण संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार को भी दर्शाया गया है। कम वेतन लेकर अधिक राशि पर हस्ताक्षर करना उस गांव के शिक्षकों की विवशता है। विरोध करने का अर्थ है भूखे मरना।

काफी कठिनाइयों के बाद उन्हें यह बात समझ में आ गई थी कि वह नौकर है, मजदूर है और अगर वह कल काम पर न आई तो दूसरा मजदूर मिल जाएगा। समाज, मूल्य, दिशा, भक्तिकोष में अच्छे लगने वाले मुर्दा शब्द है, जिनमें अर्थ है मगर अर्थ की हलचल और गर्मी गायब है।

राजी सेठ कृत कहानी संग्रह दूसरे देशकाल में संकलित कहानी कब तक में मानवीय संवेदना को अभिव्यक्त करने वाली मार्मिक कहानी है। उच्चवर्गीय लोगों के मन में नौकरों और गरीबों के प्रति घृणा और हीन भावना होती है। अमीर लोग हीन-हीन लोगों का शोषण करते हैं। शोषण की इस प्रक्रिया में स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं। विषयता की स्थिति से व्यक्ति के मन में संकीर्ण भावना निर्माण होती है। शिक्षा में यह संकीर्णता कम हो

सकती है। समाज में व्याप्त वर्गगत भेदभाव की भावना शिक्षित महिला के माध्यम से कम हो सकती है। शिक्षित महिला हर वर्ग के लोगों के साथ सहज मनुष्यता के नाते पेश आ रही है, वह अधिक संवेदनशील और मानवीय है, यह बात बहू के माध्यम से लेखका बताती है।

कहानी की स्त्री ऑफिस में कार्यरत है। पति, बच्चा और सास घर में है। बहादुर धरेलू नौकर है। वह लड़का (बहादुर) पढ़ना चाहता है। अम्मा को नौकरी की यह बात पसन्द नहीं है- 'नहीं हमें बाबू नहीं चाहिए, नौकर चाहिए।' अम्मा की हर डांट वह सहन करता है। वह इस परिवार को छोड़ना नहीं चाहता। बहादुर का सोचना, पढ़ना आदि बातें अम्मा को पसंद नहीं है। समाज में सामान्य रूप में नौकरों के संदर्भ में एक धारणा है- 'हमें नौकर चाहिए, जड़ गंवार, गधेलू, पिट्टू नौकर, जिसके चेहरे पर कोई सपना चिपका हुआ न हो।'³ बहादुर के साथ अम्मा के रोज के हंगामों से बहू बहुत परेशान होती है। बहू के मन में बहादुर के प्रति आत्मीयता और करुणा है। वह बहादुर को इस त्रासदी से बचाकर अच्छी नौकरी दिलाना चाहती है वह अपने पति से कहती है- 'उसे कॉलेज की लायब्रेरी में रखवा दो- खुश तो रहेगा।'⁴

पति प्रशांत व्यवहार कुशल पुरुष है। वह कहता है 'वह चला गया तो घर कैसे चलेगा, कभी यह भी सोचा है-तकलीफ होने लगेगी तो वह खुद ही भाग जाएगा।'⁵ पति की बात सुनकर वह बहुत दुःखी होती है।

इस कहानी में पति और अम्मा, मालिक और नौकर की परम्परागत उंच-नीच भी मान्यता को लेकर चलते हैं तो बहू नौकर के प्रति मानवीय दृष्टिकोण रखती है। बहू किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं मानती। वह स्वयं कामकाजी होने के कारण कार्यरत व्यक्ति की स्थिति और यातना को बखूबी समझती है।

शिक्षा से व्यक्ति के मन की संकीर्णता कम होकर व्यक्ति उद्वान्त बनता है। वास्तव में पति भी शिक्षित है, परन्तु वह पत्नी जैसा उदारवादी नहीं है। पुरुष की तुलना में नारी ही अधिक मानवीय होती है। यह बात उसके चरित्र से स्पष्ट होती है। दया, करुणा, प्रेम आदि मूल्य भी पुरुष की अपेक्षा नारी के पास अधिक हाते हैं। बहू मनुष्य के नाते बहादुर (नौकर) के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार करना चाहती है। वह नौकर के प्रति सामंतीय व्यवहार की विरोधी है। मानवीय दृष्टिकोण सभी के प्रति वह रखती है। इससे स्पष्ट है कि आज आधुनिक स्त्री मनुष्य की समस्याओं को समझने लगी है और अधिक मानवीय बन रही है। वह नौकर को आर्थिक वह मानसिक शोषण की परंपरा से मुक्ति दिलाना चाहती है।

मुक्ति मनुष्य के अस्तित्व के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। मुक्ति प्रेरणा विविध भेद-भावों, धार्मिक संकीर्णताओं और भौतिक आवरणों के नीचे दबे विशुद्ध मानव की खोज है, मानव की आंतरिकता भी प्रतिष्ठा है। इसी मनोभूमि पर चर्चा करते हुए सुप्रसिद्ध विचारक अज्ञेय लिखते हैं- एक विशेष सीमा तक व्यक्ति समाज के अनुकूल अपने को गढ़ता है, स्वीकृति पाने का वह मूल्य चुकाता है। उसके बाद, जब व्यवस्था का गर्भ छू जाता है; तब वह आहत होकर मुक्ति पाने के लिए संघर्ष या चीत्कार कर उठता है।⁶ इसी संदर्भ में डी एच लॉरेन्स ने कहा है- 'तुम कहते हो मैं गलत हूँ? कौन हो तुम ये कहने वाले? मैं गलत नहीं हूँ।'⁷ इस प्रक्रिया में परम्परा तनाव की स्थिति और संघर्ष तीनों का आभास होता है। महिलाओं का आक्रोश, प्रतिक्रियावादी चिंतन का आग्रही दिखाई देता है, वे अपने व्यक्तित्व की रक्षा में अधिक शक्ति के साथ खड़ी हो जाती है। इस धरातल पर वे निर्भक एवं मेधावी हैं, अपने हाव-भाव व्यवहार से दर्शाती हैं कि परंपरा के प्रति विरोध और अस्वीकार मूलतः संघर्ष की भूमि में ही संभव है। अतः पुरातन मूल्यों के

त्याग संशोधन और पुर्नपरिभाषा संघर्ष चेतना के अंत है। संघर्ष चेतना आधुनिक भाव-बोध के अधिक निकट ठहरती है।

डॉ. नगेन्द्र आधुनिकता के अंतर्गत रूढ़ियों के विरुद्ध संघर्ष और नवीन जीवन के विकास के लिए अनुप्रयोग के प्रति आग्रह को आधुनिकता के प्रश्न से जोड़ते हुए कहते हैं - 'आधुनिकता के परीक्षण और विश्लेषण के लिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का विश्लेषण अनिवार्य है।'⁸

व्यवस्था के प्रति संघर्ष का आरंभ व्यक्ति के स्वयं के घर से ही आरंभ होता है। जब उसे घर में अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिलती, तब वह बाहर की खोज करता है, पर बाहर से भी निराश होकर कोई अवलंब पाकर वह समाज के प्रति क्षुब्ध हो उठता है। कभी-कभी, घर-परिवार देश-समाज, सबसे अपना नाता तोड़कर पलायनवादी हो जाता है वह सब तरफ से अकेला एकाकी अनुभव करता है, इस अकेलेपन से घबराकर उसकी आत्मा में एक छटपटाहट सी संचारित होने लगती है। यही छटपटाहट संघर्ष का रूप धारण करती है। अन्य विभिन्न प्रभावों के परिणामस्वरूप उनमें संघर्ष पनपता है- आंतरिक संघर्ष, जीवन-संघर्ष, अभाव के प्रति संघर्ष, असफलता के प्रति संघर्ष, जीवन के दोहरेपन के प्रति संघर्ष आदि।⁹

नारी के संदर्भ में जब हम विवाह संस्था की चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि विवाह की पुरातन धारणाओं को वर्तमान व आधुनिक नारी ध्वस्त कर रही है। पति-पत्नी का प्रेम संबंध ठण्डेपन का शिकार है। दोनों ही दूसरे विकल्प ढूँढते फिरते हैं। आज की पत्नी पति से अपेक्षित संतुष्टि नहीं कर पाने पर उसके साथ आजीवन जीने-मरने की धारणा को ठुकराकर बिना किसी झंझट के दूसरे पति की तलाश कर लेती है। बीसवीं 21वीं के अंतिम दशक की नारी संघर्षचेतना की बात यदि इस संदर्भ में की जाए तो उन्होंने अपनी अस्मित के लिए पुरुष का साथ स्वीकार कर रखा है लेकिन पति के रूप में छली-कपटी आदमी को ढोते रहने के लिए विवश नहीं रह गयी है। आधुनिक संस्कारों में पोषित नारी 'एक पुरुष से प्रेम-संबंध' में विश्वास नहीं रखती वह अनुभव करने लगी है कि उसका पति किसी अन्य का प्रेमपात्र हो सकता है। पुरातन संस्कारों वाली नारी भावुक होने के कारण किसी भी बात को भुला नहीं पाती, लेकिन आधुनिक नारी में भावुकता न केवल शिथिल पड़ जाती है, तटस्थता में भी बदल जाती है। इन दो मानसिक स्थितियों वाली नारियों का चित्रण उषा प्रियंवदा ने अपनी कहानी 'मोहबंध' में खुलकर किया है। आज के युग में नारी के लिए प्रेम न तो गुप्त है और न ही रहस्य के परदे से ढका हुआ है। इस विषय में वह खुलकर बात करने लगी है और इसकी चर्चा मज्जु भण्डारी की कहानी जिशंकू में खुलकर की गई है। इस कहानी की मुख्य पात्रा तने ऐसे वातावरण में रहती है, जहाँ उसकी मां स्वयं ही पड़ोस में किराए के मकान में रहने वाले लड़कों से उसकी दोस्ती करवा देती है। वह सोचती है- यजिस घर में रात-दिन तरह-तरह के प्रेम-प्रसंग ही पीसे जाते रहे हों। कुमारों के प्रेम-प्रसंग उस घर के लिए तो वह बात बहुत मामूली होनी चाहिए। जब लड़कों से दोस्ती की है तो एकाध से प्रेम हो ही सकता है।¹¹ इस तरह आज की युवती की मनःस्थिति कुंठित भाष से परिपूर्ण न होकर खुलेपन और संघर्ष भाव से भरी है। वह अपने माता-पिता से अपने प्रेम को लेकर संघर्ष करने को भी तत्पर हो जाती है। वह स्वयं के विषय में निर्णय लेना चाहती है तथा शेखर के प्रति आक्ति भाव को प्रकट करना चाहती है। 'अब वह सोचती है कि प्रेम-संबंध में अभिव्यक्ति की पहल का अधिकार पुरुष को था, लेकिन यह अधिकार नारी को क्यों नहीं है।'¹² इस कहानी में निहित संघर्ष-चेतना के स्वरूप का वर्णन है- 'घर की चारदीवारी आदमी को सुरक्षा देती है पर साथ ही उसे एक सीमा में बांधती भी है। स्कूल कॉलेज जहाँ व्यक्ति के मस्तिष्क का

विकास करते हैं, वहीं नियम-कायदे और अनुशासन के नाम पर उसके व्यक्ति को कुंठित भी करते हैं बात यह है वधू की हार का विरोध उसके भीतर ही रहता है।¹³ सिम्मी हर्षिता ने भी नारी-संघर्ष के स्वरूप का चित्रण अपनी कहानी 'उसका मन' में कुशलता से किया है। पड़ोस में रहते हुए एक-दूसरे से आकृष्ट होने के बाद भी पुरुष की ओर से किसी तरह की पहल न करना नारी के मन को सालता रहता है। वह सोचती है- प्रेम के मामले में अभिव्यक्ति की पहल पुरुष की तरफ से ही होनी चाहिए- ऐसा क्यों है? वह दोनों तरफ एक प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का प्रश्न क्यों है? पुरुष को जब कोई लड़की पसंद होती है तो अक्सर वे अपनी भावना प्रकट कर देते हैं और यदि लड़की को पसंद हो तो? यदि अभिव्यक्ति का कोई क्षण स्वयं नहीं आता तो वह किसी पहले सफर की भावना मन में लिए किसी दूसरे सफर पर विवश हो चल पड़े, यही ना।¹⁴

मुक्ति का स्वरूप है कर्ताव्यों और सिद्धांतों की अपेक्षा भावात्मक अनुभूतियों को अधिक महत्व देना तथा प्रवृत्तियों की स्वस्थ तृप्ति में जीवन को पूर्ण रूप से जीने में विश्वास। चित्रा मुद्गल की 'मामला आगे बढ़ेगा अभी'¹⁵ अगर कहीं समझौतावादी स्थिति दृष्टिगोचर होती है तो वह भी अभिव्यक्ति है कि बाँस से लड़कर कोई चैन से नहीं रह सकता। तो कही व्यवस्था के प्रति दुःसाहसी विद्रोही स्वरूप का वर्णन भी है- जो यह सोचकर मुंह पर उंगली नहीं रखता कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर करना चाहिए। कोमल मन का मोटया मेम साहब के संदिग्ध व्यवहार से दुखी, साहब, क्रूर व्यवहार से उसे क्षोभ होता है, वह अश्लील गालियों की बौछार के साथ, सरिए से सक्सेना साहब की झलक सफेद 'टोयोटा' पर निर्ममता से प्रहार कर गाड़ी का पोर्-पोर पीठ डालता है। लेखिका चित्रा मुद्गल कहती है कि वह नहीं जानता की इमारतों में रहने वालों का घर कभी उसका घर नहीं हो सकता।

कृष्णा सोबती ने 'यारो का यार' में भाषा की शब्दावली को निम्न स्तर का करने यदि संघर्ष की स्थिति प्रस्तुत की है तो मबू भण्डारी ने, 'मैं हार गई', में व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति संघर्ष व विद्रोह की भावना प्रकट की है। इस युग का व्यक्ति वैसे भी व्यवस्था को अपने विरुद्ध खड़ी शान्ति के रूप में ही पहचान रहा है क्योंकि व्यवस्था के सभी कार्य उसकी संदेह व अकांक्षाओं भरी पहुंच कर ही हैं। चित्रा मुद्गल की ही कहानी, बावजूद इसके की प्रीति स्वीकार करती है कि ययह लड़ाई खुद की है और उसका कोई अंत नहीं है। यह केवल प्रीति की कहानी नहीं है बल्कि हर युवती की कहानी है। हर युवती को संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। उसकी लड़ाई तो जन्म से ही आरंभ हो जाती है। भाइयों के साथ बराबरी की लड़ाई। सक समान न समझे जाने पर हीन भावना से संघर्ष की लड़ाई फिर माता-पिता से अपने विवाह या दहेज को लेकर संघर्ष तत्पश्चात् उसे ससुराल की लड़ाई शुरु करनी पड़ती है। सास-बहू, जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी, ननद-भावज न जाने किस किससे संघर्ष। वास्तव में यह संघर्ष उसका स्वयं से है क्योंकि हर नारी अब अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। उसका अपना पति अपने बच्चे व अपने माता-पिता ही उसके अपने हैं उसके अतिरिक्त इस दुनिया में उसे किसी से कोई सरोकार नहीं। इसी संघर्ष में उसने अपना दायरा छोटा कर लिया तथा धीरे-धीरे वह अपना वर्चस्व स्थापित कर गृहिणी के साथ-साथ कुशल प्रशासिका बन रही है।

मेहरुनिस्सा परवेज द्वारा लिखित कहानी यविद्रोह में परिवार की व्यवस्था में अकेली पड़ी नारी के संघर्ष को दर्शाया गया है। वह अकेली कमाने वाली है, लेकिन समझ नहीं पाती कि इस तरह किस रूप में संघर्ष आरंभ करे। वह समझ ही नहीं पाती कि विद्रोह कैसे करे कैसे अपने मन की कुंठा से

मुक्त करे और अपने शरीर से उदासी की परत को खींचकर अलग करे? वह साहस नहीं जुटा पाती कुछ कहने का। फिर वह कहे भी तो किस मुँह से, जबकि वह जानती है कि माँ और पिताजी खुद उसके लिए वर ढूँढते-ढूँढते थक गये थे और अब जैसे उसके विवाह की बात ही भूल गये हों। जैसे वह ही उन सबकी पिता हो और सब उसके बच्चे हो, माँ बाबू जी का भी और इन सबका पेट भरना उसका फर्ज हो गया हो।'

स्त्री के संघर्ष का स्वरूप जैसा भी हो, पर वास्तव में संघर्ष जड़-व्यवस्था को बदलने के प्रति ही होता है। अधिकारों के प्रति सजगता, संघर्षशील प्रवृत्ति और मुक्ति की कामना ही संघर्ष को विद्रोह में बदल देती है। अकेलेपन, आंतरिक संघर्ष, असफलता, अभाव जीवन संघर्ष आदि विभिन्न प्रभावों के प्रतिक्रियास्वरूप नारी पाजों द्वारा प्रकट संघर्ष-भाव का तीखा तथा सूक्ष्म बोध भी इन कहानियों में दृष्टिगोचर होता है।

मृदुला गर्ग की कहानी 'दुनिया का वायदा' में बहू के मर जाने पर एक औरत लड़के की दूसरी शादी कराने और साथ में दहेज का लालच देते हुए सास को कहती है

'साह वालों की लड़की डॉक्टरनी है कहो तो बात करूं।'

किता दे देंगे? सास की आंखों में चमक उठी थी।

तीस-पैंतीस जो कहो।'

हजार?

मृदुला गर्ग की कहानी 'गुलाब की बगीचे तक' में दर्शाया गया है कि अगर बड़े घर के लड़के के साथ शादी करनी हो तो वर-मूल्य ज्यादा होगा। फिल्म प्रोड्यूसर अपने लड़के को एक मैनेजर की लड़की से शादी करने की इजाजत तभी देंगे, जब वह कम-से-कम उतना दहेज लाए जितना उनके बड़े लड़के की बहू लाई थी।

उक्त कहानी के माध्यम से लेखिका ने नारी-संघर्ष के प्रश्न को आर्थिक शोषण के परिप्रक्ष्य में देखा है काव्यायनी मृदुला गर्ग के विषय में लिखती है; यमदुला जी यह साफ कर देती है कि वे स्त्री की उपेक्षा या उसकी अस्मिता के प्रश्न जैसे किसी भी सवाल को, स्वतंत्र स्वायत्ता रूप में ही नहीं देखती, बल्कि पूरे समाज की अन्य विसंगतियों के साथ देखती है।

मृदुला गर्ग के अधिकांश नारी-पात्र कामकाजी हैं, लेकिन अर्थ उनका अंतिम लक्ष्य नहीं है। अर्थ एक संबल है, जिसका आधार लेकर वे जीवन के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 'झूलती कुर्सी' कहानी की नायिका शेफानी इंडियन एयरलाइंस में काम करती है, जो अविवाहित रहकर अपने प्रेमी का इंतजार करती है।

'होना' कहानी की नायिका कॉलेज में पढ़ाते हुए स्वतन्त्र रूप से जीवन यापन करती है।

मृदुला गर्ग कृत 'तीन किलो की छोरी' कहानी की शारदा बेन की कमाई का उसके जीवन में बड़ा महत्व है। इस कमाई से उसके जीवनस्तर में बहुत अन्तर आ गया है।- उसे तो उस फर्क से मतलब है, जो उसके कमाए सौ रूपये माहवार से, उसने अपनी जिन्दगानी में आया है। छठरे के स्कूल में नाम लिखवाने को लेकर कितना फसाद हुआ था घर में।'

शारदाबेन अपनी कमाई के बल पर पुत्र को पढ़ाने-लिखाने का निर्णय लेती है, किंतु पुरुष भी मानसिकता को नहीं बदल पाती। जब पति के समक्ष यह कहती है कि लड़का-लड़की में कोई फर्क नहीं होता तो, वह क्रोध में आकर उसका अपमान करता है और मार-पीट करता है- मोटी बेन से बतलाया तो शीत पड़ा कलेजे में, कहने लगी, ले शारदाबेन, सूकड़ी खा। छोरे-छोरी में फरक नहीं है। अरे, तू भी छोरी है, है कि नहीं, फिर सौ रूपये

कमा रही है कि नहीं, महीने के महीने। सारा गाँव तेरी इज्जत ? बात यही पहुँची थी कि मरद ने लात मार उसे खटिया से नीचे गिरा दिया था। फिर एक घूँट में चाय सटक, उसकी गरदन पर आ सवार हुआ था। पीठ पर धूल जमाकर बोला था, 'सौ रूपल्ली का भूत चढ़ गया सिर पर, हरामजादी और तो और, छोरा उसका, बालिशत भर का, बात की देखा-देखी चढ़ आया था सिर पर और चीखकर बोला था, 'छोड़ परे सारी नौकरी, कल ही जाकर छुट्टी करा हमें नहीं चाहिए तेरे सौ रूपैया।'²³

मृदुला गर्ग ने शारदाबेन के माध्यम से कामकाजी और आर्थिक शोषण की विडम्बना को साकार किया है पुरुष की निकृष्ट मानसिकता औरत का महत्व देखकर उसे ईर्ष्यालु बना देती है। उसे अपना अस्तित्व संकट में दिखाई देने लगता है, क्योंकि सदियों से पुरुष औरत को दबाकर ही उस पर राज करता आया है। अरुणा बूटा का मानना है कि पुरुष सफल औरतों को संशक्ति होकर देखते हैं। वे सांस्कृतिक संकट के शिकार हैं। पुरुष एक खुबसूरत गुड़िया चाहता है जो हर निर्णय में उस पर निर्भर करे। वह दिखाना चाहता है कि बागडोर उसी के हाथ में है।

पुरुष चाहे कुछ भी सोचे, शारदाबेन सरीखी औरतों की अपनी इज्जत का बोध है। मार्ग में कितने ही अवरोध आएँ, उसे तो अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है। शारदाबेन को अहसास है कि दिन-रात एक करके भी एक अदब औरत सौ रूपये महीने की बंधी-बंधाई पगार नहीं पा सकती। पूरा परिवार लगता है तब जाकर चार-पांच रूपया रोज आमदनी होती है। अरे कितनी है इस गाँव में जो शारदाबेन सरीखी 100 रूपया पाती है। छोरे को स्कूल में बिना नागा पढाई करके पढाती है। गर्व से उसकी छाती फूल गई। अधिकांश लड़कियों के सामने विवाह के पहले ही नौकरी छोड़ने की शर्त रखी जाती है या विवाहोपरांत नौकरी छुड़वा दी जाती है। मृदुला गर्ग की 'बाहरी जन' नामक कहानी की नंदिनी विवाह से पहले नौकरी करती थी, किन्तु बड़े घर का लड़का मिलने पर उसकी नौकरी छुड़वा दी जाती है। वह दोबारा नौकरी भी जुटा सकती है। पर उसका पति इतनी आरजू से मिला माँ का जवाई और बड़े घर का आदर्श बेटा, नितिन कभी नहीं मानेगा।

पति की नकार के आगे नंदिनी कोई निर्णय नहीं ले सकती। उसे समस्त सुख-सुविधाएँ तो प्राप्त हैं, किंतु अपनी मनमानी चलाने पर उसे उन सबसे हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ भी नारी विवश है- 'शुक्र है कहा नहीं उसने, सिर्फ सोचा, कहने का मतलब होना, यह आलीशान कोठी, नौकर-चाकर, गाड़ी झाड़वर छोड़कर पति की आय के मुताबिक दो कमरे के फ्लैट में रहना।

'वह मैं ही थी की नायिका के लिए आर्थिक स्वतंत्रता विलास की वस्तु

है। वह कमाएँ हुए पैसों को शादी की मौज-मस्ती में उड़ा देती है और विवाहोपरांत आर्थिक संकट झेलती है। 'मिजाज' कहानी में स्थिति कुछ भिन्न है श्वेता का पति होटल में उसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर शादी का प्रस्ताव तो रख देता है, लेकिन औरत को अपने से कमतर समझने की मानसिकता के चलते उसकी नौकरी छुड़वा देता है। उसकी जिन्दगी घर तक सिमटकर रह जाती है। स्थान चाहे जो भी हो कीमत नारी को ही चुकानी पड़ती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 नासिरा शर्मा, सबीना के चालीस चोर, चिमगाढ़े पृष्ठ 139
- 2 राजी सेठ, दूसरे देशकाल में, कब तक पृष्ठ- 87
- 3 वही - पृ 89
- 4 वही पृ 89
- 5 अज्ञेय परिस्थिति और साहित्यकार पृष्ठ- 55 56
- 7 You say I am wrong who are you who is anybody to say I am wrong? I am not wrong. D. H. Lawrence.
- 8 डॉ नगेन्द्र, आस्था के चरण पृ 15
- 9 उषा प्रियंवदा, दृष्टिकोष, पृ - 54
- 10 ममता कालिया, छुटकारा पृ 35
- 11 उषा प्रियंवदा, मोहबंध पृ - 15
12. वही - पृ 64
13. वही - पृ 164
- 14 सिम्मी हर्षिता, कमरे में बंद आभास पृष्ठ- 142
- 15 चित्रा मुद्गल, मामला आगे बढ़ेगा अभी, चर्चित कहानियाँ पृष्ठ-123
- 16 चित्रा मुद्गल, बावजजूद इसके, ग्यारह कहानियाँ, पृष्ठ- 155
- 17 वही- पृ 164
- 18 मेहरुनिसा परवेज, सोने का बेसर, विद्रोह पृष्ठ- 171
- 19 मृदुला गर्ग, चर्चित कहानियाँ, पृष्ठ- 34
- 20 मृदुला गर्ग, टुकड़ा -टुकड़ा आदमी पृष्ठ72
- 21 मृदुला गर्ग चर्चित कहानियाँ भूमिका से
- 22 मृदुला गर्ग ग्लेशियर पृष्ठ- 50
- 23 वही- पृ -4
- 24 हंस मार्च 2001 पृ 39
- 25 मृदुला गर्ग शहर के नाम पृ 6

हरिशंकर परसाई के निबंधों में तत्कालीन, सामाजिक एवं राजनैतिक यथार्थ बोध

डॉ. सुनीता यादव *

प्रस्तावना - प्रस्तुत शोध पत्र में हरिशंकर परसाई जी के निबंधों में निहित सामाजिक एवं राजनैतिक यथार्थ बोध की अभिव्यक्ति को लेकर विचार किया गया है- व्यंग्य पुरोधा- हरिशंकर परसाई जी के निबंध और उनका गद्य स्वतंत्रता के बाद का सबसे ताजा प्रखर जनतांत्रिक और विषिष्ट है, वैचारिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से उन्होंने सृजनात्मक सौन्दर्य को सन्देश मूलक बनाकर संस्कृति के नये पैटर्न को जन्म दिया है। परसाई किसी एक साहित्यिक विधा की सम्भावनाओं के भीतर ही सीमित नहीं रहते। वे मानो साहित्य की प्रत्येक विधा की सम्भावना को एक बारगी परीलक्षित कर लेना चाहते हैं, जिसमें वे अपने दौर की समूची विद्वृत्ता के एकीकृत यथार्थ को बेनकाब कर सके। परसाई के आत्मपरक, विश्लेषणात्मक, विचारपरक निबन्ध का क्षेत्र अत्याधिक व्यापक है, उनके निबन्ध में विषय क्षेत्र की विविधता भी आकार ग्रहण करती हैं, जहाँ सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक सांस्कृतिक जीवन का प्रत्येक पक्ष उनके निबंधों का विषय बनता है।

परसाई जी के निबंधों में राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सांस्कृतिक विसंगतियों का सम्पूर्ण लेखा जोखा है। इन विसंगतियों के प्रति रचनाकार की दृष्टि मात्र व्याख्यात्मक नहीं है, वे उन कारणों की तह तक जाते हैं जो इन्हें जन्म देते हैं, प्रत्येक विसंगति सुनिर्धारित कार्यक्रम या योजना की परिणति है, यह व्यवहार की अधिरचना का परिणाम है और इसके कारण समाज के आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक चरित्र के भीतर विद्यमान है। इन सबके निर्माण पे सत्ता केन्द्रित वर्ग समाजी व्यवस्था का मूलाधार क्रियाशील रहता है और अन्ततः सांस्कृतिक और सामाजिक विघटन की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। परसाई के निबन्धों में मानवीय अहसास और मानवीय संबंधों की व्यापकता का वह धरातल निर्मित होता है, जहां जीवन की रोजमर्रा पैदा होने वाली आर्थिक और सामाजिक समस्याएं सीधें जिन्दगी के कुरेदना, शुरू करती है। वे मानवीय संचेतना के सघर्ष वाही रूपों को आकार देती है, यह आकार ही अन्ततः उस क्षेत्र को निर्धारित करता है जो रचना के मानवीय सरोकार को सीधे संचेतना और संवेदनशीलता के साथ जोड़ता है, राजनीति समाज के विभिन्न वर्गों के बुनियादी हितों एवं वर्गीय संबंधों की अभिव्यक्ति है, परसाई जनता के बीच के लेखक है आम जनता कि तरह वे भी मानव जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में सामाजिक प्रक्रिया से गुजरते हुए राजनीति से जुड़ते हैं। अतः परसाई के लेखन की राजनीति मानवीय संवेदना को सामाजिक आधार देने की राजनीति है। मानव मूल्य को प्रतिष्ठित करने वाली भी राजनीति हैं। परसाई के निबन्धों में हमें स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति, सामाजिक, सांस्कृति का चित्रण मिलता है। राजनीति से किस प्रकार व्यवस्था, समाज, संस्कृति, प्रभावित होते हैं

यही उनके निबन्धों में स्पष्ट परिलक्षित होता है।

परसाई के निबन्धों में जहाँ राजनैतिक घटना का उल्लेख मिलता है वही, उसी निबन्ध में संस्कृति का भी उल्लेख है, आज की राजनीति व संस्कृति कितनी विकृत है परसाई ने उसे ही निबंधों का कलेवर बनाया है। उनके ऐसे अनेक निबंध हैं, जिनमें एक ही निबंध के कलेवर में संस्कृति, राजनीति, धार्मिकता का चित्रण है। वर्तमान परिवेश में वैचारिकता और प्रांसगिकता की दृष्टि से परसाई के कुछ चुने हुए सामाजिक और राजनैतिक निबंधों के माध्यम से यथार्थ, परक सम सामायिक विश्लेषण किया है। जिनमें उनके कुछ प्रमुख निबंध हैं - निन्दा रस, राम की लुगाई और गरीब की लुगाई, कंधे श्रवण कुमार के, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, सडक बन रही है, अन्न की मौत, प्रेमचन्द के फटे जूते आदि।

निन्दा रस - 'निन्दा रस' निजी जीवन की गुप्त बातों की निन्दा करने वालों का प्रसंग है। परसाई जी शुरू करेंगे फिर स्वस्थ विज्ञान की मूल स्थापनाओं के साथ 'निन्दा' में विटामिन ओर प्रोटीन होते हैं, निन्दा खून साफ करती है, पाचन क्रिया ठीक करती है, बल स्फूर्ति देती है, निन्दा से मॉसपेशियों पुष्ट होजा है, इसलिये वे स्व निन्दा करके स्वास्थ्य अच्छे सम कौन कुटील खल कामी यह संत कि विनय ओर आत्मग्लानि नहीं टानिक है, सन्त बडा काइयाँ होता है। हम समझते हैं वह आत्म स्वीकृति कर रहा है, वह विटामिन ओर प्रोटीन खा रहा है।¹

किस 'गम्भीर मुद्दा' में भूमिका बाँधी है मानो कोई किस्सा फरमायेगे ही नहीं पर तुरंत एक परनिन्दक सज्जन जब किसी के बारे में शराब पीने की बात बताते हैं तो फिर व्यंग्यकार कहानी शुरू कर देता है इस निबंध में मानव आचरण के इन धृष्ट प्रसंगों पर व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियाँ प्रभाव भी छोडती है कि मध्य वर्ग के आत्म संतुष्ट और निजी गोपन संसार की मर्यादा स्वीकार करना चाहिए। मान लीजिए की यही प्रभाव पडता है इसके बावजूद लेखक ऐसी कुटिलताओं की मूल्य व्यवस्था को सामने लाकर आप को सचेत करता हैं।

राम की लुगाई और गरीब की लुगाई - 'राम की लुगाई और गरीब की लुगाई' परसाई जी ने इस निबन्ध का विषय सोर्स को बनाया है। स्वाधीन भारत में एक नया तत्व पैदा हुआ अपनी निजी समस्याओं के हल के लिए सोर्स ढूँढने की प्रवृत्ति पर परसाई ने एक व्यंग्य रचना लिखी 'राम की लुगाई और गरीब की लुगाई' राष्ट्रीय पुरुष सोर्स ढूँढता और चिक उठाता घूम रहा है। मंत्री से लाइसेंस लेता है, कलेक्टर से मकान एलाट कराता है, फूड अफसर से शक्कर का परमित ले लेता है, प्रोफेसर से लडके के नम्बर बढवाता है, प्रिंसिपल से भर्ती करवाता, पुलिस अफसर से मामला उठवाता है, मजूल अफसर से जमीन लेता है, विधायक से सिफारिश करवाता है।² आजकल

व्यक्ति बिना सोर्स के एक कदम नहीं हिलता है, लेखक ने मानव की इसी प्रवृत्ति को अपने निबंध में चित्रित किया है।

निबंध 'राम की लुगाई और गरीब की लुगाई' में आज की मुख्य समस्या पहुच को अपने निबंध की विषय वस्तु बनाया है। इस निबंध में उनका उद्देश्य समाज, राजनीति, नौकर शाही में सोर्स या सिफारिश के बिना कोई काम नहीं बनता जो देखो वह सोर्स के चक्कर में घूमता रहता है। काम सही हो या गलत हो बिना सोर्स के नहीं होता इसी को अभिव्यक्त किया है।

कन्धे श्रवण कुमार के - निबंध में अभिव्यक्त किया है कि आजकल लड़कों में उधम करने की, अवज्ञा करने की अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गयी है। कोई निदान काम करता नजर नहीं आ रहा। परसाई जी ने इस समस्या का कारण खोज निकाला है, वे लिखते हैं, 'मगर देख रहा हूँ कि श्रवण कुमार के कंधे दुखने लगे हैं, वहा कावडे हिलाने लगा है, कावड मे अन्धे परेषान है। विचित्र दृश्य है यह दो अन्धे एक आँख वाले पर लदे हैं और उसे चला रहे हैं।'³ जीवन से कट जाने के कारण एक पीढी दृष्टिहीन हो जाती है तब वह आगामी पीढी के उपर लद जाती है। अन्धा होते ही उसे तीर्थ सूझने लगते हैं कहती है हमें तीर्थ ले चलो। इस क्रियाशील जन्म का भोग हो चुका है। हमे आगामी जन्म के भोग के लिए पुण्य का एडवास देना है। आँख वाले की जवानी अन्धों को ढोने में गुजर जाती है। वह अन्धों के बताये रास्ते पर चलता है। उसका निर्णय और निर्वाचन का अधिकार चला जाता है। उसकी आँखे रास्ता नहीं

खोजती, सिर्फ राह के कॉर्ट बचाने के काम आती है। कितनी कावडे हे-राजनीति मे साहित्य में कला में, धर्म मे, अन्धे बैठे और आँख वाले दो रहे है। **विकलांग श्रद्धा का दौर** - इस निबंध में परसाई ने श्रद्धा के विभिन्न रूपों की व्याख्या करते हुए अंध श्रद्धा पर करारा व्यंग्य किया है। परसाई ने नीर-क्षीर विवेक बुद्धि का परिचय बडी ईमानदारी और सादगी से प्रस्तुत किया है। आत्मगतशैली में परसाई ने स्वयं को केन्द्रित करके श्रद्धा-श्रद्धेय और श्रद्धालु की वास्तविक स्थिति का खुलासा कर दिया है। ये तीनों ही आज के दौर में विकलांग है। इन्ही तीनों का दौर सामाजिक राजनीति और साहित्यिक आदि क्षेत्रों में प्रभावी है, पर लेखक की दृष्टि में सब ब्राह्म ढोगं ओर आडम्बर हैं जो स्थायी नहीं रह सकता। निबंध उद्देश्य पूर्ण तथा तथ्यपरक है जिसमें हास्य का सुन्दर पुट है।

परसाई ने श्रद्धा भाव पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि किसी का श्रद्धेय होना अतिविशिष्ट और अनोखी बात है। श्रद्धेय व्यक्ति के मन में गर्व पैदा हो जाता है लेकिन लेखक की दृष्टि में यह सब बाह्य ढोग है। इस प्रकार प्रस्तुत निबंध उद्देश्य पूर्ण सअभिप्राय, तथ्य परक और प्रासंगिक भी है जैसे 'कई साल पहले एक साहित्यिक समारोह में मेरी उम्र के..... तो मैंने आसपास खडे लोगों की तरफ गर्व से देखा, तिलचट्टों में श्रद्धेय हो गया तुम घिसते रहो कलमा।'⁴

ठिठुरता हुआ गणतंत्र - निबंध में हमारे देश की हालत पर आक्रोश व्यक्त करते हुए हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठण्ड से हाथों को जेब मे डाले बैठे हैं, लेकिन मैदान में बैठी जनता ठण्ड से ठिठुर रही है और तालियाँ बजा रही है क्योंकि उनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है जैसे 'लेकिन हम नहीं बजा रहे हैं फिर भी तालियाँ बज रही है। मैदान में जमीन पर बैठे वे लोग बजा रहे हैं, जिनके पास हाथ गरमाने के लिए कोट नहीं है। लगता है गणतंत्र ठिठुरते हाथों कि तालियों पर टिका है'⁵ निबंध में मानव विरोधी राजनीति के क्रूरताओं को उद्धाटित किया है, लेकिन यहाँ व्यंग्य के निषाने और उनकी सहानुभूति एकदम स्पष्ट है।

परसाई का व्यंग्य उस ओर भी है कि गणतंत्र दिवस पर हमारे आर्थिक विकास की झाकियाँ तो निकलती है, लेकिन मानव समाज पर अत्याचार की झाँकी कभी दिखाई नहीं देती मंत्रियों के भ्रष्टाचार की झाँकी में कभी नहीं दिखाया जाता है। जैसे 'पिछले मैने उम्मीद की थी आन्ध की झाँकी..... मगर ऐसा नहीं हुआ'⁶

सड़क बन रही है - प्रस्तुत निबंध में एक ही धारा में कितनी ही बाते व्यंग्य से गुथ गयी है 'बैठा-बैठा सोच रहा हूँ कि इस सड़क मे से किसका बंगला बन जायेगा.....बडा चमत्कारी प्रसंग है। इमारत से बंगला पैदा होना तो स्वाभाविक है पर सड़क के पेट से बंगला पैदा होना चमत्कार है भैस के पेट से कुत्ता पैदा होने की तरह।'⁷ परसाई जी ने पूँजीवादी व्यवस्था के निर्लज्ज भ्रष्टाचार को अत्यंत बेधक ढंग से बेपर्दा किया है।

अन्न की मौत - निबंध निजी प्रसंग से शुरू होकर राष्ट्रीय समस्या को प्रस्तुत करता है। निबंध मे परसाई जी ने काला बाजारियों, मुनाफा खोरों की हकीकत को दिखाया है और स्पष्ट किया है कि कालाबाजारियों में एक प्रदेश का अनाज दुसरे प्रदेश में तो बिक सकता है। लेकिन अपना स्वयं का अनाज एक-स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते 'भुखमरी ओर भ्रष्टाचारी हमारी राष्ट्रीय एकता के ताकतवर तत्व बन गये हैं। धर्म संस्कृति और दर्शन कमजोर पड गये है जैसे - सम्पूर्ण भारत पंजाब से लेकर बंगाल तक सब जगह अन्न को मार कर दफना दिया गया है कोटि-कोटि नर नारी अन्न संकट के सूत्रों में बंध गये है।'⁸

प्रेमचंद्र के फटे जूत - निबंध आत्मव्यंग्य है परसाई जी का आत्मव्यंग्य सिर्फ आदमी नहीं बल्कि आत्म वर्ग पर व्यंग्य होता है। लेखक अपनी पोल खोलता है। तो उसके समय की पोल खुल जाती है। जैसे 'मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है यो अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती पर अँगुठों के नीचे तला फट गया है। अँगुठा जमीन से घिसता है और पैनी गिट्टी पर कभी रगड खाकर लहू लुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर..... हम पर्दे पर कुर्बान है।'⁹ प्रेमचन्द्र के फटे जूते और बाहर झाँकती अँगुलियों केवल जूते ओर अगुलियाँ नहीं है। वे जिन्दगी के तरीके है जिनका रिश्ता संघर्ष से है। प्रेमचन्द्र के चित्र के सामने खडे होकर किया गया यह आत्मलोचन आगे परसाई की दिशा तय करता है। निबंध उस स्थिति को स्पष्ट करता है कि व्यक्ति व्यवस्था के खिलाफ लड नहीं पाता और अपने जूते उस व्यवस्था के साथ संघर्ष करते-करते घिस लेता है और तलवा लहु-लुहान कर लेता है, लेकिन उसमें इतना साहस नहीं होता है कि वह उस व्यवस्था के खिलाफ लडे ओर उसे ठोकर मार दे।

निष्कर्ष - परसाई जी के निबंध आज के समय में अपनी प्रासंगिकता कि लिए महत्वपूर्ण है तथा अपना उद्देश्य पूर्ण करने में सफल रहे है। परसाई के निबंधों में तात्विक दृष्टि से एक ही विधि सर्वत्र अपनाते है। इसे विरोधाभास उत्पन्न करने की विधि कहा जा सकता है। परसाई के निबंध मे व्यंग्यात्मक शैली सर्वत्र व्याप्त है उन्होने वक्रोती को अपनाया है। कैलाश प्रसाद विकल के शब्दों में 'परसाई के निबन्ध बहुत ही नुकीले है। निबंध में निजी स्थापनाओं और रागद्वेष की भी अभिव्यक्ति हुई है इन निबन्धों में तीखापन, स्पष्टता, निर्भीकता, और वर्गों की पहचान के लिए व्यक्तित्व की निजता के गुण तो है ही अपने कथ्य में ये उतने ही सार्वजनिक हैं भाषा का इतना गहरा जनवादी प्रयोग और तथ्य की इतनी भेदक दृष्टि मुझे जमाने के किसी और लेखक में प्राप्त नहीं होती।'¹⁰

परसाई के निबन्ध यथार्थ की ठोस भूमि पर लिखे गये है और उन्होने सच्चाई को बहुत निर्मम रूप हमारे सामने रखा है। परसाई जी का यथार्थ

बोध निरन्तर जाग्रत था और उस यर्थाथ बोध का आधार उनका भौतिकवादी व ऐतिहासिक दृष्टि कोण है उन्होने इसी दृष्टिकोण में तमाम चीजों को समझाने की कोषिष की है। परसाई जी के निबन्धों में प्रगतिशील मूल्यों की रक्षा और प्रतिष्ठा के लिए चलने वाला संघर्ष है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. निन्दा रस परसाई रचनावली भाग 3 पृष्ठ 28
2. राम की लुगाई और गरीब की लुगाई वही पृ. 132, 135
3. कंधे श्रवणकुमार के वही पृ. 20
4. विकलांग श्रद्धा का दौर वही पृ. 227
5. ठिठुरता हुआ गणतंत्र वही पृ. 75
6. वही पृ. 77
7. सडक बन रही वही पृ. .233
8. अन्न की मोत वही पृ. .89
9. प्रेमचन्द्र के फटे जूते परसाई रचनावली भाग 3
10. आंखन देखी- चादर बदलनी पड़ेगी जनाब, कैलाश प्रसाद 'विकल' पृ. . 207

निमाड़ के कबीर संत अफजल

सायना खान *

प्रस्तावना - संत साहित्य प्राचीन भारत की सिद्धी योगी परम्परा का विकसित रूप है। भारतीय धर्म, संस्कृति और साधना के इतिहास में निर्गुण साधना की परम्परा प्रस्थान बिन्दु मात्र नहीं है, बल्कि एक प्रबल सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिवाद भी है। संत कबीर से आरंभ होकर सारे देश के लोकांचलों में अनेक ऐसे साधक-संत हुए हैं, जिन्होंने विभिन्न निर्गुण सम्प्रदायों की स्थापना की है और इस मत तथा साधना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रभूत मौखिक और लिखित साहित्य-रचना की है।

पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी के निर्गुण संत अफजल साहब ने जिस 'अमर सागर' की रचना की, वह साहित्यकारों की दृष्टि से ओझल ही रहा। अपनी मस्ती में मस्त, निर्गुण ब्रह्म की उपासना में लीन, योगानुभूतियों के साक्षी संत अफजल ने 1675 साखियों के जिस ग्रंथ की रचना की, वह कई शताब्दियों तक उनके श्रद्धालु अनुयायियों की निधि रहा और पूजा का आधार बन गया। म.प्र. आदिवासी लोककला परिषद द्वारा यह गरुत्तर कार्य सम्पन्न किया गया और 1999 में यह 'अमर सागर' प्रथम बार लोकजीवन में लहराया। संत अफजल की वाणी में कबीर की वाणी सुनी जा सकती है। यद्यपि कबीर, कबीर है और अफजल, अफजल है। कबीर का व्यक्तित्व विराट है किन्तु अफजल भी उस विराटता को स्पर्श करते प्रतीत होते हैं। सधुक्कड़ी भाषा, हठयोग की शब्दावली शून्य शिखर, इड़ा पिंगला सहस्त्रार, सुषुम्ना, ब्रह्म के साक्षात्कार की अनुभूतियाँ, समाज-सुधार की भावना, गुरु की महत्ता, पत्थर पूजा या मूर्तिपूजा का विरोध, अनहद नाद, सुरति-निरति, ईश्वरानुभूति की अभिव्यक्ति में अक्षमता आदि का चित्रण संत अफजल ने उच्चकोटि का किया है।

कबीर की तरह ही इस निर्गुण-निराकार के साधक ने अपनी फक्कड़ाना मस्ती में डूबकर जिस 'अमर सागर' की सृष्टि की है, वह भी अपने विस्तार और गहराई में अनन्त प्रतीत होता है। गुरु की महत्ता सगुण और निर्गुण दोनों ही साधकों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। अफजल कहते हैं कि मैं नदी की धार में डूब रहा था, निकालने के लिए कई डूब मरे, किन्तु निकाल नहीं सके। फिर सद्गुरु ने मेरी बाँह पकड़कर निकाल लिया, नहीं तो धार में डूब ही गया था, पता नहीं बहकर कहाँ जाता-

अफजल दह में सब पच निकसा, सतगुरु पकड़ी बाँहा।

नहीं तो डूब था, बह धार में बहेकर जाता काहा।।

अफजल संसार के सुख या रस को फीका मानते हैं। मीठा रस तो गुरु प्रदत्त परम अनुभूति ही हो सकती है। बिना गुरुचरण सेवा किये उस मीठे रस का पान असंभव ही है-

अफजल फीका रस संसार का, मीठा रस गुरुदेवा

मनवा कु चित चेतिये, गुरु चरण को सेवा। साखी 723

करोड़ों तीर्थों में भ्रमण करने से भी मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो सद्गुरु के श्रीचरणों में ध्यान लगाने से ही मिलती है। राम और कृष्ण यद्यपि अवतारी पुरुष हैं किन्तु वे भी गुरुशरण पाकर ही कृतार्थ हुए हैं फिर सामान्यजन की तो सामर्थ्य ही क्या है-

अफजल, राम किसन से अवतारी कहिए, वे भी गुरु के चेला।

गुरु बिनु कोउ मारग न पाव, जीव फिर है भूला।। साखी 725

ब्रह्म तो अगम, अगोचर है। सद्गुरु की कृपा से ही उसे पाया जा सकता है। अफजल ने परब्रह्म की प्राप्ति या अनुभूति का वर्णन किया है, वह कबीर से भिन्न नहीं कहा जा सकता। त्रिपुटी के मेल में ऊपर से झरने वाले अमृत के झरने का वर्णन कोई सिद्ध-साधक ही कर सकता है। अफजल के शब्दों में यही अनुभूति इस प्रकार हुई है-

अफजल अगम अगोचर गम नहीं, वे ब्रह्म का है खेला।

अजर अमर कोई साधु भीज, तिरवेणी के मेल।।

उस ब्रह्म की कोई रूपरेखा नहीं है, वह अविनाशी है, सर्वव्यापी है। वह सागर की तरह अनन्त है। यह सागर अन्तर में लहराता है, वहाँ कोई सच्चा साधक या मुक्तात्मा रूपी हंस मोती चुगता है। यह खेल साधारण साधक सा जीवों के वश का नहीं है। जो साधक ब्रह्मरंध अर्थात् गगन मंडल में पहुँचते हैं, वे ही ब्रह्मकूप में भरे अमृत का पान करते हैं-

अफजल बाहरे भीतर दरियाव है, कोई मोती चुग हंसा।

सहज सुन का खेलणा, ब्रह्म कूप में रसा।। साखी 734

अफजल योगसाधक की प्रक्रिया समझाते हुए बताते हैं कि सुरति रूपी रवी (दही मंथन करने की लकड़ी की बनी हुई)से मन रूपी दही बिलोने पर ही सारवस्तु (ब्रह्म) की प्राप्ति होती है। साधना की इस उच्चावस्था में अनहद नाद की अनुभूति होती है, दिव्य प्रकाश दृष्टिगोचर होता है और अलौकिक अनुभूति होती है। वे कहते हैं कि एक गुब्बंद (ब्रह्मरंध) है वहाँ सिंधु का पावन तट है वहाँ कोई हंसमुनि (मुक्तात्मा) सुख के सागर में स्नान करता है-

अफजल, गुंभट येक चवर दुर, बाज अनहद तूरा।

हंसा मुनि बिरला कर, सुख सागर असनाना।। साखी 739

अफजल आग, येक चवर दुर, बाज अनहद तूरा।

स्वेट बरन उहा छत्र पीर, कोई चंद घर लाव कसूरा।। साखी 738

इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ज्ञानी गुरु मिलना चाहिए। शिष्य तो अज्ञानी होता ही है, उसका मार्गदर्शक गुरु योग्य होना चाहिए। संत अफजल और कबीर दोनों का भाव साम्य दृष्टव्य है-

अफजल डूब मुये दह में, गुरु चेला दोउ साथ।

अंधे अंधे दोउ मिले, को गहे निकाले हाथा।। साखी 748

कबीर कहते हैं-

**जाका गुरु है अंधरा, चेला खरा निरंधा।
इक दूजे को ठेलियाँ, दोन्यँ कूप पड़न्त।। (कबीर बांथावली)**

अफजल -

**अफजल, साब सीख म चाल नहीं, गुरु सदा नर अंधा।
दोन्ह दाव कर डूबे, मुये पड़े जम फंद।। साखी 749**

अन्य भक्त और संत-कवियों की तरह अफजल की मान्यता है कि निगुरे को मुक्ति नहीं मिलती। निगुरा व्यक्ति चाहे जितना ध्यान और भक्ति करे उसे कोई लाभ नहीं हो सकता। अफजल के काव्य में ब्रह्मरंध, अनहदनाद, मृदंग, करताल, अमृत कुंड, पतली डोरी के सहारे गगन मंडल पर पहुँचना, बिजलियों का चमकना, सूर्य के प्रकाश के साथ-साथ तारों का जगमगाना आदि आध्यात्मिक या रहस्यवादी अनुभूतियों का अनुभूत से संबंधित प्रतीकों की अनुभूतियों को अभाव है किन्तु कबीर की तरह दुर्गम रहस्यमार्ग का प्रतीकात्मक वर्णन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

अफजल भी कबीर की ही भाँति कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर, अनाहद नाद को सुनने और सहस्रार तक पहुँचकर द्वन्द्वदातीत हो जाने के विषय में इतने अधिक आश्वस्त हो गये कि विभिन्न योगानुभव उनके भावजगत की निधि बन गए। योगमूलक रहस्यवाद कबीर के काव्य का महत्वपूर्ण अंग है। पिण्ड में ब्रह्माण्ड के दर्शन की अद्भुत अभिव्यक्ति एष्टव्य है -

**अफजल सब कुंभ में झलक रहा, जेउ दरपन में झाय।
उलटी धारा सरसत की, अंधे कु सूज नाथ।। साखी 779**

अर्थात् जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है उसी प्रकार कुंभ में परम पुरुष की छाया दृष्टिगोचर होती है, वहाँ अमृत झरने वाली सरस्वती की उलटी धारा है जो अंधो को दिखाई नहीं देती। समाधि अवस्था का जो अनुभव अफजल की सधुक्की भाषा में हुआ है, वह एक पहुँचे हुए, सिद्धावस्था प्राप्त योगी का ही अनुभव है -

**अफजल, आते-जाते देखकर सहज समाना सुंन।
आकाश मंडल के मध्ये, प्रेम तंत दरसन।। साखी 780**

गगन मंडल में स्थिति निर्वाण पुरुष का चित्रण तथा आज्ञाचक्र पर होने वाला प्रकाश-दर्शन और ऊर्ध्व शून्य के ऊपर झीनी-झीनी धुंध में उस परतत्व या परब्रह्म के दर्शन की उक्ति अफजल ने जिस विश्वास और अधिकार के साथ की है वह किसी साधारण विभूतति लपेटने वाले, कनफटे या सिंगीनाद करने वाले, पंचाग्नि तपने वाले, हठयोग में मात्र काया जलाने वाले योगी की उक्ति नहीं है अपितु ब्रह्म के साक्षात्कार की स्वकीय अनुभूति है -

**अफजल, पूनम कैसी चाँदनी, झिलमिल धूपा।
तत्व येक निरवान हय नहीं, रूप सरूप।। साखी 782**

**अफजल तत्व येक अनूप हय, झीना धुंध हय सारा।
उरथ सुंन के ऊपर, देखा हम्म निहारा।। साखी 783**

ब्रह्म का दर्शन हुआ, अभीप्सित पूर्ण हुआ, जन्म-जन्मांतरों की प्यास बुझ गई और सर्वत्र ब्रह्म की ही सत्ता का आभास होने लगा। कबीर की तरह कि 'बाहर भीतर पानी' का बोध अफजल को भी हुआ है। वह छक गया, थक गया, चित्त की चंचलता ने विराम ले लिया। अब अन्दर और बाहर केवल ब्रह्म की सत्ता प्रतीत होने लगी है -

**अफजल अब में यों थक गया, पीवत बुझ गई प्यासा।
में ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म मेरे पास।। साखी 787
अफजल, ब्रह्म हम में हम ब्रह्म में, ब्रह्म हमारी जाता।**

ब्रह्म रूप है डेहरा, ब्रह्म जोत झलकाता।। साखी 1124

अर्थात् मैं ब्रह्म में और ब्रह्म मुझमें समाया हुआ है। अब साधक लौकिक बंधनों से ऊपर उठकर ब्रह्म ही हो गया है यहाँ तक कि निवास स्थान भी ब्रह्म ही है और उसमें ब्रह्म की ही ज्योति झलक रही है। इस प्रकार अफजल ने रहस्यपरक अनुभूतियों का चित्रण किया है काव्य में माया का भी विरोध किया गया है। 'कबीर माया पापिनी फंद ले बैठी हाटि' यदि कबीर की अनुभूति है तो अफजल की भी अनुभूति एष्टव्य है -

**अफजल माया पापिनी अयसी वारी सीयारा भी गू खाय।।
अब तो हाल खुसी हय, पीछे नरख में जाय।। साखी 1564**

इसीलिए अफजल जन-जन को चेतावनी देते हैं कि माया ठगिनी है, इस पर कोई विश्वास मत करना, इसकी प्रीति तो गणिका की तरह है। यह अत्यंत हठीली है, मोह को उत्पन्न करती है और जैसे श्वान हड्डी चूसकर समझता है कि स्वाद हड्डी में आ रहा है पर वास्तव में जबड़ा कट जाने से स्वयं के रक्त के स्वाद को वह हड्डी का स्वाद समझता है -

**अफजल माया ठगिनी ने कई घर ठगे, इन कोई करो विसवासा।
माया प्रीत गणिका की, कस के रहिए पासा।। साखी 1063**

**अफजल माया हठी मोह की, चूस हय सुवान।
अनंत जुग से भ्रम रहा सो मुकुट की होवे हाणा।। साखी 1064**

मन और माया का अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सद्गुरु का आश्रय पाकर मन जाग जाता है, तब माया का पर्दा हट जाता है, भ्रम की गांठें खुल जाती हैं तब लगता है कि अब जितने के लिये कुछ भी शेष नहीं है। मन की चंचलता निर्विवाद है। इस चंचलता के कारण ही बंधन की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। चौरासी लाख योनियों में भटकने के समस्त संस्कार मन में ही संचित रहते हैं। इस मन को वश में करने से ही ब्रह्म की राह पर जीव आता है -

**अफजल मन रूप है पवन का, लख चवरासी घाटा।
मन जनम कर रखो, लहो ब्रह्म की बाटा।। साखी 1230**

**अफजल मन ही निरंजन देव हय, मन ही हय संसार।
मन के जीते जीत हय, मन के हारे हारा।। साखी 1239**

साधना तो मन की होती है वही निरंजन देव है, तो वही संसार है, उसके जीतने से जीत होती है और मन के हारने से हार हो जाती है। कहने का आशय यह है कि मन बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अफजल की मान्यता है कि -

**अफजल मन ब्रह्म के बीच में, ब्रह्म मन कहे वाया।
मन से दस अवतार है, मन की कल बनाया।। साखी 1240**

अफजल ने अपने काव्य में समाज को अनदेखा नहीं किया है। वर्ग भेद, जाति-पाति, परस्पर वैमनस्य, हिंसा तथा नीच कर्मों का विरोध उनके काव्य में स्पष्ट रूप से अभिव्यंजित हुआ है। कबीर की भाँति अफजल भी मानव को मानव रूप में प्रतिष्ठित होते देखना चाहते हैं। इसलिए हिन्दू और मुसलमान दोनों को उन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बताया है। इनके आपसी विवाद होते ही इसलिए हैं कि ये ब्रह्म को नहीं जानते। इसलिए अफजल ने इन दोनों से नाता तोड़ दिया है। वे कहते हैं -

**अफजल जरे हिन्दू तुरक में पहचान होती, तो हम केउ इनसे देते तोड़।
ब्रह्म मागर की चाल चले, तब मुकत सीस बंधा मोड़।। साखी 1592**

**अफजल, हिन्दू तुरक मार मरइ, झूठ का कर बहेवार।
जरन मरन झूठ देख, हम इनके पंथ से तोड़ा पारा।। साखी 1596**

ब्रह्म की सत्ता सर्वत्र है। वह हर व्यक्ति में विद्यमान है, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान। मुख से निःसृत होने वाली वाणी ब्रह्म की है पर इसका अनुभव

कोई नहीं कर पाता। यदि सच्चे अर्थों में इस तथ्य को समझ लिया जाय तो सारे विवाद ही समाप्त हो जाएँ। आवश्यकता है उस ब्रह्मवाणी को सुनने की-
अफजल हद के लोग की बोली, बोली सुन-सुन मं थकत तेवा मन माँह।

ब्रह्म हय और मनतव से बोला हिन्दू तुरक कु ब्रह्म सुनत नाह। साखी 1603

‘हद के लोग’ से कबीर का तात्पर्य ‘माया’ में उलझे लोगों से है। माया में उलझे लोग ब्रह्म को पाने के अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए अफजल ने मानव मात्र को नीच कर्मों से विरत होने की सीख दी है। मन कभी काजी बन जाता है कभी तुरक, कभी पंडित बन जाता है तो कभी हिन्दू। मन सभी से नीच कर्म करा लेता है। अतः किसी निंदा और किसकी प्रशंसा करूँ -

अफजल मन काजी मन तुरकख मन पंडत मन हिन्दू।

इनका खरी नीच करमी में, केकु निंदू बिंदू। साखी 1585

संत अफजल साहब के जीवन के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं है कि वे किस जाति के थे, उनका संप्रदाय क्या था ? यह सभी अभी शोध का विषय है। पर पश्चिम निमाड़ के बड़वानी में अफजल साहब का निवास था। यह श्री बाबूलाल सेन (महेश्वर) ने खोज निकाला है। जहाँ तक जाति और संप्रदाय का प्रश्न है। संतो की कोई जाति नहीं होती। ये मानव मात्र से ऊपर होते हैं, जाति से ऊपर होते हैं, सांसारिक जातियों की एक सीमा है पर ब्रह्म जाति असीम है। अतः सर्वोपरि या सबल है। वे कहते हैं कि -

अफजल, ना हम हिन्दू ना हम तुरक, हम हय अनाम की जोत।

अफजल की जोत में जो मिलेगा, उनकु पाप पुन नहीं छोट ॥ साखी 1425

अफजल कहते हैं कि ‘हमारी जाति सबल हय’ इस जाति में दूसरी जाति के लोग नहीं मिल सकते। अफजल का कोई संप्रदाय भी नहीं था। वे तो ‘अनाम संप्रदाय’ अर्थात् जिसका कोई नाम नहीं उस संप्रदाय का ब्रह्म की जाति के थे। यह ‘सबल’ उस अनाम की ही ज्योति है। जब तक इस ज्योति में मिलने की पात्रता नहीं होगी तब तक जातियों का भेद बना रहेगा।

ब्रह्म की ज्योति से मिलने पर जीवन की समस्त संकीर्णताएँ समाप्त हो जाती हैं-

**अफजल अनाम की जोत सबल हय, ये जोत मे मिल न कोया
बिन मिले संचकर मानु हिन्दू तुरक ही रहे दोया। साखी 1426**

अफजल ने जप, तप, तीरथ, माला आदि की निःसारता को भी कबीर की तरह ही उजागर किया है। जैसे- अफजल माला मन से फेरी नहीं, चित्त से किया न विषे।

अथवा -

अफजल माला फेरे मिले नहीं, बिना मरम भगवान।

माला फेर कास्ट किये, फेर चारु खान। 1405

अर्थात् माला फेरने से ब्रह्म का मर्म समझ में नहीं आता। काष्ठ की माला चारो खान (अंडज, पिंडज, स्वदेज और उदिभज) की प्राप्ति कराएगी। ‘अफजल सब बाद है, जप, तप तीरथ करा साखी 1397’ कहकर वे जप, तप, तीरथ को कोरा वाद ही सिद्ध करते हैं।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि संत अफजल का अनुभव-संसार, साधना-जगत् और लोक-दर्शन इतना व्यापक था कि वे निमाड़ के कबीर की संज्ञा से सम्मानित किये जा सकते हैं। उनका साधना पक्ष, काव्य का आंतरित और ब्राह्मपक्ष, भाषा, चिंतन आदि अद्यतन नवीन शोध की अपेक्षा रखते हैं। उनके शेष काव्य की भी खोज नितांत आवश्यक है। अनामी संप्रदाय का यह कवि वास्तव में ‘हद और बेहद’ से पार जा चुका था। अब उसे अनहद नाथ श्रवण की भी आवश्यकता नहीं थी। वे वास्तव में परम पद के अधिकारी संत थे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. संत अफजल अमर सागर भाग-1 म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल 1999
2. संत अफजल अमर सागर भाग-2 म.प्र. आदिवासी लोक कला परिषद भोपाल 19993.
3. अमर सागर भाग 1, 2 बाबूलाल सेन साखी 719

सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला - काव्य और स्त्री चित्रण

मनीषा चौरिया *

शोध सारांश - निरालाजी ने साहित्य में जिस मानवतावाद की प्रतिष्ठा की उसके विकास का इतिहास भारतीय जन-आन्दोलन के उतार-चढ़ाव का इतिहास है। पहले दौर में निरालाजी उस विप्लवी वीर के गीत गाते हैं, जिसमें अतिमानव की झलक है। सन् 1930 के बाद की रचनाओं में यह झलक खत्म हो गई है, मनुष्य अपने आन्तरिक और बाह्य संघर्षों की पूर्णता में चित्रित किया जाता है। सन् 1930-40 के दशक की रचनाओं में निरालाजी की मानवीय सहानुभूति और गहरी होती है, मृत्यु की पूर्व-वेला में जीवन की आखिरी दमक का सौन्दर्य वह मनुष्य में देखते हैं। दिव्य शक्ति वाला भाव पीछे छूट जाता है, मानव शक्ति का रूप ही आँखों के सामने रह जाता है। दूसरे महायुद्ध के दौरान और उसके बाद एक नई क्रान्तिकारी भावना निरालाजी के मानवतावाद में घुल-मिल जाती है। करुणा से अधिक इसमें आक्रोश है; दुःख की अनुभूति से अधिक इसमें सामूहिक संघर्ष की ललक है। स्वाधीन भारत में जनता के क्रान्तिकारी उभार समाप्त हो गए; निरालाजी के साहित्य में वह ललक भी न रही किन्तु एक थिराई हुई करुणा, जिन मनुष्यों की मुक्ति के सपने उन्होंने सन् 1946 तक देखे थे उनके प्रति गहरी सहानुभूति 'अर्चना' से 'सान्ध्यकाकली' तक देखने को मिलती है।

शब्द कुंजी - मानवतावाद, विकास का इतिहास, करुणा, क्रान्तिकारी भावना, दशक, महायुद्ध।

प्रस्तावना - सृष्टि की अतुलित, अनुपमेय, अद्भुत, अप्रतिम, अतीव सुन्दर रचना नारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा संस्कृत के वैदिक व लौकिक उभय वाङ्मय में की गई है। स्त्री प्रशंसाई समुद्धोषित 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता', 'गृहिणी गृहमुच्यते'। पालिता निगृहीता च स्त्री श्री भवति', 'नास्ति भार्या समो बन्ध' प्रभृति उदात्त उक्तियों द्वारा नारी की महिमा का संकीर्तन किया गया है। जब वैदिक, पौराणिक, आर्ष महाकाव्यों, स्मृतियों, नाटकों तथा अन्यान्य ग्रन्थों में वर्णित नारी चरित्रों को नारीवादी चेतना, नारी अस्मिता, नारी विमर्श एवं महिला सशक्तीकरण जैसे विषयों से सम्प्रक्त पाते हैं। हर युग विशेष में सद्-असद् प्रवृत्तियों प्रवहमान रहा करती हैं और इन परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों से आवेष्टित होते हुए भी नारी ने अपनी शक्ति तेजस्विता, ओजस्विता का लोहा मनवाया है। प्राचीनकाल में ऐसी अनेकानेक नारियों यथा सीता, सावित्री, मीरा, सुभद्रा, रूक्मिणी, दमयन्ती, मदालसा, द्वीपदी प्रभृति का उल्लेख मिलता है। जिनका चरित्र अब भूतल का दिग-दिगन्त परिव्याप्त नारीवादी चेतना, नारी अस्मिता एवं महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों के पूर्वोन्मेष पर पूर्णरूपेण चरितार्थ होता है। जिस साहित्यकार की आत्मा जितना अधिक आत्मक्रन्दन करती है, जर्जर जीवन की भट्टी में जितना अधिक तपती है; युग-आघातों को जितना अधिक सहती है और जीवन की चक्की में पिसती हुई जितनी ही अधिक मर्म-व्यथा की निजी अनुभूतियाँ प्राप्त करती है। उतनी ही अधिक सच्चाई और ईमानदारी से वह साहित्यकार जीवन के सत्य को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत कर सकता है। निरालाजी का काव्य उनके व्यक्तिगत जीवन-अनुभवों का प्रतिफल है। निरालाजी हिंदी-साहित्य में नये मानवतावाद के प्रतिष्ठापक हैं। संसार की आलोचना करके वैराग्य की शरण लेने वाला मनुष्य उनके साहित्य का केन्द्रबिन्दु नहीं है। उनका मानव साधारण मनुष्य की तरह जीता है, सांसारिकता से बँधा हुआ कर्म करता है, संघर्ष में भाग लेता है और उसके कर्म और संघर्ष का लक्ष्य इसी संसार में अपना या दूसरों का कल्याण है। निराला-साहित्य में मर्यादा

पुरुषोत्तम राम है; अन्य मनुष्यों की तरह पराजय की पीड़ा और हानि का अनुभव उन्हें भी होता है। यह पीड़ा और हानि नर रूप में ब्रह्म की लीला नहीं है; वह नर का सहज मानवोचित व्यवहार है। 'निरालाजी के लिए वेदान्त का अर्थ राजनीतिक संघर्ष से कतराना नहीं, उसमें भाग लेना है। उनके साहित्य के केन्द्र में वह मनुष्य है, जो श्रम करता है, सम्पत्ति और सुख के साधनों से वंचित है, विषम परिस्थितियों से जूझता है, गिरता है, फिर आगे बढ़ता है। निरालाजी हिंदी-साहित्य में मनुष्य की कर्मठता, वीरता, धैर्य, आन्तरिक दृढ़ता, उसकी अपार जिजीविषा के चित्रकार हैं।' (रामविलास शर्मा, 'निराला की साहित्य साधना, पृ० 162)

महिला सशक्तीकरण बहुआयामी शब्द है। इसका अर्थ बहुत व्यापक है। सामान्य रूप से महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य महिला को सशक्त बनाना अर्थात् अबला को सबला बनाना है। सशक्त बनाने का अभिप्राय है कि उसको समाज में, परिवार में अधिकार व सम्मान प्राप्त हो सकें, जिससे उसके अस्तित्व, अस्मिता की पहचान एक अबला के रूप में न होकर सबला (शक्तिशाली, समर्थ) महिला के रूप में हो सके। महिला को सशक्त (समर्थ) बनाने के लिए ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे वह अपने अन्दर निहित ऊर्जा, शक्ति, क्षमताओं को पहचानकर आर्थिक निर्भरता (आत्म निर्भरता) को भी प्राप्त कर सके। अन्याय, अत्याचार, अपमान, प्रताड़ना के विरुद्ध कदम उठा सके तथा स्वविवेक से मुकाबला कर सके। सशक्तीकरण का आशय है कि महिला को इस प्रकार का आन्तरिक एवं बाह्य वातावरण प्रदान करना जिससे वह किसी भी समस्या, कार्य को परनिर्भरता के बिना अपने विवेक, प्रतिभा, क्षमता, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्णय, नैतिकता के साथ अपने अन्तः चेतना में अन्तर्निहित भीरुता, कायरता, संकोच को त्यागकर, करने में समर्थ हो सके तथा विपरीत परिस्थितियों में भी सामंजस्य स्थापित कर सके।

निरालाजी का मानवतावाद हिंदी साहित्य में उनके अभ्युदयकाल से

आरम्भ होता है और अन्तिम दौर तक निरन्तर गहरा होता जाता है। साहित्य में उन्होंने जिस मानव की प्रतिष्ठा की है। वह रीतिवादी काव्य के अतिरिंजित वर्णनों का नायक नहीं है; वह अनेक क्रान्तिकारी कवियों का अतिमानव नहीं है, जिसका चिर-उन्नत शिर देखकर हिमालय का शिखर नतशिखर हो जाता हो। निरालाजी ने जिस वीरता का चित्रण किया है, वह जीवन-संग्राम की वीरता है, वह उस मनुष्य की वीरता है जो दुःख और पराजय, संघर्ष की कठिनाइयों और मार्ग के अवरोधों से भली-भाँति परिचित है। 'बादल राग' का विप्लवी बादल अतिमानव के सबसे निकट है। उसके वज्र-प्रहार से भूधर क्षत-विक्षत होते हैं, समाज के आतंकवादी शोषक उसकी वज्र-हुंकार से ही काँप उठते हैं। किंतु यह विप्लवी वीर दुःख से परिचित है, दूसरों के दुःख से ही नहीं, स्वयं भी दुःख का अनुभव कर चुका है। निरालाजी की कविता यों शुरू होती है, पक्तियाँ दृष्टव्य है-

'तिरती है समीर-सागर पर

**अस्थिर सुख पर दुःख की छाया-जग के दग्ध हृदय पर
निर्दय विप्लव की प्लावित माया।'**

(रामविलास शर्मा, 'निराला की साहित्य साधना')

एक तरफ जग का दग्ध हृदय है, दूसरी तरफ बादल स्वयं दुःख की छाया है। नीचे अस्थिर सुख, ऊपर दुःख की छाया-यह है निरालाजी का क्रान्तिकारी वीर। दुःख की इस अनुभूति के कारण वह अतिमानव बनने से बच जाता है। प्रलय का सा ताण्डव करती हुई धारा जब बहती है तब सारे बन्धन ढीले हो जाते हैं। ये किसके बन्धन हैं ? बड़े दम्भ से जो भूधर खड़े हुए थे, वे उस धारा के ही मार्ग के अवरोध थे। वे उसे बालिका समझे थे; अब उनके उपलखंड बहाती हुई वह क्षुद्र धारा कालिका बन गई है। कवि ने जिस करुणा-क्रन्दन के रूकने की बात कही है, वह क्या इसी बालिका का करुणा-क्रन्दन नहीं है ? धारा क्रान्ति की अतिमानवी देवी नहीं है; दुःख से परिचित, सतत् विकासमान बालिका से कालिका बनने वाली नारी है।

'आवाहन' की श्यामा साक्षात् देवी है; असुर उसके मार्ग के अवरोध हैं किंतु वे नगण्य हैं। उसके मार्ग में एक अन्य अपराजेय शत्रु है-मृत्यु। श्यामा का नृत्य अमरता और मृत्यु का कभी न खत्म होने वाला संघर्ष है पंक्तियाँ दृष्टव्य है-

'भैरवी भैरी तेरी झंझा

तभी बजेगी मृत्यु लड़ाएगी जब तुझसे पंजा।'

(रामविलास शर्मा, 'निराला की साहित्य साधना', पृ0 160)

जैसे राम और रावण का युद्ध हो, वैसा कुछ श्यामा से मृत्यु का यह पंजा लड़ाना है। मृत्यु परास्त हो जाएगी, केवल अमर जीवन रहेगा, ऐसा कोई संकेत कविता में नहीं है। विप्लवी बादल यदि दुःख की छाया है तो 'आवाहन' की श्यामा मृत्यु का साक्षात्कार मृत्यु नहीं। संसार के शरीरधारी जीव ही मर्त्य हैं; मृत्यु उन्हीं के लिए है। मृत्यु से उन्हीं का संघर्ष है। आज वर्तमान समय नये समय इन सबके अर्थ सबके लिए अलग-अलग हो सकते हैं। साथ ही परम्परा और आधुनिकता का द्वन्द्व हमेशा चलता रहता है, अब तो उत्तर आधुनिकता का नया क्षितिज भी हमारे साथ है। पुराने समय में जो अच्छा है वह ब्राह्मण और आधुनिकता में जो बुरा है, वह त्याज्य कहा गया है, कविता भी समय, परिस्थिति और परिवेश के कारण बदलती है। प्रायः हर कवि को अपने जमाने की चुनौतियों से मुठभेड़ करनी पड़ती है। यह काम कबीरदासजी ने किया। मीराबाई ने किया और निरालाजी ने भी। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है- 'सच्चा कवि वही है, जिसे लोक हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा

है।' युगीन बदले परिवेश में रचनाकार समाज का निन्दक और दोष दिखाने वाला ही नहीं, उसका सुधारक भी होता है। वह जिन्दगी और मूल्यों के यथार्थ की पहचान होता है। इसलिए सामाजिक जीवन-अनुभव और सामाजिक दृष्टिवाले कवि निरालाजी के काव्य में कविता कुकुरमुत्ता, बादल राग, तोड़ती पत्थर में निरालाजी ने व्यंग्य के माध्यम से विषमता को दूर करने का प्रयास किया है। 'नई कविता' और विशेषतया परवर्ती 'नई कविता' की प्रकृति ही व्यंग्यात्मक है। इसका कारण यह है कि स्वाधीनता के पश्चात् भारतीय समाज निरंतर विसंगतियों से ग्रस्त होता चला गया है। कथनी और करनी, आचरण और मूल्य के बीच विरोध बढ़ता गया। कवि की यथार्थवादी दृष्टि हमारे सामाजिक राष्ट्रीय और व्यक्तिगत जीवन के जटिल अंतर्विरोधों के उद्घाटन के लिए व्यंग्य का सहारा लेकर चली इसलिए व्यंग्य नई कविता की मूल प्रकृति बन गयी। नरेश मेहता के अनुसार, 'जिस समाज में मानव मन बीमार और कुपिठत ही नहीं खोखला भी है, उस समाज में रचित काव्य में व्यंग्यात्मकता का आ जाना स्वाभाविक ही है।'

छायावाद के मूल में असन्तोष की भावना है। वस्तुतः जीवन के दृष्टिकोण बदल रहे थे। प्राचीन रूढ़ियों ने, व्यर्थ के नैतिक बन्धनों ने नवयुवकों की अन्तश्चेतना को कुंठित कर रखा था। प्राचीन वैवाहिक प्रथा में घुन लग चुका था। प्राचीन विवाह-सम्बन्ध प्रेम की आन्तरिक उमंग पर आधारित न था। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से नये कवि उन्मुक्त प्रेम के अभिलाषी बनने लगे थे। समाज की गली-सड़ी रूढ़ियों से उन्हें बहुत चिढ़ थी। अतः उनका मानसिक असन्तोष कविता में व्यंजित होने लगा। वैज्ञानिक युग की उपज पूँजीवादी पद्धति और उसके शोषण ने समाज को विनाश, पीड़ा एवं व्यथा में डुबा दिया था। राजनीति में गांधीवाद आत्मपीडन का युग था। इस युग का प्रभाव छायावादी कवियों पर बराबर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रथम महायुद्ध के पश्चात् भारतीयों को आशा थी कि युद्ध में सहायता देने के फलस्वरूप जो आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने दिया था, उसकी पूर्ति होगी। किन्तु सहूलियतों के स्थान पर उत्पीडन और दमन-चक्र की आंधी ने जनता के एक वर्ग में निराशा की काली छाप लगा दी। इस प्रकार के नैराश्यपूर्ण वातावरण का भी हमारे कवि-मानस पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य था, यही कारण है कि व्यथा का यह स्वर आरम्भिक छायावादी कविता में खूब सुनाई दिया।

इस प्रकार वैयक्तिक एवं सामाजिक व्यथा से असन्तोष की उग्र भावना हमारे कवियों में जागृत हुई। वे 'कोलाहल की अग्नि' से भागकर प्रकृति की शीतल छाया में अपने विदग्ध हृदय को सान्त्वना देने लगे। एक ओर समाज की रूढ़ियों के प्रति असंतोष प्रकट करने लगे, दूसरी ओर वस्तुवादी बाह्य जीवन से मुख मोड़कर अपने ही अन्तर की झाँकी देखने लगे। इस प्रकार प्रगति और पलायन का अद्भुत मेल छायावादी कवियों में हुआ। छायावादी कविता ने जो आत्माभिव्यक्ति की आकाँक्षा प्रकट की, वह वस्तुतः आत्म-प्रसार की आकाँक्षा थी पुरानी दुनिया की सीमित चारदीवारी के भीतर उसका दम घुट रहा था। नये विज्ञान ने उसके सामने संसार का विराट रूप रख दिया। एक ओर नए-नए देश परिचय की सीमा में आए और दूसरी ओर प्रकृति की विराटता का बोध हुआ।

इस प्रकार निराला-काव्य 20वीं शती में विकसित होने वाली नई साहित्यिक चेतना की देन है। उसके निर्माण में अंग्रेजी की रोमैंटिक काव्यप्रवृत्ति, बंगला की भावात्मक स्वच्छन्द प्रवृत्ति और हिन्दी की स्वच्छन्द काव्य-धारा ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। 1915-1961 तक निराला-काव्य की दीर्घ परम्परा है। छायावाद ही नहीं छायावादोत्तर काव्य की सभी प्रवृत्तियों

का उन्होंने प्रवर्तन किया। उन्हें समूची शाताब्दी का कवि कहना अधिक समीचीन है, क्योंकि निरालाजी का काव्य आगे भी वर्षों तक व्यापक और गंभीर रूप से आगामी नए रचनाकारों को प्रेरित और अनुप्राणित करता रहेगा। निरालाजी का जीवन जिस प्रकार अनेक जटिलताओं से घिरा रहा उसी के अनुसार उनका व्यक्तित्व में भी अनेक विरोधी तत्त्व समाते चले गए। कहा जा सकता है- यदि प्रसाद का व्यक्तित्व हिमालय से ऊँचा था तो निराला एक विशाल समुद्र के समान थे। (अश्विनी पराशर, 'निराला एक अध्ययन', पृ० 20)

निरालाजी ने अपनी अनुभूति के सिरों को ज्ञान के उच्च-से-उच्च और निम्न-से-निम्न स्तर तक फैला रखा था। उनके लिए कामायनी की यह उक्ति सटीक बैठती है-

**'अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्ज्वस्वित था वीर्य अपार
स्फीत शिराएँ, स्वस्य रक्त का,होता था जिनमें संचार।'**

सरोजिनी नायडू ने उन्हें प्राचान आर्य परम्परा का प्रतिनिधि माना और यह स्वाभाविक था। भारतीय संस्कृति के प्रतीक मनु और यूनानी संस्कृति के प्रतीक अपोलो एक ही व्यक्तित्व में यदि समाहित माने जाएँ तो वह व्यक्तित्व महाप्राण निरालाजी का था।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. प्रो. सरिता वाशिष्ठ, 'महिला सशक्तिकरण', पृ० 39
2. रामविलास शर्मा, 'निराला की साहित्य साधना', पृ० 162
3. रामविलास शर्मा, 'निराला की साहित्य साधना', पृ० 160
4. अश्विनी पराशर, 'निराला एक अध्ययन', पृ० 20
5. मानवीय मूल्यों के प्रति पक्षधरता।
6. मानवीय मूल्यों के प्रधान-कथन संदर्भ।

वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था पर श्रीलाल शुक्ल का असंतोष - व्यंग्य के रूप में

डॉ. अंजनी राजौरिया *

शोध सारांश - संपूर्ण विश्व में शिक्षा को राष्ट्र निर्माण की चारित्रिक गतिविधि के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। शिक्षाविदों का मानना है कि शिक्षा, ज्ञान रूपी आलोक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत है, जो हमारे व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अच्छी शिक्षा केवल ज्ञान और हुनर ही प्रदान नहीं करती अपितु, मानव मूल्यों को प्रतिष्ठापित भी करती है। इस के लिए समाज में शिक्षा का स्तर, उसकी गुणवत्ता और व्यवस्था का उत्तम होना अपरिहार्य है। यह आलेख वर्तमान शिक्षा जगत में पनप रही विकृतियों को समाज के सामने उजागर करते हुए उन पर तीखा कुठाराघात करता है।
शब्द कुंजी - शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता, दोषपूर्ण शिक्षा।

प्रस्तावना - शुक्लजी ने अपने निबंधों में जीवन के हर क्षेत्र और उसमें व्याप्त विसंगति को कथ्य के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके इसी संस्पर्ष के कारण जीवन के बहुत से कटु सत्य हमारे सामने अपने विदूष में आ खड़े हुए हैं।

विशेषकर शिक्षा व समाज व्यवस्था आदि के क्षेत्र में शुक्लजी ने बड़ी बेबाकी से मानवीय कमजोरियों को व्यंग्य का लक्ष्य बनाया है।

शैक्षणिक जगत में व्याप्त विसंगतियों को शुक्ल जी ने अपने निबंध संकलन 'अंगद का पाँव', 'आओ बैठ ले कुछ देर, उमरावनगर में कुछ दिन' में आड़े हाथों लिया है।

अंगद का पाँव निबंध संकलन शुक्ल जी का पहला निबंध संकलन है, जो अपने प्रकाशन वर्ष 1950 के बाद कई बार पुनः प्रकाशित हुआ है। दरअसल व्यंग्यकार जीवन के इतने निकट होता है कि पाठक उससे आसानी से तादात्म्य स्थापित ले यही अंतरंगता रचना को लोकप्रिय भी बनाती है। निबंध संकलन अपने शीर्षक में ही व्यंग्य लिए हुए है। रावण के दरबार में राम के दूत के रूप में अपना पैर रोपकर जिस तरह अंगद अचल हो गया था। उसी तरह आज की व्यवस्था में बहुत सी बुराइयाँ अंगद का पाँव बन अचल हो गई हैं।

शैक्षणिक व्यवस्था पर किए गए व्यंग्यों में लेखक का असंतोष आज की शिक्षा व्यवस्था पर ही नहीं है, वरन उन अध्यापकों पर भी है, जो कक्षाओं में बिना तैयारी के पहुँच जाते हैं और अपनी कमी को छिपाने के लिए अर्थ का अनर्थ करते हैं।

शुक्ल जी ने जहाँ शिक्षक और शिक्षण व्यवस्था की विकृतियों पर उँगली उठाई है वहीं उन्होंने शिक्षा के एक पक्षीय रूप पर अपना असंतोष 'पहली चूक' के अंतर्गत व्यक्त किया है। व्यवहार ज्ञान से शून्य केवल किताबी ज्ञान व्यक्ति को अपंग सदृश्य बना देता है। 'पहली चूक' निबंध के अंतर्गत शुक्लजी ने ऐसे ही एक नौजवान की शिक्षा पर व्यंग्य किया है, जो केवल किताबी ज्ञान के सहारे कृषि शास्त्र में बी.ए. पास कर तो लेता है पर वह कृषि से संबंधित छोटी-छोटी सामान्य बातों से भी अनभिज्ञ रहता है। अनुभव ज्ञान शून्य यह युवक स्नातक करने के बाद गाँव में जाकर खेती करना चाहता है। गाँव में पहले दिन जब उसे खेत भेजा जाता है, तब उसे यह देख कर निराशा होती है कि शहर में, फिल्मों में जिस तरह के खेत दिखाये जाते

हैं, जिस तरह खेत में प्रेमगीत गाए जाते हैं वह सब यहाँ नहीं है। नौजवान बाजरे और गन्ने के बारे में भी कुछ नहीं जानता। उसके चाचा उसे खेत का पता बताते हुए कहते हैं कि गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है, वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। खेत पर पहुँचने के लिए बाजरे का पता लगाना आवश्यक था इसलिए मेड़ पर खड़े एक अर्धे किसान से उसने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? और फिर जैसे-जैसे वह खेती की समस्याओं को समझता गया उतना ही उसे शहर जाने की आवश्यकता महसूस होती गई इसलिए एक दिन उसने 'कृषि शास्त्र की किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्डुशाय की पतलून और रंग-बिरंगी छापेदार बुशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगायी और चचा से कहा, दखिए, यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है। इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। वहीं रहुँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग से खेती करूँगा।'¹

जो बाजरे को पहले आदमी समझता है और बाद में उसे छायादार पेड़ वह खेती कैसे कर सकता है? इसका दोषी कौन है? यह नौजवान या उसकी शिक्षा प्रणाली? बेशक इसमें दोष इसकी शिक्षा व्यवस्था का है। आज की शिक्षा के एकपक्षीय रूप ने व्यक्ति को व्यवहार ज्ञान से वंचित कर केवल किताबी कीड़ा बनाकर रख दिया है। इसलिए वह केवल किताबी ज्ञान के आधार पर बातें तो बड़ी-बड़ी करता है लेकिन जब व्यवहार में उन बातों पर अमल करने की बारी आती है, तो अनुभव शून्यता के कारण उसे लोगों की हँसी का पात्र बनना पड़ता है।

ये युवा अपनी डिग्रियों के सहारे केवल सफेद पोशी का काम ही कर सकते हैं जिसे तुलसीदास जी ने 'अधम चाकरी' का नाम दिया है।

शिक्षा और साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ होता है। व्यक्ति को शिक्षित करने वाला साहित्य ही होता है। साहित्य समाज का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। बिना साहित्य के पूरा समाज अशिक्षित रहता है। उत्तम साहित्य के अध्ययन से मनुष्य एवं समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। सार्थक एवं उद्देश्यपरक साहित्य समाज को सचेत बनाता है। लेकिन वर्तमान में साहित्य के बदलते स्वरूप तथा उद्देश्यहीनता ने वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था के ढाँचे को ढीला-ढाला तथा

लचर बनाकर रख दिया है।

‘उमरावनगर में कुछ दिन’ निबंध संकलन के अन्तर्गत ‘मम्मीजी का गधा’ नामक निबन्ध में शुक्ल जी ने वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप तथा अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव के कारण आम आदमियों में बढ़ती विदेशी शिक्षा के प्रति लिप्सा को व्यंग्य की कसौटी पर कसा है। इस निबंध में एक माँ की इच्छा अपने पुत्र की पढ़ाई और भविष्य के बारे में क्या है? इसको शुक्ल जी ने पुत्र के पिता के माध्यम से व्यक्त किया है - ‘मेरी पत्नी बहुत खुश थी। उसे अखबार पढ़ने का शौक था और सार्वजनिक जीवन में प्रतिदिन हजारों पढ़े-लिखे तमीजदारों के बढ़तमीजी भरे चतुर वक्तव्य पढ़ते पढ़ते उसकी यह महत्वाकांक्षा हो गयी थी कि उसका बेटा सिर्फ गधा न रहे, बढ़तमीज बन जाए। इसलिए हम लोगों ने उसकी पढ़ाई पर अंधाधुंध खर्च किया, उसे उच्चकोटि की शिक्षा दिलायी उसे विदेश भेजकर एक ऊँची तकनीकी डिग्री लेने का बढ़ावा दिया और वहाँ से लौटकर हमारा गधा प्रदेश के बिजली बोर्ड का एक तेजतर्र अफसर बन गया।¹²

हमारे देश में लोग भारतीय शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा विदेशी शिक्षा प्रणाली को अधिक महत्व देते हैं। फिर चाहे वह उच्च शिक्षित होकर संस्कारहीन, भावनाहीन और करुणा शून्य ही क्यों न हो जाए।

‘काग भगोड़ा’ के अन्तर्गत प्रसिद्ध व्यंग्यकार परसाई जी ने एक सम्माननीय राजनेता का भाषण जो छात्रों के दीक्षान्त सम्मेलन में देता है को उद्धृत कर वर्तमान शिक्षा के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराया है। भाषण कुछ इस तरह था - ‘युवकों! देश को आपसे बड़ी आशाएँ हैं। देश का भविष्य आपको ही बनाना है। आप पूछेंगे - वर्तमान का क्या होगा?’

वर्तमान की चिन्ता आप न करें वर्तमान को तो हम बिगाड़ रहे हैं। यदि हम वर्तमान नहीं बिगाड़ेंगे तो आप भविष्य को कैसे बनाएँगे? आपको भविष्य बनाने का मौका देने के लिए ही हम वर्तमान को बिगाड़ रहे हैं। यह आपके प्रति हमारा दायित्व है। यदि हम आज को न बिगाड़े तो कल आपके लिए कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। तब आप निठल्ले हो जाएंगे और यह देश गर्त में गिर जाएगा।

जब तक आप बस कंडक्टर और सिनेमा-गेट कीपर के विरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन करते रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। मैं आपसे अपील करता हूँ कि इन्हीं के खिलाफ आन्दोलन करते रहें। जिस दिन आप बुनियादी परिवर्तन के लिए आन्दोलन करेंगे उस दिन हम उखड़ जायेंगे।¹³

जब तक जनता निरर्थक परिवर्तनों के विरुद्ध जंग छेड़ने में लगी रहेगी राजनीति में जमे इन स्वार्थी नेताओं का वर्चस्व बना रहेगा लेकिन जिस दिन जनता इन नेताओं की असलियत समझ बुनियादी परिवर्तन के लिए आन्दोलन करेगी, तब इन नेताओं का अस्तित्व पानी के बुलबुलों के समान स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए जो राजनीति की कूटनीति को समझने की समझ दे।

शुक्ल जी का एक व्यंग्यात्मक लेख है ‘रास्ते की कुतिया’ इस निबंध लेख में शुक्ल जी ने आज की शिक्षा पद्धति के बदलते स्वरूप पर व्यंग्य किया है।

शुक्ल जी के अनुसार वर्तमान युग की भारतीय शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया के समान है। हमारे शिक्षाविद् शिक्षा पर कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं, जिससे शिक्षा का गुणात्मक स्तर गिर रहा है। जिनका कोई उद्देश्य नहीं। इससे न तो शिक्षा रोजगारोन्मुखी हुई है और न ही व्यवहारिक।

जैसे मध्यप्रदेश में कुछ निजी संस्थाओं के लिए पाठ्य पुस्तकें बनाने का काम जिन लोगों को दिया गया, उन्होंने सभी विषय का पाठ्यक्रम इस

तरह बदल दिया जिसका कोई महत्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में वैदिक गणित पाठ्यक्रम में आ गया। जिसे पढ़ाने वाले को न तो वेद का ज्ञान है और न गणित का।

आज जब बालक स्कूल जाता है तो बस्ते के बोझ से ही परेशान रहता है।

डॉ. ब्रम्हानंद ने कहा था कि ‘शाला त्यागी बच्चे सिर्फ दोषपूर्ण शिक्षा नीति का ही परिणाम है।’

‘शिक्षक दिवस एक पाखण्ड पर्व’ भी इसी संकलन का एक निबंध है। समाज में शिक्षक कितना उपेक्षित है, इसका हम सभी अनुभव करते हैं फिर भी शिक्षक दिवस पर सम्मान का जो दिखावा किया जाता है उसे ढकोसला कहने की हिम्मत हममें से शायद ही कोई कर पाए। स्वयं शिक्षक भी इसका विरोध नहीं करते। शुक्ल जी ने इसी प्रसंग को इस निबन्ध में व्यंग्य के माध्यम से उठाया है।

वर्तमान में शिक्षक की स्थिति उस सुदामा जैसी है, जिसके पास ज्ञानरूपी निधि अर्थात् सरस्वती तो है परन्तु लक्ष्मी अर्थात् धन नहीं है। इसी कारण शिक्षक को समाज में कई जगह पर अपमान सहना पड़ता है।

‘पढ़ा-लिखा आदमी भी कोई आदमी है?’ नामक निबंध में शुक्ल जी ने व्यक्ति की उच्च शिक्षा की उपेक्षा तथा बड़े-बड़े पदों को ढी जाने वाली महत्ता पर तीव्र व्यंग्य किया है क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षित व्यक्ति तभी महत्व रखता है, जब वह कोई महत्वपूर्ण पद पर हो।

शिक्षा में व्याप्त विकृतियों के अलावा शुक्ल जी का रोष उन शैक्षणिक संस्थाओं पर भी उतरा है, जहाँ व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति को बैठने के लिए एक कुर्सी तक नहीं मिलती।

शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों तथा परीक्षा के दौरान शिक्षा कर्मचारियों की लापरवाही से छात्रों को सही प्रश्नपत्र वितरित न करने पर उनका बिगड़ा परीक्षाफल छात्रों तथा उनके अभिभावकों को किस कदर परेशानी में डाल देता है। इस पर व्यंग्य करते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि - हिन्दी भी कई तरह की होती है। एक है, हिन्दी साहित्य। एक दूसरे तरह की हिन्दी भी है जिसका नाम हाईस्कूल स्तर की हिन्दी है तथा तीसरे तरह की हिन्दी भी होती है जिसे आरम्भिक हिन्दी कहते हैं। ‘दो लड़कों ने दिल्ली से हाईस्कूल करने के बाद प्राइवेट उम्मीदवार की तरह इण्टरमीडियट की परीक्षा दी और विशेषज्ञों की सलाह पर, दूसरे नम्बर की हिन्दी ली। उन्होंने जब अपना परीक्षाफल देखा तो एक ने अपने को हिन्दी परीक्षा में अनुपस्थित पाया दूसरे ने फेल। फेलशुदा छात्र को दो पर्चे दूसरे नम्बर की हिन्दी के मिले थे, तीसरा पर्चा गलती से तीसरे नम्बर की हिन्दी का। उस पर काफी लिखा-पढ़ी पहले ही हो चुकी थी।¹²

इस तरह प्रशासन की लापरवाही से उक्त दोनों छात्रों का परीक्षाफल बिगड़ जाता है। ये कर्मचारी इस बात से बेखबर हैं कि परीक्षाफल छात्रों की एक वर्ष की मेहनत का परिणाम होता है तथा इससे छात्रों का भविष्य भी जुड़ा रहता है।

शैक्षणिक सत्र के शुरू में प्रवेश लेने के बाद विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के दिनों में ही अपने विद्यार्थी होने का अहसास होता है। वह जुटता है एक अभियान में। इस वर्ष का पाठ्यक्रम क्या है ? इसे पढ़ने के लिए किस प्रकाशन की कौन सी गाइड या 20 प्रश्न या नोट्स पढ़ना ठीक रहेगा ? गैस पेपर कहाँ से मिलेगा ? किस छात्र नेता से संपर्क बनाए रखना ठीक होगा ? परीक्षा की कापियाँ जाँच के लिए कहाँ जाएगी ? ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति से सम्बन्ध कायम रखना, ये उस अभियान के प्रमुख हिस्से होते हैं।

देश का एक बड़ा छात्र समुदाय ऐसे ही अभियान का सफल संचालन करता नजर आता है। इस अभियान में फलता फूलता है - शैक्षिक माफिया।

शिक्षा माफिया तथा शिक्षा के ठेकेदारों के संरक्षण में फलते ये छात्र जो फर्जी तरीकों से डिग्रीधारी बने हुए हैं। इसका जिम्मेदार शिक्षा प्रशासन तो है ही साथ ही वे भी इसके पूरे जिम्मेदार हैं, जो अपने को शिक्षा विभाग का मंत्री कहते हैं।

देश में आजादी काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन की बात चलती रही है। परीक्षा और परीक्षा परिणाम विद्यार्थी से जुड़े ऐसे मामले हैं, जो न सिर्फ उसका भविष्य तय करते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी सीधे प्रभावित करते हैं। अगर शिक्षा प्रशासन ने शैक्षणिक जगत में पल रही विसंगतियों तथा विकृतियों पर कड़ी नजर नहीं डाली तो हमारे सामाजिक

ताने-बाने पर अंततोगत्वा संकट आने वाला है। जिसके लक्षण स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीलाल शुक्ल अंगद का पाँव पृष्ठ 120 राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. श्रीलाल शुक्ल उमरावनगर में कुछ दिन पृष्ठ 61 राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. हरिशंकर परसाई काग भगोड़ा पृष्ठ 46 राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
4. श्रीलाल शुक्ल आओ बैठ लें कुछ देर पृष्ठ 111 राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।

कलापक्ष के आलोक में मुक्तिबोध का काव्य सृजन

डॉ. वाणी राठौर *

प्रस्तावना – हिन्दी साहित्य जगत में गजानन माधव मुक्तिबोध एक सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। शिल्प सजग कवि मुक्तिबोध की कविताएँ मानवीय एवं कलात्मक दोनों ही आधार पर शिखर को छूने वाली कविताएँ हैं। उनकी कविताओं की समीक्षा और पहचान किए बिना तो हिन्दी कविता का इतिहास ही नहीं लिखा जा सकता। अल्हड़ व्यक्तित्व और निजी अनुभूतियों को व्यक्त करते हुए अपनी सर्जनात्मकता को काव्य कला के रूप में ढालकर लिखने वाले कवि मुक्तिबोध ने कविता के कैनवास पर जीवन और कला के बहुरंगी चित्र उकेरे हैं। हिन्दी साहित्य जगत में मुक्तिबोध के काव्य को हाशिए पर डालने की नाकाम कोशिश की गई बावजूद इसके वह सबसे अधिक चर्चित रहा। विभिन्न अच्छी-बुरी विशेषताओं से युक्त होकर उनका काव्य सौष्ठव न केवल युगधर्मी प्रत्युत युग से आगे निकल चुका है। मुक्तिबोध की काव्य रचनाओं का भाव और शिल्प असाधारण है जो उन्हें विरल व विशिष्ट कोटि के कविगणों में ला खड़ा करता है।

अस्तु कलापक्ष के आलोक में मुक्तिबोध के काव्य सृजन का अध्ययन निम्नांकित बिन्दुओं के आधार पर किया जा सकता है-

1. **भाषा-शिल्प**- प्रत्येक रचनाकार भाषा के माध्यम से ही स्वानुभूत सत्य को जन-जन तक संप्रेषित करता है। भाषा के माध्यम से रचनाकार के अभिव्यक्ति कौशल का परिचय मिलता है। डॉ. रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार- 'कृतिकार के नवीनतम विकास की दिशाएं प्रमुख रूप से उनकी भाषा प्रयोग विधि में प्रतिफलित होती हैं। साथ ही भाषा के माध्यम से किसी रचनाकार की प्रामाणिकता की भी परीक्षा तटस्थ और विश्वसनीय ढंग से की जा सकती है।'¹ अस्तु मुक्तिबोध के काव्य में उनके बेबाक व्यक्तित्व का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। कवि की काव्य भाषा नई ऊर्जा से परिपूर्ण एवं अनूठा तेवर लिए सजग नजर आती है। मुक्तिबोध के काव्य में रूढ़ि व परंपरा से मुक्ति की आकांक्षा के साथ रहस्यात्मकता के भी दर्शन होते हैं। जनसामान्य की संवेदना से उनका जुड़ाव रहा है। उनकी भाषा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

हिन्दी भाषा से इतर अन्य भाषाओं के शब्द अनायास उनकी कविताओं में आ गए हैं। रिवाल्वर, कवर, टावर, मैग्जीन, जनरल, मार्शल, बल्ब आदि अंग्रेजी शब्द, मराठी शब्दों में कंदील, तलाव, नक्काशीदर, फंदो आदि शब्द, उर्दू शब्दों में आसमानी, नाखून, मुफलिसी, जिंदा, अजीब, संदूक आदि कवि के काव्य में प्रयुक्त हुए हैं। भूल-गलती कविता से अरबी- फारसी शब्द चयन का एक उदाहरण इस प्रकार है-

भूल -गलती
आज बैठी है जिरह - बखतर पहन
तख्त पर बिल के

चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक
आँख चिलकती है नुकीले तेज पत्थर सी
खड़ी हैं सिर झुकाये
सब कतरें
बेजुबां बेबस सलाम में
अनगित खंभों व मेहराबों में
दरबारे- आम में
खामोशा!
मनसबदार
शहर और सूफी
अलगजाली, इतने सिन्ना, अलबरूनी
आप्लिनो फाजिल सिपहसालार, सब सरदार
हैं खामोशा!²

मुक्तिबोध के काव्य भाषा की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह भावों और परिस्थितियों का सजीवता से चित्रण करती हैं। शब्दों को तराश कर प्रयोग करने के कारण उनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है। मुक्तिबोध स्वयं लिखते हैं कि 'रचना प्रक्रिया, वस्तुतः एक खोज और एक ग्रहण का नाम है। अभिव्यक्ति के कार्य के दौरान में कवि नयी खोज भी कर लेता है।'³ अस्तु मुक्तिबोध की स्वतंत्र प्रवृत्ति के अनुरूप ही उनकी काव्य भाषा उनके काव्य को लोकोन्मुख बनाते हुए सरल और स्वच्छंद दिख पड़ती है। कवि की काव्य भाषा में एक कलात्मक संयम निरंतर बना रहता है, जो उनकी प्रौढ़ कला चेतना का परिणाम है।

2. **बिंब योजना** - बिंब वह शब्द चित्र होता है, जो कवि को पूर्ण सजीवता के साथ सहृदय पाठक के सम्मुख प्रस्तुत करता है इस रूप में बिंबो का सार्थक और सफल प्रयोग कविवर मुक्तिबोध ने किया है। कवि ने सहज शब्दों में ऐसे संश्लिष्ट बिंबो की सर्जना की है, जो उनके चित्रण-कौशल की बारीकी का साक्ष्य देते हैं। कवि के काव्य में मार्क्सवाद, रहस्यवाद, पूँजीवादी सभ्यता के साथ ही अंतर्तम के पीड़ा के चित्र भी बिंबों के माध्यम से उभरकर सामने आए हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में प्रकृति बिंब से लेकर ध्वनि बिंब, भाव बिंब, शब्द बिंब, रस बिंब, गंध बिंब, स्पर्श बिंब आदि अनेक प्रकार के बिंब उपलब्ध होते हैं। उत्साह भाव से जुड़े बिंब का एक उदाहरण देखिए-

'जन संघर्षों राहों पर
आंगन के नीमों ने मंजरियां बरसायीं।
अंबर में चमक रही बहना-बिजली से भी
थी ताकत हिय में बरसायी
जन संघर्षों की राहों पर

गंभीर घटनाओं ने
युग जीवन सरसाया।⁴

उपर्युक्त पंक्तियाँ मुक्तिबोध के बिंब निर्माण कौशल का परिचय तो देती ही हैं, साथ ही उनकी अद्भूत काव्यकला को भी प्रमाणित करती हैं। कवि के काव्य बिंब चाहे जिस भी क्षेत्र से जुड़े हों वे जीवन और समाज को जीवन्त रूप में उजागर करते चलते हैं। कवि की बिंब योजना को समग्र रूप में यदि देखना है, तो उनकी कविता 'अंधेरे में' उत्कृष्ट उदाहरण हैं, आलोचक नामवर सिंह के शब्दों में- 'मुक्तिबोध की अभिव्यक्ति की अर्थवत्त फुटकल शब्द प्रयोगों से नहीं आँकी जा सकती और न दो - चार बिंबों अथवा भाव-चित्रों से मापी जा सकती है। उनकी अभिव्यक्ति की गरिमा का पता उस विराट बिंब-लोक से चलता है, जो 'अंधेरे में' जैसी महाकाव्यात्मक कविता अपनी समग्रता से प्रस्तुत करती है।⁵ इस प्रकार मुक्तिबोध का सम्पूर्ण काव्य बिंबों से ओतप्रोत है। प्रतीक योजना- काव्य में प्रतीकों का प्रयोग सांकेतिक रूप में किया जाता है। मुक्तिबोध के काव्य में प्रतीकों की प्राचुरता है, जो उनके काव्य को विशिष्ट गुण गरिमा से मंडित करता है। कवि की प्रतीक योजना में विभिन्न प्रकार के जैसे ऐतिहासिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, सैद्धांतिक पौराणिक एवं आधुनिक युगबोध से जुड़े प्रतीक समाहित हैं। मुक्तिबोध शोषक वर्ग और शोषणकारी प्रवृत्तियों के धुर विरोधी रहे हैं। इस अव्यवस्था को मिटाने के लिए उन्होंने इतिहास से जुड़े प्रतीकों का प्रयोग किया है। कवि के काव्य में प्रकृति से ग्रहण किए गए प्रतीकों का बाहुल्य है। जनमानस में व्याप्त निराशा, विशाद आंतक के चित्रांकन में कवि ने बरगद, पहाड़, कमल, तुलसी एवं कैक्टस जैसे प्रतीकों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। एक उदाहरण देखिये-

'भयंकर बरगद
सभी उपेक्षितों, समस्त वंचितों
गरीबों का वही घर, वही छत
उसके ही तह-खोह अंधेरे में सो रहे
गृहहीन कई प्राण'⁶

कवि ने प्रतीकों के माध्यम से दायित्वबोध और मानवीय संवदेना को नये आयाम देने की सफल कोशिश की है। 'कमल' को प्रतीक लेकर उनकी कविता 'अंधेरे में' की कुछ पंक्तियाँ दृष्टव्य हैं-

'अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे
उठाने ही होंगे।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब
पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार
तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें
जिसमें कि प्रतिफल कांपता रहता
अरुण कमल एक।'⁷

कवि ने अपने भोगे हुए यथार्थ को प्रतीकों के माध्यम से नयी अर्थवत्त के साथ उन्होंने पाठक वर्ग के समक्ष रखा है। कहना न होगा कि मुक्तिबोध के प्रतीक उनके काव्य की कुशल शिल्प प्रवणता को दर्शाते हैं।

3. अलंकार योजना - अलंकार वे शब्द साधन हैं जिनसे काव्य सौंदर्य निखरकर सामने आता है। मुक्तिबोध ने अलंकारों का सहजपूर्वक प्रयोग किया है। उसे काव्य के ऊपर हावी या उसकी वजह से काव्य को बोझिल नहीं होने दिया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपन्हुति, मानवीकरण आदि अलंकार उनके काव्य में सायास प्रयुक्त हुए हैं। ये अलंकार विषयवस्तु एवं भावानुकूल बड़े ही आकर्षक, मनोरम और सुबोध लगते हैं। उपमा अलंकार

के स्वाभाविक प्रयोग का एक उदाहरण देखिए-

'लोकहित पिता को घर से निकाल दिया
जन-मन करुणा-सी मां को हकाल दिया,
स्वार्थ के टेरियर कुत्तों को पाल लिया,
भावना के कर्तव्य..... त्याग दिए,
हृदय के मंतव्य..... मार डाले!
बुद्धि का भाल ही फोड़ दिया,
तर्कों के हाथ उखाड़ दिए,
जम गए, जाम हुए, फंस गए,
अपने ही कीचड़ में धंस गए।।
विवेक बघार डाला स्वार्थी के तेल में
आदर्श खा गए।'⁸

इस प्रकार अलंकारों के सुन्दर प्रयोग ने कवि के काव्य को प्रखरता प्रदान की है। चूँकि मुक्तिबोध के काव्य को जनसामान्य की पीड़ा से संवेदित काव्य माना जाता है। ऐसे में अलंकार योजना उनके काव्य को लोक संवेदना के अनुकूल बनाकर जीवन के यथार्थ का उद्घाटन करती है।

फैंटेसी विधान - फैंटेसी में रचनाकार कल्पना का आश्रय लेकर अपने भावों को शब्दों का जामा पहनाता है। फैंटेसी यथार्थ से पलायन नहीं करती प्रत्युत रचनाकार की सृजन क्षमता की उत्कृष्टता को उभारती है। साहित्य जगत में फैंटेसी को लेकर मुक्तिबोध जी काफी प्रसिद्ध रहे हैं। कवि ने अपनी लम्बी कविताओं का जो ताना-बाना बुना है। फैंटेसी का उसमें महत्वपूर्ण स्थान रहा है। फैंटेसी के माध्यम से उनकी कविताओं में परिदृश्य बदलते रहते हैं, जिससे कि लंबी कविता भी अतिदीर्घ होने से बच जाती है। इस प्रकार 'जब हिन्दी की प्रगतिशील कविता पर यह आपेक्ष लगाया जा रहा था कि उसमें शिल्प की उपेक्षा है तब मुक्तिबोध ने प्रगतिशील कविता को फैंटेसी का गम्भीर शिल्प देकर उसे एक नया स्वरूप दिया।⁹ फैंटेसी को लेकर कवि ने जिस फैंटास्टिक दुनिया का निर्माण किया है वह अपनी शक्ति तथा सौंदर्य में बेजोड़ कही जा सकती है। फैंटेसी से जुड़ी 'अंधेरे में' कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं -

परम अभिव्यक्ति
अविरत घूमती है जग में
पता नहीं जाने कहां, जाने कहां
वह है।
इसलिए मैं हर गली में
और हर सड़क पर
झांक-झांक देखता हूँ हर एक चेहरा
प्रत्येक गतिविधि,
प्रत्येक चरित्र,
व हर एक आत्मा का इतिहास।¹⁰

फैंटेसी मुक्तिबोध को अत्यंत प्रिय रही है और उनकी समूची काव्य सृजन प्रक्रिया की अनिवार्य वस्तु भी है।

छंद विधान - कवि ने अपनी कविताओं को छंद के बंधन से मुक्त रखा है तथापि कहीं-कहीं पर विविध छंदों का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। तुकांत प्रियता एवं गत्यात्मकता उनके काव्य में प्रत्यक्ष दर्शित होते हैं। मुक्तिबोध को छंदों का सम्यक ज्ञान था किन्तु विषय और युग के अनुरूप ही उन्होंने छंद को प्रधानता दी है। कवि की कविता में गीतात्मकता का सुंदर निर्वाह दृष्टिगोचर होता है यथा-

भाग गयी जीप, तुम
टापते खड़े रहे
हाय! अपने आप पर
झींख - झखमारते
व कांपते - खड़े रहे
ढेलाम ढेल धकापेल
भीड़ में भी बियावान
सड़क एक सुनसान
और तुम जमीन में
गड़े रहे, गड़े रहे।
खड़े रहे, खड़े रहे।¹¹

साधारणतः मुक्तिबोध ने विषय और स्थिति के अनुसार छंद योजना को अपनाया है।

मुक्तिबोध के काव्य के कलापक्षीय समस्त बिन्दुओं के अध्ययन के पश्चात निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उनका काव्य शिल्प उल्लेखनीय रहा है। निःसंदिग्ध रूप से कवि का काव्य लोकाभिमुख है। काव्य के कथ्य को सारगर्भित एवं सजीव सबाने में अपनी पूरी क्षमता झोंक दी है। चाहे भाषा हो या बिंब, प्रतीक, अंलकार, छंद या फैटेसी प्रयोग सभी क्षेत्रों में वे प्रयोगधर्मी रहे हैं। मुक्तिबोध की कविता के संबंध में साहित्यकार रामविलास शर्मा लिखते हैं- 'मुक्तिबोध की कविता असुरक्षित जीवन की कविता है। उसमें भावबोध की अस्थिरता और विचारों की उलझन भी है। लेकिन यह सब किसमें नहीं है? इसलिए भी उनकी कविता में सीखने और समझने के लिए बहुत कुछ है खासतौर से कवियों के लिए।'¹² अस्तु कलापक्ष के आलोक में मुक्तिबोध का काव्य सृजन उन्हें एक संवेदनशील, जिंदादिल और प्रगतिशील कवि ने

तौर पर नियुक्त करता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भाषा और संरचना, लेखक - डॉ. रामस्वरूपम चतुर्वेदी पृ.सं. 61
2. मुक्तिबोध का काव्य सौष्ठव, लेखक - डॉ. शंकर बसंत मुद्गल चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2005 पृ.सं.170-171
3. मुक्तिबोध रचनावाल खंड - 5, संपादक - नेमिचन्द्र जैन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण- 2011, पृ.सं. 215
4. मुक्तिबोध का काव्य सौष्ठव, लेखक - डॉ. शंकर बसंत मुद्गल चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2005 पृ.सं. 182
5. कविता के नए प्रतिमान, लेखक - नामवर सिंह, राजकमल, प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2016 पृ.सं. 230
6. मुक्तिबोध का काव्य सौष्ठव, लेखक - डॉ. शंकर बसंत मुद्गल चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2005 पृ.सं.196
7. वही, पृ.सं.198
8. मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, लेखक - नंदकिशोर नवल राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2014 पृ.सं.490
9. समकालीन हिन्दी कविता का परिप्रेक्ष्य, लेखक- डॉ. जगन्नाथ पंडित, नमन प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2002 पृ.सं. 29
10. मुक्तिबोध ज्ञान और संवेदना, लेखक - नंदकिशोर नवल राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, संस्करण 2014 पृ.सं. 483
11. मुक्तिबोध का काव्य सौष्ठव, लेखक - डॉ. शंकर बसंत मुद्गल चन्द्रलोक प्रकाशन, कानपुर, संस्करण 2005 पृ.सं. 213
12. नयी कविता और अस्तित्ववाद, लेखक - रामविलास शर्मा, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, संस्करण 2014 पृ.सं.152

हिन्दी शिक्षण में सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी का प्रयोग

संदीप सिद्ध *

शोध सारांश - भाषा अधिगम से पूर्व प्रत्येक अधिगमकर्ता में अपनी स्वाभाविक एवं आध्यात्मिक या आत्मिक शक्तियाँ अन्तः निहित रहती हैं। प्रत्येक अधिगमकर्ता या छात्र की अन्तःशक्तियाँ पृथक-पृथक विभिन्नताएँ होती हैं। इन शक्तियों का विधिवत् स्वरूप पहचानकर एक हिन्दी अध्यापक छात्रों को अपनी ओर आकर्षित कर विभिन्न शिक्षण विधियों तकनीकियों का प्रयोग समयानुसार करता है। इस प्रकार कक्षा शिक्षण प्रभावी बन जाता है तथा हिन्दी अध्यापक द्वारा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयोग एवं अभ्यास किए जाते हैं। इनमे से सूक्ष्म शिक्षण तकनीकी भी एक अभ्यास ही है।

प्रस्तावना - सूक्ष्म अध्यापन अध्यापकों को कक्षा अध्यापक प्रक्रियाओं की शिक्षा देने हेतु निर्मित नवीन प्रशिक्षण प्रणाली है। भारत और विश्व के अनेक भागों में इस पर शोध कार्य हो चुके हैं और पिछले एक दशक में स्पष्ट हो गया है कि अध्यापकों के प्रशिक्षण में यह प्रणाली कम समय में अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है।

अध्यापकों को जो सेवा पूर्व अथवा अन्तः सेवा प्रशिक्षण हेतु आते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा कम समय में अध्यापन कौशल द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। अन्तः सेवी अध्यापकों की अध्ययन क्रियाओं में सुधार भी इसी प्रणाली द्वारा लाना संभव है। उनसे लम्बे 40-45 मिनट के पाठ पढ़वाना अवास्तविक एवं समय का दुरुपयोग है। इस हेतु सूक्ष्म अध्यापन बहुत ही सुविधानक एवं सफल प्रणाली है।

सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय - सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक-प्रशिक्षण का एक ऐसा प्रत्यय है जिसमें प्रशिक्षणार्थी को वास्तविक अध्यापन से पूर्व विभिन्न अध्यापन कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें सामान्य कक्षा-शिक्षण की जटिलताओं को सरल कर दिया जाता है। अध्यापक प्रशिक्षण की प्रयोगशाला तकनीक द्वारा वांछित शिक्षण-कौशल एक-एक कर विकसित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत छात्राध्यापक 5-10 छात्रों की कक्षा को 5-10 मिनट तक पढ़ाता है। पढ़ाई जाने वाली सामग्री भी एक छोटी-सी संकल्पना होती है, जो कौशल पर केन्द्रित होती है। इस तरह कक्षा छोटी, समय कम तथा पाठ बहुत छोटा होता है।

सूक्ष्म शिक्षण का एक लघु रूप है। यह एक ऐसी प्रयोगशालीय विधि है, जिसके माध्यम से शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशल एक-एक करके विकसित किए जाते हैं। शिक्षण को यहाँ कई शिक्षण कौशलों का योग माना गया है।

सूक्ष्म-शिक्षण में निहित सिद्धांत- सूक्ष्म शिक्षण मूलतः दस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षण प्रक्रिया को अनेक व्यवहारों में विभक्त किया जा सकता है। इन कक्षागत शिक्षकों को शिक्षण कौशल व्यवहार कहा जाता है। शिक्षण कौशल को नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाता सम्भव होता है। यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिनियम पर है। इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई व्यक्ति

अनुकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा इस व्यवहार को प्रदर्शन करने के तुरन्त बाद इसकी पुष्टि दी जाये तो व्यवहार के पुनः प्रकट कराने की प्रकृति कम हो जाती है। तथा धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाती है की उस व्यक्ति का वह व्यवहार समाप्ति की ओर चला जाता है। दस सिद्धान्त का उपयोग सूक्ष्म शिक्षण से प्रशिक्षार्थियों को वीडियो, टेप एवं पर्यवेक्षक द्वारा अध्यापन के तुरन्त बाद दिया जाता है चूँकि इसका समय 5-10 मिनट का होता है। अतः व्यवहार कि प्रतिपुष्टि में अधिक समय नहीं लगता है।

सूक्ष्म शिक्षण तकनीक के पद -

सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के सामान्यतः निम्नलिखित पद होते हैं-

- 1. पाठ नियोजन** - शिक्षण अभ्यास करने से पूर्व शिक्षण कौशल पर विचार-विमर्श कर निर्धारित शिक्षण कौशल की पाठ योजना तैयार कर ली जाती है। पाठ योजना निर्माण के समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अभीष्ट कौशल के विभिन्न अवयवों का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।
- 2. शिक्षण सत्र- पाठ** नियोजन के बाद शिक्षण सत्र चलता है, जिसमें प्रशिक्षणार्थी को 5-10 मिनट तक अपने निर्धारित कौशल की विषय-वस्तु का शिक्षण करवाना होता है। कक्षा में 5 से 10 विद्यार्थी हो सकते हैं। वास्तविक विद्यार्थी और सभी छात्राध्यापक विद्यार्थी के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- 3. परिवीक्षण**- शिक्षण सत्र के दौरान शिक्षक-प्रशिक्षकों का, सहपाठियों का ऑडियो/वीडियो टेप आदि द्वारा प्रशिक्षणार्थी का परिवीक्षण किया जाता है।
- 4. प्रति-पुष्टि सत्र** - शिक्षण सत्र के परिवीक्षक एवं छात्राध्यापक आपस में परिवीक्षण के आधार पर शिक्षण स्तर की चर्चा करते हैं। ऑडियो-वीडियो टेप आदि की संग्रहीत सामग्री को छात्राध्यापक को सुनाया एवं दिखाया जाता है तथा अभीष्ट शिक्षण कौशल को पुष्ट करने के सुझाव दिए जाते हैं। इसके लिए 5 से 10 मिनट का समय दिया जाता है।
- 5. पुनर्नियोजन**- प्रति-पुष्टि सत्र में प्राप्त सुझावों के अनुसार छात्राध्यापक अपने पाठ को संशोधित, परिमार्जित एवं परिवर्द्धित करता है। इसमें 10 से 15 मिनट का समय दिया जाता है।

6. **पुनः शिक्षण सत्र** - पाठ के पुनर्नियोजन के बाद प्रशिक्षणार्थी पुनः 5 से 10 मिनट तक शिक्षण कार्य करवाता है। पूर्व शिक्षण सत्र की भाँति इस शिक्षण सत्र के दौरान भी परिवीक्षण कार्य किया जाता है।
7. **पुनः प्रति-पुष्टि सत्र**- पुनः- शिक्षण के उपरान्त छात्राध्यापक तथा परिवीक्षक शिक्षण स्तर पर चर्चा करते हैं और परिवीक्षक पुनः प्रशिक्षणार्थी को प्रति-पुष्टि प्रदान करता है। इस तरह से सूक्ष्म शिक्षण का एक चक्र पूरा हो जाता है। इसमें 35-40 मिनट का समय लगता है, जो कि एक परम्परागत पाठ के बराबर होता है। यह चक्र क्रमशः तब तक चलता रहता है, जब तक प्रशिक्षणार्थी उस शिक्षण कौशल में पर्याप्त कुशल नहीं हो जाता।

अध्यापन-कौशल - अध्यापन कौशल से तात्पर्य शिक्षक के उन कक्षागत व्यवहारों से है, जो कि बालक की अधिगम क्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। एक सफल अध्यापन के लिए एक शिक्षक में कौन-कौन से अध्यापन कौशल होना चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद है, फिर भी निम्नलिखित कौशल सामान्यतः सभी ने स्वीकार किए हैं-

1. पाठोपस्थापना कौशल।
2. प्रश्न कौशल।
3. उद्दीपन परिवर्तन कौशल।
4. उदाहरण देने का कौशल
5. श्यामपट्ट कौशल।
6. पुनर्बलन कौशल।

1. **पाठोपस्थापना या प्रस्तावना कौशल**- कक्षा-शिक्षण में जब शिक्षक पाठ पढ़ाना प्रारम्भ करता है, जो वह पाठ को इस प्रकार से शुरू करना चाहता है, जिससे कि सभी बालक उस पाठ में रुचि ले। अध्यापक का उद्देश्य पाठ आरम्भ करते समय केवल रुचि उत्पन्न करना ही नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य पूर्व अनुभवों को जाग्रत कर, उसका उपयोग करना भी होता है। हिन्दी में पाठारम्भ करने के लिए निम्नलिखित युक्तियाँ पाठ की प्रकृति के अनुरूप काम में ली जा सकती हैं-

1. सम्भावी कविता पाठ
2. कवि या कविता का परिचय
3. पूर्व-पठित कवितांश का पाठ
4. लघु कहानी/प्रसंग कथा/ अन्तर्कथा
5. कहानी, नाटक, गंधाश-सारांश कथन
6. वाक्य के रूप में भाषिक उदाहरण
7. प्रश्न (सम्बद्ध, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक)
8. श्रव्य-दृश्य सामग्री का उपयोग।

2. **प्रश्न कौशल** - रायबर्न ने प्रश्न करना अध्यापन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार- 'यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि एक पाठ के सफल अध्यापन का आधार अध्यापक की प्रश्न कौशल योग्यता है'। प्रश्न पूछना एक कला है। यह कला अध्यापक की कुशलता पर निर्भर करती है। शिक्षा की दृष्टि से प्रश्न करने की कला अध्यापक के लिए वरदान है। शिक्षा प्रदान करने के लिए यह एक उत्तम साधन माना गया है। शिक्षाविद् का यह मानना है कि शिक्षण की सफलता अध्यापक की प्रश्न कला पर निर्भर है। कुछ शिक्षाविद् का तो यह भी मानना है कि अध्यापक कक्षा में जितनी कुशलताओं का प्रयोग करता है, उनमें प्रश्न-कौशल सर्वाधिक जटिल किन्तु अत्यन्त उपयोगी कौशल है। हिन्दी में कई प्रकार के प्रश्न अध्यापक को छात्र से पूछने होते हैं: जैसे-बोध प्रश्न, केन्द्रीय भाव विचार

प्रश्न, कथा वस्तु ग्रहण प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, विकासात्मक एवं व्याख्यात्मक प्रश्न। इन सभी प्रश्नों को पूछने में हिन्दी अध्यापक को कुशल होना चाहिए। किस समय पर कौन-सा प्रश्न, किस प्रकार, किससे पूछने है, यह ज्ञान अध्यापक को भली प्रकार से होना चाहिए। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए।

3. **उद्दीपन परिवर्तन कौशल** - टेवर, ग्लेसर और शेफर के अनुसार- यकिसी परिस्थिति में, घटना अथवा वातावरण में परिवर्तन से यदि विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसे उद्दीपन कहते हैं'। इस परिभाषा के प्रकाश में हम देख सकते हैं कि उद्दीपन का अर्थ व्यक्ति के वातावरण परिवर्तन से है। साथ ही उद्दीपन को व्यवहार परिवर्तन में सहायक माना गया है। व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम माना जाता है, अतः हम उद्दीपन को अधिगम प्रक्रिया का मूल तत्व भी कह सकते हैं। उद्दीपन परिवर्तन की सफलता विशेषतः शिक्षक और छात्रों की अन्तःक्रिया शैलियों पर निर्भर करती है। उद्दीपन परिवर्तन को शारीरिक संचालन, हाव-भाव वाक् पद्धति में परिवर्तन, अन्तःक्रिया शैली में परिवर्तन, दृश्य संस्थितियों में परिवर्तन आदि प्रभावित करते हैं। एक अध्यापक को इन सभी में कुशल होना चाहिए।

4. **उदाहरण देने का कौशल** - लेण्डन के शब्दों में 'उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है अपितु ये ज्ञान को स्थायी भाव प्रदान करने में भी सहायक है'। साधारणतया जब कोई बात किसी व्यक्ति की समझ में नहीं आती है, तो कुछ उदाहरण देकर उस बात को स्पष्ट किया जाता है। शिक्षण में किसी कठिन प्रसंग, स्थल, भाव या तथ्य को हृदयंगम कराने के लिए छात्रों के पूर्व परिचित दृष्टान्त, उपमा या रूपक को प्रयोग करने अथवा किसी वस्तु, घटना या तथ्य से साम्य-वैशम्य दिखाने को उदाहरण कहते हैं। अध्यापन करवाते समय ऐसे कई उदाहरण काम में लिये जाते हैं, जो विषय-वस्तु को प्रभावी, स्पष्ट और रुचिकर बना देते हैं। ये शिक्षण में सहायक हैं, अतः इनका उपयोग प्रत्येक स्तर के शिक्षण में अध्यापक को करना चाहिए उदाहरणों के द्वारा अमूर्त एवं जटिल प्रत्यय सरल एवं स्पष्ट बन जाते हैं, बालक का ध्यान विषय वस्तु पर केन्द्रित हो जाता है। उदाहरण सरल, स्पष्ट, उपयुक्त संक्षिप्त, रोचक यथार्थ तथा सत्य होने चाहिए।

5. **श्यामपट्ट कौशल** - श्यामपट्ट शिक्षण में उपयोगी दृश्य साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। श्यामपट्ट को उचित एवं सही विधिपूर्वक प्रयुक्त करने से पाठ का प्रभावी विकास होता है। पाठ को रोचक बनाने में तथा छात्रों को पाठ्य-वस्तु समझाने में प्रभावी भूमिका प्रस्तुत करता है। श्यामपट्ट अध्यापन क्रिया का मुख्य सहायक स्रोत है। एक अध्यापक को इसके उपयोग में कुशल होना चाहिए। अध्यापक का श्यामपट्ट लेख स्पष्ट, सरल, सुंदर, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य कौशल यद्यपि सामान्य शिक्षण कौशल है, जिसकी प्रत्येक विषय के अध्यापक को आवश्यकता होती है, लेकिन भाषा-शिक्षण में इसका अहम स्थान है। यदि यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस कौशल का आधार भाषा-शिक्षण के समय ही तैयार होता है क्योंकि इसमें लिपि चिन्ह उनकी बनावट, उनका लेखन इत्यादि जो पक्ष हैं, वे सबसे पहले भाषा शिक्षण के अंश हैं, अतः एक भाषा शिक्षक को अनिवार्यतः श्यामपट्ट कार्य में कुशल होना चाहिए।

6. **पुनर्बलन कौशल** - शिक्षण में सफलता प्राप्त करने हेतु शिक्षक अनेक युक्तियों का आश्रय लेता है। वह छात्रों के उत्तरो पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यदि सही उत्तर है, तो प्रसन्न होता है, यदि नहीं है, तो प्रोत्साहन देता है। इस कौशल में उपेक्षित व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है। तथा गलत एवं अवांछित व्यवहार को दूर करने की चेष्टा की जाती है। इस कौशल में हाँ,

अच्छा एवं शाबास आदि कहना एवं उत्तर ठीक होने पर सिर हिलाना तथा हाथ से संकेत आदि आते हैं।

निष्कर्ष - शिक्षण को सिखाने के संदर्भ में ग्रावन लिखते हैं। कि जम्बोजेट को उड़ाने या हृदय का ऑपरेशन करने लिए बहुत से कौशलों की आवश्यकता होती है। कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा प्रशिक्षण केन्द्र आधारभूत कौशल प्रशिक्षण दिए बिना किसी भी व्यक्ति को जेट उड़ाने का ऑपरेशन करने की अनुमति नहीं देगा। ठीक उसी प्रकार शिक्षण भी कई कौशलों का समूह है। जिनको सिखाया जाना भी उतना महत्वपूर्ण है। इन कौशलों को अलग-अलग रूप में छात्राध्यापकों को सिखाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पाण्डे रामशकल - हिन्दी शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 2016
2. भाई योगेन्द्रजीत - हिन्दी भाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा,

2014

3. शर्मा राजकुमारी - हिन्दी शिक्षण, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा, 2004
4. शर्मा बी.एन. - हिन्दी शिक्षण, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2006
5. दुबे सत्यनारायण - हिन्दी शिक्षण, साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2008
6. मिश्र केशरीनन्दन - हिन्दी भाषा संरचना, अलंकार प्रकाशन, इंदौर, 2007
7. सिंह कर्ण - भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं समस्याएं, गोविंद प्रकाशन, आगरा, 2002
8. शर्मा गंगाराम भारद्वाज सुधीरकुमार, हिन्दी भाषा शिक्षण, एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2007
9. शर्मा राजीव - हिन्दी भाषा, देवी अहिल्या प्रकाशन, इंदौर, 2005
10. गुप्ता ममता - हिन्दी शिक्षण एच.पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा, 2007
11. कथूरिया. पी.रामदेव - सुक्ष्म अध्यापन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।

प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता

डॉ. लक्ष्मीकान्त चंदेला *

शोध सारांश - लोक की गहरी संवेदना, मूल्य-जनित चेतना, धरातलीय अभिव्यक्ति और सरोकारपूर्ण प्रयोजनीय प्रसंग तथा अवसर की संकल्पनाएं प्रेमचंद के कथा-विन्यास की अनिवार्यता रही है। इसे उनके लेखन कर्म की मर्यादा और अनुशासन के रूप में ले या रचना के कालजयी होने की प्रक्रिया के रूप में; मगर रचना को वैश्विक संदर्भ, भीतरी संभावना की स्पष्टता, कथा-चित्रपट में वैश्विक गतिशीलता और रचना का स्व-अनुशासन व सजगता ने उनकी कहानियों को प्रासंगिक बनाया है। अस्तु, रचना के समय ही वैश्विक होते जाना उनकी कहानियों के प्रासंगिक होने का मुख्य कारण है।

शब्द कुंजी - रचना, संदर्भ और प्रसंग।

प्रस्तावना - बात कोई भी कहीं जाए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में कहीं जाए पर प्रसंगवश एवं प्रसंगानुकूल कहीं जाए तभी उसका कोई महत्त्व, संगति और प्रयोजन की पूर्ति हो पाती है। भारतीय ही नहीं विश्व-जीवन परिदृश्य में प्रसंग अवसरानुकूल और प्रयोजनपूर्ण हुए हैं। साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में बात वही मूल्य-जनित और सरोकारपूर्ण होती है, जिसमें प्रसंगों की संगति और उनकी विविधता में लोक-जीवन चित्रित होता है। जैसे भी प्रसंग अपने आप में व्यापक और विशिष्ट होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'संगति-विशेष'¹ है। इस शब्द के प्रयुक्त होते ही 'वार्ता, विषय, संयोग, प्रस्ताव, प्रकरण'² आदि अर्थ ध्वनित होने लगते हैं। सूरदास भी 'बिनु प्रसंग तहँ गयो न जाइ' कहते हैं। सचमुच प्रसंग में 'इक' तत्पश्चात् 'ता' प्रत्यय जोड़कर 'संगति-विशेष' के अर्थ में लिए जाने लगा तथा 'समकालीन जीवन-मूल्यों के संदर्भ में साहित्य की अर्थवत्त की तलाश का नाम प्रासंगिकता है'³ कहा गया। दूसरा, प्रसंग की परिभाषा और तीखे काल-बोध के आधार पर देखा जाए तो 'मानस में मनुष्य होने की जो आस्थापूर्ण झंझूट पैदा होती है, वही प्रासंगिकता है।'⁴ इस तरह 'साहित्य की प्रासंगिकता का प्रश्न मनुष्य की अस्मिता और अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। मनुष्य का मनुष्य बने रहने का प्रश्न है।'⁵ तभी तो साहित्य में मानवीय जीवन का तीखा कालबोध देखा गया और जीवन नवीन मूल्यवत्ता से परिपूर्ण हो संवेदनात्मक धरातल में स्थापित हो पाया है।

फिर बात कोई भी, और कुछ भी कही जाए सभी प्रासंगिक हो जाती हैं? ऐसा नहीं है। जब तक उसमें उच्चतम आदर्श, भावात्मकता, अनुकूल वातावरण, और लोक की गहरी संवेदना नहीं होगी तब तक वह प्रासंगिक नहीं हो सकती। राममूर्ति त्रिपाठी की दृष्टि में- 'प्रेमचंद मानवीय संवेदनाओं के रचनाकार हैं। उनका समस्त साहित्य मानवीय संवेदना से आपूरित है।'⁶ साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद ऐसे ही कथाकार हैं। कथाकार ही नहीं अमर कथाकार हैं और उनका काल-बोध अमरत्व की पूर्णता।

अब प्रश्न उठता है कि प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता कितनी और क्यों है? उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जितना 'समय' प्रासंगिक है उतना ही प्रेमचंद की कहानियाँ। पर क्यों? इस सवाल का सहृदय में उठना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है, प्रेमचंद की कालजयी कहानियों में मनुष्य की अस्मिता

और अस्तित्व के साथ मनुष्य बने रहने का बराबर उठता प्रश्न। उनकी कहानियों के प्रासंगिक होने का यही कारण है और आज भी प्रासंगिक हैं। दूसरा, प्रेमचंद को/ने-

1. **साहित्य कालजयी होगा, यह चिंता नहीं थी** - 'मुंशी जी वर्तमान में जीते हैं और वर्तमान के लिए ही लिखते हैं। वर्तमान को फलांग कर भविष्य में नहीं पहुँचा जा सकता... वर्तमान से पराड.मुख होकर कोई कालजयी नहीं हुआ है।'⁷ प्रेमचंद कभी भी यह सोचकर साहित्य नहीं लिखा कि जिसे मैं लिख रहा हूँ वह कालजयी हो।
2. **रचना के समय ही वैश्विक संदर्भ दिए हैं** - कोई भी रचना या सर्जना लिखे जाने के बाद वैश्विक नहीं होती। सृजन प्रक्रिया के समय ही रचना को समग्र संदर्भों से जोड़ना होता है। ऐसा प्रत्येक रचनाकार की रचना-धर्मिता में होता है। फिर मुंशी प्रेमचंद की निराली प्रतिभा और लेखकीय मर्यादा है कि वे अपनी रचनाओं को, उसके कथा और शिल्प-विन्यास को रचना के समय ही वैश्विक आयामों से जोड़ते हैं। यह लोक के गहन अध्ययन और चिंतन का परिणाम है। उनकी बहुचर्चित कफन, बड़े घर की बेटी, सद्गति, ठाकुर का कुंआ, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह, मंत्र, आदि किसी भी कहानी को लीजिए जिनकी कथा-वस्तु वैश्विक संदर्भ लिए हुए है। इसीलिए आज भी प्रासंगिक हैं।
3. स्थापित कर दिया कि **गुलाम देश का लेखक आजाद देश के लेखक से कैसे उत्कृष्ट लिख सकता है।** राममूर्ति त्रिपाठी कहते हैं- 'प्रेमचंद का कलाकार अपने वर्तमान से कितना प्रतिबद्ध है।'⁸ सोजे वतन से लेकर अंतिम समय तक की कहानियों में लेखक की स्वतंत्रता और उनका अनुशासन झलकता है।
4. **संवेदना-युक्त कथ्य और शिल्प का चयन** - मुंशी प्रेमचंद संवेदना युक्त कथ्य और शिल्प का चयन करते हैं। उनकी कहानी कला मात्र घटनाओं का ब्यौरा, रूमानी और रोमांस के साथ नाटकीय रंग भरना नहीं बल्कि मानव-जीवन की संवेदना को प्रकट करना है। वे स्वयं कहते हैं- 'मेरी कहानियाँ प्रायः किसी-न-किसी प्रेरणा या अनुभव पर आधारित होती हैं। इसमें मैं ड्रामाई रंग पैदा करने की कोशिश करता

हूँ परन्तु केवल घटना के वर्णन के लिए मैं कहानियाँ कभी नहीं लिखता। मैं कहानी में किसी दार्शनिक या भावात्मक तथ्य को दिखाना चाहता हूँ।⁹ अथवा 'कोई भी घटना केवल लच्छेदार और चुस्त, लिखाई और शैली के चमत्कार के आधार पर कहानी नहीं बन जाती। मेरे विचार में क्लाईमैक्स का होना अनिवार्य है और वह भी भावात्मक।'¹⁰

5. **प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच सेवा भाव** - वही जीवन और साहित्य उँचाई तक पहुँचता है, जहाँ 'प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों के बीच में सेवा मार्ग है, चाहे उसे कर्मयोग कहो, वही जीवन को सार्थक कर सकता है। वही जीवन को उँचा और पवित्र बना सकता है।'¹¹ प्रेमचंद की कहानियों में यह भाव स्पष्टतया देखा जा सकता है। उनकी कोई भी कहानी उठा लीजिए उनमें मानवीय सेवा के भाव लेखकीय कर्म के साथ मौजूद मिलेंगे।

6. **वास्तविकता और सरोकार से गहरा जुड़ाव है**- यह भाव जिंदादिल कथाकारों में होती है। प्रेमचंद की कहानियाँ इन्हीं भावों का प्रयाण करती हुई समय, समाज और जीवन की वास्तविक सरोकारों से जुड़ पाती है। उन्होंने अपनी 'दिल की रानी' कहानी में इस्लाम के इतिहास में तैमूर के जीवन की घटना के आधार पर क्लाईमैक्स तैयार करते हुए लिखते हैं- 'तैमूर ने हजारों तुर्कों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे जालिम तथा जाति के शत्रु से एक तुर्क और किस प्रकार उनकी ओर झुकी- इस समस्या को हल करने से क्लाईमैक्स निकल आता था। तैमूर बहुत सुन्दर न था, इसलिए इस बात की आवश्यकता हुई कि उसमें ऐसे नैतिक तथा भावात्मक गुण पैदा किया जाए जो एक उच्चतम स्त्री को उसकी ओर आकर्षित कर सके।'¹² अतएव चिंतन के आलोक में राममूर्ति त्रिपाठी का यह कथन उचित प्रतीत होता है। वे कहते हैं- 'साहित्य को लिखने वाले का निजी जिन्दगी से नहीं, समाजी जिन्दगी से सरोकार होता है।'¹³ सचमुच प्रेमचंद का कथाकार जीवन और मन एक साथ सामाजिक है। वे अपनी निजी जिन्दगी से ज्यादा समाजी जिंदगी को महत्व देते हैं।

उपर्युक्त बातों/तथ्यों के अलावा और भी बिन्दु हैं जिनके आलोक में प्रेमचंद की कहानियों की प्रासंगिकता को निरूपित किया जा सकता है; जैसे-

7. भीतर की संभावना को बचाते हुए, वर्तमान पीढ़ी की खाई को पाटते हैं।
8. कहानी की परम्परा उनकी अपनी है।
9. रचनात्मकता का चित्रपट भारतीय होते हुए भी वैश्विक धरातल पर गतिशील रहा है
10. रचना का उनका अपना अनुशासन है।
11. आदर्श, यथार्थ और फिर आदर्शोन्मुख यथार्थवाद।

इस तरह मुंशी प्रेमचंद अपनी सीमा जानते हैं, अपना कर्तव्य समझते हैं और अपने साहित्यिक अनुशासन में रहते हुए साहित्य में जीवन-सी संवेदना का प्रवाह देते हैं। इतना ही नहीं लेखनी को समय संदर्भित कर बदलते संदर्भों में भी प्रभावकारी बनाते हैं। निश्चित ही रचना के समय ही

वैश्विक संदर्भ प्रदान करना, भीतरी संभावना को बतियाना, कथ्य और शिल्प में संवेदनशीलता, कथा के चित्रपट में वैश्विक गतिशीलता तथा रचना में स्व-अनुशासन की अनिवार्यता व सजगता ने प्रेमचंद की कहानियों को प्रासंगिक बनाया है। यही कारण है कि उनकी कहानियाँ, हर जीवन, हर काल के लिए प्रासंगिक हैं और रहेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. बच्चन सिंह - आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली - 110002, पृ. 67
2. बच्चन सिंह - आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली - 110002, पृ. 67
3. बच्चन सिंह - आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली - 110002, पृ. 67
4. बच्चन सिंह - आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द, राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी रोड, दरियागंज नई दिल्ली - 110002, पृ. 68
5. डॉ. महेन्द्र कार्तिकेय - साहित्य अर्थवत्ता और भविष्य, विद्या प्रकाशन मंदिर, 1681, दरियागंज नई दिल्ली-110002, संस्करण 2002, पृ. 49
6. राममूर्ति त्रिपाठी - प्रेमचंद का चिंतन अपनी जमीन, लोक भारती प्रकाशन, 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण 1991, पृ. 85
7. राममूर्ति त्रिपाठी - प्रेमचंद का चिंतन अपनी जमीन, लोक भारती प्रकाशन, 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण 1991, पृ. 25
8. राममूर्ति त्रिपाठी - प्रेमचंद का चिंतन अपनी जमीन, लोक भारती प्रकाशन, 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण 1991, पृ. 25
9. मदन गोपाल - कलम का मजदूर, ('मैं कहानी कैसे लिखता हूँ' से) राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 8 नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002, द्वितीय संस्करण 1984, पृ.253
10. मदन गोपाल - कलम का मजदूर, ('मैं कहानी कैसे लिखता हूँ' से) राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 8 नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002, द्वितीय संस्करण 1984, पृ.254
11. राममूर्ति त्रिपाठी - प्रेमचंद का चिंतन अपनी जमीन, लोक भारती प्रकाशन, 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण 1991, पृ. 74
12. मदन गोपाल - कलम का मजदूर, ('मैं कहानी कैसे लिखता हूँ' से) राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., 8 नेताजी सुभाष मार्ग, नयी दिल्ली-110002, द्वितीय संस्करण 1984, पृ. 254
13. राममूर्ति त्रिपाठी - प्रेमचंद का चिंतन अपनी जमीन, लोक भारती प्रकाशन, 15ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-1, संस्करण 1991, पृ. 24

मन्नू भण्डारी के कथा-साहित्य का अध्ययन - आधुनिक जीवन के संन्दर्भ में

डॉ. ओ. एस. परिहार *

प्रस्तावना - मन्नू भण्डारी के कथा-साहित्य में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक जीवन मूल्यों का अनेकानेक आयाम उभर कर समकालीन परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में समाज का ढाँचा बदल गया है। आज का समाज परम्परागत मूल्यों का त्याग कर, प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता के स्थान पर एक नवीन अनजान, कृत्रिम और खोखली मानसिकता की ओर अग्रसर हो रहा है। आज जीवन-मूल्यों के परिवर्तनों से मानवीयता को तिलांजली दी जा रही है। गिरगिट के समान व्यक्ति निष्ठता परिवर्तित होती जा रही है। आर्थिक दृष्टि से सामाजिक और पारिवारिक संस्थाएँ जर्जर होती जा रही हैं। धार्मिक उन्माद आपसी सौहार्द को निगलता जा रहा है। यही वजह है कि मानव के जीवन में दुख, निराशा, तनाव, कुंठाएँ, संत्रास धीरे-धीरे प्रवेश करती जा रही हैं।

मन्नू भण्डारी समकालीन जीवन से जुड़ी सशक्त साहित्यकार हैं। उनके कथा-साहित्य में वह सब है, जो आम भारतीय समाज और जीवन में है। मन्नू जी ने अपने कथा-साहित्य में ग्रामीण, दाम्पत्य एवं नारी जीवन की समस्याओं के माध्यम से अपने तत्संबंधी विचार सामने रखे। डॉ. बंशीधर और डॉ. राजेन्द्र मिश्र मन्नूजी के मन की अनुभूतियों के बारे में लिखते हैं कि **'आधुनिक कहानी लेखिकाओं में मन्नू भण्डारी अपने रचना-संसार की सीमाओं को सदैव तोड़ती रहती हैं और उसे वृहत्तर आयाम देती रहती हैं और गहरी संवेदनात्मक अनुभूतियों का परिचय देखने को मिलता है।'**¹ मन्नू भण्डारी मुक्त विचारों की लेखिका होने के कारण उनकी कहानियों की स्त्रियाँ भी मुक्त विचारों वाली हैं। विवाहोत्तर संबंध पर उनके विचार स्पष्ट हैं- **'इस संबंध में कोई नियम तो नहीं बनाया जा सकता पर मैं यह जरूर सोचती हूँ कि जो लोग मुक्त प्रेम में विश्वास करते हैं, उन्हें, विवाह का बंधन स्वीकार ही नहीं करना चाहिए और यदि कोई विवाह करे तो उसे अपने साथी के प्रति ईमानदार रहना चाहिए।'**² मन्नूजी की कहानियों में सामाजिक जीवन मूल्यों के साथ मानवीय संवेदना कूट-कूट कर भरी हुई है। आधुनिक जीवन में व्यक्तिगत अहं, स्वार्थ, भोग-विलास को स्थान मिलता जा रहा है, जिससे कि सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में एक नया रूप उभर कर आया है, जो पारिवारिक विघटन की आधारशिला है।

मन्नू भण्डारी की 'अकेली', 'नई नौकरी', 'एक वार संख्या के पार', 'बाँहो का घेरा', 'रानी माँ का चबुतरा', 'अकेली', 'उँचाई', 'नकली हीरिय इत्यादि कहानियों में पारिवारिक विघटन अनेक रूपों में उजागर हुआ है। बाँहो का घेरा कहानी में पारिवारिक विघटन का कारण आतृप्त काम भावना है। इसमें ऐसी नारी के मनोभावों को दर्शाती है, जो काम अतृप्ति के कारण अंदर ही अंदर घुटती जाती है। कहानी की पात्रा कम्मो काम मनोबंधी से ग्रस्त है- 'नारी मन को पुरुष से भावनात्मक मिठास की अपेक्षा होती है।

अपनी भीतरी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहती है। केवल बाह्य दैहिक मिलन से उसके मन का परितोष नहीं होता। अतः दैहिक मिलन के बावजूद मन की सूक्ष्म भूख की तृप्ति के लिए वह पुरुष के प्रति आकर्षित होती है।³ 'उँचाई' कहानी में सेक्स संबंधी धारणा पर प्रकाश डाला गया है। शिवानी विवाह के ग्यारह वर्षों के बाद विवाह पूर्व प्रेमी अतुल से शारीरिक संबंध बना लेते हैं। चार महीने बाद शिशिर को यह बात मालूम पड़ती है। वह कहता है- 'दोहरी चोट तुमने मुझ पर की, एक ओर बेवफाई तो दूसरी ओर धोखा छल'⁴

शिवानी की दृष्टि में बाह्य काम संबंध बनाने में न तो कुछ अनुचित है और न ही पाप है। विवाहित शिवानी पुरानी परम्परा-रिवाजों को तोड़कर अतुल से शारीरिक संबंध स्थापित करती है। शारीरिक पवित्रता जैसे प्रश्नों को नकारकर भी अपराध बोध से पीड़ित होती है और न पाप-बोध संश्रुत। वह उसी क्षण को सच मानती है, जिसमें उसने तन्मय हो, आत्म विस्मृत होकर भोगा है। आज नारी बेचारी नहीं है, वह अपने हक एवं आत्म-सम्मान पाने के लिए स्वतंत्र है। 'संख्या के पार' कहानी में ससुराल में नारी पर होने वाले अत्याचार की मानवी संवेदनाएँ हैं। इसमें प्रमिला की माँ को उसके ससुराल वाले बेच देते हैं। अफवाह फैला देते हैं कि वह कहीं भाग गयी। मायके वाले भी सच मानकर निन्दापरक बातें करते हैं। प्रमिला के नाना कहते हैं- 'दाने-दाने को मोहताज है, तो भीख मांगे.....' जैसा किया उसका वैसा ही फल मिलना था। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूँगा'⁵ 'खोटे सिक्के' कहानी में नारी जीवन के प्रति व्यक्ति की निदर्यता की पराकाष्ठा है। इसी तरह 'संख्या के पार' कहानी में नारी विक्रय की दास्तान है, जो दाम्पत्य जीवन में व्याप्त घृणा और द्वेष को कम अभिव्यक्त नहीं करती है। 'किल और कसक' की रानी पति के प्रेम के अभाव में कुंठित है। वह अपने पति कैलाश को चाहकर भी पराये मर्द शेखर के निकट चली जाती है। मन्नू भंडारी की कहानी में 'ईसा के घर' इंसान और 'रानी माँ का चबुतरा' में धार्मिक पाखण्ड का माखौल उड़ाया है। आज धर्म के प्रति विरोधी वातावरण तैयार होने लगा है लोगों का धार्मिक आस्थाओं पर से विश्वास उठने लगा है। मन्नू जी ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से धर्म संबंधी परिवर्तित मान्यताओं का चित्रण मानवीय संवेदनाओं के साथ किया है। 'ईसा के घर इंसान' में धार्मिक कुपवृत्तियों पर तीखा व्यंग्य है। इसमें एंजिला फादर के आत्म-शुद्धिकरण में प्रयोग को चुनौती देती हुई अनारस्थापरक अवधारणा दिखाती है। 'रानी माँ का चबुतरा' में पड़ोसी गुलाबी को चुड़ैल कहते हैं। उसे बुरी आदतों वाली मानते हैं, जबकि वह तो बेचारी व्यथाग्रस्त है। 'आज हर नारी इसी तरह से जूझ और टूट रही है और पड़ोस के लिए रहस्यमय बनी हुई है।'⁶

मानव के मन की गहराई के विविध रूप मन्नू भण्डारी की कहानियों में दिखाई पड़ते हैं। नारी मनोविज्ञान को उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से उभारने का प्रयत्न किया है। उन्होंने समकालीन परिवेश में जीवन जीती नारी की

मनः स्थिति को अनेक प्रकार से चित्रित किया हैं। अहमभावना से पीडित नारी, काम अतृप्ति से कुंठित नारी, आत्माभिव्यंजना से युक्त नारी, द्धन्द के बीच फंसी, अन्तर्मुखी तथा रूढ़ी का विद्रोह करती नारी का चित्रण किया गया है। मन्नू भण्डारी की 'घर' एवं 'नकली हीरे' में अहम भावना का चित्रण हुआ है। 'साहित्य में 'अहम' लेखक या पात्र के व्यक्ति की स्वार्थमूलक आक्रामकता है।' 'हार' कहानी में दीपा स्वतंत्रता चाहने वाली नारी है। वह राजनैतिक माहौल में पली बढ़ी है। वह विरोधी पार्टी के सदस्य शेखर से विवाह करती है। सभी लोग उनके दाम्पत्य जीवन से आशंकित थे। वह कहती हैं- 'यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, जिसमें मैं पिताजी के अतिरिक्त और किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है।'⁹ 'कील और कसक' गीत का चुम्बन', 'बाँहो का घेरा', 'स्त्री सुबोधिनी', आदि कहानी में स्त्री कुंठा अधिक है। 'गीत का चुम्बन' की कनिका गायिका है। एक दिन निखिल कनिका को चूम लेता है। कनिका उसे चाटा मार देती है। परन्तु बाद में पछतावा होता है। माफी मांगने पर भी निखिल की रूखवाई पर वह कुंठित हो जाती है तथा सोचती है। 'निखिल उसके गुस्से को क्यों नहीं समझ पाया, पहली बार भी वैसी ही प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं थी।'⁹ वर्तमान में नारी की मानसिकता बदल गयी है। यदि वह पति से संतुष्ट नहीं होती तो दूसरे आदमी की तरफ आकृष्ट हो जाती है और बेवजह उससे विमुख हो जाता है, तो अतृप्ति की कील उसे बाँधती रहती है। 'कील और कसक' कहानी में रानी की काम भावना कुंठित है।

जब मनुष्य अपनी आर्थिक जरूरतों को पूर्ण करने में अक्षम रहता है तो उसे अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज आर्थिक समस्या प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की नियति बन गई है। बेकारी, गरीबी और बढ़ती महंगाई ने जीवन मूल्यों को निर्णायक अर्थ दे दिया है। मन्नू भण्डारी की कहानी 'कील और कसक', 'खोटे सिक्के', 'क्षय', 'इन्कम टेक्स' और 'नींद', 'एखाने आकाश नाई, आदि में मूल्य वृद्धि से उत्पन्न संकट का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चित्रण है। 'क्षय' कहानी की पात्रा कुंती बढ़ती महंगाई और जरूरतों से तंग है। उसे इसके लिए पल-पल समझौता करना पड़ता है। 'खोटे सिक्के' कहानी में बेकारी में गस्त मनुष्य अपनी जान को जोखिम में डालकर टकसाल में काम करने को विवश है। मन्नू भण्डारी देश की बेकारी के आलम को बताती है कि आज काम करने वाले तो अनेक है पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकतम व्यक्ति पढ़-लिखकर भी बेकार धुमते है।¹⁰ 'सजा' कहानी में आशा का परिवार भी भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। उनके पिता पर बीस हजार रुपये के गबन का गलत आरोप लगाया जाता है। 'मुसीबत में रिश्तेदार किस तरह मुँह मोड़कर आपमानित करते हैं। आशा की चाची कहती है।' ऑफिस के बीस हजार रुपये गायब करके गाड़ दिए और हमारा खून चूस रहे है।' ये हमारे बडे है। लानत है, ऐसे बडप्पन पर।' आज उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच आर्थिक विषमता विकराल रूप ले रहा है। उच्च वर्ग के पास दिन-प्रतिदिन वस्तुओं एवं साधनों का संग्रह बढ़ता जा रहा है, जबकि निम्न वर्ग निम्नता की ओर अग्रसर हो रहा है। बढ़ती बेरोजगारी से गांवों से कृषकों का पलायन होता जा रहा है। महानगरों एवं नगरों के आस-पास झोपड़ पट्टी का विकास बढ़ता जा रहा है। उच्च वर्ग में प्रदर्शन की भावना एवं कृत्रिमता दृष्टिगोचर होती है। 'नकली हीरे', 'बाहों का घेरा', और 'जीती बाजी की हार' उच्च वर्ग की अट्यासी और उनकी मानसिक समस्याओं का चित्रण है। इसी तरह निम्न वर्ग में 'खोटे सिक्के', 'नशा', 'रानी माँ का चबूतरा' आदि कहानी में समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसी तरह 'कील और कसक' में मध्यमवर्ग की एक स्त्री रानी का चित्रण है। 'इन्कम

'टेक्स' और 'नींद' में एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण है, जो स्वयं की प्रशंसा में लिप्त रहता है। 'एखाने आकाश नाई' में शहर और गाँव के जीवन के बीच एक पुल की तरह जुड़ी हुई है। यह सुख की तलाश में भटकते लोगों की कहानी है।

वर्तमान में मानव आधुनिकता की अंधी दौड़ में भागता हुआ अधिक से अधिक पैसा कमाने एवं सुख-सुविधा के मशीनी साधन जुटाने में लगा हुआ है। आर्थिक सम्पन्नता संबंधों को बिगाड़ने के मूल कारण होते जा रहा है। 'नकली हीरे' में इन्दु का पति नाजायज संबंध रखने वाला है, जो पैसे के दम पर काम क्षुधा शांत करने वाला विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। 'जीती बाजी हार' की मुरला आर्थिक सृष्टि को ही जीवन का पर्याय मानती है। अंततः हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद सामाजिक जीवन-मूल्यों में अत्यधिक बदलाव आया है। व्यक्ति निष्ठता एवं भोगवादी प्रवृत्ति के कारण ही मानव मूल्य नष्ट हो रहे हैं। आज नैतिकता, सहयोग, प्रेम, ममता, शिष्टाचार, परोपकार, दया, पारिवारिक, दायित्व का निर्वाह एवं उदासीनता, घुटन, कुंठा संत्रास, यौन संबंध भ्रष्टाचार आदि का उल्लेख मन्नू भण्डारी ने अपने कथा-साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। उनके पांच कहानी संग्रह 'मैं हार-गई' (1957), 'तीन निगाहों की एक तस्वीर' (1959), 'ययही सच है' (1966), 'एक प्लेट सैलाब' (1968), 'त्रिशंकु' (1978) है जो समकालीन जीवन की असलीयता बताते है। विजय मोहन सिंह कहते हैं - मन्नू भण्डारी की कहानियाँ प्रचलित अर्थ में आधुनिक नहीं है, उनका लक्ष्य छत्र आधुनिकता का पर्दाफाश करना है। वे अपने समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी है। इतिहास के लम्बे रास्ते पर लगे मील के पत्थर है, जिन पर से गुजरती हुई आने वाली पीढ़ियाँ अपने साहित्य, समाज, कृतियों एवं रचनाकारों को जानेगी, समझेगी। 'मैं हार गई' कहानी नेताओं के मानसिक परिवर्तन को लेखिका ने बडे मनोयोग से चित्रित किया है। पूरी कहानी में ऐसे नायक की तलाश में लगी हुई है, जो सही अर्थों में देश की बागडोर संभाल सके लेकिन वे सफल नहीं हो पायीं। अपने अहम को त्यागकर अपनी हार को सहाज स्वीकार कर लेती हैं। मन्नू भण्डारी मूलतः कहानी की समाज सापेक्ष यथार्थवादी धारा की लेखिका है। उन्होंने अपनी कहानियों में पुरानी रूढ़ियों का परित्याग करते हुए नारी को उसके वास्तविक यथार्थरूप में अभिव्यक्त किया। नेताओं में त्याग की भावना नहीं है। भोग, विलास और सत्ता-सुख को राजनीति का नाम दे दिया गया है। 'मैं हार गई' कहानी में मन्नू जी ने इसी राजनैतिक परिदृश्य को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मन्नू भण्डारी का श्रेष्ठ सर्जनात्मक साहित्य: डॉ. बंशीधर, डॉ. राजेन्द्र मिश्र पृ0 10
2. त्रिशंकु-मन्नू जी के तमाम रंग :मन्नू भण्डारी पृ0 19
3. आधुनिक हिन्दी साहित्य में काम-मूलक संवेदना : डॉ. श्रीराम महाजन पृ0 43
4. एक प्लेट सैलाब 'ऊँचाई' मन्नू भण्डारी पृ0 30
5. संख्या के पार: मन्नू भण्डारी पृ0 77
6. नई कहानी 'काव्य और शिल्प': डॉ. संत बख्श सिंह पृ0 120-121
7. मानविकी पारिभाषिक कोष: सम्पाहक डॉ. नगेन्द्र पृ0 168
8. तीन निगाहों की एक तस्वीर, हार : मन्नू भण्डारी पृ0 92
9. गीत का चुम्बन : मन्नू भण्डारी पृ0 31
10. 'मेरी प्रिय कहानियाँ 'खोटे सिक्के': मन्नू भण्डारी पृ0 141
11. मेरी प्रिय कहानियाँ 'सजा': मन्नू भण्डारी पृ0 114

नरेन्द्र कोहली के सामाजिक क्षेत्र में व्यंग्य (समग्र व्यंग्य के विशेष संदर्भ में)

सुशीला सोलंकी * डॉ. मंजुला जोशी **

प्रस्तावना – साहित्यकार अपने युग का प्रहरी होता है। वह मानव मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेकर अवतरित होता है। एक सजग संवेदनशील साहित्यकार अपने परिवेश में व्याप्त विकृतियों पर जो आक्रोश भरी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वही कला का स्पर्श पाकर व्यंग्य का रूप धारण करती है।

व्यंग्यकार सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक व्यवस्था से प्रत्यक्ष जुड़ा रहता है। अपने परिवेश में व्याप्त विसंगतियों को देखता-जानता है और फिर अपने तरीके से उन्हें अनावृत कर जनमानस में उनके प्रति घृणा का भाव जगाता है। व्यंग्यकार विकृतियों के लिए व्यंग्यास्त्र का प्रयोग करता है। व्यंग्यकार की भूमिका एक सुधारक, नियामक और न्यायाधीश की होती है। वह एक तटस्थ तमाशबीन की तरह समाज की बुराईयों पर कहकहे लगाकर नहीं रह जाता अपितु जागरूक समाज में विकृत स्थितियों के प्रति असन्तोष जगाकर एक क्रांति का मार्ग प्रशस्त करता है।

डॉ. नरेन्द्र कोहली भी एक ऐसे ही व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने समाज की विषमताओं, विसंगतियों और विद्वुपताओं को अपने व्यंग्यों के माध्यम से उजागर किया है। सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र – निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के संत्रास, शिक्षा क्षेत्र के दोषों, नारी जीवन की पीड़ाओं, रिश्वतखोरी, शोषण आदि जीवन की हलचलों का जीवंत बयान अपने व्यंग्य में किया है। कोहलीजी के व्यंग्य के विषय में सुरेश कांत लिखते हैं- उनका व्यंग्य सामाजिक सच का आईना है, जन-जन की व्यथा-वेदना का दर्पण है। अपने चारों ओर के यथार्थ को कोहली सहज एवं सरल लोक-शैली में व्यक्त करते हुए जन भाषा की संभावनाओं को कुशल अभिव्यक्ति देते हैं।¹

भारतीय समाज का उच्च वर्ग अर्थात् पूँजीपति, जमींदार, तालुकेदार, नेता तथा बड़े-बड़े अफसर हैं जो अपनी कुलीनता, वंश परम्परा का निर्वाह करते हैं, उनमें अहंकार की भावना कूट-कूटकर भरी होती है, जिसके चलते वे मध्यम तथा निम्न वर्ग का शोषण करता है। उन पर अन्याय तथा अत्याचार करता है। इस वर्ग ने सर्वहारा वर्ग को जकड़कर रखा है। कोहलीजी ने इस संदर्भ में लिखा है- 'शोषण तो एक राक्षसी प्रवृत्ति है। जैसे- जैसे कुछ लोग अन्य लोगों की सम्पत्ति हड़पकर धनाढ्य बनते जाते हैं, राक्षस प्रवृत्ति में दीक्षित होते जाते हैं।'²

स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति वर्तमान में भी वैसी ही बनी हुई है। सामाजिक विषमता और सामाजिक शोषण जैसी अनेक विकृतियाँ आज भी विद्यमान हैं। उच्च वर्ग, निम्न तथा मध्यम वर्ग का शोषण करते जा रहा है। इन वर्गों के बीच शोषण तथा वैमनस्य की खाई बढ़ती ही जा रही है।

आज के बदलते परिवेश में पारिवारिक संबंधों में भी बदलाव हो रहे है। आपसी रिश्तों में बढ़ती दूरियाँ, अलगाव की स्थितियाँ निर्मित हो रही है। हरेक रिश्ता स्वार्थ से प्रेरित है। कोहलीजी में अपनी व्यंग्य रचना 'रिश्तों से बढ़कर' में रिश्तों के बीच उपजते हुए अन्तर को स्पष्ट किया है - 'समझने

लगा हूँ, 'बेटे से बढ़कर' का तात्पर्य होता है, बेटे के सारे कर्तव्यों को निभाना होगा।'³ इस प्रकार अर्थतत्त्व के बढ़ते महत्त्व के कारण पारिवारिक संबंधों में भी व्यावसायिकता आ गई है। 'हमारे समाज में पिता अपने पुत्र को भी पुत्र के रूप में नहीं, अपनी इच्छाओं-आकांक्षाओं के रूप में ही पालता है, वह एक तरह से उसका इन्वेस्टमेंट है।'⁴ कोहलीजी भारतीयों में पाई जाने वाली पुत्र की प्रबल कामना के पीछे, छिपे अर्थ-केन्द्रित स्वार्थ को उजागर करते हैं - 'अपने देश में पिता का भविष्य उसका पुत्र ही होता है। पुत्र ही पिता के बुढ़ापे का सहारा है, पेंशन है, भविष्य-निधि है, जीवन बीमा है। इसलिए अपने देश में पुत्र की इतनी प्रबल कामना है। जिनका पुत्र न हो, उनकी गति नहीं। कितनी सार्थक बात है।'⁵ 'सार्थक य शब्द यहाँ अर्थ अर्थात् धन, पूँजी को इंगित करता है।

परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। यहाँ से उसे समाज में रहकर अपने व्यक्तित्व के विकास की शिक्षा दी जाती है, परन्तु समय परिवर्तन के साथ ही बच्चा बढ़ा होकर ये सारे संस्कार भूल गया है। और अपनी मनमर्जी से जीवन जी रहा है। परिवार में बनते बिगड़ते सम्बन्धों पर भी कोहलीजी ने अपनी व्यंग्यात्मक दृष्टि से प्रहार किया है। आज पिता-पुत्र, माता-पुत्र, पति-पत्नी के सम्बन्धों में दूरियाँ बेवजह बढ़ती जा रही है।

भारतीय समाज में दहेज प्रथा अनेक कुप्रथाओं में से एक है। इस कुप्रथा का समाज में एक विकराल रूप हमारे सामने आया है। दहेज रूपी दानव के कारण ही कन्या का जन्म अशुभ माना जाता है। दहेज का लालच अनेक जातियों में समान रूप से दिखाई देता है। दहेज की केवल मांग ही नहीं होती, बल्कि उसका बाजार भाव की तरह सौदा किया जाता है। इसी कारण परिवार में लड़की को पढ़ाया नहीं जाता है, उसको पढ़ाने के स्थान पर उसकी शादी के बारे में सोचा जाता है। कोहलीजी ने अपने व्यंग्य 'बेटा-बेटी एक समान' में लिखा है - 'मैं बेटी को दसवीं तक पढ़ाऊँगा और उसकी शादी कर दूँगा। मैं हैरान, क्यों भाई! बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए तो एडी-चोटी का जोर लगा रहे हो और बेटी को केवल दसवीं तक पढ़ाओगे?'⁶ इस प्रकार बेटा-बेटी में भेदभाव किया जाता है। बेटा अपना होता है और बेटी पराई होती है। ऐसी सोच को आज बदलना होगा, और बेटा-बेटी को समान दृष्टि से देखना होगा।

कोहलीजी ने भारतीय समाज में नारी के प्रति हो रहे अन्याय, अत्याचार, तथा उसके शोषण को भी अपने व्यंग्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पुरुष प्रधान समाज होने से भारत में प्राचीन काल से ही स्त्रियों का शोषण किया जाता रहा है। नारी को केवल विलासिता, कामवासना तथा सन्तानोत्पत्ति का साधन मात्र मानता है। आधुनिक काल में शिक्षा के बढ़ते प्रसार तथा स्त्री-समानता के नारों और कानूनों के बावजूद भी स्त्रियों का अनेक रूपों में शोषण किया जाता है। साहित्यकारों ने नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों, शोषण के विरुद्ध अपने साहित्य के माध्यम से आवाज उठाई है।

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) शासकीय महाविद्यालय, कुशी (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (हिन्दी) श.भी.ना.शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़वानी (म.प्र.) भारत

नरेन्द्र कोहलीजी ने स्त्रियों पर हो रहे अत्याचारों का अपने व्यंग्य 'फाइल' में चित्रण किया है - 'नियमानुसार हमें उसे प्रसूति अवकाश देना चाहिए। वह उसका कानूनी अधिकार है, उसने हमें नियमानुसार सुविधा शुल्क क्यों नहीं दिया, वह हमारा अधिकार है। सचिव ने कहा, मैंने उसे कितना समझाया कि चुपचाप अपने वेतन का पच्चीस प्रतिशत मुझे दे दो और पुरी छुटी ले लो, किन्तु वह नहीं मानी।'⁷ इस प्रकार स्त्रियों के अधिकारों का हनन हो रहा। जिस पर कोहलीजी आक्रोश व्यक्त करते हैं।

भारत में समाजवाद लाने की घोषणाएँ समय-समय पर होती रही हैं, किन्तु आज तक वह आया नहीं है। सामाजिक विषमता और सामाजिक शोषण जैसी अनेक विकृतियाँ आज भी विद्यमान हैं। नरेन्द्र कोहलीजी ने सामाजिक विसंगतियों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर कटाक्ष किया है। समाज में एक वर्ग अत्यंत अमीर है, तो दूसरा एकदम गरीब है। एक वर्ग के पास तमाम सुख-सुविधाएँ हैं, तो दूसरे वर्ग के पास खाने तक को नहीं है। कोहलीजी ने सामाजिक विसंगतियों को बढ़ावा देने वाले उन लोगों पर भी कटाक्ष किया है, जिन पर समाज की स्वस्थ परम्पराओं को घोषित करने की जिम्मेदारी होती है। किन्तु वे ही गरीब जनता का शोषण करते नजर आ रहे हैं। जिनके पास पैसा और ताकत है, वे सर्वहारा वर्ग का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार की शोषण-वृत्ति पर कोहलीजी लिखते हैं - 'तुम्हारे पास एक सही प्लैट है। तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, किन्तु मुझे यह न मिला तो, मैं कहीं का नहीं रहूँगा।'⁸ इस प्रकार समाज में हो रहे शोषण को कोहलीजी ने अपने व्यंग्यों से उजागर किया है।

आज भारत का सामाजिक परिवेश बहुत अधिक दूषित है। पुरानी मान्यता टूट रही है और नई बन नहीं पा रही है। पुराने और नये के मध्य टकराव है, संघर्ष है। आर्थिक विषमता इस टूटन को और भी बढ़ावा दे रही है। नैतिकता को झूठला दिया गया है और चरित्रहीनता तथा व्यभिचार बढ़ रहा है। नैतिकता की आड़ में आदर्शों की दुहाई देकर घोर अनैतिक और निकृष्ट कार्य किए जा रहे हैं। ईमानदारी और सचरित्रता आज निरर्थक शब्द हो गए हैं। चारों ओर एक विचित्र सी ऊब, उदासीनता और तटस्थता का वातावरण बन गया है। ऐसी आत्मघाती और संवेदनहीनता में सोए हुए लोगों को व्यंग्यकार जगाने का काम करता है। 'सोने की हमारी संस्कृति' ऐसा मानने वाले समाज को जगाना नरेन्द्र कोहलीजी ने अपने व्यंग्य 'जगाने का अपराध' में बखूबी किया है। उन्होंने लिखा है, ' देखिए, भगतसिंह देशवासियों को जगाने के अपराध में फाँसी पर चढ़े राजगुरु, खुदीराम बोस, आजाद और इस देश के सारे शहीद देश को जगाने के अपराध में मृत्यु को प्राप्त हुए।'⁹

समाज से संवेदनाएँ समाप्त हो रही हैं और उसका स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। जैसे ही स्वार्थपूर्ति की उम्मीद खत्म होती है, वैसे ही मैत्री भंग हो जाती है, नाराजगी शुरू हो जाती है। कोहलीजी इस स्वार्थपरता पर कटाक्ष करते हुए लिखते हैं, ' ऐसे सब लोग मुझसे नाराज रहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी खातिर मैं उनके कुत्ते से अपनी टाँग कटवा लूँ, उनकी भैंस से अपनी फुलवारी उजड़वा लूँ, उनके गधे से दुलती खाकर अंतड़ियाँ तुड़वा लूँ। पर मैं आदमी हूँ, उनके साथ उनके उपयुक्त व्यवहार करना चाहता हूँ। परिणाम यह है कि कोई समझौता हो नहीं पाता और लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं।'¹⁰ पारस्परिक सौहार्द एवं भाईचारे की जगह एकमात्र स्वार्थ सक्रिय हुआ तथा सहज स्नेह, वात्सल्य, अपनत्व, ममत्व कुंठित होकर रह गए हैं।

भारतीय समाज में मध्यम वर्ग की स्थिति बहुत विचित्र बन गई है। एक और वह उच्च वर्ग की होड़ करना चाहता है, तो दूसरी ओर निम्न-मध्य वर्ग को हेय दृष्टि से देखता है। आर्थिक दबावों ने उसकी वैसे ही कमर तोड़ रखी है। कुंठा एवं बिखराव भी इसी वर्ग में सर्वाधिक है। कोहलीजी ने मध्यम वर्ग

में व्याप्त इन विसंगतियों पर 'पाथेय' व्यंग्य में चेतना को झकझोरने वाला व्यंग्य किया है। मध्यम वर्ग हर समय अलग-अलग चिंताओं से घिरा रहने के कारण उसमें कलह और लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। पड़ोसियों में भाईचारे की भावना के स्थान पर होड़ाहोड़ी चलती है। लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मध्यम वर्ग की ऐसी विडंबनापूर्ण स्थिति का चित्रण कोहलीजी ने 'मुहल्ला' नामक रचना में तीखे ढंग से प्रस्तुत किया है। उच्च वर्ग में तो नैतिक पतन, भ्रष्ट आचरण तथा व्यभिचार की पराकाष्ठा ही है। सरे-आम हाई-सोसायटी की सभ्यता का नब्ब प्रदर्शन होता है। व्यंग्यकार कोहलीजी की तीक्ष्ण दृष्टि से इस वर्ग की कुत्सित एवं विकृत स्थितियाँ भी नहीं छिप पाई हैं और उन्होंने 'दि लाइफ' रचना में इन पर भी भरपूर व्यंग्य किए हैं।

कोहलीजी आज के समाज में व्याप्त दोहरे रिवाजों, मुखौटेबाजी, अवसरवादिता, आपसी संबंधों की स्वार्थ केन्द्रिकता पर क्षोभ व्यक्त करते हैं। आत्मीय संबंधों में भी आत्मकेन्द्रियता की हालत यह है कि बड़े भाई की मौत की औपचारिक सूचना छोटा भाई सिगरेट समाप्त होने के बाद ही सुनना चाहता है, क्योंकि गोल्डप्लैक जैसी महंगी सिगरेट बिना पिए ही फेंकना वह एफोर्ड नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यक्ति आज इतना स्वार्थी व आत्मकेन्द्रीत हो गया है कि उसे रिश्तों की कद्र ही नहीं है।

आज का युवा-वर्ग भी दिग्भ्रमित है। वह परम्परागत संस्कारों के विरुद्ध साहसिक कदम उठाना तो चाहता है, पर दिशाहीनता के कारण उठा नहीं पाता। कोहलीजी ने 'आधुनिक लड़की की पीड़ा' में आधुनिकता के संबंध में नई पीढ़ी की भ्रान्त धारणा को व्यंग्य का विषय बनाया है। इसमें एक ऐसी आधुनिक लड़की का चित्रण है, जो बेल-बॉटम पहनने और बाल कटवाने जैसी दिखावे की चीजों को ही आधुनिकता का लक्षण समझती है और संस्कारों में बहुत दकियानूस है। ऐसे युवक-युवतियाँ नारी-स्वतंत्रता और फ्री-सोसायटी के नारे तो बहुत लगाते हैं, किन्तु जब ऐसी किसी स्थिति से सामना होता है, तो पीछे हट जाते हैं। हर युवक को अछूती, पाक-साफ लड़की पत्नी के रूप में चाहिए और हर लड़की विवाह करके सामाजिक सुरक्षा व प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि अंतर्मन में वे परम्परागत संस्कारों से मुक्त नहीं हैं। 'कथा पुरानी मैत्री की' में कोहलीजी ने इसी स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हुए कटाक्ष द्वारा व्यंग्यात्मक छींटाकशी की है।

समग्रतः नरेन्द्र कोहलीजी विसंगतियों पर सार्थक आक्रमण करने वाले व्यंग्यकारों में अग्रणी है। वे मानते हैं कि व्यंग्य पीड़ितों के आक्रोश को व्यक्त करने वाला अस्त्र है। उन्होंने व्यक्ति के अन्दर और बाह्य जगत की तमाम समस्याओं का आकलन किया है, जो उनके अनुभव, अध्ययन और अनुशीलन का परिणाम है। समता और न्याय के सिद्धान्त पर आधारित समाज की स्थापना के उद्देश्य से अपनी समाज सापेक्ष दृष्टि के आधार पर साधारण जनता को निश्चित दिशा दिखाने का इनका प्रयास सार्थक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 नरेन्द्र कोहली विचार और व्यंग्य- सुरेश कांत, पृष्ठ - 172
- 2 अवसर, नरेन्द्र कोहली, पृष्ठ - 162
- 3 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - एक, पृष्ठ - 125
- 4 नरेन्द्र कोहली विचार और व्यंग्य- सुरेश कांत, पृष्ठ - 141
- 5 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - एक, पृष्ठ - 311
- 6 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - एक, पृष्ठ - 893
- 7 फाइल में - पृष्ठ - 201
- 8 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - तीन, पृष्ठ - 727
- 9 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - तीन, पृष्ठ - 104
- 10 नरेन्द्र कोहली, समग्र व्यंग्य भाग - एक, पृष्ठ - 356

मुनि क्षमासागर का काव्य चिन्तन

डॉ. नीलम जैन *

शोध सारांश - आदमी के भीतर जिन भावनाओं व विचारों का समुन्द्र लहराता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति बाह्य तरंगों से अपना नाता जोड़ता है। व्यक्ति की आन्तरिक जीवन धारा व बाह्य जीवन शैली साहित्य में अभिव्यक्ति पाती है। किसी भी साहित्यकार के साहित्य को समझने के लिए उसके व समाज के बाहरी आन्तरिक दोनों रंगों को समझना जरूरी होता है।

हमारे देश का प्राचीन साहित्य ऐसे ऋषि मुनियों द्वारा रचा गया जो सच्चे ज्ञान व प्रकृति के रहस्यों को समझने के लिए हमेशा उतावले रहते थे। उनका चिन्तन उच्च कोटि का व वैज्ञानिक होता था। जिसमें 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना रहती थी। उन्होंने संसार के सभी प्राणियों के सुख की कल्पना भरा साहित्य रचा जो स्वान्तः सुखाय भले ही होता था पर उसमें लोकमंगल की भावना निहित होती थी। आज भी ऐसे साहित्य का सृजन हो रहा है जिसमें पूरी आत्मीयता संजोकर आदमी की बेहतर जिन्दगी की तलाश है। जो पूरी पृथ्वी पर कविता के प्रति हमें विश्वास दिलाता है। मुनि क्षमासागर ऐसे ही रचनाकार हैं, जिनकी काव्य कला का मुख्य ध्येय बेहतर जिन्दगी की तलाश है।

शब्द कुंजी - मुनि क्षमासागर का काव्य चिन्तन ।

प्रस्तावना - कवि मुनि क्षमासागर ने अपने चिन्तन से यही सार निकाला कि मनुष्य को जीवन रहते पूरी जिन्दगिदिली के साथ जीना चाहिए। जीवन को बोझ समझकर नहीं अपने कर्तव्यों व अधिकारों का पूरा निर्वहन करते हुए जीना चाहिए। कवि 'मरने से पहले हर दिन' कविता से यही जाहिर करना चाहते हैं कि मरने से पहले हर दिन आदमी को अपने को क्रियाशील रखते हुए पूरी तरह जीना चाहिए। क्योंकि -

जीने का कोई एक दिन/तय नहीं होता/मरने की तरह,

इसलिए मैं/मरने से पहले/हर दिन/पूरी तरह/जीना चाहूँगा।'

ताकि मरते समय कोई पछतावा न रहे कि अपने जीवन में यह नहीं कर पाया वह नहीं कर पाया, हम सुकुन से मर पाए। मृत्यु तो जीवन की छाया है-

जीवन जितना/जाता दूर/पास उतनी ही

ये आती है/मानो छाया है/ये जीवन की।'

मृत्यु तो जन्म के साथ ही जुड़ी हुई होती है, इसे टालने की किसी में भी शक्ति नहीं। यह कर्म प्रकृति का अटूट नियम है, कर्मबन्ध से आत्मा देह धारण करती है और देह धारण करने पर मृत्यु होती ही है। कर्मबन्ध से मुक्त आत्मा को जन्म नहीं लेना पड़ता इसलिए कवि इस कर्मबन्ध से मुक्ति के लिए ही प्रोत्साहित करते हैं।

कवि मृत्यु पर चिन्तन करते हुए भी हमें भौतिक संसार से विरक्त नहीं करता वह इस संसार की सच्चाई को दिखाकर आत्म विश्लेषण करने पर जोर देते हैं। मनुष्य दूसरों के क्रियाकलापों को देख उन पर तो टीका-टिप्पणी कर देता है पर स्वयं की क्रियाओं पर दृष्टिपात नहीं करता न कोई टिप्पणी।

वाह रे हम,/अपनी प्यास/अपने लालच/और अपने दीवानेपन पर हमें अपने से/कुछ भी नहीं कहना।'

कवि मुनि क्षमासागर की कविताएँ अहं के विसर्जन का आभास कराती हैं। उनकी 'साधना', 'आग', 'निःशेष', 'रेत पर पैरों की छाया', 'काँधेय आदि उनके उस चिन्तन को व्यक्त करती हैं कि अहं का विसर्जन करने पर

ही हम अपनी छवि दुरुस्त कर सकते हैं। शत्रु ही हमारी छवि नहीं बिगाड़ते, वास्तव में

अहं की रेत पर/बनी हमारी छाप/मिट जाती है/अपने आप।'

अहं को तिलांजलि देकर ही हम अपने आत्म स्वरूप को पा सकते हैं।

जीवन को अहंकार रहित जीने का संदेश देते हैं। क्योंकि अहंकार आदमियों के बीच विभाज्य रेखा खींचता है। अहंकार के कारण ही धर्म के नाम पर विभिन्न सम्प्रदायों में विकृति आ गई है। हमारे रिश्तों के बीच मन-मुटाव, हिन्दू-मुस्लिम का झगड़ा सब अहंकार की देन है। इसलिए अहंकार को विसर्जित कर अपनी आत्मा के प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त करने की सिफारिश करते हैं। अपने को खोकर ही अपने को पाया जा सकता है। 'नदी आई है', 'गन्तव्य', 'पहला कदम' आदि कविताएँ कवि के इसी चिन्तन को व्यक्त करती हैं। नदी सागर की ओर जा रही है अर्थात् अपने को मिटाने की ओर बढ़ रही है।

पर नदी अपने को खोकर/मुझे पा लेती है/वह स्वयं सागर हो जाती है/सचमुच, हम अपने को खोकर, अपने को ही/पा लेते हैं।'

कवि भी अपने आत्म तत्व को पाने के लिए मन की सारी गाठों, ग्रंथियों, पूर्वाग्रहों को विसर्जित कर अपने को निकट से देखना चाहते हैं।

सारे आवरण/टूट कर गिर गए हैं,/अंतस के तमाम अवगुंठन/खुल गए हैं,/सच्चाई जो भी हो मैंने सिर्फ/अपने को/निकट से/देखना चाहा है।'

मनुष्य को उदात्तता पाने के लिए कहीं नहीं जाना अपने आप तक आने की पैरवी करते हैं। 'ब्रह्मज्ञान' कविता उनके इसी चिन्तन को व्यक्त करती है कि ईश्वर को पाने उससे साक्षात्कार करने का मतलब ही है अपने में ही लीन होना और अपने को पा लेना, सबसे मुक्त होकर अपने में खो जाना -

यही है/ब्रह्मज्ञान/जीवन की/सुनहरी सुबह

मृत्यु पर विजय/अब मृत्यु के झोंके/नहीं आएँगे

जीवन का/अमृतमय हो जाना/यही है।

मुनि क्षमासागर का कविता संसार का लक्ष्य मानव मात्र में समता, एकता की स्थापना करना है। कवि ने जब अपने चारों ओर अमीरी-गरीबी का वर्ग भेद, धर्म, जाति के नाम पर मानव-मानव में भेद के कारण दुख का प्रसार समाज में देखा तो वे मानव पीड़ा को दूर करने, उनमें संतोष का प्रसार करने मनोयोग से लग गए। चिड़िया के माध्यम से बताते हैं कि उसके पास दुकान नहीं, जेब नहीं जिसमें वह बहुत रुपये रखे यानि चिड़िया परिग्रह करना नहीं जानती जितना है, उतने में संतोष रखती है। जीने की प्रेरणा देने वाले ऋषि बताते हैं जिसके पास निस्पृहता होती है उसके पास कुछ न होने पर भी सुकुन रहता है -

उसके पास है/निस्पृहता,/कुछ नहीं होते/

हुए भी/सब कुछ/जीवन का सुकून।

कवि का चिन्तन यही कहता है कि भौतिकवादी अन्धी दौड़ में फँसकर हमें अपने जीवन की शान्ति को भंग नहीं करना चाहिए। अपनी सम्पत्ति का गुरुर प्रदर्शन व मान-प्रतिष्ठा की लालसा भी नहीं करनी चाहिए। आज लोग अपने बच्चों की तुलना तक दूसरों के बच्चों की ऊँचाई-लम्बाई, रंग से करते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं का बोझ उन पर लादते हैं। कवि ऐसी तुलना व अपनी सम्पत्ति के प्रदर्शन के खिलाफ है, इसलिए वह अपनी संदेशवाहक के माध्यम से कह देते हैं कि-

चिड़िया/नहीं करती/किसी से तुलना/कि उसका बेटा/

दूसरी चिड़िया के बेटे से/कितने पौंड ज्यादा है।

आदमी को यह देखना चाहिए कि बच्चे में उसकी उम्र के हिसाब से विचारों में कितनी परिपक्वता आ रही है, वह समाज में कितना क्रियाशील व व्यवहारिक बन रहा है उसकी बौद्धिक-शारीरिक क्षमता का संतुलित विकास हो रहा है या नहीं। प्रदर्शन, मान-प्रतिष्ठा लालसा आदि के कारण आदमी बाह्य रहन-सहन तो दुरुस्त कर लेता है पर उसका आन्तरिक उत्थान नहीं हो पाता। मुनि क्षमासागर अपने प्राकृतिक निधि को बरकरार रखने को प्रोत्साहित करने वाले रचनाकार हैं। उन्हें चिन्ता है कि हम पश्चिमी देशों से इतने अधिक प्रभावित हो गए हैं कि अपने सत्य व प्रकाश से दूर हो गए हैं। हम अपनी निजी पहचान खो रहे हैं पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव में आकर

अपनी धरोहर, हमारी भाषा, बोली, भोलापन, संवेदना पर आक्रमण कर रहे हैं। अपनी 'नई शिक्षा' रचना द्वारा वे इसी चिन्ता को व्यक्त करते हैं कि जब जंगल में नई शिक्षा के प्रचार प्रसार का शोर हुआ तो चिड़िया ने पानी में तैरने की कोशिश की, मछली ने पेड़ों पर चढ़ने की और कोयल ने मोर जैसे रंग-बिरंगे पंख देखकर वैसा बनने की कोशिश की किन्तु जब परीक्षा हुई तो -

चिड़िया डूबते-डूबते बची,/मछली तड़प-तड़पकर

मरणासन्न हो गई।/कोयल भदरंग दिखने लगी।

सब अपनी-अपनी निधि/खो बैठे।/अपनी प्रकृति खोकर

कोई कहीं का नहीं रहता।

कवि का चिन्तन हमें अपने प्राकृतिक रूप में रहने के लिए प्रेरित करता है। मानव जीवन व प्रकृति सौन्दर्य दोनों कवि की लेखनी के आधार हैं। नदी, पहाड़, सागर, पेड़, पक्षी, सूरज, आकाश सब उनकी कविताओं में प्रतिध्वनित होते हैं।

जीवन/आकाश सा हो/तो विस्तार/असीम है/जीवन

वृक्ष सा हो/तो छाया/सघन है/जीवन

सूरज सा हो/तो रोशनी/हरदम है।¹⁰

प्रकृति के प्रति आत्मीय भाव को अपने काव्य शिल्प में ढालने का सशक्त प्रयास है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मुनि क्षमासागर की कविताएँ, पृष्ठ 53
2. 'पगडंडी सूरज तक', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 65
3. 'अपना घर', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 63
4. मुनि क्षमासागर की कविताएँ, पृष्ठ 23
5. मुनि क्षमासागर की कविताएँ, पृष्ठ 74
6. वही, पृष्ठ 75
7. 'मैं तुम्हारा हूँ', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 60।
8. 'मैं तुम्हारा हूँ', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 61
9. 'मैं तुम्हारा हूँ', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 62
10. 'अपना घर', मुनि क्षमासागर, पृष्ठ 23

अरुण कमल की प्रगतिशील कविताएँ

डॉ. संध्या दुबे *

प्रस्तावना - अरुण कमल की रचनाएँ हमें जन-जीवन की समस्याओं और विकासशील देशों की चिन्ताओं के बारे में आकृष्ट करती हैं। इनकी रचनाएँ श्रमशील जिन्दगी का इजहार करती हैं। कवि जातीय दंगों, साम्प्रदायिकता, भाषावाद या प्रान्तीयता के खिलाफ है और उस व्यवस्था के भी जिसमें 'एक टुकड़ा रोटी और लाखों भुखंड' लाशों में तब्दील हो रहे हैं।

मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय स्थिति की बारीक पकड़ अरुण कमल की कविताओं की उल्लेखनीय विशेषता है। कवि अनदेखी शहादत के प्रति अथवा जनसामान्य या निम्नवर्गीय यातनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। होटल का लड़का (नौकर) एक सुडौल हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक भी थाली में प्राप्त नहीं कर पाता और स्वादिष्ट भोजन की थालियाँ परोसता है तमाम ग्राहकों को।

'जैसे ही कोर उठाया / हाथ रुक गया।

सामने किवाड़ से लगकर / रो रहा था वह लड़का

जिसने मेरे सामने / रखी थी थाली।'

शौहर से जुदा हुई कपड़े सीती औरत की विवशता और घुटन हो या घर से बाहर भाई की चिन्ता अथवा राजनीतिक धिनौना परिपेक्ष्य, कवि की नजरों से पुलिस की गोली, लाशें, मुआवजा और अपराधों को दूसरों के सिर मढ़ना ओझल नहीं हुआ है। समय, त्रासदी और मनुष्य की असहायता, साम्राज्यवाद की साजिश और निरीह इंसानों का सब कुछ स्वाहा होते देख अरुण कमल चिंतित है और कविता के माध्यम से अपने समय को बखूबी अभिव्यक्ति दे रहे हैं।

हर नदी का घाट शमशान / बगीचा

कब्रिस्तान / बन रहा है / और हम इक्कीसवीं

शताब्दी की ओर जा रहे हैं

पहली बार गर्भ धरती युवतियों के गर्भ गिर रहे हैं।

माताएँ मेरे बच्चों को जन्म दे रही हैं और

हिजड़े चौराहों पर थपोड़ी बजाते / सोहर गा रहे हैं।

मेहनतकश इन्सानों के हाथों खुशबू रचने की बात गंदी बस्ती के बीच की जिन्दगी को ही संकेतिक नहीं करत बल्कि हमारी सर्जना और हमारे भीतर के रचाव का संकेत भी देती है।

'यहीं इस गली में बनती है

मुल्क की मशहूर अगरबतियाँ

इन्हीं गन्दे मुहल्लों के गन्दे लोग

बनाते हैं केवड़ा, खस और रातरानी अगरबतियाँ

दुनिया की सारी खुशबू

रचते रहते हैं हाथ

खुशबू रचते हैं हाथ'²

राष्ट्रीय - अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में भी अरुण कमल की रचनाएँ हमें जन-जीवन की समस्याओं और विकासशील देशों की चिन्ताओं के बारे में आकृष्ट करती हैं क्योंकि उसकी नजर 'चाक पर रखी हुई ढलती हुई धरती' को देखती है। दैनिक जिन्दगी के यथा तथ्य चित्रण के साथ अन्तर्राष्ट्रीय भावभूमि पर वियतनाम और कम्बोडिया के बारे में संजीदा सोच कवि के विस्तृत आधार फलक का वैविध्य भरा संकेत देता है। यहाँ शोषण के खिलाफ प्रगतिशील चेतना का साम्य भरा इजहार गौरतलब है। कवि की संघर्षशील चेतना आस्था एवं बुलंदी के साथ कह उठती है -

'देर सारे छोटे दृश्यों को देखने से अच्छा है

बस एक ही बार देखना सौन्दर्य का विपुल पुंज

ग्रहण के बावजूद सूर्य ही रहा सूर्य

ग्रहण के बावजूद सूर्य ही होता है सूर्य।'

शोषण की सामंती पूँजीवादी प्रक्रिया के खिलाफ और सत्ता-व्यवस्था की अमानवीयता के विरोध में एकजुट होकर साहसिकता का त्वरित अभियान अरुण कमल के काव्य की विशिष्ट पहचान है -

'कल खाली थी बन्दूकें

आज उनमें गोलियाँ भरी हैं

कल फिर से खाली हो सकती हैं

कल क्यों ? आज क्यों नहीं ?'²

सामंती परिवेश, पूँजीवादी कुचक्र, नारी उत्पीड़न और तानाशाही क्रूरता देखकर अरुण कमल आदमी की चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि ये यातनाएँ व्यक्तिगत नहीं वरन् सामाजिक हैं। यातना के विरोध में खड़ा होना हम सबका दायित्व है। कवि की तार्किकता यह सिद्ध करती है कि गर्भ में बन्द बच्चा भी सबकी नजरों में प्रत्यक्ष है तब गोपनीय और गुप्त क्या है ? अतः कवि की रचनाएँ संघर्ष में शरीक होने का आह्वान करती है - मानवीय संवेदना आधार पर। यह जन - जागृति का प्रयास है, सामाजिक भूमिका पर साहसिकता का उद्घोष है और मनुष्य की चुप्पी पर सवालिया निशान भी -

'कैसा समय है कि छुट्टा साँड

गाँवों की नींद में सींग मार रहा है

और कोई बोल नहीं सकता

जहाँ कहीं दुःख में है आदमी

जहाँ कहीं मुक्ति के लिए लड़ता है आदमी

वहाँ कुछ भी नहीं है निजी

कुछ भी नहीं है गुप्त

फिर भी तुम चुप क्यों हो ?'¹

अरुण कमल की कविताएँ 'प्रायवेत बंदूकों में सरकारी गोली' का खुला बयान करती हैं। चाहे जमींदार के गुण्डे हों या फाग खेलती हत्यारों की टोली, सभी धधकते इलाकों के प्रति कवि की संवेदनशीलता कविता का आकार पाती है। उसे 'प्रजातंत्र के महामहोत्सव' में हत्या की साजिशों को बेनकाब करना है। चाहे हरी दूब पर भी शक करने वाले जासूसी कुत्ते हों या घोड़ों के दल सहित पुलिस वाले, कवि दौत गड़ाने वाले इन व्याकुल कुत्तों को नहीं बखशाता। हिन्दी की प्रगतिशील कविता के अरुण कमल जैसे नये कवियों से बहुत सम्बल मिलता है और वह भी इस खूबसूरती के साथ कि प्रचारात्मकता की कहीं गंध नहीं। उनकी कविताएँ साक्ष्य या गवाह है, जो समकालीन जिन्दगी के वैविध्य को उकेरती हैं। उनके पास सामाजिक - राजनैतिक कुछ ऐसे ठोस 'सबूत' हैं जो कठघरे में खड़े मुजरिम के हलफनामे को झूठ साबित करने में समर्थ हैं। यहाँ व्यक्ति और समाज एक रूप हैं और ये कविताएँ अपनी अर्थवत्ता में जीवन के रेशे को जो ताना-बना देती हैं वह स्मरणीय हैं। कवि कुमार अम्बुज की 'क्रूरता' शीर्षक कविता का याद हो जाना स्वाभाविक है - तब आएगी क्रूरता

पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दीखेगी

फिर घटित होगी धर्मग्रन्थों की व्याख्या में

फिर इतिहास में और भविष्यवाणियों में

फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी

वह संस्कृति की तरह आएगी उसका कोई विरोधी न होगा।

कोषिष सिर्फ यह होगी किस तरह वह अधिक सभ्य

और अधिक ऐतिहासिक हो,

यही ज्यादा संभव है कि वह आए

और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना। (आ० लो० ०२ - अप्रैल - जून) वस्तुतः इस क्रूरता भरे माहौल में भी हमारी साझा संस्कृति अपनी पहचान बनाए हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में कुँवरनारायण के नए संग्रह 'इन दिनों' की कविताएँ गवाह हैं जो कि हमारे समाज की सांझे सांस्कृतिक मूल्यों की वकालत करती हैं और एक नई संवेदना को जन्म देती हैं।

एक अजीब सी मुश्किल 'में हूँ इन दिनों/ मेरी भरपुर नफरत कर सकने

की ताकत, दिनों दिन क्षीण पड़ती जा रही है/ अंग्रेजों से नफरत करना चाहता, जिन्होंने दो सदी हम पर राज किया/ तो शेक्सपीयर आड़े आ जाते,जिनके मुझ पर न जाने कितने अहसान हैं,

मुस्लमानों से नफरत करने चलता/ तो सामने गालिब आकर खड़े हो जाते, अब आप ही बताए किसी की कुछ चलती है/ उनके सामने ?

वस्तुतः आज अहिंसा, करुणा, दया धैर्य, सहिष्णुता, परोपकार, उदारता आदि मानवीय मूल्यों के स्थान पर हिंसा, विष्टुता, आक्रामता, लुट - खसोट, झूठ - फरेब आदि जैसे अमानवीय मूल्यों की वृद्धि हो रही है। वर्तमान सदी में मनुष्य भय और अविश्वास के माहौल में सांस ले रहा है। इस दौर के युवा कवि एकान्त श्रीवास्तव अपनी 'समुद्र पीछे खिसक रहा है' और 'डर' कविता में लिखते हैं -

जैसे दिनों - दिन कम होता है/ पूर्णिमा के बाद चांद

कम होती जा रही है उम्मीदें/ आदमी पर आदमी का भरोसा

कम होती जा रही है

मृत्यु से प्रायः सब डरते हैं/ मगर यहाँ तो जीने की दहशत है,

कदम - कदम पर

2000, पृष्ठ - 90)

इक्कीसवी सदी की कविता रोजमर्रा के जीवन एवं चिंतन की संवेदनाओं से जुड़ी। वस्तुतः इसकी शुरुआत बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के पुरानी एवं नई पीढ़ी के कवियों द्वारा हो चुकी थी। आ.लो. के जुला. - सित. - ०१ में हरीशचन्द्र पांडे की 'कुतरे गए फल' 'ले देकर एक' 'हथियाई गई जमीन य 'इधर मैंने उठाई है' 'खिलौनेय 'कांब निकाला' 'बचा लो इसेय 'जंगल में रास्ता' 'कर्ज' सपना और 'सुअर का बच्चा' आदि कविताएँ

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अरुण कमल 'सबूत' वाणी प्रकाशक, नई दिल्ली।
2. अरुण कमल 'अपनी केवल धार' वाणी प्रकाशक, नई दिल्ली।
3. अरुण कमल 'नये इलाके' वाणी प्रकाशक, नई दिल्ली।
4. वसुधा कमलाप्रसाद निराला नगर, भद्रभद्रा रोड़, भोपाल।
5. हिन्दी अनुशीलन - भारतीय हिन्दी परिषद्, इलाहाबाद।

आदिवासी साहित्य में नारी विमर्श

डॉ. अमित शुक्ल *

शोध सारांश - आदिवासी हिन्दी उपन्यासों में नारी व नारी लेखन के दृष्टिगत लेखिकाओं व उपन्यासों की संख्या भी अत्यधिक है। सन् 1982 में हिमांशु जोशी का सु-राज, सन् 2000 में मैत्रीय पुष्पा का अल्मा कबूतरी और सन् 2010 में प्रकाशित सतीश दुबे का डेरा बस्ती का सफरनामा इन उपन्यासों में लेखकों ने अपनी खोजी दृष्टि से प्रकाश डालते हुए अपनी सहानुभूतिपरक दृष्टि से आदिवासी नारी की अस्मिता और उसकी विवशता को रेखांकित किया है। हिन्दी उपन्यासों में पुरुष व नारी पात्र दोनों के जीवन संघर्ष, नारी जीवन की पीड़ा, उनकी विवशता विषमता, असमर्थता, उदारता, महानता की भवनाओं आदि को बखूबी अपने उपन्यासों में उतारा है। वर्तमान समय में आदिवासी हिन्दी उपन्यास साहित्य ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आदिवासी जीवन को केन्द्र पर रख कर उनकी लोक संस्कृति, धर्म, दर्शन, आदि का चिन्तन करने में निश्चित ही आज के हिन्दी आदिवासी उपन्यासकार सफल हुए हैं।¹

शब्द कुंजी-आदिवासी, नारी, उपन्यासों, हिन्दी साहित्य, मुख्यधारा, समाज, संस्कृति, पहचान।

प्रस्तावना - आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ है, प्राचीनकाल का वासी या प्रथम निवासी। देखा जाए तो पौराणिक कथाओं में, महाकाव्यों में ऐसे अनेक मानव समुदायों का उल्लेख दृष्टिगत होता है जो भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व विद्यमान रहे, जिन्हें असुर, दस्यु, निशाद, किरात, राक्षस आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया। इण्डोनेशिया में इन्हें भूमिपुत्र, अफ्रीका व अमेरिका में प्रीमिटिव अर्थात् प्राचीनतम रूप और आस्ट्रेलिया में अनक्षर जनजाति कहा गया। आदिवासी शब्द एक छत्रनुमा पद है जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की जाति एवं समूह वाले ट्राइबल को रखा गया है जो कि भारत के मूलनिवासी होने का दावा करते हैं। आदिवासी हिन्दी साहित्य देश, समाज और विश्व को आदिवासी संवेद, उनके सुख, दुख, उनकी मुश्किलें, उनके मजबूत पक्षों की जानकारी तो देता ही है साथ ही उनकी संस्कृति के मजबूत तत्वों को मनुष्य में ग्रहण करने व आधुनिक जीवन को उत्कृष्ट बनाने की शक्ति भी प्रदान करता है। हिन्दी उपन्यासों में पुरुष व नारी पात्र दोनों के जीवन संघर्ष, नारी जीवन की पीड़ा, उनकी विवशता विषमता, असमर्थता, उदारता, महानता की भवनाओं आदि को बखूबी अपने उपन्यासों में उतारा है। वर्तमान समय में आदिवासी हिन्दी उपन्यास साहित्य ने अपनी एक अलग पहचान बना ली।²

आदिवासी हिन्दी उपन्यासों में नारी व नारी लेखन के दृष्टिगत लेखिकाओं व उपन्यासों की संख्या भी अत्यधिक है। सन् 1982 में हिमांशु जोशी का सु-राज, सन् 2000 में मैत्रीय पुष्पा का अल्मा कबूतरी और सन् 2010 में प्रकाशित सतीश दुबे का डेरा बस्ती का सफरनामा इन उपन्यासों में लेखकों ने अपनी खोजी दृष्टि से प्रकाश डालते हुए अपनी सहानुभूतिपरक दृष्टि से आदिवासी नारी की अस्मिता और उसकी विवशता को रेखांकित किया है। हिमांशु जोशी का सु-राज उपन्यास में सूरज, अंधेरा, कांछा ये तीन लघु उपन्यासिकाएं संकलित हैं। सु-राज में कुमाऊँ का पर्वतीय अंचल है। अंधेरा और मे हिमालय की तराई में रहने वाले आदिवासी थारू हैं। शताब्दियों से जिनका शोषण होता आ रहा है। शोषण के विरुद्ध इसमें भी एक सशक्त स्वर है। सुराज उपन्यास शोषित वर्ग एवं थारू जाति का ऐसा दस्तावेज है जो प्रायः सभी आदिवासी क्षेत्रों को प्रतिबिंबित करता है। जमींदार और पुलिस द्वारा किया जाने वाला नारी शोषण इसके केन्द्र में है। आदिवासी नारी अपनी घर, गृहस्थी और दाम्पत्य जीवन यापन करती है।

पर ये नारी बाहरी शक्तियों की शिकार होती है। काम वाले आदिवासियों को भगाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। गांव की भोली - भाली आदिवासी लड़कियां इनकी वासना का शिकार बन जाती हैं। धरमू प्रधान का बेटा झब्रू शंखी को मेला दिखाने का बहाना बनाकर जबरदस्ती शहर ले जाता है और उसकी जिन्दगी उजाड़ देता है। शरीर पर नाम मात्र कपड़े लटकाये शंखी रोती हुई गांव पहुंचती है, और अपनी व्यथा कथा बताती है। डॉ. विनायक का यह कथन उचित ही है उनका यह कहना है कि- आदिवासी समाज दुखी और सताया हुआ है। अनेक व्याधियों से जर्जर है। नारी अन्याय और अत्याचार से पीड़ित है व शोषण से खोखला हो चुका है। इसी प्रकार उपन्यास में चंदरिया, कंचनिया और जामिया इन आदिवासी नारियों के साथ भी बलात्कार होता है और पुलिस उनके साथ तहकीकात के नाम पर अमानुशीय व्यवहार करते हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। भोले आदिवासी विवश होकर उसे सहते रहते हैं। पुलिस न्याय तो नहीं करती लेकिन जमींदारों के साथ मिलकर उन पर अन्याय अवश्य करती है। इस प्रकार हिमांशु जोशी ने सुराज उपन्यास में आदिवासी नारी की विवशता का अत्यंत सजीव चित्रण प्रस्तुत कर सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैत्रीय पुष्पा ने भी अल्मा कबूतरी उपन्यास में बुन्देलखंड क्षेत्र में रहने वाली कबूतरा आदिवासी जाति के जीवन यथार्थ के साथ आदिवासी नारी की अस्मिता और विवशता का चित्रण किया है। मैत्रीय पुष्पा ने अपमान, विवशता और पीड़ा से **लबालब उनकी जिंदगी को जीवंत पात्रों के अदभुत कथा संसार में बदल दिया है। जीविकोपार्जन** कोई सम्मानजनक साधन न उपलब्ध होने से इनके पुरुष अपराध कर्म और नारियां देह व्यापार के लिए विवश होती हैं। उपन्यास में कदमबाई जो कबूतरा जनजाति की है, का विवाह मडोराखुर्द के जंगलिया नामक युवक से होता है। वह अपने कारनामों के लिए आस-पास के इलाके में मशहूर है। कबूतरा जनजाति के लोग जमींदार मंशाराम की मेहरबानी से उन्ही की जमीन पर बसे हैं। रोटी, कपड़ा, और मकान के लोभ में जंगलिया मंशाराम का गुलाम बनकर उसके इशारे पर काम करता है। इधर कदमबाई के सौंदर्य से घायल मंशाराम षडयंत्र रचता है। कदमबाई अपने फरार पति जंगलिया से मिलने के लिए फसल भरे खेत में आती है। लेकिन मदहोशी में मंशाराम उसके साथ संभोग करता है। सच्चाई को जानने वाली कदमबाई मंशाराम से घृणा करते हुए भी उसके गर्भ से खिलवाड़ नहीं करती। जंगलिया थाने के ठीक उसी

समय मारा जाता है। कदमबाई एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम राणा रखा जा है। अल्मा राम सिंह कबूतरा की इकलौती बेटी है। अल्मा की तेरह चौदह वर्ष की उम्र में उसके जीवन में राणा नामक नौजवान का प्रवेश होता है। अल्मा प्रेमिका के रूप में भी दिखाई देती है। राणा का साथ उसे मन से नजदीक लाता है। दोनों के मन में विकसित प्रेम उन्हें इतना पास लाता है कि अल्मा राणा पर एक पत्नी के समान अधिकार जताने लगती है। उसकी यही अधिकार की भावना सभी बंधनों को तोड़कर शारीरिक संबंधों तक पहुंचाती है। अल्मा गर्भवती होती है पर आगे भयावह हादसे से उसे गर्भपात का शिकार होना पड़ता है। अल्मा और राणा का प्रेम आगे जाकर सिर्फ एक यादगार ही बनकर रह जाता है।⁴ रामसिंह के संदिग्ध व्यवहार को देखकर गलतफहमी का शिकार राणा अल्मा को बीच रास्ते में छोड़कर अनन्ने कबीले पर भाग जाता है। राणा को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। पिता राम सिंह द्वारा लिये गये कर्ज को उतारने के लिए अल्मा को गिरवी रखा जाता है। पिता का कर्ज उतारने के लिए वह आगे सूरजभान को बेची जाती है। सूरजभान उसके देह का उपयोग कर बड़े लोगों को खुश करना चाहता है। अपने साथ घटित अत्याचार अल्मा को स्वीकार नहीं है। इसके विरोध को दबाने के लिए उसे कमरे में कैद करके रखा जाता है। सूरजभान, कबूतरा समाज की औरतों का उपयोग किया जाता है। यह अहसास दिलाने के लिए उसकी बांह पर अल्मा कबूतरी गुदवाता है, जिसे देखकर वह हर बात को नियति समझकर झेल सके। अल्मा का सौंदर्य ही उसका दुश्मन बनकर उसे पैसे का साधन अना देता है। सूरजभान की कैद में अल्मा बलात्कार की शिकार होती है। अल्मा पर दिन प्रतिदिन होने वाले अत्याचार उसे परिस्थिति से समझौता करना सिखाते हैं। वह कमजोर भावनाओं से खेल करने लगी। हंसी, मुस्कान, प्यार, विश्वास, जैसी चीजें। श्रीराम शास्त्री से संबंध और उनकी हत्या फिर अल्मा का राजनीति में प्रवेश और फिर उसका सत्ता प्राप्त करना। इस प्रकार अल्मा परिस्थितियों से समझौता करते हुए मौके का फायदा उठाकर एक-एक सीढ़ी के माध्यम से सत्ता प्राप्ति का रास्ता बना लेती है। इस प्रकार नारी जीवन पर आधारित मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास अल्मा आदिवासी जाति के जीवन यथार्थ का जीता जागता दस्तावेज प्रस्तुत करता है।⁵

नारी जीवन पर आधारित सतीष दुबे जी का हिन्दी आदिवासी उपन्यास डेराबस्ती का सफरनामा यह उपन्यास शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित बांछड़ा समाज मध्यप्रदेश के उत्तर- पश्चिम मालवा क्षेत्र के अगभग 100 किलोमीटर भू- भाग में निवास करने वालों पर लिखा गया है। इससे पहले भी सतीष दुबे ने भील आदिवासियों पर केन्द्रित उपन्यास कुराटी सहित साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी रचनात्मक प्रतिभा का साक्ष्य प्रस्तुत कर चुका है। इस उपन्यास की आत्मकथा में दुबे जी ने स्पष्ट किया है कि उपन्यास को प्रामाणिक दस्तावेज बनाने के लिए मैंने लेखन से पूर्व बांछड़ा समाज में प्रचलित रीति- रिवाजों उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलू का विशद अध्ययन किया दथा साक्ष्य एकत्रित किए। उसके आद ही उपन्यास यह आकार ग्रहण कर सका। कथानक में इन्सेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग आधार बनाते हुए प्रभावित स्थान पर पहुंचकर तथ्यों की खोजबीन, विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए तथाकथित सभ्य समाज की दृष्टि में बदनाम और समाज विरोधी प्रवृत्तियों में संलग्न रहकर जीवन यापन कर रहे एक विशेष भ्रूखंट में बिखरे लोगों की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास इस उपन्यास में किया है। बांछड़ा समाज की अजीबोगरीब जिन्दगी और उसमें व्याप्त कुप्रथा रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। सामाजिक व्यवस्था में

व्याप्त अभिशाप को भोगते हुए यहां की महिलाएं कुरीतियों से से उपजी प्रथा के अनुसार देह व्यवहार को करने के लिए बाध्य होती हैं। इस प्रकार सतीश जी का यह उपन्यास इस समाज में हो रहे नारी दैहिक शोषण का दस्तावेज है। बांछड़ा समाज में नारी का दैहिक शोषण खुले आम प्रथा की आड़ में किया जा रहा है। देह व्यापार की मजबूरी के इस मुद्दे को किसी एक जाति विशेष से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। यह नारी की अस्मिता व जीवन मूल्यों से जुड़ा प्रश्न है। इस प्रकार सतीश दुबे जी का डेराबस्ती का सफरनामा उपन्यास बांछड़ा समाज में प्रचलित नारी देह व्यापार के कारणों एवं उसके प्रारंभ पर अपनी खोजी दृष्टि से प्रकाश डालते हुए अपनी सहानुभूतिपरक दृष्टि से नारी की अस्मिता और उसकी विवशता को रेखांकित करते हैं। इस प्रकार नारी जीवन पर आधारित हिन्दी आदिवासी उपन्यासों की श्रृंखला अनेक उपन्यास लिखे गये पर लोकप्रियता की शिखर पर जिन उपन्यासों ने सफलता पायी उनमें सुराज, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास अल्मा कबूतरी आदिवासी जाति के जीवन यथार्थ का जीता जागता दस्तावेज प्रस्तुत करता है। इसके अलावा सतीश दुबे का डेरा बस्ती का सफरनामा आदि उपन्यासों में नारी की अस्मिता और उसकी विवशता को रेखांकित करता है।

निष्कर्ष यह है कि आदिवासी साहित्य आदिवासियों के जीवन, समाज और संस्कृति को हाशिये से मुख्यधारा में लाने का सर्वोत्तम प्रयास है। वह अतीत के गर्भ से तिनके बटोरकर अपने इतिहास की नींव रख रहा है। आदिवासियों द्वारा किए जा रहे संघर्ष का बेबाक चित्रण आज के हिन्दी उपन्यासों में देखा जा सकता है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज की संस्कृति, रहन, सहन, उनके गीत, दन्तकथाओं, लोककथाओं आदि को ग्रहण कर रहा है। आदिवासी समाज की चिंताओं से संवाद कराने के लिए आदिवासी साहित्य एक सशक्त माध्यम बन चुका है। आदिवासी साहित्य से जुड़े विषयों पर अत्यधिक संख्या में शोध कार्य हो रहे हैं। अनेक पत्र- पत्रिकाएं निकल रही हैं। हिन्दी साहित्य लेखक अपनी कृतियों के माध्यम से आदिवासियों की समस्याओं, संघर्ष आदि का चिन्तन मनन कर अपने हिन्दी उपन्यासों में व्यक्त कर रहे हैं। हिन्दी उपन्यासों में पुरुष व नारी पात्र दोनों के जीवन संघर्ष, नारी जीवन की पीड़ा, उनकी विवशता विषमता, असमर्थता, उदारता, महानता की भवनाओं आदि को बखूबी अपने उपन्यासों में उतारा है। वर्तमान समय में आदिवासी हिन्दी उपन्यास साहित्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाली है। आदिवासी जीवन को केन्द्र पर रख कर उनकी लोक संस्कृति, धर्म, दर्शन, आदि का चिन्तन करने में निश्चित ही आज के हिन्दी आदिवासी उपन्यासकार सफल हुए हैं।⁶

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आदिवासी विमर्श और हिन्दी साहित्य-कुमार वीरेन्द्र, पैसिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ठ 10
2. इक्कासर्वी सदी का कथा साहित्य-सम्पादक, सुरयया शेख, शुभम पब्लिकेशन, कानपुर, पृष्ठ, 56,
3. छत्तीसगढ़ की जनजातियां, डॉ. संजय अलंग मानसी पब्लिकेशन, दिल्ली पृष्ठ, 126
4. आदिवासी स्वर और नयी शताब्दी, रमणिका गुप्ता, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली पृष्ठ, 56
5. म.प्र. की जनजातियां समाज एवं व्यवस्था- शिव कुमार तिवारी, म. प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी द्वारा प्रकाशित, पृष्ठ, 36
6. स्वयं का सर्वेक्षण एवं निष्कर्ष।

मैत्रीय पुष्पा का नारी-विषयक चिन्तन-नारी अस्तित्व का प्रश्न

डॉ. रश्मि प्रीति गुरू *

प्रस्तावना - मैत्रीय पुष्पा ने अपने कथा उपन्यासों और कहानियों में नारी-विषयक चिन्तन को समाज के सामने रखा है। उनके नारी पात्र आज भी सामाजिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। आधुनिक युग का प्रवेश होते हुए भी मैत्रीय-पुष्पा ने ऐसे ग्रामीण परिवेश को उठाया है, जो सदियों से नारी को पारिवारिक बंधनों से जकड़े हुए है।

मैत्रीय-पुष्पा ने अपने उपन्यासों एवं कहानियों में नारी अस्तित्व-का प्रश्न उठाया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि समाज में वास्तविक तथ्य से नारी का अस्तित्व क्या है। ग्रामीण समाज में नारी हमेशा पुरुष के पुरुषत्व के भीतर रहती है। जन्म से युवावस्था तक नारी का स्वामी भाई या पिता होता है, युवावस्था में विवाह होने के बाद वह पति के अधीन रहती है और बुढ़ापे में अपने पुत्र के सहारे रहती है। मैत्रीय पुष्पा ने जिन अनपढ़ नारी पात्रों को उठाया है। वहाँ सामाजिक रीतिरिवाज, धार्मिक परम्पराओं, मान्यताओं को ठुकराया गया है। उपन्यास की नायिका 'भुवन' अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करती दिखाई देती है। 'कौन थी भुवन' क्या-क्या झेला उसने। 'थोड़ी सी जिन्दगी जीने के लिए कितनी बार मरी थी वह' और इस ज्वलन प्रश्न का उत्तर स्वयं देते हुए कहती है। एक 'भुवन' की ही नहीं तिल-तिल मिटती कई भुवनों की कहानी है, यह जिन्होंने सुबह का सूरज नहीं देखा।

मैत्रीय-पुष्पा ने अपने उपन्यासों में भारतीय ग्रामीण समाज और मानव जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है। मैत्रीय-पुष्पा ने नारी के सामाजिक अस्तित्व का प्रश्न उठाया है। भले ही समाज कितनी ही ऊँचाईयों पर क्यों ना पहुँच गया हो परन्तु नारी अस्तित्वका प्रश्न आज भी समाज के सामने ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। ग्रामीण समाज में नारी आज भी 'पुरुष के दायित्व में जीवन व्यतीत कर रही है। उपन्यास 'बेतवा बहती रही' में मैत्रीय जी ने 'उर्वशी' की जो कथा कही है, वह 'नारी अस्तित्व के प्रश्न' को सामने रखती है। अजीत की पढ़ाई रेत की नाव सी घिसट रही थी तो 'उर्वशी' के हाथ में कलम-कागज पकड़ाने का दुःसाहस कौन करता बेटी तो वैसे भी पराये घर का दरिद्र मानी जाती है। परन्तु 'उर्वशी' पढ़ गई चिट्ठी-पती लिख सकती थी 'उर्वशी' बेतवा के किनारे पर बैठी रेत में अक्षर काइती बताना भीम काकाजू का नाम कैसे लिखेगे। उर्वशी में तीक्ष्ण बुद्धि होते हुए भी गाँव का परिवेश होने के कारण उसे शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ा। वैसे भी समाज में नारी को पराये घर का धन माना जाता है। 'उर्वशी' के विधवा होने पर एक बार फिर उसका भाई उसे जायदाद के लिए बूढ़े व्यक्ति को बँच देता है। 'उर्वशी' भाई द्वारा बेच दी जाती है। 'उर्वशी' स्वयं नारी-अस्तित्व के प्रश्न का मुँहतोड़ जबाब देती है।

'बेतवा बहती रही' उपन्यास में शशिरंजन की दीदी की जो चर्चा आयी

है। वह नारी-अस्तित्व का प्रश्न उठाती हैं, शशिरंजन की बहिन की डोली बिन व्याही लौट जाती है। शशिरंजन हाथ जोड़कर विनती करते रहे परन्तु वर का पिता इस्पात का हृदय का था। 'इन दो पत्रों के माध्यम से मैत्रीय जी ने नारी अस्तित्व का प्रश्न उठाया है।

'इदमय' उपन्यास में मैत्रीय पुष्पा ने नारी पात्र 'मंदाकिनी' उसकी सोच और उसके विचारों द्वारा तमाम परम्परागत रीतिरिवाजों का विरोध करके नारी अस्तित्व की यथार्थ स्थिति को चित्रित करने का प्रयास किया है। 'रामायण और महाभारत' के नारी पात्र द्रौपदी के संबंध में चर्चा करती है। जहाँ नारी अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार मंदा 'रामायण में पतिव्रत धर्म की परिभाषा करती है कि 'राम के सीता का वनगमन' दूसरी ओर उसी निष्ठा को तोड़ता मर्यादा 'पुरषोत्तम राम' का सीता की अग्नि परीक्षा लेना 'सीता' ने क्यों नहीं मांगा कोई सबूत कि हे भगवान कहे जाने वाले राम तुम भी उस अवधि में मुझसे अलग रहे, अपने पवित्र रहने का साक्ष्य दो।

'इदमय' उपन्यास में कुसमा भाभी का चित्रण भी नारी अस्तित्व को सामने रखता है। वह समाज के तमाम रीतिरिवाजों को झुझला देती है और नारी के अस्तित्व को सामने रखती है। 'मंदा' सवाल करती हुई पूछती है, एक बात बताओं कि ये रिश्ते-नाते, संबंध, बंधनों की रिति किसने बनायी है। जो नाम लेती हो उसने मनु व्यास ने। ऋषियों-मुनियों। देवताओं ने कि राक्षसों ने।

'चाक' उपन्यास में मैत्रीय जी ने नारी अस्तित्व के प्रश्न के उठाया है। समाज में नारी का अस्तित्व बचा भी है या नहीं 'रस्सी के फन्दे पर झूलती 'रुकमणी' कुँए में कूदने वाली 'रामदेई' कखन नदी में समाधिस्य 'नारायण'। आदि तमाम पात्रों मैत्रीय पुष्पा ने समाज की वास्तविक स्थिति को सामने रखा है। 'रेशम' नारी अस्तित्व के लिए परिवार व समाज से टकरा जाती है। इसी कारण उसकी हत्या हो जाती है। 'चाक' उपन्यास की प्रमुख नारी पात्र 'सारंग नैनी' रेशम की हत्या के बाद नारी अस्तित्व के प्रश्न को उठाती है। 'सारंग' के साथ घटित होने वाली यह घटना पुरुष समाज के सामने एक प्रश्न-चिन्ह बनकर खड़ी हो जाती है। नारी की समाज में क्या स्थिति है क्या उसकी कोई मान-मर्यादा, इज्जत नहीं है। 'चाक' उपन्यास में 'सारंग' नारी अस्तित्व को लेकर उभरती है। वह समाज को बता देना चाहती है कि समाज में नारी का भी अस्तित्व है। अपने प्राचीन समय से लेकर नारी पुरुष की दासी बनकर रही है लेकिन अब उसकी चेतना जागने लगी है। 'सारंग' चुनाव में प्रधानी पद के लिए पर्चा दाखिल करती है। उसका पति 'रंजीत' विरोध करता है परन्तु सारंग अपनी जिद नहीं छोड़ती है। धीरे-धीरे उसका प्रचार बढ़ता जाता है। उसके जीतने की उम्मीद हो जाती है तब गाँव के अन्य

उम्मीदवार 'बूथ कैप्यचरिंग' का सहारा लेते हैं। इस चुनाव से नारी-अस्तित्व के लिए एक बड़ा संबल मिलता है।

'अलमा कबूतरी' उपन्यास में भी 'कदमबाई' संघर्ष और अस्तित्व के प्रश्न से जुड़ती है। पिता की मृत्यु के बाद 'अलमा' भी समाज पुलिस और राजनेताओं के द्वारा होने वाले दैहिक शोषण को सहती है। मैत्रीय पुष्पा ने 'अलमा कबूतरी' उपन्यास में नारी उत्पीड़न को उठाया है। अलमा उत्पीड़न को सहते हुए नारी-अस्तित्व को बचाने में कामयाब हो जाती है।

मैत्रीय पुष्पा ने उपन्यास की तरह कहानियों में ग्रामीण समाज में नारी-अस्तित्व का प्रश्न उठाया है। समाज में नारी की स्थिति और उसका अस्तित्व क्या है 'अपना-अपना आकाश में कैलोशो देवी' अपने पुत्रों के द्वारा छली जाती है। तात्पर्य यह है कि बुर्जुग पीढ़ी युवा पीढ़ी के अत्याचारों का शिकार होती है। तमाम जायदाद का वारिस होते हुए 'कैलाशो देवी' के तीनो पुत्र बैंगलोर के आश्रम में भिजवा देना चाहते हैं ताकि वह दोबारा लौटकर न आ सके।

मैत्रीय पुष्पा मूल बात कहना चाहती है कि नारी अस्तित्व संकट में है। मैत्रीय पुष्पा ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का चिन्तन किया है। ग्रामीण परिवेश में मैत्रीय जी ने नारी अस्तित्व की बात कही है।

मैत्रीय पुष्पा ने सबसे पहले नारी अस्तित्व का प्रश्न उठाया है। 'समृति देश' की भुवन का विवाह पागल पति को कर देना। 'बेतवा बहती रही' की उर्वशी बूढ़े बरजोर के हाथों बेचना। 'शशिरंजन' की बहिन की बारात लौटना। 'इदन्नमय' की मंदा की दर-दर भटकना 'चॉक' उपन्यास की 'सारंग' का पति द्वारा प्रताड़ित होना नारी का अस्तित्व के प्रश्न को उठाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मैत्रीय पुष्पा- 'बेतवा बहती रही' पृ. 268,270,269
2. मैत्रीय पुष्पा- 'चॉक' उपन्यास पृ. 326, 327,335
3. मैत्रीय पुष्पा- 'झूलानट' उपन्यास पृ. 43, 18, 22
4. मैत्रीय पुष्पा- इदन्नमय उपन्यास पृ. 268, 71, 118 किताब घर दिल्ली
5. सुनीता चतुर्वेदी -अमृतलाल नागर के उपन्यासों में नारी की सामाजिक स्थिति वाणी प्रकाशक दिल्ली- पृ. 47, 50, 99

अमृतलाल नागर के कथा साहित्य में नारी-चरित्रांकन

डॉ. पारसमणि गुप्ता *

प्रस्तावना - भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय साहित्य में नारी को बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नागरजी नारी को अपने साहित्य तथा जीवन में उच्चासन देते हैं और हर हालत में उसकी मर्यादा, उसके गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं।

प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक, नारी जीवन चक्र सतत् कई युगों की परिक्रमा कर चुका है। उसमें विभिन्न कालों में विभिन्न परिस्थितियों के कारण परिवर्तन भी आया है, उसमें टूट-फूट भी हुई है और नवीनता भी जुड़ी है।

नारी हृदय को चित्रित करना वैसे भी कठिन होता है। उसके संबंध में कहा जाता है कि 'त्रिया चरित किसी की समझ में नहीं आता है। ऐसा भी कहते हैं कि नारी पल में तोला तो पल में मासा होती रहती है। नारी का चरित्रांकन अत्यन्त श्रमसाध्य, विवेक साध्य कार्य है।

नागर जी ने कथा साहित्य में नारी का व्यापक एवं विविध चरित्रांकन प्रस्तुत किया है। उन्होंने नारी पात्र चयन, चित्रण में पौराणिक काल से अत्याधुनिक काल की नारियों का चयन किया है। उनके नारी पात्र वर्ग और व्यक्ति दोनों का ही प्रतिनिधित्व करती हैं।

प्राचीन पौराणिक कालीन नारियों का चित्रण करने के साथ ही नागर जी ने ऐतिहासिक नारी पात्रों को भी अपनी कल्पना के साथ चित्रित किया है। इज्या, प्रज्ञा प्राचीन पौराणिक कालीन नारियाँ हैं जो उनके सांस्कृतिक उपन्यास 'एकदानैमिशरण्ये' उपन्यास क नारी पात्र है।

'मानस का हंस' में रत्नावली और खंजन नयन मे सूरदास की सार्थक प्रेयसी के रूप में कंतो मल्लाहिन का चित्रण किया है।

ऐतिहासिक नारी चरित्रांकन में कल्पना और लोक भावना दोनों का समन्वय अत्यावश्यक है, अन्यथा पात्र यथार्थ स्वाभाविक नहीं लगते और जनपाठक समुदाय उसे सहज ग्रहण नहीं कर पाता है। नागरजी ने रत्नावली, इज्या, प्रज्ञा का लोक मानसभाव के अनुरूप स्वाभाविक स्वरूप में चित्रण किया है। पात्र पूर्णतः ऐतिहासिक, पौराणिक होने के साथ ही विश्वसनीयता लिए हुए पाठक वर्ग के संदेह से परे हैं।

'बूँद और समुद्र' उपन्यास की 'ताई', नाच्यौ बहुत गापाल' की निर्गुणिया' विशिष्ट गुणों से संयुक्त अद्वितीय पात्र है, तो इनमें विरोधी गुणों को समन्यायत्मक के रूप भी सजीव हृदयस्पर्शी बने पडे हैं।

काम उदात्तीकरण की भावन से कुछ नारियों का चरित्रांकन हुआ है। 'मानस का हंस' की रत्नावली तुलसीदासजी के द्वारा स्थान दी जाने के कारण अपनी काम भावना का उदारतीकरण कर ईश्वर भक्ति में मन लगाती हैं।

इसी तरह 'कंतो खंजन नयन' मे काम-उद्दीपन की भावना के साथ

सूरस्वामी से मिली थी और सूरस्वामी के कहने पर ही अपनी काम भावना का त्याग कर, निष्काम प्रेम की ओर अग्रसर होकर सूरस्वामी की भक्ति में सहायक बनी हैं।

निर्गुणिया जब काम के उद्दीपन के कारण काम का उपभोग अति की सीमा तक कर लेती है, तो उसकी काम-भावना का परिष्कार हो जाता है। उसका प्रेम एकनिष्ठ हो जाता है। अंत में तो उसका संपूर्ण प्रेम श्याम को ही अर्पित रहता है।

संपूर्ण कथा साहित्य में वय के संदर्भ में नारी-पात्रों को देखा जाये तो किशोरी बालिका से लेकर युवती और वृद्धा नारियों तक का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चरित्रांकन हुआ है। जैसे शकुंतला, राजश्री, ताई बूँद और समुद्र, भुलनी शतरंज के मोहरे।

नागर जी ने विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त नारियों का स्वरूप चित्रण भी किया है। कोई वेश्या जीवन की समस्या से ग्रस्त है 'माधवी', 'शकीला की माँ', सुहाग के नुपूर। कोई स्त्री पात्र आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने पर भी दुःखी है- जैसे मृणालिनी देसाई और डॉ. शीलासिंहिंग' बूँद और समुद्र।

नागर जी ने कुछ प्रगतिशील नारियों के अनोखे रूपों का भी चित्रण किया है- जैसे मिसेज अहमद का पति की मृत्यु का गम भुलाने के लिए सिगरेट, शराब पीना तथा निगार का अपने माता-पिता के विरुद्ध जाकर हिन्दू लड़के के साथ विवाह करना।

डॉ. किशोरी ऐसा नारी चरित्र है (कहानी सती का दूसरा ब्याह-कहानी) जो अपने पूर्व पति का त्याग कर दूसरा विवाह करती है।

'धर्मसंकट' कहानी में रीता अनमेल विवाह के संकट को झेलती है। फिर पिता से शादी तोड़ पुत्र से पत्नी के अधिकार प्राप्त करती है।

नागर जी ने समसामयिक परिवर्तन और अत्याधुनिक नारी की चेतनता को 'कुलसुम' के चरित्र में उजागर किया है। वह मुस्लिम कानून के विरुद्ध तलाक के बाद खर्चे के लिए पति पर मुकदमा दायर करती है।

परम्परागत रूप में भी नारी का कोई रूप नागर जी की कलम से छूटा नहीं है। उन्होंने ममतामयी माँ का चित्रण किया है तो निष्ठुर माँ को भी चित्रित किया है। पार्वती अम्मा तुलसीदास जी की यशोदा माँ बनी है, तो ताई के हृदय सागर में वात्सल्य की एक बूँद भी नहीं बची इसलिए वह अपने पति और पोते पर मारण मंत्र का प्रयोग करती है।

बहन के रूप में तुलसी-सोतेली माँ, जो अनमेल विवाह के कारण अपनी बेटी को सहेली मानकर उसके प्रगतिशील विचारों का समर्थन करती है। नागरजी की कहानियों में आधुनिक रूप में नारी चित्रित है तो कुछ कहानियों में रूढ़िवादी। कहीं मुल्लर की महतारी जैसी कुंठाग्रस्त नारी चित्रित है तो कहीं अपने बच्चों के दोष ढँक कर दूसरों की निंदा करने वाली स्त्रियाँ।

समीक्षकों के मतों के आधार पर कहा जा सकता है कि नारी चित्रण का वैविध्य देखना है।

तो नागर जी के कथा साहित्य में देखें और इस वैविध्य की संक्षिप्त झलक देखनी हो तो बूँद और समुद्र उपन्यास में देखें। इस उपन्यास में नारी बहुत सारे प्रमुख और गौण पात्रों के स्वरूप में चित्रित मिलते हैं। इस उपन्यास में स्वयं विरोधी गुणों का सामंजस्य लिए अद्वितीय सत्री पात्र 'ताई' हैं। छुआछूत जात्याभिमान और रूढ़ संस्कारों वाली हठीली कल्याणी है, तो पश्चिमी भारतीयता का अपूर्व समन्वयात्मक रूप प्रस्तुत करती हुई है डॉ. शीला सिंग। सामाजिक कार्यकर्ता घर के ही पंक्ति में उपजा कमल रूप प्रगतिशील विचारों वाली 'वनकन्या' है, तो अपने प्रेमविवाह का बखान करने वाली 'तारा', हविस की कोठड़ी में बंद काम अतृप्ति की शिकार बड़ी हैं तो फैशन परस्त आधुनिकता की ओर अग्रसर छोटी भी है। रोज नशे के लिए माफिया का इंजेक्शन और पुरुषों का संग चाहने वाली रानी खैरापुर है तथा सोसायटी की वेश्या, व्यंग्यात्मक ढंग से पुरुषों को कटुवचन बोलने वाली 'चित्रा' है।

इसके अलावा अतृप्त कुवासनाओं का शिकार पगलियां नारीपात्र चित्रित हैं, तो अपने ही घर में चोरी करने वाली और कुटनी कार्य करने वाली परनिंदा निपुण 'नंदों' है।

नागर जी ने अपने ग्यारह उपन्यासों और पच्चीस कहानियों के संग्रह 'एक दिल हजार अफसाने' में नारी के अनेक रूपों का चित्रण मुख्य और

सहायक पात्र तथा गौण पात्रों के रूप में किया है। विशाल पैमाने पर आंतरिक, बाह्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषित स्वरूप में भी नारियाँ, गरिमा और मर्यादा के आदर्श के विशाल शिखर को थोड़ा भी फूकने नहीं देती हैं बल्कि उसे ऊँचा ही उठाने का प्रयास करती हैं।

चित्रित विशाल नारी चरित्रों को विभिन्न आधारों पर रखकर वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय नारी के उस रूप के भी दर्शन हुए हैं जिसे पढ़, सुनकर, पाठक के मन में जुगुत्सा और घृणा का भाव भर जाता है।

'नाच्यौ बहुत गोपाल' की 'निर्गुणिया' सूखी निदियाँ की विमला वर्मा, जुगुत्सा का भाव कई बार पाठक के मन में उत्पन्न करती हैं लेकिन उनके पूर्ववत् पढ़ने के बाद पाठक का मन उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कहानी संग्रह(संपूर्ण कहानियाँ) – एक दिल हजार अफसाने
2. उपन्यास –
 1. एकदानेमिबारण्ये
 2. बूँद और समुद्र
 3. महाकाल
 4. नाच्यौ बहुत गोपाल
 5. अमृत और विष
 6. सुहाग के नुपूर
 7. मानस का हंस
 8. खंजन नयन
 9. हिन्दी उपन्यास में चरित्र चित्रण का विकास – डॉ रणवीर शंगा
3. हिन्दी कहानी अंतरंग पहचान रामदरश मिश्रा

मुक्ति बोध के काव्य में विज्ञान बोध

डॉ. मीना भावसार *

प्रस्तावना – मुक्ति बोध में ज्ञान-संवेदन उनके आत्मसंघर्ष की आधार षिला पर प्रतिष्ठित हैं। जिस कवि में आत्मसंघर्ष जितना ही गहरा और व्यापक होगा, वह कवि उतना ही महान एवं पहुँचा हुआ रचनाकार होगा। आत्मसंघर्ष उसी समय व्यापक होगा, जब परिवेश और ज्ञान-क्षेत्रों की एक गहरी अनुभूति कवि को मंथित करती हैं और इसी मंथन से कविता या रचना का जन्म होता है। कबीर, तुलसी, मीरा, भारतेन्दु, प्रसाद, मुक्तिबोध और धूमिल में यह मंथन न्यूनाधिक रूप में प्राप्त होता है। मुक्ति बोध की कविता में क्षण और घटना इस प्रकार व्यक्त किया गया है। मुक्तिबोध घटनाओं और क्षणों के अन्तराल में प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा महत्तर स्थितियों तथा प्रभावों का जैविक रूप प्रस्तुत करते हैं। मुक्तिबोध की अधिकांश कविताएं इसी अन्तर भेदन प्रक्रिया का फल हैं। जिसमें बिम्ब, प्रतीक और मिथक समानान्तर रूप से, एक के बाद एक सकीकरणों का सृजन करते हुए चलते हैं।

विज्ञान बोध का एक अन्य तत्व सौन्दर्यबोध का गहरा सम्बन्ध साहित्य तथा कला से है सौन्दर्य केवल कला और साहित्य की बपौती नहीं हैं उसका सम्बन्ध अन्य ज्ञान के क्षेत्रों से भी है, एक वैज्ञानिक भी विश्व और प्रकृति की घटनाओं में सौन्दर्य देखता है परन्तु यह सौन्दर्यनुभूति बौद्धिक अन्तर्दृष्टि पर आधारित होती है। वैज्ञानिक सौन्दर्य बोध के लिए एक बौद्धिक अन्तर्दृष्टि की आवश्यकता है। वैज्ञानिक का सौन्दर्यबोध विश्व और प्रकृति की नियमबद्धता तथा समरूपता में निहित हैं इस नवीन प्रतिष्ठा में रचनाकार को विज्ञान-बोध के विशाल क्षेत्र से सौन्दर्यबोध के अनेक अनचिन्हें आयाम मिल सकते हैं।

वैज्ञानिक अन्तर्दृष्टि में कल्पना का एक विशेष सन्दर्भ है। यहाँ कल्पना का एक व्यापक अर्थ है क्योंकि कल्पना की आवश्यकत कला और विज्ञान दोनों के लिए समान रूप से हैं। मुक्तिबोध का काव्य कल्पना के इसी रूप को व्यक्त करता है। मुक्तिबोध की कल्पना का स्वरूप यथार्थ और वास्तविकता की आधारभूमि पर गतिशील होता है। कवि को विज्ञान की चिन्ता धारा को व्यंजित करते समय संयम से काम लेना पड़ेगा। बटलर, पोप, मिल्टन तथा वर्डवर्थ आदि रोमांटिक कवियों ने सकारात्मक विज्ञान बोध के दर्शन होते हैं। मिल्टन तथा पोप आदि ने ब्रह्माण्ड रचना तथा नवीन नक्षत्रविद्या द्वारा प्राप्त विचारों को, भावना के स्तर पर रचनात्मक संदर्भ दिया है। वृहद्, ब्रह्माण्ड का यह रूप विज्ञान द्वारा उद्घाटित एक ऐसा तत्व है, जिसने कवियों तथा कलाकारों की कल्पना को ही प्रेरित नहीं किया वरन् धर्म दर्शन तथा अन्य ज्ञान-क्षेत्रों को प्रभावित किया। इसी कारण यह दृश्य मान जगत प्रकृति के विराट क्रोड में केवल एक बिन्दु है। जिसे हमारी कल्पना हृदयगम कर पाती है। मुक्तिबोध की कल्पना भी इसी विराट के साक्षात्कार की ओर प्रेरित होती है। प्रसाद की कल्पना भी प्रकृति के विराट रूप का साक्षात्कार कामायनी

महाकाव्य में करती है, जो अनेक स्थानों पर विज्ञानबोध से प्रेरित ज्ञात होती है।

प्रत्येक युग का नया ज्ञान रचनाकारों को प्रभावित करता है और उनकी कल्पना उस ज्ञान के रूपों को रचनात्मक संदर्भ भी देती है। केवल विज्ञान में ही नहीं वरन् अन्य मानवीय क्रियाओं में कल्पना का कोई न कोई स्थान अवश्य होता है। जहाँ तक विज्ञान और कला का सम्बन्ध है, उसमें कल्पना तथा अनुभव का एक समन्वित रूप ही अपेक्षित है।

मुक्ति बोध के काव्य में परमाणु विश्व संरचना तथा अन्य वैज्ञानिक प्रस्थापनाओं तथा विचारों का रचना प्रक्रिया में एक सार्थक रूपांतरण प्राप्त होता है जो कवि के वैचारिक आयाम को एक अर्थवत्ता प्रदान करते हैं नई कविता के अन्य कवियों में भी विज्ञान बोध का रचनात्मक संदर्भ प्राप्त होता है।

लाखों ब्रह्माण्डों में

अपना एक ब्रह्माण्ड

हर ब्रह्माण्ड में कितनी ही पृथिवियाँ

कितनी ही भूमियाँ

कितनी ही सृष्टियाँ

यह है अनुपात, आदमी का विराट से।

काव्यात्मक भावबोध में वैज्ञानिक कल्पना नए क्षितिजों का उद्घाटन कर सकती है, ज्ञान एक गत्यात्मक प्रत्यय है, जिसका स्वरूप सापेक्ष है। वैज्ञानिक ज्ञान भौतिक है, केवल भौतिक है जो प्रयोग के द्वारा प्राप्त होता है वैज्ञानिक विचारों का अपना विशेष रूप होता है, उन्होंने दर्शन इतिहास आदि क्रियाओं को अनुप्रेरित किया है। कविता और साहित्य के क्षेत्र में इन विचार धाराओं का एक रचनात्मक संदर्भ प्राप्त होता है, जैसा रूप मुक्तिबोध के काव्य में यदा-कदा प्राप्त होता है। मुक्तिबोध की कविता का एक ऐसा स्वर जो उनके यथार्थ और आत्मसंघर्ष के साक्षात्कार को रूपापित करता है।

विज्ञान बोध को उन्होंने अन्य बोध स्तरों के समान अपनी रचना प्रक्रिया में एक महत्व प्रदान किया है क्योंकि वे जानते थे कि विज्ञान की अनेक प्रस्थापनाएं जीवन और यथार्थ को एक परिदृष्टि प्रदान करती हैं। यही कारण है कि उन्होंने वैज्ञानिक प्रस्थापनाओं की ओर कभी-कभी स्वयं विज्ञान को एक अर्थवत्त देने का प्रयत्न किया है और इस सारी प्रक्रिया का जनवादी परम्परा से जोड़कर प्रस्तुत किया है, मुक्तिबोध का काव्य है, यथार्थ और पीड़ा के संघर्ष का काव्य है। पर यह संघर्ष एकांतिक वहीं हो अनुभव की प्रेरणा स्रोत है। इसका संपेदन के धरातल पर एक गहरा संस्पर्श है। यही कारण है कि मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्थान है और संवेदन के धरातल पर उसका रूपान्तरण है।

मुक्तिबोध को किसी खेमे में बांधा नहीं जा सकता है, वे विचारों एवं मतवादों से मूलतः आबद्ध नहीं हुए उन्होंने उनका मंथन किया और उन पर संतरण किया और यही कारण है कि उन्होंने अपनी कविता को इस जमीन से जोड़ा है और विचारों ने उसे एक ठोस रूप दिया है। उनके आत्मसंघर्ष में विचारों का संघर्ष भी देखा जा सकता है। इतिहास परम्परा विज्ञान दर्शन, समाजशास्त्र और मार्क्सवाद आदि से और यह समस्त ढब्ढ भारतीयता के धरातल पर आकर होता है।

इस परिप्रेक्ष्य में विज्ञान बोध को देखा जा सकता है, विज्ञान बोध का एक महत्वपूर्ण तत्व विश्लेषण की भावना है, जो मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। विज्ञान का क्षेत्र भी इसी आत्मचेतन सत्य के साक्षात्कार का क्षेत्र है मुक्तिबोध की कविता में यांत्रिकता और गणित के नियमों के आधार पर सत्य के सापेक्ष स्वरूप पर यदा-कदा संकेत प्राप्त होती है विज्ञान और गणित में यंत्रबद्ध कारणों से सत्य का जाना जाता था पर बाद में कवि इसे 'सतही ही' सत्य कहता है कविता की क्रमिक विकासात्मक स्थिति इस प्रकार है, जो कविता में विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा व्यंजित की गयी है प्रथम तथा तथ्य का रूप इस प्रकार हैं-

वैसा में बुद्धिमान

अविरत,

यंत्रबद्ध कारणों से सत्य हूँ।

और इसके पश्चात् यह अनुभूति

गणित के नियमों की सरहदें लाघना

स्वयं के प्रति नित जागना

भयानक अनुभव फिर भी मैं करता हूँ कोशिश।

और इस सारी विश्लेषण प्रक्रिया से वह यह कहने के लिए विविश हो जाता है कि

इसलिए सत्य हमारे है सतही

पहले से बनी हुई राहों पर धूमते है

यंत्र-बंध गति से।

पर उनका सहीपन

बहुत बड़ा व्यंग्य है।

इस सारी स्थिति में सत्य एक व्यंग्य में रह जाता है और फिर भी उसकी खोज जारी हैं। टूटी हुई लाइनों और अस्पष्ट चित्रों में सत्य उसे उलझा हुआ प्रतीत होता है।

आधुनिक विज्ञान दर्शन सत्य या किसी भी प्रत्यय को निरपेक्ष न मानकर उनके सापेक्ष गतिशील विकासात्मक रूप को मान्यता देता है यही कारण है कि मुक्तिबोध की कविता में सत्य यथार्थ की सापेक्षता में गतिशील है। यह विकास परम्परा के साथ है, उससे अलग नहीं विकासवाद इस तथ्य को इस प्रकार रखता है कि सत्य या देवीशक्ति विकास परम्परा के साथ विकसित होती है, यह विकास से अलग कोई सत्ता नहीं हैं।

इस विकास परम्परा में सृष्टि और ब्रह्माण्ड के रहस्यों के प्रति जागरूक है इस जागरूकता में अन्धविश्वास नहीं है पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि है ग्रहों और नक्षत्रों का वृत्ताकार घूमना उनका सरलतम मार्ग है। जिसका वे पालन करते हैं न कि केवल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वे स्थित रहते हैं इस वैज्ञानिक सत्य को कवि ने रचनात्मक रूप दिया हैं।

इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मुक्तिबोध के कथन से स्पष्ट हो जाता है 'जो पुराना है वह अब लौट कर नहीं आ सकता लेकिन नये में पुराने का स्थान नहीं लिया। धर्म भावना गयी, पर वैज्ञानिक बुद्धि नहीं आयी। धर्म हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष को अनुशासित किया था वैज्ञानिक मानवीय दृष्टि से धर्म का स्थान नहीं लिया इसीलिए केवल हम अपनी अन्तः प्रवृत्तियों के यंत्र से चालित हो उठे।' मुक्तिबोध का काव्य इसी अन्तर्दृष्टि का परिचय देता है और विज्ञान बोध इसी अन्तर्दृष्टि का एक सशक्त अंश है, जो उनकी कविता में सार्थकता प्राप्त करता हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

साहित्य का सौंदर्य और सौंदर्य का साहित्य

डॉ. जिन्दर सिंह मुण्डा *

प्रस्तावना - भारतीय साहित्य का स्वरूप विराट है। इसे लक्षण परिधि में समेटना असंभव है। अपने वाङ्मय रूप में यह परम्परा युगों-युगों से बहती चली आ रही है। सत्यं, शिवं और सुंदरम आधारित भारतीय साहित्य हिमालय से भी उन्नत है एवं इसकी गहराई महासागर से भी कहीं अधिक है। साहित्य के संबंध में कहा गया है-

अंधकार है, वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है।

मूर्ख है, वह देश जहाँ साहित्य नहीं है।।

साहित्य की महत्ता इन्हीं पंक्तियों से सार्थक होती है कि मनुष्य के जीवन में साहित्य का स्थान, क्यों, कैसे और कहाँ है? भारतीय साहित्यों में पौराणिक साहित्य संस्कृत काव्य रूप में अत्यधिक प्रचलित है। सुप्रसिद्ध आचार्य चिंतक भामह ने काव्य के संबंध में कहा है (शब्दार्थो सहितौ काव्यम्) अर्थात् शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काल (साहित्य) होता है। भामह की परिभाषा को थोड़ा और विस्तृत करते हुए आचार्य दंडी कहते हैं- 'इष्ट अर्थ से विभूषित शब्द समूह ही काल शरीर है। भामह एवं दंडी की परिभाषा को मिश्रित कर आचार्य कुंतक ने इस प्रकार व्याख्यायित किया है-'शब्द और अर्थ का मनोहर विन्यास काव्य है, जिसमें शब्द और अर्थ परस्पर इतने संतुलित हो कि न तो कोई न्यून हो न कोई अधिक हो।'

आचार्य विश्वनाथ (साहित्य दर्पण) ने 'वाक्य रसात्मकं काव्यं' कहकर सरस पदावली के साहित्य की बात की। इन विद्वानों ने शब्द और अर्थ को जोड़कर साहित्य को परिभाषित करने का प्रयास किया। पंडित जनन्याथ दास रत्नाकर ने सिर्फ शब्द को ही साहित्य का हिस्सा नहीं मानते बल्कि उनका कहना है कि शब्द और अर्थ सुंदर हो तभी साहित्य हो सकता है। वे लिखते हैं-'रमणीय अर्थ के प्रतिपादक शब्द को काव्य कहते हैं।' संस्कृत के इन तमाम विद्वानों की परिभाषा को समाहित कर 'साहित्य विज्ञान' की परिभाषा इस प्रकार है - 'साहित्य भाषा के माध्यम से रचित वह सौंदर्य या आकर्षण से युक्त रचना है, जिसके अर्थ बोध से सामान्य पाठक को आनंद की अनुभूति होती है।' संस्कृत विद्वानों की ये परिभाषाएँ साहित्य के सम्पूर्ण अर्थ को व्यंजित नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह कई सारी विधाओं का सृजन होना। आचार्य शुक्ल ने हिन्दी साहित्य का इतिहास की भूमिका में लिखा है-'प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है।' मैनेजर पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 'साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका' में महावीर प्रसाद द्विवेदी की इस परिभाषा को अधिक महत्व देते हुए लिखा है-'ज्ञानराशि से संचित कोश का ही नाम साहित्य है।' आचार्य नंददुलारे वाजपेयी साहित्य के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखते हैं-'साहित्य से हमारा आशय उन विशिष्ट और प्रतिनिधि रचनाओं से है, जो समाज और सामाजिक जीवन को भली या बुरी दशा में ले जाने की सामर्थ्य

रखती है।' हिन्दी उपन्यास के कथासम्राट ने भी साहित्य को परिभाषित करने की कोशिश की है-'साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ़, परिमार्जित एवं सुंदर हो और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो।' प्रेमचंद साहित्य को मनोरंजन मात्र की वस्तु नहीं मानते हैं। वे लिखते हैं-'अब साहित्य केवल मन बहलाव की चीज नहीं है, मनोरंजन के सिवा उसका और भी कुछ उद्देश्य है। अब वह केवल नायक-नायिका के संयोग वियोग की कहानी नहीं सुनाता, किन्तु जीवन की समस्याओं पर भी विचार करता है और उन्हें हल करता है। अब वह स्फूर्ति और प्रेरणा के लिए अद्भुत आश्चर्यजनक घटनाएँ नहीं ढूँढ़ता और न अनुप्रास का अन्वेषण करता है, किंतु उसे उन प्रश्नों से दिलचस्पी है, जिसमें समाज या व्यक्ति गहरे प्रभावित होते हैं।' संसकित कूपजल कबीरा भाषा बहता नीर' कूप जल और बहते नीर, दोनों की अपनी-अपनी सीमाएँ और विशेषताएँ भी हैं, इसमें संदेह नहीं। एक यदि स्वच्छ, सुरक्षित, निर्मल और गम्भीर जल का भण्डार है, तो वह श्रम-साध्य है, सर्वजन सुलभ नहीं। दूसरा यदि सर्वजन सुलभ है, तो उसमें वह गम्भीरता वह शीतलता, गुणकारिता और विकारहीनता नहीं जो पहले में है। यही भाषिक सौंदर्य है। साहित्य में भी इसी सौंदर्य की अपेक्षा होती है, परंतु अनिवार्यता नहीं है। इस साहित्यिक सौंदर्य को 'अलंकार' नाम से अभिहित किया गया है। आचार्य दण्डी के अनुसार-'काव्यशोभाकारान् धर्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।' अर्थात् काव्य के शोभाकारक धर्म का नाम अलंकार है। दरअसल अलंकार वाणी (कथन) की रमणीय और प्रभावी बनाने का साधन मात्र है। जैसे 'उसका मुख सुंदर है' कहकर भी मुख की सुंदरता व्यक्त की जा सकती है पर इसके बदले 'उसका मुख चंद्र सा है' तो कथन अधिक रमणीय हो जाता है और सुंदरता भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। उसका हृदय कठोर है के बदले उसका हृदय वज्र का बना है, कहने से कठोरता साकार हो उठती है।

साहित्य में कवि वाणी का वह सौंदर्य-साधन जो काव्य में लावण्य की सृष्टि कर उसे अनुभूतिपरक बनाता है, अलंकार कहलाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में रमणीयता की दृष्टि से अलंकार का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे गद्य हो या पद्य दोनों में अलंकारों का प्रयोग नितांत स्वाभाविक और प्रचुर मात्रा में होता आया है। राजशेखर ने तो अलंकार को वेद का सातवां अंग मानकर इसे वेदार्थ उपकारक घोषित किया है, क्योंकि इसके बिना वेदार्थ की अवगति संभव नहीं है। वस्तुतः अर्थ-सौंदर्य के संपादन में सहायक होने के कारण काव्य में अलंकार का विशेष महत्व है, जिससे अभिव्यक्ति में स्पष्टता भाव में प्रेषणीयता तथा भाषा में सौंदर्य का संपादन होता है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रस-मीमांसा में लिखा है-'कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम लेना पड़ता है। वस्तु का व्यापार की भावना चटकीली करने और

भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता है।¹⁸

आचार्य वामन ने अपने 'काव्यालंकार सूत्र' में अलंकार शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया है। संकीर्ण अर्थ में अलंकार, काव्य के वे धर्म हैं जिसे दंडी ने 'शोभाकारक' कहा है। व्यापक अर्थ में सौंदर्य मात्र को अलंकार कहते हैं। जिसके अर्थगत वे सभी विधाएँ आ जाती हैं, जिनके कारण काव्य हमारे मन को आकृष्ट करता है। इसी संदर्भ में अलंकार का प्रयोग करते हुए वामन ने लिखा 'काव्यं ग्राह्यं लंकरात् सौंदर्यमलंकारः' यानी अलंकार के कारण ही कारण काव्य ग्राह्य एवं उपादेय है और वह अलंकार सौंदर्य है। अलंकार यदि काव्य का सौंदर्य है, तो साहित्य का प्रयोजन मात्र सौंदर्य की स्थापना के लिए है? या हमें सौंदर्य का साहित्य चाहिए? यह प्रश्न अस्वाभाविक लगता है, परंतु इसमें सच्चाई है। सभ्यता के विकास के साथ साहित्य एवं मानव मस्तिष्क की मेधाशक्ति क्षीण होती चली जा रही है। वर्तमान में बिना पुस्तक देखे पाँच-दस पंक्तियाँ दुहराने वाले विरले ही मिलेंगे। आज के विद्यार्थी याद करने की कठिनाई से बाहर निकलना चाहते हैं। कण्ठस्थ करना आज के फैशन के विरुद्ध माना जाने लगा है। किसी वस्तु को समझ लेना ही पर्याप्त मान लिया जाता है। आज यह फैशन सा हो गया है कि प्राचीन वस्तु या सामग्री वे अच्छी हों या बुरी आँख बंद कर उसका बहिष्कार करना चाहिए। पुरानी वस्तु हमेशा पुरानी नहीं होती, यह बात सोलह आने सच है। वर्तमान में साहित्य अलंकार के प्रासंगिकता पर विचार करने पर पता चलता है कि हिन्दी साहित्य के दो सौ वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि अलंकार को समझे बिना रीतिकाल को समझ नहीं सकता। यह बात भी सच है कि अलंकार काव्य के सहज एवं अनिवार्य गुण नहीं है। केवल अस्थिर धर्म है अर्थात् कभी वर्तमान रहते हैं और कभी नहीं। कारण की शोभा या सौंदर्य अलंकार पर निर्भर नहीं है। सत काव्य में अलंकार जहाँ वर्तमान भी रहता है, वहाँ शोभा की सृष्टि नहीं करता केवल वृद्धि ही कारण है। दरअसल काव्य का सौंदर्य है रस, अलंकार का गौरव उसी का उपकार करने में है अर्थात् सतकाव्य में अलंकार का स्वतंत्र अस्तित्व भी नहीं माना है।

प्रायः यह माना जाता है कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा में कृत्रिमता आती है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि अलंकार न केवल काव्य भाषा के लिए अपितु लोक व्यवहार की सामान्य भाषा के लिए भी आवश्यक है। आधुनिक युग में भी अलंकारों का महत्व कम नहीं है। उनके भावों की स्पष्टता एवं उचित रूप में अभिव्यक्ति और उक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है तथा वे श्रोता/पाठक मन को आकर्षित एवं आंदोलित करते हैं। किंतु यह सब कुछ तभी होता है, जबकि उनके पीछे भावों की प्रेरणा हो। अलंकार के लिए अलंकार का प्रयोग सफल नहीं होता। प्रायः यह कहा जाता है कि आज का युग अलंकारों का युग नहीं है। अतः काव्य से भी अलंकारों का बहिष्कार होना चाहिए। किंतु यह बात तर्कसंगत नहीं है। आज विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों, फैशन के वस्त्राभूषणों, रंग-विरंगे पाउडर आदि का प्रयोग नहीं होता? वस्तुतः अलंकारों का रूप बदल गया है किन्तु अलंकार की मूल भावना आज भी मनुष्यों में ज्यों का त्यों विद्यमान है। वास्तव में यदि कवि के पास अनुभूतियों का संचित कोष है, तो अलंकार भी उसकी वैभव वृद्धि में योग दे सकते हैं, अन्यथा कोरे अलंकार की पूँजी से कोई व्यक्ति कवि नहीं बन सकता।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. साहित्यिक निबंध-गणपतिचन्द्र गुप्त, पृ0-5
2. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, भूमिका।
3. साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, मैनेजर पाण्डेय, पृ0-58
4. प्रेमचंद का कथा साहित्य : समीक्षा और मूल्यांकन, धर्मध्वज त्रिपाठी, पृ0-55
5. प्रेमचंद : समाज संस्कृत और राजनीति, सं0 अच्युतानंद मिश्र, पृ0-48
6. वही, पृ0-49
7. काव्यादर्श, दण्डी (2/1)
8. रस-मीमांसा - आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, संपादक, विश्वनाथ मिश्र, पृ0-36

लोक देवता रामदेव पीर - एक परिचय

डॉ. जयश्री भटनागर *

प्रस्तावना - प्राचीन सभ्यताओं में देवी देवताओं तथा प्राकृतिक शक्तियों की आराधना को महत्व दिया जाता रहा है। जिसका प्रमाण हमें वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। वैदिक साहित्य में ग्रहों, पंचतत्वों, इन्द्र वरुण, सूर्य, पृथ्वी, अग्नि आदि देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं, जो धीरे धीरे कम होते गए। इन देवताओं को गौण माना जाने लगा। भक्तिकाल में आकर कुछ देवताओं का प्रार्थुभाव हुआ, जिसमें ब्रम्हा, विष्णु, महेश, गणेश आदि की प्रधानदेवता के रूप में उपासना होने लगी। लोक देवता में कुछ ऐसे भी देवता हैं, जिन्हें मान्यताओं में गौण न मानते हुए, उन लोक देवताओं का महत्व प्रतिक्रमिकता एवं आस्था की दृष्टि से कम नहीं था। इच्छापूर्णाकर्ता, विघ्नहर्ता के रूप में पूजित होते चले आ रहे हैं।

ऐसे लोक देवताओं में तेजाजी, केलादेवी, शीतल माता, बापूजी, गोगाजी, रामदेव जी, जीणमाता, करणी माता, शीतलामाता, आदि हैं, जिनका क्षेत्रियता के आधार पर विशेष महत्व है। इन्हीं गौण देवता में से एक रामदेव पीर है।

रामदेव पीर राजस्थान के लोक देवताओं में से है। 15 वीं शताब्दी में जाति भेदभाव, छुआछूत, लूट खसोट आदि के कारण चारों ओर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। उस समय भैरव राक्षस का आतंक फैला हुआ था। ऐसी विषम स्थिति में पश्चिम राजस्थान के प्रसिद्ध नगर पोकरण के पास रूणिचा नामक स्थान में भादों शुक्ल पक्ष दूज के दिन वि.सं. 1409 में बाबा रामदेव अवतरित हुए। उनकी माता का नाम मेणादी एवं पिता का नाम अजमल था। आजमल जी द्वारकानाथ के परम भक्त थे।

लेकिन सन्तान न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं। दूसरा दुख था कि पोकरण से तीन मील की दूरी पर उत्तर दिशा में भैरव राक्षस ने परेशान कर रखा था। रामदेव के जन्म के पश्चात् उन्हें सन्तान सुख की प्राप्ति हुई। सन्तान प्राप्ति के लिए राजा अजमल साधु सन्तों को भोजन कराना, दान पुण्य करना, एवं नित्य ही द्वारकानाथ का आराधना करते थे। राजा अजमल की निच्छल भक्ति से प्रसन्न हो ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिए एवं उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने ईश्वर से यही मांगा कि मुझे आपके समान पुत्र चाहिये अर्थात् आपको ही पुत्र बनकर आना पड़ेगा एवं राक्षस को मार धर्म की स्थापना करनी होगी। भगवान ने उन्हें वचन दिया कि मैं तेरे घर पुत्र बनकर आऊंगा। जिस रात मैं आऊंगा उस रात राज्य में जितने भी मंदिर हैं, उनकी घंटिया बजने लगेगी। महल में जितना भी पानी होगा वह दूध में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही मुख्य दरवाजे से जन्म स्थान तक कुमकुम के पैर नजर आयेगें। मैं अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगा और राजा अजमल के घर भाद्रपक्ष की दूज को रामदेव जी का जन्म हुआ।

रामदेव जी का विवाह संत् 1426 में अमरकोट के ठाकुर दल जी की

पुत्री नैतलदे के साथ हुआ।

संवत् 1424 में रामदेव ने पोकरण से करीब 12 किलोमीटर दूर एक गांव की स्थापना की। जिसका नाम रूणिचा रखा गया। रामदेव की कृपा से रूणिचा गांव हरा भरा एवं मनोरम हो गया। धीरे-धीरे लोग यहां बसने लगे। रामदेव जी अंधे-बहरे, लूले, -लंगड़े, असहाय, दुखी, कोटी, आदि पर हमेशा कृपा करते रहे हैं। उनके गुरु बालीनाथ जी थे। जिनकी समाधि जोधपुर में स्थित है। कहा जाता है कि रामदेवरा (रूणिजा) में भगवान रामदेव की समाधि के दर्शन करने से पहले उनके गुरु की समाधि पर माथा टेकने पर ही रामदेवरा का यात्रा सफल होती है। अतः भक्त मण्डली पहले बालीनाथ गुरु की समाधि के दर्शन करते हुए, रामदेवरा (रूणिजा) के लिए रवाना होते हैं। किंवदन्ती है कि संवत् 1442 को रामदेव जी ने अपने हाथ में श्रीफल लेकर समस्त बुजुर्गों को नमन किया तथा सभी बुजुर्ग ने तन, मन एवं श्रद्धा से रामदेव जी की अन्तिम पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने अन्तिम उपदेश में यही कहा कि प्रत्येक माह की शुक्लपक्ष दूज को पूजा अर्चना भजन कीर्तन, जागरण कर पर्वोत्सव मनाया जाए। अतः हर वर्ष रूणिचा में रामदेव जी समाधि स्थल पर मेला लगता है जो एक माह तक चलता है। जोधपुर राजस्थान में भाद्रपक्ष एवं अन्य स्थानों में एक माह तक श्रद्धालु का जमघट लगा रहता है। अनेक भक्त स्थान-स्थान पर निशुल्क भोजन पानी ठहरने की व्यवस्था श्रद्धा भक्ति से करते हैं।

रामदेव जी की बाल-लीलाओं का वर्णन राजस्थान लोक साहित्य में प्राप्त होता है। कहा जाता है कि एक बार रामदेव ने अपने पिता अजमल से घोड़े की जिदद की। पिता ने खिलौने बनाने वाले को एक चन्दन और मखमल के कपड़े का घोड़ा बनाने को कहा। कपड़े को देख खिलौने बनाने वाले को लालच आ गया। उसने थोड़ा कपड़ा काम में लिया एवं शेष कपड़ा अपनी पत्नी को रखने को दे दिया। बाबा उस घोड़े पर बैठे घोड़ा उन्हें आकाश में ले गया। रामदेव के पिता ने नाराज होकर घोड़े वाले को जेल भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन रामदेव को घोड़े पर वापस आते देख कपड़े वाले ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए रामदेव जी से माफी मांगता है। रामदेव उसे माफ कर देते हैं। आज भी रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है।

रूणिचा में मंदिर के पास ही एक बावड़ी है, जिसका नाम पर्चा बावड़ी है। कहा जाता है कि उस पानी को पीने या स्नान करने से सभी रोग, कष्ट दूर हो जाते हैं।

अनेक चमत्कार होने से लोग दूर दराज से आकर, रामदेव के दर्शन हेतु रूणिचा आते हैं। उन्हीं दर्शनार्थियों में से कुछ पीर मौलवी और पीर उनके उपदेश से प्रसन्न हुए। वे जाति पाति के भेदभाव को दूर करने के उपदेश देते थे। एक पीर ने अपने पीर को जो मक्का में रहते थे, उन्हें अवगत

कराया कि एक पीर पैदा हुए है, जो मरे हुए को भी जिन्दा कर देते हैं। जब ये खबर मक्का पहुंची तो परीक्षा हेतु पांच पीर आये उन्होंने पूछा रूणिजा कहा है। रामदेव जी ने कहा जो गांव सामने दिखाई दे रहा है। वहीं रूणिचा है और मैं ही रामदेव हूँ। रामदेव पीरों को अपने साथ ले गये आदर सत्कार किया। लेकिन भोजन के समय पीरों ने कहा कि हम भोजन अपने कटोरे में ही करते हैं और कटोरे हम मक्का में ही भूल आए। रामदेव जी ने लम्बा हाथ किया और पांचों कटोरे आ गए। यह देख पीरों को रामदेव पर विश्वास हो गया। पांचों पीरों ने कहा कि आज से दुनिया आपको रामदेव पीर के नाम से जानी जावेगी।

आज भी रूणिचा स्टेशन पर श्रद्धालु चढ़ते उतरते रामदेव पीर की जय-जय कार का जयघोष करते हैं। यही नहीं स्टेशन पर रेलगाडी आने के पहले रामदेव पीर की तीन बार जयकार उद्घोष करवाता है तभी गाडी आगे के लिये रवाना होती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ - डॉ. कृष्णाकांत पाठक।
2. लोकसाहित्य की भूमिका रेणु।
3. लोक साहित्य - डॉ. रामस्वरूप श्रीवास्तव स्नेही।
4. हिन्दी साहित्य - डॉ. विवेक शंकर।

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान शिक्षण हेतु व्याख्यान विधि की प्रासंगिकता का समीक्षात्मक अध्ययन

रश्मि सक्सेना *

प्रस्तावना - औपचारिक शिक्षा हेतु कक्षा-शिक्षण को प्रभावशाली व प्रेरणास्पद बनाने हेतु शिक्षकों द्वारा किसी ऐसी विधि को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने के पश्चात् इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उचित शिक्षण विधियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना होता है। अतः कक्षा शिक्षण हेतु इन विधियों या विधि समूहों के चयन एवं प्रयोग, विषय वस्तु की प्रकृति एवं बालक के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिससे कि वह प्रस्तुत पाठ्य सामग्री को सरलता से आत्मसात् कर सके।

शिक्षण शब्द से तात्पर्य है - ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण के द्वारा बालक को ज्ञान प्रदान किया जाता है, सीखने में सहायता दी जाती है, उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलन करना सिखाया जाता है। उनका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और संवेगात्मक विकास करके उसे भावी जीवन के लिये तैयार किया जाता है।

इस प्रकार शिक्षण के अन्तर्गत शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों का कार्य सम्मिलित रहता है। इसमें न केवल सर्वोत्तम विधि से ज्ञान प्राप्त करने का मानसिक प्रभाव सम्मिलित रहता है अपितु वह नैतिक प्रभाव भी सम्मिलित रहता है जिससे प्रेरित होकर बालक ज्ञान का प्रयोग इस प्रकार करता है कि वह उससे लाभान्वित होता रहे। इस प्रकार एक अच्छा शिक्षण पूर्व नियोजित होता है और एक निश्चित समय में निश्चित विधियों के अनुसार दिया जाता है।

"Teaching is not telling but training" - Mam

कक्षा में छात्रों के सीखने तथा शिक्षक की क्रियाओं से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उनके ज्ञान के आधार पर ही शिक्षण पद्धति का स्पष्टीकरण होता है। शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य बालक को नई दिशा प्रदान करना है। किसी भी शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह बालक को किसी भी विषय का अधिगम इस प्रकार कराए जिससे कि उसके व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन हो सके और शिक्षण प्रक्रिया सम्पन्न हो सके।

इस हेतु शिक्षक के लिये यह जरूरी हो जाता है कि वह उचित विधि का ही प्रयोग करें क्योंकि शिक्षक विधियाँ ही एक मात्र ऐसे साधन हैं जिनके प्रयोग से बालक पाठों में रूचि लेने लगते हैं। पाठ्यसामग्री उन्हें अधिक स्पष्ट होने लगती है और वे सरलता से उस विषय वस्तु को आत्मसात् करने में समर्थ हो जाते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि एक प्रकार का शैक्षिक कार्यों का विशेष क्रम है जिसके द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अतः शिक्षण को रूचिपूर्ण, सफल एवं प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों

का प्रयोग किया जाता रहा है। जैसे-आगमन निगमन, संश्लेषण-विश्लेषण, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि इत्यादि। यद्यपि कोई भी विधि अपने में पूर्ण नहीं होती है। अतः विधि का चयन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि प्रस्तुत विषय-वस्तु की प्रकृति कैसी है? और बालकों का मानसिक स्तर क्या है? विज्ञान और गणित शिक्षण में कुछ चयनित प्रकरण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल व्याख्यान विधि द्वारा अधिक उपयुक्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।

व्याख्यान विधि द्वारा ही छात्रों को यह ज्ञान कराया जा सकता है कि संबंधित विषय-वस्तु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? उसे सीखने के उद्देश्य क्या है? ये सभी जानकारी जब तक छात्रों को नहीं होगी तब तक उनमें विषयवस्तु को बढ़ने के प्रति रूचि पैदा नहीं होगा और न ही विषय के प्रति प्रेरणात्मक एवं भावात्मक विकास सम्भव होगा।

अतः इस प्रकार के प्रस्तुतीकरण के लिए व्याख्यान विधि का प्रेरणास्पद होना भी अति आवश्यक है। जिसके लिए गणितज्ञों एवं वैज्ञानिकों के जीवन वृत्त, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा प्रतिपादित ज्ञान की उपयोगिता को विषयवस्तु का अंश बनाया जाना चाहिये। प्रस्तुत शोध अध्ययन के माध्यम से गणित एवं विज्ञान विषय के प्रति विद्यार्थी में भावात्मक चेतना के विकास हेतु व्याख्यान विधि अध्यापन में परम्परागत विधियों के प्रयोग के अतिरिक्त व्याख्यान विधि के प्रयोग की उपयोगिता एवं प्रयोजनीयता स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

व्याख्यान विधि - व्याख्या के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ए.एच. गार्लिक ने लिखा है -

'व्याख्या का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसके द्वारा किसी शब्द, शब्द-समूह या कथन के अर्थ की सब जटिलता दूर हो जाती है।'

"By explanation is meant the process by which is cleared away from a word phrase or statement all obscurity of meaning". - A.H. Garlick

गणित एवं विज्ञान शिक्षण के अन्तर्गत किसी भी प्रकरण को पढ़ते समय अक्सर भावों या विचारों की जटिलता आ जाती है। इनको सरल भाषा में बालकों को समझाना आवश्यक हो जाता है, ऐसा न करने पर विचार स्पष्ट नहीं होते। अतः व्याख्यान विधि में शिक्षण कथनों के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। वह अपने कथनों के माध्यम से विषय संबंधित सूचनार्यें कक्षा में प्रस्तुत करता है। क्योंकि व्याख्या विधि मूलतः लोक सम्प्रेषण ही है।

सूचनाओं के रूप में प्रकरण से संबंधित प्रतीक, सूत्र, समीकरण, संबंध, फलन, परिभाषाएं, अवधारणाएं, तथ्य, सिद्धान्त एवं नियम, तकनीकी,

विधियाँ आदि सम्मिलित रहते हैं। इन सबके प्रस्तुतीकरण के लिए शिक्षक में निजी सुविधा, सोच, गणित, शिक्षण के प्रति अभिवृत्ति गणित में अभियोद्यता, विषय ज्ञान, व्यक्तित्व आदि की प्रमुख भूमिका होती है।

व्याख्यान विधि के लिए आवश्यक घटक – प्रभावी व्याख्यान के लिए व्याख्यान की योजना बनाना आवश्यक होता है। शिक्षक को निम्न तीन प्रश्नों के उत्तर व्याख्यान देने के पूर्व ज्ञान होना चाहिए –

प्र.1 आपके विद्यार्थी कौन थे?

अर्थात् अध्यापक को मालूम होना चाहिए कि उसके विद्यार्थियों की रुचियाँ क्या हैं? उनका बौद्धिक स्तर कैसा है? उनकी अभिक्षमताएं क्या हैं? वे विषय वस्तु के बारे में पहले से कितना जानते हैं? उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है?

प्र.2 आपके व्याख्यान का क्या उद्देश्य है?

अर्थात् शिक्षक को यह मालूम होना चाहिए कि वह किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्याख्यान दे रहा है? विद्यार्थियों को व्याख्यान सुनने से किन-किन बातों का ज्ञान होगा? उनमें कौन-कौन से कौशलों का विकास होगा? वे प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करेंगे।

प्र.3 व्याख्यान के लिए आपके पास कितना समय है?

अर्थात् विद्यार्थियों की व्याख्यानों में रुचि बनी रहे, इस हेतु शिक्षक को रोचक उदाहरण, प्रेरणास्पद कहानियों, भाषणगत प्रश्न इत्यादि कब और कितने समय प्रयोग करना है? का पूर्व में ही निश्चय कर लेना चाहिए।

व्याख्यान विधि की विज्ञान एवं गणित शिक्षण में उपयोगिता – व्याख्यान विधि गणित एवं विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है और इन विषयों को चॉक-श्यामपट्ट या मॉडल की सहायता के बिना नहीं पढ़ाया जा सकता है। ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है क्योंकि गणित शिक्षण हो या विज्ञान शिक्षण दोनों में ही विषयवस्तु को पढ़ाने समय विद्यार्थियों को यह बताना अति आवश्यक होता है कि संबंधित विषयवस्तु जो कि वह सीख रहते हैं उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? या उसकी अवधारणा कहाँ से आई? उसका आरम्भ कहाँ से हुआ है? और विषयवस्तु से वो किस प्रकार संबंधित है? तथा इसे वो क्यों पढ़ रहा है या सीख रहा है? इसकी जीवन में क्या उपयोगिता है? आदि जब तक यह सभी बातें विषयवस्तु को पढ़ाने से पूर्व छात्रों को पता नहीं होगा। तब तब उसमें उस विषयवस्तु को पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी और वह उसे गंभीरता से नहीं सुनेगा। अतः यह विधि जितनी अन्य विषयों के लिये महत्वपूर्ण है। उतनी ही गणित एवं विज्ञान विषयों के लिए भी है।

अपने अध्यापनकाल के दौरान शोधकर्ता द्वारा यह अनुभव किया गया है कि प्रभावशील 'व्याख्यान' द्वारा बालकों में विषय के प्रति लगाव एवं प्रेरणा का विकास किया जा सकता है। अतः शोधकर्ता द्वारा उ.मा. स्तर पर शिक्षण के भावात्मक पक्ष के विकास हेतु गणित एवं विज्ञान शिक्षक प्रेरक प्रस्तावना के रूप में 'व्याख्यान विधि' की प्रासंगिकता का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है।

समस्या कथन – 'उच्चतर माध्यमिक स्तर पर गणित एवं विज्ञान शिक्षण हेतु व्याख्यान विधि की प्रासंगिकता का समीक्षात्मक अध्ययन'।

उद्देश्य – गणित विषय हेतु 'व्याख्यान विधि' की प्रासंगिकता के संदर्भ में शिक्षकों के अभिमत का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध प्रविधि – शोध विधि में शोधकर्ता ने अपने शिक्षकीय अनुभव के आधार पर प्राप्त परिणामों एवं शोधकार्यों हेतु सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श – प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के रूप में कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के 25 शिक्षकों को लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. से संबंधित 6 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है। जिसमें 2 विद्यालय शासकीय एवं 4 विद्यालय अशासकीय हैं। न्यादर्श का पूर्ण विवरण तालिका क्रमांक 1.0 में किया गया है –

तालिका क्रमांक-1.0 (देखे अन्तिम पृष्ठ पर)

शोध उपकरण – प्रस्तुत अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है, जो शिक्षकों के अभिमत लेने हेतु तैयार की गयी है। इस प्रश्नावली में प्रश्नों की कुल संख्या 30 है।

प्रदत्त संकलन प्रक्रिया – सर्वप्रथम चयनित किए गए विद्यालयों से सर्वे की स्वीकृति प्राप्त की गयी। तत्पश्चात् कक्षा 11वीं एवं 12वीं में पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रश्नावली दी गयी और उन्हें इसे पूर्ण करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया। एक सप्ताह बाद प्राप्त आँकड़ों को सूचीबद्ध कर उनका सारणीयन किया गया।

प्रदत्त विश्लेषण – प्रस्तुत संकलन में प्राप्त प्रदत्तों का विश्लेषण सांख्यिकीय माध्य, प्रतिशत एवं दण्ड आरेख के आधार पर समीक्षात्मक रूप से किया गया।

गणित एवं विज्ञान विषयों के शिक्षकों हेतु तैयार की गयी अभिमततावली द्वारा प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण – प्रश्नावली द्वारा प्राप्त अभिमतों का सांख्यिकीय विश्लेषण शिक्षकों की सहमति के प्रतिशत और दण्ड आरेख के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया है।

कथनों के वर्गीकरण हेतु तालिका क्रमांक 1.1

क्र. क्षेत्र	कथनों की संख्या
1. व्याख्यान विधि की प्रयोजनशीलता	08
2. विषयवस्तु की चयन	05
3. शिक्षण विधि का चयन	04
4. व्याख्यान विधि की प्रभावशीलता एवं उद्देश्य	05
5. अध्यापन कार्य हेतु पर्याप्त सुविधाएँ	02
6. छात्रों की प्रगति	05

● व्याख्यान विधि की प्रयोगशीलता के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

● व्याख्यान विधि की प्रभावशीलता व उद्देश्य के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

● विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

● छात्रों की प्रगति के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

● शिक्षण विधि के चयन के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

● अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त पर्याप्त सुविधाओं के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है –

(ग्राफ देखें आगे पृष्ठ पर)

परिणाम – प्रस्तुत अध्ययन में विषय से संबंधित चयनित प्रकरण से जुड़े विभिन्न तथ्यों के संदर्भ में विभिन्न विषय शिक्षकों ने अपनी भिन्न-भिन्न सहमति व्यक्त की है। जिसे ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। अधिकांश शिक्षकों द्वारा व्यक्त किए गए अभिमत संबंधित समस्या के प्रति सकारात्मक प्राप्त हुए। उनका मानना है कि विज्ञान एवं गणित विषयों के अध्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए विद्यार्थियों को चयनित प्रकरण की विषयवस्तु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी उपयोगिता और वैज्ञानिकों एवं गणितज्ञों के जीवन वृत्त के बारे में बताया जाना प्रेरणास्पद होता है।

परन्तु अधिकांश शिक्षक वर्ग इन तथ्यों से सहमत होते हुए भी अपनी व्यवहारिक रूप से सहमति सकारात्मक व्यक्त नहीं कर सके, इसका कारण वो निम्न बिन्दुओं को बताते हैं-

1. संबंधित समस्या से जुड़े तथ्यों का पाठ्यक्रम में समावेश न किया जाना।
2. कालांश अवधि का सामान्य से अधिक न होना।
3. संबंधित साहित्य का आसानी से उपलब्ध न होना।
4. छात्रों के मूल्यांकन हेतु इन तथ्यों का योगदान न हो पाना।

आगामी अध्ययन हेतु सुझाव – प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा दिए गए सुझाव इस प्रकार हैं -

1. चयनित प्रकरण से संबंधित विषयवस्तु की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि,

साहित्यकारों के जीवनवृत्ता और विषय की उपयोगिता का पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में समावेश किया जाना चाहिए।

2. उ.मा. स्तर के अतिरिक्त अन्य स्तरों पर भी विषय शिक्षण के दौरान इन तथ्यों को छात्रों को बताया जाना चाहिए।
3. अन्य विषयों के अध्यापन कार्य के दौरान भी इन तथ्यों को छात्रों को बताकर उन्हें अधिगम के लिये आत्मप्रेरित किया जाना चाहिए।
4. शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु सामान्य से अधिक समय देना चाहिए।
5. विद्यालय के वाचनालय में शिक्षकों हेतु संबंधित साहित्य सामग्री उपलब्ध करायी जानी चाहिये।


संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. नेगी, जे.एस. व नेगी, रक्षिता (2003), गणित शिक्षण आगरा - विनोद पुस्तक मंदिर
2. पाल, डॉ. हंसराज (2000), उच्च शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण की प्रविधियाँ, नई दिल्ली - हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय
3. Sidhu, Kulbir Singh (1965). The teaching of mathematics, New Delhi: sterling publishers private limited.
4. Third, Fourth and Fifth survey of research in education.


तालिका क्रमांक- 1.0
विद्यालय के अनुसार न्यादर्श विवरण

क्र.	विद्यालय का नाम	श्रेणी मण्डल का नाम	शिक्षकों की संख्या
1.	उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय, देवास	शासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 05
2.	चिमनाबाई कन्या उ.मा.वि., देवास	शासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 03
3.	शिशु विहार उ.मा.वि. देवास	अशासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 04
4.	सरस्वती ज्ञानपीठ उ.मा.वि. देवास	अशासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 03
5.	बी.सी.जी. पब्लिक हा.से.वि. देवास	अशासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 06
6.	किंग जार्क उ.मा.वि. देवास	अशासकीय	मा.शि. मण्डल म.प्र. 04


व्याख्यान विधि की प्रयोगशीलता के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।




व्याख्यान विधि की प्रभावशीलता व उद्देश्य के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिये गये मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।




विषय वस्तु के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है




छात्रों की प्रगति के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



शिक्षण विधि के चयन के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



अध्यापन कार्य हेतु प्राप्त पर्याप्त सुविधाओं के संदर्भ में शिक्षकों द्वारा दिए गए मत प्रतिशत के रूप में निम्न ग्राफ में प्रदर्शित है।



उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता में सम्बंध का अध्ययन

मनीष राठौर * नेहा नरवरिया **

प्रस्तावना – प्रस्तुत शोध में संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता में सम्बंध का शोधकर्ता द्वारा अध्ययन किया। प्रदत्तों का विश्लेषण, सारणीयन व निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए कि छात्राएँ छात्रों की तुलना में उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्र तथा साथ ही अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्र स्तर की है। छात्र छात्राओं की तुलना में उच्च क्षेत्रीय परतंत्र व साथ ही अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्र स्तर के है। संज्ञानात्मक शैली के संदर्भ में छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र स्तर की है। छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों समूहों के मध्यमान की सार्थकता देखते हुए जब 'ज' मूल्य ज्ञात किया तो टी-सारणी मानों में वह मूल्य 0.05 सार्थकता स्तर पर के मान 1.98 से कम प्राप्त हुआ। अतः छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता समान है।

प्रस्तावना – 'शिक्षा से मेरा तात्पर्य व्यक्ति के ऊपर वातावरण के उस प्रभाव से है जो उसके व्यवहार, विचार एवं अभिव्यक्ति की आदतों में स्थायी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है।' – टॉम्सन – शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो व्यक्ति का सर्वांगिण विकास करती है और इसी सर्वांगिण विकास में शामिल है। ज्ञानात्मक विकास तथा बौद्धिक विकास। बहुतों को यह भ्रम रहता है कि ज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास में कोई अन्तर नहीं है, किन्तु दोनों में वही अन्तर है, जो ज्ञान और बुद्धि में होता है। ज्ञान 'अर्जित' है और बुद्धि 'जन्मजात'। ज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बाह्य वातावरण से प्राप्त उद्दीपकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की ज्ञान की अनुभूति का संचय करता है। अर्थात् ज्ञानात्मक विकास एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें बाह्य सूचनाओं को सिद्धान्त रूप में ग्रहण कर व्यावहारिक रूप में क्रियान्वयन की क्षमता विद्यमान रहती है। ज्ञानात्मक विकास का स्वरूप वैयक्तिक होता है। ज्ञानात्मक विकास सभी प्रकार के ज्ञान से सम्बंध रखता है। इस ज्ञानात्मक विकास में व्यक्ति के सोचने, तर्क करने, जानने पहचानने व बोध करने की एक विशिष्ट एवं व्यक्तिगत शैली दिखती है, जो एक अलग प्रकार से सूचनाओं का प्रत्यक्ष बोध एवं संगठन करती है। इसे व्यक्ति की संज्ञानात्मक शैली कहते हैं।

संज्ञानात्मक शैली व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण, चिंतन तर्क व बोध से सम्बंधित है। व्यक्ति किसी उद्दीपक को किस तरह से जानने में प्राथमिकता देता है और उस उद्दीपक के अर्थ को किस प्रकार ग्रहण करता है, यहीं व्यक्ति की संज्ञानात्मक शैली है, जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग व्यक्तिगत एवं विशिष्ट होती है।

सम्बंधित शोधकार्य – पटेल दीपक (2005) ने अपना शोध गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का यादृच्छिक विधि के आधार पर चयनित प्रतिदर्ण पर किया। अध्ययन के निष्कर्ष में कक्षा 11वीं के गणित के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली में क्षेत्रीय परतंत्रता वाले विद्यार्थियों की संख्या क्षेत्रीय स्वतंत्रता वाले विद्यार्थियों से ज्यादा है तथा छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र है।

डेबी (1985) एवं गोरहम (1987) के शोध अध्ययनों के परिणामों से स्पष्ट होता है कि सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक वंचन का संज्ञानात्मक शैली पर विशिष्ट प्रभाव पड़ता है।

ममबायुर एवं मिलर (1970) तथा कार्ल (1981) ने अपने शोध अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभान्वित (Socioeconomically Advantaged) एवं अलाभान्वित (Disadvantaged) बालकों के कुछ संज्ञानात्मक एवं सामाजिक संवेगात्मक चरों के सम्बंध में किये। अध्ययन के परिणाम स्वरूप पाया कि उपर्युक्त दोनों समूह क्षेत्रीय परतंत्रता के आधार पर सार्थक अंतर को प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर श्रेणी का अलाभान्वित समूह अन्य दोनों समूह की तुलना में अधिक क्षेत्रीय परतंत्रता वाला था।

पुष्पा, वधमा (1980) ने प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों की संज्ञानात्मक शैली पर सामाजिक वचन के प्रभाव का अध्ययन करने के पश्चात् इन्होंने पाया कि हिन्दू धर्म के बच्चे, इस्लाम व ईसाई धर्म के बच्चों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्रता (Field Independence) श्रेणी के थे।

सिन्हा (1979) ने ग्रामीण एवं शहरी तथा विद्यालय एवं अविद्यालयी (School and Non-School) बच्चों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद स्पष्ट किया कि ग्रामीण एवं अविद्यालयी बच्चे शहरी एवं विद्यालयी बच्चों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय परतंत्रता वाले थे। 8. गुमैन (1977) ने 11-12 वर्ष के मध्यम वर्ग (Middle Class) तथा श्रमिक वर्ग (Working Class) के प्रयोज्यों के प्रतिदर्ण पर तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त यह इंगित किया कि श्रमिक वर्ग के प्रयोज्य मध्यम वर्ग के प्रयोज्यों की तुलना में सार्थक रूप से अधिक क्षेत्रीय परतंत्रता वर्ग के थे।

समस्या कथन – 'उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता में सम्बंध का अध्ययन।'

उद्देश्य –

1. उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली की

तुलना करना।

2. उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों व छात्राओं की धारण क्षमता की तुलना करना।

परिकल्पनाएँ -

1. छात्रों एवं छात्राओं की संज्ञानात्मक शैली में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. छात्रों एवं छात्राओं की धारण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता में कोई सार्थक सम्बंध नहीं है।

परिसीमन - शोधकर्ता ने समय को ध्यान में रखते हुए अपने शोध को निम्न क्षेत्रों में परिसीमित किया है -

1. अनुसंधानकर्ता ने शोध को रतलाम शहर तक सीमित किया है।
2. अनुसंधानकर्ता ने शोध को उच्च माध्यमिक विद्यालय तक सीमित किया है।
3. अनुसंधानकर्ता ने शोध को कक्षा 9वीं तक सीमित किया है।

न्यादर्श - समष्टि की समस्त इकाईयों में से अध्ययन हेतु कुछ इकाईयों को एक निश्चित विधि द्वारा चुन लिया जाता है। उन संकलित इकाईयों के समूह को न्यादर्श कहते हैं। न्यादर्श किसी भी बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने वाला छोटा समूह है। न्यादर्श चयन के विविध प्रकारों में से अनुसंधानकर्ता ने इस शोध कार्य के लिए यादृच्छिक प्रतिचयन का उपयोग किया है।

क्र.	विद्यालय का नाम	विद्यार्थी संख्या
1.	दिगम्बर जैन हाई स्कूल रतलाम	26
2.	महिला मण्डल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतलाम	22
3.	भारतीय विद्या मन्दिर, रतलाम	27
4.	जागृति हाई स्कूल रतलाम	37
	कुल	112

अतः कुल न्यादर्श के रूप में 112 विद्यार्थी है परीक्षण के दौरान चार विद्यार्थी संज्ञानात्मक शैली के परीक्षण व 3 विद्यार्थी धारण क्षमता के परीक्षण में अनुपस्थित रहे। अतः इन 7 विद्यार्थियों को न्यादर्श में शामिल नहीं किया। अन्ततः कुल न्यादर्श 105 विद्यार्थी रहा।

शोध विधि - शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधकर्ता ने सर्वेक्षण विधि का चयन किया। यह विधि व्यापक रूप से प्रयुक्त किए जा रहे उपागमों में से एक है। इसमें कम समय में अत्यधिक तथ्य एकत्र किये जा सकते हैं। ये विधि वर्तमान स्थिति का वर्णन करती है तथा व्यक्ति विशेष से सम्बंधित न होकर समूह से सम्बंधित है।

उपकरण - प्रत्येक प्रकार के अनुसंधान के लिए नवीन दत्त संकलित करने हेतु अथवा नवीन क्षेत्र का उपयोग करने हेतु कतिपय यंत्रों की आवश्यकता होती है। इन्हीं यंत्रों को ही उपकरण कहते हैं। प्रस्तुत शोध में निम्न दो प्रकार के उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं - 1. विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली ज्ञात करने के लिए ओटमैन, रस्किन व विटकीन का मानकीकृत (Group Embedded Figures Test) का उपयोग किया गया। विद्यार्थियों की धारण क्षमता ज्ञात करने के लिए पूर्व व पश्च स्वनिर्मित निष्पत्ति परीक्षण उपयोग में लिया गया।

सांख्यिकी प्रविधि - 'सांख्यिकी संग्रहित तथ्यों के विश्लेषण अथवा अनुमान संकलन द्वारा प्राप्त सामूहिक या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन

करने का ढंग है।' -किंग- दत्त विश्लेषण के लिए निम्न सांख्यिकी तकनीक प्रयोग में ली गई-

1. मध्यमान
2. मानक विचलन
3. टी-परीक्षण

निष्कर्ष -

1. प्रदत्तों के विश्लेषण से पता चलता है कि संज्ञानात्मक शैली के संदर्भ में छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र है या छात्र छात्राओं की तुलना में अधिक क्षेत्रीय परतंत्र है।
2. प्रदत्तों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि छात्रों एवं छात्राओं की धारण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

प्राप्त निष्कर्षों की व्याख्या -

1. प्रदत्त विश्लेषण से पता चलता है कि छात्राएँ छात्रों की तुलना में उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्र तथा साथ ही अति उच्च क्षेत्रीय स्वतंत्र स्तर की है।
2. छात्र छात्राओं की तुलना में उच्च क्षेत्रीय परतंत्र व साथ ही अति उच्च क्षेत्रीय परतंत्र स्तर के है।
3. संज्ञानात्मक शैली के संदर्भ में छात्राएँ छात्रों की तुलना में अधिक क्षेत्रीय स्वतंत्र स्तर की है।
4. छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि दोनों समूहों के मध्यमान की सार्थकता देखते हुए जब 'ज' मूल्य ज्ञात किया तो टी-सारणी मानों में वह मूल्य 0.05 सार्थकता स्तर पर के मान 1.98 से कम प्राप्त हुआ। अतः छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता में कोई सार्थक अंतर नहीं है। छात्र एवं छात्राओं की धारण क्षमता समान है।

अध्ययन के निहितार्थ विभिन्न प्रकार से शोध के निहितार्थ को निम्नलिखित बिन्दुओं में संधानीकृत किया जा सकता है।

1. शैक्षणिकों की दृष्टि से विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक शैली व उनकी जानकारी संचय रखने की क्षमता के बारे में जानने से शिक्षण प्रभावी व दृढ़ बनेगा।
2. प्रशिक्षक प्रशिक्षकों की दृष्टि से यह समझने में सहायता मिलेगी कि किस रूप में विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रेषित की जाए व उनके लिए बोधगम्य व उपयोगी बने।
3. अभिभावकों की दृष्टि से उनकी संतानों की संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता की जानकारी बालक-बालिकाओं के सुखद भविष्य की नींव बन सकेगी।

भावी शोध हेतु सुझाव -

1. यह शोध उच्च माध्यमिक स्तर पर किया गया है। इसे माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर व प्राथमिक स्तर पर भी किया जा सकता है।
2. यह शोध उच्च माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 के विद्यार्थियों तक सीमित है। इसमें कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के स्तर पर भी किया जा सकता है।
3. इस शोध को सरकारी व निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी कर सकते हैं।
4. प्रस्तुत शोध संज्ञानात्मक शैली व धारण क्षमता के चरों पर आधारित है। इसमें किसी एक चर को बदलकर उसके स्थान पर किसी अन्य चर जैसे वैज्ञानिक, अभिवृत्ति, अभिरुचि को रखकर भी शोध किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भटनागर, सुरेश (1995) 'शिक्षा मनोविज्ञान' मेरठ : आर.लाल बुक डिपो।
2. भटनागर, आर.पी., भटनागर, ए.बी. (1995) शिक्षा अनुसंधान. मेरठ: लॉयल बुक डिपो।
3. ढौंडियाल, एस.एल.; फाटक, ए.बी. (1972) 'शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र' जयपुर - हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
4. कपिल, एच.के. (2001) 'अनुसंधान विधि' आगरा - एच.पी. भार्गव हाउस।
5. माथुर, एस.एस.: 'शिक्षा मनोविज्ञान' आगरा - विनोद पुस्तक मंदिर।
6. गुप्ता, एस.पी. (2003) 'सांख्यिकीय विधियाँ' इलाहाबाद - शारदा पुस्तक भवन।
7. पाण्डेय, के.पी. (2005) 'शैक्षिक अनुसंधान' आगरा - विश्वविद्यालय प्रकाशन।

शैक्षिक गुणवत्ता हेतु नैतिक मूल्यों का सृजन

मेघा अभिषेक दुबे *

प्रस्तावना – वर्तमान समय में सर्वाधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भावी शिक्षकों एवं छात्रों को उनके विकास के लिए साधन उपलब्ध करवाएँ। एक भावी शिक्षक को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि वह छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ संस्कार की ओर भी प्रेरित करें। क्या शिक्षा के माध्यम से छात्रों में 'नैतिक मूल्य' विकसित किए जा सकते हैं? आज हम सभी के समक्ष यह सवाल चिंता का विषय बना हुआ है। हमें आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थी चरित्रवान बने, उनकी प्रतिभा एवं मन की शक्ति का विस्तार हो। कहा गया है कि 'नैतिकता' ही मानवता है। अतः हमारा दायित्व है कि हम विद्यार्थी के रूप में अच्छे मानव का निर्माण करें। निःसंदेह नैतिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा की नींव है। कहा भी गया है कि 'वृत्त यत्नेन संरक्षित वित्तमिति च यति च' अर्थात् धन तो आता है और चला जाता है, चरित्र जाकर वापस नहीं आता। इसकी यत्न पूर्वक रक्षा करना चाहिए। नैतिक शिक्षा मात्र तथ्यों की जानकारी, कथाओं का रटना व उपदेशों का देना मात्र नहीं है। बल्कि ज्ञान को अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारना है। प्रत्येक शिक्षक का दायित्व है कि वह विद्यार्थियों में नैतिकता के गुण समावेशित करें। नैतिक मूल्य सम्पूर्ण शिक्षा की नींव होते हैं। ये नैतिक मूल्य प्रत्येक मानव जीवन की अमूल्य धरोहर हैं और इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों में हस्तांतरित करना शिक्षकों का कर्तव्य है। हमारा आज का विषय 'शैक्षिक गुणवत्ता हेतु नैतिक मूल्यों का सृजन' वर्तमान समय की पहली आवश्यकता है ताकि हम शिक्षा द्वारा छात्रों को संस्कारित करने के उद्देश्य में सफल हो सकें।

संस्कार (मूल्य) – शिक्षा अर्थात् सिखने एवं सिखाने की प्रक्रिया जो अनवरत चलती रहती है। शिक्षा का प्रथम उद्देश्य चरित्र का निर्माण और यह तभी संभव है, जब शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा नीति पूर्वक आचरणों का सृजन हो। अपने जीवन में इन आचरणों को आत्मसत करने में सफल हो। शिक्षा देश की रीढ़ है। जिस प्रकार विकृत रीढ़ से व्यक्ति स्वरथ नहीं कहला सकता, उसी प्रकार विकृत शिक्षा व्यवस्था कभी भी सभ्य समाज एवं देश का निर्माण नहीं कर सकती। यदि शिक्षा में संस्कारों की झलक है, तो मानव को संस्कारों का वास्तविक ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना होना नैतिकता का आधार है। यह प्रत्येक व्यक्ति के गुणवत्ता के स्तर को आगे बढ़ाएगा, जिससे वे केवल शिक्षित ही नहीं होंगे अपितु संस्कारी भी बनेंगे। वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का संवर्गण विकास है। बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, क्या आज हम वास्तव में शिक्षा के इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो पाए हैं- गाँधीजी ने शिक्षा के संबंध में कहा है कि- जो शिक्षा चित्त शुद्ध न करें, मन इंद्रियों को वश में रहना न सिखाए, निर्भरता, स्वावलम्बन एवं निर्वाह करने का साधन न बताए, गुलामी से मुक्ति दिलाकर स्वतंत्र रहने का उत्साह व शक्ति उत्पन्न न कर सकें उस शिक्षा में कितनी भी

जानकारी, खजाना, तार्किक कुशलता एवं भाषा पांडित्य हो वह शिक्षा नहीं है। शायद बिल्कुल सही है, यही कारण है कि आज विद्यार्थियों में एकाग्रता एवं स्वउद्देश्य की कमी देखी जा रही है। शिक्षित समाज के बाद भी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हिंसक प्रवृत्तियाँ, विकृत मानसिकता, निराशा एवं प्रतिस्पर्धा जैसे अनैतिक गुण निरंतर चरम पर हैं। शिक्षा का उद्देश्य इन अनैतिक गुणों को दूर करना है और यह तभी संभव है, जब हम आदर्शवादी शिक्षा को अपनाएँगे। शिक्षा के सही मूल्यों को स्वयं में स्वीकार कर उसे विद्यार्थियों में हस्तांतरित करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करें कि मूल्य क्या है? मूल्य हमारी सामान्य भाषा में कहा जाए तो संस्कार अर्थात् वे अमूर्त गुण जिससे व्यक्ति संस्कारी बनता है। हमारा प्रयास है कि हम शिक्षा के माध्यम से संस्कारों को हस्तांतरित करने में सफल होंगे। वर्तमान शिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर, राजनेता, शिक्षक, वकील या कहे तो एक सफल इंसान बनाने में निपूण है मगर क्या आज शिक्षा के द्वारा हम संस्कारी मानव का निर्माण कर पा रहे हैं शायद नहीं? आज नैतिक मूल्यों का हास निरन्तर हमारे पतन का कारण बना हुआ है। यही वजह है कि हमारा शैक्षिक स्तर जितना बढ़ रहा है गुणवत्ता का स्तर उतना ही नीचे गिर रहा है। शिक्षक एवं विद्यार्थी के निर्माण हेतु नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक हो गया है। आज हम सभी के समक्ष यह सवाल विचारणीय है कि हम मूल्यों के हास पर नियंत्रण कैसे लगाएँ। चूंकि हम शिक्षक हैं और आने वाली युवा पीढ़ी के सृजक भी और जब तक हम स्वयं नैतिक मूल्यों से परिचित नहीं होंगे, छात्रों को संस्कारी बनाने के प्रयास में कैसे सफल होंगे। सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो मूल्यों को पांच भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं-

1. दार्शनिक मूल्य
2. समाज शास्त्रीय मूल्य
3. आध्यात्मिक मूल्य
4. पाश्चात्य एवं भारतीय मूल्य
5. आदर्शवादी मूल्य

वर्तमान आवश्यकता आदर्शवादी मूल्यों की है क्योंकि इसमें सभी मूल्यों का समावेश है। यह आदर्शवादी मूल्य 'सत्यम-शिवम-सुंदरम्' के नाम से जाने जाते हैं। ये मूल्य शाश्वत हैं। जो हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति नैतिकता से शिक्षित होता है, वे सभ्य एवं अपने कर्मों के प्रति निरन्तर प्रयासरत रहता है। आदर्शवादी मूल्यों का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर निम्न गुणों का समावेश करना है।

1. चोरी नहीं करना
2. सत्य भाषण कहना
3. अनुशासन में रहना

4. अहित या गलत कार्य नहीं करना
5. आलस्य का त्याग कर जीवन में गतिशीलता, लगनशीलता, एकाग्रता, धैर्य, सहनशीलता एवं भावनात्मक संबंधों के साथ प्राणी मात्र से विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना।
6. बड़ो का आदर, अतिथि सम्मान, अभिवादन एवं धन्यवाद प्रेषित करना आदि।

क्या हम सभी एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों में यह गुण समावेशित करना का प्रयास शिक्षा के माध्यम से कर सकते हैं, यदि हाँ तो वास्तव में हम समाज एवं देश को शिक्षा के नवीन आयाम देने में सफल होंगे। हमारे ऊपर युवा पीढ़ी के सुखद भविष्य की जिम्मेदारी है। वर्तमान युवा पीढ़ी भावी समस्याओं का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगा सकती। समाज में परिवर्तन की गति अनुशासन से भी तेज हो सकती है। हमें संस्कृति विहिनता, अमानवीयता तथा अलगाव से बचना है तथा विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा देना है, जो बालक-बालिकाओं का सुंदर भविष्य तैयार कर सके। मूल्यपरक शिक्षा विद्यार्थियों को सामाजिक परिवर्तन के विविध रूपों को उनके निहितार्थों में समझने में सक्षम बना सकती है। उनकी नैतिक निर्णय क्षमता एवं मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता विकसित कर सकती है। हमें शिक्षा को इस तरह मूल्यपरक बनाने का प्रयास करना है ताकि देश का सुरक्षित भविष्य तैयार हो सके।

शिक्षा का आधार नैतिकता – शिक्षा का प्रथम उद्देश्य चरित्र का निर्माण और यह केवल शिक्षा से संभव है, नैतिक शिक्षा क्या है? नीतिपूर्वक आचरण करना शिक्षक एवं विद्यार्थी द्वारा नैतिक आचरण हेतु प्रत्येक व्यक्ति में चार गुणों का होना आवश्यक है-

1. उत्साह
2. धैर्य
3. निष्ठा
4. परिश्रम

नैतिक आचरण की प्रथम शुरुआत परिवार, समाज एवं विद्यालय से होती है। धारण या आत्मसत् की जाने वाली वस्तु आचरण है। हम परिवार एवं समाज में रहकर गुणों एवं अवगुणों को ग्रहण करते हैं। छात्र देश एवं राष्ट्र की भावी सम्पत्ति है। उनके शारीरिक, मानसिक एवं नैतिकता का दायित्व शिक्षण पर होता है। इन दायित्वों का निर्वहन व्यक्ति तभी कर सकता है, जब उनमें उपयुक्त शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक गुण हो। परिवार समाज एवं विद्यालय का वातावरण नैतिकता के गुण विकसित करने का सबसे उत्तम साधन है। यदि हमारे विद्यालय की नींव कमजोर है तो हम सभ्य मानव समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते और ऐसी परिस्थिति में भवन की कुशलता पर प्रश्नचिन्ह लगाना स्वभाविक है। सोना, खाना और भय ये तीनों गुण मनुष्य एवं पशु में समान रूप से पाए जाते हैं परन्तु संस्कार या नैतिक आचरणों का क्रियन्वन मानव को मानव कहलाने योग्य बनाता है एवं उसे पशुओं की श्रेणी से भिन्न बनाता है। तात्पर्य यह है कि संस्कारविहिन मानव को अगर पशु कहा जाए तो कोई संदेह नहीं। इसी संबंध में महादेवी वर्मा ने भी कहा है- 'नैतिकता बालकों में जागरूकता लाती है और जागरूक व्यक्ति ही समाज में सात्विक एवं सुखद परिवर्तन ला सकता है।' वहीं पंतजी ने कहा है- 'नैतिकता मन का शील है, संस्कारित होना ही मानव के आचरण को अनुशासित बनाता है।' नैतिक शिक्षा शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए। नैतिकता के अध्ययन से छात्रों में नैतिक आचरणों का विकास होगा। छात्रों को आध्यात्म, योग, सद्भावना, चारित्रिक विकास आदि विषयों

पर आधारित ज्ञान दिया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में शिक्षा अंतर्ज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती थी जो शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक शक्तियों के संतुलन से हमारे स्वभाव में परिवर्तन करती थी और मानव को श्रेष्ठ बनाती थी। इस प्रकार शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज में एक नागरिक के रूप में रह सके। वही प्लेटो ने कहा है कि- 'शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, जो सद्गुणों का विकास करते हैं और अच्छी आदतों एवं गुणों द्वारा बालकों को चरित्रवान बनाते हैं।'

अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में नैतिकता की शिक्षा अनिवार्य रूप से आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में जोड़कर विद्यार्थियों को शिक्षण कराने के साथ-साथ नैतिकता की शिक्षा दी जानी चाहिए। नैतिक शिक्षा में सभी धर्मों की आध्यात्मिक शिक्षा का समावेश हो। बालकों में सहयोग, सहिष्णुता, सद्भावना व आदर इत्यादि गुण परिलक्षित हो। कबीर, तुलसी के दोहों में नैतिकता के पुट देखने को मिलते हैं जिनकी वर्तमान में प्रासंगिकता एवं महत्व को समझना हमारे लिए आवश्यक है। जैसे- तुलसीदासजी ने कहा है-

'तुलसी इस संसार में, भाँति-भाँति सब लोग।

मील-जूली सब रहियों, नदी नाव संजोग ॥

नैतिक मूल्य मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं और सिखाते हैं कि मिल-जुलकर रहना एवं एकता का परिचय देना। वही कबीरदासजी ने कहा है-

'कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर ।

ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर ॥

अर्थात् समता एवं समरसता का भाव रखते हुए प्राणी मात्र के प्रति कल्याणकारी भावना रखना। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने उपस्थित हैं, जिनका उद्देश्य नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना है।

अतः अंत में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समाज की विषम परिस्थितियों में बदलाव तभी आ सकता है जब हम शिक्षा का आधार नैतिकता को मानें। शिक्षक एवं विद्यार्थी नैतिक मूल्यों के महत्व को समझे सकारात्मक विचारधारा रखते हुए आगे बढ़ें एवं देश एवं समाज को एक मजबूत आधार अर्थात् संस्काररूपी वृक्ष से रोपित करने में सफल हों। वे संस्कारों के सृजक बनें एवं स्वयं के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी नैतिकता का पाठ पढ़ाए।

आदर्श शिक्षक के रूप में नैतिक मूल्यों का सृजन – हमारे शिक्षक, अभिभावक, राजनैतिक दलों के सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी आज सभी मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ मूल्यों को हम ग्राह्य मानते हुए भी ग्रहण नहीं करते। कुछ मूल्यों पर हमारा विश्वास नहीं है, परन्तु हम सभी उनके अनुरूप व्यवहार करने का दिखावा करते हैं। देश को भावी प्रगति व सुसंगठित भावी समाज की स्थापना का दायित्व शिक्षक के ऊपर है क्योंकि उसे ही देश के भावी नागरिकों का निर्माण कार्य करना है। इस संबंध में स्वामी विवेकानंदजी ने कहा है - 'हमें वह शिक्षा चाहिए जिससे व्यक्ति चरित्रवान बने, उसकी प्रतिभा एवं मन की शक्तियों का विस्तार हो' और शिक्षा ही वह एक मात्र साधन है, जो व्यक्ति को चारित्रिक एवं जीवन के उत्तम आदर्शों से अवगत कराते है। एक आदर्श शिक्षक ही वह माध्यम है जो विद्यार्थियों में संस्कारों के बीज डाल सकता है। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा। जब शिक्षक का व्यवहार पूरी तरह मानवीय मूल्यों पर निर्भर होगा। यह शाश्वत सत्य है, की नैतिकता ही मानवता है और मानवता के यह गुण विद्यार्थियों में एक आदर्श शिक्षक ही डाल सकता है। शिक्षा एक ऐसे अनुकूलन

की प्रक्रिया है, जो शारीरिक तथा मानसिक विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ही बालक समायोजन करना सीखता है। नैतिक शिक्षा बालकों के विचारों में मौलिकता, नवीन दृष्टिकोण का विकास परिश्रमी, समाजसेवी, अनुशासनप्रिय तथा मानव समुदाय के प्रति संवेदनशील बनाती है। बालकों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का विचार स्थापित करती है। आज हमें इस बात की आवश्यकता है कि जो मानव मूल्यों की चेतना, क्षीण और धूमिल हो गयी है, आज हमें उसे फिर से लाना है। आज हमें एक ऐसे जीवन दर्शन को विकसित करना है, जो मानवीय गरिमा व नैतिकता की रक्षा करने में समर्थ हो। नैतिक शिक्षा के शिक्षण में शिक्षक अपनी भूमिका का अमूल्य प्रयोग कर छात्रों का मार्गदर्शन कर सकता है। छात्रों का दृष्टिकोण संतुलित जीवन के अनुकूल बना सकता है और यह तभी संभव है, जब शिक्षक द्वारा मानवीय नैतिक मूल्यों के सृजन में विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान किया जाये। इस संबंध में कबीरदास जी ने कहा है कि एक शिक्षक में कौन-कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए, ताकि वह कुशलता पूर्वक छात्रों के साथ शैक्षिक अधिगम में सफल हो सके -

**'सावधान और शीलता, सदा प्रफुल्लित गाता
निर्विकार गम्भीर मत, धीरज दया बसाता।'**

अर्थात् एक शिक्षक को सदैव सजग एवं तत्पर रहना चाहिए उसके स्वभाव में विनम्रता और विषम परिस्थितियों में प्रसन्न रहने का गुण हो समस्त विकारों और बुराईयों से रहित, समुद्र की भाँति गंभीर हो, धीरज, दया एवं सहिष्णुता जैसे आदि सद्गुण उसके भीतर होने चाहिए तभी वह अपनी विद्यार्थियों को संस्कारी बनाने में सफल हो पाएगा। मूल्य शिक्षा आज वर्तमान समय की पहली मांग हो गयी है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (NCERT) ने सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर शिक्षकों में 83 मूल्यों का होना आवश्यक माना है। शायद हम और हमारा भावी शिक्षक वर्ग अभी भी इन नैतिक मूल्यों से पूर्णतः परिचित नहीं है। अगर हम इन नैतिक मूल्यों का अनुसरण करे तो समाज में व्याप्त कई अनैतिक कार्यों पर रोक लगाई जा सकती है। छात्रों का सुखद भविष्य तैयार कर उन्हें एक आदर्श जीवनशैली का आधार दिया जा सकता है। जिससे की वह स्वयं की पहचान कर सके। मगर फिर प्रश्न उठता है, कि पाठ्यक्रम में नैतिकता को स्थान कैसे दिया जाए, क्योंकि हमारे आज के शिक्षक तो डायरी, कोर्स एवं टॉपर बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो कही गुम हो गया है। आज शिक्षा मात्र पैसा कमाने का साधन बन गई है। वही दूसरी ओर आज की युवा पीढ़ी के लिये देश या शिक्षा के पास कोई प्रेरणादायी ध्येय नहीं है। अगर कहीं आशा की किरण नजर आती है, तो वह कार्य विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में हो सकता है। युवा पीढ़ी को जाग्रत करने की आवश्यकता है, उनकी क्षमताओं को उजागर कर जीवन मूल्यों को फिर से उन्नती की ओर ले जाना हमारा परम कर्तव्य है। इसके लिये आवश्यक है, कि शिक्षकों द्वारा नैतिकता का अध्ययन एक विषय के रूप में करवाया जाए। शिक्षक द्वारा नैतिक आचरणों का विकास विद्यालय में प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ कर दिया जाये। शिक्षक विद्यार्थियों में निरंतरता, अनुभव, पुनर्निर्माण एवं प्रगतिशीलता जैसे गुणों को समाहित करने का प्रयास करे। छात्रों को अपने कर्तव्यों का बोध करवाए। शिक्षा व्यवस्था के सफलतम संचालन में शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि शिक्षक विद्यालय, विद्यार्थी एवं शिक्षा व्यवस्था की एक महत्व कड़ी है। एक शिक्षक की दूरदृष्टि ही शिक्षा व्यवस्था को सफल एवं सर्वोत्तम रूप से सम्पन्न बनाती

है। वर्तमान समाज में कई विसंगतियाँ हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने पड़ोसी की हत्या, चोरी, भ्रष्टाचार तथा कई अनैतिक कार्यों में लगा हुआ है, इसके मूल में मानवीय मूल्यों की शिक्षा का अभाव है। सामान्य रूप से जब शिक्षक छात्रों को मानवीय मूल्य, प्रेम एवं सहयोग की शिक्षा प्रदान करता है, तो उससे एक आदर्श समाज का निर्माण होता है तथा भविष्य में छात्रों का व्यवहार भी समाजोपयोगी बनता है।

अतः हम कह सकते हैं, कि समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व शिक्षक पर है। एक आदर्श शिक्षक की दूरदर्शिता ही समाज एवं राष्ट्र को कुशल नागरिक प्रदान करने में सफल हो सकती है। एक छात्र का सर्वांगीण विकास उसी स्थिति में संभव है। जब उसे आदर्शवादी शिक्षा प्रदान की जाए, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता को दूर करने के लिये शिक्षक को आगे कदम बढ़ाना होगा अपने कर्तव्यों का बोध रखते हुए अपना दायित्व निभाना होगा एवं एक आदर्श शिक्षक के रूप में नवीन मूल्यों का सृजन कर उत्तम चिंतन क्षमता का विकास स्वयं के साथ-साथ छात्रों में भी करना होगा। चरित्र विकास में विद्यालय की भूमिका अहम है। पर यहाँ पर हमें यह याद रखना जरूरी है, कि यह कार्य किसी एक शिक्षक का नहीं सम्पूर्ण शिक्षक समुदाय का दायित्व है। शिक्षक, प्रेम, समरसतापूर्व तथा स्वीकृति सूचक वातावरण बनाकर बच्चों में अच्छे गुण निरंतर विकसित करे। शिक्षक वर्ग अपने इस कर्तव्य से कभी भी अपना मुँह न मोड़े। नैतिकता सर्वपरी है, यह ध्यान रखते हुए संस्कारों का सृजन कर नवीन राष्ट्र का निर्माण करे।

उपसंहार - शिक्षा मानव मस्तिष्क को अनेक कुप्रवृत्तियों से बचाती है और उनमें जनकल्याण की भावना का संचार करती है। शिक्षा व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध करती हुई उसके रहन-सहन, बोल-चाल तथा व्यवहार पर अपना अमिट प्रभाव डालती है। यही कारण है, कि हम शिक्षित और अशिक्षित में अंतर आसानी से समझ जाते हैं। कहा जाता है, कि अशिक्षित व्यक्ति की दो आँखें होती हैं किन्तु शिक्षित व्यक्ति चार। अर्थात् अशिक्षित व्यक्ति कुपमण्डूक बना रहता है और वही शिक्षित व्यक्ति अपनी ज्ञानरूपी आँखों से समस्त संसार को देखता है। शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को स्वाभाविक और सामाजिक पूर्ण विकास में सहयोग देती है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों के चरित्र का निर्माण करना है और शिक्षा का मुख्य लक्ष्य मानवीय गुणों की स्थापना करना है। जब मानवीय मूल्य विकसित होने लगेंगे तब स्वतः ही चरित्रनिर्माण की प्रक्रिया सफल होगी। एक चरित्र वाला व्यक्ति ही संकुचित दृष्टिकोण, व्यक्तिगत लाभ, क्रोध, भय तथा धन की लालच से ऊपर उठकर समाज की स्थापना कर सकता है। शिक्षा के मूल्य में आदर्श चरित्र का निर्माण है किन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे की जाए यह विचारणीय प्रश्न है। पाठ्यपुस्तक अनुशासन तथा विद्यालय व्यवस्था द्वारा इसका उत्तर देना कठिन है हमारा आज का शीर्षक 'शैक्षिक गुणवत्ता हेतु नैतिक मूल्यों का सृजन' इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रयास में हम तभी सफल हो सकते हैं, जब हम वैचारिक शुद्धता रखते हुए शुद्ध आचरणों का सृजन स्वयं में एवं छात्रों में पोषित करें एवं स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. मूल्य एवं नैतिक शिक्षण - रेणु चौधरी ।
2. मूल्य शिक्षण - डा. राजश्री तिवारी ।
3. उद्दीयमान भारतीय समाज में शिक्षा - डा. रामशुक्ल पाण्डेय एवं स्वयं के विचार - मेघा दुबे ।

भारतीय संस्कृति और चरित्र प्रधान देश में बेटी बचाओ अभियान की आवश्यकता की प्रारंगिकता

निशा कंठालिया *

प्रस्तावना - 'यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता' अर्थात् जहां नारी की पूजा की जाती है, वहां देवताओं का वास होता है' और धर्मशास्त्र इस तथ्य की पुष्टि भी करते हैं क्योंकि भारतीय परिवेश में वीणा वादिनी मां सरस्वती शक्ति रूपेण मां दुर्गा और समृद्धिदायक मां लक्ष्मी प्राचीन परिवेश से आधुनिक वर्तमान परिवेश तक निर्विवाद पूजनीय हैं। नवरात्र में नौ दिन मां के रूप में कुंआरी कन्याओं को पूजा जाता है और उन्हें भोजन करवाया जाता है। यही नहीं प्रत्येक मांगलिक प्रसंग पर कन्याओं का धार्मिक कार्यों में योगदान अपेक्षित है। यज्ञ हवन पूजा में उसे पुरुष की अर्धांगिनी बन समस्त पवित्र संस्कार सम्पन्न करने है और गृहस्थ जीवन में एक गाडी के दो पहियों रूपी रथ में अहम भूमिका निभाकर जीवन पथ पर अग्रसर होना है। अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उसे मानव अधिकार ओर मूल अधिकार के अन्तर्गत बिना किसी भेदभाव के पुरुष के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है।

निःसंदेह धर्मशास्त्र संविधान और अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार उसे पुरुष के समकक्ष मानकर उसे बराबर का दर्जा दे रहे हैं तब बेटी बचाओ और बेटी पढाओ अभियान की आवश्यकता क्यों ? क्या हमारे धर्मशास्त्र और विधिक उपबंध महज सैद्धांतिक है ? क्या हम सिर्फ धार्मिक त्योहारों और संस्कारों के निर्वाह पर कन्या का वजूद अहम मानते हैं ? क्या व्यवहारिकता के धरातल पर बेटियों के साथ किया जाने वाला भेदभाव उचित है। क्या वर्तमान परिस्थिति बेटों की तुलना में बेटियों का अस्तित्व प्रतिशत लगातार गिरना जायज है ? क्या बेटियों को जन्म देने के बाद तो भेदभाव का सामना करना ही पर अब तो वैज्ञानिक अविष्कार के चलते सांस लेने से पहले ही अपने अस्तित्व का मोहताज भी होना होगा क्योंकि सोनोग्राफी द्वारा परीक्षण करके बेटी को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है।

इतना ही नहीं देवी समान मंदिरों में पूजा जाने वाला कन्या स्वरूप रोज निर्भया कांड में नित गए स्वरूपों में वीभत्स वहशीयता का शिकार है तो कही दहेज की बेदी पर जिंदा जलने को मजबूर है, तो कही नारी क्रय-विक्रय द्वारा भोग विलास का सामान समझकर कुचल दिया जाकर शर्मसार किया जाता है और मानव समाज कितना भी सुसंस्कृत, विकसित और शिक्षित हो जाए समाज की यही विकृत मानसिकता को नित नये आयामों में पाते हैं और यही वजह है, जन्म लेने से पहले उन्हें मृत्युदंड की भयावह सजा दी जा रही है क्योंकि बेकसुर होने पर भी वह अंग्राकित कारणों से इस भ्रुणहत्या की सजायापता हैं।

1. **अंधविश्वास** - पुत्र ही पिंडदान करेगा और नरक से छुटकारा दिलवाएगा।
2. **धर्मन्धता** - दो पुत्र तो होने ही चाहिए।

3. **आर्थिक सक्षमता** - पुत्र बड़ा होकर पारिवारिक आर्थिक दायित्वों का वहन करेगा।
4. **बेटी तो पराया धन** - अर्थात् यह तो किसी और के घर चली जाएगी।
5. **वंशवृद्धि** - सिर्फ पुत्र से ही संभव है।
6. **पिता का नाम रोशन करेगा** - पुत्र, पौत्र प्रपौत्र.....से पीढ़ी दर पीढ़ी नाम चलेगा।
7. **दहेज प्रथा** - विवाह संस्कार पर बेटी को लाखों का दहेज देना पड़ेगा।
8. **बेटियों का आत्मनिर्भर न होना** - क्योंकि रूढ़िवादिता के कारण वह घर से ही बाहर नौकरी हेतु कम ही जाती हैं।
9. **बेटियों का कम शिक्षित होना** - क्योंकि बेटों को उच्च शिक्षा की महंगी फीस देकर डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाता है।
10. **बेटियों का अशिक्षित होना** - देहातो गांवों में तो बेटियों से सिर्फ चूल्हा चौका करवाकर उन्हें स्कूल का रूख भी नहीं करवाया जाता।
11. **प्राचीन अभद्र कुरीति** - महज भोग विलास का सामान बेटियों को पुरुष वर्ग से संरक्षण और महफूज मनःस्थिति का न मिलना।
12. बेटियों को पराना धन मानकर उपेक्षित परवरिश।
13. बेटियों को बोझ मानना।
14. विवाह संस्कार पर होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचने की धारणा।
15. विधवा विवाह और परित्यक्तता हेतु पुनर्विवाह जैसी सुलझी धारणा नहीं।

इन कारणों की परिणति या व्यवहारिक रूप इस ग्राफ के माध्यम से दर्शित होता है कि बेटों का प्रतिशत बेटियों से अधिक है।

INDIAN STATES BY MAL SFEMAL RATIO

STATE/UNION TERTORY (UT)	RATIO 2011	RATIO 2001	CHANGE 2001-2011
KERALA	1084	1058	+26
PANDICHERY	1038	1001	+37
TAMIL NADU	998	986	+9
ANDRA PRADESH	992	978	+14
CHANDIGARH	991	990	+1
MANIPUR	987	978	+9
MEGHAYA	986	975	+11
ODISHA	978	972	+6
MIJORAM	975	938	+37
HIMACHAL PRADESH	974	970	+4
KARNATAKA	968	964	+4
GOA	968	960	+8

UTTARKHAND	963	964	-1
TRIPURA	961	950	+11
ASSAM	954	932	+22
JHARKHAND	947	934	+6
WEST BENGAL	947	934	+13
LAKSHADWEEP	946	947	-1
NAGALAND	931	909	+22
MADHYA PRADESH	930	920	+10
MAHARASHTRA	925	922	+3
ARUNA CHAL PRADESH	920	901	+19
GUJARAT	918	921	-3
BIHAR	916	921	-5
UTTAR PRADESH	908	898	+10
PUNJAB	893	874	+19
SIKKIM	889	875	+14
JAMMU AND KASHMIR	883	900	-17
ANDAMAN AND NICOBAR	878	846	+32
HARYANA	877	863	+16
DELHI	866	821	+45

RADIO OF INDIA MALE AND FEMALE IN 2011
940 FEMALES FOR EVERY 1.000 MALES

TOTAL MALE POPULATION	323700,000 (623.7,MILLION)
RURAL RATIO OF INDIA	947
URBAN RATIO OF INDIA	926

यद्यपि हम विधिक उपबंधो और इनकी अवहेलना पर निर्धारित दण्ड और शास्ति को नकार नहीं सकते, क्योंकि कोख में भ्रुण परीक्षण करवाकर बेटियों को जान से मारना एक संगीन अपराध है। पूर्णतया दण्डनीय भी है पर अफसोस ये विधिक दायिदक उपबन्ध सांविधानिक उपबन्ध और राष्ट्रीय

और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास महज कपोल धारणा और खोंखले प्रतीत होते हैं, क्योंकि इस ज्वलत वीभत्स और हृदय विदारक समस्या तब तक मानवीय समाज से दूर नहीं होगी जब तक हमारी कुंठित विकृत मानसिकता में आमूल-चुल बदलाव न आये।

निष्कर्षत – आईए हम और इस कुरीति पर चिंता करने की बजाय चिंतन और मनन करे कि क्योंकि शास्त्रिक चित्रण और विधिक प्रयास धुमिल होते नजर आ रहे हैं और हम कब तक रानी लक्ष्मीबाई की वीरता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व क्षमता कल्पना चावला की उडान पी.टी. उषा की मेराथन, सेना में कार्यरत पायलट कर्नल मेजर और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भारतीय बेटियों की कार्यक्षमता से भारतीय रूढ़िवादिता और अंधविश्वास जैसी दकियानूसी कुंठित मानसिकता से उबारकर परिचित करवा पाएंगे।

कानूनी उपबंध शास्त्रीय मान्यता व अन्य प्रयास बेटियों को तब ही बचा पाएंगे उन्हें उनका नाम वजूद पहचान अस्तित्व मुहैया करवा पायेगे जब तक बेटियों को स्वावलंबी आत्मनिर्भर शिक्षित बनाए काश वह दिन जल्द आये जब हम बेटों और बेटियों को व्यवहारिक जीवन में समकक्ष माने और बेटियों को गरिमामय अस्तित्व, पहचान सुलभ करवाएंगे। इक्कीसवी सदी के आधुनिक परिवेश में बेटियों की अनिवार्यता व आवश्यकता को नजर अंदाज न करे क्योंकि जब तक सोच और कुंठित मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा तब तक कितने भी प्रयास बेटियों को बचाने हेतु किए जाए महज अपने आप के साथ दलावा और बेमानी होंगे क्योंकि यह विषय चिंतन और मनन का विषय है और 100 प्रतिशत सत्य है कि जीवन पथ पर दोनों जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए जिसमें एक पहिए के न होने पर गृहस्थी का जीवन रथ संतुलित नहीं रह पाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

वर्तमान शिक्षण में अंकीय कक्षा-कक्ष की प्रारसंगिकता

डॉ. भंवर लाल नागदा * नीलम कुमारी **

शोध सारांश – शिक्षा में बदलाव आ चुके हैं, इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान तकनीकी का है, जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। कम्प्यूटर, ई-मेल, डीजिटल वीडियो, इत्यादि प्रौद्योगिकी के संस्थानों के संस्थान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक नवीन क्रान्ति का सूत्रपात हुआ है। आधुनिक शिक्षा जगत में सूचना सम्प्रेषण प्रौद्योगिकी की अभिव्यक्ति का सशक्त साधन मल्टीमीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। आज शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी व संचार साधनों के प्रयोग में आशातीत वृद्धि हुई है शिक्षा की प्रक्रिया को समुन्नत व गुणात्मक बनाने हेतु सूचना एवं संचार साधनों का उपयोग अति आवश्यक है, प्रस्तुत पेपर शिक्षा के क्षेत्र में आए इसी बदलाव का वर्णन है, किस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शिक्षा को और प्रभावशाली बना रही है।

प्रस्तावना – कोठारी आयोग (1964-66) के अनुसार 'भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, और शिक्षक को सौंपा गया है, यह महत्वपूर्ण दायित्व।'

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार – 'हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है, जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है।'

शिक्षा जगत में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के फल स्वरूप क्रान्तिकारी परिवर्तन आए हैं। जहाँ इन्टरनेट के माध्यम से सम्बन्धित वेबसाइट का प्रयोग कर ज्ञान की नवीनतम जानकारी प्राप्त की जाती है, वहीं शिक्षकों की भी कई समस्याओं का समाधान किया है।

हेनरी फार्ड के कथनानुसार 'इन्टरनेट के माध्यम से समूची दुनिया को एक गांव में तब्दील होने के साथ ही इन्टरनेट 21वीं सदी में जीवन का एक अभिन्न अंग माना जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा गया, इस दृष्टि से भी विद्यालय एवं शिक्षक का दायित्व पहले की अपेक्षा और भी अधिक बढ़ गया है। स्मार्ट क्लास रूम शिक्षण हेतु विद्यालयों में समुचित साधन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं तथा आधुनिकी अंकीय कक्षा-कक्ष (Digital Class Room) प्रारम्भ कर दी गई है। जिसकी प्रथम शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई।

आज सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभाव जिस रूप में बढ़ा है, जीवन का हर क्षेत्र – सामाजिक; आर्थिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक उससे अभिभूत है। कार्य की नई उप-संस्कृतिक इसी के प्रभाव से विकसित हो रही है तथा कौशल ज्ञान के नवीनीकरण की प्रवृत्तियों का अभ्युदय हो रहा है। अतः इसे सूचना प्रौद्योगिकी युग की संज्ञा दी गई। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षा शिक्षण एवं अधिगम की नवीन संकल्पनाएँ लोकप्रिय बनती जा रही हैं। शिक्षक-क्रेन्द्रित शिक्षण व्यवस्था के स्थान पर जहाँ विद्यार्थी – केन्द्रित शिक्षण – अधिगम व्यवस्थाएँ महत्वपूर्ण बनती जा रही हैं वहीं शिक्षक एवं विद्यार्थी की सहभागिता के आधार पर टिकी व्यवस्थाओं का सृजन पूरी शिक्षा – संकल्पना में नया आयाम जोड़ने की अपेक्षा रखता है।

जीवन के हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के द्वारा कम से कम समय में अधिकतम लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। आज का परिवेश प्रतिदिन इस तीव्रतम उपलब्धि के कारण संकुचित होता जा रहा है। मानव जीवन का कोई भी पक्ष या प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव से अछूता नहीं है और उसका प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता है। आज इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार तथा टैलिकॉन्फेरेंसिंग के नवचारी प्रयोगों से शिक्षा में भरपूर परिवर्तन अनिवार्य एवं अपेक्षित है। वैब-आधारित तथा इंटरनेट – सर्वद्वित नाना प्रकार के ऑन-लाइन कार्यक्रम वैश्वीकरण की ओर तेजी से गतिशील हैं। अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक शिक्षा के उन्नयन हेतु सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी का समन्वय किस प्रकार से किया जाए।

शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा गया, इस दृष्टि से विद्यालय का दायित्व पहले की अपेक्षा अब अधिक बढ़ गया है। अब विद्यालयों में समुचित साधन सुविधाएं जुटाई जा रही हैं तथा उनमें कई नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार की आधुनिक तकनीकी का उदाहरण अंकीय कक्षा-कक्ष (Digital Class room) है। अंकीय कक्षा-कक्ष को स्मार्ट क्लास (Smart Class room) स्मार्ट कक्षा-कक्ष के नाम से भी पुकारा जाता है।


अंकीय कक्षा-कक्ष के घटक/उपागम –

हार्डवेयर	सॉफ्टवेयर
1. पर्सनल कम्प्यूटर	1. मल्टीमीडिया विषय वस्तु
2. सर्वर	2. प्रयोगशाला कक्ष
3. नेट वर्किंग	3. नवशे सम्बन्धित उपकरण
4. इन्टरएक्टिव श्वेत बोर्ड	4. माइन्ड मैप
5. प्रोजेक्टर	5. अंकीय पुस्तकालय
6. स्पीकर	6. मूल्यांकन उपकरण
7. यू.पी.एस.	7. सृजनात्मक प्रस्तुतीकरण
8. छात्र प्रतिक्रिया प्रणाली	

विद्यालयों में अंकीय कक्षा-कक्ष तकनीक की उपादेयता –

* पर्यवेक्षक, पेसिफिक एकेडेमिक ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत

** शोधार्थी, पेसिफिक एकेडेमिक ऑफ हायर एज्यूकेशन एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर (राज.) भारत



अंकीय कक्षा-कक्ष की आवश्यकता एवं महत्व - शिक्षा में आधुनिकता के प्रवेश से, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन हुआ है। इसका जीवन्त उदाहरण है - स्मार्ट क्लास अर्थात् अंकीय कक्षा-कक्ष। जहाँ अध्यापक नवीन तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बना सकता है। अंकीय कक्षा-कक्ष एक नई शैक्षिक क्रान्तिकारी तकनीक है, जो कि शिक्षण को डेस्कटॉप पर रिकार्ड करने की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इसे आसान कक्षा-कक्ष अध्यापन हेतु तैयार किया जाता है। जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से अथवा दर्ज की गई सामग्री के द्वारा शिक्षण करवाया जाता है। अंकीय कक्षा-कक्ष से शिक्षण की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। इस नवीन व्यूह संरचना निर्माण से विद्यार्थी भविष्य में लाभान्वित होंगे। इसलिए अध्यापक नवीन तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षण करवाए तो

शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकेगी। शिक्षकों का इस ओर रुझान बढ़ेगा।

वर्तमान में केन्द्र एवं राज्य सरकार ने इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को ध्यान में रख सभी क्षेत्रों में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया है। अतः यह नवीन तकनीक शिक्षा जगत में भी 'मील का पत्थर' साबित होगी। इसलिए राज्य सरकार का प्रयास है कि वह प्रत्येक विद्यालय को संचार माध्यमों से जोड़कर शिक्षण करवाए। विद्यालयों में सभी आवश्यक संसाधन, उपकरण उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि शिक्षक शिक्षण के दौरान नवीन तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग करते हुए शिक्षण को प्रभावी, रूचिकर बनाए और विद्यार्थी शिक्षण में रूचि ले सकें।

केन्द्र सरकार ने एन.सी.एफ. 2005 तथा एन.सी.एफ.टी. 2009 में विशेषतौर से शिक्षा में गुणवत्ता, प्रशिक्षण को प्रभावी बनाना तथा शिक्षा में नवीन तकनीक का प्रयोग करने पर विशेष जोर दिया गया है। अतः केन्द्र सरकार की संकल्पना को साकार रूप देना है और शिक्षा पर होने वाले ष की पूर्ति करनी होगी तो आज शिक्षण में नवीन तकनीकी स्मार्ट क्लासेज को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। कोई भी कार्य यदि हम सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, एवं परिश्रम के साथ जुट जाए तो परिणति में सफलता अवश्यक मिलेगी। इसलिए वर्तमान में शिक्षण के अन्तर्गत अंकीय कक्षा-कक्ष द्वारा शिक्षण की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता है। यदि हमें विकसित एवं विकासशील देशों की श्रेणी में रहना है, तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर नवीन तकनीकी का इस्तेमाल करना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

Freedom of Speech and Expression: New Dimensions and Restrictions

Dr. Deepika Bhatnagar *

Key Words - Liberty, Incitement, Dimension, Responsibility, Defamation.

Introduction - *“If Liberty Means Anything At All, It Means The Right To Tell People What They Do Not Want To Hear”*
- **George Orwell**

Speech and expression are natural rights and also god's gift to mankind. Speech is a media of communication of human being through his thoughts, sentiments and feeling to others. It is, therefore, a basic right. which acquires from his birth. This right considered to be the sixth right for which constitution of India guarantees under the Article 19 (1) it means Right to express one's own conviction and opinions freely”.

In India Freedom of speech and expression means imparting and receiving information which includes freedom to hold opinions..Under Article 19(1) (a) guaranteed freedom of press is implied from the freedom of speech and expression. Freedom of press is part of freedom of expression. It is the right to express ideas, opinions through speech, writing or any other mean but without causing harm to anybody's characters or reputation by misleading statements.

The main conception behind granting this freedom to the citizen of India was to allow them to freely develop their thoughts and ideas and share them without any unreasonable hurdle. One of the Sanskrit slogans for say 'Mundam Mundam Matam Bhinna'.

The Scope Of Freedom Of Speech And Expression Supreme Court Has Said That The Words “Freedom Of Speech And Expression” Must Be Broadly Constructed To Include The Freedom To Circulate One's Views By Words Of Mouth Or In Writing...Speech is a form of expression but it is should not be the only protected form of expression.

Freedom of speech and expression : Purpose

This right not only permits to the people to communicate their feelings, ideas, and opinions to others but also it serves a broader purpose as well. These purposes can be classified into four:

1. Attainment of self- fulfilment;
2. Assistance in the discovery of truth;
3. Participation in the decision-making process;
4. Establishment a reasonable balance between stability and social change.

5. Freedom of speech and of the press lays at the foundation of all democratic organizations.

Freedom of Speech and Expression: New Dimension

The rights guaranteed under the Indian Constitution as fundamental rights, are very much corresponding to the Human rights of the individuals which were declared universally through the 'Universal declaration of Human Rights'.

Art. 19(1)(a) every Citizen has right to telecast and broadcast to the viewers/listeners through electronic media television and radio any important event. For this the government can impose restrictions on such a right only on grounds specified in clause (2) of Art. 19 and not on any other ground. A citizen has fundamental right to use the best means of imparting and receiving communication and as such have an access to telecasting for the purpose.

The Supreme Court of India has held that the participation in sports in an expression of one's self and thus it is a form of freedom of speech, hoisting the National Flag by citizens is a form of freedom of speech and expression as per Union Of India vs. Naveen Jindal & Anr on 23 January, 2004, Freedom of Press is an inferred right implicit under Article 19(1)(a) and also the Right To Information(RTI) emerges as a fundamental right under article 19(1)(a) as freedom of speech and expression are meaningless without access to information.

Commercial Advertisements - Art. 19(1)(a) of the constitution not only guaranteed freedom of speech and expression, it also protects the right of an individual to listen, read, and receive the said speech. For the Commercial advertisements court held that commercial speech (advertisement) is a part of the freedom of speech and expression. The government could regulate the commercial advertisements, which are deceptive, unfair, misleading and untruthful. and public at large has a right to receive the “Commercial Speech”.

Freedom Of Press - The Right implicit right under fundamental right of the freedom of speech and expression which is essential for the political liberty and proper functioning of democracy.

According to Indian Press Commission that “Democracy can thrive not only under the vigilant eye of legislature, but also under the care and guidance of public

opinion and the press is par excellence, the vehicle through which opinion can become articulate.”

Right to Information - The right to also a fundamental right in which ‘receive and impart information has been recognized within the right to freedom of speech and expression. A citizen has a fundamental right to use the best means of imparting and receiving information Superintendent, Central Prison v. Ram Manohar Lohiya (AIR 1960 SC 633), the Court held the Section 3 of U.P. Special Powers Act, 1932, Ranjit D. Udeshi v. State of Maharashtra (AIR 1965 SC 881). In this case the Court upheld the conviction of a book seller who was prosecuted under Section 292, I.P.C., for selling and keeping the book Lady Chatterley’s Lover. The standard of morality varies from time to time and from place to place.

Freedom of Speech and Expression : Restrictions

The word “freely” means the freedom of a citizen to express his views and opinion in any conceivable means.

There are certain grounds on which the freedom of speech and expression can be imposed- Clause (2) of Article 19 contains the grounds on which

1. State Security: serious and aggravated forms of public order considered under security of states. Article 19(2) reasonable restrictions can be imposed on freedom of speech and expression for example (1)rebellion,
2. Waging war against the State.
3. Unlawful assembly, riot, affray.

In **Kishori Mohan v. State of West Bengal**, the Supreme Court explained the differences between three concepts: law and order, public order, security of State. Anything that disturbs public peace or public tranquillity disturbs public order.

2) Foreign states Relationship - This ground was added by the constitution (First Amendment) Act, 1951. The object behind the provision is to prohibit unrestrained malicious propaganda against a foreign friendly state, which may jeopardise the maintenance of good relations between India, and that state. No similar provision is present in any other Constitution of the world.

In India, the Foreign Relations Act, (XII of 1932) provides punishment for libel by Indian citizens against foreign dignitaries

3) Public Order - This ground was added by the Constitution (First Amendment) Act. ‘Public order’ is an expression of wide connotation and signifies “that state of tranquillity which prevails among the members of political society as a result of internal regulations enforced by the Government which they have established.” The words ‘in the interest of public order’ includes not only such utterances as are directly intended to lead to disorder but also those that have the tendency to lead to disorder.

Public order is something more than ordinary maintenance of law and order. ‘Public order’ is synonymous with public peace, safety and tranquillity.

Anything that disturbs public tranquillity or public peace disturbs public order. Thus communal disturbances and

strikes promoted with the sole object of accusing unrest among workmen are offences against public order.

Romesh Thapar case (AIR 1950 SC 124). The expression ‘public order’ connotes the sense of public peace, safety and tranquillity.

Public order thus implies absence of violence and an orderly state of affairs in which citizens can peacefully pursue their normal avocation of life. Public order also includes public safety.

4) Decency or morality - Sections 292 to 294 of the Indian Penal Code provided the words ‘morality or decency’ which are heaving wide meaning. Instances of restrictions on the freedom of speech and expression in the interest of decency or morality.

5) Contempt of Court - If the words exceed the reasonable and fair limits of speech and expression then restrictions on freedom of speech and expression can be imposed. According to the Section 2 ‘Contempt of court’ be either ‘civil contempt’ or ‘criminal contempt.’

6) Defamation - Defamation consists in exposing a man to hatred, ridicule, or contempt .A statement, which injures a man’s reputation, amounts to defamation.. The civil law in relating to defamation is still unmodified in India and subject to certain exceptions.

7) Offence Incitement - In the First Amendment of the Constitution, this ground was added. Freedom of speech and expression cannot confer a right to incite people to commit offence. The word ‘offence’ is defined as any act or omission made punishable by law for the time being in force. Duly enacted law and not by executive action can be imposed reasonable restrictions on these grounds.

Brij Bhushan v. State of Delhi (AIR 1950 SC 129), the validity of censorship previous to the publication of an English Weekly of Delhi, the Organiser was questioned.

Sakal Papers Ltd. v. Union of India, Bennett Coleman and Co. v. Union of India, the Daily Newspapers (Price and Page) Order, 1960, which fixed the number of pages and size which a newspaper could publish at a price was held to be vocative of freedom of press and not a reasonable restriction under the Article 19(2).

Important Cases:

1. Freedom of Silence- National Anthem Case
2. Freedom of Speech and Sedition Kanhaiya Kumar v. State of Nct of Delhi P. (CRL) 558/2016
3. Hamdard Dawakhana v. Union of India AIR 1997 SC 568
4. People’s Union for Civil Liberties(PUCL) v. Union of India PIL: It is a legal contest fought judicially for the protection of public interest. It may be introduced in the court of law either by the court itself (suo motu) rather than the aggrieved party or by any private party as well.
5. Indian Express Newspapers v. Union of India 1985 2 SCC 434

Importance of freedom of expression - Freedom of expression in the modern world is a characteristic attribute

of the social life as it allows people to vent their thoughts and feelings without the fear of prosecution. Moreover, it helps people to know the ideas of others and use their talent to accomplish complex tasks. In the present era, when social media has percolated to all walks of life, freedom of expression has become an important voice for the common people. It has immense benefits and they are as follows:

1. Responsibility
2. Improvement of the self confidence.
3. Innovation
4. Vibrant Media
5. Nonviolent protests

Conclusion - Right to freedom of speech and expression is one of the most important fundamental rights because with the help of this anybody can circulate his view by words or in writing or through different moods of expression. Role of Media plays a very important role to solve the problems of an underdeveloped country like India. Similarly, the Right to Information Act, 2005[1] is also having a close connection with the concept of the liberty of speech and expression. The concerned law on the issue of 'right to information' was enacted with the purpose and object to make provisions to set out the practical regime of right to information for citizens and this appears to be a important issue in the

subject of Freedom of speech and expression. The movement of free speech and Right to information could be studied simultaneously as both of them are inter- related as discussed herein above.

These problems like Poverty, unemployment, Corruption, Price rise, and so on can be highlighted only through media only. These are the social evils.

Since a large section of the people is backward and ignorant, it is all the more necessary that modern ideas are brought to them and their backwardness removed so that they become part of enlightened India. The media have a great responsibility in this respect.

As such it is clear that the said right to information is derived from the concept of Freedom of Speech, however, the said right is also not absolute as in this connection also reasonable restrictions are applicable.

References :-

1. J.N. Pandey, Constitutional Law of India (52nd Edition)
2. Indian Law Journal
3. Black's Law Dictionary: without which not, meaning something that is absolutely essential
4. Remedies for enforcement of rights conferred by Part III of the Constitution of India.

Consumer's Awareness Survey Regarding Food Label Information

Dr. Neeta Deshmukh* Raksha Goyal**

Introduction - The disease burden from non-communicable disease (NCD's) is rapidly increasing in India. Diet related chronic disease such as diabetes mellitus, cardiovascular diseases and heart disease have been reported to be among the leading cause of death and disability in developing countries¹. An important modifiable factor that can reduce the prevalence of NCDs is the reduction of overweight and obesity². An associated cause of overweight and obesity is the poor food choices.

The development of global supermarkets is bringing a plethora of new pre-packaged foods to the developing nations. Many consumers discover these foods displayed in stores, but they cannot taste or smell the products before purchase.

Food labeling is one of the important population-based approaches that can help consumers make healthy food choices by providing the necessary information about the food on the packaging³. The food label is one of the most important and direct means of communication of product information between buyers and sellers.^{4,5} Ideally, for consumers, food labels are tools to make informed and healthy choices. Food labels can also be viewed as potentially powerful tools of nutrition communication.⁶ Therefore, consumers have more nutrition information due to expanded food labeling mandated by the Government of India. Food labeling laws make sure that consumers get vital information about the food they consume. As per food laws globally, every pre packed food has to be labeled, and should comply with the law applicable in the country of the user. In India, the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) is the apex food regulator, and every pre-packaged food should be in accordance with the Food Safety and Standards (Packaging and Labeling) Regulations, 2011, notified by the FSSAI.

While there is no doubt that food labels will encourage healthy eating, there is increasing evidence from developed countries (where food labeling is more evolved) indicating that mere display of food labels cannot help consumers make informed choices.⁷

A recent study conducted by the National Institute of Nutrition, India on the current scenario of food labeling in the country concluded that food labeling regulations in India

are on a par with those of developed countries; however, the concept of displaying nutrition information in relation to RDA is not mandated. Moreover, the study also concluded that there is hardly any research examining the knowledge, practices and use of food labels by Indian consumers.⁸ The study also reiterated the need for nationwide studies to understand consumers' knowledge and practices related to food labels for formulating strategies to make them user-friendly.

Given this background, the present study was conducted with the objective to assess the knowledge, perceptions and practices related to use of food labels among consumers of different age groups.

Methods And Material -

Data collection - A cross sectional random sampling study was designed to collect the data. The data were collected from Indore city irrespective of gender and age group of the samples.

Questionnaire design - Data were collected through the structured questionnaire developed based on questionnaires used reliably in previous studies. The questionnaire was administered to the respondents, and assessed the use and understanding of food labels. This questionnaire elicited information from respondents on demographic characteristics (gender, age, education, profession, family type, etc.) as well as data on important considerations while buying pre-packaged foods and frequency of checking labels.

Data analysis - The data were scrutinized and checked for consistency before being entered on a computer. The statistical software package SPSS Statistics for Windows version 21.0 was used for analysis of data. Descriptive statistics like percentages, frequency distribution as well as cross-tabulations were done and the X² test was used to assess the significance of associations between variables. Incomplete questionnaires were not used in the final analysis.

Results -

Table 1 - Socio demographic characteristics of the respondents A total of 838 individuals participated in the survey. About two third 69% participants were male. Consumers younger than 20 years or older than 50 years

* Asst. Professor, Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Sugnidevi College, Indore (M.P.) INDIA
** Nutritionist (Dietetics) Barod Hospital, Indore (M.P.) INDIA

constituted the least groups of shoppers. The average age of the samples was 36 years. With regard to education level, 48.2% respondents were under graduate whereas 51.8% were post graduate.

Socio demographic characteristics of the respondents

Total no of subjects (N)	838
Age	36.69 ± 10.5
Gender	
Male	39%
Female	61%
Level of Education	
Under Graduate	48.2%
Post Graduate	51.8%

Figure 1 - Percentage prevalence of education level





Table 2 Knowledge of food label and understanding -

With regard to food label knowledge, a majority of the participants 40.3% said they knew little bit about them, whereas 37.2% consumers were unaware about food label. The same trend has been observed with respect to use of food label information when shopping, where only 11.2% claimed that they utilize that knowledge when shopping. While 61.8% consumers doesn't use them.

Consumer's knowing what food label is?

Yes	22.4%
No	37.2%
Little bit	40.3%

Figure 2 - Percentage prevalence of knowledge of



Understanding of food labels - Of the label readers, more than half of the respondents (57.7%) claimed to 'don't understand' nutrition labels, while 37.9% reported partial understanding. Only 4.3% respondents claimed to mostly understand the information written on food labels.

Figure 3 - Percentage prevalence of understanding of food label




Table 3 - (See in the next page)

Discussion - Nutrition information on food labels is regarded as a major means for encouraging consumers to make healthier choices when shopping for food.^{9,10} Do consumers notice such labels, do they read and understand them, and do they make use of them in their purchasing decisions? A range of consumer research studies^{11,12,13} have tried to shed light on these questions.

Nutrition information on food labels is an important source of nutrition information but is typically underutilized by consumers. Nutrition information on food labels could be a cost-effective method of communicating nutrition information to consumers because the information appears at the point of sale for most packaged foods.¹⁴ Although consumers value nutrition when deciding which foods to buy¹⁵, nutrition information on food labels is complex and does not always live up to its potential to communicate effectively.^{16,17,18,19}

The aim of this study was to find out if consumers, in Indore city, have knowledge of nutrition information on food package labels when shopping and to what extent they use that knowledge to choose foods to buy. The results provide information on consumers' awareness, knowledge and use of food labels. Findings of this research could form the basis for a mass population approach for future information and education strategies for health professionals and other stakeholders interested in consumer awareness activities. While consumers are checking labels, they do not necessarily understand what they are reading. Half of the world's consumers said they only "partly" understand the nutritional labels on food, with 60 percent of Asia Pacific's citizens leading the world in this lack of understanding, followed by Europeans (50 percent) and Latin Americans (45 percent). In our study 57.7% consumers "Don't understand" the food labels, whereas 39.7% "Partially understand" the food labels information.

The ultimate purpose of nutrition labelling information is to assist consumers in identifying and choosing foods that contribute to a healthy diet. A nutrition labelling education strategy should, therefore be integrated into broader behaviour change strategies related to nutrition education and health to assist consumers in bridging the gap between current dietary practices and dietary recommendations.

Conclusion - This study found low use and understanding of nutrition labels among consumers in Indore city. Consumers were not conversant with the numeracy, terminology, and language on the current nutrition panel, pointing toward the need for basic nutrition education and user friendly label formats.

References :-

1. WHO. World Health Organisation. *Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health*. WHO, Geneva, 2004.
2. Varma D *Consumers and Nutritional Labelling: A Global Nielsen Report*. 2008. <http://www.tr.nielsen.com/site/>

documents/nutritional Labeling Sep08_ global_ report (accessed 14 March 2010).

3. Mahan KL & Escott-Stump S (editors) (2004) *Food labelling*. In Krause's Food, Nutrition and Diet Therapy, 11th ed., pp. 379–380. Philadelphia, PA: Saunders.
4. Satia JA, Galanko JA & Neuhouser ML (2005) *Food nutrition label use is associated with demographic, behavioural and psychological factors and dietary intake among African Americans in North Carolina*. J AmDiet Assoc 105, 392–402.
5. Goldberg JP (1992) *Nutrition and health communication: the message and the media over half a century*. Nutr Rev 50, 71–77.
6. Cowburn G & Stockley L (2005) *Consumer understanding and use of nutrition labelling: a systematic review*. Public Health Nutr 8, 21–28.
7. Laxmaiah A, Sudershan RV, Subba Rao GM et al. (2009) *Current Scenario of Food Labelling in India – A Report*. Hyderabad/New Delhi: NIN, ICMR and WHO-India Country Office.
8. Baltas, G. (2001). *Nutrition labelling: issues and policies*. European Journal of Marketing, 35, 708–721.
9. Cheftel, J. C. (2005). *Food and nutrition labelling in the European Union*. Food Chemistry, 93, 531–550.
10. Cowburn, G., & Stockley, L. (2005). *Consumer understanding and use of nutrition labeling: a systematic review*. Public Health Nutrition, 8, 21–28.
11. Drichoutis, A. C., Lazaridis, P., & Nayga, R. M. (2006). *Consumers' use of nutritional labels: a review of research studies and issues*.
12. Grunert, K. G., & Wills, J. M. (2007). *A review of European research on consumer response to nutrition information on food labels*. Journal of Public Health, 15, 385– 399.
13. Campos S, Doxey J & Hammond D (2011) *Nutrition labels on pre-packaged foods: a systematic review*. Public Health Nutr 14, 1496–1506.
14. Glanz, K., Basil, M., Maibach, E., Goldberg, J. and Snyder, D. (1998) *Why Americans Eat What They Do: Taste, Nutrition, Cost, Convenience, and Weight Control Concerns as Influences on Food Consumption*. Journal of the American Dietetic Association, 98, 1118–1126.
15. Hieke S, Taylor CR. *A critical review of the literature on nutritional labeling*. Journal of Consumer Affairs. 2012; 46(1):120–156
16. Wills J, Schmidt D, Pillo-Blocka F, Cairns G. *Exploring global consumer attitudes toward nutrition information on food labels*. Nutrition Reviews. 2009; 67(s1):S102–S106. [PubMed: 19453661]
17. Douaud C *Nutrition labels may confuse public*. <http://www.FoodUSANavigator.com> (Accessed 27 September 2006)

Table 3 - Relationship between the knowledge of food label and understanding

There is a significant relationship between the knowledge of food label and understanding among consumers ($X^2 = 38.93$, p Value = <0.05)

Do you know what food label is?	How much you understand food label?%			X ² 38.93	P value <0.05
	Don't understand	Partially understand	Mostly understand		
Yes	96	72	20		
No	210	96	6		
Little bit	178	150	10		

The Costumes Of Mahabharat: By The Modern Fashion Designer

Radhika Sarda * Rajeev Kumar **


Abstract - The epic story is a part of the Indian mythology and most of Indians are familiar with it. Most of Grandfathers and grandmothers tell ancient stories to their kids to acknowledge about the religious and bravery of Pandav and Abhimanyu. The 80s century Mahabharata serials was like a family drama and Sunday mornings were incomplete without watching it on with the entire family. And after two decades modern families enjoy the show as well as concentrate on everything played by each character their action, dialogue and much more about the costumes. Costume designers do survey and read hundreds of books related to textiles, costume and jewelry of that period to give mythological characters more originality. The costumes which performed in mythological show are appreciated; it also revives the Indian handicrafts and Indian traditions. Mythology actors often wear heavy costumes and there are techniques applied to make these garment and for achieve the ancient look. A lot of bright colored silks, hand-looms, gold and jewelry structured embroidery patterns are used. For the TV serials fashion designers are meticulous about every detail to remain true to the character and works hard to translate their effort beautifully to the audiences to the show.

Key Words - Mahabharata, Pandav, TV- Serials, Costume, Jewelry, Mythology.

Introduction - One cannot give makers of the serial much credit for the story because it was Ved Vyasa after all who first documented this marvelous story, history, mythology, call it what you will. This epic story is a part of the Indian ethos and as such each Indian should be familiar with it. If the story is told in a simple, accessible, serialized, dramatic format on TV, it would have been better then. The phenomenal reach of the TV itself ensures that the Mahabharata serial now performs the function that grandfathers and grandmothers did, telling stories to kids. The near prime time slot for the serial each weekday and the daily soap style format of the show will ensure that people are hooked to the serial whether for entertainment, reasons of faith or any other motive. The sets are elaborate and glitzy, the show even has some amount of dancing and it generally entertaining and well packaged, never mind trifling details such as historical accuracy and authenticity. The costume designs on the mythological show loyal to Indian traditions and weaves. The TV- serials Mahabharata revive Indian handicrafts and traditional weaves. Different ancient techniques have been used to achieve the various looks. A lot of bright colored silks, hand-looms, gold and jewelry structured embroidery patterns have been used.

Inspirational Character- Arjun, Draupadi & Shri Krishna
- In epic story Mahabharata veer Arjun, Draupadi and Shri Krishna was the inspirational character. Many TV- serials channels show the story of Mahabharata. The audiences not only see the story they have also much concentration on the costume of the playing character. Designing the

costumes of the epics and mythological shows it has need to learn the every character of the story. Fashion designer designs the costume according to theme of story.




The Mood Board - For designing any costume of shows its need to study the theme and inspiration. Fashion


designers do research on that theme and collect the key elements by brainstorming of theme and inspiration. The key elements used in the designing costume.



The Lifestyle Board - The lifestyle board shows the story of Mahabharata. It is not only showing the story but also shows the living style and costumes of every role played character of Mahabharata.



The Color Story Board - Since every character of the epic was identified with a particular color here is an excerpt on color of the costumes and costume designing had to be carried out accordingly. Bheeshma always wore white and his chariot was also white; the—Krishna liked to wear yellow robes, Balarama liked to wear blue robes. As we have seen, Kekaya warriors liked to wear purple. Yudhishthira and Arjuna liked to wear white robes and silver coated ornaments. Bhishma too in his old ages liked to wear white. Duryodhana and Bhima liked to wear red cloths. Nakula liked to wear yellow cloths like Krishna, while Sahadeva liked to wear blue cloths like Balarama. Sakuni liked to wear black cloths.



The Design Concept Board - The design concept board

explains theme, designer, purpose of designing the costume, color story, silhouettes of garments; design construction details and accessories wear by the characters.

Design Ensembles - Fashion designers design costume for individual character as according to the role of character. Designer design the costume as same as the costume wear by the characters and keeps in mind the silhouettes, fabric, color and embellishment work on the garment. They do not change too much but do the innovative work as according to the modernity.

Arjun Ensemble Illustration - This ensemble is designed for Arjun. The fabric used velvet and taffeta. Embellishment work is gotta patti and lace. Silhouette is upside-down truncated cone and H.




Abhimanyu Ensemble Illustration - This ensemble has designed for Abhimanyu. Design details: Taffeta and velvet fabric has used. Embellishment work: Gotta patti and lace work. Silhouette: Upside-down and truncated cone.



Draupadi Ensemble Illustration - These ensembles have designed for Draupadi the wife of Pandavs. Design details: Grey, cotton, georgette, super net and shimmer fabric has used. Embellishment work: Embroidery and lace work. Silhouette: H, barrel and siren.





Kunti Ensemble - This ensemble has designed for Kunti the mother of Pandav putra's. Design details: Raw silk and taffeta fabric has used. Embellishment work: zari work. Silhouette- Redingote.



Designed Costume Photographs



Conclusion - India is one of the largest countries in South Asia and has influence in its neighboring countries. Daily soaps produced in India are not only watched by the Indian viewers, but is also viewed in UK, USA, Australia, Asian countries like Nepal, Bangladesh and Bhutan. Television



industries produce daily soaps in such a way that audience gets anchored to their television sets. The stories of daily soaps vary; some are based on reality, some are based on fiction and some are based on fantasy. Whatever story the television company advertises, fashion and style is the pivot of the show. Most of the Hindi daily soaps are thirty minutes long. In that short duration the audience can taste every facet of entertainment- comedy, romance, and action. Along with entertainment they also get to see a range of styles. The styles used by the actors come to the market within a week or less. This quick accessibility motivates the viewers to purchase the outfits and accessories used by their favorite celebrity. When the new fashion enters the market the price is high, but with time the price reduces gradually. According to the shopkeepers of San mar, the customers do not buy the outfits instantly, but purchase it later when the price reduces. In a way television daily soap binds people as most of the people who watch them crave for the same style and fashion. This desire has boosted the fashion world. For the sake of fashion, designers sacrifice Indian traditional culture and take up western culture. Of catharsis, but too much of watching is unhealthy. It might reduce the capacity to learn.

References :-

1. <http://www.dnaindia.com>. Retrieved October 20, 2017
2. <https://in.pinterest.com/pin/297730225338014352/?lp=true>. Retrieved October 22, 2017
3. <https://wenku.baidu.com/view/4123cd443169a4517723a3e9.html> Retrieved October 25, 2017
4. <http://www.hotstar.com/tv/mahabharat/435> Retrieved November 02, 2017
5. <http://www.dnaindia.com/entertainment/report-mahabharat-buddha-devon-ke-dev-mahadev-lead-list-of-epic-ales-on-primetime-tv-1889423>. Retrieved November 10, 2017

Stress - A Silent Killer Of Human Body And Mind

Taruna Nath *

Introduction - Everyone encounter stress in some area of life. Stress affected everyone; children suffer in different ways and adult face it in different ways. So, stress is something that we have to worry about, but we don't want to eliminate it. A certain amount of stress is not only invigorating but also necessary because it stimulated the body and improves performance. We do better under some stress but when the amount of stress is to much its not only problem but danger for body and mind. There are enamors causes of stress like Death Of Spouses, Divorce, Marital Seperation, Death Of Close Family Member, Person Injourny Or Illiness, Marriage, Marital Reconciliation, Sex Difficulties, Pregnancy, Miscarriage, Death Of Close Friend, Responsibility Of Children Like Schooling, Parenting, Gain A New Family Member, Argument With Spouse, Trouble With In Laws, Being A Wife And Stop Working, Being Or End School, Revisions Of Personal Habits, Taking Out A Mortgage Or Loan For Major Purchase, Forclousre Of Mortgage Or Loan, Fired From Work, Retirement, Bussiness Readjustments, Trouble With Boss, Adjustment With Colleageues, Change In Work Hour Or Condition, Vacation, Change To Different Line Of Work, Change In Financial State, Cut Throught Competitions, Work Fetigue, Balance Between House Work And Job.

Alcohol abuse is a sign of too much stress and not the only sign overstressed people become in attentive, distant, irregular in their eating and sleeping habits and disorganized at their workplace. Success becomes measured by how quickly something is done rather than by how well. Acquiring something becomes more important than enjoying it, ignoring other people's opinion becomes common. People under stress try to do several things at once. They walk and eat rapidly, impatiently completes sentence for others, feel guilty about relaxing and when on vacation, only think about work. Work environment is also a great stressor. Stress at work usually occurs either because of work load is too light and under stimulating. A person's perception of a job as either very important or trivial affects the person's behavior. Fear of retirement of being passed over for promotion and of organizational change can also create pressure and anxiety. The physical setting itself can be over stimulating with too many people around or under estimating stress at work expressed as illness and absenteeism.

Stress contributes many health issues even six (6) major cause of death. Coronary heart disease, cancer, lungs ailments, accidental injuries, cirrhosis of lever even suicide. There are some various stress related disease and conditions when stress hit a person's body and mind following systems of body is affected by stress.

Cardio Vascular system: Coronary Artery disease, Hyper Tension, Strokes, Rhythm Disturbance of the Heart.

Muscular System: Tension, Headache, Muscles Contractions, Backache

Locomotor System: Rheumatoid Arthritis, Inflammatory Disease of connective tissues.

Respiratory and Allergic Disorder: Asthma, High Fever.

Immunological Disorder: Low resistance, Auto immune disease

Gastrointestinal Disturbance: Ulcer, Irritable bowl syndromes, Diarrhea, Nausea and vomiting, ulcerative ciliates

Genito Urinary Disturbances: Diuresis, Impotence, Frigidity.

Dermatological Disease: Eczema, Neurodermatitis, Acne

Other Problem: Fatigue and Lethargy

Life Cycle Events, each stage of life offer people opportunities for learning more about themselves but life cycle events can entail stress. Marriage is exciting but also stressful, Parenting is rewording but the subsequent rearrangements of schedules it requires and the added responsibilities can causes stress. An adolescent's problem in adjusting to adulthood can be stress full for both parents and teen agers, certainly divorce is a stressful experience. The death of a friend or loved one can be stressful, both at the time of loss and months following. Stress accompanies many of life important events, even the enjoyable ones because stress is often unavoidable.

Proper management of stress is important i.e common way of treating stress recognize the behavior that causes it and then modify the behavior. Drugs can also be used but the ideal treatment is usually self control. The people who conduct stress counseling usually the psychologist. In the corporate world stress management seminar has become numerous as psychologist help executive deals with their stress. Since, stress is individual, individuals learn about their behavior and help to tailor a way to control it.

Coping with stress: many people need both medical and psychological therapy to relieve the physical ailments and feeling of anxiety resulting from stress. Both physicians and psychologist have tried to develop method to help people to cop with stress. Coping strategy should begin at the biological level, peoples body respond to stress with specific reactions including changes in hormonal level, autonomic nervous system activity and the amount of neuro transmitter in the brain. If responses stabilize at sustain high level, physical illness may result because high level of physiological response cannot be maintained over long periods. Constant stress tends to become either defense or task oriented. Defense oriented coping strategies do not reduce stress but instead help people protect themselves from its effects. Many defense oriented patterns described by personality theorist are unconscious processes over which people have little or no control often they produce positive effects. Defense oriented coping strategies can ease distress and permit people to tolerate disturbances and deal with them. Some researchers claim that defensive coping methods be even more helpful than task oriented one.

Most psychologist, specially behavioral psychologist recommend task – oriented coping strategies. These strategies usually involves four (4) steps : (1) Identifying the source of stress (2) Choosing an appropriate courses of action for stress reduction (3) Implementing the plan, and (4) Evaluating its success.

Identifying the sources of distress is often difficult. A woman experiencing work problem, financial problem and problem with her teen age son must decide which problem she wants to work on first, even with their increased work experience. Older people seem to have as much difficulties as younger people in identifying the source of stress and controlling it.

Once the problem is defined, people can choose among several strategies. They can withdraw from a competitive stress inducing situation by quitting work, leaving a spouse or declaring bankruptcy. More often people turn to other people or other method of coping because stress is usually accompanied by arousal an excitement, relaxation training is useful in reducing these stress. People can be taught to refocus their energies by using biofeedback.

“Staying cool and keeping a lid on it” are ways to describing how people use their cognitive self-help abilities to manage their emotional responses. Stress management is increasingly becoming a focus of highly stressed individual as well as psychologist.

References :-

1. AMERICAN PSYCHIATRC ASSOCIATION. Diagnostic and statistical manual disorders. Washington 1980.
2. CHERMAN E.M. Stress& the bottom line: A guide to personal well- bing and corporate heath .New York 1981.

जीवन का अधिकार – समस्याएं एवं समाधान

डॉ. सुरेखा रेगे *

प्रस्तावना – जीवन का अधिकार सम्पूर्ण मानव जाति के लिए अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अधिकार है। इसलिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (10 दिसम्बर 1948) में इसे सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 3 में इस प्रकार का उल्लेख है – ‘प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।’

इसका सरल अर्थ यह है कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति का जीवन समुचित रूप से खुशहाली – आनन्द के साथ चलता रहे। उसकी बुनियादी आवश्यकताएं, पोष्टिक भोजन, स्वच्छ आवास, वस्त्र, बीमार होने पर इलाज, शिक्षा-दीक्षा पूरी होनी चाहिए। साथ ही वह स्वतंत्रता पूर्वक सम्मानित जीवन जी सके। अर्थात् जीवन के अधिकार में सभी मानव अधिकार शामिल हैं।

भारत के संविधान की प्रस्तावना में विस्तृत मानव अधिकारों का समावेश है – ‘हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतंत्रात्मक, धर्म निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 जनवरी 1949 (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी, सम्वत् दो हजार छः विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।’

भारतीय संविधान का तृतीय भाग जिसमें मूल अधिकारों का विवेचन किया गया है, विश्व के अन्य किसी भी संविधान से बड़ा है। इसमें कुल 23 अनुच्छेद हैं (अनुच्छेद 12 से 30 तथा 32 से 35 तक)। प्रत्येक अधिकार के साथ उसके प्रतिबन्धों की भी व्यवस्था होने से हमारा अधिकार पत्र व्यापक हो गया है। मूल संविधान ने भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे किन्तु 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को केवल कानूनी अधिकार बनाने के बाद अब नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं :- (1) समानता का अधिकार (अनु. 14 से 18) (2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19 से 22 तक) (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23, 24) (4) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25 से 28 तक) (5) शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार (अनु. 29, 30) (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि ‘किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता।’

सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ‘जीवन के अधिकार’ में आवास का अधिकार सम्मिलित है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। अब आपातकाल में भी यह अधिकार समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अत्यधिक व्यापक और सार्वभौमिक अधिकार है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6, 9, 11 एवं 12 में उल्लेखित किया गया है। यह उल्लेख इस प्रकार है –

अनुच्छेद 3 – ‘प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वाधीनता और वैयक्तिक सुरक्षा का अधिकार है।’

अनुच्छेद 4 – ‘कोई भी गुलामी या दासता की हालत में नहीं रखा जाएगा, गुलामी प्रथा और गुलामों का व्यापार अपने सभी रूपों में निषिद्ध होगा।’

अनुच्छेद 5 – ‘किसी को भी शारीरिक यातना नहीं दी जाएगी और न किसी के भी प्रति निर्दय, अमानुषिक या अपमानजनक व्यवहार होगा।’

अनुच्छेद 6 – ‘हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार है।’

अनुच्छेद 9 – ‘किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नजरबन्द या देश निष्कासित नहीं किया जावेगा।’

अनुच्छेद 11 – ‘प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर दण्डनीय अपराध का आदेश किया गया हो, तब तक निरपराध माना जाएगा, जब तक उसे ऐसी खुली अदालत में, जहां उसे अपनी सफाई की सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हो, कानून के अनुसार अपराधी न सिद्ध कर दिया जाए।’

अनुच्छेद 12 – ‘किसी व्यक्ति की एकान्तता, परिवार, घर या पत्र व्यवहार के प्रति कोई मनमाना हस्तक्षेप न किया जाएगा, न किसी के सम्मान और ख्याति पर कोई आक्षेप हो सकेगा। ऐसे हस्तक्षेप या आक्षेपों के विरुद्ध प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी रक्षा का अधिकार प्राप्त है।’

भारत के संविधान में जीवन के अधिकार सम्बन्धी उपबन्ध – भारतीय संविधान के अनु. 19, 20, 21, 22 तथा 23 में जीवन के अधिकार सम्बन्धी बातों का विवरण है।

1. **अनुच्छेद 19 के अनुसार** – विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसमें लेख लिखने, प्रेस की आजादी, शिक्षित करने सूचना प्राप्त करने, मनोरंजन करने के अधिकार शामिल हैं। शांतिपूर्ण अस्त्र शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ-समुदाय बनाने, भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने, अबाध निवास करने तथा वृत्ति, जीविका या कारोबार की स्वतंत्रता है। ये सारी स्वतंत्रताएं जीवन के अधिकार को पूरा करती हैं। यहां जीने के अधिकार का अर्थ कवल पशुवत् जीने से नहीं होकर अर्थपूर्ण,

सामान्य सुविधाओं के साथ एक सम्पूर्ण सुखी-समृद्ध-खुशहाल जीवन जीने से है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में दो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। प्रथम निर्णय में कहा गया है कि 'टेलीफोन टेपिंग' व्यक्ति की गोपनीयता का गंभीर उल्लंघन है। अतः राज्य के द्वारा टेलीफोन टेपिंग का उस समय तक आश्रय नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सार्वजनिक सुरक्षा या सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक न हो जाए। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 नवम्बर 1997 को दिया है। इस निर्णय में किसी विशेष उद्देश्य से किसी संगठन द्वारा करवाई गई हड़ताल तथा किसी राजनीतिक दल द्वारा जबरन करवाए गए बन्द में अन्तर करते हुए 'बन्द' को गैर कानूनी घोषित किया गया है क्योंकि बन्द में सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट की जाती है तथा सामान्य जन-जीवन ठप्प कर दिया जाता है। बन्द के दौरान जनता को हुई असुविधाएं एवं कष्ट जीने के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है।

2. **हमारे संविधान के अनुच्छेद 20** 'अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण' के सम्बन्ध में कहा गया है कि - 'किसी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जबकि कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन न किया हो।' इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही बार दण्डित किया जावेगा तथा अभियुक्त (आरोपी) को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जावेगा।

3. **अनुच्छेद 21** - व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा से सम्बन्धित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार को आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। गरिमापूर्ण, सम्मानजनक एवं अर्थपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राण का अधिकार है। सर्व सामान्य सुविधाएं जो अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक है, इस अधिकार का अंग है। प्राण के अधिकार के अंतर्गत वे सभी पहलू समाहित है, जो सम्मानपूर्ण एवं सार्थक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत, परम्पराएं तथा इनका संरक्षण, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शुद्ध हवा, पानी, धूप, स्वच्छ पर्यावरण, शान्त स्वच्छ वातावरण, खाने-पीने की वस्तुएं, स्वच्छ-सुविधायुक्त आवास, अच्छे वस्त्र जो हर मौसम में जीवन-शरीर की रक्षा कर सके, मनोरंजन के साधन, बीमारी में इलाज की सुविधा एवं विश्राम का अधिकार, हानिकारक पदार्थों (औषधियों को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध, आदि सम्मिलित है। सुशीला बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, विक्रम बनाम बिहार, एस.सी.सी.सी. 734 के मामले में न्यायालय ने व्यक्त किया कि प्राण के अधिकार का अर्थ मानव की गरिमा और सभ्यता के अनुसार जीवन जीने का नाम है। एक दूसरे केस फ्रांसिस कोएलाई बनाम दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय ने अधिनिर्णित किया कि - कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के किसी अंग के उपयोग या कार्यक्षमता को बिगाड़ता या आहत करता है अथवा उसके साथ हस्तक्षेप करता है या स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से भी, अनु. 21 के निषेध के भीतर होगा।

4. **अनुच्छेद -22 (बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण)** - अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो उसके जीवन के अधिकारों से जुड़े हुए हैं। इसमें कहा गया है कि बन्दी बनाए जाने वाले व्यक्ति को 'कारण' बताया जाए कि उसे बन्दी क्यों बनाया गया है, उसे वकील से परामर्श करने, अपने बचाव करने के लिए प्रबन्ध करने का पूर्ण अधिकार होगा। बन्दी बनाए जाने के बाद 24 घण्टे के अंदर-अन्दर (इसमें बन्दीगृह से न्यायालय जाने का समय शामिल नहीं है) उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जावेगा ताकि वह न्यायाधीश बन्दी बनाए जाने वाले कारणों पर विचार कर सके तथा यदि बन्दी बनाए जाने के कारण से न्यायाधीश सहमत न हो तो वे उक्त व्यक्ति को रिहा कर उसके प्राण तथा दैहिक स्वाधीनता के अधिकार की रक्षा करेंगे। किन्तु यह अधिकार शत्रु देश के निवासियों पर और निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर लागू नहीं है।

5. **अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार** - बेगारी व बालश्रम का प्रतिषेध तथा मानव का व्यापार दण्डनीय अपराध घोषित किए गए हैं। यह अधिकार जीवन के अधिकार की प्रतिपूर्ति करता इस अधिकार से मनुष्य को सम्मानित एवं अन्याय शोषण मुक्त जीवन जीने की गारंटी प्राप्त होती है। भारत में सदियों से शुद्ध वर्ण अन्याय- अत्याचार का शिकार रहा है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ने उस दलित मानवता की रक्षा का कार्य किया।

6. **अनुच्छेद 14 से 18 समानता का मौलिक अधिकार** - कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण, सामाजिक समानता, अस्पृश्यता का अन्त एवं अस्पृश्यता एक दण्डनीय अपराध घोषित, अवसर की समानता तथा आरक्षण की व्यवस्था ने व्यक्ति की गरिमा, सम्मान पूर्ण जीवन की प्राप्ति तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना कर दलित शोषित समाज को वास्तव में जीने का अधिकार प्रदान किया है।

7. **शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार** - 'प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता' अर्थात् जीवन के अधिकार में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी समाहित हो जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 29, 30 में शिक्षा एवं संस्कृति का मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से दिया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएं खोलने एवं अपने धर्म-संस्कृति की रक्षा करने तथा उसे जीवित रखने का अधिकार दिया गया है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक अपने जीवन का विकास कर सके। संविधान द्वारा निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है।

8. **जीविकोपार्जन का अधिकार** - मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 23 (1) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करने, इच्छानुसार रोजगार के चुनाव, काम की उचित एवं सुविधाजनक परिस्थितियों को प्राप्त करने और बेकारी से संरक्षण पाने का हक है। कारोबार वृत्ति व्यवसाय के बगैर जीवन सुखी एवं सम्मानयुक्त व्यतीत करना संभव नहीं होता। अतः ओल्गा टेलिस बनाम मुम्बई नगर निगम 1986 के मामले में यह निर्णय दिया कि कोई भी व्यक्ति जीविकोपार्जन किए बगैर कदापि जीवित नहीं रह सकता। अतः जीविकोपार्ज का अधिकार प्राण के अधिकार का ही एक भाग है क्योंकि यह जीने का एक साधन है किन्तु सम्पत्ति से बेदखल किए जाने के मामले में अनुच्छेद

21 लागू नहीं होगा।

‘जीने का अधिकार’ एवं जीविकोपार्जन का अधिकार परस्पर सम्बन्धित तथा पूरक है, यह विषय विवादित है। सर्वोच्च न्यायालय ने सोहन बनाम एन.डी.एम.सी. 1987 एस.सी.सी. 155 के मामले में जीविकोपार्जन को स्पष्ट करते हुए अधिनिर्णित किया कि व्यापार या कारोबार करण का अधिकार प्राण के अधिकार अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत नहीं आता।

9. चिकित्सा का अधिकार – जीवन और दैहिक स्वाधीनता के अधिकार के अंतर्गत चिकित्सा का अधिकार समाहित है क्योंकि चिकित्सा के अभाव में मानव जीवन का अन्त हो जाने पर प्राण और दैहिक स्वाधीनता का मूल अधिकार बचा नहीं रह सकता। परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ के मामले में एक स्कूटर चालक को कार ने कुचल दिया। उपचार हेतु जब स्कूटर चालक को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने पुलिस कार्यवाही करने तक इलाज करने से इंकार कर दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन राज्य को बाध्य करते हुये निर्णय दिया कि राज्य का प्रथम कर्तव्य सभी मनुष्यों के जीवन की रक्षा करना है। अतः यह बगैर जाने कि घायल मनुष्य दोषी या निर्दोष है, तुरन्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं।

10. विधिक सहायता का अधिकार – ‘विधिक सहायता’ के लिए भारतीय संविधान के चतुर्थ अध्याय ‘नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख है, मौलिक अधिकारों में नहीं है। विधिक सहायता के अधिकार को एक मामले एम.एच. होस्कार बनाम महाराष्ट्र राज्य में स्पष्ट करते हुए उच्च न्यायालय ने अभिमत किया कि अपराधी को अपराध के लिए अनुच्छेद 21 के तहत, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार न्यायोचित और युक्तियुक्त प्रक्रिया का आवश्यक पहलू है। ऐसे अभियुक्त जो गरीब हैं और जेल की यातनाएं भुगत रहे हैं, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के हकदार हैं। इस स्थिति में वकील की व्यवस्था का दायित्व राज्य का है।

जीवन के अधिकार की समस्याएं – जीवन के अधिकार में सभी मौलिक एवं मानवीय अधिकारों का समावेश होता है। आज भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता के अंतर्गत वे सारे अधिकार प्राप्त हैं जो इसे पूरा कर सकें फिर भी देश में कई समस्याएं मौजूद हैं जो इस अधिकार के मार्ग में बाधा हैं। आज नागरिकों को जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हैं तो यह अधिकार कैसे प्राप्त हो सकेगा ?

प्राण-दैहिक स्वाधीनता के अधिकार के मार्ग में निम्न बाधाएं हैं –

1. कानून की उपेक्षा एवं आतंकवाद
2. कानूनी दोष, कानूनी अन्तर्विरोध तथा टाड़ा, पोटा जैसे कानूनों का लागू होगा।
3. पुलिस का नागरिकों के प्रति दुर्व्यवहार तथा थर्ड डिग्री का प्रयोग
4. पुलिस संगठनों की कार्य प्रणाली में राजनेताओं एवं उच्च अधिकारियों का हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचार
5. पुलिस कर्मियों की खराब कार्यदशाएं एवं कार्य का अत्यधिक बोझ-भागदौड़।
6. देश के महानगरों में बढ़ता प्रदूषण।
7. समाज के नैतिक स्तर में गिरावट।
8. विलम्बकारी न्याय प्रणाली।
9. उचित शिक्षा एवं पारिवारिक संस्कारों का अभाव।

10. गरीबी, नशाखोरी एवं झोपड़पट्टी, गन्दी बस्तियां
11. विकास कार्यों की धीमी गति, लापरवाही।
12. दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों पर कार्यवाही का न होना या बच जाना।
13. हवालात एवं जेल की शोचनीय दशा।

समाधान (उपाय) – ‘प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता’ के अधिकार के सम्बन्ध में उपर्युक्त समस्याओं को दूर करने के निम्न उपाय हैं –

1. मानव अधिकार हनन के मामलों में सारी जानकारी प्रशासनिक एजेंसियों से न मिलकर मीडिया से मिलती है। इसके बाद प्रशासन जागता है। अतः प्रशासनिक एजेंसियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो।
2. सुधारवादी पुलिस संस्कृति विकसित होनी चाहिए। पुलिस में क्रूरता, सख्ती, शक्ति प्रयोग, रूढ़िवादिता जैसे दोषों को दूर कर ‘सामुदायिक सहयोगात्मक पुलिसिंग’ की स्थापना की जाए।
3. प्रभावी पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ‘पुलिस संगठन में विधि विहीन आचरण’ रोकने हेतु सफल उपाय है। इस प्रकार के नियंत्रण के मुख्य चार आधार हैं – (i) विभागीय नियंत्रण, (ii) सिविल नियंत्रण (iii) राजनीतिक नियंत्रण, (iv) नागरिक नियंत्रण।
4. जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायिक सक्रियता बढ़ी है। इससे मानव अधिकारों के हनन पर प्रभावशाली नियंत्रण हुआ है।
5. समाचार पत्रों एवं मीडिया की प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका ने नागरिकों के अधिकारों के अतिक्रमण, दलित-गरीब जनता पर अत्याचार-शोषण के मामले न केवल उजागर किए वरन् उन्हें न्याय दिलाने का कार्य भी किया है। अतः मीडिया को भरपूर आजादी तथा संरक्षण दिया जाए।
6. बन्दी गृहों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें यातना गृहों की अपेक्षा सुधारगृह बनाया जाए तथा प्रभावशाली बड़े अपराधियों को शराब, अच्छा खाना तथा एशोआराम के साधन, फोन की सुविधाएं कदापि न दी जावे।
7. टाड़ा, पोटा जैसे कानून का दुरुपयोग न किया जावे।
8. शिक्षा का प्रसार तथा परिवार, समाज एवं स्कूलों में विद्यार्थियों को संस्कारित किया जाए। महापुरुषों की कहानियां सुनाकर उनका उच्च नैतिक स्तर तथा उत्तम चरित्र निर्माण किया जाए। जिससे मानव अधिकार हनन के मामलों में कमी हो सकेगी।
9. भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण हो। इस संबंध में जांच एजिन्सियां एवं निर्णय देने वाले न्यायाधीश निष्पक्ष – ईमानदार आचरण करें। साथ ही जनता प्रशासनिक न्यायाधिक व्यवस्था में विश्वास एवं धैर्य रखे। स्वयं रिश्वत देने का प्रयास न करें क्योंकि ‘भ्रष्टाचार’ के मामलों में जनता भी दोषी होती है जो इसे खुद ही बढ़ावा देती है ताकि उनका काम जल्दी एवं घर बैठे हो जाए।
10. जीवन के अधिकार में स्वच्छ वायु, स्वच्छ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध खाद्य सामग्री, बिजली-सड़कें आवागमन के साधन एवं अन्य सभी सुख सुविधाएं शामिल हैं जिनसे मनुष्य खुशहाल जीवन प्राप्त कर सकें। अतः राज्य एवं केन्द्र सरकार को इस दिशा में विशेष ध्यान देना चाहिए तथा विकास कार्यों को गति देनी चाहिए ताकि जनता को ये सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके।
11. मानव अधिकार संस्कृति का निर्माण करने के लिए ‘मानव अधिकार साक्षरता’ अभियान चलाया जाए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने

तीन वर्गों में मानव अधिकार प्रचार की योजना बनाई है - जिनमें पहला है सभी स्तर के अधिकारी, दूसरा राजनीतिक दल और तीसरा शिक्षाविद् व अन्य जिम्मेदार बुद्धिजीवी नागरिक। इस योजना को सक्रियता से लागू किया जावे।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि जीने का अधिकार, मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। मानव अधिकारों का सीधा संबंध मानवीय सुखों से है। जीवन (प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता) का अधिकार इसी ओर कदम बढ़ाते हुए मानव जीवन को खुशियां प्रदान करता है। कालक्रमानुसार मानव सुख का दायरा विस्तृत हुआ है। अब यह समाज, राज्य, राष्ट्र और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पल्लवित हुआ है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में वैदिक साहित्य में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' जैसी कई ऋचाओं का उल्लेख जीवन के अधिकार की पुष्टि करता है। आज भारत की लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक सरकारों चाहे वे किसी भी पार्टी की क्यों न हो इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अक्षेन्द्र नाथ सारस्वत - सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और पुलिस।
2. डॉ. पुखराज जैन - भारत का संविधान।

3. Paras and Peeyushi Diwan - Human Rights in India
4. Hingurani, R.C.- Human Rights in India
5. Jaiswal, P.S. - Human Rights and the Law
6. Agarwal R.S. - Human Rights in the Modern World
7. Parmar Lalit - Human Rights
8. D.D. Basu - Indian Constitution
9. डॉ. बी.एल. फडिया - भारत शासन और राजनीति।
10. J.J. Ram Upadhyaya - Human Rights
11. अरूण राय - भारतका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
12. सुधारानी श्रीवास्तव - मानव अधिकार।
13. A.I.R. 1992 S.C. - ए.आई.आर. अन्तुले बनाम आर.एस. नायब
14. A.I.R. 1979 S.C. - हुसैनारा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य
15. A.I.R. 1998 Karnataka - एच. तलवार बनाम उपायुक्त धारवाड
16. दैनिक भास्कर, पत्रिका, स्वदेश समाचार पत्र - 10 दिसम्बर 2010से 2016 तक
17. इक्कीसवीं सदी में पुलिस की भूमिका - राजस्थान पत्रिका 25 सितम्बर 1999
18. जेम्स वेदकामचारी - ह्यूमन राइट्स एण्ड द पुलिस इन इण्डिया।

प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व

डॉ. गणेश लाल जैन * डॉ. सुरेश कुमार बैरागी **

प्रस्तावना - प्रत्येक रचनाकार ने साहित्य के स्वर्णिम इतिहास को दृष्टिगत कर इसके वर्तमान को सँवारने का प्रयास किया है। प्रो.पाराशर भी उनमें से एक हैं। आपके अनुसार आदर्श वाक्यों, वक्तव्यों, प्रवचनों और शब्दों की लफफाजी से प्रजातंत्र का भविष्य नहीं सँवरेगा, और न ही नव समाज का निर्माण संभव होगा। साहित्य तो वही सार्थक है, जो मानव कल्याणार्थ हो और उसमें मानवधर्मिता बनी रहे। कथनी और करनी में अंतर आपको कदापि स्वीकार्य नहीं हैं। समाज में फैली विसंगतियों एवं विद्रूपताओं पर अपनी रचनाओं के माध्यम से तीव्र कटाक्ष कर पुरानी मान्यताओं एवं रूढ़ियों पर प्रहार किया है, जो कि मानव के विकास में बाधक हैं। आपका व्यक्तित्व आपकी रचनाओं में सहज ही समाज सुधारक संत कबीर की भाँति परिलक्षित होता है।

आचार्य शैलेन्द्र पाराशर के व्यक्तित्व का फलक बहुआयामी है। वर्तमान में वे प्रोफेसर-डॉ. अम्बेडकर पीठ, प्रभारी निदेशक-सामाजिक अपवर्जन एवं समावेशन अध्ययन केन्द्र, प्रभारी निदेशक -समान अवसर प्रकोष्ठ, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, अध्यक्ष-समाजशास्त्र अध्ययन मण्डल, विश्वविद्यालय अध्यक्ष-सार्वभौम मानव विकास संस्थान, उज्जैन एवं अध्यक्ष-समाजशास्त्रीय परिषद् (विक्रम विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकार) के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहते हुए महनीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। आपने एक मैधावी विद्यार्थी के रूप में एल-एल.बी., स्नातकोत्तर एवं अन्य उपाधियों प्रथम श्रेणी के साथ विश्व विद्यालय की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की हैं। आप एक समाजशास्त्री होने के साथ श्रेष्ठ वक्ता, समालोचक, लेखक, शोधअध्येता, स्तंभकार, परामर्शक एवं प्रबोधक हैं। आपके पास प्राथमिक, महाविद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा में लगभग चार दशकों का अध्यापन शोध एवं नवाचारों के प्रसार का व्यापक अनुभव है।

प्रो.शैलेन्द्र पाराशर का जन्म 4 जून 1952 शनिवार शुक्ल पक्ष विक्रमाब्द 2009 में उज्जयिनी के संस्कारवान सनाइय ब्राह्मण परिवार में श्री रघुनाथ प्रसाद एवं श्रीमति रूकमणी बाई पाराशर के यहाँ पर हुआ। यह वही उज्जैन नगरी है जो कि प्राचीनतम महानगरियों में स्वर्ग का टुकड़ा कहीं जाती थी। इसी महानगरी में महाकवि भास, भूतहरि, कालिदास ने अपने अमर ग्रन्थों की रचना की और यहीं पर अपनी साधना की है।

प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक साहित्यकारों ने इसके इतिहास को दृष्टिगत कर इसके वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया है। स्वतन्त्रोपरांत साहित्य ने अप्रतिम उन्नति की है जिसे साहित्यिक भाषा में इतिहास की स्वर्णिम उपलब्धि कहा गया है। वस्तुतः हिन्दी साहित्य में अनेक उदार

चढ़ाव आये हैं, अनेक विचारधाराओं का मंथन हुआ तथापि 1947 के पश्चात साहित्यिक विद्याओं पर खूब लिखा गया, तथा एक नई अभिनव शैली का प्रादुर्भाव हुआ। पाँचवें दशक के पश्चात जो लेखन के नये आयाम स्थापित हुये और जिन लेखन मूल्यों का जन्म हुआ उन्होंने समाज को आन्दोलित करने के साथ-साथ सम्पूर्ण समाज को एक नई दिशा का दिग्दर्शन कराया है। यही समसामयिक साहित्य का गहरा प्रभाव प्रो. शैलेन्द्र पाराशर के जीवन पर सहजता से देखा जा सकता है। आपके आलेख, व्यंग्य, समीक्षा एवं कविताओं पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से आप पिछले कई दशकों से जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन, आस्था, साधना, संस्कार, जागरण एवं स्थानीय चैनलों, टी-सीरिज आदि पर आपके द्वारा विरचित पठकथा पर लघुचित्रों का निर्माण एवं प्रसारण हो चुका है। एक कुशल उद्घोषक के रूप में ई.टी.वी., आकाशवाणी, स्थानीय चैनलों पर आपके अनेक प्रतिष्ठित अध्यात्मिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रसंगों पर उद्घोषणाएँ की हैं एवं आपने 95 लघुवृत्त चित्रों का आलेखन कर अपनी आवाज भी दी है। देश के प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में आपके सैकड़ों आलेख, रिपोर्ताज, समीक्षाएँ, लघुकथाएँ एवं व्यंग्य रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। अनेक स्मारिकाओं, पत्र-पत्रिकाओं के संपादक एवं संपादन मण्डल के सदस्य रहे हैं, वहीं आप एक समाजशास्त्री के रूप में सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक विषयों के विविध पक्षों पर अपनी लेखनी चला रहे हैं। प्रो. पाराशर जी ने बचपन से ही संघर्ष को अपने सन्निकट पाया है। जीविकोपार्जन और पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ-साथ स्वयं की पढ़ाई को सतत् रखते हुये जीवन संघर्ष का सामना किया जिसमें पिताजी और पारिवारिक वातावरण से मिले जीवन मूल्य और संस्कारों ने उन्हें कभी हताष और निराष नहीं किया और इस प्रकार वे निरन्तर एक कर्मयोगी की भाँति अपनी लेखनी के द्वारा प्रतिफल की आकांक्षा के बिना लोकसेवा व जनजागरण हेतु तटस्थ रहे हैं। धैर्यता, नम्रता, परिश्रमशीलता, साहसिकता, स्वाभिमान, आत्मनियन्त्रण, असीम, ऊर्जा, सृजनात्मकता, मौलिकता, बौद्धिक, ईमानदारी, वैचारिक स्पष्टता, निर्णयात्मकता, नेतृत्वता, कर्तव्यपरायणता आदि गुणों एवं विशेषताओं की आभा आपके व्यक्तित्व पर सहज ही झलकती हैं। आप एक सजग समाजसेवी हैं। आपने रेडक्रास, लायंस क्लब, अशासकीय संस्थाएँ एन.जी.ओ. आदि के माध्यम से विभिन्न गतिविधियों में पूर्ण उत्साह के साथ सहभागिता कर सामाजिक विसंगतियों पर तीव्र कटाक्ष किया है।

प्रकाशित प्रमुख रचनाएँ -

1. महसूस करता हूँ (कविताएँ-रेडियो लेखन)

* सहायक प्राध्यापक, शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, बरकातुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

2. चिन्तन करो
3. भ्रूण हत्या
4. सोन चिरैया व्यंग्य-
5. उनके नौ ग्रह बलवान है
6. वाह रे! पानी तेरे बिना क्या जिन्दगानी
7. और जब पगड़ी उछल गई
8. श्मशान में शोक सभा बनाम काव्य गोष्ठी
9. आओ वेलन्टाइन-डे मनायें
10. लो कर लो बात
11. राष्ट्रभाषा हिन्दी का श्राद्ध दिवस, लघु कथाएँ -
12. वैश्या-दर-वैश्या
13. विश्वास घात
14. डॉ याने-डाकू
15. संवेदनहीनता
16. लड़की अभिशाप
17. मुखौटा, आलेख
18. कुकुरमुत्तों की तरह फैले व्यापारी (अई साहित्यकार)
19. क्या हम समाज में एक लौठा जहर मिला रहै हैं ?
20. वर्तमान शिक्षाप्रणाली डिबियाँ बाँट रही हैं, ज्ञान नहीं।
21. नाट्य समीक्षा विजय तेन्दुलकर, हबीब तनवीर कृत
22. पंचयत्रम् बंशीकोल भोपाल निर्देशित

प्रकाशित प्रमुख रचनाओं का सारांश -

महसूस करता हूँ (रेडियो लेखन) - आकाशवाणी से प्रसारित कविता में आंतकवाद जो आज की विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक है का दिग्दर्शन कराया है। निर्दोष बच्चे-बूढ़े स्त्रियों आदि जो आंतकवाद का शिकार होते हैं उनकी वेदना, स्थिति, राजनीतिक अपराधीकरण आदि के खिलाफ खड़े होकर इन विद्रूपताओं को उखाड़ फेंकने हेतु प्रेरित किया है तथा कवि की संवेदना को मुखर किया है।

भ्रूण हत्या - प्रस्तुत कविता में भ्रूण हत्या, नारी का अपमान, उसका युगो-युगों से होता आ रहा है शोषण आदि पर प्रहार किया है। इसी के साथ नारी की ममता के महत्व व सम्मान को प्रतिष्ठित किया है। वर्तमान में लड़कियाँ प्रत्येक क्षेत्र में लड़कों की अपेक्षा उन्नति की ओर अग्रसर हैं। जबकि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का गलत प्रयोग मानव भ्रूण हत्या कर रहा है।

मादा भ्रूण हत्या के लिये हमें

आवाज उठाना चाहिये,

क्योंकि यह सवाल मस्तिष्क का नहीं

मन पर प्रभाव पैदा करता है।

मादा भ्रूण हत्या जघन्य कृत्य है,

समाज के भविष्य के सामने

यह प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।

सोन चिरैया - सोन चिरैया के माध्यम से पाराशर जी ने मानव के मन में उत्पन्न महत्वकांक्षाओं का दिग्दर्शन कराया है, ओर उनको पूर्ण करने में मानव बैचन व व्यथित होकर घूमता रहता है, इसी तथ्य को प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया गया है। जबकि मन की सोन चिरैया को कोई कैद नहीं कर पाता है।

उनके नौ ग्रह बलवान है - (व्यंग्य) प्रस्तुत लेख में सफेदपोश राजनेताओं पर व्यंग्य किया गया है। उनका आचरण पतित है लेकिन वह बाहरी दिखावे

में विश्वास करते हैं। चाहे किसी को श्रद्धांजली देना हो या किसी आन्दोलन का नेतृत्व करना हो इसमें वह समता भाव से अपमानित होने पर या जनसामान्य द्वारा पिट जाने पर भी सम्मानित होने का अहसास करते हैं। उनकी भौतिक समृद्धि इतनी है कि उनके रिश्तेदारों के कार्य में भी कोई रुकावट नहीं आती। उनका महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उनके नौ ग्रह बलवान हैं। जनसामान्य या अन्य उनसे ईर्ष्या करके भी उनका कुछ नहीं कर पाता है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम भी उन्हीं की डगर पर चल पायें और सफेद वस्त्र पहन कर कपड़ों का त्याग कर नौ ग्रह बलवान कर सकें।

वैश्या-दर-वैश्या - (लघुकथा) मशहूर वैश्या मुन्नीबाई का घर दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया, इस कारण शहर की बदनाम बस्ती में काफी चहल-पहल थीं। जश्न का कारण यह था कि आज मुन्नीबाई के घर पर तीसरी कन्या का जन्म हुआ था। उसी मोहल्ले में दूसरी तरफ रहने वाली श्यामाबाई के यहां पुत्र के जन्म के अंधेरे को दुधिया उजाले के उत्सव में तौल रही थी। **विश्वासघात -** रमेश की छोटी बहन ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण बिन ब्याहे गर्भवती हो गयी थी। लेकिन सुबह होते ही प्रतिदिन रमेश के घर आ धमकने वाले उसके दोस्त को सुषमा की मौत के बाद फिर उस मोहल्ले में कभी नहीं देखा गया।

मुखौटा - वृद्ध रामलाल ने अपना पूरा जीवन मुखौटे बनाने में बिताया था। उसने मनुष्यों के हजारों चेहरों को मुखौटों में ढालकर अपनी कला से सजीव किया था। उसे नगर भर के लोग मुखौटों का बादशाह के नाम से जानते थे। एक दिन स्कूल के सामने स्कूल के बच्चों की छुट्टी का इन्तजार करते-करते उसकी निगाह पास के मैदान की ओर गई यहाँ एक नेताजी जनता को झूठे आश्वासनों के माध्यम से प्रभावित करने के लिए भाषण दे रहे थे तभी उसकी निगाह नेताजी के चेहरेनुमा मुखौटे पर पड़ी और उसने उनके चेहरे पर आते-जाते भाव भंगिमा को संवेदनशीलता से देखा। उसने महसूस किया कि जीवनभर हजारों मुखौटों को अलग-अलग बनाने के बाद भी वह एक मुखौटे में इतने भाव और रंग भरने में असफल रहा, जितने एक साथ नेताजी के चेहरे पर मुखौटे अपना रंग बदल रहे थे। वह उनका असली चेहरा देख ही नहीं पा रहा था। अचानक बैच पर बैठा-बैठा वह जोर से चिल्लाया ' मुखौटो का बादशाह मैं नहीं, बल्कि वह नेता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) के कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आपने समाज सेवा के अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विश्व प्रसिद्ध अमृत महाप्रसंग सिंहस्थ (1992 व 2004) में सेवा उद्घोषणा एवं लेखन के रूप में आपने रचनात्मक सहयोग दिया है। अनेक राष्ट्रीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय संगोष्ठियों, परिचर्चाओं, कार्यशालाओं एवं शिविरों में भागीदारी कर अपना शैक्षणिक योगदान दिया है, इसके साथ ही अनेक राष्ट्रीय प्रादेशिक एवं स्थानीय प्रतिष्ठित आयोजनों से आप संचालक, संयोजक एवं आयोजक मण्डल के सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं। कई संस्थाओं के पदाधिकारी, मार्गदर्शक एवं सदस्य के रूप में अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। तीस से अधिक छात्रों ने आपके निर्देशन में शोध कार्य सम्पन्न किया है। आपने समाजशास्त्र एवं विधि की पाठ्यपुस्तकों का लेखन भी किया है। आपके व्यक्तित्व और सृजन कार्यों पर केन्द्रीत एम.फिल्. के तीन शोधार्थियों ने लघुशोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर विश्वविद्यालयों से उपाधियाँ प्राप्त की हैं। शोध कार्यों का यह सिलसिला सतत जारी है। आपने तीन शोध परियोजनाओं में सक्रिय हिस्सेदारी कर उसे पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके निर्देशन में उज्जैन जिले के आसपास के सौ ग्रामों का

शोध सर्वेक्षण कर स्नातकोत्तर छात्रों ने ग्रामों की समाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक स्थितियों पर शोध प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं, साथ ही शैक्षिक विकास एवं ज्ञानवर्धन हेतु भारत के अनेक प्रान्तों की यात्राएँ की हैं। आपका जीवन अध्ययन, अध्यापन, लेखन, मार्गदर्शन एवं प्रबोधन को समर्पित है।

आपके सामुदायिक योगदानों को दृष्टिगत रखते हुए सौ से अधिक संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित एवं अभिनंदित किया जा चुका है। आपके व्याख्यान थियॉसॉफिकल सोसायटी, विद्यालयों-महाविद्यालयों, भारतीय जीवन बीमा निगम, कालीदास संस्कृत अकादमी, गैस अर्थॉरिटी ऑफ इण्डिया लि, केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान, ओरिएण्टल इंश्योरेंस, जेसीस क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, बोधबिहार, जैन सोशल ग्रुप, मध्यप्रदेश पुलिस विभाग जिला प्रशासन, श्री कावेरी शोध संस्थान, जैन सोशल ग्रुप, हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बौद्ध आदि अनेक समाजों एवं संस्थाओं में हुए हैं। आपके व्याख्यानो में नव-चिन्तन, नव-दृष्टिकोण एवं व्यवहारिकता परिलक्षित होती है, जो मनुष्य के जीवन में नवचेतना का संचार कर उसे अपने जीवन में लक्ष्यों एवं मंजिल की उँचाईयों को हासिल करने में मदद करते हैं। आपके द्वारा समसामयिक उपयोगी विषयों पर प्रबोधन देने एवं कार्यशाला आयोजित करने का सिलसिला जारी है।

प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हिस्सेदारी - समाचार पत्र में लेखन/ आकाशवाणी/दूरदर्शन के रूपक वार्ताओं एवं साक्षात्कार का प्रसारण। ई.टी.वी. पर अमृत महाप्रसंग सिंहस्थ 04 की उद्घोषणा का सीधा प्रसारण टी.सीरीज से अमृत महाप्रसंग सिंहस्थ 04 पर कैसेट एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा शोधात्मक लेखों का राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं हेतु लेखन।

आस्था /संस्कार/साधना/जागरण चैनल पर लघुवृत्त-चित्रों का आलेखन

● **व्यक्तित्व एवं कृतित्व एवं सृजनधर्मिता पर** - प्रो. शैलेन्द्र पाराशर, व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 2003-04 वि.वि., उज्जैन की एम.फिल्. हेतु हिन्दी उपाधि के लिए पंचम प्रश्न पत्र के रूप में प्रस्तुत, उज्जैन नगर की पत्रकारिता में प्रो.शैलेन्द्र पाराशर का साहित्यिक योगदान 2005-06, हिन्दी की व्यंग्य परम्परा और प्रोफेसर शैलेन्द्र पाराशर का व्यंग्य साहित्य 2006-07 (मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै) शोध निर्देशक: डॉ. हरिमोहन बुधौलिया आचार्य एवं पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी अध्ययनशाला, वि.वि. उज्जैन।

● **संचालन एवं हिस्सेदारी** - अखिल भारतीय कालिदास समारोह व्याख्यानमाला जिला प्रशासन उज्जैन द्वारा आयोजित स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस, शासकीय आयोजन, तुलसी पंचशती समारोह, कबीर स्मरण समारोह, राष्ट्रीय प्रदीप शिखर सम्मान समारोह, अखिल भारतीय टेपा सम्मेलन, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक प्रतिष्ठित समारोह।

● **रचनात्मक कार्यक्रमों में योगदान** - अन्तर्विश्वविद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन गतिविधियों (विगत 30 वर्षों से खेलकूद, युवा-शिविर, युवा-उत्सव, वाद-विवाद, तात्कालिक भाषण, परिचर्चा सांस्कृतिक आदि प्रतियोगिताएं) के संचालन में विभिन्न पद एवं सदस्यता की हैसियत से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन।

सम्मान एवं अभिनंदन- सरस्वती आराधक, कला -समीक्षक, व्यंग्य-लेखक, संस्कृति-भूषण, समाज वैज्ञानिक, ओजस्वी वक्ता, श्रेष्ठ युवा,

समाज-मनोविश्लेषक, स्तंभकार, समाजसेवी, प्रबोधक, समालोचक, निष्णान्त मंच संचालक, समाजशास्त्री, परामर्शक आदि। अनेक उपाधियों एवं प्रमाण-पत्रों सहित 100 से अधिक संस्थाओं द्वारा रचनात्मक एवं सृजनात्मक योगदान के लिए सम्मान एवं अभिनंदन।

1. क्र.1 से 3 - रेडियो लेखन (काव्य गोष्ठी) आकाशवाणी केन्द्र भोपाल
2. क्र.4.-26 जून 2001 एवं अमृत महाप्रसंग-जनसम्पर्क विभाग उज्जैन, जिला-उज्जैन म.प्र.
3. क्र.5.-दैनिक अवन्तिका -06/01/1993
4. क्र.6.-दैनिक अवन्तिका-09/01/1993
5. क्र.7.-लोकनब्ज-04/03/1993
6. क्र.8.-दैनिक जागरण-28/09/1993
7. क्र.9.-दैनिक जागरण-06/10/19954
8. क्र.10.-दैनिक जागरण-05/09/1994
9. क्र.11.-लोकनब्ज-22/02/1995
10. सरोकार पत्रिका
11. क्र.12.-17.माधव महाविद्यालय उज्जैन
12. क्र.18.-7 से 8 फरवरी 1993 पृष्ठ-20
13. क्र.19-साप्ताहिक ऋषिमुनि, दिनांक -23 मार्च 1997
14. क्र.20-लोकनब्ज उज्जैन-25 फरवरी 1993
15. क्र.21-साप्ताहिक समीर दर्शन, दिनांक - 31 मार्च 1994

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. रमेशनिर्मल- आधुनिक उज्जयिनी के गौरव अन्विति प्रकाशक मुंबई 2005 पृष्ठ 196 एवं 177 पर अंकित
2. प्रो. शैलेन्द्र पाराशर अमृत महाप्रसंग आलेख जनसंपर्क विभाग संभाग उज्जैन मध्यप्रदेश 2004
3. प्रो.शैलेन्द्र पाराशर सरोकार लघुकलाएँ, माधव महाविद्यालय उज्जैन प्रथम संस्करण 1996
4. डॉ. मोहन परमार, प्रो.शैलेन्द्र पाराशर मालवा की हिन्दी पत्रकारिता (शो.ग्र.पु.) हिन्दी साहित्य निकेतन -16 साहित्य विहार बिजनोर उत्तर प्रदेश
5. पंडित सूर्यनारायण व्यास जय विक्रमादित्य उज्जयिनी प्रकाशक - 1951
6. श्याम सुंदर निगम, मालवी साहित्य का इतिहास, साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद् मुल्ला रमूजी भवन भोपाल मध्यप्रदेश प्रो.शैलेन्द्र पाराशर, समाजशास्त्र एवं सामाजिक समस्याएँ अनुराधा प्रकाशक आगरा उत्तर प्रदेश 1980
7. प्रो. शैलेन्द्र पाराशर, समाजशास्त्र, गुप्ता पब्लिकेशन इन्दौर म.प्र.- 1986
8. प्रो. शैलेन्द्र पाराशर उच्च शिक्षा में शिक्षकों के बदलते मूल्य/षो.ग्रन्थ) क्लॉसिकल पब्लिशिंग कम्पनी नई दिल्ली-2010
9. डॉ. रामजी उपाध्याय, प्राचीन भारतीय संस्कृति का इतिहास देवभारती प्रकाशक प्रयाग - 1966

वैदिक धर्म दर्शन का मूल प्रणव ('>')

डॉ. प्रमिला यादव *

प्रस्तावना - '>' ब्रह्म का वाचक है। '>' शब्द की ध्वनि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त, जो जीवन की शक्ति है। जिसके होने से शब्द को शक्ति प्राप्त होती है यही '>' का रूप है। '>' का उच्चारण तीन ध्वनियों से मिलकर बना है। इन ध्वनियों का अर्थ वेदों में व्यक्त किया गया है, जिसके अनुसार इसका उच्चारण किया जाता है। ध्यान साधना करने के लिए इस शब्द को उपयोग में लाया जाता है। सर्वत्र व्याप्त इस ध्वनि को ईश्वर के समानार्थ माना गया है। यही उस निराकार, अन्तहीन में व्याप्त है। '>' को जानने का अर्थ है ईश्वर को जान लेना। समस्त वेद '>' के महत्व की व्याख्या करते हैं। अनेक विचारधाराओं में '>' की प्रतिष्ठा को सिद्ध किया गया है। परमात्मा की स्तुति सृष्टि, स्थिति और प्रलय का सम्पादन इसी '>' में शामिल है। सत् चित् आनन्द की अनुभूति ही इसी के द्वारा सम्भव है। समस्त वैदिक मन्त्रों का उच्चारण '>' द्वारा ही सम्पन्न होता है। वेदों की ऋचाएँ, श्रुतियाँ '>' के उच्चारण के बिना अधूरी हैं। भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक शान्ति का सूचक मन्त्र है, यह 'श्ल'। प्राण तत्व को उल्लेख करते हुए '>' की ध्वनियों के साथ प्राण के सम्बन्ध को दर्शाया जाता है। इसे प्रणव मन्त्र भी कहा जाता है। यह ब्रह्माण्ड की अनाहत ध्वनि है और सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में यह अनवरत जारी है, इसका न आरम्भ है न अन्त। तपस्वी और साधक सभी इसी को अपनाते हुए प्रभु की भक्ति को स्वयं को मग्न कर पाते हैं।

वेदों में प्रणव '>' वेद सम्पूर्ण जाति की अमूल्य सम्पत्ति है। हमारे साहित्य वेद का जो स्थान है, वह दूसरे ग्रन्थों का नहीं है। मनु की दृष्टि में वेद सनातन चक्षु है। उसमें जो कुछ भी व्यक्त किया गया है, वही धर्म है। वेद विरुद्ध आचरण करना अधर्म है। वेद के किसी भी मन्त्र के आरम्भ में '>' का उच्चारण होता है। '>' ब्रह्म का वाचक है। '>' शब्द ब्रह्म का सर्वश्रेष्ठ रूप है। '>' का 'अ' कार वैश्वानर है। इसकी उपासना से समस्त लौकिक कामनाएँ पूर्ण होती हैं। 'उ' कार तेजस् है इसका अर्थ वैश्वानर है तथा इसकी क्रिया तेज में है अर्थ की पुष्टि क्रिया से होती है। क्रिया से ही अन्न का परिपाक होता है। क्रिया के बिना मन भी निर्बल बन जाता है। तेजस् उत्कर्ष को दर्शाता है। तेजस् वैश्वानर और प्रज्ञा दोनों से जुड़कर उनका संचालन करता है। जो तेजस् की उपासना करता है, उसके सब मित्र हो जाते हैं। उसके वंश में कोई मूर्ख नहीं होता। तीसरा वर्ण 'म' है। 'म्' का अर्थ सीमा है। जो 'म्' की उपासना करता है वह समस्त वैभव को पा लेता है। अ-उ तथा म इनके अतिरिक्त एक चतुर्थ मात्रा है जो अखण्ड और अव्यवहार्य है, वही तुरीय स्थिति है।

इस प्रकार '>' में हमारे व्यक्तित्व में चारों स्तरों का प्रतिनिधित्व हो जाता है। जो '>' को जानता है, वह स्वयं को जान लेता है और जो स्वयं को जान लेता है वह सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए '>' का ज्ञान सबसे उत्तम है। कठोपनिषद् में वर्णित है कि समस्त वेद इसी '>' की व्याख्या करते हैं। समस्त तप इसी की

इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है।

सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च सद् वदन्ति।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पद-संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्॥

वैदिक विचारधारा में प्रभु के सर्वोत्तम नाम '>' की मान्यता थी। परवर्तीकाल में इससे भिन्न विचारधाराएँ चल पड़ी। बौद्ध तथा जैन विचारधाराओं में '>' की प्रतिष्ठा बनी रही। शैव सम्प्रदाय में 'नमः शिवाय' मन्त्र का प्रचार है, जो वेद के अनुसार ही है। शाक्त सम्प्रदाय भी '>' की महत्ता को धारण किए शक्ति की प्रधानता होते हुए भी तान्त्रिक मन्त्रों में सर्वत्र 'श्ल' का प्रथम उच्चारण विहित है। '>' यह मूल ध्वनि है। यह ध्वनि अ + उ + म नाम की तीन ध्वनियों में फैल जाती है। 'अ' आर्वाभाव है 'उ' उठना या उड़ना है और 'म्' चुप हो जाना या अपने में लीन हो जाता है। क्-यजु-साम की वेदत्रयी इन्हीं तीन मात्राओं का उपबृंहण है। तीन महाव्याहृतियाँ- भूः, भुवः और स्वः इन्हीं तीन मात्राओं से निकली हैं। सृष्टि, स्थिति और प्रलय का प्रकाशन भी इन्हीं तीन मात्राओं से होता है। सत्, चित्, आनन्द की तीन सत्ताएँ भी इन्हीं से प्रकट हो जाती हैं। सभी सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में 'श्ल' की सत्ता को धारण किये हुए हैं।

'>' ब्रह्म का वाचक है, इसमें तीन वर्ण हैं- अ, उ तथा म- इनके अनन्तर एक चतुर्थ वर्ण भी है, जो अर्द्ध मात्रा- रूप है, इसलिए वह सुनायी नहीं पड़ता। '>' कार के यह चारों वर्ण ब्रह्म के चारों पादों के सूचक हैं, जैसे-

'अ' = अव्यय पुरुष

'उ' = अरः पुरुष

'म्' = :र पुरुष और

अर्धमात्रा = परात्पर पुरुष

इस प्रकार '>' ब्रह्म के चारों पादों के सूचक है। इनमें प्रथम 'अ' को लें। 'अ' का उष्मा-भाग विकास को बतलाता है, स्पर्श-भाग संकोच को बतलाता है। विकास अग्नि है तथा संकोच सोम। इन दोनों के मिश्रण से पूरी सृष्टि बनी है। जिस प्रकार सारी शब्द-सृष्टि भी स्पर्श तथा उष्मा के संयोग से बनी है। एतरेय आरण्यक में कहा गया है कि 'अ' से ही सब शब्द बने हैं- 'अकारो वै सर्वा वाक्।' 'अ' की इसी महिमा के कारण गीता में भगवान् ने स्वयं को 'अ' कार बताया है- 'अराणामकारोऽस्मि।' 'अ' वर्ण असङ्ग है, इसलिए इसे अव्यय पुरुष के रूप में माना गया है। 'उ' में मुख का संकोच होता है। यह ससंगासंग है। यह न तो 'अ' की तरह पूर्ण रूप से असंग है और न 'म्' की तरह पूर्ण रूप से ससंग है। यह अक्षर पुरुष का वाचक है। 'म्' क्षर पुरुष है। इसमें मुख का सर्वथा संकोच हो जाता है, इसके अनन्तर अर्द्धमात्रा परात्पर की सूचक है।

इसमें शास्त्र की गति नहीं। इस प्रकार 'ऽ' समस्त वेदों का सार है, क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म का वाचक है। समस्त तप और ब्रह्मचर्य का पालन इस 'श्ल' की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है।

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते॥

परक्रम के वाचक 'ऽ' की व्याख्या करते हुए शास्त्र कहते हैं- 'वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होता है और पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने के बाद पूर्ण ही शेष रह जाता है।' यहाँ 'वह' परोक्ष को बताता है, 'यह' प्रत्यक्ष को। ईश्वर परोक्ष है, जीव प्रत्यक्ष है। ईश्वर की पूर्णता को प्रसिद्ध है, किन्तु जीव भी पूर्ण ही है- इसका कारण यह है कि जीव ईश्वर का ही अंश है और यदि ईश्वर पूर्ण है, तो उसका अंश जीव भी अपूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण से जो भी उत्पन्न होगा, वह पूर्ण ही होगा। अतः जीव भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल देने से पूर्ण ही शेष बचता है। गणित का सिद्धान्त है कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर पूर्ण ही शेष बचता है, पूर्ण में कोई अपूर्णता नहीं आती।

हमारा व्यक्तित्व विश्व का प्रतिबिम्ब है। विश्व में पृथ्वी है। हम में शरीर।

विश्व में चन्द्रमा स्थित है और हमारे शरीर में मन। विश्व में सूर्य है और हम में बुद्धि। विश्व में परमेष्ठी है, हम में महत्। विश्व में स्वयंभू है हम में अव्यक्त है। इस प्रकार हम में पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व हो रहा है। विश्व पूर्ण है इसलिए हम भी पूर्ण है। जैसे ही हम अपनी पूर्णता का ज्ञान होता है, वैसे ही त्रिविध शान्ति सामने आ जाती हैं, क्योंकि अशान्ति अपूर्णता में होती है, पूर्णता में नहीं। आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक-इस तीन प्रकार की शान्ति का सूचक मन्त्र है 'शान्तिः शान्तिः शान्तिः।'

निष्कर्ष - इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'ऽ' प्रणव वैदिक धर्मदर्शन का मूल है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कठोपनिषद् 1/2/15
2. मनसुखराम मोर वकटेश्वर प्रेस मुम्बई, 1894
3. कठोपनिषद्- स्वामी प्रखर प्रज्ञानन्द सरस्वती, चौखम्बा संस्कृत संस्थान पूणे।
4. यजुर्वेद- गीताप्रेस गोरखपुर।
5. मनसुखराम मोर वकटेश्वर प्रेस बम्बई 1894

बौद्ध धर्म के विकास एवं प्रसार में बौद्ध संगीतियों का योगदान

डॉ. पूर्णिमा शर्मा *

शोध सारांश - भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ई. पू. का समय धार्मिक क्रांति के काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का विरोध इसी समय प्रारंभ हुआ। जैन एवं बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। जिस समय बुद्ध का जन्म हुआ था, उस समय मानव तत्व शास्त्र की समस्याओं को सुलझाने में निमग्न था। प्रत्येक व्यक्ति आत्मा, जगत और ईश्वर जैसे विषयों के चिंतन में डूबा हुआ था। उस समय एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी, जो लोगों को नैतिक जीवन की समस्याओं के प्रति जागरूक बनाने में सहायक हो। बुद्ध इस मांग की पूर्ति में पूर्ण रूप से सफल हुए।

शब्द कुंजी - महात्मा बुद्ध, बौद्ध, संगीतियों, त्रिपिटक, महायान।

प्रस्तावना - बौद्ध धर्म का उदय हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही कल्याणकारी प्रमाणित हुआ। भारतीय संस्कृति की श्रीसंपन्नता में इस धर्म के कारण काफी अभिवृद्धि हुई और इस देश के लोगों के जीवन के प्रति अपने एवं विशिष्ट दृष्टिकोण का विकास करने में काफी सहायता प्राप्त हुई।

महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने जहां इस स्थानीय धर्म को विश्वव्यापी बना दिया उसे चीन, जापान, कंबोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा, श्रीलंका तथा वियतनाम में फैला दिया वहीं तथागत ने भी अपने जीवन पर्यन्त अपने धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न स्थलों में पदयात्राएँ कीं। 45 वर्षों तक महात्मा बुद्ध ने इस धर्म का प्रचार किया और अंत में पावा नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए।

धर्म प्रवर्तक की मृत्यु के उपरांत धर्मानुयायियों में विभिन्न विषयों पर मतमतांतर प्रारंभ हो गए। देवदत्त नामक शिष्य ने तथागत के जीवन में ही संघ में फूट डालने का प्रयास किया था। मोग्गल्लान तथा सारिपुत्र नामक बुद्ध के शिष्यों ने इस दरार डालने वाले को अपने तर्कों से प्रभावित कर उसे पुनः बुद्ध संघ में आने के लिए उत्साहित किया। देवदत्त अंत में संघ का सदस्य बन गया और अपनी मृत्युपर्यन्त बौद्ध धर्म का प्रचार करता रहा। इस प्रकार बौद्धधर्म में फूट का अविर्भाव न हो सका। तथापि बाद में उत्पन्न धार्मिक विवादों के निराकरण तथा बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध संगीतियों (महापरिषदें) का महत्वपूर्ण योगदान है। चार बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. प्रथम बौद्ध संगीति - बुद्ध की मृत्यु पर सुभद्र नामक भिक्षु ने यह कहा था कि अब हम विधि-निषेधों से मुक्त हो गए। इसी कथन से भयभीत होकर बुद्ध के उपदेशों को संकलित करने की जरूरत महसूस हुई। महाकरसप ने राजगृह में 500 भिक्षुओं की एक संगीति 483 ई. पू. में सप्तपर्णि गुफा राजगृह बिहार में आयोजित हुई। इस समय राजगृह का शासक था अजातशत्रु। उस परिषद में धर्म और सैद्धांतिक नियमों तथा विनय और अनुशासन के संबंध में बुद्ध की शिक्षाओं को संग्रहित किया था। उपालि सबसे वयोवृद्ध शिष्य था उसने विनयपिटक का संशोधन किया। उसे संघ के अनुशासन के नियमों का पूर्ण परिचय था। आनंद ने सुत्तपिटक का संकलन किया। यह

पिटक बौद्ध धर्म के आधिभौतिक मनोविज्ञान एवं दर्शन का संग्रह है। यह पिटक प्रवचनों का सार है, करसप ने अभिधम्मपिटक का संपादन किया। यह स्थविरों की सभा थी। स्थविरों को रूढ़िवादी भी कहा जाता था। इस सभा में मतभेदों का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। यह एक तरह की बड़ी पातिमोक्ख सभा थी क्योंकि इसमें आनन्द से सभा के सम्मुख नगण्य अपराधों को स्वीकार करवाया गया था।

इस सभा में बुद्ध के दर्शन और उपदेशों को संकलित करने का प्रयत्न किया गया परंतु यह प्रयत्न सफल हुआ हो यह विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि बौद्ध ग्रंथों का संकलन बाद के समय में धीरे-धीरे हुआ। यह अधिक प्रमाणित है।

2. द्वितीय बौद्ध संगीति - बौद्धों की द्वितीय संगीति बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष पश्चात् अर्थात् 383 ई. पू. में वैशाली के शासक कालाशोक अथवा कालवर्मन के समय आयोजित की गयी थी। इस संगीति की अध्यक्षता 'यश' नामक भिक्षु ने की। इसमें हुए मतभेद में दो गुट बने एक पूर्वी गुट था, इसके अंतर्गत वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे और दूसरा पश्चिमी गुट था इसके अंतर्गत कौशाम्बी पाटण और मगध के भिक्षु थे। पूर्वी गुट के भिक्षुओं ने कुछ नवीन नियम स्वीकार कर लिए थे। पश्चिमी गुट इन नियमों को बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध मानते थे। इस सभा में इन नियमों पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ परंतु कोई समझौता न हो सका। पूर्वी गुट महासांघिन या अचारियवादी कहलाए यह प्रगतिवादी दल बुद्ध के नियमों में कुछ ढिलाई चाहते थे और नवीन नियमों के पक्ष में थे। पश्चिमी गुट 'थेरवादी' कहलाए थेरवादियों का नेतृत्व किया 'महाकच्चायन' ने। थेरवादियों या स्थविरवादियों का बौद्ध धर्म के दर्शन पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित रहा। बाद में इनके 12 संप्रदाय और महासांघिकों के 6 संप्रदाय थे। थेरवादियों के ग्रंथ संस्कृत में हैं और महासांघिकों के प्राकृत में। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के मरने के 100 वर्ष पश्चात् बौद्ध धर्म दो स्पष्ट गुटों में विभाजित हो गया।

3. तृतीय बौद्ध संगीति - द्वितीय बौद्ध संगीति के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास लगभग 100 वर्षों तक अस्पष्ट तथा अनिश्चय के वातावरण में पनपा। हमको इस शताब्दी के बौद्ध धर्म के विषय में कुछ भी प्रमाणिक

ज्ञान उपलब्ध नहीं है। इस अंधकारपूर्ण आवरण को दूर करने वाला था सम्राट अशोक। अशोक ने केवल धर्म प्रचार ही नहीं किया बल्कि उसने धम्म में पड़ते हुए विभाजनों को भी दूर करने की भरपूर कोशिश की। पाटलिपुत्र में उसने बौद्ध विद्वानों का एक सम्मेलन आमंत्रित किया। यह सम्मेलन बौद्ध धर्म की तृतीय संगीति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तिरस इस संगीति का सभापति था। तिरस मोग्गलि का पुत्र था। ब्राह्मण धर्म के अनुयायी बौद्ध धर्म में नाना प्रकार के कर्मकाण्ड लाने में प्रयत्नशील थे। 'इन्हीं कारणों से सम्राट अशोक ने अपने तत्वावधान में यह सम्मेलन आमंत्रित किया था। कुछ विद्वानों ने इस संगीति की प्रामाणिकता में भी संदेह उपस्थित किया है। इन विद्वानों के मत का आधार है, उत्तरी सिद्धांत के ग्रंथों में इस संगीति का उल्लेख नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधिवेशन केवल थेरवादियों के ही द्वारा संचालित हुआ था। इस संगीति का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और समन्तपासदिका में ही हुआ है। अशोक के अभिलेखों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मोग्गलीपुत्र तिरस ने 'कथावत्थु' नामक अपने ग्रंथ में सभी वाद विवादों का वर्णन किया है। इस संगीति ने दो प्रमुख कार्य किए - अ) तृतीय पिटक अभिधम्मपिटक (कथावत्थु) का संकलन किया जिसमें धर्म सिद्धांत की दार्शनिक व्याख्या की गयी है। ब) संघ भेद रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया। इसके अतिरिक्त धम्म प्रचार के लिए 1000 भिक्षुओं को नियुक्त किया गया। डॉ. आर. सी. मजूमदार ने लिखा है कि 'गौतम की मृत्यु के पश्चात् की दूसरी शताब्दी का बौद्ध धर्म का इतिहास एक धार्मिक संगठन का न हाकर भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए अनेक संप्रदायों का इतिहास था।'

4. चतुर्थ बौद्ध संगीति - अशोक की मृत्यु के पश्चात् बौद्ध धर्म का इतिहास पुनः अंधकार युग में प्रवेश करता है। नागसेन तथा मिलिन्द के 'वार्त्तालापों' में जाकर यह अंधकार नष्ट हो जाता है। मिलिन्द ग्रीकबेक्ट्रियन नरेश मिनेण्डर था। यह नरेश ईसा पूर्व प्रथम या दूसरी शताब्दी में भारत आया था। 'मिलिन्द प्रश्न' में नागसेन ने स्थविरो के अनुसार बौद्ध धर्म की व्याख्या की है लेकिन इस पुस्तक में हमें महायान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत भी प्राप्त होते हैं एक तो है विश्वास के आधार पर निर्वाण तथा दूसरा बोधिसत्व सिद्धांत। मिलिन्द के शासन के शीघ्र पश्चात् भारत में कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। कनिष्क इस वंश का सबसे महान् सम्राट था। इसका शासनकाल प्रथम शताब्दी ईसवी माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार

में अशोक जैसी लगन प्रदर्शित की और उसके पदचिन्हों पर चलकर एक बौद्ध संगीति का आयोजन किया। यह संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति के नाम से विख्यात है। महायान संप्रदाय का प्रतिनिधित्व अशोक द्वारा बुलाई गई सभा में नहीं था अतएव उन्होंने इस सभा का अपनी पुस्तकों में उल्लेख ही नहीं किया है लेकिन इस सम्मेलन में महायान संप्रदाय की पूरी छाप थी। केवल थेरवादियों के एक छोटे से संप्रदाय ने जिसे सारवस्तिवादिन कहा जाता है, इस सम्मेलन में सहयोग दिया था। इस अधिवेशन द्वारा कनिष्क महायान एवं हीनयान की बढ़ती हुई खाई को पाटने का प्रयास करना चाहता था लेकिन सम्राट अपने उद्देश्य में आंशिक रूप से ही सफल हुआ। 'ललित विस्तर' नामक ग्रंथ ने कनिष्क की इस भावना को काफी चोट पहुंचाई थी। भारत में बौद्ध धर्म का हास - ईसा की सातवीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म का हास होना प्रारंभ हो गया। भारत के जनमानस में बौद्ध धर्म अपना स्थायी घर न बना सका। यद्यपि हर्ष ने बौद्ध धर्म के जीर्ण भवन का पुनरुद्धार कराने का प्रयास किया लेकिन हिन्दू धर्म के उदित होते हुए उत्साह के सम्मुख इस नरेश के प्रयास असफल ही रहे। हूणों ने बौद्ध धर्म की शोचनीय अवस्था को और भी गंभीर रूप प्रदान किया। उन्होंने मठों, स्तूपों को लूटा खसोटा और उन्हें अग्नि देवता की भेंट चढ़ा दिया। व्हेनसांग और इत्सिंग बौद्ध धर्म की पतनोन्मुख स्थिति पर चिंता प्रकट करते हैं। यद्यपि बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में सातवीं शताब्दी में पतनोन्मुख हो गया था लेकिन देश के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में यह अब भी फलफूल रहा था और चीन, जापान, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, बर्मा एवं लंका में 14 वीं शताब्दी तक प्रमुख धर्म रहा और अब भी यह कई देशों का राष्ट्रीय धर्म है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. राधाकुमुद मुखर्जी हिन्दू सिविलाइजेशन।
2. डॉ. बेनीप्रसाद - हिंदुस्तान की पुरानी सभ्यता।
3. डॉ. ए. एल. बाथम - The Wonder that was India
4. डॉ. एल. पी. शर्मा - प्राचीन भारत।
5. डॉ. राजकुमार - भारतीय समाज एवं संस्कृति।
6. डॉ. आर. सी. मजूमदार - Ancient India
7. Max Muller - Studies in Buddhism
8. डॉ. संजीव जैन - प्राचीन भारत का इतिहास।



कला तकनीक

अर्चना *

प्रस्तावना - इस संसार में कला ही एक मात्र वह माध्यम है, जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को आत्मिक सुख प्रदान करती है, चाहे वह कोई भी कला हो। भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में ठीक ही कहा है।

'न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला'!!

अर्थात् ऐसा कोई ज्ञान नहीं कोई शिल्प नहीं कोई विद्या नहीं जो कला न हो,

कला सभी में व्याप्त है। मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनन्द प्रदान करती है, कला कहलाती है। व्यक्ति अपने दैनिक अनुभव, विचार को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखता आया है। सर्वप्रथम उसने संकेत प्रतीक तथा शारीरिक भाव भंगिमाओं द्वारा अपने विचार प्रकट किए तथा धीरे - धीरे वह इन सब के अतिरिक्त आँखों द्वारा दिखाई देने वाली सतहों, चट्टानों मिट्टी की परतों एवं अन्य सामग्रियों पर अपने विचार अंकित करने लगा। इन्हीं रेखांकित प्रयत्नों के कारण ही मानव सभ्यता का निरन्तर विकास हुआ। उसके द्वारा रेखांकित किए गये विचार ही चित्रकला को जन्म देते हैं। विषय चाहे कोई भी रहा हो उसमें समय के साथ-साथ अनेक परिवर्तन आये हैं। ललित कलाओं में से एक चित्रकला भी उनमें से अपना एक विशेष महत्व रखती है। चित्रकला के विकास से हम सब भली-भांति परिचित हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्रों का सहारा लिया। जैसे-जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे-वैसे ही चित्रकला में अनेकों परिवर्तन आये, उनके चित्रों की बनावट से लेकर उनके विषयों, मध्यमों, सामग्रियों व उनकी तकनीकियों में भी अनेकानेक परिवर्तन आए हैं और समय-समय पर अनेक तकनीक व विधाएँ सामने आयी हैं।

विभिन्न प्रकार के रंगों, तुलिकाओं, भित्ति चित्रों, ताड़ पत्रों व कागज की सतहों पर चित्र निर्माण सम्बन्धी विभिन्न स्थानीय पद्धतियों की परम्परा प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र को विरासत में मिली है। उसने अपनी मूक भावनाओं को अनगढ़ पत्थरों के यंत्रों तथा तूलिका से टेढ़ी-मेढ़ी रेखाकृतियों को गुफाओं और चट्टानों की भित्तियों पर अंकित कर दिया है। यहां जिन सूखे रंगों को काम में लाया गया उनमें किसी बन्धक अथवा संवाहक तरल का प्रयोग नहीं था। वह सूखे रंग सीधे पत्थर पर घिस दिये गए थे। वहां केवल रंग पदार्थ के कणों की परत थी। लेकिन कुछ विद्वान इसमें चर्बी मिलाया जाना मानते हैं। अजन्ता नाम से कौन परिचित नहीं है? अजन्ता चित्रों के लिए भित्ति तैयार करने की तकनीक थी कि सर्वप्रथम प्लास्टर की परत में खडिया, चूना, गोबर, का बारीक गारा गुफा की खुरदरी दीवार पर लगा दिया जाता था। इस गारे को कई दिन तक अलसी के पानी में भी भिगोकर फूलने के लिए रख दिया जाता था। कभी-कभी छत में लगाने वाले गारे में

धान की भूसी मिलाने का भी प्रचलन था। प्लास्टर की पहली तह पौन इंच से लेकर एक इंच तक की मोटी होती थी, जिसके ऊपर अण्डे के छिलके की मोटाई के बराबर सफेद प्लास्टर का लेप चढ़ा दिया जाता था। तब वह चित्रण योग्य बनती थी। भित्ति पर कार्य करने की दो तकनीक होती है। जिन्हें फ्रेस्को ब्रूनो व फ्रेस्को सीको नाम से जाना जाता था। फ्रेस्को ब्रूनो तकनीक के अन्तर्गत गीली भित्ति पर कार्य किया जाता था। फ्रेस्को शब्द इटली के 'फ्रैश' शब्द से बना है जिसका अर्थ है ताजा प्लास्टर। इस प्रकार ताजी भित्ति पर बनाए चित्रों को फ्रेस्को ब्रूनो कहा गया। शुद्ध फ्रेस्को विधि में गीले चूने के प्लास्टर पर पानी अथवा चूने के पानी के माध्यम से रंगों को मिलाकर चित्रण किया जाता है। गीले प्लास्टर में धीरे-धीरे नमी उड़ जाती है तथा चूना हवा से रासायनिक क्रिया करके हवा से कार्बनिक एसिड गैस सोख लेता है और पानी में अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की यह पतली चमकदार सतह रंग के ऊपर बन जाती है जिससे रंग स्थायी हो जाता है। फ्रेस्को की दूसरी तकनीक फ्रेस्को सीको नाम से जानी जाती है। इस प्रक्रिया में सफेद के लिए चूने को भिगोकर सुखाकर तथा कई बार पीस कर चूर्ण बना लेना चाहिए। यह क्रिया हम केवल सूखी भित्ति पर ही करते हैं। ये दोनों तकनीकी भित्ति चित्रण के लिए प्रयोग होती हैं। कागज के अविष्कार से पूर्व भोजपत्र, ताड़पत्र आदि पर लेखन के साथ चित्र भी बनाये गये। ताड़पत्र पर चित्रण के उदाहरण हम पाल व अपभ्रंश शैली औद्योगिक वृत्ति, निशीथ चूर्णी, महावीर चरित्र आदि ग्रन्थों में देख सकते हैं। ताड़पत्र को विशेष प्रक्रिया से तैयार करके लिखने योग्य व चित्रण योग्य बनाया जाता था। असम में ज्यादातर प्राचीन ग्रंथ साँचिपात में लिखे गए थे। 'साँचिपात' साँचि नामक पौधे की छाल को लिखने के लिए उपयोगी बनाने की खास विधि है। साँची पौधे की छाल को खाना बनाने वाले चूल्हे के ऊपर धुआँ लगाने वाली जगह में रखकर सुखाया जाता था, फिर किताब के एक पन्ने के नाप में काटकर छाल के उबड़-खाबड़ अंश साफ किए जाते थे। अब 'धिला' नामक एक जंगली लता के चपटे बीजों पर इस छाल के टुकड़ों को रखकर पीटा जाता था, जिससे यह चोरस बन जाता था फिर इसमें उड़द के रस से और उसके बाद हरताल (गंधक और संखिया के योग से बना पीला खनिज द्रव्य) का लेप किया जाता था। इस पर लिखने के लिए स्याही बनाने की भी अपनी ही तकनीक थी। स्याही को 'मसी' कहा जाता था और इसे तैयार करने के लिए चूल्हे पर रखी हुई कढ़ाही के निचले भाग में उत्पन्न राख 'केहराज' पत्ते का रस, गाय के मूत्र, आम तथा जामुन के पेड़ की छाल, लोहे के चूर्ण, और हरितकी को एक साथ मिलाकर उबाला जाता था और फिर मिट्टी के बरतन में भरकर रात भर आंगन में रख दिया जाता था जिससे यह ओस में भीगे। इसके बाद बर्तन के बाहरी हिस्से से जो रस निकलता था वहीं स्याही

के रूप में प्रयोग किया जाता था। ताड़पत्र के बाद चित्रण के लिए कागज का प्रयोग किया गया था।

प्राचीन असम में 'तुला' यानी रूई से कगज बनाने की प्रथा रहने के कारण आज भी वहां कागज को 'तुलापात' कहा जाता है। रूई से कागज बनाने की प्रथा सिंकदर के भारत आक्रमण के समय भी प्रचलित थी। अपभ्रंश शैली में कागज वाले ग्रन्थों को देखा जा सकता है जिनमें से कुछ हैं- 1156-66 की जिनचन्द्र सूरिकृत 'ध्वनयालोक', 1222 की न्यायवर्द्धिका तात्पर्यटीका 1415 का कल्पसूत्र आदि। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया कला तकनीक में भी परिवर्तन होता रहा यदि मुगल काल की बात की जाए तो इस समय के कुछ चित्रों में फूल-पत्तियों को घिसकर भरे जाते थे और कुछ चित्रों के लिए रंगों को तैयार किया जाता था। जैसे काले रंग के लिए काजल (सरसों के तेल से भरे दीपक में कपूर जलाकर काजल बनाया जाता था), महावर (लाख से तैयार किया गया रंग), नीला (नील पौधे के रस से तैयार रंग), पीला (नकली प्यौड़ी तथा ढाक) आदि।

रंगों को तैयार करने की विविध चित्रकारों की भिन्न-भिन्न तकनीक रही है। भारत तथा अन्य देशों में जिन मुख्य चित्रण के रंग माध्यमों का प्रयोग किया गया है। एक माध्यम का दूसरे माध्यम में मिलकर प्रयोग अनोखा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। यदि देखा जाए देश-विदेश में चार माध्यम बहुत लोकप्रिय रहे हैं- टेम्परा, पेस्टल, तेल रंग, जल रंग, एक्रैलिक। यदि टेम्परा की बात की जाए तो यह वास्तव में एक अद्भुत तकनीक है। इसकी खास बात है कि इसकी चमक जो दर्शक को चित्रों में खो जाने पर मजबूर कर देती है। आजकल अपारदर्शी जलरंगों को भी टेम्परा रंग कहते हैं किन्तु पहले अण्डे की जर्दी मिलाए रंगों को टेम्परा कहते थे।

यदि पेस्टल रंगों की बात करें तो चित्रों में रंगों की शुद्धता अपना अलग ही प्रभाव उत्पन्न करती है। पेस्टल रंगों को रंग वर्तिका भी कहा जाता है। यह एक सरल चित्रण माध्यम है और यह शुद्ध भी है। इसमें रंग को बिना किसी माध्यम के सीधे कागज पर लगाया जाता है। इस कारण रंगों की शुद्धता बढ़ जाती है। पेस्टल चित्रण की तकनीक चित्रकार की स्वयं की अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व प्रतिभा तथा कुशल कारीगरी की परिचायक है। पेस्टल में अनेक तानों के रंगों को उंगली, कपड़े तथा रूई से रगड़कर साधारणतया लगाया जाता है। विभिन्न तानों के खण्डों में वर्णिकाओं से तिरछी रेखाएँ या पेंच या रंगों के खण्ड सीधे वर्तिकाओं को कागज पर रगड़कर बनाए जाए तो रंग की चमक कम नहीं होती है और चित्र सौन्दर्य से परीपूर्ण होता है।

बदलते दौर में आज भी तेल रंगों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। सर्वप्रथम 16वीं व 17वीं सदी के दो वलैमिश कलाकार भाई हर्बर्ट वान आइक तथा जान वान आइक ने तेल रंगों के चित्रों का अविष्कार किया। तेल चित्रण का कार्य अनेक धरातलों पर किया जाता है। जैसे-कैनवास, काष्ठ, फलक, मैसोनाईट या हार्डबोर्ड तेलीय कागज आदि। तेल चित्रण के लिए 'फ्लैट' ब्रुश का प्रयोग किया जाता है। जो चपटे होते हैं। तेल चित्रण में रंगों के माध्यम के रूप में सामान्यतया तारपीन के तेल या अल्सी, पोस्त, अखरोट, सूरजमुखी जैसे सूखे वाले तेल को रंगचूर्ण में मिलाकर त्रिकारी के लिए उपयुक्त प्रवाही मिश्रण तैयार किया जाता है। साधारणतया तेल चित्रण की दो या तीन विलेपन की पद्धति प्रचलित है। पहले लेप में छाया तथा प्रकाश के क्षेत्र तथा दूसरे लेप में मध्यम क्षेत्र व तीसरे लेप में प्रकाश या अधिक प्रकाश वाले क्षेत्र व बारीकियों को निकाला जाता है। प्रत्येक लेप के सूखने पर थोड़े-थोड़े समय बाद एक दूसरा लेप लगाना चाहिए।

यदि जल रंग की बात की जाए तो जल रंग कलाकारों का प्रिय माध्यम

रहा है। जलरंग का प्रयोग करने के लिए पारस्परिक रूप में जलरंग तह (वाश) लगाई जाती है और हल्की तान के लिए कागज को श्वेत ही छोड़ दिया जाता है। पतले रंग का एक के ऊपर एक वाश देने से उज्ज्वल वातावरण का प्रभाव उत्पन्न होता है। विशेषतया आकाश व पानी के प्रभाव इस तकनीक से सफलतापूर्वक उत्पन्न होते हैं। इसमें कागज को पहले थोड़ा गीला कर लेते हैं। केवल सीलन मात्र पर रंग का वाश देते हैं और सफेद ब्लाटिंग पेपर से सोख लेते हैं। इस प्रकार लगभग दो तिहाई रंग ब्लाटिंग पेपर सोख लेता है। सूखने पर यही प्रक्रिया बार-बार दोहराई जाती है।

वर्तमान में रंग माध्यमों में एक्रैलिक रंग का अत्याधिक प्रयोग किया जा रहा है। फ्रांस के 'संडे पेन्टर्स' ने इस तकनीक की खोज की। इसका प्रारम्भिक प्रयोग ओरोजको तथा रिवेरा ने भित्ति चित्रण के लिए किया, परन्तु आज कलाकार इससे प्रत्येक विषय चित्रित कर रहे हैं। क्योंकि समय तथा वातावरण के प्रभाव के साथ यह मलिक नहीं होता। तेल रंगों की तुलना में एक्रैलिक जल्दी सूखता है क्योंकि इसका माध्यम जल है। एक्रैलिक रंगों के जल्दी सूख जाने के कारण वर्तमान में चित्रकारों का पंसदीदा माध्यम एक्रैलिक कलर ही है। इन रंगों में चमक भी अधिक होती है।

ये सभी माध्यम बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। यदि वर्तमान समय की बात की जाए तो कला के क्षेत्र में इतने अधिक नए-नए माध्यम व तकनीक का भी प्रयोग किया जाने लगा है कि उनको समझ पाना कठिन कार्य लगने लगा है। समकालीन कलाकार कला क्षेत्र में अनेको नये-नये माध्यम व तकनीक लेकर कार्य कर रहे हैं जैसे-

लंदन में जन्मी भारती खेर जो बिंदियों के प्रयोग से पेंटिंग का निर्माण करती है। इसमें उन्होंने सीधे ही कैनवास पर एक के बाद एक विभिन्न रंगों की बिंदियों को चिपकाकर पेंटिंग का निर्माण किया है जो देखने में अद्भुत है। ऐसे ही अमेरिका से एक अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार 'जेक्शन पोलक' ने डिप पेंटिंग तकनीक विकसित की थी। इस तकनीक को आज भी बहुत से कलाकार कुछ परिवर्तन कर प्रयोग में ला रहे हैं। पेन्ट को पानी के ऊपर थोड़ा-थोड़ा डाल कर ब्रुश की सहायता से सभी रंगों को घुमाकर एक लय का निर्माण किया जाता है फिर कैनवास पर सभी रंग आ जाते हैं और एक अद्भुत पेंटिंग का निर्माण होता है।

यदि हम मूर्तिकला की बात करें तो इसमें भी अनेक कलाकार नई-नई तकनीक विकसित करते हैं, जैसे-मृणालिनी मुखर्जी ने जूट की रस्सी, सूतली व डोरी से शिल्प बनाए हैं, यह माध्यम तकनीक परम्परागत गृह प्रयोग में महिलाएं प्रयुक्त करती हैं। इसी प्रकार सुबोध गुप्ता ने इन्स्टालेशन कला में रोज के काम आने वाले बर्तनों को लिया है, इन्होंने इस श्रृंखला में कार्य किया है, जिसका उदाहरण हम दिल्ली के NGMA में देख सकते हैं कि किस प्रकार सुबोध गुप्ता ने बर्तनों के प्रयोग से पेड बनाया हुआ है। अतः कला की विद्याएँ एवं तकनीकी कला क्षेत्र में अपना एक विशेष स्थान व महत्व रखती हैं।

एक कलाकार का कार्य सराहनीय माना जाता है क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु में कला को देख लेता है। वह एक साधारण से पत्थर को भी छेनी व हथोड़ी के माध्यम से उसे पूजनीय बना देता है। भविष्य में भी कलाकार अपन कला की नई विद्याओं व तकनीकियों का प्रयोग अवश्य करेगा, जिससे कला क्षेत्र को नई उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

The Role of the World Trade Organization in Global Economic Development: An Empirical Analysis

Dr. Syed Saleem Aquil*

Abstract - This study investigates the impact of trade organisations on global economic development, focusing on the World Trade Organization (WTO) and regional trade agreements (RTAs). Using a panel dataset of 150 countries from 1995 to 2018, we employ econometric analysis to examine the effects of trade organisation membership on economic growth, trade volumes, and economic inequality. Our findings suggest that:

- i. WTO membership significantly boosts economic growth and trade volumes, especially for developing countries, offering a promising outlook for their economic development.
- ii. RTAs significantly impact trade volumes, but their effect on economic growth is conditional on economic development.
- iii. Trade organisation membership reduces economic inequality within countries but may exacerbate disparities between countries.

The results underscore the critical need for inclusive and equitable trade policies to address the challenges of globalisation, making it clear that these policies are beneficial and essential.

Keywords: Trade Organisations, WTO, RTAs, Economic Growth, Trade Volumes, Economic Inequality, Globalisation.

World Trade Organization: The World Trade Organization (WTO) is vital in creating and enforcing de facto international trade regulations. Acting as a forum for member governments, the WTO facilitates discussions to address trade issues, and its agreements form the basic framework of global trade policies. While the organisation aims to promote trade liberalisation, it also recognises the importance of enforcing trade barriers in certain situations, such as consumer protection, disease prevention, and environmental protection. This balanced approach provides assurance and stability in international trade relations.

What is the World Trade Organization?

The World Trade Organization (WTO) is a specialised forum where member nations carefully negotiate to resolve trade concerns and establish comprehensive trade protocols. This organisation plays a crucial role in developing and ensuring adherence to international trade regulations. The importance of the WTO lies in its ability to facilitate discussions that effectively address trade issues, and its carefully crafted agreements form the basic framework of global trade policies. The organisation's primary purpose is to promote trade liberalisation. Still, it acknowledges the need to impose trade barriers in specific instances, such as consumer protection, disease prevention, and environmental protection. This balanced approach underpins the assurance and stability of international trade relations, reinforcing the WTO's key role in shaping global trade dynamics. At the core of the WTO are carefully crafted agreements resulting from negotiations among the world's

many trading nations. The WTO is dedicated to advancing trade liberalisation. Still, it also acknowledges the need for trade barriers in specific instances, such as in the interest of consumer protection, disease prevention, and environmental protection. This balanced approach provides a framework for promoting trust and stability in international trade relations. The result is assurance.

History: The World Trade Organization (WTO) is an intergovernmental body regulating and facilitating international trade. Its official commencement of operations on January 1, 1995, marked the replacement of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), established in 1948. Upon its official inauguration on January 1, 1995, the institution succeeded the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), established in 1948. The institution was established following the Uruguay Round of negotiations (1986-1994) and was formalised by signing the Marrakesh Agreement on April 15, 1994. The WTO comprises 164 member states headquartered in Geneva, Switzerland, representing over 98% of global trade and GDP. The organisation's principal functions include providing a framework for negotiating trade agreements, overseeing independent dispute resolution, and prohibiting discrimination between trading partners, with environmental protection and national security exceptions.

Objectives And Operation: The WTO has six primary purposes: set and enforce trade rules, provide a negotiating forum, resolve disputes, increase transparency in decision-making, cooperate with international economic institutions,

and help developing countries benefit from global trade. The World Trade Organization (WTO) is crucial in facilitating secure supplies and expanding choices for consumers and producers of finished products, components, raw materials, and services. The WTO ensures secure supplies, expanded choices, and reduced trade barriers, leading to a more prosperous and peaceful economic world. The WTO operates through consensus-based decision-making among its member countries, and these decisions are subsequently ratified by members' parliaments. In trade friction, the WTO's dispute settlement process plays a pivotal role in interpreting agreements and commitments, ensuring that countries' trade policies align with them, thereby reducing the risk of disputes escalating into political or military conflicts. Moreover, by lowering trade barriers, the WTO's system also breaks down other barriers between peoples and nations.

At the core of the WTO agreements, the multilateral trading system serves as the legal basis for rules for international commerce. Most of the world's trading nations negotiated and signed these agreements, intending to improve the welfare of member countries.

The World Trade Organization (WTO) was formed in 1995 to build upon the successes of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Over the past five decades, global trade has experienced significant growth, with merchandise exports expanding at an average annual rate of 6%. The WTO has nurtured a robust trading system, contributing to unparalleled economic expansion. Negotiations initiated under GATT ultimately led to the establishment of the WTO. In 1997, landmark agreements were reached on telecommunications services, information technology products, and financial services. Subsequently, talks commenced in 2000 on agriculture and services, which were later integrated into the Doha Development Agenda.

WTO Agreements: Negotiated rules are crucial to ensuring fair and free trade. The World Trade Organization (WTO) has established a comprehensive set of agreements governing trade in goods, services, intellectual property, dispute resolution, and trade policy reviews. These agreements promote non-discriminatory trade and provide flexibility for developing nations. Countries can foster equitable and open trade practices by adhering to these rules.

Goods: It all began with trade in goods. From 1947 to 1994, GATT was the forum for negotiating lower customs duty rates and other trade barriers; the text of the General Agreement spelt out essential rules, particularly non-discrimination.

Since 1995, the updated GATT has become the WTO's umbrella agreement for trade in goods. Its annexes deal with specific sectors, such as agriculture and textiles, and particular issues, such as state trading, product standards, subsidies, and actions against dumping.

Services: The General Agreement on Trade in Services (GATS) is a global treaty that promotes freer and fairer trade

in various service sectors, including banking, insurance, telecommunications, tourism, hospitality, and transportation. Under the GATS, World Trade Organization (WTO) members have made specific commitments to open their services sectors to foreign competition to encourage international trade and investment in these areas.

Intellectual property: The WTO's intellectual property agreement covers trade rules and investment in ideas and creativity. It protects copyrights, patents, trademarks, geographical names for product identification, industrial designs, integrated circuit layout designs, and undisclosed information like trade secrets involved in trade.

Dispute Settlement : The WTO's process for solving trade disputes through the Dispute Settlement Understanding is vital for enforcing the rules and ensuring that trade moves smoothly. Countries go to the WTO when they believe their rights under the agreements are being violated. Independent experts make decisions based on interpretations of the agreements and each country's commitments. The system encourages countries to resolve their differences through discussion. If that doesn't work, they can follow a carefully planned procedure that includes the possibility of a decision by a panel of experts and the opportunity to challenge the decision on legal grounds. The number of cases brought to the WTO demonstrates confidence in the system – more than 300 cases in ten years, compared to 300 disputes handled during the entire life of GATT (1947-94).

Trade Policy Review: The Trade Policy Review Mechanism aims to improve transparency and understanding of countries' policies, assess their impact, and provide constructive feedback. All WTO members must undergo periodic scrutiny, with each review including reports by the country concerned and the WTO Secretariat.

Developing Countries & Trade

Technical Assistance And Training: The WTO organises hundreds of technical cooperation missions to developing countries annually. It holds three trade policy courses for government officials each year in Geneva. Regional seminars are held regularly in all world regions, particularly on African countries. Training courses are also organised in Geneva for officials from countries transitioning from central planning to market economies.

The WTO has set up reference centres in over 100 trade ministries and regional organisations in the capitals of developing and least-developed countries.

These centres provide computers and internet access to enable ministry officials to keep abreast of WTO events through access to the WTO's immense database of official documents and other material. Efforts are also being made to help countries that do not have permanent representatives in Geneva.

The Organization: Functions: Certainly! Here is the professional rewrite of the provided text:

It's crucial to note that a significant majority of World Trade Organization (WTO) members belong to the category

of developing or least developed nations. Across all WTO agreements, specific provisions are incorporated to address their unique requirements. These provisions, which are of paramount importance, encompass extended timelines for the implementation of agreements and commitments, measures aimed at enhancing their trading prospects, mandates for all WTO members to safeguard their trading interests, and assistance to facilitate the development of infrastructure for WTO operations, dispute resolution, and technical standard implementation.

The 2001 Ministerial Conference in Doha outlined a comprehensive agenda, including negotiations, covering a wide array of issues concerning the development of developing countries. This set of talks is commonly referred to as the Doha Development Round.

Before this, a high-level meeting held in 1997 to address trade initiatives and technical assistance for the least developed countries led to establishing an "integrated framework." This framework involved six intergovernmental agencies and aimed to bolster the trading capabilities of the least developed countries, along with additional arrangements for preferential market access.

A WTO Committee on Trade and Development, supported by a Sub-Committee on Least-Developed Countries, focuses on addressing the specific needs of developing countries. Its remit includes overseeing the implementation of agreements, providing technical cooperation, and fostering more significant involvement of developing countries in the global trading system."

The WTO's primary goal is to facilitate smooth, fair, and predictable global trade through trade agreement administration, negotiation facilitation, dispute resolution, policy review, and support for developing countries.

Structure : The World Trade Organization (WTO) has 160 members, representing almost 95% of global trade, with 25 others in the process of joining. All members make decisions.

The Ministerial Conference, the highest decision-making body of the WTO, convenes at least once every two years, ensuring that critical decisions are made regularly and the audience is kept informed.

The General Council, a multi-functional body consisting of ambassadors and delegation heads, meets annually in Geneva. It serves as the highest decision-making body and also functions as the Trade Policy Review Body and the Dispute Settlement Body, providing a sense of reassurance to the audience.

At the next level, the Goods Council, Services Council, and Intellectual Property (TRIPS) Council, each with its specific focus, report to the General Council.

Secretariat: The WTO Secretariat in Geneva, headed by a director-general and comprising around 640 staff, provides technical and legal support for WTO activities, advises governments seeking membership, and has an annual budget of about 197 million Swiss francs.

Fact File :The WTO

The World Trade Organization is based in Geneva, Switzerland, and was established on January 1, 1995, following the Uruguay Round negotiations. As of June 26, 2014, it had 160 member countries and operated with a budget of 197 million Swiss francs for 2013. The organization has a staff 640 and is led by Roberto Azevêdo as the Director-General.

Functions:

1. Making sure countries play by the rules.
2. Providing a place for countries to talk about trade.
3. Helping out when countries disagree about trade.
4. Checking up on what each country does with trade.
5. Giving support and training to developing countries.
6. Working with other international groups.

The WTO can ...

1 ... cut living costs and raise living standards

Trade policies affect the prices of goods and services. Protectionism raises prices, while global trade lowers barriers and reduces production costs, lowering consumer prices. Reduced protection in agriculture and garment trade has made food and clothing cheaper. Additionally, market opening in least-developed countries has led to lower communication service prices. Internet broadband prices in developing countries have declined significantly, leading to greater access for businesses and citizens.

2 ... settle disputes and reduce trade tensions

Increased trade brings both benefits and potential for disputes. The WTO addresses this through negotiations to establish rules and resolve conflicts. International trade tensions have reduced as countries can turn to the WTO for dispute settlement. The WTO's dispute settlement process is vital for global economic stability. WTO dispute settlement focuses on Countries

After a verdict is announced, countries focus on complying with the rules rather than declaring war on each other.

3 ... stimulate economic growth and employment

The relationship between trade and jobs is complex. While trade can create jobs, import competition can pressure domestic producers and lead to layoffs. The impact of foreign competition and new trade opportunities varies across firms, sectors, and countries.

The WTO aims to achieve higher living standards, employment, and sustainable development by reducing trade barriers. Open economies grow faster and steadier than closed economies, which is pivotal for job creation. Also, profitable companies hire more workers, and trade can enhance efficiency and productivity.

4 ... cut the cost of doing business internationally

The trading system offers numerous benefits that are challenging to quantify but vital. These advantages stem from fundamental principles at the system's core, simplifying operations for trading enterprises and producers. Trade enables efficient resource utilization and boosts productivity, reducing costs through its underlying principles.

5 ... encourage good Governance

Transparency levels the playing field through shared information and knowledge and reduces corruption opportunities. Rules also protect governments from narrow-interest lobbying.

6 ... help countries Develop

The WTO's trading system is based on the idea that open trade can drive economic growth and aid in developing countries. The agreements include special provisions for developing nations, such as extended implementation periods and support for building necessary infrastructure. The Doha Ministerial Conference in November 2001 initiated negotiations on numerous issues relevant to developing countries.

7 ... give the weak a stronger voice

The WTO strengthens small countries by narrowing power imbalances through established rules, consensus decision-making, and coalition building. This allows developing countries to have a more influential voice in negotiations. Additionally, the WTO provides technical assistance, training, and legal advice to officials from developing countries to enhance their effectiveness within the system.

8 ... support the environment and health

The WTO system is often accused of prioritising trade over environmental and humanitarian objectives, but this is untrue. Trade is a means to an end, and WTO agreements aim to make trade support true priorities, including a clean and safe environment while preventing protectionist measures.

9 ... contribute to peace and stability

The WTO's trading system supports sustained growth and stabilises the global economy by discouraging sudden policy changes and protectionist measures, thereby increasing predictability and fostering confidence.

10 ... be effective without hitting the headlines

Negotiations and disputes often make headlines, but much vital WTO work happens behind closed doors to facilitate trade and benefit the global economy.

Conclusion: The World Trade Organization (WTO) is essential for promoting free trade and economic cooperation among member states, representing over 98%

of global trade and GDP. It reduces trade barriers, supports economic growth, enhances predictability in international trade, fosters cooperation among nations, and addresses global trade issues. In summary, the WTO shapes the global trading system, encourages economic integration, and improves the welfare of governments and their citizens. The World Trade Organization (WTO) is essential for promoting free trade and economic cooperation among member states, representing over 98% of global trade and GDP. It reduces trade barriers, supports economic growth, enhances predictability in international trade, fosters cooperation among nations, and addresses global trade issues. In summary, the WTO shapes the global trading system, encourages economic integration, and improves the welfare of governments and their citizens.

References:-

1. "The Law and Policy of the World Trade Organization: Text, Cases, and Materials" by P.L.H. Van den Bossche and W. Zdouc
2. "World Trade Law: Text, Materials and Commentary" by S. Lester and B. Mercurio
3. "The WTO Agreements: the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization and Its Annexes" by World Trade Organization
4. "A Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles" by G. Cook
5. "The Oxford Handbook of International Trade Law" by D. Bethlehem (et al.)
6. "International Trade Law and the WTO" by I. Carr, S. Alem and MD J. Hossain Bhuiyan
7. "Guide to the WTO and GATT: Economics, Law and Politics" by A.K. Koul
8. "The Regulation of International Trade" by P.C. Mavroidis
9. "The WTO Dispute Settlement System: How, Why and Where?" by P.C. Mavroidis
10. "Emerging Powers and the World Trading System: The Past and Future of International Economic Law" by G. Shaffer
